

Approved by Ex. UGC
Journal No. : 63580
Regd. No. 21747

Indexed : IIJIF, I2OR & SJIF
I2OR Impact Factor : 7.250
ISSN 2277-2014

Research Discourse

An International Peer-reviewed Refereed Research Journal

Vol. XII

No. IV

October-December 2022



Editor

Dr. Anish Kumar Verma

Associate Editors

Dr. Rakesh Kumar Maurya

Dr. Dinesh Kumar

Dr. Romee Maurya



International
Innovative Journal
Impact Factor (IIJIF)



Scientific Journal Impact Factor

Approved by Ex. UGC
Journal No. : 63580
Regd. No. 21747

Indexed by : IJIF, I2OR, SJIF
I2OR Impact Factor : 7.250
ISSN 2277-2014

Research Discourse

An International Peer-reviewed Refereed Research Journal

Vol.XII

No.IV

October - December 2022



Editor in Chief
Dr. Anish Kumar Verma

Associate Editors
Dr. Rakesh Kumar Maurya
Dr. Dinesh Kumar
Dr. Romee Maurya

Published by :
South Asia Research & Development Institute
B. 28/70, Manas Mandir, Durgakund, Varanasi-221005, U.P. (INDIA)
Website : www.researchdiscourse.org
E-mail : researchdiscourse2012@gmail.com
Mobile : 09453025847, 8840080928

Patron : Dr. Lalji Tripathi, Ex. Principal, Mariahu P.G. College, Mariahu, Jaunpur, U.P.
Editor in Chief : Dr. Anish Kr. Verma Asst. Prof., Deptt. of Sociology, Mariahu P.G. College, Jaunpur, U.P.
Associate Editors : Dr. Rakesh Kumar Maurya, Dr. Dinesh Kumar, Dr. Romee Maurya
International Editorial Board : Anna Malingdog, Asst. Prof., Deptt. of Pol. Sci., De La Salle Univ., Philippines
Abdul Qayyum, Qadirabad Colony P.O. Choti Zareen Tehsil & Distt. D.G. Khan Punjab, Pakistan
National Editorial Board

Prof. Rekha, Deptt. of Sociology, M.G.K.V.P, Varanasi, U.P.
 Dr. N.K. Singh, Principal, R.H.S.P.G. College, Jaunpur, U.P.
 Dr. Deenbandu Tiwari, Associate Prof., Deptt. of Sociology, L.B.S.P.G College, Varanasi, U.P.
 Dr. Rajeev Kumar Singh, Assistant Professor of Law, Law Collage Dehradun, Uttaranchal University, UK
 Dr. Aparna Singh, Assistant Professor of Law, Dr. Ram Manohar Lohia National Law University, Lucknow, U.P.
 Dr. Pramod Kr. Shukla, Asst. Prof. Deptt. of Sociology, D.D.U.Gorakpur.U.P.
 Dr. Rajneesh, Asst. Prof. Deptt. of Sociology, S.S.S.V.S Govt. P.G. College, Chunar, U.P.
 Dr. Ramesh Kumar, HOD, Deptt. of Political Science, S.D. College, Ambala, Hariyana
 Dr. Kaushal Kishor, Asst. Prof. in Sociology & Anthropology, A.N. Sinha Inst. of Social Studies, Patna, Bihar
 Dr. Reeta, Asst. Prof., Deptt. of Commerce, Gangapur Compus, M.G.K.V.P, Varanasi, U.P.
 Dr. Santosh Kr. Tiwari, Asst. Prof., School of Law, Justice & Governance, Gautam Buddha Uni., Greater Noida, U.P.
 Dr. Sanjay Kumar Tiwari, Asst. Prof., Deptt. of Commerce, Mariahu P.G. College, Jaunpur, U.P.
 Dr. Surendra Pratap Singh, Asst. Prof., Deptt. of Hindi, M.G.K.V.P, Varanasi, U.P.
 Dr. Jitendra Singh Goyal, Academic Counsellor, IGNOU, Mahamaya Govt. Degree College, Mahona, Lucknow, U.P.
 Dr. Neeraj Tiwari, President, Madhumay Educational & Research Foundation, Faizabad, U.P.
 Dr. Neeraj Kumar Shukla, HOD, B.Ed., Govt. P.G. College, Kashipur, U.S. Nagar, Uttarakhand
 Mr. Shivendra K. Maurya, Editor in Chief, Unmesh: An International refereed research journal, Pratapgarh, U.P.
 Mr. Sudhanshu Chaubey, Editor in Chief, Tripathaga: An International refereed research journal, Varanasi, U.P.
 Mr. Manjul Trivedi, Editor in Chief, Veethika : An International refereed research journal, Lucknow, U.P.

Advisory Board

Prof. Sushil Kumar Gautam, Head, Deptt. of Phy. Edu., M.G.K.V.P, Varanasi, U.P.
 Dr. Anurag Mishra, Asst. Prof., Deptt. of Pol. Sci., Mariahu P.G. College, Jaunpur, U.P.
 Dr. Amjad Ali Siddiqui, Asst. Prof., Deptt. of Sociology, MOHD.H.P.G. College, Jaunpur, U.P.
 Dr. Anajana Verma, Asst. Prof., Deptt. of History, M.G.K.V.P, Varanasi, U.P.
 Dr. Chiranjeev Kumar Thakur, DLW, Varanasi, U.P.
 Dr. Dhananjay Sharma, Asst. Prof., Deptt. of Sociology, Govt. P.G. College, Bageshwar, Uttarakhand
 Dr. Rama Shanker Pandey, Asst. Prof. B.Ed, Govt. P. G. College Jaiharikhal, Lansdowne, Pauri Garhwal, UK
 Mr. Kuldeep Birwal, Asst. Prof., Department of Education, Yash college of Education, Rurkee, Hariyana

Review Editor's

Dr. Kripa Kinjalkam, Asst. Prof., Department of Hindi, Iswar Saran Degree College, University of Allahabad, U.P.
 Dr. Anju Sihar, Asst. Prof., Deptt. of Hindi, Govt. Chhatrasal College, Pichore, M.P.
 Dr. Vijay Sankar Dwivedi, Asst. Prof. Deptt. of Sanskrit, Delhi University, Delhi
 Dr. Surya Kant Tripathi, Asst. Prof. Deptt. of Sanskrit, D.D.U.Gorakpur.U.P.
 Dr. Archana Bhattacharjee, Asso. Prof., Deptt. of English and Academic Vice Principle, Kakojan College, Jorhat, Assam
 Dr. Anjaneya Pandey, HOD, Deptt. of English, Mariahu P.G. College, Jaunpur, U.P.
 Dr. Dinesh Kumar Tiwari, HOD, Asst. Prof., Deptt. of Commerce, D.A.V.P.G. College, Azamgarh, U.P.
 Dr. S.K. Pandey, Asst. Prof., Dept. of commerce, Y.D. (PG) College, Lakhimpur-Kheri, U.P.
 Dr. Chandra Prakash Dubey, HOD, LIS, Mariahu P.G. College, Mariahu, Jaunpur, U.P.
 Dr. Sugriv Singh, Librarian Univ. Employment, Info. & Guidance Bureau, FCI Campus, Univ. of Alla, Allahabad, U.P.
 Dr. S. Kandasamy, Asso. Prof. and Head, Deptt. of Public Policy, Law and Governance, Central University of Rajasthan.
 Dr. Vinod Kumar Saroj, Deptt. of Public Policy, Law and Governance, Central University of Rajasthan, Rajasthan.
 Dr. R. Panneer Selvam, Asst. Prof., Department of History, Gov. Arts College (A), Salem, Tamilnadu.
 Dr. Vineet Kumar Guru, Asst. Prof., Department of History, Government College, Bijawar, M.P.
 Dr. Manoj Kumar Mishra, Asso. Prof., Deptt. of Defence & Strategic Studies, S.G.R.P.G. College, Dobhi, Jaunpur, U.P.
 Mr. Uday Pratap Singh, Asst. Prof., Deptt. of Defence, Iswar Saran P.G. College, Allahabad, U.P.
 Mr. Ashutosh Kumar Tripathi, Freelance Journalist, B.5/167, Avadgarvi, Shivala, Varanasi, U.P.
 Dr. Santosh Kumar Tripathi, Asst. Prof., Deptt. of Sociology, S.M.R.D.P.G. College, Gazipur, U.P.
 Dr. Anand Kumar, UGC-PDF, Department of Sociology, Lucknow University, Lucknow, U.P.
 Dr. Santosh Kumar Singh, Asst. Prof., Deptt. of Psychology, M.G.K.V.P, Varanasi, U.P.
 Dr. Rajendra Singh, Asst. Prof., Deptt. of Psychology, R.S.K.D.P.G. College, Jaunpur, U.P.
 Prof. MC Sati, Department of Economics, H.N.B. Garhwal University, UK
 Mr. Kamlesh Goyal, Research Scholar, Department of Economics, Punjabi University, Patiala, Punjab
 Dr. Arvind Kumar, Asst. Prof., Department of B.Ed., Raza college, Rampur, U.P.
 Dr. Pravin Kumar Tiwari, Asst. Prof., Department of Education, Mariahu P.G. College, Jaunpur, U.P.
 Dr. R. Sekar, Asst. Prof., Deptt. of Political Science, Thiruvallur Gov. Arts College, Rasipuram, Namakkal, Tamilnadu.
 Dr. Hemant Kumar Singh, Asst. Prof., Deptt. of Political Science, S.P.M Gov. Degree College, Phaphamau, Alla., U.P.
 Dr. Naresh Kr. Verma, Asst. Prof., Deptt. of Geography, Central University of Haryana, Mahendergarh
 Dr. Arun Pratap Singh, Asst. Prof., Deptt. of Geography, S.P.M. Gov. Degree College, Phaphamau, Allahabad, U.P.
 Dr. Amit Kr. Mishra, Asst. Prof., Deptt. of Philosophy, H.N.B. Gov. P.G. College, Naini, Allahabad, U.P.
 Dr. Ram Narain Mishra, Asst. Prof., Deptt. of Philosophy, S.B. College (Affi. V.K.S. University), Ara, Bihar
 Dr. Neetu Mishra, Asso. Prof., Department of Home Science, University of Allahabad, U.P.
 Mrs. Vidya Verma, Asst. Prof., Deptt. of Home Science, Govt. Girls Degree College, Kannauj, U.P.

© Editor

*Note: Scholars will be answerable to the contents of their articles.
 All disputes and complaints are subject exclusively to the Jurisdiction of the courts/tribunals/forums at Varanasi Only.*

सम्पादकीय

आज का भारत अंग्रेजी औपनिवेशिक दासता की काली परछाई को पार कर चुका है। स्वाधीनता संघर्ष आर्थिक विकास का संघर्ष भी था। इस संघर्ष से हमारे नेताओं को भारत के विकास हेतु नीतियां निर्धारित करने की दृष्टि मिली। 1947 में स्वतंत्रता मिलने के उपरांत देश को अर्थव्यवस्था में गति आई। खासतौर पर 1991 से आर्थिक सुधारों के बाद यह गति और तेज हुई। आज भारत एक नयी कथा लिख रहा है। लेकिन एक अरब से ज्यादा लोगों के इस देश में विकास के लाभ अब तक सभी नागरिकों को समान रूप से नहीं मिल पाए हैं। शिक्षण सुविधाओं की कमी, पीने के पानी की किल्लत, बच्चों का कुपोषण, हैं खासतौर पर गांवों में स्वास्थ्य और सफाई की खराब स्थिति आदि ने भारत को सुविधासंपन्न और सुविधाविहीनों के रूप में के दो हिस्सों में बांट दिया है। कृषि की खराब स्थिति चिंता का सबब है। हालांकि सरकार यह कहती है कि आर्थिक सुधारों का 'मानवीय चेहरा' है, फिर भी ऐसा मानने वालों की तादाद बहुत बड़ी है कि सुधारों ने बहुलांश आबादी को छुआ तक नहीं, बल्कि उनके बगल से निकल गया है।

जब संसार के लोग भारत के बारे में सोचते हैं तो उनके मन क सामने महात्मा गांधी तथा उस शांतिमय क्रांति का चित्र आ जाता है, जिसके द्वारा उन्होंने भारत की राजनीतिक आजादी प्राप्त की। उनका व्यक्तित्व सारे संसार में अनोखा था और हमारी आजादी का आंदोलन भी इस प्रकार का था, जिसके संबंध में लोगों ने कुछ सुना नहीं था। महात्मा और उनके द्वारा चलाया हुआ आंदोलन दोनों ही अनोखे थे, पर वे थे सोलहों आना भारतीय। इस समय हम एक क्रांति के अंदर से गुजर रहे हैं, जो सामाजिक होने के साथ ही साथ आर्थिक भी है और वह अपनी विशालता तथा कार्यपद्धति की दृष्टि से बिल्कुल अद्वितीय है। यह क्रांति किसी एक व्यक्ति के नेतृत्व में नहीं हो रही है, क्योंकि देश की सारी जनता इसमें भाग ले रही है। कभी भी इतने करोड़ लोगों ने किसी ऐसी उथल-पुथल में भाग नहीं लिया जो शताब्दियों के पिछड़ेपन को दूर कर देगी और जिससे हम यह आशा करते हैं कि हम सामंतवादी समाज से बीच के सारे सोपानों को छलांग लगा कर जिनसे औरों को गुजरना पड़ा है, सीधे-सीधे समाजवादी समाज में पहुंच जाएंगे और यह सारी सिद्धि हमें हिंसा के बिना ही प्राप्त होगी। यदि यह सफल रही तो यह भी इतिहास के पृष्ठों में इस रूप में चला जाएगा कि यह संसार को भारत की अनोखी देन है।

प्रस्तुत अंक के अशुद्धियों को शुद्ध करने के लिए डॉ० प्रवीण कुमार तिवारी, डॉ० विजय कुमार चतुर्वेदी, डॉ० सुनिल कुमार, डॉ० चन्द्र प्रकाश दूबे एवं अनन्य मित्र डॉ० आनन्द कुमार, डॉ० दिनेश कुमार, डॉ० अनूप कुमार, डॉ० पंकज सिंह एवं डॉ० रोमी मोर्या, श्री पवन कुमार मोर्या, श्रीमती नम्रता वर्मा के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। प्रस्तुत अंक में रह गयी त्रुटियों एवं विलम्ब के लिए हम सभी पाठकों से क्षमा प्रार्थी है।

प्रकाशन दिनांक : 30-12-2022

सम्पादक
डॉ० अनीश कुमार वर्मा

INDEX

- स्वामी विवेकानन्द का चिन्तन : राष्ट्रवाद के विशेष सन्दर्भ में 1-3
मेराज अहमद
- संस्कृत ग्रन्थों में प्रस्तावित काल में वर्णित महिलाओं की सामाजिक स्थिति 4-5
विजय कुमार
- उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की आर्थिक स्थिति पर मनरेगा के प्रभाव
गाजीपुर जनपद के विशेष संदर्भ में 6-8
डॉ० अर्चना शुक्ला एवं रंजीत यादव
- भाषाओं का संस्कृति, समाज और कला के साथ अन्तर्सम्बन्ध 9-11
डॉ० जनार्दन झा
- बड़हरा प्रखण्ड में ग्रामीण विकास की सामाजिक-आर्थिक सुविधाएँ : एक भौगोलिक अध्ययन 12-13
भीम कुमार एवं प्रो० (डॉ०) नवीन कुमार
- नई पीढ़ी और भाषा प्रौद्योगिकी 14-15
डॉ० आदित्य रंजन
- बड़हरा प्रखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का अध्ययन 16-17
शैलेश कुमार सिंह एवं प्रो० (डॉ०) नवीन कुमार
- बिहार में महिलाओं के विकास की गति : महिला सशक्तीकरण का एक मौलिक अध्ययन 18-19
डॉ० अर्चना चौधरी
- ग्रामीण क्षेत्र में दलित महिला नेतृत्व एवं चुनौतियाँ : एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण 20-22
अंशू पाण्डेय
- महात्मा गाँधी की 'स्वराज' की अवधारण 23-25
प्रवीण कुमार तिवारी
- वाराणसी के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों का परिचय तथा उनका योगदान 26-27
पंकज कुमार सिंह एवं डॉ० अजीत कुमार मिश्र
- 1857 के स्वाधीनता समर में चंदेरी 28-30
डॉ० अतुल गुप्ता
- व्यंग में वर्तमान : एक और कड़ी 31-32
संदीप एवं डॉ० रौशन कुमार
- तुलसीदास के काव्य में समाविष्ट धार्मिक मूल्य 33-35
चन्दा सिंह एवं डॉ० बिजेन्द्र सिंह
- अकाल में उत्सव : भ्रष्टाचार के मकड़जाल में दम तोड़ता भारतीय किसान 36-39
विनोद कुमार भारती एवं डॉ० अमित कुमार
- सिद्ध-नाथ की राजनैतिक पृष्ठभूमि : एक अध्ययन 40-42
प्रियंका भगत
- शहरीकरण की चुनौतियाँ व समाधान 43-44
विजय कुमार
- सूर्य का वैदिक विज्ञान 45-47
डॉ० अरुण बोस
- जयप्रकाश नारायण के सर्वोदय विचार : एक नवीन विश्लेषणात्मक अध्ययन 48-49
पल्लवी
- आदिवासी जीवन संघर्ष और 'पठार पर कोहरा' 50-52
शुभम यादव
- 'बाबा बटेसरनाथ' में चित्रित गाँव एवं समाज 53-55
राजेश कुमार कुशवाहा
- बांग्ला कथा-साहित्य और आदिवासी जीवन 56-58
दीक्षा सिंह
- बहिष्कार से समावेशन की प्रक्रिया : संवैधानिक उपागम एवं राज्य के प्रयास
(अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिलाओं के विशेष संदर्भ में) 59-60
डॉ० संदीप कुमार
- स्नातक स्तर के विद्यार्थियों की पारिवारिक वातावरण के सन्दर्भ में जीवन संतुष्टि का अध्ययन 61-64
आकांक्षा मिश्रा एवं डॉ० श्रवण कुमार

नागार्जुन के साहित्य में वैवाहिक एवं पारिवारिक विघटन की समस्याएँ : एक अवलोकन 65-67
टी० त्रिवेणी

अम्बेडकर की छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष यात्रा : एक अवलोकन 68-70
नितेश जायसवाल एवं प्रोफेसर(डॉ०) मो० शाहिद

महर्षि दयानन्द सरस्वती का राष्ट्रीय आन्दोलन एवं शिक्षा में अवदान 71-72
प्रमोद वर्मा

नैतिक मूल्यों के उत्थान में शिक्षक की भूमिका 73-76

अमृता श्रीवास्तव एवं डॉ० विशाखा शुक्ला

अध्ययन आदत एवं मूल्य का अवधारणात्मक स्वरूप 77-78

विशेष श्रीवास्तव एवं डॉ० के.डी. उपाध्याय

अध्यापक शिक्षा व शिक्षा प्रणाली : एक अध्ययन 79-81

डॉ० दीपिका शर्मा

शंकराचार्य एवं चैतन्य महाप्रभु के चिंतन : एक अध्ययन 82-84

डॉ० अनिल कुमार तिवारी

कौशल विकास के हेतु आर्थिक सहायता व प्रशिक्षण प्रदान करना 85-87

डॉ० सुनील कुमार सिंह

समकालीन कला जगत में प्रयोगशील शिल्पकार एम० वी० कृष्णन 88-89

सत्येन्द्र कुमार

जनवाद और दूधनाथ सिंह का कथा साहित्य 90-92

डॉ० प्रदीप जायसवाल

मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के निहितार्थ : एक ऐतिहासिक 93-94

विश्लेषणात्मक अध्ययन

अभिषेक शुक्ल

स्वामी दयानन्द सरस्वती के वर्ण व जाति संबंधी विचारों का अध्ययन 95-96

राहुल

वृत्तिक शिक्षा क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति के प्रति

दृष्टिकोण एवं जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन 97-99

संजीत कुमार पाण्डेय एवं डॉ० विजय कुमार चतुर्वेदी

महिला सशक्तिकरण : भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के संदर्भ में 100-101

विकास मणि तिवारी

निर्गुण भक्त कवियों में आर्थिक चेतना 102-103

डॉ० बृजेश कुमार पाण्डेय

समाज और आधुनिकीकरण : एक अवलोकन 104-106

डॉ० किसलय सिन्हा

उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति और भागीदारी 107-110

मनोज कुमार वर्मा एवं डॉ० पवन कुमार सिंह

हिन्दी साहित्य : थर्ड जेंडर का संघर्ष और संवेदना 111-113

डॉ० दिनेश पाल

G-20 सम्मेलन : महिला सशक्तिकरण और विकास 114-116

प्रो० आलोक श्रीवास्तव

भारतीय निर्वाचन व्यवस्था : वर्तमान विमर्श एवं चुनौतियाँ 117-120

डॉ० राणा चन्द्र भानु सिंह

भारतीय सभ्यता में गुप्तकालीन सभ्यता का स्थान एवं महत्व 121-123

डॉ० सौमिनी सिंह

किन्नर विमर्श : संघर्ष अस्तित्व का 124-126

नेहा

बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली 127-128

श्री अरविन्द कुमार

भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति 129-131

डॉ० सुरेन्द्र कुमार यादव

मानवाधिकार के परिप्रेक्ष्य में तीन तलाक की अस्मिता 132-135

डॉ० ऋचा शुक्ला

कर्मयोग से तनाव निवारण एवं सुखी जीवन 136-138

डॉ० कुमारी चम्पा

भारत में आवास नीति और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 139-141

अनुज कुमार

जल संकट और घटते भूजल स्तर के दुष्परिणाम 142-143	डॉ० नीरजा माहेश्वरी
अथर्ववेदीय सामाजिक प्रथाएं एवं मान्यताएं 144-146	डॉ० सत्येन्द्र कुमार यादव
सामवतम् कथानक की शास्त्रीय समीक्षा 147-149	बलराम वर्मा एवं प्रो० आशा गुप्ता
जनपद अमेठी (उत्तर प्रदेश) में भूमि उपयोग : एक भौगोलिक अध्ययन 150-153	सुनील कुमार एव डॉ० अल्केश्वरी सिंह
जिला उद्योग एवम उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र की भूमिका 154-155	रितेश कुमार यादव
निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के उद्भव और विकास में गोपाल कृष्ण गोखले का योगदान 156-157	सन्त प्रसाद जी
केन्द्र व राज्य सरकारों के कार्यक्रम तथा योजनाएँ 158-160	सतीश कुमार उपाध्याय
सोशल मीडिया का अवदान : कोरोना काल के संदर्भ में 161-163	डॉ० अतुल मिश्र
21वीं शताब्दी में गाँधीवादी स्वराज्य की प्रासंगिकता 164-165	डॉ० विजय सिंह मावई
पंचायती राज व्यवस्था की संकल्पना 166-167	माधुरी सिंह एवं डॉ० दिनेश कुमार सिंह
विभिन्न काल-क्रमों में केन्द्रस्थलों का उद्भव एवं विकास : एक अवधारणात्मक परिचय 168-170	अनीता सोनी
पउमचरित और रामचरित मानस की धार्मिक अध्यात्मिक चेतना का तुलनात्मक अध्ययन 171-173	रामजीलाल मीना

INDEX

Economic Disparity in Eastern Uttar Pradesh : An Analysis 1-5	
Prof. Aloka Kumar Goyal & Mantasha Aziz	
Concept & Perspectives of Employee Performance over Organizational Performance : An Analytical Analysis with Reference to Higher Education Institution 6-9	
Dr. Pooja Chaturvedi & Dr. Ravindra Pathak & Rajesh Jain	
Challenges and Opportunities of Community Participation in Education in India's Democracy 10-13	
Dr. Sadaquat Ali Khan	
Requirements for the Implementation of a framework for Blended learning in India's Higher Educational Institutions 14-17	
Dr. Mohd. Talib Ather Ansari	
The Concept of State under Article 12 of Indian Constitution 18-20	
Omendra Singh	
Right of Life and Personal Liberty : Judicial Interpretation 21-24	
Dr. Shashank Misra	
Impact of Change in Government's Monetary Policy on Indian Economy 25-26	
Dr Anupama Manuhaar	
Role of Television Programme in inculcating Values among Pupil Teachers pursuing Special Education Courses 27-29	
Dr. Jasmer Singh	
Social Issues in Arvind Adiga's <i>The White Tiger</i> 30-32	
Vinod Kumar Pandey & Dr. Brijesh Kumar Shukla	
Globalization's Impact on the Growth of India's Mutual Fund Industry 33-36	
Dr. Shivangi Sah	
Interpreting Life in Exile: Kashmiri Women in Select Works of Kashmiri Authors 37-39	
Pratyush Pandey	
Regionalism in World Politics : Past And Present 40-42	
Nagendra Singh	
Present significance of Women Empowerment through reservation 43-44	
Dr. Gaurav Kumar Srivastava	
Women's Beliefs and Attitudes Towards Health in Rural Setting 45-47	
Sheetal	
Labour Laws : Review of Recent Amendment Banning Child Labour 48-51	
Dr. Rahul Kumar	
National Education Policy 2020 and Higher Education : A Review 52-55	
Dr. Dilip Kumar Choudhary	
Seven Decades of India's Health : Need for an Equitable Health Policy 56-58	
Dr. Shiv Kumar	
Political Organisation of the Meena Tribe of Rajasthan 59-62	
Dr. Neetu Singh	
State Policies and Agrarian Society in Global Era : A Critical view 63-66	
Dr. Priya Singh	
Leadership Alchemy: Unraveling the Effects of Leadership Styles on Employee Well-being in Azamgarh's College Environment 67-70	
Subbhan Allah Siddiqui & Dr. Mohammad Salman Ansari	
Emerging Socio-Economic Reasons Driving Out-Migration from Asansol City : A Demographical Analysis 71-75	
Priyanka Thakur	
The Effect of Yoga and Physical Exercises on Resting Pulse Rate Variable of Higher Education Students 76-77	
Dr. Harender Singh	

स्वामी विवेकानन्द का चिन्तन : राष्ट्रवाद के विशेष सन्दर्भ में

मेराज अहमद*

*शोध-छात्र, गनपत सहाय पी0जी0 कालेज, सुलतानपुर, उ0प्र0

सारांश : यह शोध-पत्र स्वामी विवेकानन्द का चिन्तन : राष्ट्रवाद के विशेष सन्दर्भ में को रेखांकित करता है। विवेकानन्द का प्रभाव भारत में एक नवीन चेतना का उद्बोधक तथा विश्व के लिये उद्वेलन का कारण बना। ऐसे समय में भारत में राजनीतिक उदासीनता एवं निराशा के बादलों ने भारतीयों को अकर्मण्य बना दिया था, स्वामी विवेकानन्द ने हमें पुनः आत्मसम्मान दिया और हम में हमारे भूतकालिक सुषुप्त अभियान को पुनः जागृत किया। यह शोध पत्र पूर्व के अध्ययन से अलग है एवं समाज के लिए महत्वपूर्ण है। शोधपत्र विवरणात्मक विधि पर आधारित है। यह अध्ययन अन्य शोधार्थियों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है।

मुख्य शब्द : राष्ट्रवाद, अद्वैतवाद, धार्मिक सिद्धान्त, वेदान्तिक भावना, आध्यात्मिक लाभ आदि।

उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम भाग में जब हम सुधार के मॅवर में पड़कर यह नहीं समझ पा रहे थे। कि किधर जायें, पाश्चात्य की प्रखर चकाचौंध से जब हमारी आँखें चौंधिया रही थी, जब सारा राष्ट्र दिग्भ्रमित हो रहा था। जब राष्ट्र के सामने प्रश्न के बाद प्रश्न, सन्देह के बाद सन्देह धीरे-धीरे स्तूपकार होते जा रहे थे, जब विजातीय पथ पर स्वजाति का सुधार रथ चलने में असमर्थ होकर रुक सा गया था, एक दीर्घ शताब्दी के सुधार के परिणाम को सोचकर जब हम एक तरह से निराश से होकर बैठ गये थे, आगे क्या करे यह सोच न पा रहे थे, उस समय सुधार के उस झंझावत से आन्दोलित और मथिल बंगाली समाज के गर्भ में आविर्भूत हुए। शीत से ठिठुरते हुये नर-नारियों के दल मकर सप्तमी के स्नान के लिये भागीरथी की ओर जा रहे थे। उसी समय सूर्योदय से 6 मिनट पूर्व छः बजकर, तैंतीस मिनट, तैंतीस सेकण्ड पर भुवनेश्वरी देवी ने विश्व विजयी पुत्र को जन्म दिया। आन्दोल्लास और वर्ष कोलाहल से दत्तभवन मुखरित हो उठा। नारीगण मंगलशंख बजाकर मांगलिक ध्वनि करने लगी। बंगाल के घर-घर में पौष पर्व का आनन्दोत्सव मनाया जा रहा था, मानों नवजात शिशु की सादर अभ्यर्थना करने के लिये लाखों बालक बालिकाओं के आनन्द कोलाहल से बंग भूमि का प्रत्येक गृह प्रांगण मुखरित हो उठा।¹

विवेकानन्द ने राष्ट्रवाद के धार्मिक सिद्धान्त का प्रतिपादन इसलिये किया था। कि वे मानते थे कि धर्म ही भारत के राष्ट्रीय जीवन का मरुदण्ड रहेगा, विवेकानन्द के अनुसार अखिल ब्रह्माण्ड में स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिये प्रयास किया जा रहा है। टैगोर पर विवेकानन्द के प्रभाव के स्पष्ट करते हुये रोम्यां रोला ने लिखा है— विचारकों के बादशाह श्री अरविन्द कवि सम्राट टैगोर तथा महात्मा गाँधी पर विवेकानन्द का अवश्य ही प्रभाव था, टैगोर के विचारों में ब्रह्म समाज तथा विवेकानन्द के वेदान्त का अभिट प्रभाव देखा जा सकता है, पूर्व और पश्चिम की अवधारणाओं टैगोर ने आत्मसात कर लिया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि उनके विकास में विवेकानन्द की साँसों का भी स्पन्दन था। विवेकानन्द का अरविन्द पर निर्विवाद के रूप से प्रभाव देखने को मिलता है। रोम्यां रोला ने अरविन्द को विवेकानन्द का बौद्धिक उत्तराधिकारी माना है। तथा उन्होंने उनको नयी वेदान्तिक भावना का प्रतिनिधि स्वीकार किया है। अरविन्द ने स्वयं विवेकानन्द को मानव सम्राट के रूप में स्वीकार किया है। जिस प्राचीन अद्वैतवाद का प्रतिपादन रामकृष्ण तथा विवेकानन्द के विचारों में हुआ था। मुख्यतः यही विचार अरविन्द के दर्शन का भी मूलतत्त्व रहा है। अरविन्द के द्वारा चाहे जेल में की गयीं साधना हो या हठयोग इन सबकी प्रेरणा वे विवेकानन्द को ही मानते हैं। दोनों ही विचारक राष्ट्रीयता के प्रमुख अग्रदूत हैं। मानवता के प्रति इनकी अगाध श्रद्धा थी।

विवेकानन्द के अनुसार भारत में स्थायी राष्ट्रवाद का निर्माण धर्म के आधार पर किया जा सकता है। विवेकानन्द ने राष्ट्रवाद के धार्मिक सिद्धान्त का प्रतिपादन इसलिये किया था कि वह यह मानते थे कि धर्म ही भारत के राष्ट्रीय जीवन का मरुदण्ड रहा है। और आगे भी यह धर्म ही हमारे जीवन का मरुदण्ड रहेगा। अरविन्द भारत माँ को काली का रूप मानते हैं और वह काली शक्ति स्वस्थ राष्ट्रीय आन्दोलन का संचालन करती है। अरविन्द के राजदर्शन में अमृत चिन्तन और पौराणिक प्रतीकों का प्रयोग है। सनातन धर्म उनकी दृष्टि में भारतीय राष्ट्रीयता है। अरविन्द मानते थे कि भारत की राजनीतिक मुक्ति मानवता के आध्यात्मिक लाभ के लिये अनिवार्य है।

स्वामी विवेकानन्द के बारे में यह भ्रान्त धारणा है कि वे केवल एक सन्यासी या धर्मोपदेश या वेदान्ती मात्र थे। वास्तविकता यह है कि उनका मूल उद्देश्य भारत की राजनीतिक प्रगति ही था। भारत के सन्यासियों ने धर्मवलम्बियों की तरह केवल धार्मिक चोला पहनकर कार्य नहीं किया अपितु उन्होंने देश को राजनीतिक चेतना एवं स्वतंत्रता का पाठ भी पढ़ाया है। स्वामी दयानन्द का उदाहरण उन अनेक उदाहरणों में से एक है। अतः यह स्पष्ट मानकर चला जाये कि स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय चिन्तन अवश्य थे।

स्वामी विवेकानन्द के राजनीतिक विचार उनके धार्मिक एवं सामाजिक विचारों के सहगामी हैं। वे राष्ट्रवाद का आध्यात्मिकरण करने के पक्षपाती थे। हिन्दू धर्म की महत्ता ने उन्हें राष्ट्रवाद के समीप ला खड़ा किया। वे हिन्दू धर्म को सब धर्मों का प्रमुख श्रोत मानते थे। उनके अनुसार धर्म ही व्यक्ति और राष्ट्र को शक्ति प्रदान करता है।

हीगल की भाँति विवेकानन्द भी राष्ट्र की महत्ता के प्रतिपादक थे, उनके अनुसार भारत को अपने आध्यात्म से पश्चिम को विजित करना होगा। उनका कहना था एक बार पुनः भारत को विश्व की विजय करनी है। उसे पश्चिम की आध्यात्मिक विजय करनी है? मानवेन्द्रनाथ राय ने विवेकानन्द के राष्ट्रवाद का आलोचनात्मक ढंग से वर्णन किया है—विवेकानन्द का राष्ट्रवाद आध्यात्मिक साम्राज्य साम्राज्यवाद था।

स्वामी विवेकानन्द का विचार था कि प्राच्य एवं पाश्चात्य में सारा अन्तर यह है कि एक राष्ट्र तथा भारतीयों के राष्ट्रवाद न होने कारण ही अंग्रेजों के लिये भारत विजय अत्यधिक सरल सिद्ध हुई है। राष्ट्रीयता की भावना स्वामी विवेकानन्द जनसामान्य क उत्थान से शिक्षा के व्यापक प्रसार से तथा धार्मिक एकता के द्वारा लाना चाहते थे। दृढ़ एवं स्थायी भारतीय राष्ट्रवाद के लिये उन्होंने धर्म को सबसे अधिक उपयुक्त समझा। आध्यात्मिकता पर आधारित राष्ट्रवाद के स्वयमेव नैतिक मूल्य होते हैं। प्रत्येक मनुष्य मनुष्य एवं प्रत्येक राष्ट्र को महान बनाने के लिये स्वामी विवेकानन्द तीन बातें आवश्यक समझते थे।

1. सदाचार की शक्ति में विश्वास
2. ईर्ष्या और सन्देह का परित्याग
3. जो सत् कर्म करने के लिये प्रयत्नशील हो उनकी सहायता करना।

मानव एकता और सामाजिक संगठन में धर्म के माध्यम से व्यक्त होन वाली शक्ति के सम्बन्ध उनका कथन था। मानव जाति के भाग्य निर्माण में जितनी शक्तियों ने योगदान दिया है, और दे रही है, उन सब में धर्म के रूप में प्रकट होने वाली शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण कोई नहीं है। सभी सामाजिक संगठनों के मूल में कहीं न कहीं यही अदभुत शक्ति काम करती रही है। तथा अब तक मानवता की विविध इकाइयों को संघटित करने वाली सर्वश्रेष्ठ प्रेरणा इसी शक्ति से प्राप्त हुई है।

भारत में जाति भाषा तथा परम्पराओं की विभिन्नता में एकताबद्ध करने वाला सूत्र स्वामी विवेकानन्द की दृष्टि में धर्म ही था। भारतीय जीवन व संस्कृति की इतनी अनेकाताओं में धर्म ही एकता उत्पन्न करने का तथा सहिष्णुता भाव स्थापित करने का तत्त्व रहा है। वे भारत में एकता का सूत्र भाषा या जाति को न मानकर एशिया के अन्य देशों की भाँति धर्म मानते थे। वे कहते थे कि यूरोप में जाति से राष्ट्र बनता है, किन्तु एशिया के विभिन्न मूल और विभिन्न भाषाओं के लोग यदि उनका धर्म एक हो, वे राष्ट्र बन जाते हैं। उनके शब्दों में 'जाति' धर्म भाषा शासन प्रणाली ये ही एक साथ मिलकर एक राष्ट्र की सृष्टि करते हैं। भारत में आर्य हैं, द्रविड़ हैं, तुर्क हैं, मुगल हैं, यूरोपीय हैं। मानों संसार की सभी जातियाँ इस भूमि में अपना खून मिला रही हैं। भाषा का यहाँ एक विचित्र ढंग का जमावड़ा है, आचार व्यवहारों के सम्बन्ध में दो जातियों में जितना अन्तर है, उतना पूर्वी और यूरोपीय जातियों में नहीं। हमारे पास एकमात्र सम्मिलन भूमि है, और उसी पर हमें संगठन करना होगा। यूरोप में राजनीतिक विचार ही राष्ट्रीय एकता का कारण है। किन्तु एशिया में राष्ट्रीय ऐक्य का आधार धर्म ही है। अतः भारत के भविष्य संगठन की पहली शर्त के तौर पर उसी धार्मिक एकता की आवश्यकता है। देशभर में एक ही धर्म सबको स्वीकार करना होगा।³

स्वामी विवेकानन्द के जीवन का ध्येय सोते हुये भी, भारत को जाग्रत करके उसे उसकी शक्ति व स्वरूप का ज्ञान कराना था। राष्ट्रवाद उनका मौलिक लक्ष्य था। बकिमचन्द्र चटर्जी के क्रान्तिकारी उपन्यास आनन्दमठ के भारत माता आदर्श की भाँति विवेकानन्द का भी आदर्श था भगवती दुर्गा की भाँति वे भावी भारत माता की कल्पना करते थे। माँ दुर्गा जिनकी मुखमुद्रा रौद्र है, एक हाथ में सभी प्रकार के शक्तिशाली आयुध हैं, दूसरी भुजा में शत्रु असुर की कटी हुई गर्दन है। तथा जो सभी को वरदान दे रही है। भारत माता की माँ दुर्गा के रूप में उपासना उस समय के तरुण क्रान्तिकारियों के रक्त में उफान ला देती थी। विवेकानन्द ने भारत माता की देवी के रूप में आराधना करने का अनुरोध करते हुये कहा, आगामी पचास वर्ष के लिये यह जननी जन्मभूमि भारत माता ही मानो आराध्य देवी बन जाये तब तक के लिये हमारे मस्तिष्क से व्यर्थ के देवी देवताओं के हट जाने में कुछ भी हॉनि नहीं है। अपना सारा ध्यान इसी एक ईश्वर पर लगाओं, हमारा देश ही हमारा जाग्रत देवता है। जब हम इस प्रत्यक्ष देवता की पूजा कर लेंगे तभी हम दूसरे देव-देवियों की पूजा करने योग्य होग अन्यथा नहीं।⁴ जननी जन्मभूमि को माता के समान मानना तथा ऐसे स्वर्ग से भी महान कहने वालों से स्वामी विवेकानन्द इस अर्थ में भिन्न है कि जन्मभूमि को उन्होंने धार्मिक निष्ठा की अधिकारिणी बना दिया। यहाँ पर वे उत्कृष्ट देश-भक्त के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। किसी धर्म प्रचारक समाज सुधारक या सन्यासी के रूप में नहीं। सैकड़ों वर्षों से विदेशी दासता की श्रृंखलाओं में जकड़ी हुई, रोदी हुई, अपमानित भारत माँ की सेवा को उन्होंने भारतीयों का एक मात्र धर्म का कर्तव्य निर्धारित किया कोई भी सपूत अपनी माता का इतने कष्टों में नहीं देख सकता है। विवेकानन्द भारतीयों को क्रान्तिकारी देशभक्त के रूप में देखना चाहते थे। पुत्र के जो कर्तव्य अपनी जननी के प्रति होते हैं। वही कर्तव्य भारतीयों के भारत माता के प्रति होने चाहिये। वे यह कहना चाहते थे कि विदेशी दासता के जूएँ को यथाशीघ्र उतार फेंकना चाहिए। बाल गंगाधर तिलक की भाँति विवेकानन्द की श्रीमद्भागवत गीता के सम्बन्ध में धारणा थी कि गीता केवल त्याग की ही शिक्षा नहीं देती अपितु निष्कामभाव से बिना फल की इच्छा किये हुए कर्म करने की माँग करती है। 1892 में विवेकानन्द तिलक के अतिथि के रूप में रहे थे। तथा दोनों में एक दूसरे के प्रति सम्मान की गहरी भावना थी।⁴

स्वामी विवेकानन्द की रचनाओं तथा व्याख्यानों से भारतीय राष्ट्रवाद के नैतिक आधार सिद्धान्त एवं व्यवहार दोनों रूपों में सुदृढ़ हुये हैं। उन्हें बंगाल में आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का जनक कहा जाना उचित ही है। जब देश जड़ निष्क्रिय, स्पंदनहीन हो रहा था। उस समय विवेकानन्द के एकता, शक्ति, चेतना व देश भक्ति के उद्गार भारतीयों की छिपी हुई शक्ति को ज्वालामुखी के लावे की भाँति भारतीयों की छिपी हुई शक्ति को प्रकाशित व विस्तृत कर रह थे। बंगाल के क्रान्तिकारी उनकी पत्रावली तथा "लैक्चर्स फ्रॉम कोलम्बो टु अल्मोरा" को अपनी बाइबिल मानते थे।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने विवेकानन्द के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हुये आत्मचरित में कहा : स्वामी विवेकानन्द जब मेरे जीवन में प्रविष्ट हुये उस उसय मेरी उम्र 15 वर्ष से भी कम थी। उनके बाद मेरे अन्तर में प्रचड़ विप्लव आया और सब कुछ उलट-पलट गया। उनकी वीरता व्यक्त प्रतिकृति तथा शक्तिपूर्ण वाणी के माध्यम से स्वामी जी मेरे सामने पूर्ण विकसित आदर्श व्यक्ति के रूप में आविर्भूत हुये उनकी पत्रावली में तथा कोलम्बो से अल्मोड़ा तक प्रदत्त व्याख्यानमाला में देशवासियों के प्रति इतने अधिक कार्य कर उपदेश दिये थे जो मेरे हृदय को विपुलभाव से अनुप्राणित करने लगे। विवेकानन्द का प्रभाव भारत में एक नवीन चेतना का उद्बोधक तथा विश्व के लिये उद्वेलन का कारण बना। ऐसे समय में भारत में राजनीतिक उदासीनता एवं निराशा के बादलों ने भारतीयों को अकर्मण्य बना दिया था, स्वामी विवेकानन्द ने हमें पुनः आत्मसम्मान दिया और हम में हमारे भूतकालिक सुषुप्त अभियान को पुनः जागृत किया।

इस प्रकार स्वामी जी के राष्ट्रवादी विचार उनके राष्ट्रीय प्रेम के परिचायक हैं। उन्होंने विश्व के सामने भारत का एक आदर्शात्मक रूप प्रस्तुत किया। उन्होंने उग्र राष्ट्रवाद को न चाहते हुये भी भयंकर भावावेश में कभी-कभी मान्यता प्रदान की। स्वामी जी मानव सेवा के प्रयोजन से ही राष्ट्र जागरण के अभिलाषी थे। इस पर भी उन्होंने कभी गाँधीजी के समान राजनीतिक कार्य में धर्म भावना के प्रधान्य की चेष्टा नहीं की। उन्होंने सदैव स्वयं और राजनीति के मध्य नंगी तलवार बनाये रखी। विवेकानन्द को विश्वास था कि इतिहास अपना प्रतिशोध ले लेता है। अंग्रेजों को ईश्वर के दण्ड का भागी होना पड़ेगा। ईसाइयों की संख्या ही कितनी है। स्वामी जी कहते हैं कि अंग्रेजों द्वारा किये गये अत्याचार का ईश्वर बदला ले लेंगे।⁵

इस प्रकार स्वामी जी ने राष्ट्रवाद को एक नये रूप में प्रस्तुत किया भारतीयों को आत्मनिर्भरता की शिक्षा दी। पाश्चात्य सभ्यता के अन्धानुकरण से बचने को कहा धर्म में विश्वास और कर्म में लगने पर जोर दिया। उनके द्वारा दिये गये राष्ट्रवादी विचार देश के राजनीतिक विचारधारा के लिये एक दिव्य दृष्टि कहे जा सकते हैं।

सन्दर्भ :

1. भारत में विवेकानन्द—स्वामी विवेकानन्द, पृ०—14
2. विवेकानन्द—रोमां रोलां, पृ०—36
3. स्वामी विवेकानन्द—इण्डिया एण्ड हर प्राब्लम, पृ०—3
4. विवेकानन्द—भारतीय जीवन में वेदान्त का प्रभाव, पृ०—16
5. स्वामी विवेकानन्द—आत्मानुभूति तथा उसके मार्ग, पृ०—28

संस्कृत ग्रन्थों में प्रस्तावित काल में वर्णित महिलाओं की सामाजिक स्थिति

विजय कुमार*

*शोध छात्र, इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, डॉ० राममनोहर लोहिया अग्र्य विश्वविद्यालय, अयोध्या, उ०प्र०

सारांश : भारत में प्राचीन काल में नारियों का बहुत ही पूजनीय तथा आदरणीय स्थान था। सिन्धु सभ्यता में मातृदेवी की पूजा का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को पुरुषों के समान महत्व तथा सम्मान प्राप्त थे। भारतीय संस्कृति कला, धार्मिक, आर्थिक, राजनैतिक आदि सभी क्षेत्रों के विकास में स्त्रियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सैधव सभ्यता की खुदाई में स्त्रियों की मूर्तियाँ मिली हैं। जिनसे यह पता चलता है कि उस समय का समाज मातृसत्तात्मक था।

मुख्य शब्द : ऋग्वैदिक काल, सैधव सभ्यता, अथर्ववेद, उत्तरवैदिक काल, विधवा विवाह आदि।

ऋग्वैदिक काल में समाज में स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी। शतपथ ब्रह्मण में स्त्री को अपने पति की अर्द्धांगिनी कहा गया है। सभी धार्मिक कर्ममाण्डों में वह अपने पति के साथ भाग लेती थी। पत्नी रहित पति यज्ञ का अधिकारी नहीं माना जाता था। अथर्ववेद में ऋषियों ने माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्या कहा है उस समय माता का स्थान सर्वोपरि था। ऋग्वेद में जायेदस्तंभ कहा गया है। जिसका अर्थ है, कि पत्नी ही गृह है।¹ इस प्रकार के उल्लेख से पत्नी के महत्व का पता चलता है। बाल विवाह नहीं होते थे। विवाह में पुत्री अपना विचार प्रकट कर सकती थी, आर कभी-कभी स्त्रियाँ अपने वर का चयन स्वयं करती थी। स्त्रियों को पर्याप्त स्वतंत्रता थी। पुत्रियों की शिक्षा-दीक्षा का उचित प्रबन्ध किया जाता था। तत्कालीन समय की कुछ प्रसिद्ध विदुषी स्त्रियाँ थी जिन्होंने मंत्रों तथा ऋचाओं की रचना की थी जैसे घोशा, लोपामुद्रा, विश्ववारा, अपाला गार्गी आदि। विश्ववारा को ब्रह्मवादिनी तथा मंत्रद्रष्टी कहा गया है, तत्कालीन नारियाँ दर्शन तथा समस्याओं पर पुरुषों से वाद-विवाद करती थी। इसके पश्चात् उत्तरवैदिक काल में भी स्त्रियों की दशा सन्तोषजनक थी। कन्याओं का उपनयन संस्कार होता था।² उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान करती थी। कुछ नारियों ने धर्म तथा दर्शन के क्षेत्र में विशेष विद्वता तथा निपुणता हासिल कर लिया था। पर्दा प्रथा तथा सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। कन्याओं का विवाह वयस्क हो जाने पर ही होता था। जिससे उन्हें अध्ययन करने का पर्याप्त अवसर मिल जाता था। कहीं-कहीं पर उल्लिखित है कि विवाहित स्त्रियों ने यज्ञों में भाग लिया। किन्तु धीरे-धीरे उनकी दशा में गिरावट आई। उन्हें गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भोजन बन्द हो गया। वे घर पर रह कर ही अध्ययन कर सकती थी सिर्फ कुलीन परिवार की पुत्रियाँ ही शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। धार्मिक अधिकार भी कम हो गये। वैवाहिक स्थिति में कभी-कभी कन्याएँ अपने वर स्वयं चुनती थी। क्षत्रिय समाज में स्वयंवर प्रथा थी। विधवा विवाह भी होते थे। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख मिलता था, कि स्त्री और पुरुष गृहकार्यों तथा अन्तरदायिनी की दोनों पर समान रूप से जिम्मेदारी होती थी। अविवाहित पुरुष यज्ञों तथा धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उपयोगी नहीं समझा जाता था। यज्ञों के अवसर पर मंत्रों का गायन पत्नी द्वारा ही किया जाता है। उपनिषद् काल की कुछ विदुषी महिलाएँ ज्ञान धर्म तथा दर्शन के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध हुईं जैसे— मैत्रेयी, गार्गी, अत्रेयी आदि। सूत्रकाल या महाकाव्यकाल में नारियों की स्थिति में गिरावट आ गयी। कन्या का जन्म तो उत्तर वैदिक काल से ही चिन्ता का विषय बन गया।³ कन्याओं का उपनयन संस्कार समाप्त हो गया विवाह को छोड़कर अन्य संस्कारों में जो कन्या से संबंधित होते थे उनमें वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं होता है। इस समय कन्याओं की शिक्षा प्राप्त करने में भी कठिनाता आ गयी क्योंकि कन्याओं के विवाह की आयु कम कर दी गयी कन्या का उपनयन संस्कार औपचारिकता मात्र रह गया। इस संस्कार को विवाह के कुछ पहले सम्पादित कर दिया जाता था। अब विवाह को ही उपनयन संस्कार का विकल्प मान लिया गया। वैवाहिक विधि स्त्रीणां संस्कारों वैदिको मतः पति सेवा गोरोवासी गृहायोगिनी प्रक्रिया। उपनयन संस्कार न होने से नारियाँ शूद्रों की श्रेणी में आ गयी। इनके विवाह की आयु 9 से 12 वर्ष तक कर दी गयी। यज्ञों तथा धार्मिक अनुष्ठानों में पत्नी की उपस्थिति औपचारिकता मात्र रह गयी। सिर्फ धनी, कुलीन वर्ण तथा राजपरिवारों की महिलाएँ शिक्षा ग्रहण करती थी। उन्हें ललित कलाओं, यथा संगीत, नृत्य, चित्र, मालाकारी आदि की विधिवत शिक्षा दी जाती थी इस काल में नारियाँ की स्वतंत्रता पर भी अंकुश लगाया गया।⁴

वशिष्ट कहते हैं, कि— पिता रक्षति कौमारे, भ्राता रक्षति यौवने रक्षन्ति स्थविरे पुत्राः न स्त्री स्वतन्त्रमर्हति विदेशी आक्रमण के कारण भी स्त्रियों की दशा में और भी अधिक गिरावट आ गयी। नियोग तथा पुनर्विवाह समाप्त हो गये। समाज में सती प्रथा का प्रचलन हो गया, पुनर्विवाह के स्थान पर सन्यास द्वारा मोक्ष प्राप्त करने का नियम बनाया गया। उनकी स्थिति दिनोदिन खराब हो रही थी। किन्तु एक दिशा में सुधार हुआ। जब पुनर्विवाह बन्द हो गया था स्त्रियों की संख्या समाज में बढ़ने लगी 5वीं से 12वीं शदी में स्त्रियों की स्थिति लगातार दयनीय होती गयी।

12वीं शदी तक पूरे देश में विधवा को मृत पति का उत्तराधिकारी होना व्यवहारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। इस काल में स्त्रीधन का क्षेत्र व्यापक करके उसमें उत्तराधिकार की सम्पत्ति के भी विभाजन को सम्मिलित किया गया। स्त्री का धन जिस पर स्वयं स्त्री का पूर्ण अधिकार हो उसे 'स्त्रीधन' कहा गया, किन्तु धन तथा सम्पत्ति संबंधित अधिकार को छोड़कर और सभी अधिकार नारियों से छिन गये। विवाह की आयु कन्याओं की और भी कम कर दिया गया। 8 वर्ष से 10 वर्ष की आयु, कन्या के विवाह के लिए निश्चित कर दिया गया। उनका उपनयन संस्कार बन्द हो गया। कम उम्र में विवाह होने तथा उपनयन संस्कार के समाप्ति के कारण उनकी शिक्षा का मार्ग भी बन्द हो गया। सती प्रथा का प्रचलन हो गया। राजपूत वंशों में सती प्रथा का विशेष रूप से प्रचलित था। राजपूत तथा शासकीय वंश की कन्याओं का विवाह 14 से 15 वर्ष की आयु में होता था। वे शिक्षा ग्रहण करती थी। कई कन्याओं को संरक्षिका के रूप में शासन-भार भी ग्रहण करना पड़ता था। इस कारण उन्हें प्रशासन तथा सैन्य विषयों की शिक्षा दी जाती थी। इसी कारण उनके विवाह की आयु भी कुछ बढ़ा दी गयी। किन्तु सामान्य परिवारों की कन्याओं का विवाह अल्पायु में होता था। मुगल साम्राज्य की स्थापना के कारण नारियों की शिक्षा का पूर्णतया पतन हो गया। मुगलों के आक्रमण तथा साम्राज्य स्थापना के कारण समाज में पर्दा प्रथा का भी प्रचलन हो गया, जिससे नारियों का कार्य क्षेत्र सीमित हो

गया। उनका सार्वजनिक जीवन समाप्त हो गया। नारियों की अज्ञानता के कारण स्मृतिकारों ने यह नियम बनाया कि पति ही पत्नी का एक मात्र देवता है, तथा अपनी पति की आज्ञा का पालन करना तथा उसकी पूजा करना ही उसका धर्म है। कुलीन परिवारों में बहुविवाह का प्रचलन सामान्य हो गया था। बाल विधवाओं की संख्या भी समाज में बढ़ गयी थी। 1000 ई० के बाद संभ्रांत कुल की विधवा अपना पुनर्विवाह नहीं कर सकती थी। 8वीं शती तक समाज में विधवाओं की मुण्डन की प्रथा भी शुरू हो गयी। नारियों को वैदिक साहित्य एवं दर्शन के अध्ययन से वंचित कर दिया गया तथा उनकी गणना शूद्रों की श्रेणी में होने लगी महाकाव्य काल में कुछ ऐसे उद्धरण मिलते हैं जहाँ स्त्रियों को वस्तु के समान समझा गया है।⁵

सन्दर्भ :

1. मनुस्मृति—2,6,7,
2. महाभारत — 1,86,40,
3. याज्ञवल्क्य स्मृति—11,175,
4. मनुस्मृति 3,56,5,
5. रघुवंश 8,65,

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की आर्थिक स्थिति पर मनरेगा के प्रभाव गाजीपुर जनपद के विशेष संदर्भ में

डॉ० अर्चना शुक्ला*

*असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, डी०बी०एस कॉलेज, कानपुर, उ०प्र०

रंजीत यादव**

**असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, डी०बी०एस कॉलेज, कानपुर, उ०प्र०

सारांश : यह शोध पत्र महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) के महिलाओं पर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आर्थिक प्रभाव का अध्ययन करता है। इस अध्ययन में एक 380 महिलाओं का नमूना उपयोग किया गया है और सर्वेक्षण द्वारा एकत्रित डेटा का विश्लेषण करने के लिए chi-square test का उपयोग किया गया है। अध्ययन के अनुसार एमजीएनआरईजीए ने जिले की महिलाओं की आर्थिक कल्याण पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव डाला है, विशेष रूप से आय उत्पादन और वित्तीय स्वतंत्रता के मामले में। अध्ययन नीति निर्माताओं और विकास प्रवर्तकों के लिए मूल्यवान दृष्टिकोण प्रदान करता है ताकि ग्रामीण भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में एमजीएनआरईजीए की प्रभावशीलता में सुधार किया जा सके।

मुख्य शब्द : एमजीएनआरईजीए, सशक्तिकरण, 73वें संविधान संशोधन, श्रम सृजन कार्यक्रम, रोजगार गारंटी अधिनियम, ग्रीन इण्डिया मिशन आदि।

विषय परिचय : भारत में रोजगार अवसरों के सृजन के लिए केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर अनेक श्रम सृजन कार्यक्रम चलाए गये परंतु गाँवों में बेरोजगारी दूर करने में सफलता नहीं प्राप्त हो सकी भारत में योजनागत विकास का यह अनुभव रहा है कि यद्यपि समाज के निम्न एवं पिछड़े वर्ग के साथ महिलाओं को विकास के मुख्य धारा से जोड़ने का अवसर सुलभ कराया गया था किन्तु अशिक्षा, गरीबी एवं पिछड़ेपन के कारण वह न तो विकास प्रक्रिया को समझ सके न ही उसका लाभ ले सके। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से शक्ति का विकेन्द्रीकरण करके ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राजव्यवस्था को सुदृढ़ करके विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली के माध्यम से ग्रामीण विकास किया जा सके, इस उद्देश्य से प्रथम चरण में 2 फरवरी 2006 को, देश के चुने हुए, 200 अति पिछड़े जनपदों एवं द्वितीय चरण में 130 अन्य जनपदों को भी योजना में शामिल किया गया तथा वर्तमान में 100 प्रतिशत नगरीय आबादी वाले जिलों को छोड़कर समस्त भारत में महात्मा गांधी मनरेगा योजना लागू है। अपने अनमानित वार्षिक व्यय 40,000 करोड़ रुपये (6.7 बिलियन अमरीकी डॉलर) के कारण यह विश्व का सबसे बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम है।

महात्मा गांधी नरेगा : ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम विश्व में अपनी तरह का पहला अधिनियम है जिसके तहत अभूतपूर्व तौर पर रोजगार की गारंटी दी जाती है जिसके माध्यम से एक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को न्यूनतम 100 दिन का अकुशल मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान है। किन्तु हाल ही में उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार सूखा प्रभावित क्षेत्रों में मनरेगा के अंतर्गत 150 दिन का काम उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।

इस योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है जिसके लिए केन्द्र सरकार धन उपलब्ध कराती है कानून की धारा 13 के अनुसार इस योजना के नियोजन एवं क्रियान्वयन की मुख्य जिम्मेदारी जिला प्रखण्ड एवं ग्राम स्तर के पंचायती राज संस्थाओं की है हालांकि रोजगार गारंटी में ग्राम सभा की प्रत्यक्ष भूमिका है जैसे उपयोगी कार्यों की पहचान करना। पूर्व में चल रही दो योजनाओं 'सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना' के अन्तर्गत चल रहे कार्यक्रमों को तथा 'राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम' को NREGS में समाहित कर दिया गया है तथा वर्तमान में 'ग्रीन इण्डिया मिशन' का विलय महात्मा गाँधी मनरेगा में किया गया है।

अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं :

पंजीकरण : ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्य जो अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं स्थानीय ग्राम पंचायत में लिखित अथवा मौखिक रूप से अपने पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं—

1. पंजीकरण के लिए परिवार एक इकाई होगा।
2. इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक परिवार एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्राप्त करने का पात्र है, विशेष परिस्थितियों में दिनों की संख्या बढ़ सकती है

जॉब कार्ड :

1. सदस्य या सदस्यों के निवास स्थान और आय का सत्यापन किए जाने के बाद उस परिवार को जॉब कार्ड जारी किया जाता है
2. यह जॉब कार्ड रोजगार की मांग करने के लिए निर्धारण का आधार होता है प्रत्येक जॉब कार्ड पर विशिष्ट पहचान संख्या अंकित होती है

प्रस्तुत शोध विषय : "उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की आर्थिक स्थिति पर मनरेगा के प्रभाव का अध्ययन करना गाजीपुर जनपद के विशेष संदर्भ में" से संबंधित शोध साहित्य की पुनर समीक्षा निम्नलिखित है—

विश्व के अधिकांश देशों में आज श्रम अतिरेक एक प्रमुख समस्या बनी हुई है इसी संदर्भ में विभिन्न अर्थशास्त्रियों Prof. Harvey Leibenstein, Prof. R. Nurkse, Prof. Lewis एवं Prof. Fei. Ranis आदि ने भी आर्थिक विकास में श्रम अतिरेक से संबंधित अपने अपने विचार व्यक्त किए Prof. Harvey Leibenstein के अनुसार अल्पविकास देशों में पाए जाने वाला गरीबी दुष्चक्र ही उनकी निम्न आय के लिए विशेष रूप से उत्तरदाई है इनके अनुसार इस समस्या का समाधान यह है कि दिए हुए समय पर कुछ आवश्यक न्यूनतम प्रयास किए जाएं जो इतने शक्तिशाली हो कि अर्थव्यवस्था को गरीबी के इस दुष्चक्र से निकालकर ऊँची प्रति

व्यक्ति आय का प्रबंध कर सके और स्थाई विकास के लिए अनुकूलतम दशाएँ उत्पन्न कर सके MNREGA ग्रामीण परिवारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने और इस तरह गरीबी को कम करने का एक सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का खास फायदा महिलाओं के लिए होता है, जो ऐतिहासिक रूप से श्रम बाजार से बाहर रही हैं। पिछले शोध में पता चला है कि MNREGA ने भारत के ग्रामीण घरों की आय और कल्याण पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। हालांकि, महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण पर कार्यक्रम के विशेष प्रभाव पर संगठित आधार पर कम अध्ययन है।

देव और मुरगाई (2018) द्वारा एक अध्ययन ने भारत के ग्रामीण असमानता पर MNREGA के प्रभाव का विश्लेषण किया। इस अध्ययन से पता चला कि कार्यक्रम ने महिलाओं की श्रम बाजार में भागीदारी और आय में एक बड़ा सकारात्मक प्रभाव डाला खासतौर पर जहां महिलाएं प्राथमिक रोटी-कपड़ा कमाने वाली थीं।

शोध उद्देश्य Objective of Research : मनरेगा के क्रियान्वयन से महिलाओं की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि (Sampling design) : उत्तर प्रदेश में महिलाओं की आर्थिक स्थिति का अध्ययन मूलतः प्राथमिक सर्वेक्षण से प्राप्त सूचनाओं पर आधारित है प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित अध्ययन में यह स्पष्ट किया जाना स्वभाविक होता है कि शोध हेतु प्रतिदर्श का चयन किस प्रकार किया गया है साथ ही इन प्राथमिक आंकड़ों के विश्लेषण में कौन सी गणितीय सांख्यिकी है या अर्थनीति विधियों का प्रयोग किया गया है अतः शोध प्रबंध में प्रयुक्त शोध प्रविधियों को संक्षेप में स्पष्ट किया जा रहा है।

प्रस्तुत शोध कार्य में उद्देश्यपूर्ण आधार पर गाजीपुर जनपद का चयन किया गया है एवं स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्श का प्रयोग करते हुए अंतिम रूप से उत्तरदाताओं का चयन किया गया है। गाजीपुर जनपद में कुल 5 तहसीलें हैं जिनके अंतर्गत कुल 16 विकासखंड हैं कुल 5 तहसीलों में से तहसीलों को उद्देश्यपूर्ण चयन किया गया है जिनमें से एक तहसील गंगा नदी के पूर्व तथा दूसरी तहसील गंगा नदी के पश्चिम में अवस्थित है इन 2 तहसीलों में से प्रत्येक तहसील से 2-2 विकासखंडों का चयन किया गया है

परिकल्पना के परीक्षण हेतु क्रॉस टेबुलेशन (Cross Tabulation) विधि के साथ साथ काई वर्ग का प्रयोग किया गया है जहाँ—O -वास्तविक आवृत्ति है

E-प्रत्याशित आवृत्ति है

χ^2 -काई वर्ग है

शून्य परिकल्पना 1 : मनरेगा के क्रियान्वयन से महिलाओं की आर्थिक स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

वैकल्पिक परिकल्पना : मनरेगा क्रियान्वित से महिलाओं की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ा है

तालिका : महिला श्रमिकों की आर्थिक स्तर पर प्रभाव का विश्लेषण

COMMUNITY	ECONOMIC CONDITION		Total
	BETTER	No CHANGE	
OBC	135 (134.8) 90.6%	14 (14.1) 9.4%	149 (149.0) 100.0%
SC/ST	187 (181.9) 93.0%	14 (19.0) 7.0%	201 (201.0) 100.0%
GEN	22 (27.1) 73.3%	8 (2.8) 26.7%	30 (30.0) 100.0%
Total	344 (344.0) 90.5%	36 (36.0) 9.5%	380 (380.0) 100.0%

Chi&Square Tests :

	Value	Df	Asymp. Sig. (-sided)
Pearson Chi&Square	11.816 a	2	.0003
Likelihood Ratio	8.902	2	0.012
Linear-by-Linear Association	2.282	1	0.131
N of Valid Cases	380		

उपरोक्त सारणी 3×2 की एक आसंग सारणी है जिसके लिए स्वातंत्र्य कोटी का स्तर $(r-1)$ $(r-1) = 2$ होगा

$\chi^2_{cal} = 11.816$

5% सार्थकता स्तर पर दो स्वातंत्र्य कोटी के लिए $\chi^2_{tab} = 5.991$ है क्योंकि $\chi^2_{cal} > \chi^2_{tab}$ अतः उपरोक्त सारणी हेतु शून्य परिकल्पना स्वीकृत नहीं की जा सकती है अर्थात् परीक्षण के आधार पर यह माना जा सकता है कि मनरेगा कार्यक्रम के क्रियान्वयन के पश्चात महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन हुआ है जैसा कि सारणी से स्पष्ट है कि 90.5% महिलाओं ने माना है कि उनकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हुई है तथा इससे सर्वाधिक लाभान्वित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाएं हुए हैं।

निष्कर्ष : प्राथमिक व द्वितीयक आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मांग में वृद्धि करने के लिए शुरू किया गया मनरेगा से निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त किया जा सकता है—

1. ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का वैकल्पिक अवसर प्रदान करता है।
2. मनरेगा के क्रियान्वयन से वंचित वर्ग की महिलाओं विशेष कर अनुसूचित जाति-जनजाति की महिलाओं की सहभागिता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

3. मजदूरी का भुगतान (15 दिनों के अन्दर) समय से नहीं हो रहा है।
4. कार्य स्थल पर मूलभूत सुविधानों जैसे- पेयजल को छोड़कर अन्य बच्चों का देखभाल की व्यवस्था, प्राथमिक उपचार की स्थिति दयनीय 90.5% महिलाओं ने माना है कि उनकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हुई है तथा इससे सर्वाधिक लाभान्वित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाएं हुए हैं

सन्दर्भ :

1. Ahmad, Sara, 2005: Flowing upstream Empowering women through water management initiatives in India, Foundation Book, Pvt. Ltd& New Delhi
2. Economic & Political Weekly (March & 2013 to Feb 2016) Related to MGNREGA
3. Jean Dreze, Financial implication of an employment Guarantee Act- Preliminary estimates, note prepared on behalf of national Advisory council. 4. Hanumant Rao. C.H. and Linnemann (Eds) 1996. Economics Reforms and Poverty alleviation in India, Sage Publication, New Delhi
4. Kabra, K.N., 1947: Development Planning in India, Sage Publication New Delhi
5. Tyagi, B.P.; Agricultural Economics and Rural Development, Jai Prakash Nath & Co. Meerut.

Websites:

1. www-nrega-nic.in
2. www-ghagipur-nic.in

भाषाओं का संस्कृति, समाज और कला के साथ अन्तर्सम्बन्ध

डॉ० जनार्दन झा*

*सहायकाचार्य, संस्कृत, राजकीय महिला महाविद्यालय, सलेमपुर, जनपद देवरिया, उ०प्र०

सारांश : यह अध्ययन भाषाओं का संस्कृति, समाज और कला के साथ अन्तर्सम्बन्ध को रेखांकित करता है। यह शोध पत्र पूर्व के अध्ययन विषय से अलग है एवं समाज के लिए महत्वपूर्ण है। शोध पत्र पुस्तकालयीय एवं विश्लेषणात्मक विधि पर आधारित है। इसमें अन्वेषणपूर्ण अनुसंधान डिजाइन और वर्णनात्मक अनुसंधान डिजाइन का प्रयोग किया गया है। इसमें प्रायः परिकल्पनाओं का परीक्षण करने के बजाय उनके निर्माण पर बल दिया गया है। इसके अध्ययन से डेटा गुणात्मक हो गया है। यह अध्ययन शोधार्थियों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है।

मुख्य शब्द : भाषा, संस्कृति, समाज, कला, भाषा-विज्ञान, मातृभाषा आदि।

‘भाषा’ वह साधन है, जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, और इसके लिए हम वाचिक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। भाषा, मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों इत्यादि का वह समूह है, जिनके द्वारा मन की बात बताई जाती है। अभ्यन्तर अभिव्यक्ति का सर्वाधिक विश्वसनीय माध्यम है—भाषा। ‘भाषा’ शब्द संस्कृत के ‘भाष्’ धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है—कथन करना। किसी भाषा की सभी ध्वनियों के प्रतिनिधि स्वर एक व्यवस्था में मिलकर एक संपूर्ण भाषा की अवधारणा बनाते हैं। सामान्यतः भाषा को वैचारिक आदान-प्रदान का माध्यम कहना उचित होगा। यही नहीं, वह हमारे अभ्यन्तर के निर्माण, हमारी अस्मिता, विकास, सांस्कृतिक-सामाजिक पहचान का ही साधन है। भाषा के बिना मनुष्य सर्वथा अपूर्ण है, और अपने इतिहास तथा परंपरा से विच्छिन्न है। संपूर्ण विश्व में हजारों प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जो सामान्यतः अपने भाषियों को छोड़ अन्य लोगों के समझ में नहीं आती। अपने समाज या देश की भाषा तो लोग बचपन से ही व्यस्त होने के कारण अच्छी प्रकार जानते हैं, पर दूसरे देशों या समाजों की भाषा बिना अच्छी तरह सीखे नहीं आती।

भाषा-विज्ञान के ज्ञाताओं ने भाषाओं के आर्य, सेमिटिक, हेमेटिक इत्यादि कई वर्ग स्थापित करके उनमें से प्रत्येक की पृथक-पृथक शाखाएं स्थापित की हैं, और शाखाओं के भी अनेक वर्ग, उपवर्ग बनाकर उसमें बड़ी-बड़ी भाषाओं और उनके प्रांतीय भेदों उपभाषाओं या बोलियों को रखा है। जैसे—हिंदी भाषा, भाषा विज्ञान की दृष्टि से भाषाओं के आर्य वर्ग की, भारतीय आर्य शाखा की एक भाषा है, और ब्रजभाषा, अवधी, बुंदेलखंडी इत्यादि इसकी उपभाषाएं या बोलियां हैं। भारतीय आर्यों की वैदिक भाषा से संस्कृत और प्राकृतों का, प्राकृतों से अपभ्रंशों का और अपभ्रंशों से आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए लिपियों की सहायता लेनी पड़ती है। भाषा और लिपि भाव व्यक्तीकरण के दो अभिन्न पहलू हैं। एक भाषा कई लिपियों में लिखी जा सकती है। उदाहरणार्थ—पंजाबी गुरुमुखी तथा शाहमुखी दोनों में लिखी जाती है, जबकि हिंदी, मराठी, संस्कृत, नेपाली इत्यादि सभी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं।

‘संस्कृति’ का शब्दार्थ है— उत्तम या सुधरी हुई स्थिति। मनुष्य स्वाभावतः प्रगतिशील प्राणी है। यह बुद्धि के प्रयोग से अपने चारों ओर की प्राकृतिक परिस्थिति को अहर्निश सुधारता और उन्नत करता रहता है। ऐसी प्रत्येक जीवन पद्धति, रीति-रिवाज, रहन-सहन, आचार-विचार, नवीन अनुसंधान और आविष्कार, जिससे मनुष्य, पशुओं और जंगलियों के दर्जे से ऊंचा उठता है, तथा सम्य बनता है। सम्यता संस्कृति का अंग है, सम्यता से मनुष्य के भौतिक क्षेत्र की प्रगति सूचित होती है। मानव, सिर्फ भौतिक परिस्थितियों में सुधार करके ही संतुष्ट नहीं हो जाता। वह भोजन से ही नहीं जीता, शरीर के साथ मन और आत्मा भी है। भौतिक उन्नति से शरीर की भूख मिट सकती है। परंतु इसके बावजूद मन और आत्मा तो अतृप्त ही बने रहते हैं। इन्हें संतुष्ट करने के लिए मनुष्य अपना जो विकास और उन्नति करता है, उसे ‘संस्कृति’ कहते हैं। मनुष्य की जिज्ञासा या परिणाम धर्म और दर्शन होते हैं। सौंदर्य की खोज करते हुए वह संगीत, साहित्य, मूर्ति, चित्र और वास्तु इत्यादि अनेक कलाओं का उन्नति करता है। सुखपूर्वक निवास के लिए सामाजिक और राजनीतिक संगठनों का निर्माण करता है। इस प्रकार मानसिक क्षेत्र में उन्नति की सूचक उसकी प्रत्येक सम्यक् कृति संस्कृति का अंग बनती है। इनमें प्रधान रूप से धर्म, दर्शन सभी ज्ञान-विज्ञानों और कलाओं, सामाजिक तथा राजनीतिक संस्थाओं और प्रथाओं का समावेश होता है।

संस्कृति जीवन के निकट से जुड़ी है। यह कोई बाह्य वस्तु नहीं है, और न ही कोई आभूषण है, जिसे मनुष्य प्रयोग कर सकें। यह सिर्फ रंगों का स्पर्श मात्र भी नहीं है। यह वह गुण है, जो हमें मनुष्य बनाता है। संस्कृति के बिना मनुष्य ही नहीं रहेंगे। संस्कृति परंपराओं से, विश्वासों से, जीवन की शैली से, आध्यात्मिक पक्ष से, भौतिक पक्ष से सर्वथा जुड़ी है। यह हमें जीवन का अर्थ जीवन जीने का तरीका सिखाती है। मानव ही संस्कृति का निर्माता है, और साथ ही संस्कृति मानव को मानव बनाती है। संस्कृति का एक मौलिक तत्व है धार्मिक विश्वास और उसकी प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति हमें धार्मिक पहचान प्रदान करती है, साथ ही सामाजिक प्रयासों से भी हमें परिचित होना चाहिए, जिनसे अंतः धार्मिक विश्वासों की बातचीत हो सके, जिन्हें प्रायः अंतः ‘सांस्कृतिक-वार्तालाप’ कहा जाता है।

मातृभाषा किसी व्यक्ति, समाज, संस्कृति अथवा राष्ट्र की पहचान होती है। वस्तुतः भाषा एक संस्कृति है, उसके भीतर भावनाएं, विचार और सदियों की जीवन पद्धति समाहित होती है। मातृभाषा ही परंपराओं और संस्कृति से जोड़ रखने की एक मात्र साधन है। राम-राम, या प्रणाम इत्यादि संबोधन व्यक्ति को व्यक्ति से तथा समष्टि से जोड़ने वाली सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां हैं। उदाहरण के लिए— प्रथम संबोधन के समय हम हाथ मिलाकर गुड़ मॉर्निंग नहीं करते हैं, बल्कि हाथों को जोड़कर राम या अन्य भगवान् का नाम उच्चारण करते हैं। यह नाम उच्चारण एक ओर हमें मर्यादा अथवा संबंधित भगवान् की विशेषता के कारण अर्जित युग युगांतकारीख्याति का स्मरण दिलाता है, तो अन्य ओर राम जैसे शब्दों का उच्चारण हमारी अंतः स्रावी ग्रंथियों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। हाथ मिलाकर हम रोगकारी जीवाणुओं के विनिमय से भी बचे रहते हैं।

पहले घर के बाहर ‘स्वस्तिक’ बनाते थे, एवं ‘सुस्वागतम्’ लिखा होता था, और अब “कुत्तों से सावधान”। कई अध्ययनों के उपरांत वैज्ञानिका ने सिद्ध किया कि ‘स्वास्तिक’ से सर्वाधिक सकारात्मक ऊर्जा निकलती है, और यह संसार की समस्त धार्मिक

अथवा दूसरे आकृतियों के मुकाबले अगणित ऊर्जा देने वाली आकृति है। इसी प्रकार पहले हमारे साथ कुछ अनपेक्षित घटित हो जाता था, तो हम भगवान् का नाम 'हे राम' अथवा 'हाय राम' इत्यादि लेते थे। इसी प्रकार हमारी अपेक्षा परपरमात्मा की कृपा पाने की होती थी, ताकि ईश्वर को स्मरण दिला सकें कि आपकी कृपा की आवश्यकता है। जबकि इन दिनों नई पीढ़ी, ऐसे अवसरों पर ओहशीट अर्थात् मानव मल को याद करती है, अन्य शब्दों में कहें तो तत्कालीन अनपेक्षित दशा में उनकी अपेक्षा विष्टा से सहायता की हो गई है। भारतीय परंपराओं के अनुसार तो ऐसी दशा में विकट अथवा आपत्ति में ईश्वर के नाम के समान अशुभ वस्तु की याद अनिष्ट को आमंत्रित करने जैसे माना जाता है।

विदेशों में प्रातः के नमस्कार के लिए गुड मॉर्निंग शब्द का प्रयोग होता है। वास्तव में यह गुड मॉर्निंग शब्द एक तरह से शुभकामना है, कि आपको आज सूर्य के दर्शन हो जाएं क्योंकि अनेक देशों में सूर्य भगवान वर्ष में केवल 150 से 200 दिवस ही दिखाई पड़ते हैं। इसका कारण वहां के लगभग 20 प्रतिशत नागरिक सर्दियों में **सीजनल अफेक्टिव डिस ऑर्डर** से ग्रसित हो जाते हैं। हम पर तो सूर्य भगवान लगभग प्रत्येक दिन ही कृपा करते हैं। हमारी सुबह तो उस दृष्टि से वैसे ही हर दिन अच्छी होती है। हाथ जोड़ने, नमन और झुकने की अपनी वैज्ञानिकता है। अर्थात् एक भाषा के नष्ट होने का अर्थ संस्कृति, विचार और एक जीवन पद्धति का मर जाना होता है। अतः भाषा को बचाना बहुत ही आवश्यक है। फ्लोरिडा स्थित विश्वविद्यालय ने बताया था कि देवनागरी ऐसी भाषा है, जिसमें जीम के सभी स्नायुओं का उपयोग होता है। रक्त संचार बढ़ता है। मस्तिष्क शांत रहता है। मस्तिष्क की बेहतर क्रियाशीलता और स्फूर्ति बनी रहती है। इसके अतिरिक्त रोग रोधक शक्ति का विकास अर्थात् बीमारियों से बचाव भी, और रोग हो जाए तो उनसे रक्षा भी, हो जाए ऐसी विशेषताएं देवनागरी लिपि में आबद्ध भाषाओं की हैं।

किसी भी देश के विकास में भाषाओं, कलाओं एवं संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस प्रकार का दृष्टिकोण मूल्य, प्रथा एवम् एक निश्चित लक्ष्य को दर्शाता है। भाषा संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। भारत की सभी भाषाएं तथा बोलियां संस्कृति का अहम हिस्सा हैं। हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, इन सभी के पूर्वज पीढ़ी दर पीढ़ी से अपनी भाषाओं का प्रयोग करते आए हैं। परंतु वर्तमान पीढ़ी आधुनिकता या धार्मिक कट्टरता के कारण इसको छोड़ती जा रही है। भारतीयों को उनकी भाषा से दूर करने के लिए पहले मुगलों और फिर अंग्रेजों ने अपनी-अपनी भाषाओं को लादा, जिसके फलस्वरूप भारत की बहुत सी भाषाएं आज अपना अस्तित्व खो चुकी हैं, और कुछ खोने के लिए तैयार हैं। यदि हम बात करें पंजाबी, सिंधी, पख्तूनी, बंगाली, डोगरी, बलूची, कश्मीरी इत्यादि भाषाओं की तो, अब उनमें अरबी, फारसी के शब्द अधिक मिल गये हैं। यदि इसी प्रकार हम भारत में हिन्दी, गुजराती, मराठी, कोकणी, मैथिली तथा हिन्दी बोलियों में भोजपुरी, राजस्थानी, मालवी इत्यादि की बात करें तो उनमें अंग्रेजी और फारसी भाषा के शब्दों का प्रचलन बहुत अधिक बढ़ गया है। हिन्दी तो प्रायः अंग्रेजी होती जा रही है। यदि कदाचित् हिन्दी मरी तो हिन्दी की बोलियां स्वतः मर जाएंगी। ऐसे में मराठी और गुजराती को बचाना और भी कठिन होगा।

भाषा, कला और संस्कृति का संरक्षण : हम अपनी भाषा को निम्न प्रकार से सुरक्षित कर सकते हैं:-

स्वयं बोलें और अपने बच्चों को अधिक से अधिक अपनी भाषाओं को सिखाएं। आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं, वहां की भाषा से प्रेम करें। वहां की भाषा के मुहावरे, लोकोक्ति का जमकर प्रयोग करें। कोई भी भाषा खतरे से बाहर तब तक है, जब तक सारी पीढ़ियां उसका प्रयोग कर रही हैं, तथा उस भाषा में किसी और भाषा का दखल न हो। खतरा तब प्रारम्भ होता है, जब एक ही परिवार, समाज या समूह के अधिक बच्चे अथवा परिवार सम्बंधित मातृभाषा पहली भाषा के रूप में बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते, तथा यह प्रयोग कुछ विशिष्ट सामाजिक घेरां तक सीमित हो जाता है। जैसे वर्तमान में मालवा में रहने वाले प्रायः परिवार के लोग अब मालवीघर में ही बोलते हैं।

चुनाव अखबार, दूरदर्शन, आकाशवाणी, चल दूरभाष, अन्तर्जाल, सोशल मीडिया और तमाम संचार माध्यमों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे अपनी भाषा का जमकर और शुद्ध रूप में उपयोग करें। बालीवुड के कारण भारतीय भाषाओं, विशेष रूप से हिन्दी का प्रचार-प्रसार हुआ, परंतु अब यही बालीवुड भारत की भाषा और संस्कृति को तेजी से नष्ट करने में लगा है। अब बालीवुड की अधिकतर फिल्मों के नाम हिन्दी में नहीं होते हैं और अधिकतर फिल्मों में हिन्दी नहीं, इंग्लिश बोली जाती है। अभिनेत्री और अभिनेताओं के साक्षात्कार और उनके संवाद देखकर आप को निश्चित ही दुःख होगा। इंग्लिश हो चुका बालीवुड कब इंग्लिश हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आज बालीवुड का व्यापार इसलिए है, क्योंकि वहां हिन्दी फिल्में बनती हैं, न कि अंग्रेजी। परन्तु अब यही निर्माता निर्देशक यह सब जानकर भी अपनी भाषाओं के प्रति अनजान बने हुए हैं और भारतीय भाषाओं के पूर्ण पतन का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं।

विद्यालय और महाविद्यालय में अब हिन्दी को बस प्राथमिक स्तर पर ही पढ़ाया जाता है। अधिकतर विद्यालय इंग्लिश माध्यम हो चले हैं। अब 'पाठशाला' या 'विद्यालय' शब्द का इतना प्रचलन नहीं रहा। 'स्कूल' सबसे ज्यादा प्रचलित शब्द है। आज देश के सरकारी विद्यालयों की दशा देखकर दुःख होता है। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षक से ज्यादा छात्र पढ़े लिखे हैं, ऐसे में कौन अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में पढ़ाएगा? ठेके पर शिक्षक रखे गए हैं, उनमें से कुछ तो पीकर बैठे रहते हैं। कुछ तम्बाकू घिसते रहते हैं और कुछ तो कई-कई दिनों तक नदारद रहते हैं। विद्यालयों और महाविद्यालयों में हिन्दी को पढ़ाया जाना अनिवार्य करने से पहले कंपनियों और कार्यालयों में भारतीय भाषा के प्रचलन को बढ़ाना आवश्यक है। अब आप जानते हैं कि बाजारवाद ने देश के तीन सबसे बड़े त्यौहार बना दिये हैं: पहला क्रिसमस, दूसरा वेलेंटाइनडे और तीसरा न्यूईयर।

आपका पहनावा आप के देश की पहचान होती है। आज कल परम्परागत पोशाक पहनने का प्रचलन केवल विवाह में ही सिमट कर रह गया है। त्यौहारों में भी अब कम ही देखने को मिलता है कि किसी ने परम्परागत पहनावा पहना हो। धोती कुर्ता, पगड़ी, साफाया टोपी तो अब कोई नहीं पहनता। हां, कुर्ता पायजामा पहने लोग अवश्य दृष्टिगोचर होते हैं। सूती या खादी का प्रचलन कम ही है, बस कुछ लोग ही पहनते हैं। खड़ाऊ तो अब संत लोगों के पैरों में ही नजर आता है। यदि हम महिलाओं के पहनावे की बात करें तो उनमें साड़ी, सलवार कुर्ती, चोली और ब्लाउज, घाघरा, लहंगा, गरारा, ओढ़नी इत्यादि हैं। पुरुषों के पहनावे में अचकन या शेरवानी, कुर्ता पायजामा, लुगी इत्यादि अभी भी प्रचलन में है। परन्तु ये विशेष अवसर पर ही देखे जाते हैं। महिलाओं का पहनावा तो बहुत तेजी से बदलता जा रहा है। अब विवाहित महिलाएं साड़ी तो बस मौके-झोके पर ही पहनती हैं।

आज आवश्यक है कि आप कम से कम अपने त्यौहार, मांगलिक कार्य, विवाह, समाज की बैठक अन्य समारोह इत्यादि में भारतीय परिधान पहनकर ही जाएं। अपने बच्चों के लिए भी भारतीय परिधान सिलवाए या बाजार से खरीद कर लाएं। यदि आप ऐसा करेंगे तो भारतीय परिधानों की मांग बढ़ेगी, जिसके कारण आप अपनी भाषा को बचा पाएंगे।

संस्कृति का तीसरा अहम हिस्सा होता है—'भोजन'। आप पिज्जा, बर्गर, चाइनीज खाकर और पेप्सीकोला पीकर खुद को आधुनिक तो घोषित कर सकते हैं, लेकिन आप अनजाने में ही सही, लेकिन अपने स्वास्थ्य और संस्कृति को धोखा दे रहे हैं। खाने में देशी स्वाद अवश्य होना चाहिए। देशी भोजन और देशी मसालों में जो स्वाद और सेहत का राज छुपा है, वह डिब्बाबंद में नहीं। लोग शहतूत का शरबत, सत्तू का रस, पंचामृत नहीं पीते। बेल का मुरब्बा दूढ़ने पर ही मिलता है। मिट्टी के तवे पर जो रोटियां सेकी जाती थीं, उसका स्वाद कुछ लोगों को अभी तक मालूम होगा। पहले खीर का प्रचलन ज्यादा था, अब कभी-कभी विशेष अवसर पर ही बनती है। ऐसे कई व्यंजन हैं, जो भारत में प्रचलन से बाहर हो गए हैं।

हम अपने भारतीय व्यंजनों को निम्न प्रकार से बचा सकते हैं— भारतीय व्यंजन कौन-कौन से होते हैं, इस संबंध में बाजार से पुस्तकें खरीदे अथवा इंटरनेट पर इस संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करके उसे घर में बनाएं। खुद खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। ऐसा करते रहने से बाजार में इसकी उपलब्धता बढ़ेगी और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। देशी मसाले खरीदें और उसे पिसवाकर कम से कम 6 माह का स्टॉक करेंगे, तो आप नकली मसालों से बचे रहेंगे।

हमारा देश प्राचीन काल से ही कृषि प्रधान देश रहा है। मात्र 100 वर्ष पहले तक देश में अगणित बगीचे और भारतीय वृक्ष हुआ करते थे, लेकिन अब खेत और बगीचे खत्म होते जा रहे हैं। विदेशी पौधों की संख्या के बढ़ने के साथ ही भारतीय पेड़-पौधे भी लुप्त होते जा रहे हैं। सब्जियों में भी अब देशी स्वाद नहीं रहा। देशों टमाटर तो कम ही मिलते हैं। अनाज में प्रयोग करके मूल अनाज को लगभग लुप्त ही कर दिया गया है। यह बहुत ही चिंता का विषय है। परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक खेती को अपनाए जाने के दुष्परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। भविष्य में खेतों को प्राइवेट सेक्टर के हाथों में सौंप दिए जाने के बाद तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। किसान नाम का प्राणी नहीं होगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने हिसाब से अनाज फल सब्जियां उगाएंगे और मनचाहे दामों पर बेचेंगे। भूमि को बंजर करके अपने-अपने देश को लौट जायेंगे।

हम निम्न प्रकार से अपनी खेती को और फसल को बचा सकते हैं : खेत की भूमि पर प्लाट, मकान इत्यादि बनाना बंद कर दिया जाए। खेतों में डाले जाने वाले खाद्य को परंपरागत भारतीय तरीके से ही बनाया जाए। खेतों के पास में एक कुआं, तालाब, खाल या बावड़ी निर्मित की जाए। नलकूप, बोरिंग को बंद करके पानी के परंपरागत स्रोतों को जीवित किया जाए। विदेशी टमाटर खाना बंद कर आप बार-बार देशी की मांग करेंगे तो मांग से ही सप्लाई होगी। देश में विदेशी कुत्तों की तादाद बढ़ गई है। वे सभी घरों में सोफे पर ऐशो-आराम से सो रहे हैं, और देशी कुत्ते गली-मोहल्लों में मारे-मारे फिरते हैं। उन्हें समय पर भोजन नहीं मिलता, जिसके कारण उनकी दशा भी खराब है। दूसरी ओर उन्हें नगर निगम वाले पकड़ कर ले जाते हैं। इसी तरह यदि हम देशी सूअरों की बात करें, तो अब उनकी जगह सफेद रंग के विदेशी सूअरों ने ले ली है, जो काले हैं, वह क्रॉस हैं। गधे घटते जा रहे हैं, घोड़े बहुत ही कम बचे हैं। हाथियों की तादाद तो कुछ हजारों में ही रह गई है। गाय की हालत भी हाथियों जैसी ही है। बैल तो अब आपको गांवों में ही देखने को मिलेंगे। कभी महलों और गौशालाओं में रहने वाली गायें आजकल सड़कों पर दर-दर भटक रही हैं। प्लास्टिक और कूड़ा घर में पेट भरने के लिए छोड़ दिया जाता है।

हम निम्न प्रकार से अपने पशु और पक्षियों को बचा सकते हैं— बोलकर, लिखकर, जंगल में घूम कर, चिड़ियाघर में जाकर इन पशु-पक्षियों के पक्ष में आवाज उठाएं। अपने घर की छत गैलरी आदि में पक्षियों के लिए जल और अन्य चीजों की व्यवस्था अवश्य करें। मछली, तोता, चिड़ियां, कुत्ता और बिल्ली पालने वालों को समझाएं कि आप जो कर रहे हैं, वह अनुचित है। गाय पालने वालों से कहे कि आप इसके लिए उचित व्यवस्था करें। सड़क पर घूम रहे कुत्तों को रोटी अवश्य खिलाएं।

भारतीय संगीत एवं भारतीय कला : संस्कृति का प्रसार करने का सबसे प्रमुख माध्यम कला है। भारतीय कलाओं में स्थापत्यकला, वास्तु कला, मूर्तिकला, चित्रकला, काश्तकारी, बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाना, रंगाई, दस्तकारी, कढ़ाई, मेहंदीकला, तर्क की कला, भित्तिचित्रण, मीनाकारी, धातु शिल्प, चित्रांकन, काष्ठ कला इत्यादि अनेक कलाओं का जन्म और विकास भारत में हुआ। हम अपनी कलाओं को निम्न प्रकार से बचा सकते हैं—अपने घर को वास्तु के अनुसार ही बनवाएं और उसके अंदर जितनी भी वस्तुएं रखें, वे सभी भारतीय हस्तशिल्प वास्तुकला के अनुसार ही रखें। इसके अतिरिक्त जब भी मंदिर बनवाएं, तो वास्तुशास्त्र के अनुसार भव्य मंदिर बनवाएं। इस मंदिर की ऊंचाई कम से कम ५१ फुट का होना चाहिए।

उपसंहार : सत्य, शिव और सुंदर यह तीन शाश्वत मूल्य हैं, जो संस्कृति से निकट से जुड़े हैं। यह संस्कृति ही है, जो हमें दर्शन और धर्म के माध्यम से सत्य के निकट लाती है। यह हमारे जीवन में कलाओं के माध्यम से भाषाओं के माध्यम से सौंदर्य प्रदान करती है और सौंदर्यानुभूतिपरक मानव बनाती है। यह दूसरे मानवों के निकट संपर्क में लाती है और इसी के साथ हमें प्रेम, सहिष्णुता और शांति का पाठ पढ़ाती है। निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि भाषा, कला और संस्कृति गहन रूप से, जैविक रूप से, अन्योन्याश्रित रूप से संबंधित हैं। आज की हमारे देश की शिक्षा पद्धति में अंग्रेजी माध्यम को प्राथमिक पाठशालाओं से लादने की प्रवृत्ति को देखते हुए यह दिख रहा है कि भारतीय भाषाएं और उनके साथ भारतीय संस्कृति भी मृतप्राय होने वाली है। क्या हम अपनी भाषा और संस्कृति की रक्षा करना चाहते हैं? यदि हां, तो हमें अपनी भाषाओं कला तथा संस्कृति को तन, मन और धन से रक्षा करने की नितांत आवश्यकता है।

सन्दर्भ :

1. A language is a system of arbitrary vocal symbols by means of which social group co & operates & outlines of linguistic analysis-6 block and g. l.trager.
2. Meaning of culture combridge English dictionary मूल से 25 जुलाई 2015 को पुरालेखित, अभिगमन तिथि जुलाई 26, 2015.
3. 'Is advertising art' मूल से 25 नवंबर 2016 को पुरालेखित, अभिगमन तिथि २ जून २०१६.
4. रामविलास शर्मा, भाषा और समाज, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली
5. भोलानाथ तिवारी, भाषा विज्ञान, किताब महल, नई दिल्ली १९५१.
6. संस्कृति-सांस्कृतिक विचारों की प्रतिनिधि पत्रिका, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित
7. भारतीयता की पहचान : गूगल पुस्तक, विद्यानिवास मिश्र, एवम् अन्तर्जालीय प्रयोग

बड़हरा प्रखण्ड में ग्रामीण विकास की सामाजिक-आर्थिक सुविधाएँ : एक भौगोलिक अध्ययन

मीम कुमार*

*शोधार्थी, स्नातकोत्तर भूगोल विभाग, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा

**प्रो० (डॉ०) नवीन कुमार

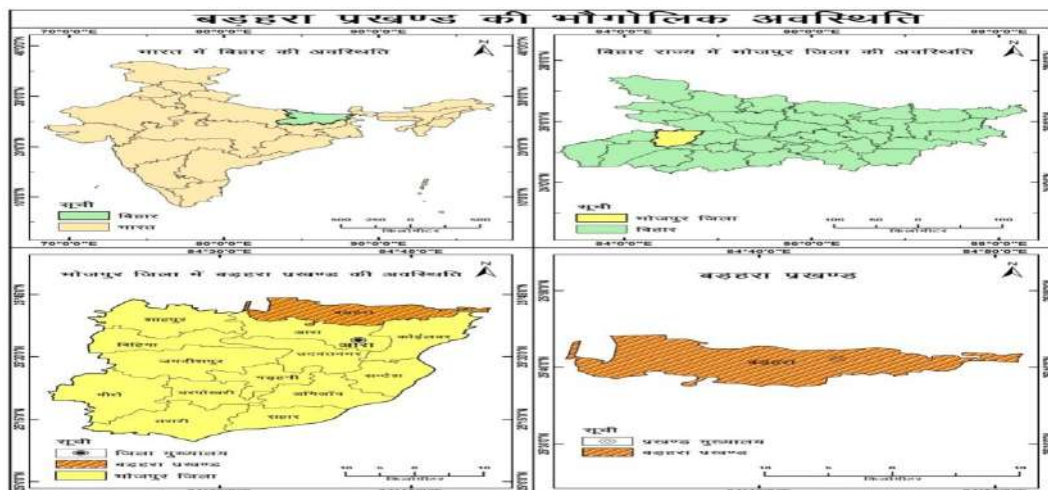
**शोध निर्देशक, प्रधानाचार्य, एस०बी० कॉलेज, आरा, (भोजपुर)

सारांश : भूगोलवेत्ताओं के लिए बस्तियों के कार्यों का विश्लेषण करना अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि बस्तियों के आन्तरिक पक्ष का सबसे मुख्य तथ्य इनका ही होता है। बस्तियों के कार्य ही उनके जीवन तत्व हैं, जिनकी अनुपस्थिति में बस्तियों की कल्पना भी असम्भव है। इन कार्यों का प्रभाव उनकी केन्द्रीयता पर तो पड़ता ही है। उनके सम्पूर्ण जीवन, संगठन, आकारिकी एवं सम्बन्धों पर भी इनका प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। बस्तियों के कार्यों पर बस्ती की बसाव स्थिति का प्रभाव पड़ता है। साथ ही जिन कार्यों द्वारा उस केन्द्र के लोग सेवा प्राप्त करते हैं, उन कार्यों का प्रभाव केन्द्र पर पड़ता है। कार्य किसी बस्ती के जीवन को चलाने वाली शक्ति है, जो कि उसके विकास व स्वरूप पर व्यापक प्रभाव डालती है। बस्तियों के कार्यों के विश्लेषण द्वारा बस्ती को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक संरचनाओं और व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सेवा केंद्रों की वर्तमान आकारिकी, क्षेत्रीय समाकलन में उसकी भूमिका एवं उनकी भावी विकास क्षमता मूलतः उनकी कार्यात्मक संरचना का ही प्रतिफल होता है। यद्यपि कुछ कार्य बहुसंख्य सेवा केंद्रों में तथा अधिकांश कार्य एक ही पदानुक्रम के सभी सेवा केंद्रों में उभयनिष्ठ होते हैं, फिर भी सामाजिक-ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संसाधन आधार, आर्थिक विकास का स्तर एवं क्षेत्रीय अर्थतंत्र की संरचना के अनुरूप ही सेवा केंद्रों के कार्यों की विविधता एवं परस्पर गहनता से अंतर पाया जाता है।

मुख्य शब्द : ग्रामीण विकास, सामाजिक-आर्थिक, सेवा केन्द्र, आकारिकी, अर्थतंत्र आदि।

अध्ययन क्षेत्र : बड़हरा जिला भोजपुर का सबसे उत्तर में स्थित प्रखंड है जिसका मुख्यालय आरा शहर है। इस प्रखंड का भौगोलिक विस्तार 25°10'N तथा 25°45'N तथा 84°21'E-84°52'E देशांतर के मध्य स्थित है। प्रखंड का कुल क्षेत्रफल 2337.29 वर्ग किलोमीटर है। 2011 जनगणना के अनुसार बड़हरा प्रखंड की वर्तमान जनसंख्या 240636 है। जिसमें पुरुषों की संख्या 128147 तथा महिला की संख्या-112489 है। तथा इस प्रखंड की साक्षरता दर 57.55 प्रतिशत है। बड़हरा प्रखंड 22 ग्राम पंचायत में विभक्त किया गया है।

भौगोलिक दृष्टिकोण से बड़हरा प्रखंड (भोजपुर जिला) का क्षेत्र गंगा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ के अधिकांश गाँव जलप्रलय से प्रभावित हुआ है। भोजपुर प्रखंड का बड़हरा प्रखंड का संपूर्ण क्षेत्र लगभग समतल मैदान है जिसका निर्माण हिमालय से निकलने वाली गंगा, गण्डक, कई नदियों के द्वारा लाई गई तलछटी से निर्मित है। बड़हरा प्रखंड का संपूर्ण क्षेत्र एक समान सपाट मैदान है जो कहीं-कहीं स्थानीय निम्न भूमि जिसे स्थानीय भाषा में चौर कहा जाता है, के रूप में दिखाई देता है। भोजपुर



प्रखंड (2011) के सर्वेक्षण के अनुसार इस प्रखंड का लिंगानुपात 878 था जो भोजपुर जिले में सबसे कम था। लिंगानुपात 0-6 आयु वर्ग में अधिक था। जिसमें प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 906 महिलाएँ थीं। बड़हरा ब्लॉक में साक्षरता दर 69.12 प्रतिशत है।

वर्तमान सामाजिक-आर्थिक सुविधाओं का ग्रामीण विकास में महत्व : ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत वे सेवाएँ एवं सुविधाएँ सम्मिलित हैं, जो आर्थिक स्वरूप के लिए अति आवश्यक होती हैं। इन सेवाओं की समुचित उपलब्धि एवं सदुपयोग के माध्यम से मात्रा आर्थिक स्वरूप ही नहीं वरन सम्बद्ध रूप से सामाजिक, आर्थिक-राजनैतिक विकास भी सम्भव है। अतः समेकित ग्रामीण विकास एवं नियोजन की प्रक्रिया में ये सेवाएँ एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में अपनी भूमिका प्रस्तुत करती हैं। इस संदर्भ में 'रोडीनेली' का विचार है, कि यदि आर्थिक प्रगति के साथ ही समानता एवं सन्तुलन के उद्देश्य की प्राप्ति करनी है, तो अवस्थापनात्मक तत्वों उत्पादन गतिविधियाँ सामाजिक सुविधाओं एवं सेवाओं का तर्क संगत तथा उत्प्रेरक वितरण प्रमुख समस्या के रूप में उभरना होगा।⁷ किसी क्षेत्र विशेष में वर्तमान विकसित सामाजिक, आर्थिक अवस्थापनात्मक तथ्यों का वांछित रूप से विकेन्द्रीकरण करके उस क्षेत्र के सम्यक विकास हेतु समुचित नियोजन प्रस्तावित किया जा सकता है। ग्रामीण

विकास के लिए अनेक धार्मिक कार्यक्रम एवं योजना प्रस्तुत की गयी है। इनमें अवस्थापनात्मक तत्वों का प्रसार वितरण प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण है। इसे ग्रामीण विकास का आधार मानकर आर्थिक नियोजकों एवं समाजशास्त्रियों ने इस पर विशेष ध्यान एवं संचार, जलापूर्ति, विद्युतीकरण, बैंकिंग, वाणिज्य, कृषि एवं प्रशासनिक सेवाएँ आदि आर्थिक विकास को गति प्रदान करने वाले ऐसे संसाधन हैं जो किसी क्षेत्र के ग्रामीण विकास को एक ठोस आधार प्रस्तुत करते हैं। इन सेवाओं के माध्यम से जनसंख्या एक ओर अपनी कृषि एवं कृषित्तर अर्थव्यवस्था को विकसित करती है। साथ ही दूसरी ओर अपनी कृषि एवं कृषित्तर अर्थव्यवस्था को विकसित करती है। साथ ही दूसरी ओर स्वयं उसका सामाजिक स्तरोन्नयन होता है। सामाजिक, आर्थिक सेवाएँ ग्रामीण अर्थ तंत्र की सुदृढ़ता में मेरुदण्ड है। इस दृष्टि से ग्रामीण विकास अवस्थापनात्मक तत्वों के सदुपयोग का प्रतिफल है। परन्तु यह आवश्यक है कि पूर्वोक्त अवस्थापनात्मक तत्व समुचित नियोजन के उपरान्त ही ग्रामीण आर्थिक विकास प्रक्रिया विभिन्न सामाजिक, आर्थिक सेवाओं के पारस्परिक समन्वय पर आधारित है, तो सामाजिक, आर्थिक सेवाओं के नियोजन, वितरण एवं उनकी अन्तर्सम्बद्धता का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के जीवन में सुधार करना है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में ग्रामीण जनसंख्या के अधिकांश कृषि एवं अन्य प्राथमिक कार्यों में संलग्न, ग्रामीण क्षेत्रों में पूँजी निवेश की कम सम्भावना, द्वितीयक एवं तृतीयक कार्यों में निम्न रोजगार दर तथा जनाधिक्य आदि इस तथ्य की ओर इंगित करते हैं कि अविकसित दशा में उत्पन्न मूल समस्याओं का निराकरण ग्रामीण क्षेत्र के विकास में ही निहित है। अतः अवस्थापनात्मक तत्वों के अध्ययन एवं नियोजन का मुख्य उद्देश्य विकास प्रक्रिया को इस प्रकार नियंत्रित करना है कि ग्रामीण वातावरण का पर्याप्त विस्तार हो सके और उत्पादन कार्यकलापों के अवसर में वृद्धि एवं गुणात्मक उन्नति द्वारा वर्तमान वातावरण का कार्यिक परिवर्तन हो सके। अध्ययन क्षेत्र भोजपुर जिला का एक प्रखण्ड है। इसकी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। यहाँ सुविधाओं में मन्द विकास से निवासियों के जीवन स्तर में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। क्षेत्र के समुचित विकास हेतु उपलब्ध सुविधाएँ पर्याप्त नहीं हैं।

बड़हरा प्रखण्ड में आर्थिक-सामाजिक सुविधाएँ (2020-21)

सामाजिक सुविधाएँ	संख्या
1. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय +	18
2. उच्च विद्यालय	25
3. माध्य विद्यालय	35
4. प्राथमिक विद्यालय	175
5. स्वास्थ्य केन्द्र एवं उपकेन्द्र	12
6. प्राथमिक उच्च शिक्षा केन्द्र	7
7. मातृ शिशु कल्याण केन्द्र	1
8. नर्सिंग होम एवं होमोपैथिक केन्द्र	25
9. परिवार कल्याण केन्द्र	5
10. पशु चिकित्सा केन्द्र	5
11. बस स्टेशन	6
12. डाकघर	6
13. बैंक	15
14. बाजार	12
15. किसान सेवा सहकारी समिति	6
16. उर्वरक विकास केन्द्र	12
17. विद्युत उपकेन्द्र	3
18. विकास केन्द्र मुख्यालय	5
19. पुलिस स्टेशन	18
20. कॉलेज	15

डोत्रा - क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर

निष्कर्ष : सामाजिक-आर्थिक अवस्थापनात्मक तत्वों, विशेष रूप से सेवाओं एवं सुविधाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से विकेंद्रित करके अर्थ तंत्र के विकास एवं सांस्कृतिक उन्नयन हेतु एक निश्चित दिशा प्रदान की जा सकती है। विकेंद्रित सेवाओं की उपलब्धि एवं उसका नियोजन निश्चित रूप से अधिवास के आकार पदानुक्रम तथा विकास क्षमता को ध्यान में रखते हुए स्थानीय भाग एवं क्षेत्रीय संसाधनों के अनुरूप होना चाहिए। आवश्यक सार्वजनिक उपयोगिता की दृष्टि से जलापूर्ति, यातायात एवं संचार और ऊर्जा आपूर्ति अपेक्षाकृत हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं डाक-तार सम्बन्धी सुविधाओं के अतिरिक्त बैंक, बाजार, साधन सहकारी समिति, कृषि सम्बन्धी खाद एवं बीज वितरण केन्द्र, कृषि यंत्र निर्माण एवं मरम्मत आदि और सुरक्षा सम्बन्धी प्रशासनिक सेवाएँ विशेषकर सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश से सम्बद्ध होती हैं। इस संदर्भ में समाज के निर्बल वर्ग की आवश्यकताओं, आर्थिक उद्यमों एवं सामाजिक कार्यक्रमों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके जीवन-यापन की दशाओं में परिमार्जन हेतु सामाजिक सुरक्षा और व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप के साथ ही विभिन्न सामाजिक वर्गों की परम्पराओं, मान्यताओं तथा जीवन मूल्यों का समुचित सम्मान अपेक्षित है। इस प्रकार ग्रामीण विकास को गतिशीलता प्रदान करने और कार्यात्मक रिवतता के कारण उत्पन्न क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने के क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक सेवाओं के उचित एवं तर्क संगत विवरण तथा अनुकूल अवस्थिति हेतु एक विकासोन्मुख भूवैज्ञानिक संरचना आवश्यक है। इसके आधार पर क्षेत्रों में समेकित ग्रामीण विकास को उचित दिशा दिया जा सकता है।

सन्दर्भ :

1. सिंह, ओम प्रकाश (1979) : "नगरीय भूगोल," तारा पब्लिकेशन्स, वाराणसी, पृ० 281-295
2. सिंह, रामबली एवं सिंह चन्द्रदेव (1977) : "सरयूपार मैदान में सेवा केन्द्रों का कार्यात्मक वर्गीकरण, उत्तर भारत भूगोल पत्रिका, उत्तर भारत भूगोल परिषद्" गोरखपुर, अंक 13, सं० 1-2 पृ० 45-66
3. Alexander, J.W. (1954), "The Basic/ Non basic concept of urban Economic functions, "Economic Geography, 30, pp.246-61.
4. Alexanderson, G. (1956), "Industrial Structure of American Cities, Nebraska, Nebraska Ska,
5. Auroousseau, M. (1921), "The Distribution of Population A Constructive problem, Geographical Review, Vol." No. 4, pp. 563-92.

नई पीढ़ी और भाषा प्रौद्योगिकी

डॉ० आदित्य रंजन*

*असि०प्रो०, प्रा०भा०इति०, आदर्श जनता महाविद्यालय, देवकली, लखीमपुर खीरी, उ०प्र०

सारांश : आज की नई पीढ़ी हिन्दी से दूर हो रही है क्योंकि इस प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सभी पर पश्चिमी संस्कृति का असर देखने को मिलता है। यही कारण है कि लोग हिन्दी से दूर होते जा रहे हैं और अधिकांश लोग हिन्दी को पिछड़ेपन की निशानी मान रहे हैं। आधुनिक समय में जहाँ सभी चीजें बदल रही हैं, वहाँ पर भाषा, जीवन शैली, और हमारी संस्कृति भी कैसे अधूरी रह जाती। आधुनिकता के इस दौर में सभी पर अंग्रेजी का प्रभाव आसानी से देखा जा सकता है। इस आधुनिक दौर में हमें हिन्दी के विकास को आगे बढ़ाना है और इसके लिए हमें प्रौद्योगिकी आयात के बजाय प्रौद्योगिकी विकास पर ध्यान देना होगा। बाजार सहित सभी कंपनियों में अनेक साफ्टवेयर विकसित करने होंगे जिससे लोगों को आसानी से हिन्दी में काम करने में सहूलियत हो सके। जिससे हम हिन्दी के विकास और नई पीढ़ी में हिन्दी के प्रति रुचि को पैदा कर सकें।

मुख्य शब्द : विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पीढ़ी, विकास, कम्प्यूटर, देवनागरी आदि।

आज का युग सूचना संचार तथा विचार का युग है। तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत का वर्चस्व तेजी से बढ़-रहा है प्रचार प्रसार के माध्यमों का तेजी से सामाजीकरण हो रहा है। प्रौद्योगिकी का प्रभाव जनमानस के मूल में पहुँच रहा है। भारत जैसे बहुभाषी देश में कम्प्यूटर ज्ञान ने प्रारम्भ में अंग्रेजी ज्ञान का लोहा अवश्य मनवाया। लेकिन भारतीय विद्वानों ने अपनी भाषायी शक्तियों से इस चुनौती को शीघ्र ही चुनौती दे डाली।

हिन्दी एक भाषा ही नहीं, बरौ पूरी संस्कृति है और इसलिए उसे सीखना केवल भाषा ज्ञान भर नहीं है बदलाव की अनिवार्यता के चलते जब रहन-सहन खानपान, रीति रिवाज आदि सभी बदलते जा रहे हैं तो जाहिर है भाषा भी बदलेगी। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्षा के अनुरोध पर वर्ष 1953 के उपरान्त हर साल सम्पूर्ण भारत में प्रतिवर्ष 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिन्दी भारत संघ की राजभाषा होने के साथ ही ग्यारह राज्यों और तीन संघशासित क्षेत्रों की भी प्रमुख राजभाषा हैं। संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल अन्य इक्कीस भाषाओं के साथ हिन्दी का एक विशेष स्थान है, किन्तु देश में तकनीकी और आर्थिक विकास के साथ ही अंग्रेजी भी हमारे देश पर हावी होती जा रही है। अंग्रेजी के बढ़ते वर्चस्व के कारण अब हिन्दी बोलने वालों को अनपढ़ या गवार के रूप में देखा जाता है।

आज की नई पीढ़ी हिन्दी से दूर हो रही है। इसका प्रमुख कारण पश्चिमी संस्कृति को माना जा सकता है। कई विदेशी विश्वविद्यालयों में वहाँ के स्थानीय विद्यार्थी हिन्दी सीख रहे हैं, जबकि हमारे हिन्दी भाषी राष्ट्र में अभिभावक स्वयं ही हिन्दी को पिछड़ेपन की निशानी मान रहे हैं। आधुनिक समय में चीजें बदल रही हैं, जीवन शैली बदल रही है, समाज की मान्यताएं और मूल्य भी बदल रहे हैं और भाषा इससे अछूती नहीं रह सकती है। इसलिए भाषा का बदलाव भी आसानी से देखा जा सकता है। विदेशी भाषाओं का ज्ञान होने के साथ-साथ मातृभाषा के प्रति सम्मान आवश्यक है। आज भाषा के उदारीकरण के दौर में भाषा अपशिष्ट होती जा रही है और अपशिष्ट इसलिये कि जब आप अपनी भाषा की शक्ति को नहीं पहचानते हैं, उस पर भरोसा नहीं करते हैं। आधुनिकता के नाम पर आधी अंग्रेजी डाल कर चीजों को रचते हैं तब लोक भाषा का लावण्य नहीं आ पाता है। बोली की मिठास न जानें कहाँ खो जाती है।

स्वतन्त्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी इस विषय पर तो विचार होना ही चाहिए कि क्या हम स्वतन्त्रता सेनानियों और भारत के संविधान की अपेक्षाओं के अनुरूप हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं को स्थापित कर सके हैं? क्या हम ऐसा कर सके हैं? यदि अभी तक इस कार्य में अपेक्षित सकलता नहीं मिली तो उन कारकों पर भी गहनता से विचार किया जाना आवश्यक है, जिनके चलते इतने लम्बे समय के बाद भी हम लक्ष्य से बहुत दूर हैं। ऐसा क्यों है कि हिन्दी व अन्य भारतीय भाषाओं को व्यवस्था में स्थापित करने के लिए हम जितना आगे बढ़ते हैं लक्ष्य उतना ही दूर होता जाता है? वैसे देखा जाये तो लक्ष्य प्राप्ति में वांछित सफलता न मिलने के अनेक कारण हैं लेकिन इसका एक महत्वपूर्ण कारण भाषा प्रौद्योगिकी का अभाव।

इतिहास गवाह है कि विदेशी शक्तियों के सामने भारत की पराजय का एक बहुत बड़ा कारण प्रौद्योगिकी में पिछड़ापन है। जब भी कोई हमलावार भारत आया तो वह बेहतर प्रौद्योगिकी लेकर आया और हम अपने परम्परागत तरीकों पर निर्भर रहें। जब भारत में हम काम करने के लिए कलम थामे हुए थे, अंग्रेजी के लिए टाइपराइटर आ चुका था। अंग्रेजी प्रौद्योगिकी व्यवस्था के बूते अपनी बढ़त बनाती रही। ऐसी ही टेलीप्रिंटर, टेलेक्स मशीन आदि के सम्बंध में भी हुआ लेकिन आगे चलकर हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं के लिए टाइपराइटर टेलीप्रिंटर आदि की व्यवस्था हुई। इन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा राजभाषा विभाग में एक तकनीकी पक्ष की भी स्थापना की गई जो अंग्रेजी साहित्य विश्व की अन्य भाषाओं की तरह हिन्दी व अन्य भारतीय भाषाओं के लिए भी आवश्यक प्रौद्योगिकी के विकास, प्रशिक्षण और प्रयोग के मार्ग को प्रशस्त कर सके। हम प्रायः प्रौद्योगिकी विकास के बजाय प्रौद्योगिकी आयात पर निर्भर रहे हैं। ज्यादातर प्रौद्योगिकी हमें प्रायः पाश्चात्य देशों से या यँ कहें कि अंग्रेजी के माध्यम से ही मिलती रही है। इसी का परिणाम था कि अंग्रेजी के लिए तत्काल आयातित प्रौद्योगिकी उपलब्ध होती रही, वहीं भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी की व्यवस्था से लेकर उसे प्रयोग में लाने तक की कवायद में काफी समय लगता रहा जिसके चलते हिन्दी सहित भारत की भाषाएँ अंग्रेजी के मुकाबले हमेशा पिछड़ती रही और विभिन्न समस्याओं का सामना करती रहीं हैं।

कम्प्यूटरों पर हिन्दी में कार्य करने के लिए भाषा प्रौद्योगिकी में सर्वप्रथम शुरुआत हुई **वर्ड प्रोसेस एप्लीकेशन** से हुई। जिसे सर्वप्रथम आई०आई०टी० कानपुर ने हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं के लिए कम्प्यूटर पर काम करने के लिए फॉन्ट उपलब्ध करवाए है। भारत सरकार द्वारा सी०डैक० पुणे में भारतीय भाषाओं के लिए विशेष प्रकोष्ठ की व्यवस्था की गई और उनके द्वारा जिस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए कम्प्यूटरों में हिंदी कार्य करने की सुविधाएँ उपलब्ध करवाई। 90 के दशक में भारतीय

एन-कोडिंग के साथ आई०आई०टी० कानपुर और सी०डैक० सहित बाजार की माँग को देखते हुए कई निजी कम्पनियाँ भी मैदान में उतर आयी और उन्होंने भी ऐसे अनेक साफ्टवेयर विकसित किए।

आज हिन्दी और भारतीय भाषाओं में कार्य करने संबंधी सुविधाएँ तो प्रायः उपलब्ध हो गई हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऐक्सल, पावर पॉइंट आदि से लेकर इंटरनेट पर हिन्दी और भारतीय भाषाओं में कार्य की तमाम सुविधाएँ उपलब्ध हैं। और तमाम बाधाओं के बावजूद हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं ने इंटरनेट और सोशल मीडिया पर अपनी एक खास जगह बना ली है। लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या और इंटरनेट पर हमारी अच्छी खासी उपस्थिति के बावजूद हिन्दी की उपस्थिति नगण्य सी ही है।

चीन के बाद इस समय इंटरनेट का प्रयोग करने वालों की संख्या में भारत विश्व के दूसरे स्थान पर है। प्रतिशत की दृष्टि से चीन में 21.17 प्रतिशत, अमेरिका 9.5 प्रतिशत व भारत में 8.33 प्रतिशत के बाद भारत तीसरे स्थान पर है। इसकी वार्षिक वृद्धि दर करीब 16 प्रतिशत है। इंटरनेट पर भारत की प्रमुख और विश्व की अग्रणी भाषा हिन्दी की स्थिति को देखें तो चौकाने वाले आँकड़ सामने आते हैं। भाषावार स्थिति देखें तो ज्ञात होता है कि अंग्रेजी 55.5 प्रतिशत के साथ सबसे उच्चतम स्थान पर है। और इसके बाद 5.9 प्रतिशत के साथ रूसी भाषा दूसरे स्थान पर है। उसके बाद जर्मन, जापानी, स्पैनिश, फ्रेंच, चीनी, पुर्तगाली, इटैलियन आदि भाषाओं का स्थान है। इंटरनेट पर हिन्दी की स्थिति 0.1 प्रतिशत से भी कम है। दुनिया की अज्ञान सी-भाषाएँ भी इस मामले में हिन्दी से काफी आगे हैं। यह स्थिति भी तब है जबकि इंटरनेट का प्रयोग करने के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है।

पीपुल लिग्विस्टिक सर्वे के अनुसार भारत में कुल 780 भाषाएँ बोली जाती हैं तथा हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। हिन्दी संवैधानिक रूप में सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है। मात्र 5 प्रतिशत लोग अंग्रेजी भाषा को जानते व समझते हैं। शेष 30 प्रतिशत में गैर हिन्दी और अंग्रेजी भाषी लोग यानी की तमिल, तेलुगू आदि भाषा को जानने वाले हैं। हिन्दी एवं उस पर आधारित अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में प्रौद्योगिकी उत्पादन के लिए अभियान चलाएँ। तकनीकी क्षेत्र एक बहुत विशाल क्षेत्र है। इसकी किसी भी शाखा को नापा नहीं जा सकता है। कम्प्यूटर पर सूक्ष्म जानकारी से लेकर विशालतम जानकारी उपलब्ध है। जिसका उपयोग कर व्यक्ति इसका लाभ उठा सकते हैं, पर इसकी सबसे बड़ी बाधा है भाषा की समझ है। आज इंटरनेट की लगभग 40 प्रतिशत सामग्री अंग्रेजी में ही है जो सफल व्यापारी, दुकानदार, किसान, कारीगर, शिक्षक है। यह सभी अपने-अपने कार्य क्षेत्र में कुशल एवं विद्वान हैं लेकिन यह जरूरी नहीं है कि यह सब अंग्रेजी भाषा के जानकार भी हो। ग्रामीण परिवेश में रहने वाले कृषक, कारीगर जो की देश की उन्नति का मूल आधार है यदि इन्हें और अच्छी तकनीकों की जानकारी अपनी ही निज भाषा हिन्दी में मिले तो और भी अच्छा हो जाये। हमें हिन्दी के और अधिक प्रचार-प्रसार एवं विस्तार के लिए ज्यादा से ज्यादा हिन्दी ई-सामग्री को इंटरनेट पर स्थापित करने हेतु कार्य करने की जरूरत है। ताकि इंटरनेट पर हिन्दी सामग्री का प्रतिशत और बढ़ सके तथा तकनीकी के क्षेत्र में हिन्दी एक समृद्ध विशाल रूप में परिवर्तित हो और विश्व पटल पर पूर्ण रूप से स्थापित हो सके। भारत की अधिकतम भाषाएँ एक ही स्रोत से प्रवाहित हुई हैं हम जानते हैं कि उनका उदभव ब्राम्ही वर्णमाला से हुआ है। हिन्दी बंगला, असमिया, उडिया, मराठी गुजराती और गुरुमुखी लिपियाँ एक दूसरे से बहुत मिलती-जुलती हैं। इन्हें एक ही लिपि की भिन्न-भिन्न प्रणालियाँ कहा जा सकता है। दक्षिण भारत की लिपियाँ तमिल, कन्नड तेलुगू और मलयालम परस्पर समान और एक जैसे सिद्धान्तों पर आधारित हैं परन्तु ये देवनागरी से अलग हैं। उर्दू अपवाद स्वरूप है, इसमें फारसी, अरबी लिपि अपनाई गई है। हिंदी, मराठी, नेपाली और संस्कृत लिखने के लिए देवनागरी लिपि को अपनाया गया है। तात्पर्य देवनागरी लिपि का भारत की सभ्यता और इतिहास से बहुत पुराना सम्बंध है। आधुनिक प्रौद्योगिकी के विकास में कम्प्यूटर की खोज अनन्य साधारण घटना है। आज कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी का उपयोग जीवन के सभी क्षेत्रों में किया जा सकता है। इसके उपयोग के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं भाषिक अध्ययन और विश्लेषण।

आज प्रौद्योगिकी के कारण साहित्य का प्रचार प्रसार तथा प्रस्तुति मंच आदि अत्यन्त प्रभावशाली ढंग से होने लगे हैं। आप अनेक हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं की पत्र-पत्रिकाएँ प्रौद्योगिकी के कारण इंटरनेट के जरिये प्रारम्भ हो चुकी हैं। टाइम्स ऑफ इण्डिया, हिन्दुस्तान टाइम्स, नवभारत टाइम्स, इण्डिया टुडे जैसी अनेक वेब पत्रिकाओं के संस्करण प्रकाशित हो रहे हैं। साथ ही नाटक, उपन्यास, एकांकी, कविता आदि का अभिनेताओं द्वारा प्रस्तुतिकरण प्रौद्योगिकी के कारण अधिक रंजक बनता जा रहा है। इसके माध्यम से विश्व सिमटकर सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से अधिक नजदीक आ गया है। बाजार और मीडिया में हिंदी को ही नहीं भारत की अन्य भाषाओं को भी विस्तार दिया गया है। प्रौद्योगिकी ने इसे आसान बनाया है। भाषा अत्यन्त निर्णायक रूप से बदल रही है। भारतीय भाषाओं को प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ने के अवसर हमें अधिक से अधिक विकसित करने होंगे आज भारत-सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्वयं को एक महाशक्ति मानता है तो ऐसे में हम महाशक्ति के बड़े-बड़े योद्धाओं को भाषा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उतर कर हमें भाषाओं के प्रसार के संघर्ष में विजय हासिल करनी होगी।

सन्दर्भ :

1. जिन्दल, सुरेश कुमार, 28 आज की हिन्दी, पृ० 26
2. राजभाषा भारती, अंक 152 जुलाई-सितम्बर, पृ० 12,
3. अग्रवाल, पी.एन, नालंदा अद्यतन कोश, पृ० 670
4. डॉ० तारकनाथ, साहित्यिक परिभाषिक शब्द कोश, पृ० 220
5. झाल्टे, दगल, प्रयोजनमूलक हिन्दी : सिद्धान्त और प्रयोग, पृ० 58
6. भाटिया, डॉ० कैलाश चन्द्र, राजभाषा हिन्दी, पृ० 09
7. अग्रवाल, पी० एन०, नालन्दा अद्यतन कोश, पृ० 768
8. शेख, डॉ० शहाबुद्दीन, वाधारा पात्रका प्रयाग, जून - 2010, पृ० 44
9. From m.jagran.com
10. 10www.hindikuj.com≥20198108.

बड़हरा प्रखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का अध्ययन

शैलेश कुमार सिंह*

*शोधार्थी, स्नातकोत्तर, भूगोल विभाग, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा

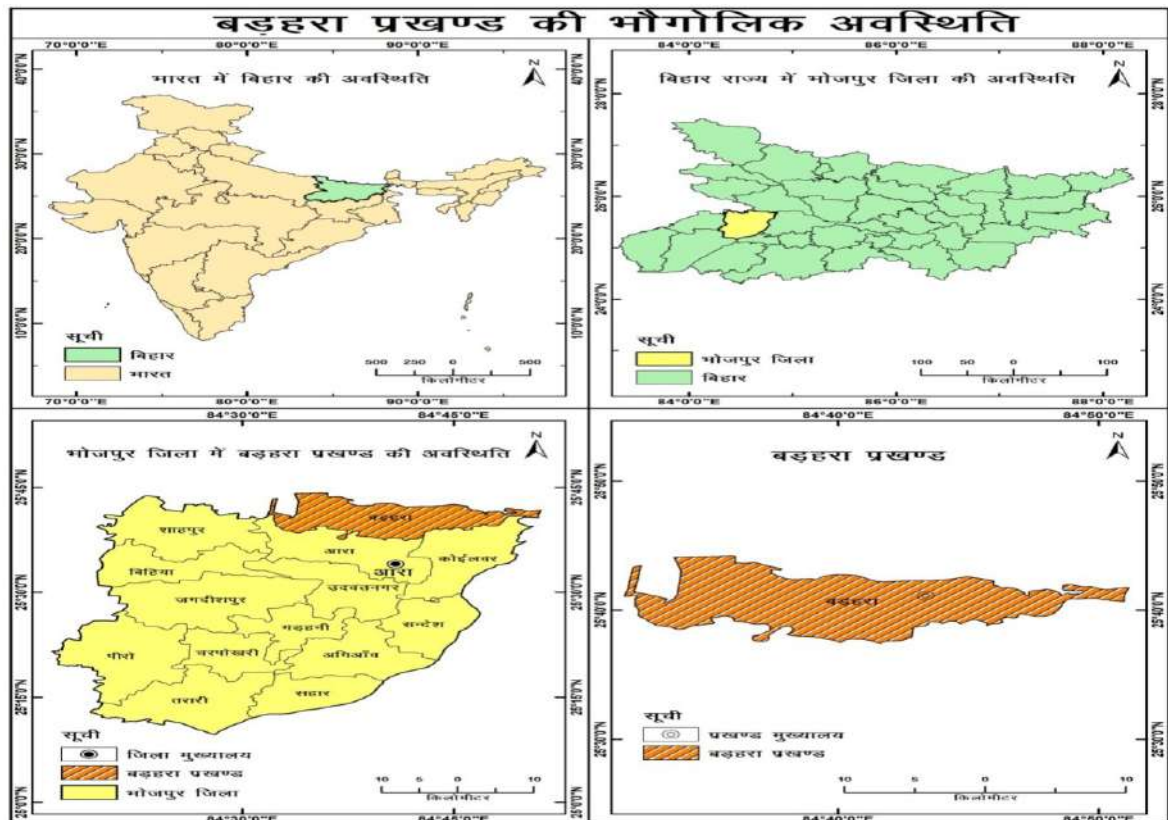
प्रो० (डॉ०) नवीन कुमार**

**शोध निर्देशक, प्रधानाचार्य, एस०बी० कॉलेज, आरा, (भोजपुर)

सारांश : बड़हरा प्रखण्ड में नगरीकरण धीमी गति से हुआ है। नगरीय आबादी का प्रतिशत अपेक्षाकृत कम है फिर भी बिहार के नगरीकरण को विस्फोटक की स्थिति बताया जाता है। नगरों में आवागमन की उचित सुविधा उपलब्ध नहीं है। मकान की कमी बढ़ती जा रही है। नगरों में कम चौड़ी सड़क रहने के कारण सड़क दुर्घटनाएँ तथा सड़क जाम की समस्याएँ तीव्र गति से बढ़ रही हैं प्रतिदिन सड़क दुर्घटना में हजारों व्यक्ति मर रहे हैं। नगर में 30% लोगों के पास अपना घर नहीं है 77% मकान एक या दो कमरे के हैं लेकिन वर्तमान समय में मकान को तोड़कर अपार्टमेंट बनाये जा रहे हैं अतः मकानों का प्रतिशत घटकर 40% से कम हो गया है। प्रति कमरा में 5-7 व्यक्ति रहते हैं। बड़े नगरों में तो प्रति कमरे का घनत्व 15 व्यक्ति तक चला गया है। इतना ही नहीं जिस अनुपात में नगर का आकार बढ़ रहा है, उसी अनुपात में लिफ्ट अनुपात भी बढ़ रहा है। नगरों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या घट रही है, जिसके कारण लिफ्ट अपराध में तेजी से वृद्धि हो रही है। प्रशासनिक शिथिलता के कारण अपराध बढ़ रहे हैं। अधिकांश अपराध झुग्गी-झोपड़ी के कारण तथा बड़े घरानों एवं राजनैतिक घरानों के बदमाश युवकों के कारण हो रहा है। अधिकांश इन्हीं लोगों के घरों में या झोपड़ियों में होती है। बम विस्फोट भी प्रायः होता रहता है। फुटपाथ पर दुकाना की संख्या बढ़ रही है। अनौपचारिक पेशा भी बढ़ रहा है। इसके कारण भी अपराधीकरण की वृद्धि प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।

मुख्य शब्द : नगरीकरण, नगरीय आबादी, प्रौद्योगिकी, अनौपचारिक पेशा, अपराधीकरण आदि।

अध्ययन क्षेत्र : बड़हरा जिला भोजपुर का सबसे उत्तर में स्थित प्रखंड है जिसका मुख्यालय आरा शहर है। इस प्रखंड का भौगोलिक विस्तार 25° 10' N तथा 25° 45' N तथा 84° 21' E - 84° 52' E देशांतर के मध्य स्थित है। प्रखंड का कुल क्षेत्रफल 2337.29 वर्ग किलोमीटर है। 2011 जनगणना के अनुसार बड़हरा प्रखंड की वर्तमान जनसंख्या 240636 है। जिसमें पुरुषों की संख्या 128147 तथा महिला की संख्या-112489 है। तथा इस प्रखंड की साक्षरता दर 57.55 प्रतिशत है। बड़हरा प्रखंड 22 ग्राम पंचायत में विभक्त किया गया है।



भौगोलिक दृष्टिकोण से बड़हरा प्रखंड (भोजपुर जिला) का क्षेत्र गंगा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ के अधिकांश गाँव जलप्रलय से प्रभावित हुआ है। भोजपुर प्रखंड का बड़हरा प्रखंड का संपूर्ण क्षेत्र लगभग समतल मैदान है जिसका निर्माण हिमालय से निकलने वाली गंगा, गण्डक, कई नदियों के द्वारा लाई गई तलछटों से निर्मित है। बड़हरा प्रखंड का संपूर्ण क्षेत्र एक समान सपाट मैदान है जो कहीं-कहीं स्थानीय निम्न भूमि जिसे स्थानीय भाषा में चौर कहा जाता है, के रूप में दिखाई देता है। भोजपुर

प्रखंड (2011) के सर्वेक्षण के अनुसार इस प्रखंड का लिंगानुपात 878 था जो भोजपुर जिले में सबसे कम था। लिंगानुपात 0-6 आयु वर्ग में अधिक था। जिसमें प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 906 महिलाएँ थीं। बड़हरा ब्लॉक में साक्षरता दर 69.12 प्रतिशत है।

बड़हरा में नगरीकरण और प्रतिव्यक्ति आय (2011)

प्रखंड	आबादी की नगरीकरण दर (2011)	प्रति व्यक्ति आय हजार रु० में (2019-2020)
बड़हरा	21.0	35.8

स्रोत :- भारत की जनगणना, भारत के महानिबंधक, भारत सरकार

नगरीकरण के लिहाज से भी बड़हरा प्रखंड के बीच काफी असमानता है। राज्य राजधानी वाले पटना जिले में नगरीकरण का स्तर सर्वाधिक 44.3 प्रतिशत है। वहीं सिर्फ दो प्रखंडों में नगरीकरण 25 प्रतिशत से अधिक है। बड़हरा प्रखंड में नगरीकरण और प्रतिव्यक्ति आय के बीच कोई विशेष संबंध नहीं है। जैसा कि कभी-कभी दावा किया जाता है, यह संबंध मजबूत नहीं होता है। यह बताता है कि लोग प्रखंड में सिर्फ आर्थिक कारणों से जगह पर कब्जा नहीं जमाते हैं। इसके बेहतर स्वास्थ्य देखरेख, शिक्षा, अधिसंरचना सुविधाएँ आदि अन्य भी कारण हो सकते हैं।

बड़हरा प्रखण्ड में नगरीय सेवा के विकास पर बल :

1. नगर प्रवास के लिए इन्दिरा आवास योजना बनायी गयी, जिसके अंतर्गत झुग्गी-झोपड़ी की समस्याओं का समाधान किया जाने लगा।
2. नगर के गंदे पानी को नदियों में खासकर गंगा, यमुना आदि बड़ी नदियों में गिरने से रोकने की बात की गयी।
3. वायु एवं ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए वाहनों में एक विशेष प्रकार के ईंधन देने की व्यवस्था की गयी।
4. नगरों में घर बनाने के लिए कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गयी, जिससे नगरों में आवास की समस्या का समाधान किया जा सके।
5. वातावरण को संतुलित रखने के लिए नगरों के बाहरी क्षेत्रों में हरी पेटी की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
6. ग्रामीण उद्योग के विकास पर जोर देने की व्यवस्था की गयी, जिससे गांव के लोग रोजगार की तलाश में नगरों में प्रवास न करें।
7. बड़े नगरों में आबादी पर रोक लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया जाने लगा तथा छोटे-छोटे नगरों को जन्म देने की व्यवस्था का प्रावधान रखा गया।
8. गंदी बस्तियों के विकास पर जोर दिया गया क्योंकि यह नगर विस्फोटक के लिए बहुत बड़ा कारक है।
9. नगरीय असंतुलन को भी दूर करने की बात की गयी।
10. छोटे एवं मध्यम आकार के नगरों के विकास को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर बल दिया गया।
11. नगरों में सड़कों के चौड़ीकरण पर भी ध्यान दिया गया, जिससे कि सड़क जाम की समस्या से निपटा जा सके।
12. नगर में आवागमन के लिए सस्ते, सुगम वाहनों की व्यवस्था पर भी ध्यान देने की बात कही गयी, जिससे कि नगरवासी कम पैसों तथा कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकें।

निष्कर्ष : नगरों में प्रदूषण तेजी से बढ़ रही है। जल, वायु, ध्वनि, प्रदूषण बहुत बढ़ गये हैं। राजनैतिक प्रदूषण भी तेजी से बढ़ रहा है। राजनैतिक एवं सामाजिक व्यवस्था काफी बिगड़ गयी है, जिसके कारण अपराध में भी वृद्धि हो रही है। सरकार इस समस्या को सुधारने में भी विफल रही है। पीने के पानी की समस्या सुधारने में विफल रही है। पीने के पानी की समस्या तो दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। जलस्तर गिरता जा रहा है। सामान महंगे मिलते हैं, क्योंकि उपभोक्ता और उत्पादकर्ता के बीच कई दलाल आ जाते हैं, मुनाफाखोरी बढ़ती जा रही है। नगरों में आर्थिक विषमता तेजी से बढ़ती जा रही है। बढ़ती हुई नगरीय समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार ने समय-समय पर नगरीय नीति की घोषणा की है, जिसके कारण नगरीय समस्या का समाधान कुछ हद तक संभव हो सकेगा। परन्तु पूर्णतः इन समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। बड़े नगरों में इस प्रकार की समस्या तीव्रता से बढ़ रही है। दिल्ली इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। प्रदूषण को कम करने के लिए नगर में हाल ही में एक दिन केवल अन्त के जोड़े नम्बर की गाड़ी और जैसे अन्त का 1, 3, 5, 7, 9, नम्बर की ही गाड़ी नगर की सड़कों पर चलेगी। पर इस व्यवस्था से समस्या का समाधान होने वाला नहीं है।

बिहार (बड़हरा) में नगरीकरण असंतुलित है। किसी क्षेत्र में अनेक नगर बस गए हैं तो कहीं कम नगर बसे हैं। कुछ क्षेत्रों में नगरी आबादी भी अधिक है परन्तु कुछ क्षेत्रों में नगरीकरण बहुत ही धीमी गति से हुआ है। जबकि तटवर्तीय भागों में नगरीकरण में तीव्र विकास हुआ है। असमान नगरीकरण आर्थिक असंतुलन का द्योतक है। देश के सर्वांगीण विकास के लिए सम्पूर्ण देश में नगरीकरण एक समान होना चाहिए, तभी राष्ट्र का सही अर्थ में आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास हो सकता है। भारत में नगरीकरण का मुख्य कारण ग्रामीण नगरीय प्रवास को कम करना होगा। साथ ही गांव में ही विकास का कार्य करना होगा। नगरीकरण की समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय नगरीय नीति (Policy) बनायी है, जो समय-समय पर नगर की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए काम करती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में राष्ट्रीय नगर नीति के अन्तर्गत कुछ ठोस कदम उठाये गये हैं।

सन्दर्भ :

1. अहसन कमर और इमिट्याज अहमद, बिहार एक परिचय, पृ० 191
2. विश्वनाथ प्रसाद सिन्हा, मोहम्मद नाजिम, चंद्रशेखर पाठक एवं प्रिन्स फिरोज अहमद, बिहार का भूगोल, पृ० 20-38
3. अहसन कमर एवं इमिट्याज अहमद, बिहार एक परिचय, पृ० 191
4. विश्वनाथ प्रसाद सिन्हा और मोहम्मद नाजिम, बिहार का भूगोल, पृ० 39
5. डॉ० मो. अताउल्लाह : बिहार का आधुनिक भूगोल, पृ० 17

बिहार में महिलाओं के विकास की गति : महिला सशक्तीकरण का एक मौलिक अध्ययन

डॉ० अर्चना चौधरी*

*असि०प्रो०, इतिहास विभाग, पी०जी०, सहरसा वी०एन० मण्डल यूनिवर्सिटी, मधेपुरा, बिहार

सारांश : प्रस्तुत शोध पत्र में वर्तमान बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन किया गया है। किसी भी राष्ट्र व राज्य के लिए महिलाओं व बच्चों की स्थिति के माध्यम से ही विकास की सम्भावना स्पष्ट हो जाती है। क्योंकि बालक देश का भविष्य है और महिला बालक की प्रथम शिक्षिका है। महिला ही बच्चों का पालन, पोषण और मार्गदर्शन करती है परन्तु वर्तमान समय में सभी प्रयासों के उपरान्त बिहार के पिछड़े क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों की स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य एवं वैश्विक मानचित्र में संयुक्त राष्ट्र यूनीसेफ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने बच्चों के स्वास्थ्य व उनकी शिक्षा पर असंतोष प्रकट किया है। महिलाएं शिक्षा व रोजगार के माध्यम से किसी भी राष्ट्र, देश व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिवर्तन व क्रान्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही हैं। जब हम महिलाओं की स्थिति की विवेचना ऐतिहासिकता के साथ करते हैं तो यही मगध (बिहार राज्य) अधिक प्रगतिशील दिखाई देता था। प्राचीन काल में समाज में रहने वाले हर जाति, वर्ग और महिला को भी हर क्षेत्र में पर्याप्त स्वतंत्रता व समानता का अधिकार मिला। मध्यकालीन युग में महिलाओं पर ज्यादा रुढ़िवादी कुप्रथाओं का असर हुआ। 21वीं सदी के आधुनिक व वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बिहार में महिलाओं की स्थिति देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा विभिन्न क्षेत्रों में अधिक प्रगतिशील नहीं है। यह एक अपरिहार्य कारण व चिंता का प्रमुख विषय है, जिसमें वर्तमान सरकार के साथ-साथ प्रत्येक जनमानस का उत्तरदायित्व है कि वह सुदृढ़ मानवीय चेतना के साथ महिलाओं के समग्र विकास के लिए अहम भूमिका निभाए।

मुख्य शब्द : महिला, कौशल, साक्षरता, रोजगार, शोषण सशक्तीकरण आदि।

प्रस्तावना : “दुनियाँ का कोई भी देश तब तक विकास नहीं कर सकता जब तक उस देश या राज्य की महिलाएं बराबर का साथ न दें।” किसी भी परिवार का मूल आधार व प्रगति के मापक रूप में प्रमुख भूमिका महिलाओं की होती है। बिहार में महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनैतिक जैसी स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में निम्न है। दहेज हत्या, अशिक्षा, यौन हिंसा, असमानता, भ्रूण हत्या, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, बलात्कार, वेश्यावृत्ति, मानव तस्करी आदि समस्याओं से समाज पीड़ित है।

एक सारगर्भित तथ्य के रूप में : “यदि नारी सुरक्षित है तभी हमारा भविष्य सुरक्षित है”² इसीलिए प्रत्येक समाज के व्यक्ति को महिलाओं के प्रति जागरूक होने की जरूरत है एवं निम्न स्तर से लेकर वैश्विक स्तर तक महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है।

सामाजिक परिवर्तन की लहर के साथ परम्पराएँ बदल रही हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक मूल्य भी बदल रहे हैं। बिहार राज्य में बदलती पीढ़ियों के प्रभाव से नये दृष्टिकोण व आयाम व नये मूल्य स्थापित किये जा रहे हैं। लेकिन यहाँ महिलाओं की उन्नति व स्थिति में कुछ खास परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे बिहार में महिलाओं के सर्वांगीण विकास की गति बहुत धीमी हो गई है। बदलती सरकारें, प्रशासन और आधुनिकता की ओर उन्मुख समाज के बावजूद महिलाओं के प्रति हिंसा के आंकड़े बेहद शर्मनाक हैं।

रुढ़िवादी परम्परा, लिंगभेद, बाल विवाह, घरेलू हिंसा, शिक्षा से वंचित रखना, छेड़छाड़, बलात्कार, दहेज, कन्या भ्रूणहत्या, संतान न होना, वारिस न होने पर प्रताड़ना जैसे अमानवीय व्यवहार का महिलाओं को आज भी सामना करना पड़ता है।³ इन परिस्थितियों में बिहार में महिला सशक्तीकरण एक कल्पना मात्र है।

बिहार राज्य की अनुमानित जनसंख्या (2022 के अनुसार) 12.90 करोड़ है। जनसंख्या गणना 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 10.41 करोड़ थी, जिसमें 5.42 करोड़ पुरुष एवं महिला 4.98 करोड़ थी। वर्तमान समय में बिहार राज्य में कुल 38 जिले हैं प्रगति एवं विकास की दूर से पटना प्रथम स्थान है। बिहार में सर्वे जुलाई 2020-जून 2021 के अनुसार राज्य में कामकाजी महिलाओं का अनुपात बहुत कम है जिसका प्रमुख कारण बिहार में महिलाओं की साक्षरता दर है। राज्य में केवल 27.8 प्रतिशत महिलाएँ 8-10 बी पास हैं। जो राष्ट्रीय औसत 40.7 प्रतिशत से बहुत कम है।

बिहार में पुरुषों की साक्षरता दर 70.32 महिला की 53.57 प्रतिशत है जो कि राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है।

1. बिहार का सर्वाधिक साक्षर जिला रोहतास (पुरुष एवं महिला दोनों) है और कम साक्षर जिला पूर्णिया है।
2. न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला – ‘सहरसा’ – 42.73 प्रतिशत है।
3. न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला – कटिहार – 60.99 प्रतिशत है।
4. बिहार का सबसे गरीब जिला – शिवहर है जहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद 0.19 है।
5. राज्य का सबसे अमीर जिला – पटना है, जहाँ पर प्रति व्यक्ति आय 131.100 रुपये है। क्षेत्रफल – 3200 वर्ग किमी० है, जनसंख्या 58.38 लाख है। (20 जून 2022 के आंकड़ों के आधार पर)

बिहार में महिलाओं की समस्याएँ : प्रकृति की खूबसूरत कृति, प्रगति का आधार, जीवन की संरचना का मूल तत्व ‘नारी’ ही है जिसने हर क्षेत्र में लोहा मनवाया है।

1. **महिलाओं की साक्षरता दर में अंतर :** राज्य में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर में अंतर है, शिक्षा के अंतर के कारण उन्हें कार्य नहीं मिल पाता है।
2. **कन्या भ्रूण हत्या :** वंशवाद के सिद्धान्त जिसमें बेटा ही वारिश की मान्यता है। इस अवस्था में कन्या भ्रूण हत्या के आंकड़े प्राप्त होता है जो सामाजिक असमानता का प्रमुख कारण भी है।
3. **दहेज :** समाज में व्याप्त कुप्रथा दहेज एक अभिशाप की तरह है जिसका महिला को अपने जीवन में सामना करना पड़ता है। बिहार में दहेज के मामले ज्यादा देखने को मिलते हैं।

4. **बाल विवाह** : बाल विवाह कुप्रथा से भी बिहार का समाज लिप्त है। बिना शारीरिक विकास के लड़कियों की शादी कर दी जाती है जिसका प्रभाव मानसिक स्तर पर पड़ता है।
5. **सुरक्षा संबंधी चिंता** : महिलाओं में संबंधित सबसे अधिक मामले जैसे घरेलू हिंसा, बलात्कार, तस्करी, जबरन वेश्यावृत्ति, ऑनर किलिंग, यौन उत्पीड़न, मासिक कार्य उपलब्ध, आदि प्रमुख चिंता का विषय है, जो महिलाओं के विकास के लिए बाधित है।
6. **स्वास्थ्य** : महिलाओं के विकास के लिए स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण कारक है। स्वस्थ महिला ही स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकती है।

उद्देश्य : वर्तमान बिहार में महिलाओं की स्थिति ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ प्रमाणिकता से किया गया है। वर्तमान देश व राज्य की प्रगति के लिए महिलाओं के महत्व की विवेचना की गई है। वर्तमान बिहार में महिला सशक्तीकरण का समाज पर बड़े प्रभावों का वर्णन और महिलाओं के सर्वांगीण विकास में अवरोध उत्पन्न करने वाली समस्याओं का अध्ययन किया गया है। महिला को दिया जाने वाला सम्मान ही सर्वश्रेष्ठ उपहार है।

सुकरात — यदि महिलाओं के पुरुषों के समान अधिकार, कर्तव्य है, तो उनका जीवनयापन व शैक्षिक उन्नति भी समाज होनी चाहिए। महिलाओं को जिम्नास्टिक, संगीत और युद्ध कला भी सिखाई जानी चाहिए।

आंकड़ों का संकलन, डायरी, समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, विभिन्न वेबसाइट, पुस्तकों के माध्यम से किया गया है। अध्ययन की प्रकृति वर्णनात्मक है।

महिला सशक्तीकरण : “नारीवाद” शब्द बिना ‘महिला सशक्तीकरण’ के पूर्ण नहीं होता है। महिला सशक्तीकरण के बगैर, देश, राष्ट्र, विश्व, समाज, परिवार का सम्पूर्ण विकास असंभव है।⁴ महिलाओं को चाहिए कि वे समाज में व्याप्त कुरीतियों से बाहर निकलकर अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़नी होगी। सम्पूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 08 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। जिसका प्रमुख उद्देश्य महिलाओं के प्रति आदर, सम्मान और उनकी चहुँमुखी प्रगति के लिए कार्य करना है।⁵

देश के अन्य महिलाओं को सहभागिता के रूप में, सामाजिक कार्यकर्ता सिन्धुताई सपकाल, पर्यावरणविद तुलसी गौड़ा, सुरक्षा क्षेत्र में अवनी चतुर्वेदी, मैरीकाम पी0वी0 सिन्धु (खेलजगत), अंतर्राष्ट्रीय संगठन—गीता गोपीनाथ (IMF) शंकुतला देवी आदि हैं। जिनसे प्रभावित होकर बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की महिलाएँ अपने उत्थान के मार्ग को प्रशस्त कर सकती हैं। अपने अधिकारों की रक्षा करके जीवन-स्तर को उच्च आदर्शों में डालकर समाज के विकास में सहभागिता निभाए, ऐसी आशा है।

बिहार में महिला सशक्तीकरण के प्रमुख उदाहरण निम्न हैं —

7. **पहली महिला लोकसभा स्पीकर**— मीरा कुमार
8. **एवरेस्ट विजेता** — निरुपमा राय
9. **फ़ाइटर जेट पायलट** — भावना कंठ
10. **लोक गायिका** — शारदा सिन्हा, मैथिली ठाकुर आदि महिलाओं से प्रेरणा लेकर महिलाओं के अपने प्रगति के मार्ग प्रशस्त करना चाहिए।

महिला सशक्तीकरण से सम्बन्धित केन्द्र एवं राज्य द्वारा किये गये प्रयास : बिहार में केन्द्र सरकार के सहयोग से निम्नलिखित प्रयास किये जा रहे हैं, जिनसे महिलाओं का विकास हो सके⁶ — 1. बेंटी बचाओ, बेंटी पढ़ाओ योजना 2. उज्ज्वला योजना 3. स्वाधार ग्रह 4. प्रधानमंत्री मातृ बंदन योजना 5. ई-श्रम पोर्टल 6. महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना 7. प्रधानमंत्री जनधन योजना आदि हैं।

ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति व भागीदारी में ग्रामीण व्यवस्था मशीनीकरण, आंकड़ों की अपूर्ण प्रस्तुति, वेतन, समता का अभाव, शिक्षा की कमी, मनरेगा की सीमितता, पौष्टिक आहार की कमी, आर्थिक बाधाएँ आदि प्रमुख कारण रहे हैं जिससे निचले व क्षेत्रीय स्तर पर महिलाओं के सर्वांगीण विकास के द्योतक है। इसके लिए मुख्य रूप से सर्वेक्षण का आयोजन, प्रौढ़ शिक्षा एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य आदि प्रमुख तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए।

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।

यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः॥⁷ (मनुस्मृति अध्याय 3, श्लोक 56)

भावार्थ : इसका अर्थ यह है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती है वहाँ समस्त (अच्छी से अच्छी) क्रियाएँ (कर्म) निष्फल हो जाती हैं।

निष्कर्ष : वर्तमान समय में जब तक महिला श्रम को सकारात्मक ओर केन्द्रित समर्थन नहीं दिया जाता है, तब तक सिर्फ साक्षरता दर के लाभकारी रोजगार में परिवर्तन होने की सम्भावना नहीं है। भारत के प्रत्येक नागरिक को महिलाओं के लिए सामाजिक आर्थिक समर्थन, प्रासंगिक कौशल, स्थायी रोजगार, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए एक सुलभ प्रवेश द्वार बनाना चाहिए और भारत के सर्वांगीण विकास में सक्रिय रूप से योगदान देने वाली महिलाओं पर केन्द्रित उच्च क्षमता के साथ पहल होनी चाहिए महिलाओं के आत्मनिर्भर एवं सशक्तीकरण वास्तविक वित्तीय और सामाजिक समावेशन के लिए कई पहलुओं पर मजबूत प्रयासों की आवश्यकता है।

सन्दर्भ :

1. कुमार, कमलेश; भारत की आदिवासी महिलाएँ, कुरुक्षेत्र 23 मार्च 2007
2. पाण्डेय, प्रबंधक, 2013, भारतीय समाज में प्रतिरोध की परम्परा, नई दिल्ली
3. मेनन, इन्दु, एम. (1989), भारत के मुस्लिम महिलाओं की स्थिति, केरल का एक केस स्टडी, उप्पल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली
4. नंदा, बी0आर0, (1976), भारतीय महिलाएँ पढ़ें से लेकर आधुनिकता तक, विकास प्रकाश, नई दिल्ली
5. 'इतिहास में महिलाएँ' महिलाओं के लिए राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र http://nrcw.nic.in/index_2.asp?sublinked.450.2006.12.24 को प्राप्त
6. सरवन, कुमार, ए0आर0, (2017), मानवाधिकार और मौलिक अधिकारों के बीच, मानव अधिकार शिक्षा पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में (एपिक 2016) इतिहास और डी0डी0ई0 विभाग, अलगप्पा विश्वविद्यालय में आयोजित
7. मनुस्मृति, अध्याय 3, श्लोक 56

ग्रामीण क्षेत्र में दलित महिला नेतृत्व एवं चुनौतियां : एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण

अंशू पाण्डेय*

*शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग, ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ०प्र०

सारांश : भारतीय समाज में दलित महिलाएं प्राचीन काल से ही उपेक्षा की शिकार रही हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व एवं पश्चात् दलित महिलाओं ने कई आंदोलनों का कुशल नेतृत्व किया है। जिसमें उन्हें सफलता मिली परंतु कुछ स्थितियां ऐसी हुई जिससे दलित महिलाओं को नेतृत्व करने का अवसर नहीं मिल पाया जो अन्य वर्ग की महिलाओं को प्राप्त हुआ है। जिसका प्रमुख कारण लैंगिक असमानता, आर्थिक पराश्रितता, एवं राजनैतिक पिछड़ापन आदि। समाज में व्याप्त जातिवाद, बेरोजगारी, अन्याय एवं पितृसत्ता की सामूहिक शक्तियों ने उनके जीवन को नर्क बना दिया है। वर्तमान समय में पंचायत में अनुसूचित जाति की महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण देने के बाद भी अशिक्षा एवं जागरूकता के अभाव के कारण पंचायत में महिलाएं अपने अधिकारों एवं शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पा रही हैं। शिक्षा एवं जागरूकता के अभाव में वे अपने अधिकारों के प्रति मौन हैं। भारतीय संविधान में दलित महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान होने के बाद भी महिलाओं को नेतृत्व से संबंधित अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जिसके कारण आज भी भारत का एक बड़ा तबका विकास की मुख्यधारा से पीछे है। प्रस्तुत शोध पत्र दलित महिलाओं के नेतृत्व एवं चुनौतियों पर प्रकाश डालता है।

मुख्य शब्द : दलित महिला, नेतृत्व, चुनौतियां, पंचायत, आरक्षण, अधिकार आदि।

भूमिका : भारत में दलित महिलाएं संसाधनों के वितरण के मामले में सबसे निचले पायदान पर हैं अर्थात् उपलब्ध संसाधनों में से उन्हें उनका हिस्सा नहीं मिल पाता है। इस कारण वे विकास की दौड़ में वह हाशिए पर हैं। भारत में 16.6 प्रतिशत दलित हैं। लगभग 75% दलित गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। अधिकांश दलित गांवों में रहते हैं। प्राचीन समय से सामाजिक भेदभाव, शैक्षिक पिछड़ापन, आर्थिक अभाव के कारण महिलाएं अत्यधिक शोषित हुई हैं।

दलित महिलाओं के प्रमुख मुद्दों में अस्पृश्यता, जाति भेदभाव, अंतरजातीय विवाह का तनाव, आर्थिक पिछड़ापन, अज्ञानता, गरीबी, बेरोजगारी आदि शामिल हैं। दलित महिलाओं का शैक्षिक विकास भी अत्यंत कम हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति में महिलाओं की साक्षरता केवल 56.5 फीसदी है।¹ जोकि बहुत कम है दलित महिलाएं नेतृत्व में इसलिए पीछे हैं क्योंकि घर की जिम्मेदारियों के कारण लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता इसलिए लड़कियों के लिए जेंडर भेदभाव बहुत कम उम्र से ही शुरू हो जाता है। इसके अलावा पढ़ने की उम्र में इनकी शादी हो जाती है। पुरुष प्रधान समाज होने के कारण इन्हें आगे नहीं आने दिया जाता है जिससे इनका विकास नहीं हो पाता है।

दलित महिलाओं के लिए कार्य करने वाली रुथ मनोरमा का कहना है कि दलित महिलाओं को जेंडर, वर्ग, जाति का तिगुना बोझ सहना पड़ता है।² दलित महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय है दलित महिला की समस्या अन्य वर्ग की महिलाओं से अलग है क्योंकि आज भी शिक्षा एवं संसाधन के मामले में बहुत पीछे हैं। समाज में निम्न स्थिति एवं जागरूकता न होने की वजह से इनका घर तथा बाहर दोनों जगह शोषण किया जाता है।

मोहनदास, नैमिशराय (2002), 'दोनों गालों पर थप्पड़' / दलित महिलाएं दुहरा शोषण, दुहरा संघर्ष, नामक लेख में दलित महिलाओं के दोहरा शोषण के बारे में लिखा गया है कि किस तरह दलित महिलाओं की त्रासदी यह है कि उन्हें एक गाल पर ब्राह्मणवाद का तो दूसरे गाल पर पितृसत्ता का थप्पड़ खाना पड़ता है।³

दलित महिला सदा से ही शोषण उत्पीड़न एवं अन्याय का सामना कर रही हैं। दलित महिलाएं घृणा की पात्र बनी हुई हैं। जिससे उनके मन में स्वयं के प्रति घृणा हो रही है।

“ना दे बाबा आदमीपन

अउर बना कछु जात र”⁴

उपर्युक्त पक्तियां दलित महिलाओं की दयनीय स्थिति को दर्शाती हैं। भारतीय राजनीति में शुरू से ही दलित महिलाओं की राजनीति भागीदारी पुरुषों की अपेक्षा कम रही है सदियों से समाज में निम्न स्थिति पर होने से आज भी इनकी स्थिति निम्न है। जिसका प्रमुख कारण महिलाओं की कमजोर आर्थिक एवं शैक्षिक स्थितियां हैं। ग्रामीण समाज में व्याप्त गरीबी के कारण स्थिति और भी खराब है ऐसा नहीं है कि इस वर्ग में योग्य एवं प्रबुद्ध महिलाओं की कमी है कुछ शिक्षित एवं जुझारू महिलाओं ने राजनीति में अपना सहयोग दिया है। जैसे झलकारी देवी, उदा देवी, हेलेना लेपचा, पुतलिमया देवी पोद्दार एवं सुश्री मायावती।

संविधान में दलित महिलाओं को भले ही संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं जैसे— धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव ना किया जाए तथा समान अवसर उपलब्ध कराने के की बात कहीं गई है। छुआछूत को भी कानूनी रूप से समाप्त कर दिया है। तमाम कानून बनने के पश्चात् भी जातिगत विषमता समाप्त नहीं हो पाई है, आज भी जाति प्रथा की बुराई को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया जा सका।

समाज में प्राचीन काल से दलित जाति को उपेक्षित एवं घृणित माना गया। सामाजिक संरचना एवं प्राचीन मान्यताओं के कारण उन्हें हेय दृष्टि से देखा गया जिसके कारण उन्हें संघर्ष पूर्ण जिंदगी जीने हेतु बाध्य होना पड़ा। शिक्षा, समानता एवं अच्छे स्वास्थ्य से दलित महिलाएं वंचित रही जिसका बुरा प्रभाव उनके सामाजिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ा। महिलाओं के इन्हीं समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् महिला उत्थान हेतु संविधान में कई सारे प्रावधान किए गए ताकि ये भी शैक्षिक, आर्थिक एवं राजनैतिक रूप से सशक्त हो सकें। समाज में व्याप्त असमानता को समाप्त किया जा सके तथा महिलाओं में भी कुशल नेतृत्व का विकास हो सके।

उद्देश्य :

1. दलित महिला नेतृत्व हेतु सरकार की भूमिका का अध्ययन करना।

2. दलित महिला नेतृत्व के समक्ष आने वाली चुनौतियों का अध्ययन करना।

शोध पद्धति : प्रस्तुत शोध पत्र विषय में तथ्यों के संकलन एवं विश्लेषण हेतु द्वितीयक स्रोतों के रूप में विभिन्न पुस्तकों शोध प्रबंधों शोध पत्रों लेखों एवं ऑनलाइन आदि का प्रयोग किया गया है। शोध पत्र में मुख्यतः ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक एवं वर्णनात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है।

दलित महिला नेतृत्व हेतु सरकार की भूमिका : किसी भी वर्ग को कुशल नेतृत्व संचालन हेतु कुछ अधिकारों की आवश्यकता होती है खासकर उस वर्ग के लिए जो सदा से ही छुआछूत असमानता एवं शोषण का शिकार रहा है। भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता हेतु कई प्रावधान किए गए हैं—

1. **अनुच्छेद 15(4) :** अनुसूचित जाति की उन्नति के लिए विशेष प्रावधानों को इंगित करता है।
2. **अनुच्छेद 16(43) :** यदि राज्य के तहत प्रदत्त सीमाओं में अनुसूचित जाति का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो, पदोन्नति के मामले में यह भी वर्ग या पदों हेतु आरक्षण का प्रावधान करता है।
3. **अनुच्छेद 17 :** अस्पृश्यता को कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया है।
4. **अनुच्छेद 46 :** अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा कमजोर वर्गों के आर्थिक व शैक्षणिक हितों को प्रोत्साहित और सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा प्रदान करता है।
5. **अनुच्छेद 330 और 332 :** लोकसभा एवं राज्यसभा की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों को आरक्षित करता है।⁵
6. **73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अधिनियम (1992) :** अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय चुनाव में एक तिहाई आरक्षण प्रदान करता है।

1957 में बी0 आर0 मेहता समिति का गठन किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से बढ़ावा देना था। यह अधिनियम महिलाओं के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। इसमें दलित महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की गई है। अधिकांश राज्यों में तो 50 प्रतिशत सीट आरक्षित है। इस अधिनियम के सकारात्मक परिणाम हुए पंचायतों में महिला प्रतिनिधियों की संख्या में इजाफा हुआ ग्राम प्रधान से लेकर जिला पंचायत तक महिलाओं की संख्या लाखों में है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि पारंपरिक पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी किंतु देखा जाए तो केवल संख्या में ही इनकी भागीदारी बढ़ी है वास्तविक रूप से वे आज भी पुरुषों के बल पर कुर्सी पर काबिज हैं और उन्हें उन्हीं के दिशा-निर्देशों पर चलने के लिए बाध्य होती हैं। इस तरह से वह मात्र एक कठपुतली बनकर रह जाती हैं। अशिक्षा और राजनीति निष्क्रियता इसका प्रमुख कारण है, इनकी स्थिति कुछ इस तरह है कि अगर दलित महिला उम्मीदवार चुनाव में जीत भी जाती हैं तो भी उनको घर की दहलीज लाघने की इजाजत नहीं मिलती। वह चुनाव जीत कर भी घर की चार दिवारी के भीतर तक ही सीमित रहती हैं। वह केवल रजिस्टर पर अंगूठा लगाने का ही काम करती हैं बाकी सभी काम उनके घर के पुरुषों के अधीन रहता है।

पिछले पंचायती चुनाव के बाद एक गैर सरकारी संगठन ने राज्य सरकार की एक एजेंसी से मिलकर उत्तर प्रदेश में एक सर्वेक्षण किया सर्वेक्षण के नतीजे चौंकाने वाले थे। सर्वेक्षण के मुताबिक उत्तर प्रदेश के पंचायती चुनाव में आरक्षण का लाभ लेकर 80% से भी अधिक महिलाएं जीतकर पंचायतों में आती। जिन्हें रबड़ स्टैंप के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता था। इसलिए दलित महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार को और भी प्रयास करना चाहिए।⁶

दलित महिला नेतृत्व से संबंधित चुनौतियाँ : स्त्रियों में रचनात्मक शक्ति सबसे अधिक होती है। वह दया, शील, करुणा की मूर्ति होती हैं। महिलाओं में कुशल नेतृत्व क्षमता भी अधिक होती है, जिसका अगर सदुपयोग किया जाए तो भारतीय राजनीति को एक सकारात्मक दिशा मिल सकती है। पंचायती राज के द्वारा दलित महिलाओं को नेतृत्व करने का संवैधानिक अधिकार तो मिला किंतु वास्तविक रूप से अभी भी उनके नेतृत्व संचालन में कई सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। ग्रामीण क्षेत्र की दलित महिलाओं को निम्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है—

1. दलित महिलाओं को राजनीति रूप से सशक्त बनाने में निरक्षरता प्रमुख बाधा है।
2. दलित महिलाओं को चुनाव या मतदान के बारे में बहुत कम जानकारी होती है।
3. दलित महिलाओं को चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक दलों से वित्तीय सहायता भी नहीं मिलती है।
4. दलित महिलाओं के लिए सामाजिक-सांस्कृतिक मानदंड उनके नेतृत्व में मुख्य बाधा है।
5. भारतीय राजनीतिक दलों का माहौल कुछ इस तरह है कि वह महिलाओं के लिए अनुकूल नहीं है उन्हें राजनीति में प्रवेश करने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है।
6. दलित महिलाओं में जागरूकता का अभाव भी उन्हें राजनीतिक रूप से सशक्त करने में प्रमुख बाधा है।
7. शिक्षा, संसाधन, पक्षपात आदि दलित महिला नेताओं के लिए बहुत बड़ी चुनौती है।
8. दलित महिलाओं के ऊपर घर का काम ज्यादा होता है जिसकी वजह से वह राजनीतिक कार्यों के लिए बहुत कम समय निकाल पाती है।
9. भारतीय समाज का पितृसत्तात्मक होना भी महिलाओं के लिए चुनौती है क्योंकि महिला कोई भी निर्णय स्वयं से नहीं ले पाती हैं।

सुझाव : राजनीति में दलित महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय है जबकि सवर्ण जाति की महिलाओं की स्थिति काफी बेहतर है। महिलाओं की सत्ता में भागीदारी दलित महिलाओं की अपेक्षा अधिक है। जैसे सपना स्वराज, मेनका गांधी, प्रियंका गांधी, उमा भारती, शीला दीक्षित, सोनिया गांधी इत्यादि हैं। जिनका राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण नाम है वहीं पर दलित महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बहुत कम है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात केवल एक ही दलित महिला मुख्यमंत्री पद का नेतृत्व किया।

पंचायतों में भी महिलाओं को आरक्षण सन 1992 में किए गए संविधान संशोधन के जरिए दिया गया है। आज इस अधिनियम को पारित हुए एक लंबा वक्त बीत चुका है पर वास्तविक रूप से देखा जाए तो महिलाओं की स्थिति जस की तस है इसलिए सरकार को चाहिए कि वह अधिकारों का बंटवारा समान स्तर पर करें महिलाओं को शिक्षित एवं जागरूक करें ताकि वह अपने अधिकारों के बारे में जान सकें। महिलाओं से संबंधित समस्याओं का समाधान तुरंत हो छात्राओं को कॉलेज से ही छात्र

राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने एवं राजनीतिक कार्यक्रमों में बेहतर हिस्सेदारी सुनिश्चित करें। संसद में महिला सदस्य मात्र 13% ही हैं। जोकि बहुत कम हैं संसद व राज्य विधानमंडल में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान करने पर गंभीरता से विचार किया जाए ताकि सही मायनों में लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित किया जा सके।

निष्कर्ष : पंचायती राज अधिनियम में हर वर्ग की महिलाओं को आरक्षण देकर उन्हें ग्रामीण विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया गया है। यदि समाज में महिलाओं को पंचायतों के विशेष प्रावधानों के बारे में जागरूक किया जाए तो वह भी विकास के सारे कार्यक्रमों में चाहे वह नेतृत्व से संबंधित हो व स्वरोजगार से संबंधित हो सभी में महिलाओं की अधिकाधिक भागीदारी होगी। इस प्रकार विकास के कार्यक्रम में महिलाओं की अधिक भागीदारी व नेतृत्व से आगे चलकर विधायिका में भी आरक्षण की मांग करने में वह सफल रहेंगी। अगर महिलाओं को विधायिका में आरक्षण दिया जाए तो वह निस्संदेह भारतीय को एक नई दिशा दे सकती हैं। ऐसा नहीं है कि महिलाओं में कुशल नेतृत्व क्षमता नहीं है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भूमिका रही राजनीति में महिलाओं की बराबर की हिस्सेदारी होने से महिला संबंधी कानूनों में स्वस्थ बहस के माध्यम से सुधार की संभावना होगी। पेयजल की उपलब्धता, स्वच्छता, शौचालयों का निर्माण आदि समस्याओं का समाधान होगा। समाज में व्याप्त महिलाओं के प्रति कुरीतियों का अंत होगा तथा महिलाओं को कोई भी निर्णय लेने के लिए पहले से किसी पुरुष पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में भ्रष्टाचार की भी संभावना अत्यंत कम होती है। अतः एक आदर्श एवं विकसित समाज का निर्माण तभी संभव है जब महिलाएं पूर्ण रूप से शिक्षित एवं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगी।

“अहा! कितनी आजाद हूं मैं!
कितनी अनोखी है आजादी !
तीन तुच्छ वस्तुओं से मुक्त
मुक्त खली मसूर और अपने मालिक से
पुनर्जन्म और मृत्यु से मुक्त हूं मैं
जिस समाज ने दबाए रखा मुझे
वह सब अब दूर फेंका जा चुका है।”⁷

सन्दर्भ :

1. भारत की जनगणना 2011
2. परमार, शुभा, (2015), 'नारीवादी सिद्धांत एवं व्यवहार और व्यवहार', ओरियंट ब्लैकस्वान प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद (तेलंगाना), पृ0 148
3. नैमिशराय, मोहनदास, (2002), 'दोनों गालों पर थप्पड़ दलित महिलाएं दोहरा शासन दोहरा संघर्ष' 'आधुनिकता के आईने में दलित', वाणी प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली
4. विक्रम, एस0, (2010), 'दलित महिलाएं : इतिहास वर्तमान और भविष्य', श्री नटराजन प्रकाशन, दरियागंज, नई दिल्ली, पृ0 82
5. सिंह, मीनाक्षी, (2009), 'भारत में दलित विकास', ओमेगा पब्लिकेशन, दरियागंज, नई दिल्ली पृ0 155
6. सिंह, मीनाक्षी, (2009), 'भारत में दलित विकास', ओमेगा पब्लिकेशन, दरियागंज, नई दिल्ली, पृ0 261
7. विक्रम, एस (2010), 'दलित महिलाएं : इतिहास वर्तमान और भविष्य', श्री नटराजन प्रकाशन, दरियागंज, नई दिल्ली, पृ0 82

महात्मा गाँधी की 'स्वराज' की अवधारण

प्रवीण कुमार तिवारी*

*शोध छात्र, इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, डॉ० रा०म०लो० अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या, उ०प्र०

सारांश : सहस्राब्दी पुरुष से विभूषित महात्मा गांधी ने मानव मात्र की स्वतंत्रता पर विचार किया है उनके स्वराज की अवधारणा दूसरों से बिलकुल भिन्न है। उन्होंने जीवन जीने के जो सिद्धान्त धारण किये, उन्हें आचरण में भी उतारा। गांधी जी की विचारधारा देश के प्रति हमेशा सकारात्मक रही। उन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि प्रदान की गयी। गांधी जी ने 'हिन्द स्वराज' में मूल रूप से स्वराज की विचारधारा को प्रतिपादित किया। उनकी स्वराज की विचारधारा स्वराज की परिधर्मी विचारधारा से सर्वथा भिन्न थी। स्वराज का तात्पर्य जनता के शासन से है या राजनीतिक स्वतंत्रता से है, परन्तु उसकी विचारधारा इससे कहीं अधिक विस्तृत है। प्रस्तुत शोध पत्र में महात्मा गांधी की स्वराज की अवधारणा पर विचार किया गया है।

मुख्य शब्द : स्वराज, सत्याग्रह, अहिंसा, आध्यात्मिक जीवन, सांस्कृतिक परम्परा आदि।

स्वराज का तात्पर्य : स्वराज का तात्पर्य 'आत्म शासन तथा आत्म-संयम' से है। स्वराज में मुख्य चार स्तम्भ हैं। अस्पृश्यता का निवारण, खदर का निर्माण हिंदू, मुस्लिम एकता तथा अहिंसा का प्रतिपादन। अब हम स्वराज के सामान्य रूप से उल्लेखनीय विस्तार की ओर चलते हैं। एक आदर्श के रूप में वह एक वर्गविहीन तथा राज्य विहीन समाज की समस्या करना चाहता है। यह राज्य स्वचालित ज्ञान सम्पन्न अराजकता का राज्य है। यहां पर अराजकतावादी प्रतीत होता है। स्वतंत्रता का मूल्य समानता तथा अहिंसा का मूल्य, राज्य प्रेम शक्ति पर आधारित होगा तथा वहां पर शक्ति का दुरुपयोग नहीं होगा। राज्य स्वयं में ही कोई अन्त या लक्ष्य नहीं है, बल्कि सर्वोदय प्राप्त करने का एक साधन मात्र है।

गांधी जी ने किसी नवीन विचारधारा का जीवन दर्शन या तत्त्वदर्शन का प्रतिपादन नहीं किया। गांधीवाद वस्तुतः भारत की उस भाषा परक आध्यात्मिक जीवन दृष्टि तथा सांस्कृतिक परम्परा का आधुनिक परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्द्धित एवं संशोधित संस्करण है, जो शताब्दियों से सत्य, अहिंसा, सेवा प्रेम त्याग, सहिष्णुता, अस्तेय, अपरिग्रह, आत्मसंयम आदि नैतिक मूल्यों को भौतिक जीवन मानो की अपेक्षा अधिक काव्य और वरेण्य मानती है।

महात्मा गांधी स्वयं स्वीकार करते हैं कि सत्याग्रह का सिद्धान्त अपने मूल रूप में अत्यंत प्राचीन है। गांधी मानव सभ्यता के आधार पर वह यह इतिहास आज भी सत्य, अहिंसा, पर जोर देते हैं। नैतिक नियमों के आधार पर विविध सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक प्रवृत्ति समस्याओं का इतनी व्यापक स्तर पर व्याख्यान विश्लेषण करते हैं।

गांधीवाद का चिंतन पक्ष : मूल सिद्धान्त :

1. **सत्य :** सत्य गांधीवादी विचारधारा की आधारशिला है, जिसे गोपनीय धावन गांधी जी के जीवन और दर्शन का ध्रुवतारा कहते हैं। गांधी जी का सत्य केवल सत्यमात्र का भाषण नहीं अपितु एक जीवन व्यापी सिद्धान्त है जिसका अर्थ है—'वाणी ही नहीं विचार और आचरण द्वारा भी सत्य की साधना पर गांधी के 'सत्य-दर्शन' की सीमाएं सत्य भाषण, सत्य-आचरण तथा सत्य-विचार तक ही सीमित नहीं है। 'सत्य' उनका अंतिम साध्य भी है। गांधी जी का दृढ़ विश्वास था कि केवल सत्य की ही विजय हो सकती है। असत्य की नहीं। असत्य के मार्ग पर चलते हुए सफलता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। क्योंकि 'सत्य' का अर्थ है 'अस्तित्व' अर्थात् जो है और असत्य का अर्थ है अनस्तित्व अर्थात् जो नहीं है।
2. **अहिंसा :** गांधी जी की अहिंसा को प्रायः हिंसा का अभाव मात्र मान लिया जाता है पर वास्तव में वह एक भावात्मक प्रक्रिया और शक्ति है, जो हमें प्राणी मात्र से प्रेम करने के लिए प्रेरित करती है। गांधी-दर्शन में अहिंसा प्रेम वस्तुतः एक ही अर्थ के द्योतक है। गांधी की अहिंसा का साधक अपने से हर प्राणियों को किसी प्रकार का कष्ट या हानि न पहुंचाना ही काफी नहीं समझता और न वह चींटियों को आटा डालकर ही संतुष्ट हो जाता है। गांधी जी की अहिंसा को कायरता के साथ समीकृत नहीं किया जाना चाहिए। कायरता और अहिंसा में उतना ही अंतर है जितना दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव में अथवा आग और पानी में। महात्मा गांधी का विश्वास था कि हिंसक मनुष्य तो फिर भी किसी दिन अहिंसक बन सकता है, पर कायर कभी नहीं। वे मानते थे कि अहिंसा वीरों का धर्म है कायरों का नहीं। सन् 1920 में उन्होंने यह घोषित कर दिया था कि कायरता और हिंसा में से एक को चुनना हो तब उन्होंने हिंसा को स्वीकार किया था।
3. **सत्याग्रह :** साध्य (सत्य) और साधन (अहिंसा) पर विचार करने के उपरान्त गांधीवाद का अगला चरण स्वभावतः उसके कर्म पद (सत्याग्रह) है। सत्य पर आग्रह पूर्वक आचरण तथा अधर्म का सत्यादि साधनों द्वारा आग्रहपूर्वक विरोध ही सत्याग्रह है। प्रेम और अहिंसा सपर आधूत होने के कारण 'सत्याग्रह' में अविनय है। नहीं है क्योंकि अविनय के निश्चित है। सत्याग्रही का आग्रह अर्थात् उसके द्वारा अत्याचारी का विरोध उसकी सत्यनिष्ठा को प्रेरित होता है। किसी व्यक्तिगत द्वेष भावना से नहीं। सत्याग्रह में साध्य के साथ साधनों की नैतिकता भी आवश्यक है। सच तो यह है कि साधन और साध्य की एकता ही गांधी के जीवन-दर्शन की धूरी है। गांधी जी कहा करते थे कि साधन और साध्य में वही धनिष्ठ संबंध है।

गांधी जीवन का व्यावहारिक पक्ष : गांधीवाद केवल सैद्धान्तिक दर्शन ही नहीं है। यह सत्य, अहिंसावादी सैद्धान्तिक प्रश्नों पर ही विचार नहीं करता, हमारे दैनिक जीवन की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक प्रभृति विषम समस्याओं का हल भी सुझाता है। एक सम्पूर्ण जीवन दर्शन होने के कारण असमं जीवन के सभी पक्षों का समाधान है। गांधी जी की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि सभी मान्यताएं स्वदेशी के सिद्धान्त से अनुप्राणित हैं।

गांधी जी के मतानुसार जैसे-तैसे सूत कातने या खादी पहनने-पहनाने से ही स्वदेशी धर्म का पूर्ण पालन नहीं हो जाता। स्वदेशी का अर्थ होता है निकटतम पड़ोसी की सेवा करना। स्वधर्म के पालन से परधर्म को या परधर्म को कभी हानि पहुंच ही नहीं सकती, न पहुंचनी चाहिए। स्वदेश का हुए बिना कोई भी व्यक्ति विश्व का नहीं हो सकता। गांधी जी का स्वदेश प्रेम का ही एक अंग है उनकी देश सेवा तथा विश्व सेवा में मूलतः कोई प्रतिद्वंद्वता नहीं है।

गांधी जी इस बात को स्वीकार करते हैं कि राजनैतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है जब तक आर्थिक स्वतंत्रता की प्राप्ति न हो। उनके विचार में, स्वराज का तात्पर्य सुविधा पूर्वक भोजन तथा कपड़े को उपलब्धि होनी चाहिए ताकि कोई उनके अभाव में भूखा तथा नंगा न रह सके। वह समानता के आधारभूत मूल्यों में विश्वास करते थे। इस प्रकार, सामाजिकता से उत्पन्न धन को समान रूप से विभाजन करना चाहिए, ताकि प्रत्येक को समान रूप से कपड़ा तथा भोजन प्राप्त हो सके तथा प्रत्येक को पर्याप्त रोजगार प्राप्त हो सके। 'स्वराज' का केन्द्र बिन्दु स्वदेशी है। जिसका तात्पर्य आत्म सक्षमता से है। राष्ट्र के लोगों का यही उद्देश्य होना चाहिए। यह स्वदेशी विचारधारा का ही प्रभाव था जिसने गांधी जी के विचारों में परिवर्तन ला दिया। 1916 के वर्ष में हम उनको पूर्ण 'आत्म-सक्षमता' की वकालत या समर्थन करते पाते हैं। स्वदेशी के नाम पर 1916 में मिशनरी कांग्रेस के समक्ष उन्होंने एक सम्भाषण प्रस्तुत किया, जहां पर वे आत्म-सक्षमता प्राप्त करने की दृष्टि से पृथक्करण का समर्थन करते नजर आते हैं। 1918 में अपने द्वारा लिखित पुस्तक 'हिन्द स्वराज' में गांधी ने मूल रूप से स्वराज की विचारधारा को प्रतिपादित किया।

गांधी जी ने वर्तमान समान व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थे। उनका अट्ठारह सूत्री रचनात्मक कार्यक्रम इस तथ्य का स्पष्ट सूचक है कि वे समाज व्यवस्था में पूर्ण सुधार तथा उसका पुनः निर्माण करने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, हालांकि उनकी इस उत्सुकता की अपनी सीमाएं थी।

गांधी जी अट्ठारह रचनात्मक कार्यक्रम को सत्याग्रह की लड़ाई का एक आवश्यक अंग मानते हैं। सत्याग्रही के लिए रत्नात्मक कार्यक्रम का उतना ही महत्व है जितना एक सैनिक के लिए कवायद तथा अस्त्र-शस्त्र सीखने का।

गांधी जी का अट्ठारह सूत्री कार्यक्रम : 1. सांप्रदायिक एकता, 2. अस्पृश्यता निवारण, 3. मद्यपान निशेध, 4. खादी, 5. दूसरे ग्रामोद्योग, 6. गांवों की सफाई 7. नई या बुनियादी तालिम, 8. प्रौढ़ शिक्षा 9. स्त्रियों की उन्नति 10. स्वास्थ्य और सफाई की शिक्षा, 11. मातृभाषा प्रेम, 12. राष्ट्रभाषा प्रेम, 13. आर्थिक समानता 14.15.16. किसानों, मजदूरों, और विद्यार्थी....., 17. आदिवासियों की सेवा, 18. गांधी के आर्थिक दृष्टिकोण को खादी तथा दूसरे ग्रामोद्योगों के विकास एवं आर्थिक समानता के सिद्धान्तों से हुआ है।

गांधी जी भारत की दरिद्रता और बेकारी का उन्मूलन खादी तथा दूसरे ग्रामोद्योगों के पुनरुद्धार द्वारा करना चाहते थे। वे बड़ी-बड़ी मशीनों की सहायता से बड़े पैमाने पर उत्पादन के विरोधी थे।

गांधी जी जीवन दर्शन कहता है कि वह मशीनों, सामूहिक उत्पादन और औद्योगिकरण का विरोध केवल इसलिए करता है, क्योंकि इनसे बेरोजगारी फैलती है। शोषण के अवसर बढ़ते हैं। मजदूरी का चारित्रिक स्तर गिरता है और इस प्रकार कुल मिलाकर अहिंसक मूल्यों का बलिदान होता है।¹ भारत के राष्ट्रीय जीवन की एकता के लिए गांधी जी साम्प्रदायिक सौहार्द को व्यावहारिक मानते थे। अट्ठारह सूत्री कार्यक्रम में धार्मिक सहिष्णुता सर्वप्रथम माना है। "अहिंसा हमें दूसरे धर्मों के प्रति समभाव सीखाती है।"²

अस्पृश्यता निवारण का भी गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। अस्पृश्यता निवारण को वे अहिंसा के साथ अविच्छेद रूप से संबद्ध मानते थे। अपने भावनात्मक रूप में अहिंसा का अर्थ ही प्राणी मात्र के प्रति प्रेम। स्वभावतः अहिंसा का साधन जाति, धर्म, वर्ण, रंग आदि बाह्य आधारों पर मनुष्य-मनुष्य में कोई भेद नहीं करता।

गांधी जी मानते थे कि "अस्पृश्यता" हिन्दू धर्म का अंग नहीं है, बल्कि उसमें घुसी हुई साइन है। पाप है और उसको दूर करना हर एक हिंदू का धर्म है। उसका परम कर्तव्य है।"³ "इस युग में या तो हिन्दू धर्म ही जीवित रह सकता है। या अछूत प्रथा, दोनों एक साथ नहीं।"⁴

"गांधी जी के अनुसार प्राचीनता के नाम अछूत प्रथा का समर्थन नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि जो चीज बुरी है वह बुरी ही रहेगी चाहे प्राचीन हो या नवीन।"⁵ वे कहते हैं कि "हमको यह विश्वास कर अपने को धोखा नहीं देना चाहिए कि संस्कृत में जो कुछ भी लिखा और छपा है वही शास्त्र है तथा उसका पालन करने के लिए हम बाध्य हैं। जो कुछ नैतिकता के मौलिक सिद्धान्तों के विरुद्ध हो सकता है, जो तर्कशील बुद्धि के विपरीत है, उसे शास्त्र नहीं कहा जा सकता, चाहे वह कितनी ही पुरानी बात क्यों न हो।"⁶

अछूत प्रथा को समाप्त करने के लिए गांधी जी केवल इस निष्क्रिय विश्वास को ही पर्याप्त नहीं समझते हैं कि "यह प्रथा बुरी है। प्रत्युत वे उसके विरुद्ध हर प्रकार का जायज तथा वैध आंदोलन चलाने की भी सलाह देते थे।"⁷ "परन्तु इसके साथ ही वे अछूतों को यह 'नेक सलाह' देना भी नहीं भूलते थे कि जब तक सनातनी हिन्दुओं का मत-परिवर्तन नहीं हो जाता तब तक उन्हें अपनी वर्तमान दशा को धैर्यपूर्वक सहन करना चाहिए।"⁸ "इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि अछूत प्रथा के इतने तीव्र विरोधी होते हुए भी महात्मा गांधी वर्णाश्रम को ज्यों का त्यों कायम रखे जाने के पक्षपाती थे। सन् 1924 में बेलगांव में उन्होंने घोषित किया था कि वे 'जन्मना तथा कर्मणा' दोनों ही रूपों से वर्णाश्रम में विश्वास रखते हैं।"⁹ गांधी जी वर्तमान असंख्य जातिभेद को मिटाकर केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के चतुर्भ्य विभाजन तक ही वर्ण किसी भी रूप में एक दूसरे से छोटा था बड़े नहीं है। यद्यपि उनका यह वर्ण विभाजन किसी वर्ण-विशेष का कोई विशेष अधिकार प्रदान नहीं करता है।

महात्मा गांधी मादक वस्तुओं का निषेध चाहते थे वह अनैतिकता, अनुशासनहीनता, असंयम, चारित्रिक पतन तथा दूसरी बुराइयों की ओर ले जाने वाला मानते थे। वे कहते हैं – मैं शराबखोरी को चोरी और शायद व्याभिचार से भी अधिक निंदनीय समझता हूँ। क्या यह अक्सर दोनों की जननी नहीं होती।"¹⁰ सन् 1911 में उन्होंने 'यंग इण्डिया' में लिखा था कि "अगर मुझे एक घंटे के लिए सारे भारत का तानाशाह बना दिया जाए तो पहला काम मैं यह करूँगा कि तमाम शराबखानों को मुआवजा दिये बिना ही बंद करा दूँगा।"¹¹ पारस्परिक रूप से वर्ण व्यवस्था पर स्थिर रहने के बावजूद गांधी समाज में समानता के पोषक हैं। गांधी जी ने अपना सारा जीवन अस्पृश्यता निवारण में ही बिना दिया। उसके विचार में स्वराज समाज की बुराइयों को दूर किये बिना सम्भव नहीं है। वह हिन्दू, मुस्लिम, सिख, पारसी, ईसाई पर भी अधिक बल देते हैं। वास्तविक समाज समस्त वर्गों की एकता में ही निहित है। प्रत्येक समुदाय को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। मुस्लिमों को भी सत्या नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे हिन्दुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। गांधी ने समाज में स्त्रियों की दशा सुधारने का प्रयास किया। बाल-विवाह जैसी कुप्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई।

गांधीवाद सामाजिक स्वराज के यह मुख्य पहलु हैं, जो अंतरजातीय एवं अन्तःधार्मिक विवाह के अलावा कोई परिवर्तन नहीं ला सके। 1921 से पूर्व वह इस प्रकार के विवाह को मान्यता नहीं देते थे। गांधी जी स्त्रियों का बहुत सम्मान करते थे। गांधी जी

नारीत्व का सम्मान अपना परमधर्म समझते थे। छुआ-छूत (अस्पृश्यता) तथा नारी के वह मातृत्व भारत रखते थे वह नारी को पुरुष की भाग्य विधाता मानते थे। गांधी जी ने स्त्रियों को समान अधिकार दिलवाये। जितना पुरुष अधिकार है उतना ही नारी भी सब प्रकार से अधिकारी है। अतः गांधी जी ने राजनीति और अस्पृश्यता एवं नारी सम्मान और मजदूरी आदि सभी के प्रति अपनी सकारात्मक आस्था व्यक्त की। प्रत्येक व्यक्ति को नैतिक आचरण अपनाना होगा। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक के माता-पिता, बच्चों तथा पत्नी के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। इस प्रकार के व्यक्ति, सबसे अलग व्यक्तिगत स्वराज का आनंद ले सकेंगे।

सन्दर्भ :

1. गांधी सर्वोदय तत्व दर्शन, पृ0 117-118
2. गांधी साहित्य, भाग 5 पृ0 157
3. गांधी विचार दोहन, पृ0 43-44
4. बापू के हरिजन, पृ0 42
5. वही, पृ0 11
6. वही, पृ0 27
7. वही, पृ0 28
8. वही, पृ0 7
9. वही, पृ0 1
10. महात्मा गांधी, शराब बंदी करे, पृ0 5
11. वही, पृ0 5

वाराणसी के स्वतन्त्रता संग्राम सनानियों का परिचय तथा उनका योगदान

पंकज कुमार सिंह*

*शोध छात्र, एम.ए., नेट, डॉ० राम मनोहर लोहीया राजकीय महाविद्यालय, मुफ्तीगंज, जौनपुर, उ०प्र०

डॉ० अजीत कुमार मिश्र**

**शोध-निर्देशक, असिस्टेंट प्रोफेसर, डॉ० राम मनोहर लोहीया राजकीय महाविद्यालय, मुफ्तीगंज, जौनपुर, उ०प्र०

सारांश : क्रान्तिकारी आन्दोलन के इतिहास में उत्तरप्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन आन्दोलनों के केन्द्र में बनारस रहा, धीरे-धीरे यह सम्पूर्ण प्रान्त में फैला बनारस षड्यंत्र, मैनपुरी षड्यंत्र, काकोरी टन डकैती, मेरठ षड्यंत्र केस इसके कुछ ज्वलन्त उदाहरण हैं। यद्यपि भारतीय जनता ने क्रान्तिकारियों के कार्यों एवं बलिदान से प्रेरणा ली और वीरोचित सम्मान किया, किन्तु दुर्भाग्यवश अधिकतर इतिहासकारों ने उनके कार्यों का समुचित मूल्यांकन नहीं किया। वाराणसी क्षेत्र में अनेक ऐसे क्रान्तिकारियों ने देश को पराधीनता से मुक्ति दिलाने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, किन्तु आज भी वे इतिहास में गुमनाम हैं। कांग्रेस का इक्कीसवाँ अधिवेशन 1905 में, बनारस में हुआ, यह अधिवेशन उत्तर प्रदेश में क्रान्तिकारी गतिविधियों के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

मुख्य शब्द : क्रान्तिकारी आन्दोलन, राजनैतिक शिक्षावृत्ति, राजनीतिक उग्रवाद, आध्यात्मिकता, स्वतन्त्रता आन्दोलन आदि।

बंगाल विभाजन के बाद कांग्रेस में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में राष्ट्रवादियों का एक वर्ग, उदारवादियों की राजनैतिक शिक्षावृत्ति का घेर विरोधी बन गया। इस समय तक कांग्रेस अपने प्रत्येक अधिवेशन में प्रथम प्रस्ताव इंग्लैण्ड के राजा के प्रति पूर्ण निष्ठावान होने को महत्त्व देती थी। इस अधिवेशन में भी सर्वप्रथम यही प्रस्तुत किया गया। लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय ने इसका विरोध करते हुए कहा कि, "हम अभी तक ज्यादा वफादार बन चुके, हमें अपनी वफादारी को कम करना चाहिए।"

सन् 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में सुन्दरलाल ने लोकमान्य तिलक से मुलाकात की और उन्हें इलाहाबाद में व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया। 6 जनवरी 1907 को तिलक इलाहाबाद आये और एंग्लो बंगाली इण्टरमीडिएट कॉलेज के मैदान में एक ओजस्वी व्याख्यान दिया। इलाहाबाद में यह उनका पहला राजनीतिक भाषण था, जिसने न केवल जनपद इलाहाबाद में, बल्कि सम्पूर्ण प्रान्त में राजनीतिक उग्रवाद की नींव डाल दी। इसके बाद भाषणों का सिलसिला शुरू हुआ। मार्च 1907 में विपिन चन्द्र पाल इलाहाबाद आये, उन्होंने तीन व्याख्यान दिये। अप्रैल 1907 में लाला लाजपत राय इलाहाबाद आये, उनकी सभा में दस हजार से अधिक लोग एकत्रित हुए। यही 'लाल, बाल, पाल' उग्रवादी विचारधारा के जनक माने जाते हैं।

बनारस क्रान्तिकारी गतिविधियों के केन्द्र के रूप में जाना जाता है, यह हिन्दुओं का पवित्र धर्मस्थल है। अतः यहाँ पूरे देश से तीर्थयात्री आते रहते हैं। एच.डब्ल्यू. हेल ने लिखा है, "बनारस क्रान्तिकारी नेताओं के रहने का शरणस्थल बन गया।"² यहाँ के विभिन्न मोहल्लों में विभिन्न प्रान्तों से आये हुए लोग निवास करते हैं। यहाँ के बंगालीटोला में हजारों बंगाली लोग रहते हैं। "बनारस में विद्रोह का पहला सूत्रपात 1900 में कालिदास नामक पत्र के वितरण से हुआ, जो कि एक मराठी कवि के नाम से निकाला गया था। 1905 में बनारस में कांग्रेस अधिवेशन में बालगंगाधर तिलक और लाला लाजपत रायके आगमन ने क्रान्तिकारों गतिविधियों को नया जोश दे दिया। तिलक द्वारा आरम्भ किये गये शिवाजी उत्सव को बनारस में भी 1907 में मनाया गया, जिसमें एक विशालजुलूस निकला तथा सुन्दरलाल ने एक ओजस्वी भाषण दिया।"³ सुन्दरलाल ने 1909 में इलाहाबाद से 'कर्मयोगी' नाम से एक पाक्षिक पत्र का प्रकाशन किया, जो बाद में साप्ताहिक हो गया। यह पत्र उग्रविचारधारा का समर्थन करता था। अतः सुन्दरलाल के खिलाफ वारंट निकल गया और 1910 में यह पत्र बन्द करना पड़ा।

सन् 1902 में कलकत्ता में अनुशीलन समिति की स्थापना हुई। इसके संस्थापक और अध्यक्ष पी. एन. मित्र थे। अरविन्द घोष और सी. आर.दास उपाध्यक्ष तथा जतीन्द्रनाथ बनर्जी सचिव थे। 1905 में पी. एन. मित्र, अरविन्द घोष और विपिनचन्द्र पाल ने बंगाल के नगरों का भ्रमण किया और अनुशीलन समिति की शाखाओं की स्थापना की, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ढाका अनुशीलन समिति थी, जिसकी स्थापना नवम्बर 1905 में हुई। अनुशीलन शब्द को बंकिमचन्द्र चटर्जी की पुस्तक अनुशीलन से लिया गया, जिसका अर्थ जीवन में निपुणता प्राप्त करना है। यह निपुणता हिन्दू धर्म के अनुसार जीवन की चारों अवस्थाओं में आत्मसम्मान और निर्भरता द्वारा पायी जा सकती है। बनारस के अनेक बंगाली कलकत्ता के क्रान्तिकारी आन्दोलन से जुड़े हुए थे, जिनमें प्रमुख थे—पं० मोखदा चरन समोपाध्याय, जो लगातार बनारस आते रहते थे। उनके घनिष्ठ सहयोगी सूर्यनाथ भादुरी थे जो कलकत्ता में युगान्तर और सन्ध्या से जुड़े थे। वे अप्रैल 1908 में बनारस आये और उन्होंने शचीन्द्रनाथ सान्याल के साथ मिलकर बनारस अनुशीलन समिति की स्थापना की। शचीन्द्रनाथ सान्याल उस समय बंगाली टोला हाईस्कूल के छात्र थे।

बनारस अनुशीलन समिति में लगभग बीस सदस्य थे, जिनमें शचीन्द्रनाथ सान्याल, जगदीश प्रसन्न मुखर्जी, राय साहब देवनारायण मुखर्जी, विमल मुखर्जी, जितेन्द्र चन्द्र मुखर्जी, हेमचन्द्र दन्त, विनायक राव कापिले, चुन्नी लाल कारमकारी, हिरण्यमय बनर्जी। यह समिति बनारस में मिसिर का पोखरा, लक्ष्मीकुण्ड क्षेत्र में स्थापित थी। समिति के प्रचार हेतु दो महत्वपूर्ण पत्र प्रकाशित किये थे—'स्वाधीन भारत' बंगला में एवं 'लिबर्टी' अंग्रेजी में। योगेशचन्द्र चटर्जी के अनुसार, "अनुशीलन समिति गुप्त केन्द्रीयकृत संगठन था, जिसके सदस्य दृढ़ नैतिक चरित्र के अनुशासित व्यक्ति थे। इसके सदस्य अपने नाम और यश के लिए कार्य नहीं करते थे, वे जनता और देशहित के लिए कार्यरत थे।"⁴

ढाका अनुशीलन समिति की क्रान्तिकारी गतिविधियों के कारण ब्रिटिश सरकार ने उसे अवैध घोषित कर दिया। यही कारण था कि शचीन्द्रनाथ सान्याल ने बनारस में उसका नाम बदलकर यंग मेन्स एसोसिएशन रख दिया। यह एसोसिएशन मुख्यतः एक व्यायाम क्लब—साथा, जिसमें सदस्यों को लाठी, भाला व तलवार चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता था। एसोसिएशन नैतिक शिक्षाओं सामाजिक कार्यों पर भी जोर देती थी। क्लब का दैनिक कार्य रवीन्द्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध प्रार्थना से प्रारम्भ होता था। यद्यपि एसोसिएशन मुख्य रूप से सामाजिक कार्यों तथा व्यायाम करने का क्लब था, परन्तु इसके संदर्भ में जे. सी. कर ने लिखा है,

एसोसिएशन का लक्ष्य गुप्त समितियों के लिए ऐसे निष्ठावान व चरित्रवान वीर युवकों का चयन करना था, जो राष्ट्र की मुक्ति के लिए अपना जीवन बलिदान करने हेतु तत्पर रहते थे। ऐसे युवक ही इस क्लब के अन्तर्ग थे।⁵

इन युवकों पर महाकाली की आध्यात्मिकता का अत्यधिक प्रभाव था। क्लब की ओर से हर वर्ष काफी उत्साह, विश्वास और पवित्रता के साथ महाकाली की पूजा छोटी थी। जो युवक इस एसोसिएशन के अन्तर्ग सदस्य बनते थे उन्हें माँ काली के समक्ष अपने रक्त से हस्ताक्षर कर प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। **जे. सी. कर के अनुसार**, इसके सदस्यों में भगवत गीता की व्याख्या करके हत्या का औचित्य सिद्ध किया जाता था।⁶ क्रान्तिकारी गतिविधियों और क्रान्ति कारियों पर प्रहार करने हेतु ब्रिटिश सरकार ने एक सेडिशन कमेटी (राजद्रोह समिति) नियुक्त की थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में अनुशीलन समिति, यंगमेन्स एसोसिएशन तथा इसके नेता शचीन्द्रनाथ सान्याल की गतिविधियों पर प्रकाश डाला है। रिपोर्ट में कहा है कि शचीन्द्रनाथ सान्याल का उद्देश्य इस एसोसिएशन को राजद्रोह का उपकरण बनाना था। रिपोर्ट में कहा गया है, काली पूजा के वार्षिक पर्व पर सफेद कट्टू काटा जाता था। यह उस गोरी जाति का प्रतीक था, जिसको भगाने के लिए प्रार्थना की जाती थी।⁷

यंगमेन्स एसोसिएशन एक सुसंगठित संस्था थी और इसका अनुशासन अत्यन्त कठोर था। यह सामाजिक कार्यों का केन्द्र भी था। धार्मिक पर्वों, मेलों आदि पर इसके स्वयं सेवक तीर्थ यात्रियों की सेवा करते थे। यंगमेन्स एसोसिएशन की गतिविधियों पर पुलिस और गुप्तचर विशेष निगरानी रखते थे। **सेडिशन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार** इस एसोसिएशन के नेता शचीन्द्रनाथ सान्याल पुलिस को चकमा देकर प्रायः बनारस के बाहर जाया करते थे। इस रिपोर्ट में कहा गया कि, “शचीन्द्र का कलकत्ता में प्रसिद्ध राजा बाजार केस से सम्बन्धित शशांकमोहन उर्फ हाजरा से परिचय कराया गया और शचीन्द्र ने धन और बम दोनों प्राप्त किये। शचीन्द्र के साथियों ने 1913 को शरद ऋतु में बंगाली स्कूलों और कॉलेजों में कई राजद्रोहात्मक पर्चे बाँटे तथा बहुत-से पर्चों को डाक द्वारा अन्यत्र भेजा। मुखबिर विभूति के अनुसार वह देहात में भी जाते थे और ग्रामीणों को सम्बोधित करते थे। इस गवाह ने बताया था कि इन भाषणों का विषय यूरोपियनों को भगाना था, इस प्रकार से भारतीयों की दशा सुधारना था।”⁸

सन् 1913 में दल में मतभेद हो गया तथा शचीन्द्रनाथ के नेतृत्व में 7 व्यक्ति दल से अलग हो गये। यह सदस्य दल की तत्कालीन राजनैतिक कार्यप्रणाली से सहमत न थे। वे सरकार से संघर्ष करना चाहते थे। उनका मत था कि “सिद्धान्त कार्य रूप में परिणत किये जायें और बातों की जगह काम हो।” इन सदस्यों ने एक नयी समिति गठित की जिसने बंगाल की समिति के साथ पूर्ण सहयोग किया। बनारस में पुलिस लगातार शचीन्द्रनाथ पर निगाह रखे हुए थी, परन्तु पुलिस उनका निरन्तर पीछा नहीं कर सकती थी। 23 दिसम्बर 1912 को दिल्ली में लार्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था। इस हार्डिंग बम केस के नेता रासबिहारी बोस थे, जो फरार हो गये और 1914 में बनारस में क्रान्तिकारी गतिविधियाँ अधिक सक्रिय हो गयीं। सान्याल के अनुसार दिल्ली बम केस के उपरान्त ही बंगाल के बाहर क्रान्तिकारी गतिविधियों का जन साधारण को ज्ञान होना प्रारम्भ हो गया। दिल्ली बम केस के एक अभियुक्त लालाहरदयाल उस समय अमेरिका में थे, जबकि रासबिहारी बोस मुकदमा प्रारम्भ होने से पूर्व ही फरार हो गये थे। सरकार ने उन्हें पकड़ने के लिए इनाम की घोषणा की और प्रत्येक बड़े रेलवे स्टेशन पर उनका चित्र चिपकाया गया, परन्तु सरकार उन्हें गिरफ्तार करने में असफल रही।

अमेरिका और कनाडा आदि देशों से भारत में आये गदर पार्टी के सदस्य सेना की सहायता से भारत में क्रान्ति करके मातृभूमि को ब्रिटिश साम्राज्यवादियों से मुक्त कराना चाहते थे। वे भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम (1857) और फ्रांस की क्रान्ति से काफी प्रभावित थे। अतः उन्होंने प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान सैनिक क्रान्ति पर अत्यधिक बल दिया। उनका विचार था कि भारत में सैनिक क्रान्ति का उपयुक्त समय विश्वयुद्ध के समय ही है। रासबिहारी बोस, शचीन्द्रनाथ सान्याल और पार्टी की योजना का मूल स्वर यही था। पंजाब से आने के उपरान्त शचीन्द्र और उनके साथियों ने बनारस छावनी की बैरकों में जाना प्रारम्भ कर दिया था। प्रसिद्ध क्रान्तिकारी **डॉ० भगवानदास माहौर ने लिखा** है, “क्रान्तिकारियों का सदैव यही विश्वास रहा कि अन्ततोगत्वा सेना और जनता के सहयोग से ही सशस्त्र क्रान्ति होगी और इसी से स्वराज्य प्राप्त होगा और उनका दृष्टिकोण से इस क्रान्तिकारी लक्ष्य आदर्श और उसकी नीति की और अधिक जोर से घोषणा करना इस व्यापक अहिंसात्मक सत्याग्रह आन्दोलन के समय और भी अधिक आवश्यक हो गया।”⁹

बनारस षडयंत्र के पूर्व क्रान्तिकारियों के कई छोटे-छोटे दल थे। यहाँ तक कि बंगाल में भी क्रान्तिकारी दो दलों में बँट गये थे। क्रान्ति के पूर्व उत्तर भाग के विभिन्न क्रान्तिकारी संगठनों को एक सूत्र में बाँधने का प्रयास किया गया। **शचीन्द्रनाथ सान्याल के शब्दों में**, “इन विभिन्न दलों को सम्मिलित करके एक विराट दल के रूप में परिणत करने के प्रयास बहुत दिनों से चल रहे थे, किन्तु शक्तिशाली नेता के अभाव में कोई भी दल, दूसरे दल से मिलकर अपनी स्वतन्त्रता त्यागने को तैयार न था।”¹⁰ सौभाग्यवश यतीन्द्रनाथ मुखोपाध्याय के नेतृत्व में बहुत-से छोटे-छोटे दलों में एक साथ मिलकर कार्य करने का संकल्प किया।

अतः हम कह सकते हैं कि बनारस स्वतंत्रता आन्दोलन में एक ऐसा केन्द्र था, जहाँ से क्रान्तिकारियों की समस्त गतिविधियाँ तैयार होती थीं। यहाँ उस समय के श्रेष्ठ क्रान्तिकारियों का बसेरा होता था। 1905 के कांग्रेस अधिवेशन में तिलक के भाषण ने यहाँ की जनता को इस प्रकार आन्दोलित किया कि अनेक युवा देश के स्वतन्त्रता आन्दोलन में सर्वस्व समर्पण के लिए तत्पर हो उठे। इनमें से अनेक तो ऐसे भी हैं, जिसका इतिहास में कहीं उल्लेख तक नहीं है।

सन्दर्भ :

1. विद्यार्थी, सुधीर—कर्मवीर पं० सुन्दरलाल : कुछ स्मरण, दिल्ली, संस्करण—1995, पृ० 195
2. हेल, एच. डब्ल्यू—पोलिटिकल ट्रबुल इन इण्डिया (1917—1937), काँघ पब्लिकेशन, इण्डिया, संस्करण—1974, पृ० 24
3. वही, पृ० 25
4. चटर्जी, योगेशचन्द्र—इन सर्च ऑफ फ्रीडम, पृ० 14—15
5. कर, जी.सी.—पोलिटिकल ट्रबुल इन इण्डिया (1907—1917), दिल्ली, संस्करण—1973, पृ० 375
6. वही, पृ०—375—376
7. साशल कमेटी की रिपोर्ट—1918, पृ० 91
8. वही, पृ० 91—92
9. माहौर, डॉ० भगवान दास—भारतीय स्वातन्त्र्य संघर्ष की प्रगति का एक सिंहावलोकन, पृ० 103
10. उपाध्याय, विश्वामित्र—शचीन्द्रनाथ सान्याल और उनका युग, प्रगतिशील जन प्रकाशन, नयी दिल्ली, सं०—1973, पृ० 103

1857 के स्वाधीनता समर में चंदेरी

डॉ० अतुल गुप्ता*

*विभागाध्यक्ष (सहायक प्राध्यापक), इतिहास विभाग, शासकीय महाविद्यालय सेहराई, जिला— अशोकनगर, (म.प्र.)

सारांश : चन्देरी प्राचीन काल से ही अपनी सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक धरोहरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में यह नगर सुरक्षा की दृष्टि से सात परकोटों से घिरा हुआ था। लेकिन वर्तमान में मुख्यतः तीन परकोटे ही रह गये हैं। इस नगर में प्राचीन युग में सुदृढ़ एवं संपन्न राजनैतिक व्यवस्था विद्यमान थी इसी कारण सांस्कृतिक संपन्नता एवं कलात्मक अभिव्यक्ति को यहां प्रश्रय मिला। बुंदेलखण्ड की यह पावन भूमि बुंदेला विद्रोह, 1857 का स्वाधीनता समर सहित विभिन्न स्वाधीनता संग्राम की घटनाओं में सक्रीय भागीदार रही। जिसमें प्रस्तुत शोध पत्र "1857 के स्वाधीनता समर में चंदेरी" में मुख्य रूप से चंदेरी राज्य से सम्बंधित घटनाओं का ही अध्ययन अनुशीलन किया जायेगा। इसके अध्ययन में मुख्यतः प्राथमिक स्रोत (अभिलेखागारीय) एवं द्वितीयक स्रोत की मदद ली जाएगी है।

मुख्य शब्द : चंदेरी, 1857 का स्वाधीनता समर, वन संपदा, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक धरोहर, ऐतिहासिक पहाड़ी आदि।

चन्देरी बेतवा नदी की सुन्दर और रम्य उपत्यक्ता में स्थित होने के साथ-साथ विध्यांचल की पर्वत मालाओं से तीन ओर से घिरी हुई है। उत्तर दिशा की ओर खुला मैदानी भाग है। यह ऐतिहासिक नगर 78.6 पूर्व देशांतर एवं 24.8 अक्षांश पर, समुद्र की सतह से लगभग 1070 फीट ऊँचाई पर स्थित है। वर्तमान में यह नगर ग्वालियर संभाग के अशोकनगर जिले की तहसील है। यहाँ का प्राकृतिक सौन्दर्य अनुपम है, जो हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। विशेष बात यह है कि इसके सौन्दर्य में किंचित मात्र भी कृत्रिमता नहीं है। चन्देरी नगर मालवा पठार के पूर्वोत्तर छोर पर स्थित है। इसके अधःस्तर में आरकेयिन ग्रेनाइट चट्टानें हैं। बेतवा नदी इसके ऊपर से बहती है। चन्देरी के चारों ओर क्रमशः पूर्व दिशा में 14 कि.मी. की दूरी पर बेतवा नदी, पश्चिम की ओर 15 कि.मी. पर उर्वशी नदी (ओर नदी), उत्तर की ओर छिओली नदी एवं दक्षिण की ओर वेलन नदी (सेहराई नदी) बहती है। बेतवा नदी पर रानी लक्ष्मीबाई सागर बांध (राजघाट बांध) है। इससे निकली नहरें उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के एक बड़े भू-भाग को सिंचित करती हैं। इस क्षेत्र में जलाशयों, कुओं एवं बावड़ियों की कमी नहीं है। लोहरा ताल, पनबावड़ी, लाल बावड़ी, फतेहाबाद का ताल एवं सिंहपुर महल के नीचे स्थित सरोवर अत्यधिक आकर्षक हैं। इन सरोवरों के तट पर आम, खिन्नी, सीताफल और अन्य वृक्ष मनमोहक बना देते हैं। इस क्षेत्र की जलवायु समशीतोष्ण है। मानसून (वर्षा ऋतु) मध्य जून से मध्य सितम्बर तक रहता है। यहाँ लगभग 350 से 400 इंच वर्षा होती है। क्षेत्र की मिट्टी रेतीली प्रकृति की है जिससे वर्षा का जल आसानी से भूमि में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार पानी के जमाव की दृष्टि से यह हल्के प्रकार की मिटटी है। पठारी भू-भाग होने से कृषि योग्य भूमि कम है। मुख्य फसल गेहूँ, मक्का, उड़द, सोयाबीन है। वन संपदा के रूप में चिरौंजी, तेंदू, मऊआ, करौदा तथा औषधीय महत्व की जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती हैं। यहाँ की प्रमुख प्राकृतिक गुफायें मालनखो, कटोती खो, पनखाह, आमखो, ओणछा शेरदांत, लिखीदांत, कतया की दांत, चखटखो, भरकी, अरका, हाथीदांत छोटी मावैया, बड़ी मावैया एवं राजा की गुफायें आदि हैं। इनमें से कई गुफायें आदिमानव की शरण स्थली रही हैं। चन्देरी के आसपास आज भी तेन्दुआ, चीतल, छिकरा, भेड़, हिरन, करसाल, बाहरसिंगा, नीलगाय, जंगली सूकर, बन्दर, लडैया, जंगली कुत्ते एवं अजगर सांप आदि विचरण करते हुए देखे जा सकते हैं।

चन्देरी के बुन्देला ठाकुर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रथम स्वाधीनता आन्दोलन के बहुत पहले से ही, अपनी गतिविधियों को जारी रखे हुए थे। जसवन्त सिंह पिंडारी के साथ इन ठाकुरों ने अक्टूबर 1842 में भोपाल राज्यान्तर्गत पठारी के नवाब पर हमला किया था जो किसी समय अंग्रेजों का हिमायती था। भोपाल रियासत की जागीर गद्दी अम्बापानी का नवाब आदिल मोहम्मद खां 1842-43 में बुन्देला ठाकुरों के साथ, जिसका नेतृत्व जैतपुर का राजा पारीक्षत कर रहा था, अंग्रेजी शासन तथा भोपाल रियासत के खिलाफ अभियान छेड़े हुए था। इन बुन्देला ठाकुरों में से एक बुन्देला ठाकुर (चन्देरी निवासी) उन 15 बागियों में से एक था जो आदिल मोहम्मद खां के नेतृत्व में 19 अक्टूबर 1843 को बमनोरा की लड़ाई में शामिल थे। आदिल मोहम्मद खां तो वहां से भाग निकला लेकिन उपरोक्त 15 बागियों को कुरवाई के सरदारों ने पकड़ लिया।¹ इस लड़ाई के बाद चन्देरी का शासन प्रबन्ध ब्रिटिश सरकार ने संभाला, लेकिन प्रभुत्व सिंधिया का बना रहा। शासन प्रबंध की दृष्टि से चन्देरी जिला का मुख्यालय ललितपुर था, जहां 6वीं भारतीय रेजीमेन्ट का एक सैनिक बेड़ा भी मुकीम था।

चन्देरी के विद्रोहियों की उग्रता को सदैव के लिए समाप्त करने के निमित्त ब्रिटिश सरकार ने इस इलाके की समस्त गढ़ियों को ध्वस्त करने का निश्चय किया तथा नाममात्र का बन्दोबस्त कराकर इस इलाके का भूकर 1 लाख 5 हजार 10 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख 21 हजार 29 रुपये कर दिया। 1842-43 के बुन्देला विद्रोही सरदारों ने राजा पारीक्षत के साथ, झांसी में अक्टूबर 184 में आत्मसमर्पण किया था उनमें चन्देरी का नारायण जू और भोरी के कुंवर मर्दन सिंह धंधेरा थे। 1842-43 में टेहरी (ओरछा) की रानी ने अंग्रेजों का साथ दिया ही था। इस बात पर नौनेर के दिमान विजय बहादुर, सागोनी के ठाकुरों के अलावा चन्देरी के ठाकुर भी टेहरी की रानी से अप्रसन्न थे।²

1857 के विद्रोह में चन्देरी ने अहम भूमिका निभाई। ब्रिटिश अधिकारियों का स्वयं का कहना था कि 1857 के क्रांतिकाल में चन्देरी, विद्रोहियों का प्रमुख केन्द्र था। वहाँ के सुदृढ़ और विशाल दुर्ग में विद्रोहियों के ठहरे की बहुत गुंजाईश थी। उस समय चन्देरी के किले में 8 तोपों थीं जो कि चन्देरी में ढाली गई थी। चन्देरी में तोपें ढालने, बन्दूकें बनाने, गोला वारुद तैयार करने के अनेक वर्कशाप थे। चन्देरी के दुर्ग में पूर्वी गुर्ज पर एक भारी तोप थी जिसकी मरम्मत करने के लिए प्रतिदिन कारीगर कार्यरत थे।³

बानपुर के राजा ने चन्देरी दुर्ग में अस्त्र-शस्त्र का भण्डारण पहले से ही कर रखा था। अंग्रेजी सरकार समझ चकी थी कि चन्देरी को संभालना अब उनके वश की बात नहीं है अतः सेन्ट्रल इंडिया, इन्दौर के एजेन्ट ने जबलपुर के कमिश्नर को सलाह

दी कि इसी में अपना भला है कि चन्देरी का प्रबन्ध सिंधिया को फिर से दे दिया जाए।⁵ यहाँ उल्लेखनीय है कि 1857 ई. में विद्रोह के समय ही नानकपुर के दिमान जुझारसिंह की मृत्यु पर उनके पुत्र जवाहरसिंह की दिमानी की उपाधि और पाग बधाई उत्सव मनाया गया, जिसमें सभी जागीरदार आये और विद्रोह की अव्यवस्था का लाभ उठाकर पूर्वकालिक चन्देरी क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लेने की सलाह दी।⁶ अब अंग्रेजों के टीकमगढ़ भजने के बाद मर्दन सिंह ने ललितपुर एवं चन्देरी क्षेत्रों में अराजकता समाप्त करने का निश्चय किया। उन्होंने तालबेहट अपने छोटे भाई पर्वत सिंह को निर्देश भेजा कि वह ननोरा पर बेतवा पार करके चन्देरी पहुँचे और दुर्ग पर, जो उस समय विद्रोहियों के अधिकार में चला गया था, अधिकार कर लें। जवाहर सिंह जाखलौन और हिम्मत सिंह ककरूवा को ललितपुर पहुँचकर शान्ति एवं व्यवस्था स्थापित करने के लिए आदेश दिया। वह स्वयं अपनी सेनावाह के ठाकुर ककड़ा के पवार: बछरावनी के धंधेरे: बीर, गगुखारा के खंगार एवं महारौनी के सिकरवार तथा बसों को लेकर ललितपुर की ओर चल दिए। ललितपुर आते हुए जाखलौन वाले जवाहर सिंह को हिम्मत सिंह को सीधे चन्देरी पहुँचने के लिए लिखा। दूसरे दिन मर्दनसिंह स्वयं ललितपुर आ गए। उन्होंने झुनारे रावत, गनेश हवलदार एवं सामले मिसर को साथ में लेकर पुरा एवं मुहल्ले-मुहल्ले घूमना तथा प्रजाजनों को सुरक्षा का आश्वासन देना आरंभ किया। साथ ही जो भी अराजक तत्व कहीं मिलें उन्हें पकड़ा अथवा नष्ट किया जाए। मर्दनसिंह को ललितपुर में समाचार मिला कि चन्देरी के किले के अतिरिक्त विद्रोहियों का चन्देरी के सभी रक्षा दुर्गों पर अधिक है। ऐसी स्थिति में चन्देरी दुर्ग पर अधिकार कर लेना आसान नहीं था। अतः उन्होंने जवाहर सिंह और पर्वत सिंह को पुनः निर्देश भेजा कि उनके चन्देरी पहुँचने के पूर्व वे लोग आक्रमण न करें। जवाहर सिंह कनावटा घाट से बेतवा पार करके चन्देरी के निकट तक पहुँच गए थे। जबकि पर्वतसिंह अपने दल के साथ बड़ैरा तक पहुँचे थे।⁷

ललितपुर से मर्दन सिंह राजघाट होते हुए प्रानुपरा पहुँच गए। रात ही में उन्होंने जवाहर सिंह तथा पर्वतसिंह को बुलाकर परामर्श किया तथा चन्देरी के दुर्ग को उसके आठों रक्षा दुर्गों सहित विद्रोहियों से जीतने की योजना बनाई तथा दूसरे दिन सूर्य निकलने से पूर्व ही चन्देरी का ऐतिहासिक पहाड़ी दुर्ग घेर लिया। सूर्योदय के बाद विद्रोहियों को किला खाली कर देने के लिए सदेश भेजा गया, उत्तर में विद्रोहियों ने स्पष्ट सूचना भेजी कि उनका उद्देश्य राज्य करना नहीं वरन् इन विश्वासघाती, मक्कार, धोखेबाज फिरंगियों को देश से बाहर निकालना है। यह किला बानपुर राजा के पुरखों का है। किन्तु किला इसी शर्त पर उन्हें दिया जा सकता है। कि इसका उपयोग विद्रोहियों का दमन करने के लिए नहीं किया जाएगा। मर्दनसिंह ने कहा— जब हम किले पर अधिकार कर रहे हैं तो उसे अपना ही समझकर ले रहे हैं। कुछ समय बाद सारी विद्रोही सेना किले से बाहर आ गई और उसने सैनिक ढंग से मर्दनसिंह का स्वागत किया। महाराज मर्दनसिंह के जयघोषों से चन्देरी गूँज उठी।⁸

किले पर अधिकार करने के बाद मर्दनसिंह ने चौधरी कीरत सिंह को तलाश किया मालूम हुआ कि वह चन्देरी में नहीं है। अविलम्ब अचलगढ़ सैनिक भेजे गए किन्तु वह वहाँ भी नहीं मिला। चन्देरी की व्यवस्था मर्दनसिंह ने एक प्रमुख विद्रोही सैनिक का सौंप दी, साथ ही आदेश दिया कि जनता को किसी प्रकार का कष्ट न होना चाहिए। वे स्वयं सहराई, रमपुर, शहपुरा होते हुए घोर्रा, बालावेहट, डोंगरा, पाली की व्यवस्था संभालते हुए बरौदिया पहुँचे। बरौदिया, शाहगढ़ राज्य में था। बरौदिया में नागरिकों तथा शाहगढ़ राज्य की ओर से बखतवली के छोटे भाई उदयरज सिंह ने भव्य स्वागत किया। उदयरज के साथ मर्दन सिंह शाहगढ़ चले गए।

इस प्रकार 1857 के जून माह में समस्त उत्तरी भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ क्रांति शुरू हो गई थी। चन्देरी तथा जाखलौन के ठाकुरों के नायकत्व में ललितपुर ने विद्रोह कर दिया था। जैसा कि पूर्व से ही स्पष्ट है कि वानपुर का राजा मर्दन सिंह उनका लीडर था। अब चन्देरी किले पर विद्रोहियों का आधिपत्य पिछले दस माह से था ही। मार्च 1858 के प्रारम्भ में सिंधिया की सेना ने चन्देरी लेने का असफल प्रयास किया। सिंधिया की एक सैनिक टुकड़ी धर्म के उन्माद में बहक गई और वह विद्रोही सैनिकों के साथ जा मिली। यह ज्ञात होने पर ईसागढ़ पर मुकीम ब्रिटिश फोर्स विद्रोही सैनिकों का दमन करने के लिए चन्देरी की ओर बढ़ी तो इन सैनिकों ने डटकर मुकाबला किया। और ब्रिटिश फोर्स को मुंह लटकाकर लौटना पड़ा। सेन्ट्रल इंडिया फील्ड फोर्स की प्रथम ब्रिगेड महु से गुना, चन्देरी होती हुई झांसी की ओर बढ़ रही थी। चन्देरी दुर्ग पर विद्रोहियों का आधिपत्य था ही। इसे भी विद्रोहियों से मुक्त कराना इसी ब्रिगेड का काम था। 14 मार्च 1858 को यह ब्रिगेड बमुश्किल तमाम किले में संध लगा पाई।

प्रातः 5 बजे ब्रिगेडियर स्टुअर्ट के नेतृत्व में ब्रिटिश फोर्स ने किले पर तोपों से गोले बरसाये तथा बहुत कुछ नष्ट कर दिया। इस गोलाबारी में कंटेन कीटिंग बुरी तरह घायल हो गया। जब ब्रिटिश फोर्स ने किले में प्रवेश किया तो किले के भीतर मृत सैनिकों के 40-50 शव झंझर- उधर पड़े मिले और किले के बाहर जंगल में भी ऐसे अनेक शव देखे गए। किसी प्रकार दो सौ के लगभग विद्रोही भागने में सफलता पा सके। किले से ब्रिटिश फोर्स को पीतल की दो तथा लोहे की दो तौपें हाथ लग इस मुठभेड़ में ब्रिटिश फोर्स के भी दो सैनिक मारे गए तथा 24 घायल हुए। चन्देरी किले को, मेजर राबर्टसन को सौंपकर, ब्रिगेडियर 20 मार्च को झांसी के लिए चल दिया। उसने इस किले की सुरक्षा का दायित्व सिंधिया की सैनिक टुकड़ी को दिया।⁹

चन्देरी दुर्ग के पतन के बाद बुन्देला विद्रोही जंगल में जा छिपे। ब्रिटिश फोर्स जब झांसी की ओर दूर तक चली गई तो वे विद्रोही जंगलों में से निकलकर बाहर आय तथा गहोरा के तालाब पर जमा होने लगे एवं आगे की रणनीति तय करने में लग गये।¹⁰

ब्रिटिश फोर्स के चले जाने के बाद बुन्देला विद्रोहियों ने किले पर पुनः कब्जा कर लिया। किले की सुरक्षा के लिए दो हजार विद्रोही एक तोप के साथ किले के अन्दर तथा एक हजार किले के बाहर तैनात किए गए। सिंधिया के सैनिक निरन्तर प्रयास करते रहे कि चन्देरी दुर्ग को कब पुनः प्राप्त किया जावे मई 1858 की बात है कि एक बार फिर सिंधिया की सैनिक टुकड़ी ने हिम्मत की।¹¹

जब चन्देरी के विद्रोहियों के जमाव तथा संगठन का जनता को पता चला तो आसपास के गांवों से विद्रोही जमा होने लगे उनकी संख्या लगभग 5 हजार होगी। इनके पास एक भरोसेमन्द तोप भी थी, जबकि सिंधिया की फोर्स के पास दो तोपें तथा सैनिकों की दो कपनियां थीं। 13 मई को सिंधिया की फोर्स नेस किलेस पर धावा बोला। विद्रोहियों ने डटकर मुकाबला किया। किले की दीवाल में, मार्च के हमले में दरार पड़ गई थी, उसी दरार से विद्रोहियों ने गोलाबारी शुरू कर दी। सिंधिया की फौज अधिक देर तक नहीं डट सकी। अतः उसे पराजित होकर लौटना पड़ा और उसने पीछे हटकर फतेहाबाद में सांस ली। इस मुठभेड़ में सिंधिया की फोर्स को अपनी दोनों तोपों से भी हाथ धोना पड़ा, उस समय सिंधिया की सैनिक टुकड़ी के पास चार तोपें भी थीं। चन्देरी दुर्ग पर कब्जा जमानास नियाहत जरूरी था। अतः गुना से सिंधिया की एक और सैनिक टुकड़ी 25 मई को चन्देरी

की ओर बढ़ो तथा दूसरी ब्रिटिश सेना 26 मई को कोलारस से बढ़ी और दोनों ने चन्देरी के पास तीन कोस की दूरी पर करोसा नामक स्थान पर पड़ाव डाला। इस संयुक्त कमान ने मोर्चा सभाला और चन्देरी दुर्ग पर उसने 27 मई को गोलाबारी की। विद्रोहियों ने सभी डटकर मुकाबला किया, और भी उन पर दिन भर की गोलाबारी से सिंधिया तथा ब्रिटिश फोर्स की संयुक्त कमान का भारी दबाव था। किले के अन्दर आपूर्ति के अभाव में, रात्रि के सन्नाटे में किले को छोड़कर विद्रोहियों को भागना पड़ा। सबेरा होते-होते किला पूरी तरह से खाली हो गया। अब ब्रिटिश फोर्स ने किले तथा करबे पर नियंत्रण कर लिया।¹²

चन्देरी का इलाके के कई विद्रोहियों को दण्ड दिया गया। इनमें से कई लोगों को फांसी पर चढ़ाया गया और कईयों को अन्य सजाएं दी गईं। इनके नाम इस प्रकार हैं¹³ बिन्द्रावन ब्राह्मण, गुलाब धकोले, कल्लू, मोहन, माने, कूरे को 15 मार्च को, इनायत अली तहसीलदार को 23 मार्च को मनकर, नूरखां, जवाहरखां, मदारी खां, खुशामदखां को 26 मार्च 1858 को, अलीहसन को 13 अप्रैल 1858 को, खजिर खां, खां, वजीरबेग को 5 फरवरी 1858 को और शेख दाउद वल्द खेराती मुसलमान को 14 फरवरी 1858 को फांसी दी गई और अन्य आठ को भी फांसी पर चढ़ाया गया। लाल खां वल्द काले खां निवासी पन्दी (चन्देरी) को भी मौत की सजा दी गई। इनके अलावा जिन विद्रोहियों को दण्ड दिया गया उनके नाम हैं महीपसिंह ठाकुर निवासी जाखलोन, छतरलाल ठाकुर निवासी जाखलोन, गंभीरसिंह ठाकुर निवासी पाली, जुझारसिंह ठाकुर निवासी मानकपुर, महिपाल सिंह ठाकुर निवासी जाखलोन, गणेश जू वल्द ईश्वरसिंह निवासी नानकपुर, दिमान गंभीर सिंह बुन्देला, निवासी जाखलोन, झंजर सिंह जमींदार मानकपुर, जवाहर सिंह, खुमान सिंह बुन्देला जागीरदार सुनरा, दंगल सिंह, हीरा सिंह, तेज सिंह, महीप सिंह निवासी पाली, गंभीर सिंह राजपूत, माधौसिंह निवासी जामुनधारा, देवसिंह ठाकुर जागीरदार निवासी डोंगरा, राव हम्मीर सिंह जागीरदार निवासी पाली, खुमान सिंह बुन्देला जागीरदार सुनरा, दयाल सिंह, उमराव सिंह बुन्देला निवासी जाखलोन, गणेश सिंहवल्द ईश्वर सिंह निवासी चन्देरी, ईश्वर सिंह निवासी जाखलोन।

सन्दर्भ :

1. राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली, (क) कंसल्टेशन 335, दिनांक 14-6-1843, पोलिटिकल (ख) कंसल्टेशन 185, दिनांक 10-7-1844, पोलिटिकल
2. रा.अ., नई दिल्ली, कंसल्टेशन 49, दिनांक 23-11-1844
3. रा.अ., नई दिल्ली, कंसल्टेशन 296-314, दिनांक 27-7-1842
4. रा.अ., नई दिल्ली, कंसल्टेशन 253, दिनांक 30-12-1859
5. रा.अ., नई दिल्ली, पोलिटिकल प्रोसीडिंग्ज, दिनांक 25-6-1858, अनुमांक 115
6. त्रिपाठी, काशी प्रसाद, 'बुन्देलखण्ड का बृहद इतिहास' बाबूलाल जैन फाल्गुन महावीर प्रेस वाराणसी, 1991 पृष्ठ 81
7. बानपुर विविधा, पं. जानकी प्रसाद द्विवेदी स्मृति सेवा समिति, ललितपुर 2008 पृष्ठ 42
8. वही पृष्ठ 48
9. रा.अ., नई दिल्ली, कंसल्टेशन 144, दिनांक 30-4-1858 एवं रा.अ., नई दिल्ली, पोलिटिकल प्रोसीडिंग्ज, दिनांक 30-4-1858, अनुमांक 328
10. रा.अ., नई दिल्ली, कंसल्टेशन 78-79, दिनांक 25-6-1858
11. रा.अ., नई दिल्ली, कंसल्टेशन 58-59, दिनांक 26-2-1858
12. रा. अ. नई दिल्ली, पोलिटिकल प्रोसीडिंग्ज, दिनांक 30-12-1859
13. रा. अ. नई दिल्ली,
(क) कंसल्टेशन 1463-68, दिनांक 30-12-1859
(ख) रा.अ., नई दिल्ली, कंसल्टेशन 355-362, दिनांक 30-4-1858
(ग) रा.अ., नई दिल्ली, फारेन पोलिटिकल सप्लीमेन्ट्री प्रोसीडिंग्ज, अनुमांक 1351, दिनांक 30-12-1859
(घ) रा.अ., नई दिल्ली, वही, अनुमांक 315, पत्र क्रमांक 113 दिनांक 9-7-1859

व्यंग में वर्तमान : एक और कड़ी

संदीप*

*शोध छात्र, जे0आर0एफ0, हिन्दी विभाग, एस0पी0 जैन कॉलेज, सासाराम, बिहार

डॉ0 रौशन कुमार**

**शोध निर्देशक, एस0 प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, एस0पी0 जैन कॉलेज, सासाराम, बिहार

सारांश : वर्तमान हिन्दी साहित्य में व्यंग्य भले ही स्वतंत्र विधा के रूप में स्वीकार है पर आज कि तारीख में व्यंग्य लगभग भाँति-भाँति का रूप धारण करके विभिन्न क्षेत्रों में अपनी जड़े जमा चुका है। पूर्व में व्यंग्य की विकास यात्रा प्राचीन काल क काव्य से शुरू होकर मध्यकाल तक आते-आते अपने स्तर को कुछ और ऊँचा कर लिया। पहले हास्य, प्रहसन, चुटकी लेना, आँखे तेरते हुए कटाक्ष करना आदि ही व्यंग्य के रूप में पहचाना जाता रहा किन्तु वर्तमान सामाजिक-साहित्य परिदृश्य में व्यंग्य के विभिन्न रूप हैं— हास्य-परिहास बुद्धि चातुर्य, ठिठोली, पैरोडी, विरोधाभास, अतिशयता, व्याजस्तुती, विडम्बना आदि। ह्यूमर (शुद्धहास्य), विट (वाग्वैदग्ध्य), सैटायर (व्यंग्य), आइरनी (वक्रान्ति) और फार्स (प्रहसन) आदि शब्द भी मूल रूप से सामान्य श्रोता या पाठक व्यंग्य की ही भाषा में समझता है। जबकि ह्यूमर आर फार्स हास्य के विषय से सम्बन्धित है। विट, सैटायर और आइरनी उक्ति से सम्बन्धित है। पैरोडी भी हास्य की एक विधा है जिसका सम्बन्ध रचनाकार की कुशलता से है। आइसी का विशेष अर्थ कटाक्ष से है। यह शोध पत्र पूर्व के अध्ययन से अलग है एवं समाज के लिए महत्वपूर्ण है। शोधपत्र पुस्तकालीय एवं विश्लेषणात्मक विधि पर आधारित है। यह अध्ययन शोधार्थियों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है।

मुख्य शब्द : हिन्दी साहित्य, व्यंग्यात्मक पैरोडी, प्रवासी, महाभारत काण्ड आदि।

पैरोडी व्यंग्य की परम्परा में एक बहुत ही उत्साहमयी अभिव्यक्ति है। जब किसी विकृति या विसंगति को हास्य का पुट देकर पुनः प्रस्तुत किया जाता है, तब वह पैरोडी का रूप हो जाता है। जैसे किसी सुन्दर स्त्री या लड़की के चित्र पर दाढ़ी-मूँछे लगा देना। पैरोडी में कोरी नकल के नहीं, नकल में अकल को यथावत प्रस्तुत किया जाता है। व्यंग्यात्मक पैरोडी के लिए नकल द्वारा लक्ष्य की दुर्बलताओं, विकृतियों आदि पर आवश्यक रूप से प्रहार करना। वास्तविकता में रखकर देखा-परखा जाय तो व्यंग्यात्मक पैरोडी के विभिन्न रूप हैं। एक रूप है छल। दूसरा है स्वांग। स्वांग कामेडी में हास्य का एक रूप है। स्वांग की कई बार अश्लील भाषा भी सामने आ जाती है। इसलिए व्यंग्य स्वांग से दूर रहता है। संक्षेप में कहेंगे व्यंग्यात्मक पैरोडी व्यंग्य प्रस्तुतीकरण का एक सशक्त माध्यम है। उसके विभिन्न रूप हैं— छल, अतिशयोक्ति, स्वांग आदि।

आज व्यंग्य पद्य के साथ-साथ गद्य की अनेक विधाओं के साथ विकसित है। नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, निबन्ध, कटाक्ष, कार्टून, टी0वी0 शो, अखबार, इण्टरनेट ब्लाग्स, हास्य मंच आदि के रूप में अपना पड़ाव डाले हुए है।

21वीं सदी के दूसरे दशक में व्यंग्य का रूप प्रतीकात्मक तो है पर बहुत ही असरदार भी है—

न बुआ न मौसी,

सबसे जरूरी चापलूसी।

लाकतन्त्र में इसका महत्व है विशेष,

सारी योग्यता रह जाती है धरी, शेष

न दर्ज होगा कोई मुदकमा न केस

अगर तुम हो मंत्री जी के विशेष

इससे सुन्दर योग्यता है और कौन सी

न बुआ, न मौसी

सबसे जरूरी है चापलूसी'

मदन कश्यप की व्यंग्य पवित्र्यां वर्तमान व्यंग्य के पुट में प्रमाणित प्रतीत होती हैं जिसके सहारे नेताओं के दोगले चरित्र को उघारा है —

हम हैं नेता, हम हैं नेता

मिट्टी बेंचें, पानी बेंच दें

सब बेंचें, कहानी बेंच दें,

पर्वत, जंगल, नदी बेंच दें

गांधी जी का नाम बेंच दें

नेहरू के सब काम बेंच दें

लोहिया के पैगाम बेंच दें

आम्बेदकर की आन बेंच दें

शहीदों के ताबूत बेंच दें

विधवाओं के ताबूत बेंच दें

युद्ध बेंच दें, अमन बेंच दें

हम चाहें तो वतन बेंच दें

हम हैं ऐसे विक्रेता, नेता-नेता, नेता-नेता

हम हैं नेता, हम हैं नेता।'

नये परिवेश, नये समाज और बदलते नये समय में नये व्यंग्य के रूप में 'न्यूजीलैण्ड' में रहते हुए प्रवासी रोहित कुमार 'हैप्पी' नये वक्त में, लिखते हैं—

नये वक्त में जा गये, देखो नये फकीर।
पूरी हलुआ दो इन्हें, फिर भी मांगे खीर।।
महलों में रहने लगा, जब से एक फीकर।
दोहे न साकी कहे, बैठका मौन कबीर।।
विषधर भी डरने लगा, देख मनुज की बात।
डस लेने में दे रहा, अब सबको यह मात।।³

व्यंग्य का तीखापन आज के परिवेश में कैसा और कितना कसैला हो उसको रामदरश मिश्र की 'भगवान कथा' में देखा जा सकता है— "शंख पुकार रहा था मानों घर की मरी आत्माएँ करवट लेकर जाग रही थीं। मुंशी जी हाथी की तरह आगे-पीछे झूमते हुए कथा सुन रहे थे। पंडित जी सावित्री कथा बाँच रहे थे—

मया च तत्र गन्तव्यमेशधर्मः सनातनः।

तव चैव प्रसादेन न मे प्रतिहता गतिः।।⁴

"महाभारत की पुलिस-रपट' में व्यंग्य वर्तमान की व्यंग्य परिभाषा ही बदलता प्रतीत हो रहा है— "क्षमा करें हुजूर, कि हमने आपको बेशकीमती वक्त बरवाद किया, अपने मन की बात कहने में! हुजूर ने बड़ी सख्ती से फौरन महाभारत काण्ड पर जांच पड़ताल बाद कार्यवाही करने और अर्जेन्ट रपट भेजने का हुकुम दिया था, परन्तु पी0एच0क्यू0 (पुलिस मुख्यालय) का ये आदेश हमें 15 दिन बाद मिला है। महाभारत की वारदात की सूचना कुरुक्षेत्र फुटबाल स्टेडियम के चौकीदार से मिली थी कि कौरव पाण्डव पार्टी के बीच वहाँ भारी दंगा-फसाद होने वाला है। परन्तु आगजनी, कत्लेआम, लुटपाट की पक्की खबर नहीं थी और सबसे बड़ी बात ये कि उस समय हमारा मिनिस्टर साब का शहर में 'गोबर कण्डा-विक्रेता यूनियन' के कार्यालय के उद्घाटन का कार्यक्रम था, सो थाने की दो-तिहाई फोर्स वहाँ वी0आई0पी0 की सुरक्षा में तैनात थी।"⁵

आज की तारीख में व्यंग्य मंचों पर केन्द्रित सा प्रतीत हो रहा है। सुरेन्द्र दुबे, छत्तीसगढ़, सुरेन्द्र शर्मा, ओम व्यास, काका हाथरसी, हुल्लडु मुरादाबादी, अल्हड़ बीकानेरी, माणिक वर्मा, शैल चतुर्वेदी, प्रदीप चौबे, बिहारी लाल 'अम्बर' आदि विशेष प्रयास से व्यंग्य को मंच पर बाँच रहे हैं।

पद्मश्री सुरेन्द्र शर्मा हिन्दी के व्यंग्य को मंच से प्रस्तुत करते हैं और अपने 'स्वनाम धन्य है' में लिखते हैं—

हमने अपनी पत्नी से कहा—

तुलसीदास जी ने कहा—

ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी।

ये सब ताड़न के अधिकारी।।

इसका अर्थ समझती हो या समझाएँ?

पत्नी बोली—

इसका अर्थ तो बिल्कुल साफ है

इसमें एक जगह मैं हूँ

चार जगह आप हैं।"

कविता का मूल उद्देश्य केवल हंसी या मनोरंजन ही नहीं बल्कि उसमें हंसी के अतिरिक्त सन्देश शामिल हो यदि ऐसा नहीं होता है तो कविता के साथ बेईमानी है। किसी भी कवि या लेखक या व्यंग्यकार की कृतियों में उसके रचना धर्मिता की अभिव्यक्ति होती है। कृतिकार का रचना धर्म-कर्म जितना ही वृहद होगा उसकी कृति में उतनी ही अधिक विविधता और पूर्णता दृष्टिगोचर होती है। व्यंग्य की बात करें तो इसमें व्यंग्यकार की प्रखरता व मुखरता का एक ही कारण बना है और वह है उसका अदम्य संघर्ष।

आज का पाठक अतिशीघ्र नवीन व्यंग्य का आदी हो गया है। वह अपनी साहित्यिक भूख मिटाने के लिए अखबार या मंच ढूँढ़ता है क्योंकि पत्रिकाओं और किताबों में समय अधिक लगता है। सोशल मीडिया पर साहित्यिक सुविधाएँ उपलब्ध हैं जिसके सहारे लोग ग्रुप से जुड़कर अपनी तमाम व्यंग्य-क्षुधा को शान्त कर रहे हैं। इण्टरनेट, ब्लाग्स, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन्स्टाग्राम आदि के माध्यम से व्यंग्य अपना नवीनतम तकनीकी रूप धारणकर बढ़ रहा है।

सन्दर्भ :

1. व्यंग्य-यात्रा त्रैमासिक पत्रिका— जुलाई-दिसम्बर 2020, पृ0 112
2. व्यंग्य-यात्रा त्रैमासिक पत्रिका— जुलाई-दिसम्बर 2020, पृ0 108
3. व्यंग्य-यात्रा त्रैमासिक पत्रिका— जुलाई-दिसम्बर 2020, पृ0 116
4. व्यंग्य-यात्रा त्रैमासिक पत्रिका— जुलाई-दिसम्बर 2020, पृ0 63
5. व्यंग्य-यात्रा त्रैमासिक पत्रिका— जुलाई-दिसम्बर 2019, पृ0 71

तुलसीदास के काव्य में समाविष्ट धार्मिक मूल्य

चन्दा सिंह*

*शोध छात्रा (हिन्दी), हंडिया पी0 जी0 कॉलेज, हंडिया, प्रयागराज, उ0प्र0

डॉ० बिजेन्द्र सिंह**

**शोध निर्देशक (हिन्दी), हंडिया पी0 जी0 कॉलेज, हंडिया, प्रयागराज, उ0प्र0

सारांश : मूल्य वे गुण हैं जो किसी भी विषय या वस्तु के आकलन की अनुमति देते हैं, या तो नकारात्मक या सकारात्मक। दूसरी ओर धार्मिक वह है, जो धर्म से जुड़ा हुआ है (विश्वास का बंधन जो मनुष्य परमात्मा के साथ स्थापित करता है और जिसमें हठधर्मिता, अनुष्ठान और अन्य मुद्दे शामिल हो सकते हैं)। धार्मिक मूल्य, इसलिए, किसी व्यक्ति द्वारा उस सिद्धांत के अनुसार अपनाए जाने वाले सिद्धांत हैं जिसे वह धर्म के द्वारा स्थापित करता है। ये मूल्य एक व्याख्या पर निर्भर नहीं करती हैं कि विषय नैतिकता का बनता है, लेकिन पुस्तक या एक प्राधिकरण द्वारा लगाया जाता है। कई बार धार्मिक मूल्य, नैतिक मूल्यों या नैतिक मूल्यों के साथ मेल खाते हैं जो धर्मनिरपेक्ष क्षेत्र से सम्बन्धित हैं। उदाहरण के लिए एकजुटता और सम्मान, मानवीय मूल्य हैं जिन्हें धार्मिक मूल्यों के रूप में माना जा सकता है जब कोई व्यक्ति उन्हें पवित्र पुस्तक से या उनकी मान्यता के एक नेता की सलाह से अपनाता है, लेकिन वे सार्वभौमिक मूल्य भी हैं जो स्थापित होते हैं शिक्षा या अनुभव से। एक उदाहरण के रूप में उजागर होने के अलावा, हमें यह कहना होगा कि कई अन्य धार्मिक मूल्य हैं जो प्रासंगिकता प्राप्त करते हैं और इसे उन लोगों को ध्यान में रखना चाहिए जो एक विश्वास या किसी अन्य को मानते हैं। हम कुछ इस तरह का उल्लेख कर रहे हैं: लव, विशेषकर पड़ोसी। परोपकार, जो उन लोगों की मदद करने के महत्व को निर्धारित करने के लिए आता है जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है और उनके साथ साझा करना। यह दया, जो व्यक्ति को कुछ समय के लिए किए गए पापों में दूसरों को समझने और माफ करने की क्षमता को संदर्भित करता है। धर्म का सम्मान या दायित्वों के साथ “अनुपालन” करने और यह स्थापित करने के लिए पूर्वसर्ग हैं। धार्मिक जो लोगों को इन “हठधर्मिता” के बारे में बताने के लिए जिम्मेदार होते हैं और उनके विश्वास के मूल्य स्थापित करते हैं, इसके अलावा, एक व्यक्ति को उन तक पहुंचने के लिए यह आवश्यक है कि वह बुराई और ईर्ष्या से मुक्त हो। लेकिन इतना ही नहीं, वे यह भी स्थापित करते हैं कि जो लोग इस तरह के मूल्य रखना चाहते हैं, उन्हें स्वार्थी नहीं होना चाहिए, उनके पास शुद्ध और साफ दिल होना चाहिए या हर समय भगवान और दूसरों का सम्मान करने की आवश्यकता है। उनका मानना है कि इस तरह से वे स्थापित उपदेशों का पालन करेंगे और इस प्रकार वे सर्वशक्तिमान के करीब आने में सक्षम होंगे। विशेष रूप से यह निर्धारित किया जाता है कि यह निकटता अन्य मूल्यों जैसे कि सहिष्णुता, ईमानदारी, लाभ, दूसरों के लिए सम्मान, गरिमा और निश्चित रूप से स्थापित कर्तव्यों का पालन करने पर भी प्राप्त होगी। दूसरी ओर अन्य धार्मिक मूल्य अन्य क्षेत्रों में महत्व खो देते हैं। आज्ञाकारिता, जिसे धर्म में एक हठधर्मिता के लिए निर्देशित किया जा सकता है, एक पाठ या एक प्राधिकरण के संकेत (जैसे एक पुजारी, एक रब्बी या एक चुबल), कई लोगों के दैनिक जीवन के पृष्ठभूमि में हो सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ परिस्थितियों के खिलाफ नहीं मानना और विद्रोह करना भी कुछ सकारात्मक माना जाता है।

गोस्वामी जी के इष्टदेव श्रीराम स्वयं राज-धर्म के आश्रय और आदर्श रामराज्य के जनक हैं। यद्यपि वे साम्राज्य-संस्थापक हैं तथापि उनके साम्राज्य की शाश्वत आधारशिला स्नेह, सत्य, अहिंसा, दान, त्याग, शान्ति, सुमति, विवेक, वैराग्य, क्षमा, न्याय, औचित्य तथा विज्ञान हैं जिनकी प्रेरणा से राजा साम्राज्य के सारे विभागों का परिपालन उसी धर्म बुद्धि से करते हैं जिससे मुख शरीर के सारे अंगों का यथाचित परिपालन करता है। श्रीराम की एकतात्रात्मक राज-व्यवस्था में राज-कार्य के प्रायः सभी महत्वपूर्ण अवसरों पर राजा, मनीषियों, मंत्रियों तथा सभ्यों से समुचित सम्मति प्राप्त करने की विनीत चेष्टा करते हैं और उपलब्ध सम्मति को सहर्ष कार्यन्वित करते हैं। राजा श्रीराम में उक्त सारे लक्षण विलक्षण रूप में वर्तमान हैं, वे भूप-गुणागार हैं। उनमें सत्य-प्रियता, साहस और उत्साह, गंभीरता तथा प्रजा-वत्सलता, आदि मानव-दुर्लभ गुण सहज ही सुलभ हैं। एक स्थल पर श्रीराम ने राज-धर्म के मूल स्वरूप का परिचय कराते हुए भाई भरत को यह उपदेश दिया है कि पूज्य पुरुषों, माताओं और गुरुजनों के आज्ञानुसार राज्य, प्रजा और राजधानी का न्याय और नीतिपूर्वक सम्यक् परिपालन करना ही राज-धर्म का मूलमंत्र है। मानव-जीवन पर काल, स्वभाव और परिवेश का गहरा प्रभाव पड़ता है। यह स्पष्ट है कि काल-प्रवाह के कारण समाज के आचारों, विचारों तथा मनोभावों में ह्रास-विकास होते रहते हैं। यही कारण है कि जब सत्य की प्रधानता रहती है तब सत्य-युग, जब रजोगुण का समावेश होता है तब त्रेता, जब रजोगुण का विस्तार होता है तब द्वापर तथा जब पाप का पाधान्य होता है तब कलियुग का आगमन होता है। गोस्वामी जी ने नारी-धर्म की भी सफल स्थापना की है और समाज के लिए उसे अतिशय उपादेय माना है। गृहस्थ-जीवन रथ के दो चक्र स्वयं नारी है। यही जीवन-प्रगति-विधायिका है। इसी कारण हमारी संस्कृति में नारी को अर्द्धांगिनी, धर्म-पत्नी, जीवन-संगिनी, देवी, गृह-लक्ष्मी तथा संजीवनी-शक्ति के रूप में देखा है। जिस प्रकार सृष्टि-लीला-विलास में पुरुष प्रकृति परस्पर संयुक्त होकर विकास-रचना करते हैं, उसी प्रकार गृह या समाज में नारी-पुरुष के प्रीतिपूर्वक सुखमय संयोग से धर्म-कर्म का पुण्यमय प्रसार होता है। सत्यतः रति, प्रीति और धर्म की पालिका स्त्री या पत्नी ही है। वह धन, प्रजा, काया, लोक-यात्रा, धर्म, देव और पितर आदि, इन सबकी रक्षा करती है। स्त्री या नारी ही पुरुष की श्रेष्ठ गति है “दाराः परागतिः”। स्त्री ही प्रियवादिनी, कांता, सुखद मंत्रणा देनेवाली, संगिनी, हितैषिणी और दुःख में हाथ बंटाने वाली देवी है। अतः जीवन और समाज की सुखद प्रगति और मधुर संतुलन के लिए तथा स्वयं नारी की मुक्ति-मुक्ति के लिए नारी-धर्म के सम्यक् विधान की अपेक्षा है।

धार्मिक मूल्य उन विश्वासों और प्रथाओं को दर्शाते हैं, जिनमें एक धार्मिक अनुयायी भाग लेता है। अधिकांश मूल्य प्रत्येक संबंधित धर्म के पवित्र ग्रन्थों से उत्पन्न होते हैं। धर्म के सदस्यों से भी उत्पन्न होते हैं। विशेष धर्म के सदस्यों को विशेष धर्म के मूल्यों का एक प्रमुख अवतार माना जाता है। जैसे किसी धर्म के नेता या अनुयायी जो इसके नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं। प्रत्येक धर्म के समान और भिन्न मूल्य हैं। ये मूल्य धर्म निरपेक्ष समाज में भी स्पष्ट हैं क्योंकि यह समानताएं साझा करता है।

तुलसीदास जी एक धार्मिक प्रवृत्ति के रचनाकार थे। इनकी सबसे प्रमुख किताब रामचरित मानस में धर्म की महत्ता के मूल्यपरक दोहों की रचना देखने को मिलती है। ब्रह्म और ईश्वर की महानता को इंगित करते हुए 'रामचरित मानस' में ईश्वर को सर्वव्यापक, अव्यक्त, अविनाशी, चिदानन्द, निर्गुण एवं गुणों की राशि 'ब्रह्म' विकार विहीन, योगसाधनारत योगियों द्वारा ही प्राप्त होने योग्य होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने परब्रह्म परमात्मा और उसके रूप में अवतार ग्रहण करने वाले ईश्वर या भगवान रूप के निवास के विषय में उल्लेख करते कहते हैं।

**“जसु तुम्हार मानस विमल, हंसिनी जीहाजासु
मुकताहल गुनगन चुनई राम बसहु हियतासु”¹**

गोस्वामी ने निर्विकार एवं निरछल मन वाले जीव के अन्तः में परब्रह्म के निवास की प्रार्थना की है रामचरित मानस के अरण्यकाण्ड में राम ने लक्ष्मण से अपने निवास के विषय में राम ने लक्ष्मण से अपने निवास के विषय में उल्लेख किया है:-

**काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके
वचन कर्म मन मोरिगति, भजहुँ करहि निष्काम।
तिन्ह के हृदय कमल मुहँ, करउँ सदा विश्राम।²**

रामचरित मानस में माया को परमात्मा शक्ति के रूप में निरूपित किया गया है माया जगत की उत्पत्ति या सृष्टि की रचना के कारण कही गयी है, वह अवतार ग्रहण करने वाली भी कही गयी है। इसी माया स संसार एवं उसके समस्त प्राणी उत्पन्न हुए कहे गये हैं। सृष्टि की उत्पत्ति में माया के साधन काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार कहे गये हैं। सृष्टि की उत्पत्ति में माया का सर्वप्रधान साधन अहंकार कहा गया है। उल्लेख है कि अहंकार, जन्म, मरण रूप संसार का मूल है तथा वह अनेक प्रकार के क्लेशों को देने वाला भी है। इस प्रकार मानस में माया अपने अहंकार आदि उपकरणों से सृष्टि की उत्पत्ति एवं संवर्धन करने वाली कही गयी है। गोस्वामी तुलसीदास ने माया की मूर्ति स्त्री को अत्यन्त दारुण दुःख देने वाली कहा है।

**काम क्रोध लोभादिमद, अबल मोह के धारि।
तिन्ह महुँ अतिदारुन दुखद मायारूपी नारि।।³**

रामचरित मानस में माया के उच्छेदन या विनाश का सर्वश्रेष्ठ साधन भक्ति को निरूपित किया गया है:-

**भक्ति करत बिन जतन प्रयासा।
संसृति मूल अविद्यानासा।।⁴**

गोस्वामी तुलसीदास ने वैराग्य संदीपनी में रामजानकी और लक्ष्मण का यशगान किया है और मानव को मात्र उनका ही यशगान करने का संकेत किया गया है। उनकी शरण में आकर मानव सारे बंधनो एवं कष्टों से मुक्त हो जायेगा:-

**राम-वाम-दिसि जानकी, लखन दाहिनी ओर।
ध्यान सकल कल्याण मय सुर-तरु तुलसी तोर।।⁵**

तुलसीदास जी प्रभु महिमा का गान करते हुए नहीं अघाते। उनकी मान्यता है कि जिस प्रकार सूर्य के समक्ष अंधकार भाग खड़ा होता है ठीक उसी प्रकार राम की दोहाई फिरते ही काम, क्रोध लोभ और मोह भाग खड़े होते हैं:-

**फिरी दोहाई राम की, गे कामादिक भाजि।
तुलसी ज्यों रवि के उदय, तुरंत जात तम लाजि।।
यह बिराग-संदीपनी सुजन सुचित सुनि लेहु।
अनुचित वचन विचारि के जस सुधारि तस लेहु।।⁶**

मानव जीवन में यदि मनुष्य को उसके अभीष्ट देवता का दर्शन हो जाय, या उसके मन में उनका वास हो जाय तो मनुष्य अपने को सौभाग्यशाली मानता है। कोई भी व्यक्ति जन्म-मरण के भवसागर में फंसे रहना कभी पसंद नहीं करता व्यक्ति चाहता है कि किसी न किसी प्रकार भगवान राम और जगतजननी माँ सीता की कृपा दृष्टि उस पर बन जाय। ऐसे व्यक्तियों को उनकी इच्छापूर्ति के लिए मुक्तिमंत्र देते हुए तुलसीदास कहते हैं कि कोई भी राम भक्त भगवान श्रीरामचन्द्र जी और सीता मैया के विवाह-प्रसंग को यदि पूजन-अर्चन के समय गा-गा कर उन्हें स्मृति करे तो इसे सुनने से राम और जानकी हृदय में आ बसते हैं:-

**“गुरु, गनपति, गिरिराजपति, गौरि, गिरापति।
सारद सेष सुकवि सुति संत सरल मति।।
हाथ जोरि कर विनय सबहिं सिर नावों।
सिय रघुवीर विवाह जथामति गावों”।।⁷**

मानव जीवन में घटित पापों के नष्ट करने के भक्तिमार्ग उद्घाटित करते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम और सीता को हृदय में बसाकर शंकर और पार्वती के विवाह प्रसंग को गाया जाय तो इसे गाने वाले और इसको सुनने वाले के पाप नष्ट हो जाते हैं:-

**बिनह गुरहि गुनि, गनहिं गन न्नाथहिं।
हृदय आनि-सिय राम धरे-धनु माथहिं।
गावहुँ गोरि-गिरीस-विवाह सुहावन।
पाप-नसावन, पावन-मुनि-मान भावन।।⁸**

तुलसीदास मूलतः दास्यभक्ति के कवि हैं। वे ईश्वर की प्राप्ति के लिए दास्य भाव से भगवान का भजन कर उन्हें प्रसन्न करने का गुरुमंत्र जनमानस को देते हुए कहते हैं दास्यभाव प्रेयान रस का शक्तिमान प्रवाह है। ईश्वर अपने भक्तों को दास्यभाव से बहुत आसानी प्रभावित हो जाता है। ईश्वर की दयालुता और इसकी महानता का गुणगान करते हुए लिखते हैं:-

**तू दयालु दीन हौं, तू दानि हौं भिखारी।
हौं प्रसिद्ध पातकी तू पाप-पुंज हारी।
नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मो सो।
मो समान आरत नहिं आरतिहर तो सो।**

ब्रह्म तू ही जीव तू ठाकुर ही चरो ।

तात् मात गुरु सखा तू सब विधि हितु मेरो ।⁹

तुलसीदास कहते हैं कि इस क्षणभंगुर संसार में व्यक्ति को जीवन ईश्वर द्वारा उपहार स्वरूप प्रदान किया गया है उसे यहाँ की मोह-माया में व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। मानव जीवन का चिराग किसी भी समय बुझ सकता है। ऐसे में व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने जीवन के बहुमूल्य समय को ईश्वर की उपासना उसकी पूजा-अर्चना कर सद् कर्म करते हुए इस संसार में जीवनावधि पूरी करनी चाहिए। इस संदर्भ में वे लिखते हैं कि:-

जप, तप, तीरथ, जोग, समाधी, कलि-मति विकल न कछु निरूपाधी
करतहुँ सुकृत न पाप सिराही। रक्त बीज जिमि बाढ़त जाही ।।

नाहिन आवत आन भरोसो ।

यहि कलिकाल सकल साधन तरु, हैं भ्रम फलनि फरो सो ।

जप, तीरथ उपवास, दान मख, जेहि जो रुचे करो सो ।

पा ऐहि पे जानिबो करम फल भरि-भरि वेद परोसो ।

आगम-विध, जप जाग, करत नर सरत न काज खरो-सो ।

सुख सपने हुँ न जोग-सिधि-साधन, रोग वियोग धरो सो ।

काम, क्रोध मद लोभ मोह मिलि-ज्ञान -विराग हरो सो ।¹⁰

तुलसीदास कहते हैं की मायारूपी इस भवसागर से पार पाने के लिए व्यक्ति को हमेशा राम के नाम में लिन रहना चाहिए राम के जीवन की जो मर्यादाएं हैं उस पर अमल करते हुए सद्कर्म करके इस संसार से विदा लेनी चाहिए। क्योंकि राम का स्मरण और उनके द्वारा दिए गए चरित्र को आत्मसात करने से व्यक्ति पाप एवं बुरे कार्यों से बच जाता है। और वह जब जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुँचता है तो शरीर से प्राण पखेरु के निकलते समय उसकी जिह्वा पर राम का नाम चलता रहता है। उनके कहने का तात्पर्य यह है कि यदि जीवन के अंतिम क्षणों में अर्थात् मृत्यु के समय राम का नाम जबान पर हो तो व्यक्ति के प्राण बहुत आसानी से निकल जाते हैं और वह आवागमन के भवसागर को पार कर जाता है इस संबंध में तुलसी लिखते हैं:-

मरत कहत सब सब कहँ सुभिरहु राम ।

तुलसी अब नहिं जपत समुझि परिनाम ।।

तुलसी राम नाम सम मित्र न आन ।

जौ पहुँचाव रामपुर तनु अवसान ।।

नाम भरोस नाम बल नाम सनेहु ।

जनम जनम रघुनन्दन तुलसिहिं देहु ।।

जनम जनम जहै जहँ तनु तुलसिहि देहु ।

तहँ तहँ राम निबाहब नाम सनेहु ।।¹¹

सन्दर्भ :

1. तुलसीदास, रामचरित मानस, पृ० 2-128
2. तुलसीदास, रामचरित मानस, पृ० 3-15-12-3-16
3. तुलसीदास, रामचरित मानस, पृ० 3-43
4. तुलसीदास, रामचरित मानस, 7-117-ख-8
5. तुलसीदास वैराग्य संदीपनी, दोहा (1)
6. वही, (61-62)
7. तुलसीदास, जानकी मंगल 11 1 11
8. तुलसीदास, पार्वती मंगल 11 1 11
9. विनय पत्रिका, राग तोड़ी (171)
10. तुलसीदास, विनय पत्रिका, पद संख्या-128 एवं 171
11. तुलसीदास, डॉ० माताप्रसाद गुप्त, हिन्दी परिषद प्रकाशन, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, पृष्ठ 247

अकाल में उत्सव : भ्रष्टाचार के मकड़जाल में दम तोड़ता भारतीय किसान

विनोद कुमार भारती*

*शोधार्थी, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बाराबंकी, उ०प्र०

डॉ० अमित कुमार**

**एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बाराबंकी, उ०प्र०

सारांश : किसान आज के समय में सबसे निरीह प्राणी का बोधक बनता जा रहा है। देश में जिस किसान को कभी अन्नदाता कह कर महिमामंडित किया जाता रहा है। आज वही व्यवस्था की भेंट चढ़ कर उपेक्षा का शिकार हो गया है। विकास के सभी नारों एवं घोषणाओं के बावजूद इस देश में किसान की बहाली से देश की बहाली का हम सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। किसानों की वस्तुस्थिति को जानते हुए भी न जानने का ढोंग करती, सरकारें अपने देश को भविष्य की भयावह स्थिति की ओर ढकेल रही हैं। भारत में नव उदारवादी नीतियों ने जहाँ एक तरफ उद्योगपतियों को बेतहाशा फायदा पहुँचाया है वहीं किसानों की स्थिति बद से बदतर हुई है। सूखा, ओला और बाढ़ किसान के जन्मजात शत्रु हैं। इन शत्रुओं में अब कमरतोड़ महँगाई, बेदखली एवं कर्ज भी जुड़ गये हैं। जिसकी परिणति बड़े पैमाने पर किसान आत्महत्या के रूप में दिखाई पड़ती है। अब यदि ऐसी स्थिति में सरकार किसानों की दुर्दशा पर मरहम लगाने के बजाय उनकी अपनी स्थिति पर छोड़ दे तो इससे बड़ी बिडम्बना और क्या हो सकती है। सरकार की नीतियों ही उल्टे किसान के गले का फॉस बन जाय तो इसे क्या कहा जायेगा। आज जब हमारे देश में किसानों की आत्महत्या और उसके मौत के आँकड़े भी स्वाभाविक घटना सी जान पड़ने लगे तब हमें समझना चाहिए कि हम और हमारी सरकारें किस कदर किसान के प्रति संवेदनहीन बने हुए हैं। आज हम इतिहास के उस मोड़ पर खड़े हैं जहाँ लेखक अधिक हैं पाठक कम। इस समय साहित्य बहुत लिखा जा रहा है लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसी कृतियाँ होती हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद हम समाज की उन सच्चाइयों से परिचित हो पाते हैं जिन सच्चाइयों को जानते हुए भी हम अज्ञान बने रहते हैं। उसकी गम्भीरता एवं त्रासदीता की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। जब तक कि कोई ध्यान नहीं दिलाता। सचमुच में साहित्य वही है जिसे पढ़कर पाठक सामाजिक यथार्थ से रूपरू हो जाय और साथ ही मन में कुछ प्रश्न उठे और उन प्रश्नों के उत्तर के लिए हमारा मन बेचैन हो उठे। वैसे साहित्य का काम सिर्फ पाठक का मनोरंजन करना नहीं होता है। बल्कि समाज के यथार्थ से हमें रूबरू करना ही होता है। अकाल में उत्सव उपन्यास एक ऐसी ही कृति है।

मुख्य शब्द : बेदखली, आत्महत्या, नव उदारवादी नीतियाँ, सरकारी तंत्र, भ्रष्टाचार, वंचित जनता, मूल्य आदि।

हिन्दी कथा साहित्य में अपनी लेखनी से समकालीन कथा जगत के पाठकों को चौकन्ना करने वाले कथाकारों में पंकज सुबीर जी का नाम बहुत आदर से लिया जाता है। सुबीर जी पिछले एक दशक से इस देश के वंचित जनता की आवाज अपनी लेखनी के माध्यम से उठा रहे हैं। हिन्दी कथा के समकाल को यदि हम गौर से देखे तो कह सकते हैं कि सुबीर जी का लेखन इक्कीसवीं सदी के कई नई सामाजिक समस्याओं मुद्दों का यथार्थ लेखन है। पंकज सुबीर का उपन्यास 'अकाल में उत्सव' सन् 2016 ई० में शिवना प्रकाशन से प्रकाशित हुआ। यह उपन्यास सरकारी तंत्र का किसानों के प्रति उनकी सोच और उनकी मानसिकता का एकसरे करता हुआ हमारे मौजूदा समय के एक गम्भीर समस्या एवं प्रश्न से टकराता है। हम आज यह कहते हुए नहीं अघाते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसकी आत्मा गाँवों में बसती है। आज भी इस देश पूर्ण प्रधानमंत्री स्व० श्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया नारा 'जय जवान-जय किसान' बुलंद आवाजों में लगाया जाता है। बावजूद इसके आज इसी किसान की आवाज इस देश में घुट रही है। विकास के बेतरतीब मॉडल से बढ़ते उद्योग और बाजार की चकाचौंध में खेती उपेक्षा का शिकार और किसान आत्महत्या करने को मजबूर हुए हैं। आज खेती घाटे का सौदा बनी हुई तथा हाड़तोड़ मेहनत के बाद भी किसान के तन पर फटे कपड़े और चेहरे पर पड़ी झुर्रियाँ देखकर उसकी खुद की पीढ़ी का खेती-किसानी से बहुत तीव्र गति से मोहभंग हो रहा है। पंकज सुबीर के 'अकाल में उत्सव' उपन्यास में इस बात को रेखांकित किया गया है कि किसान आपदाओं का मारा हुआ नहीं है। बल्कि व्यवस्थाओं का मारा हुआ है। 'अकाल में उत्सव' नाम की व्यंजना से ही उपन्यास के कथ्य का पता चल जाता है। एक तरफ अकाल है तो दूसरी तरफ उत्सव है। एक तरफ मरण है तो दूसरी तरफ जश्न और आनन्द है। एक तरफ जन है तो दूसरी तरफ तंत्र है। इस उपन्यास में हम सीधे-सीधे दो फ्रक देख सकते हैं। सच में यह उपन्यास व्यवस्था के दो ध्रुव की कथा है। जिसके एक ध्रुव के प्रतिनिधि कलेक्टर श्रीराम परिहार हैं और दूसरे ध्रुव के प्रतिनिधि किसान राम प्रसाद हैं।

'अकाल में उत्सव' उपन्यास में राम प्रसाद जैसे किसान की आत्महत्या किसान की उदासिनता और भ्रष्टाचार को बहुत ही संजीदगी के साथ बयान करता है। यह बात कितनी बिडम्बनापूर्ण है कि जिस किसान से करोड़ों लोगों की निवाला मिलता है। आज वह खुद के अपने निवाले के लिए तरस रहा है। यदि एक कृषि प्रधान देश में किसान को अपने जीवनयापन के लिए शासन व्यवस्था की कुरितियों एवं कुव्यवस्थाओं से लगातार संघर्ष करना पड़े और उस संघर्ष से आजीज आकर उसे अपनी जीवन लीला समाप्त करने को विवश होना पड़े तो यह उस देश और सत्ता व्यवस्था के लिए बहुत शर्म की बात है। इस बात को बहुत गम्भीरता से सोचने की बात है कि यदि एक कृषि प्रधान देश में किसान आत्महत्या करता है तो उसके लिए जिम्मेदार 'आत्महत्या करने वाला किसान है या फिर वह व्यवस्था जिससे आजीज आकर उसे यह कदम उठाना पड़ता है। अपने इस महान देश में व्यवस्था के निकम्मेपन और किसानों को दायम दर्जे का नागरिक मानकर चलने वाले नेताओं, अधिकारियों, बाबुओं, मीडिया के ठेकेदारों और समाज में अलग-अलग वेश में मौजूद हत्यारों की कथा है— "अकाल में उत्सव"

उपन्यास का कथानक मध्य प्रदेश के एक छोटे से गाँव सूखा पानी का है। राम प्रसाद के अलावा इसकी कथा परिधि में लगभग दर्जन भर ऐसे पात्र हैं, जिनका सम्बन्ध समाज के अलग-अलग कार्य क्षेत्रों से है। ग्रामीण जन-जीवन से लेकर सरकारी कर्मचारियों-कार्यालयों से होते राज नेताओं तक इसकी जड़ में है। इस उपन्यास को पढ़ने के बाद इस देश की शासन व्यवस्था के असलियत हमारे सामने उजागर हो जाती है। इस बात का हमें यकीन हो जाता है कि सरकारी अधिकारी, कर्मचारी एवं राजनेता सिस्टम बदले जाने की बातें सिर्फ फाइलों एवं भाषणों में ही करते हैं। जबकि वे हकीकत में कुछ और ही करते हैं। उपन्यास में हर

भारतीय किसान की तरह राम प्रसाद को भी पहले तो प्रकृति की मार झेलनी पड़ती है फिर बाद में व्यवस्था के सामने विवश होना पड़ता है। और अन्त में दर-दर भटकने के बाद खुद को असहाय मानकर जिन्दगी को समाप्त करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कहने को तो आज यह कहा जा सकता है कि हम विज्ञान और नई तकनीक के इक्कीसवीं सदी में जी रहे हैं। लेकिन यह सच्चाई कुछ प्रतिशत लोगों के लिए ही सही है। किसान, दिहाड़ी मजदूर और समाज के अन्य निर्धन लोगों के लिए आज भी शाषक और शोषित वाली व्यवस्था ही अपने परिवर्तित रूप में कायम है।

वर्तमान राजनीति एवं सरकारी कार्यालयों की कड़वी सच्चाई जिलाधिकारी से लेकर पंचायत के क्लर्क तक में व्याप्त भ्रष्टाचार, लचर सरकारी स्वास्थ्य और मंहगी होती जा रही शिक्षा व्यवस्था की चक्की में पिसता जा रहे बेबस किसान का यथार्थ चित्रण है— 'अकाल में उत्सव' इस उपन्यास में दो कथाएं समानांतर चलती हैं। वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, संस्कृतिक आदि सभी पहलुओं को उपन्यासकार ने बखूबी पाठक के सामने रखा है। इस उपन्यास की कथा भूमि 'सूखा पानी' इस देश के लगभग सभी गाँवों का प्रतीक है तो वही राम प्रसाद सम्पूर्ण भारतीय किसान का और कमला पीड़ित किसान परिवार की महिला का। इसके अलावा अंग्रेजी राज की मानसिकता वाले कलेक्टर श्री राम परिहार, उपजिलाधिकारी राकेश पाण्डेय, राजनीतिक कार्यकर्ता मोहन राठी और राहुल जैसे पत्रकार मध्य प्रदेश के इस छोटे से क्षेत्र के ही नहीं अपितु देश के लगभग सभी हिस्सों में हैं। इस उपन्यास में पटवारी, बैंक कर्मचारी, चौरासिया, मिश्रा जैसे पात्र भी देश के सभी राज्यों, जिलों, गाँवों आदि में पाये जाने वाले पात्र हैं। ये सभी पात्र भेड़ियों की तरह शिकार को खोज में दिन-रात अपनी आँखें गड़ाये रखते हैं। कि कब कोई शिकार मिले और उस पर वे टूट पड़े।

उपन्यास के कथानक में राम प्रसाद के परिवार में उसकी पत्नी कमला, उनके तीन बच्चे, बहनें और बहनोई हैं। कथानक का मुख्य पात्र राम प्रसाद है। एक किसान परिवार सरकारी तंत्र के षडयंत्र का किस प्रकार शिकार होता है और विवश होकर उस षडयंत्रकारी व्यवस्था के सामने कैसे आत्मसमर्पण कर देता है। उसका यथार्थ रूप इस उपन्यास में चित्रित किया गया है। 'अकाल' राम प्रसाद का यथार्थ है तो वहीं 'उत्सव' सरकारी खजाने को लूटने का तरीका है। किसान राम प्रसाद के दुःखद अन्त तथा सांस्कृतिक उत्सव के सफल आयोजन के बीच कथानक में 21 वीं सदी की उन सभी विगंगतियों को पंकज सुबीर ने बहुत ही बारीकी एवं सजीवता के साथ उजागर किया है जो आज मानव को दानव बनाने में लगा है। देश के प्रशासनिक अधिकारियों की अंग्रेजी के देश छोड़कर चले जाने के 75 वर्षों के बाद भी उनकी अंग्रेजी मानसिकता किस प्रकार से सिस्टम का अंग बना हुआ है। जो दिन-रात यहाँ के गरीब, किसान और निम्न वर्ग के लोगों का शोषण कर रहा है।

भारत में किसान राजनीति के लिए नरम चारा है जिसे सब चर कर मोटे होना चाहते हैं। वह उपयोगी तो बहुत है लेकिन आदरणीय एवं सम्माननीय नहीं। जिलाधिकारी श्रीराम परिहार किसानों के सन्दर्भ में इस उपन्यास में कहता है कि "हिन्दुस्तान का किसान बहुत लालची होता है। इसको जरा सा लालच दे दो तो, यह कुछ भी करने को तैयार रहता है, कर्ज ले लेगा तो कर्जमाफी के लिए चिल्लाएगा, बिजली का यूज कर लेगा तो बिजली का बिल माँफ करने के लिए रोयेगा, फसल खराब हो गया तो मुआवजे के लिए छाती पीटेगा। इससे लालची कोई और हो ही नहीं सकता है। सरकार भी वोट के चक्कर में गोद में बिठाकर खिलाता है उनको। इनकम टैक्स यह नहीं भरे, दूसरा कोई टैक्स नहीं भरे, पहले लगान वह भरते थे तो वह भी खतम सा हो गया है। एक बार खेत में बीज डाल दिये, फसल काट लिये और उसके बाद कोई काम नहीं, भारत के किसान के साथ तो केवल अंग्रेज ही सही तरीके से डील करते थे उस तरीके के बिना वो यह लोग मानने वाले भी नहीं हैं।" अकाल में उत्सव उपन्यास में कई ऐसे प्रसंग आते हैं जिसमें सरकारी तंत्र की रहनुमाओं के रहनुमायी का पर्दाफास होता रहता है यह कितनी बिडम्बनापूर्ण बात है कि जिस कलेक्टर के हाथ में उस जनपद के समूचे आबादी की जिम्मेदारी होती है। जिसके हाथ में सरकार द्वारा चलायी जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुँचाने की जिम्मेदारी होती है वही अधिकारी यदि ऐसी घृणित सोच रखता है तो ऐसे में किसानों का क्रय हो सकता है। इस देश में श्रीराम परिहार जैसे न जाने कितने जिलाधिकारी ऐसे हैं जो किसानों के खून के जीवन में जोंक की तरह हैं। वह धीरे-धीरे किसानों के खून के साथ-साथ इस देश का भी खून चूस ले लेते हैं। उपन्यासकार ने सिर्फ किसानों की दुर्दशा एवं उनके प्रति प्रशासन की उदासिनता को ही विचित्र नहीं किया है बल्कि उसके साथ किसान के भविष्य के विषय में भी वह सोचता रहा है। साहित्य एक सम्भावना है। वह अपने समय के साथ-साथ आने वाले समय के खतरों को भी पहचानता है। पंकज सुबीर ने खेती के प्रति बढ़ती लोगों की उदासिनता और जब किसान खेती नहीं करेगा तो इस देश में क्या होगा? इस मुद्दे पर अपने पात्रों से वह विचार करवाते हैं—“अगर किसान खेती नहीं करेगा तो आप और हम खायेंगे क्या? और वैसे भी अब किसान धीरे-धीरे इस देश में मजदूर होता जा रहा है। उसकी जमीनें जा रही हैं। कुछ दिन बाद इस देश में मल्टीनेशनल कम्पनियों ही खेती करेंगी सारी। और देखियेगा कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं चलेगा जो कम्पनियाँ चाहेंगी वही मूल्य रहेगा।”² इस बात से हम सभी वाकिफ हैं कि तीन कृषि कानून में एक कानून न्यूनतम समर्थन मूल्य के खात्मे का भी था। सरकार के नितियों एवं किसान की बदहाली को देखते हुए इस बात को स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है कि 21वीं सदी का भारत कृषि प्रधान देश नहीं है। इस भारत में कार्पोरेट एवं उद्योगों का बोलबाला है जो तकनीक पर सवार होकर सिर्फ लाभ और अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए निकल चुका है। उसके रास्ते में नदी पहाड़, जंगल, खेत, किसान जो भी आयेगा वह उनका दोहन करेगा और अन्ततः उन्हें खत्म कर आगे बढ़ जायेगा। इस अन्धाधुंध विकास ने भारतीय किसानों के परम्परागत उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया और धीरे-धीरे उनकी जमीनों को भी लीलते जा रहे हैं।

भारत का किसान एक तरफ तो वह व्यवस्था की मार को झेल रहा है तो दूसरी तरफ धार्मिक अंधविश्वासों के मकड़जाल में भी फँसकर अपने जीवन को तबाह कर लेता है। वैसे तो कोई भी धर्म कुकृत्य करने की छुट किसी को भी नहीं देता लेकिन धर्म के नाम पर भोली-भाली जनता को लूटन का षडयंत्र उनके अन्दर साम्प्रदायिक उन्माद भरने का कुचक्र एवं धर्म के खतरे को दिखाकर उनके वोट को हथियाने की साजिश तथा परम्परा के नाम पर अमानवीय कुकृत्यों को करने हेतु प्रोत्साहन आज इस ज्ञान और विज्ञान की सदी में कहाँ तक स्वीकार्य एवं प्रासंगिक है इस बात को भी बहुत सिद्धत के साथ पंकज सुबीर ने 'अकाल में उत्सव' उपन्यास के माध्यम से उठाया है। वह धर्म के व्यवसायीकरण को बहुत साफ-साफ देखते हैं। कैसे भोले-भाले किसानों, मजदूरों एवं गरीब जनता को ईश्वरीय भय दिखाकर उनसे धन की उगाही की जाती है। ऐसे में राम प्रसाद जैसे किसान जो बड़ी मुश्किल से अपने परिवार के लिए खाने का अनाज जुटा पाते हैं तो वह धर्म के लिए धन कहाँ से देंगे। लेकिन ऐसे में एक प्रसंग

आता है जब गाँव का एक बाबा मन्दिर बनवाने का प्रण कर लेता है और इस प्रण को पूरा करने के लिए किसानों को धन देना होता है। यह धन—“राम प्रसाद जैसे किसानों को भी देना है जो पैसे की तंगी के चलते अपने घरों का ही जीर्णोद्धार नहीं करवा पा रहे हैं। आपके अपने घर का जीर्णोद्धार भले ही नहीं हो पाये लेकिन भगवान के घर के जीर्णोद्धार के लिए तो पैसा अनाज की शक्ल में तो देना ही है। गाँव का मंदिर कोई ऐसा भी खण्डहर नहीं हुआ है। हुआ यह है कि कोई एक बाबा है उन्होंने प्रण ले लिया है कम से कम पचास गाँवों में या तो नया मंदिर बनवायेंगे या पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार करवा कर उनको बिल्कुल नया बनवायेंगे, और यह प्रण भी अपनी जेब के पैसे से नहीं लिया है पैसा तो उस गाँव के किसान ही देंगे फिर यह मंदिर बाबा क्या करेंगे? वह प्रेरणा देंगे। प्रण बाबा का है और भरण किसानों का हो रहा है। यह हमारे देश की एक ऐसी सच्चाई है जिसे देखकर भी हम अनदेखा करते रहते हैं। बाबा और मौलवियों के प्रण से यह देश न जाने कितनी बार साम्प्रदायिकता की आग में झुलस चुका है।”³ उपन्यासकार पंकज सुबीर ने इस समस्या को रेखांकित करते हुए इस तर्ज पर कुछ और बाबाओं की परिकल्पना करते हैं। जैसे— स्कूल बनवाने वाले, स्कूल बाबा, अस्पताल बनवाने वाले अस्पताल बाबा, सड़क बनवाने वाले सड़क बाबा आदि यदि इस देश में पैदा हो जाय तो इस देश की यह दुर्दशा बहुत जल्द ठीक हो जायेगी। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि “अगर उस प्रकार का कोई बाबा पैदा भी हो जाय तो वह पचास तो क्या एक भी नहीं बनवा सकेगा। कारण यह कि अस्पताल, स्कूल और सड़क में कोई भय शामिल नहीं है, भय वैसा जैसा कि भगवान का है।”⁴ इस बात को प्रायः बौद्धिक मंचों से हम कहते—सुनते आ रहे हैं कि दुनियाँ के सारे धर्म स्थल भय का कारोबार करने वाली दुकानें हैं। इन दुकानों की बिक्री ही भय पर टिकी हुई है। जितना अधिक भय उतनी अधिक बिक्री। डराओं और कमाओं वाली इस संस्कृति की जाल में सबसे पहले किसान फँसता है। यह बात भी आज के सन्दर्भ में बेमानी है कि इस जाल में सिर्फ किसान ही फँसता है। इस जाल में बड़े-बड़े उद्योगपति प्रोफेसर, नेता एवं अभिनेताओं का भी आवागमन है जो इसके ग्लैमर को और अधिक बढ़ा देता है पुँजीवाद के विस्तार के साथ ह साथ इनका भी विस्तार बहुत तीव्रगति से अपने देश में हुआ है। कहने का आशय यह है कि किसान अपने सामाजिक-आर्थिक समस्याओं से जुझते हुए तो पार पा भी जाता है लेकिन राजनीतिक एवं धार्मिक व्यवस्था में अन्ततः पीस जाता है। जैसे— इस उपन्यास में राम प्रसाद पीस गया है।

आज किसान इस देश का सबसे अधिक परेशान इंसान है बढ़ती महँगाई के चलते खाद, बीज कीटनाशक एवं डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं उस अनुपात में किसान के फसले का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। प्रायः उन्हें घाटा ही लगता रहता है। आजादी के बाद से अब तक हर राजनीतिक पार्टी किसानों की सिर्फ बेहतरी की बात करती है। उन्हें उचित मुआवजा, उनके फसलों के उचित मूल्य दिलाने की बात करती है किन्तु सत्ता में आते ही वह भूल जाती है। ऐसे में यह उपन्यास किसान जीवन की समस्या और उसकी पीड़ा को कई दृष्टिकोणों से समझाने की कोशिश करता है। किसानों की बेबसी एवं लाचारी तो कमाल की तोड़ बिकने के साथ ही परिवर्धित हो जाती है लेकिन उससे भी बड़ी साजिश उसके जमीन को हड़पने और उसे जीविका से दूर करने की मल्टीनेशनल कम्पनियों द्वारा की जा रही है। जिससे खेती किसानों के साथ-साथ किसानों जीवन का अस्तित्व भी खतरे में आ गया है। उस खतरे को लेखक ने एस0डी0एम0 राकेश पाण्डेय और सामाजिक कार्यकर्ता रमेश चौरसिया के बीच हो रहे बातचीत के माध्यम से उजागर होता है। “असलियत में क्या होता है वही जनता है जो किसानों करता है। बीज समय पर नहीं मिलता, मिल जाय तो पता चले खराब निकल गया, अंकुरित ही नहीं हुआ, बज खराब न हो किसान की किस्मत से तो खाद नहीं मिलेगा। खाद जैसे तैसे करके लाये तो बिजली नहीं है पानी किस प्रकार से फेरा जाय खेत में। ऐसा लगाता है जैसे सरकारें खुद ही किसानों को खेती करने से रोकना चाह रही हैं। मल्टी नेशनल के इशारों पर। कभी यूरिया के संकट, कभी बिजली का संकट, कभी बीज का संकट। सारे संकट केवल किसान के सामने ही क्यों पैदा किये जा रहे हैं। ताकि वह घबराकर अपने खेत बँच दे मल्टीनेशनल को यह बहुत बड़ा षडयंत्र है, बड़ी कांसपरेसी है।”⁵

उदारीकरण नाम की जिस व्यवस्था को भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने हेतु 90 के दशक में शुरू किया गया वह आज तक जारी है। यह व्यवस्था न तो अपने अतीत का मूल्यांकन करती है और न ही अपने अगल-बगल के दण्डभाव को देखती है उसका एक मात्र लक्ष्य है पुँजीवादी व्यवस्था को सुदृढ़ करना। इस सुदृढ़ीकरण में जिसकी सर्वाधिक हानि हुई है। वह है किसान। उदारीकरण के नीति ने इस देश में एक ऐसे वर्ग को जन्म दिया है जिसका सरोकार किसान, मजदूर गरीब या निम्न मध्य वर्ग से दूर-दूर तक का नहीं है यदि कुछ है तो किसी भी तरह से अधिकाधिक लाभ कमाने भर से। —“यह कितना बड़ा मजाक है कि गरीब किसान के मक्का का तो समर्थन मूल्य तो तय है मगर उस मक्का से कार्नाफलाक्स बनाने वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनी के लिए कोई भी समर्थन मूल्य नहीं है। ढेड़ रुपये किलो की मक्का को बहुराष्ट्रीय कम्पनी 300 रुपये किलो में बेचती है।”⁶ ऐसे ही आलू से बना चिप्स, भुजिया आदि कार्पोरेटी उत्पाद किसानों के उत्पाद से 300 गुना अधिक मुनाफा कमा रहे हैं।

‘अकाल में उत्सव’ उपन्यास का कथानक बड़े फसल के साथ क्रूर सच्चाइयों को महीन पतों के साथ उजागर करने में समर्थ है। इस उपन्यास के संदर्भ में मैनेजर पाण्डेय लिखते हैं कि—“यह गाँव और किसान जीवन के दुख-दर्द कहने वाली रचना है इस उपन्यास के पढ़कर कहा जा सकता है कि किसान जीवन में आजकल सुख कम दुःख ज्यादा है।”⁷ सचमुच में राम प्रसाद जैसे किसानों की जीवन में सुख की उम्मीदें हैं लेकिन जीवन में दुःख ही दुःख है।

निष्कर्ष : यह उपन्यास राम प्रसाद जैसे किसानों के माध्यम से भारत के किसानों की समस्या को बयान करता है। जिसमें श्री राम परिहार जैसे जिलाधिकारी की अफसरशाही शनक में, सत्ता के साथ गोटी बिछाने के चक्कर में किसानों का कोई अस्तित्व नहीं है। उनके लिए उत्सव प्रिय है, किसानों का दुख नहीं। तभी तो एक तरफ कलेक्टर के साथ पूरा महकमा जश्न और उत्सव मनाने में मस्त है वहीं दूसरी तरफ राम प्रसाद हताश-निराश होकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। उसकी आत्महत्या के बाद शासन-प्रशासन का चौकना और फिर उसकी लीपापोती करने का दौर शुरू होता है। व्यवस्था की खामियों से ऊपजी राम प्रसाद की आत्महत्या को धूर्त अफसर शाही पागलपन करार देते हैं। यह सिर्फ राम प्रसाद जैसे न जाने कितने किसानों की आत्महत्या पर ऐसे तोहमत मढ़कर जिला प्रशासन अपनी पीठ थपथपा लेता है। आज भी किसानों की आत्महत्या पर नेताओं के यदाकदा अमर्यादित बयान आते ही रहते हैं। अकाल में उत्सव इस देश में होते ही रहते हैं। एक तरफ राम प्रसाद की मृत्यु होती है वहीं

दूसरी तरफ विराट कवि सम्मेलन के समापन की खबर 'मगर धरती की बेचैनी को सिर्फ बादल समझता है' शीर्षक से प्रकाशित होती है। युग कवि की इन पक्तियों से उपन्यासकार असहमत है वह लिखता है कि—“गलत कहा कवि ने, बहुत गलत कहा.....धरती की बेचैनी को बादल नहीं समझता, कभी नहीं समझता। धरती की बेचैनी को अगर बादल समझता तो पृथ्वी का इतना बड़ा हिस्सा रेगिस्तान नहीं होता। न अकाल होता, न सूखा ही पड़ता। धरती की बेचैनी को बादल नहीं समझता, धरती की बेचैनी को बस किसान समझता है। मगर किसान की बेचैनी को कोई नहीं समझता।⁸

सन्दर्भ :

1. सुबीर, पंकज, संस्करण 2020, अकाल में उत्सव, शिवना प्रकाशन सीहोर मध्य प्रदेश, पृ० 174—175
2. वही, पृ० 94
3. वही, पृ० 185—186
4. वही, पृ० 186
5. रविवासरी, संपादकीय जनसत्ता, 2017, पृ० 1
6. सुबीर पंकज, संस्करण 2020, अकाल में उत्सव, शिवना प्रकाशन, सीहोर, मध्य प्रदेश, पृ० 48
7. द्वीगरा सुधा ओम, संस्करण 2017 सम्पादक विमर्श अकाल म उत्सव, शिवान प्रकाशन, सीहोर, मध्य प्रदेश, पृ० 17
8. सुबीर पंकज, संस्करण 2020, अकाल में उत्सव, शिवना प्रकाशन, सीहोर, मध्य प्रदेश, पृ० 256

सिद्ध-नाथ की राजनैतिक पृष्ठभूमि : एक अध्ययन प्रियंका भगत*

*एम0 एन0 बी0 कालेज, कोटवा, नारायणपुर, बलिया, उ0प्र0

सारांश : जिस युग में सिद्धों और नाथों का उदय हुआ वो युग सत्ता परिवर्तन का युग था, साम्राज्यवादी शक्तियों के ह्रास का, हमारा विवेच्य काल है सन 600 ई. से 1200 ई. तक। इसी के बीच सिद्ध सरहपा और योगी मत्स्येन्द्रनाथ का प्रादुर्भाव हुआ था, ऐसा माना जाता है। इस युग में खासकर उस क्षेत्र की राजनैतिक परिस्थितियां क्या थीं जिनमें वज्रयानी सिद्धों और कौलिक योगियों को प्रोत्साहन मिला। इन्हीं विषयों को ध्यान में रखकर इस युग की राजनैतिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण किया जायेगा।

मुख्य शब्द : सिद्ध, नाथ, साम्राज्यवादी शक्तियाँ, सम्प्रदाय, सहिष्णुता, विकेंद्रीकरण आदि।

सिद्ध-नाथ युग में राजनीतिक परिदृश्य तीव्रता से बदल रहे थे। नयी शक्तियों का उभर हो रहा था। सत्ता विकेंद्रित होकर छोटे-छोटे प्रदेशों में बंट रही थी। इस युग के राजनीतिक वातावरण में काफी उथल-पुथल जिसका प्रभाव किसी न किसी रूप में समाज के सभी अंगों पर पड़ रहा था। जिस तरह नए-नए राज्य स्थापित हो रहे थे उसी तरह नए-नए सम्प्रदाय भी। कोई भी सम्प्रदाय बिना किसी राजकीय प्रश्रय के फल-फूल नहीं सकता। इस युग की राजनीतिक पृष्ठभूमि ने नए-नए सम्प्रदायों को फलने-फूलने के लिए उपर्युक्त माहौल बना दिया था।

सिद्धों और नाथों का समय 700 ई0 से 1200 ई0 के लगभग माना जाता है। इससे पूर्व भारत भूमि पर जिस राजवंश ने राज्य किया वो था गुप्त राजवंश। गुप्तों का समय माना जाता है 320 ई. से 500 ई. तक। गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक ऐसी प्रवृत्ति का उदय हुआ जो विभिन्न रूपों में लगभग 1000 इसवी तक परिलक्षित होती है। यह प्रवृत्ति थी विकेंद्रीकरण और क्षेत्रीयता की भावना का प्रसार। इस बीच मौखरी राजवंश और पुष्यभूति राजवंश ने केन्द्रीय रूप से भारत में अपनी साम्राज्यवादी शक्तियों का प्रसार किया। पुष्यभूति वंश का अंतिम शासक हर्षवर्धन था। दिग्विजयी सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु (648) के साथ ही एक शांत, शक्तिशाली और समृद्ध शासन व्यवस्था का अंत हो गया और केन्द्रीय सत्ता का ह्रास। हर्षवर्धन की मृत्यु के साथ ही सम्पूर्ण शासन छिन्न-भिन्न होकर अत्यंत कमजोर हो गया। "इसके पश्चात टुकड़ों में बंटे कान्यकुब्ज साम्राज्य के पारस्परिक कलह और पतन का लगभग सौ वर्षों का इतिहास गायब है। "39 हों लगभग" इसी समय पूर्व में पाल वंश, दक्षिण में राष्ट्रकूट और राजपूताने के भिन्न-भिन्न या श्रीमाल के गुर्जर, प्रतिहार सशक्त शासक के रूप में उभरे।" हर्षवर्धन का ही समकालीन एक और व्यक्ति था जो ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण था और वो है गौड़ नरेश शशांक। शशांक ने मालव नरेश देवगुप्त के साथ मिलकर हर्षवर्धन के बड़े भाई राजवर्धन को मार डाला, जिसके पश्चात हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा। शशांक और हर्षवर्धन के बीच का संघर्ष इतिहास प्रसिद्ध है। ये सिर्फ दो राजाओं के बीच का संघर्ष मात्र नहीं था अपितु दो मतों का संघर्ष था। हर्षवर्धन बौद्ध मत को मानने वाला था और शशांक कट्टर शैव। वह बौद्धों से नफरत करता था। सिद्धों और नाथों की राजनैतिक पृष्ठभूमि को समझने के लिए हर्षवर्धन और शशांक के बीच के संघर्ष को समझना आवश्यक है।

शशांक बंगाल का एक हिन्दू राजा था जिसने सातवीं शताब्दी के अंतिम चरण में बंगाल पर शासन किया और गौड़ राज्य की स्थापना की। मालवा के राजा देवगुप्त के साथ मिलकर उसने न सिर्फ हर्षवर्धन के बड़े भाई राजवर्धन को मारा बल्कि उसकी बहन राज्यश्री के पति और कन्नौज के मौखरीवंशीय राजा गृहवर्मन को भी मार डाला और अपना प्रभाव बढ़ाना चाहा। "लगभग 600 ई0 में शशांक ने खुद को स्वतंत्र शासक घोषित किया। इसके पूर्व वह मौखरियों का सामंत था जिसका प्रमाण उसकी रोहतासगढ़ की मुद्रा से मिलता है। मौखरी नरेश सुस्थित वर्मन की मृत्यु के पश्चात गौड़ वंश ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। हर्ष से युद्ध के पूर्व ही शशांक बंगाल के अधिकांश भागों का स्वामी था। मंजुश्री मूलकल्प में शशांक को पुन्द्रवर्धन (उत्तर बंगाल) का स्वामी कहा गया है। ह्वेनसांग के अनुसार उसकी राजधानी कर्ण सुवर्ण (पश्चिम बंगाल) थी। दक्षिण बंगाल में भी उसका अधिपत्य था क्योंकि वहीं से बाद में उसने उड़ीसा पर आक्रमण किये। पूर्वी बंगाल में भी उसके राजलीला प्रकार के सिक्के मिले हैं, पर पूर्वी बंगाल पर अधिपत्य निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।"²

हर्षवर्धन और शशांक सिर्फ राजनैतिक शक्तियों का नाम नहीं था बल्कि दो धार्मिक शक्तियां थीं, जो अपने-अपने वर्चस्व के लिए युद्ध कर रही थीं। शशांक में हर्षवर्धन की तरह धार्मिक सहिष्णुता नहीं थी। "शशांक में धार्मिक सहिष्णुता नहीं थी। वह बौद्धों का कट्टर शत्रु था। उसने कुशीनगर में बौद्धों का एक विहार नष्ट कर दिया था। बुद्ध के पदचिन्हों वाला एक पत्थर गंगा में फेंकवा दिया था, बोधिवृक्ष की शाखाएं कटवा डालीं थीं और बुद्ध प्रतिमा को नष्ट कर शिव प्रतिमा की स्थापना करनी चाही थी।"³ इधर प्रतिक्रिया स्वरूप हर्षवर्धन ने कामरूप के शासक भास्करवर्मा से संधि कर ली। भास्करवर्मा पूर्वोत्तर में शशांक के बढ़ते प्रभाव से भयभीत था। उसने मदद की आकांक्षा के साथ हर्षवर्धन का साथ दिया। "पश्चिम से हर्ष और पूरब से कामरूप के राजा भास्करवर्मा के आक्रमणों के कारण शशांक ने पुन्द्रवर्धन (वर्तमान पूर्णिया और राजशाही जिले) छोड़कर दक्षिणी बिहार के पहाड़ी प्रदेश में आश्रय लिया। उसकी शक्ति बिलकुल टूट न गयी थी। गंगा के दक्षिण, भागीरथी (बंगाल में गंगा की शाखा) से सोन तक, सारा प्रदेश अब भी उसके अधिकार में था और उड़ीसा के राजा अंत तक उसे अपना अधिपति मानते रहे।"⁴ अतः दो तरफा घिरने के कारण शशांक को पीछे हटना पड़ा। हर्ष और भास्करवर्मा को भी अपने राज्यों की स्थिति सँभालने के लिए वापस जाना पड़ा और शशांक का गौड़, मगध और उत्कल (उड़ीसा) पर अधिकार उसकी मृत्यु पर्यंत बना रहा। "शशांक की मृत्यु 619 ई. के उपरांत किन्तु 637 ई. के पहले हो चुकी थी, ऐसा अनुमान किया जाता है।"⁵ शशांक की मृत्यु के साथ ही हर्ष और उसके बीच की प्रतिद्वंद्विता भी समाप्त हो। शशांक को मृत्यु के पश्चात उसके राज्य को हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। बाद में उसपर कामरूप के राजा भास्करवर्मा का अधिपत्य हो गया। भास्करवर्मा भी शैव मतावलंबी था लेकिन वह शशांक की तरह बौद्धों से नफरत नहीं करता था।

इस काल में पूर्वी भारत की सबसे महत्वपूर्ण घटना पालवंश की स्थापना है। इसलिए नहीं कि पालवंशी राजाओं ने शशांक के भयानक अत्याचार के बाद खुले आम बौद्धों और सहजयानी सिद्धों को प्रश्रय दिया, वरन इसलिए भी कि वे जनता द्वारा चुने गये थे। निम्न वर्ग से उठे थे और यह तथ्य उस समय की जनता की अतुल शक्ति और प्रभाव का परिचायक है।"⁶ प्रसिद्ध तिब्बती लेखक

और इतिहासकार लामा तारानाथ का कहना है कि बंगाल में पाल वंश की स्थापना से पूर्व चन्द्र वंशी राजाओं का राज था और चंदेल शासक यशोवर्मन के आक्रमण के समय ललितचन्द्र गौड़ का शासक था। लेकिन हम यहाँ पालवंश की राजनैतिक परिस्थितियों पर ही विचार करेंगे, क्योंकि सरहपा की सहज साधना और मत्स्येन्द्र की कौल साधना का उत्स पूर्वी भारत में ही है।

शांका के पश्चात पूर्वी प्रदेश में केन्द्रीय सत्ता का लोप हो गया। विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति की वजह से पुरे देश में अराजकता की भावना थी। सभी छोटे-बड़े सामंत-सरदार अपने आप में राजा थे। 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' वाली कहावत चरितार्थ हो रही थी। गौड़ तथा बंग प्रदेश में कोई स्थायी राजा नहीं था। इसे 'मत्स्य न्याय' की संज्ञा दी गयी। ऐसी अराजक परिस्थितियों में एक विचित्र घटना घटी " जनता ने स्वतः एक योद्धा को पूर्वी भारत का शासक चुन लिया ताकि वह इस समस्त अराजकता को समाप्त कर सके।" पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी लेकिन इसका सबसे शक्तिशाली शासक था धर्मपाल जो 770 ई. में गद्दी पर बैठा। "आठवीं शताब्दी में गोपाल के सिंहासनारूढ़ होने से पूर्व पालों के विषय में बहुत कम जानकारी मिलती है। गोपाल इसलिए भी लोकप्रिय हुआ कि वह वंशानुगत राजा न होकर निर्वाचित राजा था। दुर्भाग्य से निर्वाचन का कोई विवरण नहीं मिलता और केवल यही कहा जाता है कि देश को अराजकता से बचाने के लिए ही गोपाल को राजा चुना गया था।" पाल वंश बौद्धों का आदर करता था। "धर्मपाल ने अपनी और अपने पत्नी के वजन के बराबर सोना बौद्धों को दान किया, उनके लिए एक नए बौद्ध विहार विक्रमशीला की स्थापना की। पुराने विहार सोमपुरी का पुनरुद्धार किया।" लगभग इसी समय राजपुताना के प्रतिहार, दक्कन के राष्ट्रकूट और बंगाल के पाल में त्रिकोणीय संघर्ष की शुरुआत हुयी। दरअसल छठी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद ही राजनीतिक शक्ति केंद्र के रूप में 'पाटलिपुत्र' का महत्व समाप्त हो गया था। इसका स्थान उत्तर भारत में कन्नौज ने ले लिया। "इस समय उत्तर में राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का लक्ष्य कन्नौज नगर को जीतकर उस पर अधिकार स्थापित करना था। संभवतः हर्ष और यशोवर्मन के कारण, जिन्होंने इस नगर को साम्राज्यिक सत्ता का प्रतीक बना रखा था, कन्नौज तीन शक्तियों—राष्ट्रकूटों, प्रतिहारों एवं पालों— के बीच संघर्ष का कारण बन गया, और इन तीन राज्यों की समूची सामरिक शक्ति कन्नौज की ओर केन्द्रित हो गयी। इस संघर्ष ने इन तीन राज्यों को निहल कर दिया जिससे इनके सामंतों की बन आई और फलस्वरूप समस्त उत्तरी भारत में छोटे-छोटे प्रादेशिक राज्य स्थापित हो गये।" हर्षवर्धन के शासन काल से ही 'कन्नौज' पर नियंत्रण उत्तरी भारत पर प्रभुत्व का प्रतीक माना जाने लगा। कन्नौज पर आधिपत्य को लेकर 200 वर्षों तक इन तीनों महाशक्तियों के बीच होने वाले संघर्ष को ही त्रिपक्षीय-संघर्ष कहा गया।

इस त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत प्रतिहार शासक वत्सराज ने की, जब उसने कन्नौज पर शासन करने वाले 'आयुध' शासक इन्द्रायुध को परास्त कर उत्तर भारत पर अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास किया। संघर्ष के प्रथम चरण में प्रतिहार नरेश वत्सराज, पाल नरेश धर्मपाल और राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव में संघर्ष हुआ, इसमें ध्रुव विजयी रहा। लेकिन वह ज्यादा दिनों तक उत्तर भारत में न रुककर वापस दक्कन चला गया। ध्रुव से युद्ध हारने के बाद कुछ समय तक प्रतिहार शासक हतोत्साहित रहे। इस मौके का फायदा उठाकर पाल नरेश धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण कर इन्द्रायुध को अपदस्थ करके अपने संरक्षण में चक्रायुध को राजगद्दी पर बिठाया। "गोपाल ने पाल वंश की स्थापना तो की, परन्तु उत्तर भारत की राजनीति में पाल वंश को जो महत्व प्राप्त हुआ उसका श्रेय धर्मपाल को है। इस बात के बावजूद कि उसे आरम्भ में राष्ट्रकूटों से मात खानी पड़ी, उसके शासन के अंत तक पाल सत्ता पूर्वी भारत में शक्तिशाली बन चुकी थी।"

आर. सी. मजूमदार का कहना है कि "उत्तर भारत की केन्द्रीय सत्ता का स्थानांतरण प्रतिहारों से पालों के हाथ में होना उस समय की राजनैतिक परिस्थिति में होने वाली प्रमुख परिवर्तन का प्रत्यक्ष संकेत था।" धर्मपाल उदार प्रवृत्ति का शासक था। उसने बौद्ध तांत्रिकों को खुला प्रश्रय दिया। जिस समय बौद्ध उत्तर भारत से विस्थापित हो रहे थे उस समय पूर्व में उन्हें पाल वंश जैसा उदार राजवंश मिला, जिसने उन्हें फलने-फूलने में भरपूर मदद की। धर्मपाल की कन्नौज पर जीत प्रतिहारों के गले नहीं उतर रही थी। वत्सराज के पुत्र नागभट्ट द्वितीय ने फिर से कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और मुंगेर के निकट धर्मपाल को हराया। किन्तु यहाँ फिर से इतिहास ने खुद को दोहराया और दक्कन के राष्ट्रकूट नरेश गोविन्द तृतीय ने नागभट्ट को पराजित किया। "चक्रयुद्ध और धर्मपाल दोनों ने ही आत्मसमर्पण किया और उसके उपरान्त गोविन्द तृतीय लौट गया।" किन्तु "इससे धर्मपाल का पूर्व भारतीय साम्राज्य यथापूर्व रहा और उसने 'परमेश्वर परमभट्टारक-महाराजाधिराज' की उपाधि धारण की।"

धर्मपाल के बाद गद्दी पर बैठने वाला तीसरा पाल वंशीय राजा देवपाल (810-850 ई.) था। देवपाल उत्तर भारत की राजनीति में ज्यादा हस्तक्षेप न करते हुए अपने शासन को सुदृढ़ बनाने में जुट गया। उसने मुद्रगगिरि (मुंगेर) को अपनी राजधानी बनाया। "उसने अपने समय में कामरूप तथा उत्कल के राजाओं को अपने अधीन कर लिया और कभी-कभी प्रतिहारों से भी मोर्चा लेता रहा। जावा-सुमात्रा के शासक ने उसके दरबार में अपना दूत भेजा था। देवपाल का शासनकाल (८१०-८५०) पाल साम्राज्य का स्वर्ण काल था।" उसके सेनापति लवसेन ने कामरूप और उत्कल पर विजय प्राप्त की। देवपाल ने अपने पिता की प्रसार-नीति को जारी रखा। अपने अभिलेखों में वह एक साम्राज्यवादी के रूप में मुखरित हुआ है। यह सम्भव है कि देवपाल ने राष्ट्रकूट-नरेश गोविन्द-तृतीय की मृत्यु से लाभ उठाया। गोविन्द-तृतीय के देहावसान से राष्ट्रकूट राज्य में अव्यवस्था फैल गई जिससे देवपाल को अपनी शक्ति बढ़ाने का अवसर मिल गया। उसके अभिलेखों में उसकी सुदूरव्यापिनी विजयों का उल्लेख किया गया है। एक अभिलेख में कहा गया है कि वह हिमालय और विन्ध्याचल के मध्यवर्ती सम्पूर्ण प्रदेश का स्वामी था और दक्षिण में उसने सेतुबन्ध रामेश्वरम् तक विजय प्राप्त की। परन्तु स्पष्ट है कि अभिलेख का यह कथन केवल प्रशस्तिवादन है और ऐतिहासिक तथ्य से नितान्त दूर है। एक अन्य स्तम्भ-लेख में यह उल्लेख मिलता है कि अपने मन्त्रियों धर्मपाणि तथा केदार मिश्र की नीतियुक्त मंत्रणा से प्रेरित होकर देवपाल ने उत्कल जाति को मिटा दिया, हूण का दर्प चूर कर दिया और द्रविड़ तथा गुर्जर के राजाओं का गर्व धूलधुसरित कर दिया। डॉ० रमाशंकर त्रिपाठी का मत है कि— बादल स्तम्भ-लेख का यह कथन सम्भवतः सही है। देवपाल के पिता धर्मपाल ने केवल थोड़ा ही दिनों तक सम्राट के रूप में शासन किया, किन्तु देवपाल ने कुछ अधिक काल तक अपनी सम्राटोचित सत्ता प्रमाणित की। उड़ीसा और आसाम पर उसका अधिकार हो जाने से उसका राज्य काफी विस्तृत हो गया। समकालीन नरेशों के बीच देवपाल की प्रतिष्ठा काफी जम गई, किन्तु प्रतिहार-नरेश मिहिरभोज के राज्यारोहण से गुर्जरों की साम्राज्यवादिता का उदय हुआ जो महेन्द्रपाल की मृत्यु तक बनी रही। इस प्रबल साम्राज्यवादिता के सामने बंगाल के पालों की कुछ न चल सकी और उनको अपनी राजनैतिक महत्वाकांक्षाएँ त्यागनी पड़ीं। परन्तु कुछ विद्वानों का मत है कि बादल स्तम्भ-लेख में गुर्जर के राजा का गर्व चूर्ण करने का जो उल्लेख प्राप्त है, वह सम्भवतः गुर्जर नरेश मिहिरभोज के लिए है। यदि यह मत ठीक

हो तो यह मानना पड़ेगा कि देवपाल के समय में पालों की शक्ति का ह्रास नहीं हुआ था किन्तु उसके उत्तराधिकारियों के शासन-काल में उसके वंश की राजनैतिक शक्ति निस्सन्देह घटने लगी थी। देवपाल का सुमात्रा और जावा के नरेश के साथ दौत्य सम्बन्ध (Diplomatic Relation) था। "एक ऐसा अभिलेख मिलता है जिससे पता लगता है कि सुमात्रा के एक राजा ने पाल राजा से नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने की अनुमति मांगी थी, इसी समय पूर्वी भारत के बौद्धों और दक्षिण पूर्व एशिया के सम्बन्ध सुदृढ़ हुए।"¹⁶ देवपाल के समय में बंगाल निश्चय ही एक शक्तिशाली राज्य था।

सन्दर्भ :

1. शर्मा, राजमणि, अपभ्रंश भाषा और साहित्य, पृ० 57
2. वही, पृ० 58
3. पांडे, डॉ० सुष्मिता, राजनैतिक इतिहास तथा संस्थाएं
4. वाटर्स, आन हवेन्सांग, ट्रेवल इन इंडिया, जिल्द 2, पृ० 43, 92, 115-116
5. प्रसाद, ओमप्रकाश, बिहार एक ऐतिहासिक अध्ययन, पृ० 152
6. भट्टाचार्य, सच्चिदानंद, भारतीय इतिहास कोष, पृ० 445.
7. धर्मवीर भारती, सिद्ध साहित्य, पृ० 68
8. मजूमदार, रमेशचन्द्र, हिस्ट्री ऑफ बंगाल, खंड-1, पृ० 97
9. थापर, रोमिला, भारत का इतिहास, पृ० 201
10. मजूमदार, रमेशचंद्र, हिस्ट्री ऑफ बंगाल, पृ० 115
11. थापर, रोमिला, भारत का इतिहास, पृ० 200
12. वही, पृ० 201-202
13. मजूमदार, आर.सी., ऐज ऑफ इम्पीरियल कन्नौज, पृ० 46-47
14. अल्तेकर, राष्ट्रकूट एंड देयर टाइम्स, पृ० 66
15. मजूमदार, आर.सी., हिस्ट्री ऑफ बंगाल, खंड-1, पृ० 113
16. वही, पृ० 116

शहरीकरण की चुनौतियाँ व समाधान

विजय कुमार*

*असि0 प्रो0, समाजशास्त्र विभाग, राजकीय महिला महाविद्यालय, कटुआ, जम्मू और कश्मीर

सारांश : भारत में आजादी के बाद से पिछले 75 वर्षों में शहरीकरण की जिन समस्याओं का हमने सामना किया है, वे भले ही अनोखी न हों, लेकिन काफी चुनौतीपूर्ण रही हैं। साथ ही हमने इसके बहुत मिश्रित परिणाम देखे हैं। यह शोध-पत्र शहरीकरण की चुनौतियाँ व समाधान का रेखांकित करता है। यह शोध पत्र पूर्व अध्ययन से अलग एवं समाज के लिए महत्वपूर्ण है। शोधपत्र पुस्तकालीय एवं विश्लेषणात्मक विधि पर आधारित है। यह अध्ययन शोधार्थियों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है।

मुख्य शब्द : शहरीकरण, नोडल शहरों, आधुनिक वास्तुकला, स्मार्ट सिटी मिशन आदि।

आबादी का बढ़ता बोझ : हमारे 10 लाख की आबादी वाले 46 शहरों, जिनमें से ज्यादातर में 30 लाख से ऊपर की आबादी है, ने ऐसी समस्याएं खड़ी कीं और झेली हैं, जो लाख से ऊपर की आबादी वाले 400 शहरों से बिल्कुल अलग हैं। छोटे शहर कैसे बड़े शहरों के रूप में बढ़ते और फलते-फूलते हैं, इसका एक अच्छा उदाहरण दिल्ली है। वर्ष 1947 में 15 लाख से कम की आबादी वाला यह शहर अब एक विशाल महानगर बन चुका है, जिसकी आबादी 1:3 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है! यह सब इसके विकास को नियंत्रित और विनियमित करने के सभी प्रयासों के बावजूद हुआ है। 1950 में इसकी आबादी का 13 लाख का आंकड़ा 1960 में लगभग दोगुना होकर 23 लाख हो गया। उसके बाद एक दशक से भी कम समय में, 1970 में यह संख्या 35 लाख तक पहुंच गई। पानी, जमीन और अन्य कारकों की उपलब्धता को देखते हुए विशेषज्ञों ने दिल्ली की जनसंख्या वहन करने क्षमता 1.3 करोड़ आंकी थी। लेकिन जिस दर से जनसंख्या बढ़ रही थी, उसने लोगों को चिंता में डाल दिया कि यह आंकड़ा जल्द ही पार हो सकता है। लोगों का यह डर सच भी हो गया। 1986 में जब दिल्ली की जनसंख्या इसकी वहन क्षमता के आधे से भी अधिक यानी 68 लाख तक पहुंच गई, तो उस वक्त की सरकार ने निर्णय लिया कि इस वृद्धि को आधा करने के लिए निर्णायक कदम उठाए जाने की जरूरत है। चूंकि जनसंख्या में इजाफे का एक बड़ा हिस्सा पड़ोसी राज्यों से लोगों की आमद के कारण था।

दिल्ली के आसपास के एक बड़े क्षेत्र को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया गया। दिल्ली आने वाले लोगों को रोकने और उन्हें इन नोडल शहरों की ओर मोड़ने के लिए महानगर के चारों तरफ नोडल शहरों को फिल्टर के रूप में विकसित करने का विचार बनाया गया। यह आइडिया प्रभावी तरीके से शुरू नहीं हो सका। पहली वजह, ये नोडल शहर कभी भी दिल्ली से मेल खाती सुविधाओं और बुनियादी ढांचे का विकास नहीं कर सके और दूसरी, आकर्षक उप शहर— नोएडा और गुडगांव दिल्ली के काफी नजदीक आ गए। विचार तो यह था कि दिल्ली जैसी स्वतंत्र सुविधाओं और बुनियादी ढांचे वाले ये नोडल शहर दिल्ली से दूर होने चाहिए। हालांकि, दिल्ली को टक्कर देने वाले इन उप शहरों ने तथाकथित नोडल शहरों में जाने वाले लोगों के मन में दिल्ली से दूर जाने का विचार पैदा ही नहीं होने दिया और जल्दी ही इन दोनों शहरों में काफी कम अवधि में 10 लाख से ज्यादा की आबादी हो गई। इसके चलते दिल्ली की स्थिति और भी खराब हो गई, क्योंकि इन शहरों ने दिल्ली के साथ सब कुछ साझा किया। हवाई अड्डा, रेल, बस स्टेशन, यहां तक कि सिटी सेंटर्स भी। इस बीच, दिल्ली में आबादी का बढ़ना पहले की तरह 5% प्रति वर्ष की दर से जारी रहा। 1997 तक दिल्ली की जनसंख्या 1.4 करोड़ पहुंच चुकी थी, जो शहर की आबादी झेलने की क्षमता से काफी ज्यादा थी। उसके बाद के दो दशकों से यह वृद्धि बेरोकटोक जारी है। दिल्ली की जनसंख्या अब इसकी वहन क्षमता से लगभग दोगुनी हो चुकी है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि शहर लगभग सभी मामलों में समस्याओं से घिरा हुआ है। जल आपूर्ति, परिवहन, वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण, जल निकासी, कचरा निपटान।

दूसरे शहरों की स्थिति : दूसरे बड़े शहरों की हालत बेहतर नहीं है, हालांकि यह कई मामलों में अलग हो सकती है। ऐसा नहीं है कि भारत में शहरीकरण की कहानी पूरी तरह से खराब और नकारात्मक है। इसकी कई सकारात्मक विशेषताएं भी हैं। इनमें से सबसे खास शहरीकरण की कवायद द्वारा रोजगार बढ़ाने और गरीबी को कम करने में निभाई गई भूमिका है। पिछले 47 वर्षों में शहरीकरण का प्रत्यक्ष और लाभकारी परिणाम यह है कि इसने बड़ी संख्या में लोगों को लाभकारी रोजगार खोजने में सक्षम बनाया है। इसने गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के प्रतिशत को कम करने में एक बड़ी भूमिका निभाई है।

स्मार्ट सिटी की रफ्तार पिछले एक दशक में एक प्रमुख पहल स्मार्ट सिटी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य न केवल शहरीकरण की प्रक्रिया के साथ आने उद्यमियों और नौकरी चाहने वालों के लिए नए वाली कुछ बुराइयों को दूर करना है, बल्कि नवोदित और लाभकारी रास्ते भी बनाना है। 2 लाख करोड़ रुपये के प्रभावशाली व्यय लक्ष्य वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य पानी और बिजली की आपूर्ति, स्वच्छता और जल अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार, बेहतर और अधिक कुशल परिवहन प्रणाली द्वारा मोबिलिटी में सुधार, ई-गवर्नेंस और बेहतर आईटी कनेक्टिविटी, बेहतर पर्यावरण और सुरक्षा मुहैया कराना है।

बुनियादी ढांचे में सुधार की जरूरत : इस योजना का उद्देश्य न केवल मौजूदा बुनियादी ढांचा में आकर्षित होने वाली नई आबादी दोनों की ढांचे में सुधार करना है, बल्कि मौजूदा और इस देखभाल के लिए परिवहन और आश्रय की नई परियोजनाओं को भी शामिल करना है। यह परियोजना 2023 में पूरी करने की योजना थी, लेकिन अब तक इस योजना के लिए निर्धारित 2 लाख करोड़ रुपये में से केवल पांचवां हिस्सा ही खर्च किया गया है। इस योजना का उद्देश्य विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना था। स्मार्ट सिटी परियोजना आशा की एक किरण है। निस्संदेह मेट्रो ने हमारे शहरों और कस्बों में आधुनिकता की झलक पेश की है, लेकिन ये अकेले हमारे शहरों को वैसा नहीं बना सकती, स्वच्छ, प्रदूषण मुक्त वातावरण प्रदान करने वाले जैसा हम चाहते हैं। ऐसा शहर, जो एक स्वस्थ, हो, जो टिकारू हो और जीवन को गुणवत्ता उल्लेखनीय सुधार की ओर ले जाए।

ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में हमारे शहर : भारत के दस सबसे ज्यादा रहने योग्य शहर :

दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर : बेंगलुरु 66.70, पुणे 66.27 अहमदाबाद 64.87, चेन्नई 62.61, सूरत 61.73, नवी मुंबई 61.60, कोयंबटूर 59.72, वडोदरा 59.24, इंदौर 58.58, ग्रेटर मुंबई 58.23,

दस लाख से कम जनसंख्या वाले शहर : शिमला 66.90, भुवनेश्वर 59.85, सिलवासा 58.43, काकोनाडा 56.84, सालेम 56.40, वेल्लोर 56.38, गांधीनगर 56.25, गुरुग्राम 56.00, देवनगिरी 55.25, तिरुचिरापल्ली 55.24

भारतीय वास्तुकार और शहरी नियोजक : आजादी के बाद भारत में आधुनिक वास्तुकला के निर्माण का श्रेय इन्हें दिया जाता है। शहरी गरीबों की जरूरतों, पारंपरिक तरीकों और सामग्रियों के इस्तेमाल के लिए चार्ल्स कोरिया जाना जाता हैं। 1947 में 15 लाख से कम थी दिल्ली की आबादी। तब दिल्ली के आसपास हरियाली ही हरियाली थी 2021. में 3,11,81,377 हो चुकी है दिल्ली की आबादी और आज देश का सबसे बड़ा शहर बन चुका है।

शहरीकरण का बढ़ता प्रतिशत :

1990	26
2010	31
2021	35.39
2030	39

(स्रोत : विश्व बैंक की जानकारी के आधार पर विभिन्न स्रोतों द्वारा तैयार आंकड़ों के अनुसार)

स्मार्ट सिटी की रफ्तार : स्मार्ट सिटी मिशन को 2015 में 100 शहरों में लॉन्च किया गया था। यह शहरीकरण के साथ हुई कुछ बुराइयों से निपटने के लिए एक रेट्रोफिटिंग और शहरी नवनीकरण कार्यक्रम है। यह रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा।

2016-20 के बीच संघीय आवास मांग आपूर्ति :

एलआईजी मांग	25.0, आपूर्ति 1982
एमआईजी मांग	647, आपूर्ति 1457
एचआईजी मांग	351, आपूर्ति 717

1687-88 में पहला नगर चेन्नई में। पहले नगर निगम व पालिका, 1726 में मुंबई और कोलकाता में बना नगर निगम। 1882 में एक प्रस्ताव पास कर देश भर में पहली बार पंचायत, ताल्लुका, नगर पालिका आदि गठित हुए। वर्षीय योजना के तहत विकास का कार्य किया गया आजादी के बाद।

सर्वाधिक आबादी वाले तीन शहर :

1941-1951	कोलकाता, मुंबई, मद्रास
1961-1971	कोलकाता, मुंबई, दिल्ली
1981-1991	मुंबई, कोलकाता, दिल्ली
2001	मुंबई, कोलकाता, दिल्ली
2011	मुंबई, दिल्ली, कोलकाता
2021	दिल्ली, मुंबई, कोलकाता

(स्रोत हिन्दुस्तान टाइम्स)

संक्षेप में, आवश्यकता है स्मार्ट सिटी में पानी और बिजली की आपूर्ति, स्वच्छता और जल अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार, बेहतर और अधिक कुशल परिवहन प्रणाली द्वारा मोबिलिटी में सुधार, ई-गवर्नेंस और बेहतर आईटी कनेक्टिविटी, बेहतर पर्यावरण और सुरक्षा मुहैया कराना है।

सन्दर्भ :

1. ओमेश सहगल, हिन्दुस्तान 11 अगस्त 2022, पृ013
2. Brush, J.E., Spatial Pattern of Population in Indian Cities in Geographical Review, Vol. 58, 1968, PP. 362-91.
3. Dutta, K.I., Morphology of Indian Cities, form Ph.D. Thesis, (B.H.U., Varanasi), P.1968.
4. Dickinson, R.E. (1947), Cities, Region and Regionallism: A Geographical Contribution to Human Ecology, (London, Kegan Paul)
5. Marphy, R.E. (ed), (1966) Interaction of Man and His Environment, (New Delhi, Plenum Press), P.112
6. Smailes, Arthur E. (1967), The Geography of Towns, (London, Hutchinson University Library), P.80.

सूर्य का वैदिक विज्ञान

डॉ० अरुण बोस*

*अतिथि प्रवक्ता, संस्कृत विभाग, गिरधारी लाल डोगरा मेमोरियल महाविद्यालय हीरानगर, जम्मू और कश्मीर

सारांश : वैदिक साहित्य में सूर्य का विशद वर्णन है और वैदिक ख्यातों के आधार पर ही पुराणों में विशेषकर भविष्य, अग्नि और मत्स्य में सूर्य सम्बन्धी परम्पराओं का विकास हुआ है। पृथ्वी पर निश्चित पर्यावरण बनाए रखने में सौर परिवार का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह शोध-पत्र सूर्य का वैदिक विज्ञान को रेखांकित करता है। यह शोध पत्र पूर्व अध्ययन से अलग एवं समाज के लिए महत्वपूर्ण है। शोधपत्र पुस्तकालीय एवं विश्लेषणात्मक विधि पर आधारित है। यह अध्ययन शोधार्थियों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है।

मुख्य शब्द : वैदिक विज्ञान, सूर्य-किरण-चिकित्सा, वैदिक साहित्य, अथर्ववेद, सूर्यमण्डल आदि।

सौर देवों में सूर्य का रूप इतना ठोस है कि इसके भौतिक आधार तथा उदय होने वाले सूर्य को मंत्रों में कभी भुलाया नहीं गया है। अथर्ववेद में सूर्य को आदित्य, सविता, महेन्द्र, वायु, अर्थमा, वरुण, रुद्र, महादेव, अग्नि, महायम और रोहित कहा गया है।¹ सूर्य को चर और अचर जगत् की आत्मा कहा गया है।² वेदों में सूर्य-किरण-चिकित्सा का बहुत विस्तार से वर्णन है।³ उदय होता हुआ सूर्य हृदय के सभी रोगों को दूर करता है।⁴ अनेक मंत्रों में सूर्य कभी तो आकाश में उड़ने वाले पक्षी के रूप में और कभी उड़ने वाले गृध्र के रूप में माना गया है। आकाश में चमकता हुआ वह अन्धकार को दूर भगाता है जिसे वह चर्म की भांति लपेट लेता है अथवा जिसकी किरणें पानी में चर्म के समान उसे फेंक देती हैं। वह दिनों को मापता है और जीवन को बढ़ाता है। वह रोग, बीमारी तथा दृष्ट स्वप्नों को दूर भगा देता है। सूर्य अपने गौरव तथा महत्व के कारण देवों का पुरोहित कहा गया है (असूर्य पुरोहितः) सूर्य का सम्बन्ध स्वर (प्रकाश) से है तथा वह अवेस्ता के 'हरे' सूर्य के समान ही है जो तेज घोड़ों को रखता है तथा जो अहुरमज्दा का नेत्र है। उसके वैशिष्ट्य को यह मंत्र स्पष्टतः प्रकट कर रहा है—

“उद्देति सुभगो विश्ववक्षाः साधारणः सूर्यो मानषाणाम्।

चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्य देवश्चर्मव यः समविष्यक तमासि।।”⁵

सूर्य मानव मात्र का उद्बोधक बनकर उदित होता है।⁶ सूर्य के द्वारा उद्बुद्ध किये जाने पर मनुष्य अपने लक्ष्यों की ओर चल देता है तथा अपने कार्य में व्यस्त हो जाता है।⁷ सूर्य की यह विशेषता है कि वह अपनी ज्योति से अन्धकार का नाश कर देता है तथा रोग एवं दुःस्वप्न का भी विनाश कर देता है।⁸

सूर्य संसार को प्रकाश देने वाला है। ऋग्वेद में सूर्य को आदित्य कहा गया है, क्योंकि वह अदिति का पुत्र है।⁹ सूर्य के पिता द्यौ है।¹⁰ सूर्य समस्त प्राणियों व मर्त्यों के भले-बुरे कर्मों का निरीक्षण करता है।¹¹ सूर्य के रथ की कल्पना की गयी है। उसके रथ में सात घोड़े अथवा हरितः नाम की सात घोड़ियाँ¹² जोड़ी जाती हैं।

सविता एक हिरण्य देवता है ऋग्वेद में इसके लिए 11 सूक्त पठित हैं। सविता को 'हिरण्यक्ष'¹³ हिरण्यपाणि¹⁴ तथा हिरण्यजिह्वा¹⁵ कहा गया है। सविता के पास स्वर्णिम रथ है, जिसके द्वारा वह समस्त प्राणियों का सर्वेक्षण करता हुआ चलता है। सूर्य हिन्दुओं के पंचदेवों में एक है।¹⁶ सूर्य को जगत् की आत्मा कहा गया है—

“सूर्य आत्मा जगत्तस्तस्थुषश्च”।¹⁷

वैदिक साहित्य में सूर्य का विपद् वर्णन है और वैदिक ख्यातों के आधार पर ही पुराणों में विशेषकर भविष्य, अग्नि और मत्स्य में सूर्य सम्बन्धी परम्पराओं का विकास हुआ है। सूर्योपनिषत् में सूर्य को ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का ही रूप माना गया है—

एष ब्रह्मा च विष्णुश्च रुद्र एष हि भास्करः।¹⁸

पृथ्वी पर निश्चित पर्यावरण बनाए रखने में सौर परिवार का महत्वपूर्ण योगदान होता है। पृथ्वी की परिक्रमा करने के कारण भी सूर्य महत्वपूर्ण प्रकार्यों से सम्बद्ध है।¹⁹

सूर्य का वैदिक विज्ञान सूत्र :

(1) सूर्य न उदय होता है न अस्त : ब्राह्मण ग्रंथों में उल्लेख है कि सूर्य न उदय होता है न अस्त। सूर्य अपने स्थान पर रुका है, पृथ्वी उसका चक्कर काटती है, इसी आधार पर दिन के अन्त को सूर्यास्त और रात्रि के अन्त को सूर्योदय कहा जाता है।²⁰

(2) पृथ्वी सूर्य की प्रदक्षिणा करती है : ऋग्वेद में कहा गया है कि पृथ्वी सूर्य की प्रदक्षिणा करती है। पृथ्वी (क्षाः) सूर्य (शुष्ण) के चारों ओर घूमती है।²¹ यजुर्वेद में भी कहा गया है कि यह पृथ्वी (गौः) अन्तरिक्ष रूपी मां के समान रहती हुई पिता रूपी सूर्य की परिक्रमा करती है।²²

(3) सूर्य और सारा संसार घूमता है : यजुर्वेद में स्पष्ट दिया गया है कि पृथ्वी, सूर्य और सम्पूर्ण संसार घूमता है। इसका अभिप्राय यह है कि प्रकृति का प्रत्येक परमाणु निरन्तर चक्कर काट रहा है।²³

(4) सूर्य से चन्द्रमा में प्रकाश : यजुर्वेद में उल्लेख है कि सूर्य सुषुम्ण नामक किरण चन्द्रमा को प्रकाशित करती है। चन्द्रमा में प्रकाश नहीं है।²⁴ यास्क ने भी इस बात की पुष्टि की है।²⁵

(5) सूर्य की किरणें सप्तरंगी : अथर्ववेद में उल्लेख है कि सूर्य की सात रंग की किरणें हैं। ये ही वर्षा के कारण हैं।²⁶

(6) सूर्य की किरणें पदार्थों को रंग देती है : अथर्ववेद में उल्लेख है कि सूर्य की किरणें संसार के सभी पदार्थों को रंग देती हैं। ये 7 ग 3 त्र 21 प्रकार की हैं। अर्थात् 7 किरणें उच्च (गहरा) मध्यम और निम्न (हल्का) होकर 21 प्रकार की हो जाती हैं। इनसे सम्पूर्ण रंग बनते हैं।²⁷

(7) सूर्य अनेक है : ऋग्वेद में 'नानासूर्याः' और 'सप्त आदित्या' के द्वारा अनेक सूर्यों का वर्णन है।²⁸

(8) सात महासूर्य : अथर्ववेद में वर्णन है कि ब्रह्म ने सात सूर्य एक साथ रहते हैं। केन्द्रीय सूर्य को 'कश्यप' कहा है। तैत्तिरीय आरण्यक में इन सूर्यों के नाम— आरोग, भ्राज, पतंग, स्वर्णर, विभास आदि दिए हैं।²⁹

(9) सूर्य के चारो ओर विशाल गैस : ऋग्वेद में दीर्घतमस ऋषि का उल्लेख है कि मैंने योग दृष्टि से देखा है कि सूर्य के चारो ओर दूर-दूर तक शक्तिशाली गैस फैली हुई है।³⁰

(10) सूर्य किरणें हृदय रोग नाशक : ऋग्वेद में वर्णन है कि उदय होता सूर्य सभी हृदय रोगों और खून की कमी दूर करता है। यदि उदय होते हुए सूर्य की किरणें 15 मिनट छाती पर ली जाएँ तो सभी हृदय रोग, सिरदर्द, रक्तल्पता, पीलिया आदि रोग दूर होते हैं।³¹

(11) सूर्य में आकर्षण शक्ति : ऋग्वेद के अनेक मंत्रों में उल्लेख है कि सूर्य अपने आकर्षण से सम्पूर्ण द्युलोक को रोके हुए है।³¹

(12) सूर्य के आकर्षण से पृथ्वी रुकी है : ऋग्वेद एवं यजुर्वेद में वर्णन है कि सूर्य अपने किरण रूपी यन्त्रों से पृथ्वी को रोके हुए है।³²

(13) सूर्य की किरणों से विद्युत प्रवाह : ऋग्वेद में वर्णन है कि किरणों के साथ मित्र और वरुण एक ही रथ पर बैठकर चलते हैं। मित्र शब्द धनात्मक आवेश और वरुण ऋणात्मक आवेश के लिए है। ये दोनों मिलकर विद्युत प्रवाह करते हैं। इन तरंगों द्वारा प्रवाहित शक्ति के लिए 'दूत' शब्द का प्रयोग हुआ है।

इस दूत को अति तीव्रगामी कहा गया है। इस मंत्र में 'अजिर' शब्द बहुत सक्रिय अर्थ को बताता है और 'मदेरथु' शब्द अति तीव्रता को बताता है। इस ऊर्जा में चुम्बकत्व के लिए 'अयः शीर्षा' शब्द आया है।³³

(14) सूर्य में सोम : अथर्ववेद में उल्लेख है कि सूर्य की ऊर्जा का आधार सोम अर्थात् हाइड्रोजन है। सोम से सूर्य को शक्ति मिलती है।³⁴

पुराणों में सूर्य की प्रतिमा का लो विधान वर्णित है। उसमें रथ का भी वर्णन है। उदीयमान सूर्य की प्रतिमा का विधान मत्स्यपुराण में इस प्रकार है—

रथस्थकारयेदेवं पद्महस्तं सुलोचनम् ।

सप्ताश्वज्चैकचश्च रथं तस्य प्रकल्पयेत् ॥³⁵

सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में रात्रि एवं दिन के स्वामी सूर्यदेव माने जाते हैं। सूर्य के अनुसार ही रात्रि एवं दिन विभाजन होता है। पूर्व और पश्चिम दिशाओं की व्यवस्था सूर्य के उदय अस्त होने से ही संभव होती है। विष्णुपुराण में सूर्य के रथ एवं रश्मियों का विस्तार से वर्णन प्राप्त होता है। सूर्यदेव के रथ का विस्तार नौ हजार योजन है तथा ईषा दण्ड इससे दो गुना है। उसका धुरा डेढ़ करोड़ सात लाख योजन लम्बा है जिसमें पहिया लगा हुआ है—

योजनानां सहस्राणि भास्करस्य रथो नव ।

ईषादण्डस्तथैवास्य द्विगुणो मुनिसत्तम ॥

सार्धकोटिस्तथा सप्त नियुतान्यधिकानि वै ।

योजनानां तु तस्याक्षस्तत्र चक्रं प्रतिष्ठितम् ॥³⁶

भगवान सूर्य ज्योतिश्चक्र के साथ छोड़े गये वाण के समान बड़े वेग से दक्षिण दिशा में चलते हैं—

काष्ठां गतो दक्षिणतः क्षिप्तपुर्वि सर्पति ।

मैत्रेय भगवान्भानुर्ज्योतिषां चक्रसंयुतः ॥³⁷

सूर्य के उदय और अस्त होने के पूर्व और पश्चिम दिशाओं की व्यवस्था हुई है। सूर्यदेव देवपर्वत सुमेरु के ऊपर स्थित ब्रह्माजी की सभा के अतिरिक्त और सभी स्थानों को प्रकाशित करते हैं, उनकी जो किरणें ब्रह्माजी की सभा में जाती हैं वे उसके तेज से निरस्त होकर लौट आती हैं।³⁸

विष्णुपुराण में पराशर जी कहते हैं कि भगवान भानु का रथ प्रतिमास विभिन्न आदित्य ऋषि, गन्धर्व, अप्सरा, यक्ष, सर्प और राक्षसों से अधिष्ठित रहता है। भगवान विष्णु की शक्ति से तेजोमय हुए सात-सात गण एक-एक मास तक सूर्यमण्डल में रहते हैं। सूर्य का मुनिगण स्तुति करते हैं गन्धर्व उसका यशोगान करते हैं, अप्सराएँ नृत्य करती हैं, राक्षसगण रथ के पीछे चलते हैं, सर्प रथ को सुसज्जित करते हैं, रथ की बागडोर यक्षगण संभालते हैं तथा बालखिल्यादि रथ को चारों ओर से घेरे रहते हैं—

स रथोऽधिष्ठतो देवैरादित्यैर्ऋभिस्तथा ।

गन्धर्वैरप्सरोग्भिश्च ग्रामणीसर्पराक्षसैः ॥³⁹

स्तुवन्ति मुनयः सूर्यं गन्धर्वैर्गीयते पुरः ।

नृत्यन्त्यप्सरसो यान्ति सूर्यस्यानु निशाचराः ॥⁴⁰

वहन्ति पन्नगा यक्षैः क्रियतेऽभीषुसंगग्रहः ।

बालखिल्यास्तथैवैनं परिवार्य समासते ॥⁴¹

सूर्यमण्डल के सात-सात गण ही अपने-अपने समय पर उपस्थित होकर शीत, ग्रीष्म और वर्षा आदि के कारण होते हैं—

सोऽयं सप्तगणः सूर्यमण्डले मुनिसत्तम ।

हिमोष्णवारिवृष्टीनां हेतुः स्वसमयं गतः ॥⁴²

सूर्य सम्बन्धी कई पौराणिक आख्यानों का मूल वैदिक है। उत्तर वैदिक साहित्य और रामायण महाभारत में भी सूर्य की उपासना की बहुशः चर्चा है। गुप्तकाल के पूर्व से ही सूर्य के उपासको का एक सम्प्रदाय उठ खड़ा हुआ था, जो सौर नाम से प्रसिद्ध था। सौर सम्प्रदाय के उपासक उपास्य देव के प्रति अनन्य आस्था के कारण सूर्य को आदिदेव के रूप में मानने लगे। भौगोलिक दृष्टि से भी भारत में सूर्योपासना व्यापक रही। मुल्तान, मथुरा, कोणार्क, कश्मीर, उज्जयिनी, मोधेर (गुजरात) आदि सूर्योपासकों के प्रसिद्ध केन्द्र थे। राजवंशों में भी कतिपय राजा सूर्य भक्त थे। मैत्रक राजवंश और पुष्यमित्र के कई राजा 'परम आदित्य भक्त' के रूप में माने जाते थे।⁴³

सूर्य की बाल रश्मियाँ जीवों के समस्त रोगों को दूर करती हैं और प्रखर किरणें पृथ्वी जल आदि के प्रदूषण को हटाती हैं। सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी से जितना जल खींचता है, उन सबको प्राणियों की पुष्टि और अन्न की वृद्धि के लिए वर्षा देता है। उससे भगवान सूर्य समस्त प्राणियों को आनन्दित कर देते हैं और इस प्रकार वे देव, मनुष्य और पितृगण आदि सभी का पोषण करते हैं। इस रीति से सूर्यदेव देवताओं की पाक्षिक, पितृगण की मासिक तथा मनुष्यों की नित्यप्रति तृप्ति करते रहते हैं—

आदत्ते रश्मिभिर्यन्तु क्षितिसंस्थं रसं रविः।
तमुत्सृजति भूतानां पुष्ट्यर्थं सस्यवृद्धये॥
तेन प्रीणात्यशेषाणि भूतानि भगवान् रविः।
पितृदेवमनुष्यादीनेवमाप्याय यत्यसौ॥
पक्षत्पुंतिं तु देवानां पितृणां चैव मासकीम् ।
शश्वत्पुंतिं च मर्त्यानां मैत्रेयार्कः प्रयच्छति।⁴⁴

भगवान् अंशुमाली ही समस्त प्राणी एवं वनस्पति जगत को जीवन शक्ति प्रदान करते हैं। सूर्य की उष्मा पाकर के ही पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। मनुष्यों में विटामिन 'डी' का निर्माण होता है, जो शारीरिक विकास एवं पुष्टिवर्धन में सहायक है। अतः ऐसे प्राणधारक सविता को देवत्वका दिव्य अभिधान दिया गया है। यही सूर्य इक्ष्वाकुवंशियों के आदिपुरुष हैं। इसलिए भगवान् राम ने सर्वप्रथम सूर्योपासना की तदन्तर अन्य देवताओं की आराधना की। यह आकाश स्वरूपा तरुणी सूर्य की किरणों द्वारा समुद्रों का जल पीकर कार्तिक आदि नौ मासों तक गर्भ सदृश मेघ को धारण करके, जलरूपी रसायन उत्पन्न करती है। यह जल की समग्र चराचर जगत का प्राणधारक तत्व है। जो वर्षा के द्वारा पृथ्वी पर आता है। इसीलिए श्रीराम उन्हें प्रथम अर्घ्य प्रदान करते हैं। सूर्य देव के इस महत्वपूर्ण कार्य (वर्षा) का वर्णन भगवान् स्वयं श्रीमुख से करते हैं—

नवमासघृतं गर्भं भास्करस्य गभस्तिभिः।
पीत्वा रसं समुद्राणां द्यौः प्रसूते रसायनम्।⁴⁵

शिवराजविजय में सूर्य के गुणों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि यह भगवान् सूर्य आकाश मण्डल के मणि नक्षत्र समूह के चक्रवर्ती सम्राट् पूर्व दिशा के कुण्डल, ब्रह्माण्ड रूपी गृह के दीपक, कमल, कुल के प्रेमपात्र, चक्रवाक समुदाय के शोक को दूर करने वाले, भ्रमर समूह के अलम्बन, सम्पूर्ण व्यवहार के सूत्रधार और दिन के स्वामी हैं। ये ही संसार का पुनः पुनः सृजन, भरण-पोषण तथा संहार करते हैं, वेद भी इन्हीं की वन्दना करते हैं, ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण इन्हीं की प्रतिदिन उपासना करते हैं, ये विश्व के जनों द्वारा प्रणाम योग्य हैं।⁴⁵ पर्यावरण के संवर्धन एवं संरक्षण में सूर्य की भूमिका महत्वपूर्ण है। इनकी अनुपस्थिति में सृष्टि का विनाश निश्चित है।

सन्दर्भ :

1. अथर्ववेद— 13/4/1 से 13
2. सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुश्च यजुर्वेद 7/42
3. वेदों में आयुर्वेद, पृ. 139-144
4. ऋग्वेद—1/50/11
5. वही, 7/63/1
6. वही 7/73/4
7. वही, 1/115/1
8. ऋग्वेद—10/37/4
9. ऋग्वेद— 1/50/13
10. वही, 10/37/1
11. ऋग्वेद— 6/51/2, 7/60/2
12. वही, 1/50/8
13. हिरण्यक्षः सविता देव आगत। ऋग्वेद—1/35/8
14. हिरण्यपाणि सविता विचर्षणिः॥ ऋग्वेद— 1/35/9
15. हिरण्यजिह्व सुविताय नव्यसे। ऋग्वेद— 6/71/3
16. भारतीय प्रतीक विद्या, पृ. 162
17. ऋग्वेद— 1/115/1
18. सूर्योपनिषत् प्रतीक विद्या, पृ. 163
19. भागवतपुराण— 12/11/30, 2/6/14-15, 4/31/15, 5/20/45
20. ऐतरेय ब्राह्मण— 3/44, गोपथ ब्राह्मण— 2/4/10
21. यजुर्वेद— 3/6
22. यजुर्वेद— 3/6
23. यजुर्वेद— 10/23
24. यजुर्वेद— 18/40
25. निरुक्त— 2/6
26. अथर्ववेद— 7/107/1
27. अथर्ववेद— 1/1/1
28. ऋग्वेद— 9/114/3
29. तैत्तिरीय आरण्यक 1/7/1
30. अथर्ववेद— 1/164/43
31. ऋग्वेद— 1/50/1
32. ऋग्वेद— 10/85/1
33. ऋग्वेद 10/149/1, यजुर्वेद 5/16
34. वही, 8/101/1, 8/101/2, 8/101/3
35. अथर्ववेद— 14/1/2
36. मत्स्यपुराण— 260/1
37. विष्णुपुराण— 2/8/2-3
38. विष्णुपुराण— 2/8/10
39. विष्णुपुराण — 2/8/19
40. विष्णुपुराण 2/10/2
41. वही, 2/10/20
42. वही, 2/10/21-22
43. विष्णुपुराण 2/10/23
44. पुराण विमर्श, आ. बलदेव उपाध्याय, पृ. 499
45. शिवराजविजय, प्रथम निश्वास, संस्करण 2009, पृ. 2

जयप्रकाश नारायण के सर्वोदय विचार : एक नवीन विश्लेषणात्मक अध्ययन पल्लवी*

*असि0 प्रो0, राजनीतिविज्ञान विभाग, राजकीय महिला महाविद्यालय कटुआ, जम्मू और कश्मीर

सारांश : जयप्रकाश नारायण अपने विचारों के विकास के क्रम में सर्वोदय तक की यात्रा की। उन्होंने सर्वोदय का परीक्षण वैचारिक और व्यवहारिक दोनों आधारों पर किया तथा पाया कि अधिकांश लोग सर्वोदय को सिद्धान्तहीन कोरी कल्पना मानते हैं, जिसमें अहिंसा और न्यायप्रियता की कुछ बातों की झलक मात्र मिलती है। यह शोध पत्र पूर्व अध्ययन से अलग व महत्वपूर्ण है। शोधपत्र पुस्तकालयी एवं विश्लेषणात्मक विधि पर आधारित है। यह अध्ययन शोधार्थियों के लिए मार्गदर्शक व उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

मुख्य शब्द : सर्वोदय, स्वशासन, स्वप्रबन्ध, वैचारिक, संसदीय लोकतंत्र आदि।

जयप्रकाश के अनुसार यह सर्वोदय योजना निराभावुकतावाद नहीं अपितु बुनियादी सामाजिक क्रान्ति का एक ठोस कार्यक्रम है।¹ सर्वोदय को जयप्रकाश नारायण जनता का समाजवाद या 'स्वैच्छिक समाजवादी' मानते हैं। उनका कहना है कि पूँजीवादी राज्य राजनीतिक सत्ता पर और समाजवादी, राजनीति, राजनीतिक और आर्थिक सत्ता दोनों पर एकाधिकार कर लेते हैं। केवल राज्यविहीन समाज में ही मानवीय स्वतंत्रतापूर्ण एवं समग्र रूप से साकार हो सकती है। इसके लिए सर्वोदय व्यवस्था को जयप्रकाश सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था मानते हैं, क्योंकि सर्वोदय क्रान्ति में लक्ष्य और साधन एकाकार हो जाते हैं। इसके लिए वे छोटे समुदायों की वकालत करते हैं। अगर मनुष्य छोटे-छोटे समुदायों में रहे तो स्वशासन, स्वप्रबन्ध, पारस्परिक सहयोग, सहविभाजन, समानता, स्वतंत्रता एवं भ्रातृत्व सभी मूल्यों का विकास समुचित एवं सही ढंग से विकसित किये जा सकते हैं²

सर्वोदय का अर्थ ही है सबकी समृद्धि, सबका कल्याण सांसारिक जीवन में इसका अर्थ है, जीवन के आवश्यक पदार्थ जैसा रोटी, कपड़ा और मकान सबके लिए सहज सुलभ हो। पर इन वस्तुओं को प्राप्त करने का मात्र आधार पैसा है। अतः धन की उपलब्धता आवश्यक है, किन्तु जब मनुष्य धनलोलुप हो जाता है तो वह किसी भी सीमा की परवाह नहीं करता और यही दोष समाज में असंतुलन पैदा करता है। मनुष्य के मन और आत्मा की इस अपूर्णता को दूर करने अचूक साधन का ही ना सर्वोदय है। यह मनुष्य को ऐसे भागों को अवलम्बन को प्रेरणा देता है जिसमें मानव यथार्थ सामाजिक सुख की पगडंडी पकड़कर चलने को तैयार हो जाता है।

सर्वोदय का आशय हिन्दू धर्मशास्त्रों के अनेकों ग्रंथों में छिपा है। जैसे – वेद सभी प्राणियों के उदय की बात करता है।³ महाभारत में 'सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्त, निरामयाः' में भी हमें सर्वोदय का भाव देखने को मिलता है। 'ईशावास्योपनिषद्' प्रथम श्लोक ईशावास्यभित्तस सर्व भन्तु किंचित् गव्यांजगत तेन व्यक्तेन गुंजीथा । आगृद्धः का यश्चिदधनम् तथा गीता के 'आत्मा सर्वभूतेषु और सर्वभूत हितैरताः में सर्वोदय का ही भाव है। परन्तु स्पष्ट रूप से सर्वोदय का प्रयोग सर्वप्रथम जैनाचार्य समंतभद्र ने सर्वोदय तिथि के रूप में किया था।⁴

स्वतंत्रता के समय साम्प्रदायिक दंगों और गांधी की हत्या ने भी जयप्रकाश नारायण को सर्वोदय विचारधारा की ओर आकर्षित किया। वे राजनीति में नैतिकता के स्थान के बारे में और भी गंभीरता से सोचने लगे। उन्हें लगा कि आज के युग में राजनीति का दायरा इतना विस्तृत हो गया है कि अगर इसमें नैतिकता का समावेश नहीं किया जाता है तो सामाजिक जीवन के ही क्षेत्र में नैतिकता का पतन हो जायेगा। इसी नैतिकता की समस्या के कारण जयप्रकाश ने मार्क्सवाद को औपचारिक रूप से अस्वीकार कर दिया तथा 1954 में बोधगया में आयोजित सर्वोदय सम्मेलन में अपने 'जीवन दान' की घोषणा की। दूसरे शब्दों में, उन्होंने 'दल एवं सत्ता की राजनीति से अलग होकर अपना शेष जीवन सर्वोदय आंदोलन में लगाने' का निर्णय लिया। जैसा कि विनोबा जी को जयप्रकाश द्वारा लिखे इन छोटे से पत्र से 'आपके जीवन के आह्वान पर भूदान यज्ञ पर आधारित अहिंसात्मक आंदोलन की सफलता एवं ग्राम्य उद्योग की सुरक्षा के लिए मैं अपना तुच्छ जीवन समर्पण करता हूँ' से स्पष्ट हो जाता है। जयप्रकाश के सर्वोदय सम्बन्धी विषयों की विस्तृत जानकारी के लिये सर्वोदय के निम्नलिखित पहलुओं पर दृष्टिपात करना आवश्यक है।

सर्वोदय का राजनीतिक पहलू : भारत में जयप्रकाश प्रारम्भ से ही संसदीय लोकतंत्र के हिमायती थे, परन्तु जब यह व्यवस्था लागू हुई तो उसमें इन्हें वास्तविक प्रतिनिधित्व की स्पष्ट झलक ओझल होती नजर आयी। चुने गये प्रतिनिधि जनता और उसकी इच्छा, आकांक्षा का कोई ख्याल नहीं रखते थे। राज्य के तंत्रों के अनैतिक साँठ-गाँठ के द्वारा बाध्यकारी शक्तियों का प्रयोग कर वे जनता की इच्छाओं के विरुद्ध आचरण करते थे।⁵ फलतः प्रजातंत्र का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। दूसरी बात कि चुने हुए प्रतिनिधियों पर दल का नियंत्रण होता है, इसीलिए इसमें राजनीतिक सत्ता का केन्द्रीयकरण हो जाता है। जयप्रकाश को यह प्रजातांत्रिक प्रणाली खासकर भारतीय संदर्भ में नागवार लगी। यही नहीं प्रजातंत्र की सफलता के लिए राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप सबसे बड़ी कठिनाई है। इसलिए जयप्रकाश नारायण राजनीतिक दलों द्वारा प्रजातांत्रिक सत्ता हथियाने के विरोधी थे। यही नहीं वे ऐसी चुनाव प्रक्रिया के पक्षधर थे जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा की गई विभाजन के आधार पर नहीं बल्कि व्यक्ति के व्यक्तिगत एवं कार्यकुशलता के आधार पर निर्वाचित किये जाने के पक्षधर थे।⁶ जयप्रकाश के दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा का समर्थन करते हुए भारत के वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी देवर ने कहा, "दलों पर आधारित चुनाव गाँवों के लोगों के लिए सबसे बुरी बात होगी।⁷ किसी हद तक दलों पर समाज के शिक्षित करने की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए ताकि वह प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में अपना योगदान सही ढंग से दे सकें। किन्तु प्रजातांत्रिक संस्थाओं के अत्यधिक दलीय हस्तक्षेप से अलग रखना श्रेयस्कर है।

सर्वोदय का सामाजिक पहलू : सर्वोदय को स्वीकार करने से पूर्व जयप्रकाश नारायण प्रजातांत्रिक समाजवाद के मुखर प्रवक्ता थे। प्रजातांत्रिक समाजवाद के आदर्श प्रणाली की व्याख्या करते हुए इन्होंने लिखा था कि समाजवादी आंदोलन का उद्देश्य एक ऐसे समाज की सृष्टि से है जो पूर्णरूपेण स्वतंत्र हो और जहाँ सभी लोग समान हों, एक ऐसा समाज जिसके मूल में मानव एवं सामाजिक जीवन के कुछ खास मूल्य हों, जिनका सिद्धान्त के नाम पर दलीय अथवा राजनीति के नाम पर या अन्य किसी भी

प्रकार से बलिदान न किया जा सके। इस तरह यदि हम जयप्रकाश हमारे सामने समाजवाद, प्रजातंत्रवाद एवं सर्वोदय का जो सम्मिलित साकार रूप दिखाई देता है¹⁰

जयप्रकाश नारायण का यह निश्चित मत था कि वर्ण-व्यवस्था और वर्ग व्यवस्था दोनों सामाजिक समानता के मार्ग में बाधक है। एक जहाँ जन्म के आधार पर भेदभाव है वहीं दूसरी सम्पत्ति और शिक्षा के नाम पर। यद्यपि आधुनिक समाज में यह व्यवस्था ढीली होती दिखाई दे रही है तथापि इसकी गति काफी धीमी है। जयप्रकाश यह मानते हैं कि जिस रूप में जाति व्यवस्था आज प्रचलित है उसे समाप्त किया जाना चाहिए नहीं तो सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था चरमरा जायेगी। इसके अनुसार वर्तमान समय में समाज में जैसा वैधानिक और प्रशासकीय ढांचा प्रचलित है वह सामाजिक परिवर्तन के मार्ग का अवरोधक है। वे सर्वोदय के द्वारा इन सभी ढाँचे के परिवर्तनों को अवश्यमावी मानते हैं। जयप्रकाश नारायण के अनुसार सर्वोदय समाज में स्त्रियों एवं पुरुषों के बीच आज जो खाई दिखाई पड़ती है वह समाप्त हो जायेगी तथा पुरुष तथा महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार जैसी सामाजिक कुरीतियाँ धीरे-धीरे समाप्त हो जायेंगी। वे पुरुषों के आश्रित नहीं रहेंगी और न पुरुषों द्वारा उन पर कोई जबरन पाबन्दी लगायी जायेगी। इस तरह स्त्री पुरुषों के समकक्ष होगी।¹¹

सर्वोदय का आर्थिक पहलू : सर्वोदय के आर्थिक पहलू का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धान्त जीवन की सादगी है। अत्याधिक धन की अभिलाषा, शान्ति और संतोष के मार्ग में बाधक हैं। धन के प्रति यह दृष्टिकोण तो शोषण तथा प्राकृतिक एवं मानवीय साधनों के दुरुपयोग को जन्म देता है।¹² आर्थिक विकेन्द्रीकरण को सर्वोदय के सभी विचारक सर्वोदय के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त मानते हैं। इसका अर्थ है कि जहाँ तक संभव हो उत्पादन की सभी क्रियायें व्यक्ति या द्वारा बड़े कारखाने के बदले उनके घरों से ही की जायें। सर्वोदय की अर्थव्यवस्था का दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य स्वावलम्बन है। इनका लक्ष्य सब लोगों को भोजन, वस्त्र और आवास जैसी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति से है। मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद जो चीजें बचती हैं उन्हीं के बदले बाहर से अन्य वस्तुओं का आदान-प्रदान किया जाना चाहिए। अतएव उत्पादन का स्थानीय वितरण, स्वावलम्बन का एक आवश्यक तत्व है तथा यह स्वतंत्रता का भी आधार स्तंभ है। दूसरे पर आश्रित होना गुलामी है। सर्वोदय सहकारी जीवन का पक्षधर है और सहकारी अर्थव्यवस्था के सिद्धान्त जो समाज के आर्थिक जीवन के लिए आवश्यक है, का पक्षधर है।¹³

आर्थिक परिवर्तन की विधि विनोबा द्वारा प्रतिपादित भूदान की धारणा में स्पष्ट निहित है। जयप्रकाश के अनुसार भूदान केवल भूमिहीनों के लिए भूमि का वितरण नहीं, अपितु यह मनुष्यों को ऊपर उठाने का एक प्रयत्न है। इसका आदर्श है एक अहिंसक शोषणमुक्त सहकारी समाज का निर्माण जो जाति वर्ग पर आधारित न होकर सबों के लिए समान अवसरों पर आधारित होगा। कृषि भूमि का स्वामित्व, समाज द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत भूमि जोतने वाले कृषकों में निहित होगा। भूमि का पुनर्वितरण होगा और किसी के पास जोत के तिगुने से अधिक भूमि नहीं रहने दी जायेगी। कृषि के अन्तर्गत बंजर भूमि पर सामूहिक खेती होगी। व्यक्तिगत फार्म पर खेती करने वाले किसानों का ग्रामीण बहुदेशीय समिति के द्वारा कार्य करना होगा। वर्तमान मूल्य स्तर पर निम्नतर मजदूरी की आय 100 रुपये और अधिकतम मजदूरी उससे बीस गुना यानि दो हजार होगी।¹⁴ यह मनुष्य को बताता है कि वह अपनी संपत्ति में उन लोगों को भी सहभागी बनाये जो संपत्ति रहित एवं विपन्न हैं। भूमि वस्तुतः ईश्वरीय देन है। सभी सम्पदा अंततः प्रकृति की है। हम सभी उसकी संतान हैं और जिस तरह पिता की संपत्ति में सभी पुत्रों को समान अधिकार होता है। उसी तरह ईश्वर रूपी पिता की संपत्ति पर हम सभी का समान अधिकार है। भूदान आंदोलन इसी सहभागिता और भाईचारे पर जोर देता है। जयप्रकाश के अनुसार यद्यपि अतिरिक्त भूमि का संग्रह और भूमिहीनों के बीच इसका विवरण सर्वोदय आंदोलन का पहला कार्यक्रम है तथापि इसका उद्देश्य सच्ची समाजवादी व्यवस्था की स्थापना है। जिसमें किसी का शोषण, अन्याय एवं भेदभाव न हो। भूदान लोगों में यह विचार पैदा करने का तरीका है कि अंततः सम्पत्ति पर समाज का अधिकार है, व्यक्ति विशेष का नहीं। विनोबा जी ने सम्पत्ति दान को भूदान से जोड़ दिया। सम्पत्ति दान का कार्यक्रम यह संकेत करता है कि धन का एक निश्चित भाग सामाजिक कल्याण पर खर्च किया जाना चाहिए।¹⁵

इस तरह जयप्रकाश के अनुसार सर्वोदय एक मात्र मोक्षदाता है। इसके विपरीत में है विज्ञान एवं राजनीति का मिश्रण, जिसका अर्थ है सर्वनाश। सर्वोदय में विज्ञान एवं अध्यात्मवाद एक साथ है। सर्वोदयी सिद्धान्तों के आधार पर जीवन का पुनर्निर्माण कठिन अवश्य है पर असम्भव कदापि नहीं। यह दुष्कारक तभी है जब हम सर्वहारा जीवन जीने को तैयार नहीं। लेकिन इसका कारण यह नहीं कि इसका विपरीत रूप विध्वंसकारी ही है। सामान्य भूमि, सामान्य सम्पत्ति, प्रेमपूर्ण जीवनयापन आदि आज हमारे लिए नितान्त असंभव सा हो गया है। सर्वोदय कार्यकर्ता प्रयत्नशील हैं ताकि वे कार्यकलापों में अच्छाईयों का समावेश कर सकें, हमारे विचारों को प्रक्रिया को अध्यात्मिक मोड़ दे सकें।

सन्दर्भ :

1. नारायण, जयप्रकाश, कारावार की कहानी, पटना, बिहार सर्वोदय, मण्डल, 1977, पृ 28-29.
2. नारायण, जयप्रकाश, सं. विमल प्रसाद, समाजवाद, सर्वोदय और लोकतंत्र, पटना, बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, 1981, पृ 157-58.
3. सिंह, डॉ० अर्चना, 1989, सर्वोदय का सामाजिक एवं राजनीतिक दर्शन, बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पटना, पृ 17-18.
4. वही, पृ 159.
5. नारायण, जयप्रकाश, सं. विमल प्रसाद, समाजवाद, सर्वोदय और लोकतंत्र, पृ 171.
6. नारायण, श्री मान - ओ. पी. सोही
7. सिंह, डॉ० अर्चना, सर्वोदय का सामाजिक एवं राजनीतिक दर्शन, 1978, पृ 194
8. जयप्रकाश नारायण, पंचायती राज में राजनीतिक दल की भूमिका - दी इंडियन जनरल ऑफ पब्लिक एण्डमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली, भाग आठ, सं. 48, अक्टूबर-दिसम्बर, 1962, पृ 606-07
9. दी रोल ऑफ पंचायत इन न्यू इंडिया, कुरुक्षेत्र, खण्ड 6, संख्या 4, जनवरी 1958, पृ 354
10. सिंह, डॉ० अर्चना, सर्वोदय का सामाजिक एवं राजनीतिक दर्शन, पृ 2631.
11. भट्टा, श्री कृष्ण; भारत छोड़ो आंदोलन का सेनानी, जयप्रकाश, पृ 32
12. जयप्रकाश नारायण, टुवार्ड्स टोटल रिवाल्यूशन, सर्व फार आईडियोलोजी, खण्ड 1, पोपुलर प्रकाशन, बम्बई, 1978, पृ. 144.
13. जयप्रकाश नारायण, समाजवाद से सर्वोदय की ओर, सर्व सेवा संघ प्रकाशन, वाराणसी, 1958, पृ. 190.
14. जयप्रकाश नारायण, प्रिजन डायरी, पोपुलर प्रकाशन, बम्बई 1925, पृ 10.
15. आर० सी० गुप्ता, जे. पी. फ्राम मासिज्म टू टोटल रिवाल्यूशन, स्टर्लिंग पब्लिकशर्स, नई दिल्ली, 1981, पृ 116

आदिवासी जीवन संघर्ष और 'पठार पर कोहरा'

शुभम यादव*

*शोधार्थी, हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

सारांश : प्रस्तुत शोध पत्र में आदिवासी जीवन संघर्ष और 'पठार पर कोहरा' से सम्बन्धित सभी पहलुओं को प्रासंगिक ढंग से स्पष्ट किया गया है। आर्य-अनार्य युद्धों की अनवरत शृंखला के कारण आदिवासी राजसत्ता के वर्चस्व से अपदस्थ हो मैदानी इलाकों से दूर पहाड़ों व जंगलों के क्षेत्रों में विस्थापित हो गए, जिसके कारण ये कथित मुख्यधारा के अमेघ वर्णव्यवस्था से बाहर रहे। इनकी अपनी भाषा, संस्कृति और स्वतंत्र सत्ता रही है। प्रस्तुत शोध पत्र शोधार्थियों के लिए मार्गदर्शक व उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

मुख्य शब्द : आदिवासी समाज, विस्थापित, संस्कृति, जमींदारी व्यवस्था, महाजनी सभ्यता आदि।

आदिवासी समाज मुख्यतः जंगलों पर निर्भर रहा है। जंगल, आदिवासियों की संस्कृति और जीवन तीनों का आपस में अन्योन्याश्रित संबंध है। जिसमें समय-समय पर कथित मुख्यधारा के लोगों ने हस्तक्षेप किया है। "मुगलों की सेना ने पहली बार इन जंगलों में प्रवेश किया।... जहाँगीर ने अपने एक सेनापति इब्रहिम खान के नेतृत्व में एक विशाल सेना इन जंगलों में भेजी।"¹ इसके बाद व्यवस्थित तरीके से पहला हस्तक्षेप "ईस्ट इंडिया कम्पनी ने 1765 में शाहआलम से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करने के बाद किया"² और उनके पारम्परिक अधिकारों को छीनना शुरू किया। जिसके खिलाफ तिलका मांझी ने सन् 1781 में सशस्त्र विद्रोह किया था। यह विद्रोह सन् 85 में कुचल दिया गया। "ब्रिटिश शासन ने 1793 की स्थायी-बन्दोबस्ती के माध्यम से एक नए प्रकार की जमींदारी व्यवस्था आदिवासियों पर थोप दी।"³ जिससे जंगल की सामूहिकता की संस्कृति पर धक्का लगा। इसके खिलाफ सन् 1832 में प्रसिद्ध कोल विद्रोह सिंगराय और विनराय मानकी के नेतृत्व में हुआ। अपने पारम्परिक अधिकार, धर्म, संस्कृति, जंगल, जमीन को बचाने के लिए आदिवासी समाज हमेशा से संघर्षरत रहा है। उसने ठेकेदारी व महाजनी सभ्यता की हमेशा मुखालफत की है। जिसके साक्ष्य संधाल हूल, मुंड़ा विद्रोह, बस्तर विद्रोह, तानाभगत विद्रोह आदि विद्रोहों में मिलते हैं।

आदिवासी जीवन का संघर्ष जल, जंगल, जमीन का संघर्ष है। जिसके साथ उनकी पहचान जुड़ी है। आज जिस तरह पूंजी व सत्ता के गठजोड़ द्वारा छद्मविकास के नाम पर जंगल को उजाड़ा जा रहा, उनकी जमीनों को षड्यंत्रों द्वारा छीना जा रहा, अनेक डैम परियोजनाओं के नाम पर उन्हें विस्थापित किया जा रहा, ऐसे समय में आदिवासियों का जीवन संघर्ष और बढ़ गया है। रमणिका गुप्ता ने उनके जीवन और संघर्षों के बारे में लिखा है कि— "आदिवासी और जनजातीय लोग जिनकी आबादी सात करोड़ से ऊपर है क्रूर पूंजीवाद और अर्द्ध-सामंती शोषण के शिकार हैं। जमीनें उनके हाथ से निकल गयी हैं, जंगल उनके हाथ से छिन गए हैं और वे ठेकेदारों तथा भू-स्वामियों के लिए सस्ती और बधुआ मजदूरी का स्रोत बन कर रह गए हैं।"⁴ 72 प्रतिशत से अधिक आदिवासी साहूकारों के ऋणी हैं।⁵

आदिवासियों के दैनिक्यका प्रमुख कारण अशिक्षा है। आदिवासी क्षेत्रों में शैक्षिक संस्थानों की बहुत कमी है। "जहाँ संस्थान खोले गए हैं वहाँ लगभग चालीस प्रतिशत केन्द्र भवनहीन हैं।"⁶ इसके अलावा उन क्षेत्रों में जिन प्रशासकों और अध्यापकों को शिक्षा की जिम्मेदारी दी गई है उनमें भी अपने कार्यों के प्रति समर्पण व आदिवासियों से लगाव का अभाव है। रामशरण जोशी ने बस्तर के आदिवासियों में आधुनिक शिक्षा के अध्ययन के दौरान पाया कि— "प्रशासक से लेकर सर्वर्ण अध्यापक तक प्रायः इस विश्वास के थे कि आदिवासी लोग जाहिल, काहिल, जंगली होते हैं और कभी सभ्य नहीं बन सकते।"⁷ आज आजादी के सत्तर वर्ष बाद और संविधान के अनुच्छेद (350ए) में किए गये अल्पसंख्यक भाषाई प्रावधानों के बावजूद आदिवासियों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा नहीं दी जा सकी है और जो भी शिक्षा दी जा रही, वह मुख्यधारा में विलय के नाम पर शैक्षिक संस्थानों में रामायण व हनुमान चालीसा का पाठ अबोध आदिवासी छात्रों पर लादा जा रहा है। आदिवासी जीवन की ये तमाम समस्याएं उपन्यास विधा में विस्तार से आयी हैं। उपन्यासकार राकेश कुमार सिंह ने अपनी औपन्यासिक कृति 'पठार पर कोहरा' में आदिवासियों के जीवन संघर्षों को कलात्मक रूप देने की कोशिश की है।

उपन्यासकार ने उपन्यास में झारखण्ड के एक छोटे से गाँव गजलीठोरी के आदिवासी-संघर्ष के आख्यान द्वारा पूरे भारत के आदिवासियों के साथ हो रहे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, शोषणों की ओर ध्यान खींचने का प्रयास किया है और बताने की कोशिश की है कि इस तरह के शोषण के शिकार सिर्फ गजलीठोरी या झारखंड के ही आदिवासी नहीं बल्कि पूरे भारत और विश्व भर के आदिवासी इस अमानवीय कृत्य के शिकार हैं। दुनिया को सभ्य और शिक्षित बनाने के लिए निकले गोरों ने "आस्ट्रेलियाई मूल के एफ्रोनिग्राइट्स नामक एक पूरी प्रजाति का सफाया कर डाला। रेड इंडियन्स का समूल नाश कर दिया।"⁸ इस सभ्य गोरी जाति ने भारतीय आदिवासियों का मूलोच्छेद करने की कोशिश की पर अंग्रेजों को इन जीवित आदिवासियों के बगावती तेवर का समाना करना पड़ा और अंततः आदिवासियों ने हार नहीं मानी लेकिन आजादी के बाद आज भी आदिवासियों का शोषण जारी है।

आज छद्म विकास के नाम पर सरकार, पूँजीपति, सेठ, साहूकार तक इनका खून चूसने पर लगे हैं। आदिवासी क्षेत्रों में इन्हीं का कब्जा है। "गजलीठोरी में अघोषित रूप से गगन बिहारी साहू जैसे बनिए और बेचू तिवारी जैसे भू-सामन्त का कब्जा है। ...गाँव के अनपढ़ और सीधे साधे आदिवासियों पर राज कर रहा है गैर आदिवासी शक्तियों का गठबंधन।"⁹ इन गैर-आदिवासियों ने आदिवासियों को कभी मनुष्य समझा ही नहीं। वे इन्हें असभ्य और बर्बर समझते आए हैं। हजारों सालों से इन्हें जंगली, राक्षस, दस्यू आदि कहकर इनको मनुष्यता की परिधि से बाहर रखा है। कथित रूप से अपने को मानवीय और सभ्य समझने वाला यह समाज स्वयं ही आदिवासियों के प्रति हमेशा से क्रूर और बर्बर रहा है। वह इन्हें मात्र मनोरंजन का साधना समझता रहा है लेखक ने इस समस्या को उपन्यास के प्रमुख पात्र संजीव के माध्यम से उठाया है— "संजीव ने महसूस किया है कि जंगल से बाहर सदैव यही ढूँढ़ने के प्रयास किए जाते हैं कि जनजातियों के जीवन में अद्भुत क्या है? क्या विलक्षण है जिसका आस्वादन चटखारे लेकर किया जा सकता है? कहाँ हैं इस जंगल में वैसी श्रृंगार युक्त आदिवासी स्त्रियाँ जिन्हें तैलचित्रों में देखते रहे हैं संजीव? गजलीठोरी

की अधिकांश महिलाएँ तो दुःख-दैन्य की तस्वीरें ही हैं। अभाव-शोषण और उपेक्षा के पाटों में क्यों पिसती रही हैं झारखंड की जनजातियाँ? प्रारम्भ से ही क्या सभ्य समाज इन्हें मानवोत्तर जाति के रूप में नहीं गिनता रहा है?"¹⁰ इस सभ्य समाज को जंगलों, पहाड़ों पेड़-पौधों, जंगली-जानवरों, हिरणों, बाघों की खूब चिन्ता है। काले हिरणों के शिकार पर भारत में सिनेमा के नायकों से लेकर नायिकाओं तक पर केश चलते रहे हैं। आये दिन पर्यावरण को लेकर पूरा देश बहस से उबल पड़ता है परन्तु इन्हीं वन प्रदेशों में रहने वाले आदिवासियों के लिए विकास और उत्थान की योजनाओं के प्रति कोई प्रतिबद्धता नहीं दिखाई देती है। गजलीठोरी के स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में लेखक ने लिखा है कि—“सन्तानोत्पत्ति पर जंगल में कोई प्रतिबन्ध नहीं। कम उम्र में विवाह और फिर प्रतिवर्ष एक सन्तान का औसत परन्तु मृत्यु दर बहुत अधिक...! स्वास्थ्य सुविधाएँ नदारद...!”¹¹

यह कहानी सिर्फ झारखंड के ‘गजलीठोरी’ की नहीं बल्कि पूरे भारत के आदिवासियों की है। आज भारत दुनियाँ की छठी शक्ति बनने जा रहा लेकिन उसी भारत के आदिवासी समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुख्य मुद्दे गायब हैं और वे बंधुआ मजदूर का जीवन जीने पर बाध्य हैं संजीव को ऐसा लगता है कि—“रोजगार, परिवहन, स्वास्थ्य सुविधा... कुछ भी तो नहीं है गजलीठोरी में। विकास की बयार मानों झर से होकर कभी गुजरी ही नहीं। पटना-राँची का भारत कुछ और है, दिल्ली का इंडिया कुछ और! देश-राज्य की राजधानियों के बाहर, गजलीठोरी जैसी जगहों का हिन्दुस्तान वही का वहीं टिठका खड़ा है जहाँ सौ-पचास वर्ष पूर्व था!”¹² ज्यादातर आदिवासी जगहों पर भी प्रशासनिक सेवाओं में कथित सभ्य समाज के लोग जिन्हें आदिवासी दिक्क मानते हैं की नियुक्तियाँ हुई हैं। जो अपनी कथित सभ्यतागत मानसिकता से पीड़ित है और आदिवासियों को असभ्य मानते हैं और सरकार के द्वारा चलाई जा रही आदिवासी कल्याण योजनाओं को फिजूलखर्च मानते हैं। उनका मनना है कि इन आदिवासियों में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। इन प्रशासकों की लापरवाही का आलम यह है कि गजलीठोरी जैसे गांवों की जनगणना अपने एसी रूम में बैठ कर ही कर देते हैं। प्रशासकों के इन गैर जिम्मेदाराना व्यवहारों के कारण आदिवासी कल्याण के लिए की जा रही आवंटित राशियाँ वापस लौट जाती हैं या फिर बिना पर्यवेक्षकों के चलते यह आदिवासी कल्याण योजनाएँ भ्रष्ट आफिसर, साहूकार, महाजन, जमींदार कल्याण योजनाओं के रूप में तब्दील हो जाती हैं। संजीव ने जब गजलीठोरी के बारे में छानबीन की तो पता चला कि “वनवासी सेवा केन्द्र और इण्डियन नेशनल ट्रस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ ट्राइबल्स (इंजाट) की जनगणनाओं में गजलीठोरी का अस्तित्व ही नहीं है।”¹³ गजलीठोरी में शिक्षा का आलम यह है कि वहाँ संजीव को कोई ऐसा ग्रामीण नहीं मिला जो माध्यमिक शिक्षा तक पहुँच सका हो। दरअसल गजलीठोरी में व भारत भर के आदिवासी क्षेत्रों में यह समस्या छबीला राम सिंह जैसे अध्यापकों व प्रशासकों के उदासिनता के कारण पैदा हुई है। गजलीठोरी में स्कूल तो है पर गगन बिहारी ‘साहू’ की दुकान में। स्कूल के रजिस्टर वहाँ के धन कुबेर व राज्य के छुट भैया बेचू तिवारी के पास है, जिसका पूरे गांव पर आतंक है। ऐसे स्कूल की दशा का वर्णन स्कूल का मास्टर छबीला राम सिंह चटखारे मार कर करता है कि “दादा खूब आराम है इफ स्कूल में! न एक्को एफटूडेंट हैं न ही फाफ फाई का झंझट...! रोज रोज इफलूल जाने की भी फमफ्या नहीं है। फब हवाहवाई ...फाला फिक्षा विभाग भी गजब का फूरदाफ...!”¹⁴ इस हवाहवाई आराम और आदिवासियों का जीवन बरबाद करने के लिए छबीला राम सिंह और उसके जैसे अध्यापक नीचे से लेकर ऊपर तक लेवी पहुँचाते हैं। इस तरह के भ्रष्टाचार को बनाए रखने के लिए बेचू तिवारी, साहू व जंगल सेना जैसे गठबंधन जंगल में सक्रिय हैं। बेचू तिवारी और गगन बिहारी ‘साहू’ यह जानते हैं कि अगर आदिवासी समाज शिक्षित हो गया तो वह इनके दुष्क्रम में नहीं फसने वाला इसलिए गजली ठोरी में जब संजीव कड़े परिश्रम के बाद स्कूल स्थापित करने में सफल होते हैं तो बेचू तिवारी उन्हें धमकी और हिदायत देते हुए कहता है कि—“अक्षर ज्ञान थोड़ा कम ही रहे तो उत्तम। अधिक ज्ञान देंगे तो अतिसार हो जाएगा। एक तो ये ससुर स्वयं ही भालू ठहरे...”¹⁵ आदिवासी इलाकों के कल्याण के लिए सैकड़ों योजनाएँ हैं लेकिन एक भी योजना का जमीनी क्रियान्वयन दिखाई नहीं देता लेकिन योजनाओं के पीछे के विपुल कारनामों जरूर दिखाई देते हैं। आजादी के बाद की योजनाओं का जिक्र करते हुए उपन्यासकार लिखता है कि—आवंटित राशि का दस प्रतिशत भी आदिवासियों तक नहीं पहुँच रहा। कई योजनाएँ कागज पर चलती रहती हैं। कई योजनाएँ तो फाइलों की कब्र में दफन हो गयीं...जैसे कि यह प्राथमिक विद्यालय गजलीठोरी।”¹⁶

उपन्यासकार ने संजीव के माध्यम से आदिवासी समाज के बीच हो रहे धर्मांतरण की समस्या को उठाया है। आदिवासियों के बीच ईसाई मिशनरियाँ कम्पनी राज से ही अपने धर्म का प्रचार प्रसार करती रही हैं जिसके चलते धर्मान्तरित आदिवासी अपने जीवनशैली और परम्परा से दूर होता चला जा रहा है। आदिवासियों के जीवन में आने वाले इन्हीं दुष्प्रभावों के कारण कभी बिरसा मुंडा ने विद्रोह किया था। आज अगर कुछ आदिवासियों ने धर्म परिवर्तन किया है तो उसमें सिर्फ वे दोषी नहीं हैं। उन्हें शिक्षा-स्वास्थ्य-रोजगार का प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य किया गया है। डॉ० गोविन्द गारे ने धर्म परिवर्तन का कारण बताते हुए लिखा है कि “अकाल, बाढ़ तथा अन्य आर्थिक समस्याओं से पीड़ित तथा सवर्ण हिन्दुओं के अत्याचारों से सताए हुए आदिवासी ईसाई बने हैं। ...ये आश्रम वाले तथा कथित हिन्दू सुधारक अपने मनुवादी तथा परम्परावादी विचार आदिवासी लोगों पर लादकर उन्हें सच्चे अर्थों में धर्मान्तरित करते हैं। मिशनरियों के समान वे भी उतने ही दोषी हैं, इसे नकारा नहीं जा सकता।”¹⁷ फादर ब्रूनो धर्म परिवर्तन को एक विकास की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं फादर ब्रूनो जैसे तमाम धर्मों के लोग आदिवासियों के बीच अपने धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इन मिशनरियों व प्रचारकों ने आदिवासी समाज का विकास कम, नुकसान ज्यादा किया है। इन प्रचारकों ने उन धर्मांतरित तमाम जातियों के कर्मकांड, संस्कार खान-पान, वेषभूषा को समाप्त कर अपनी संस्कृति और धर्म को उनके ऊपर थोप दिया है। यह उन जातियों के इतिहास को समाप्त करने की साजिश है। धर्म परिवर्तन और प्रचार तंत्र की आड़ में आदिवासियों के अस्तित्व को समाप्त कर देने की इस साजिश को संजीव अच्छी तरह समझता है। इसलिए वह फादर ब्रूनो के धार्मिक विकास की बात को खारिज करते हुए कहता है कि—“आम जन के लिए भारत में सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय के रास्ते धर्म की गलियों से गुजरकर अपने लक्ष्य पर नहीं पहुँच सकते।”¹⁸ “जमींदार सूदखोर महाजन और क्रूर सामन्त जो आज भी जंगल में आदिम राज कायम किये बैठे हैं, यदि एक बार आदिवासी समाज की आर्थिक समस्याएँ सुलझ गयीं तो....अपनी इच्छाओं, अपेक्षाओं और आवश्यकताओं के अनुसार विकास के रास्ते स्वयं ढूँढ़ लेगा।”¹⁹

राकेश कुमार सिंह ने संजीव व रंगेनी को दो ऐसे चरित्र के रूप में प्रस्तुत किया है जो अन्याय के खिलाफ मुखर आवाज उठाते हैं। जहाँ एक तरफ रंगेनी पूरे उपन्यास में पुरुषवर्चस्व को चुनौती देती हुई नजर आती है। वहीं दूसरी तरफ संजीव जंगल में फैली साहू और महाजनी व्यवस्था को। आदिवासी समाज के बारे में एक रोमांटिक कल्पना रही है कि आदिवासी स्त्रियाँ शोषणमुक्त हैं, पर वास्तविकता ऐसी नहीं है। आदिवासी समाज हो या गैर आदिवासी समाज हर जगह स्त्रियों का शोषण होता है।

आदिवासी स्त्रियों का दैहिक शोषण अधिकतर गैर आदिवासियों द्वारा होता है। ओंघड़ा और रेलवे के सिपाहियों के हवस का शिकार होने के बाद जब पंचायत रंगेनी से उसके पेट में पल रहे बच्चे के बाप के बारे में जानना चाहती है और उसे किसी पुरुष के साथ विवाह करने को कहती है तो वह पुरुषवर्चस्व को चुनौती देते हुए कहती है—“मरद के नाम से धिन आती है हमें—रंगेनी ने तमतमाकर कहा था अब हमें किसी मरद पर भरोसा नई।”²⁰ पंचायत के द्वारा उसका गांव के साथ हुक्का पानी बद करने पर वह रूढ़िवादी समाज को अपने साहस का परिचय देती है और “पंचायत को ठेंगा दिखाकर पहान का उठा(उल्लंघन) कर गाँव से निकल गयी थी रंगेनी। गांव से कुछ अलग हटकर उसने अकेले दम अपनी छोटी सी नयी छोपड़ी खड़ी कर ली थी”²¹

संजीव गैर आदिवासी होते हुए भी आदिवासियों के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझते हैं। वह आदिवासियों में आत्मसम्मान की भावना जागृति करते हैं और उन्हें संघर्ष के लिए प्रेरित करते हैं। आज आदिवासी समाज को संजीव जैसे दृढ़ इच्छा शक्ति व अपने कार्य के प्रति समर्पण भाव रखने वाले युवाओं की जरूरत है। संजीव के माध्यम से लेखक ने आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच की खाई पाटने का प्रयास किया है। उपन्यास की भूमिका में लेखक ने लिखा है कि—“भारतीय बुद्धिजीवी समाज के जिन लेखकों ने आदिवासी जनजीवन पर लिखा है उनमें से अधिकांश ने हर एक गैर आदिवासी को खलनायक के रूप में ही चित्रित करने की रूढ़ि का अनुगमन किया है। ...जबकि नए परिप्रेक्ष्य में इस संबंध को पुनः परिभाषित करने तथा आदिवासी-गैर आदिवासी के बीच की आदिम खाई को पाटने की फौरी जरूरत है।”²²

इस प्रकार हम देखते हैं कि पठार पर कोहरा उपन्यास में आदिवासी इलाकों में होने वाले बहुविध भ्रष्टाचार को परत-दर-परत विश्लेषित करने की कोशिश की गयी है। साथ ही झारखंड के जंगलों में पैदा हुई साहू महाजनी व्यवस्था के शोषण को भी दिखाया गया है। संजीव जैसे लगनशील व आत्मसमर्पित व्यक्ति के माध्यम से लेखक ने आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच बढ़ती खाई को पाटने की कोशिश की है जिसमें वह एक स्तर तक सफल भी हुआ है।

सन्दर्भ :

1. विनोद कुमार, समरशेष है, प्रकाशन संस्थान, नई दिल्ली, संस्करण 2005, पृ० 15
2. विपिनचंद्र, आधुनिक भारत का इतिहास, ओरियन्टल ब्लैकस्वान, नई दिल्ली, संस्करण 2009, पृ० 55
3. रमणिका गुप्ता, आदिवासी विकास से विस्थापन, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण 2018, पृ० 11
4. वही, पृ. 16
5. रूपचंद्र वर्मा, भारतीय जनजातियाँ, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली, संस्करण 2003, पृ० 102
6. वही, पृ. 97
7. हरिराम मीणा, आदिवासी दुनियाँ, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली, संस्करण 2013, पृ० 124
8. सिंह, राकेश कुमार, पठार पर कोहरा, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, संस्करण 2005, पृ० 7
9. वही, पृ० 126-127
10. वही, पृ० 154
11. वही, पृ० 108
12. वही, पृ० 135
13. वही, पृ० 178
14. वही, पृ० 86
15. वही, पृ० 143
16. वही, पृ० 137-138
17. रमणिका गुप्ता, सं., आदिवासी विकास समाज से विस्थापन, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली संस्करण 2018, पृ० 29
18. सिंह, राकेश कुमार, पठार पर कोहरा, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, संस्करण 2005, पृ० 175
19. वही, पृ० 174
20. वही, पृ० 70
21. वही, पृ० 71
22. वही, पृ० 9

‘बाबा बटेसरनाथ’ में चित्रित गाँव एवं समाज

राजेश कुमार कुशवाहा*

*शोधार्थी, गुरु नानक कालेज आर्ट, साइंस एंड कामर्स सायन, मुंबई विश्वविद्यालय, मुंबई

सारांश : प्रस्तुत शोध पत्र में ‘बाबा बटेसरनाथ’ में चित्रित गाँव एवं समाज से सम्बन्धित सभी पहलुओं को प्रासंगिक ढंग से स्पष्ट किया गया है। ‘घट घट में वह साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रे’ कबीर दास की इस पंक्ति को नागार्जुन का ‘बाबा बटेसरनाथ’ उपन्यास चरितार्थ करता हुआ दिखाई देता है। लेखक ने इस रचना के माध्यम से एक बरगद के वृक्ष में मानवीय चेतना का दर्शन कराया है। बरगद का यह वृक्ष अपने साथ-साथ इस पूरे भारतीय ग्राम समाज के सा वर्षों के अतीत को बतलाता है। प्रस्तुत शोध पत्र शोधार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

मुख्य शब्द : ‘बाबा बटेसरनाथ’ उपन्यास, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय ग्राम समाज, समतामूलक समाज, अकाल आदि। ‘बाबा बटेसरनाथ’ उपन्यास में रचनाकार ने अपनी कल्पनाशीलता का प्रयोग करते हुए इस कथा में इसी बरगद के वृक्ष को कथा का नायक बनाकर प्रस्तुत किया है। यह वृक्ष अच्छे बुरे सबको अपने छांव का आशीर्वाद प्रदान करता है— “रात के अंधेरे में चोर आया करते, रुपयों की उमस से परेशान कजूस, सास की खुराफात से परेशान बहुएं, प्रायश्चित के पचड़े में धर्मशास्त्री.....महाजन की बेईमानी से परेशान गरीब किसान, कोन नहीं आता बरगद बाबा के पास”

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि एवं आजादी के बाद के परिदृश्य को लेकर इस उपन्यास का सजन किया गया है। समतामूलक समाज की स्थापना के लिए जमींदारी उन्मूलन कानून सरकार द्वारा जरूर लाया गया, मगर उसका सकारात्मक परिणाम नहीं रहा। जमींदारों ने चोरी चोरी औने-पौने दाम पर मनचाहे लोगों का जमीन का मालिकाना हक प्रदान किया। सार्वजनिक संपत्ति को कैसे किसी व्यक्ति विशेष की संपत्ति बना दी जाती है, खूब देखने को मिला, जिसमें जमींदार ही नहीं पूरा का पूरा सरकारी अमला-पटवारी, दीवान, तहसीलदार सब के सब मिले हुए हैं। परिणामस्वरूप बरगद वाली सार्वजनिक जमीन पर गांव के संभ्रांत दुनाई पाठक और जयनारायण अपना दावा पेश करते हैं।

जिस वृक्ष को जयकिशन के परदादा ने बेटे की तरह पाला-पोसा, जो पूरे रुपवली गांव के लिए पूज्य था, आज उसके कटन के डर से पूरा गांव सशंकित है। जब 1934 के भूकंप में वृक्ष का पूरा ढांचा हिल गया, जिसके बाद वह टेढ़ा हो गया। पूरा का पूरा रुपउली ग्राम दुखी है, जैसे कोई उनके परिवार का व्यक्ति अक्षम हो गया है— “मकान गिरे थे, खड़े कर लिए गए। मगर इस बरगद को लोग सीधा नहीं कर पाए। किसान दुखी थे मजदूर दुखी थे.. दांतों से दांत दबाकर बहू बेटियां तक बरगद बाबा की इस दुर्दशा का अनुभव कर रही थी।”² अनाथ पशु-पक्षियों, मनुष्यों के रुदन-विलाप का वह साक्षी रहा है। वह उनके सुख में सुख और दुःख में दुःख का अनुभव करता है। वह हमेशा गांव के संरक्षक की भूमिका में नजर आता है। लेखक ने रुपउली, जो बिहार के दरभंगा से कुछ मील की दूरी पर बसा एक गांव है, के माध्यम से पूरे भारतीय ग्राम के चित्र को रेखांकित किया है। तीन सौ परिवारों से बने इस गांव में ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, अहीर, धानुक, मोमिन, चमार और पासी जाति के लोग रहते हैं। इनमें से छोटी जाति के अधिकांश लोगों के जीवन निर्वाह का माध्यम मजदूरी और किसानी है। इन निम्न और मध्यम जाति के लोगों के साथ हमेशा से जुल्म और जोर-जबर्दस्ती का प्रयोग किया जाता रहा है। ‘बाबा बटेसरनाथ’ उपन्यास के माध्यम से लेखक ने इन्हीं लोगों पर हुए जुल्म और अत्याचार की कहानी को बयां किया है। रचनाकार ने आजादी के पूर्व हुए कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं एवं आम जनजीवन पर उसके प्रभाव की चर्चा विस्तार से की है—

1873-74 का भीषण अकाल : 1873 में बिहार में आए अकाल की चर्चा तमाम ऐतिहासिक ग्रंथों के साथ-साथ साहित्य में भी मिलता है। बिहार और बंगाल की मुख्य फसल चावल को इस अकाल ने पूरी तरह से निगल लिया। उस वर्ष रबी की फसल पहले ही चौपट हो चुकी थी। धान की पैदावार का मुख्य स्रोत बरसात के लिए जन समुदाय ने समस्त रूढ़िवादी क्रियाकलाप किए— “इंद्र भगवान को खुश करने के लिए ब्राह्मणों ने ग्यारह लाख शिवलिंग बनाए, ग्वालो, अहीरों और धनुको के द्वारा चार दिन तक भुइया महाराज का पूजन किया गया, जानवरों की बलि चढ़ाई गई, पंडितों ने महीनों तक चंडी पाठ किया किंतु कोई परिणाम नहीं निकला।”³ खाद्यान्न की भीषण समस्या ने लोगों को घास-फूस तक खाने के लिए मजबूर किया। पोखर और तालाबों के सूख जाने पर मछलियां मिलना भी मुश्किल हो गई। लोग पिछले वर्ष की पकी ईटा को घर लाकर उसका चूरन बनाते। आम, जामुन, अमरुद, इमली की पत्तियों को पीसकर, ईट के चूर्ण में मिलाकर आटा बनाया जाता। घास, दूब, पेड़ों की पत्तियां तक को लोग अपना आहार बनाने लगे। इस अकाल का चित्रण करने के लिए तुलसीदास की निम्न पंक्तियां बहुत ही प्रासंगिक प्रतीत होती हैं—

‘खेती न किसान को, भिखारी को न भीख,
बलि बनिक् को बनिज न चाकर को चाकरी।
जीविका विहीन लोग सि। मान सोच बस कहें,
एक एकन सो— कहाँ जाए का करी।’

अंग्रेजी शासन व्यवस्था का उस समय बोलबाला था। जमींदार, सेठ साहूकार सिर्फ गरीब जनता का खून चूसने के लिए तैयार थे। सूद पर कर्ज देन का काम जमींदार और संपन्न किसान करते, जो मनमाना कर्ज वसूल करते। अखबार और पत्रकारिता का संचार ना होने से गरीब, मजदूर लोगों की आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। छोटे किसान जमीन बेचकर पेट की आग को बुझाने लगे। रुपउली गाँव में तीन-चार परिवार ही ऐसे थे जिन्हें भरपेट भोजन मिल पाया। कर्मोवेश यहाँ स्थिति पूरे बिहार प्रांत का रहा। मेहनत मजदूरी करके जीविकोपार्जन करने वाले का बुरा हाल था। गरीब किसान, मजदूर अपनी जीविका चलाने के लिए सपरिवार गांव छोड़कर दूसरे प्रांतों की तरफ जाने लगे। अंग्रेज सरकार ने रेल लाइनों का विस्तार किया किंतु उनका मकसद गरीबों के समाधान का नहीं, अपने व्यापारिक लाभ के लिए अधिक था। प्रिय से प्रिय व्यक्ति के मर जाने पर भी परिजनों के आंसू नहीं निकले। किसी की मृत्यु हो जाने पर लाशों को उठाने वाले लोग ना मिलते, जिससे लाशें गलियों में ही पड़ी रहती। ‘बाबा बटेसरनाथ’ उपन्यास का वर्णन करते हुए गोपाल राय लिखते हैं— “औपनिवेशिक शासन में किसानों पर जमींदारों और सरकारी अमलो, विशेषकर पुलिस के अत्याचारों, किसानों की निर्धनता, अकाल और भुखमरी, बाढ़ और उससे उत्पन्न तबाही, स्वाधीनता की

लड़ाई आदि का इतना जीवंत चित्रण अन्यत्र नहीं मिलता।⁴ गांव के संरक्षक होने के नाते बरगद बाबा इस घटना से बहुत द्रवित होते हैं।

अंधविश्वास : अंधविश्वास का भारतीय समाज से गहरा रिश्ता रहा है, जो आज भी ग्रामीण समाज के संस्कार का हिस्सा है। भारतीय ग्राम समाज एवं किसानों के विकास में इसे बाधक के रूप में समझा जा सकता है। बरगद के वृक्ष में जब गांव के कुछ लोगों द्वारा ब्रह्म बाबा का निवास बना दिया जाता है तो वह बहुत दुखी होते हैं। शुरू-शुरू में तो लोग वृक्ष को देवतुल्य समझे किंतु जैसे ही ब्रह्म बाबा को खुश करने के लिए बलि चढ़ाई जाने लगी तो लोगों के रोंगटे खड़े होने लगे। जो लोग बरगद बाबा को अपना भाई, चाचा, दादा, सखा समझते थे, अब वहां जाने से कतराने लगे। जो पशु उनकी छाया में रहकर पले-बढ़े उन्हीं के बलिदान को वह कैसे स्वीकार करें। पहले जिस डाली पर छोटे बच्चे खेलते, एक दूसरे का हाथ पकड़े विह्वल स्त्री-पुरुष आते, जिस की छांव में गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती, गाय बकरी चराते चरवाहे तान छेड़ते वहां अब समस्त क्रियाओं पर विराम लग चुका है। अब किसी के घर शुभ कार्य होता। किसी का मनोरथ पूर्ण होता तो वह बड़ी धूमधाम से यहां आने लगा। धूप, दीप, फल-फूल, अक्षत-दूब, दूध, गंगाजल, बेल और तुलसी के पत्ते अब चढ़ाए जाने लगे। डर के मारे शाम के बाद लोग उस वृक्ष के पास आने से कतराने लगे। गांव के लोगों के बदले स्वभाव से बरगद बाबा बहुत दुखी हुए, जिससे निजात पांच वर्ष बाद मिल पाया।

बाढ़ का कहर : बिहार प्रांत हमेशा से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के रूप में जाना जाता रहा है। 1910 के आस-पास गंडक, करेह, बागमती, कमला, बलान, तिलगुजा, धेमुड़ा आदि नदियों ने विकराल रूप धारण किया। किसानों की पूरी फसल डूब गई, मैदान समुद्र बन गए। सारे इलाके में कमर भर पानी भर गया। रुपउली ग्राम भी इससे अछूता नहीं रहा। घरों के अंदर पानी का प्रवेश हुआ तो लोग पेड़ों पर मचान बनाकर रहने लगे। औरत, मर्द अपने सर-सामान और बच्चों को लेकर अन्य गांव की तरफ निकल पड़े। मजदूरों के सारे कामकाज बंद होने के कारण खाने के भी लाले पड़े। बरगद बाबा ने अपने टहणियों और पतियों पर सर्प, छिपकली, गिलहरी, कीड़े-मकोड़ों को भी आश्रय प्रदान किया। घर-गृहस्थी का सामान पानी में तैरते दिखाई देते। बीच-बीच में सामानों के साथ-साथ इंसानों की लाशें भी नजर आ जाती। लोग लाठी डंडे क सहारे पानी की धार की तरफ उन लाशों को भी मोड़ देते। आगे इस बाढ़ ने भुखमरी और बीमारी को आमंत्रित किया। दूसरे के खेतों में मजदूरी करके जीवन यापन करने वाले लोगों का बुरा हाल रहा। मवेशियों के लिए चारा खत्म होने लगा। आगे चलकर जहां-तहां उनकी लाशें पड़ी रहती। सवा महीने के बाद बाढ़ ने जाते-जाते गंभीर बीमारी भी छोड़ा अस्पताल की सुविधा ना होने से बहुत से लोगों ने दम तोड़ दिया। जहां कहीं अस्पताल मिल भी जाता तो लोग कहते- यह हिंदुओं के धर्म को भ्रष्ट करने का अड्डा है, दवा में गौ मांस का अंक है... सूअर का लहू, आदमी के खोपड़ी का गूदा, जाने क्या क्या मिलाया गया है। रचनाकार द्वारा किया गया इतना मार्मिक अंकन पाठक को बहुत द्रवित करता है।

गांधी जी का प्रभाव : भारत को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने के लिए गांधी जी द्वारा अनेक आंदोलन किए गए, जिसमें पहला आंदोलन 1917 का चंपारण सत्याग्रह रहा। अंग्रेजों की हिटलर शाही नीति के कारण किसानों की जमीन पर जबरदस्ती नील की खेती करने के लिए दबाव बनाया जाने लगा। अंग्रेजों ने भारत को एक व्यवसायिक केंद्र बनाकर लाभ कमाने की कोशिश की। इस फैसले से किसानों को खाद्यान्न संकट का भी सामना करना पड़ा। अंग्रेजों की इस नीति पर दुख व्यक्त करते हुए बच्चन सिंह जी कहते हैं- “कच्चा माल प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों ने कपास पटसन जूट और नील की खेती को प्रोत्साहन दिया। लोगों को नील बोने के लिए बाध्य किया जाता है... कच्चा माल विलायत भेजा जाता था और वहां से पक्के माल के रूप में बदलकर भारत के बाजारों में पहुंच जाता था।”⁵ लेखक ने गांधी जी के हर एक नीतियों पर बारीकी से नजर रखी है। जहाँ पर गांधीजी के निर्णय तार्किक रूप से सही नहीं थे, लेखक उसका विरोध भी करता है। गांधी जी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन का जनता पर व्यापक प्रभाव पड़ा। गांधी जी के आह्वान पर पूरा देश उनके साथ खड़ा हो गया। एक दूसरे के सहयोग एवं पत्रकारिता के विकास ने किसानों के अंदर साहस का संचार किया। किसान एक स्थान पर एकत्रित होकर आगे की योजना के बारे में विचार विमर्श करते। उस वर्ष फसल की अच्छी पैदावार ने भी किसानों को इस आंदोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया। बरगद बाबा एक स्थान पर किसानों की स्थिति पर बात करते हुए कहते हैं- “उपज अच्छी हुई हो और घर-गिरस्ती का काम ठिकाने से चल रहा हो तो किसान अपने आप को क्या समझता है..... उस हालत में किसान अपने आप को बादशाह समझता है।”⁶ देश का हर हिस्सा नयी चेतना से स्पंदित होकर अपने अंदर उर्जा का संचार कर रहा था। देश के अंदर विद्रोह का भाव प्रबल रूप से खुलकर दिखाई देने लगा। तमाम बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाला जाने लगा। पूरे देश का नेतृत्व गांधी जी के कंधे पर था। छिट-पुट हिंसक घटनाओं ने गांधी जी को बहुत द्रवित किया। गोरखपुर में हुए चौरी चौरा कांड ने गांधी जी को पूरे आंदोलन को स्थगित करने के लिए मजबूर किया। गांधी जी के इस कदम को लेकर जनता में तरह-तरह के राय रहे। इस आंदोलन का सबसे व्यापक प्रभाव यही रहा कि, जनता में एकता का भाव जगा और जो समझदारी पढ़े लिखे लोगों तक सीमित थी, उसे गांधी जी आम जनता तक ले आए।

इस कथा में लेखक ने आजादी के दौरान हुए हर एक घटना एवं उसके परिणाम का बेबाकी के साथ अंकन किया है। आजादी के करीब पहुंचते-पहुंचते गांव के अंदर जातीय चेतना का विकास देखा जा सकता है। युवाओं के द्वारा ग्राम समितियों का निर्माण किया गया, जिसके माध्यम से किसानों के कल्याण की बात होने लगी। जयनारायण और दुनाई पाठक जैसे सरारती लोगों को बरगद वाली जमीन तो मिलना दूर, शर्म से अपना चेहरा छुपाने के लिए स्थान नहीं मिला। रचनाकार ने इस उपन्यास के माध्यम से तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के चरित्र का भी उजागर किया है। किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने किसान, मजदूर, गरीब जनता को अपने पार्टी की मुख्यधारा से जुड़ने नहीं दिया आजादी के दौरान इन ग्रामीणों का झुकाव सोशलिस्ट पार्टी की तरफ अधिक रहा। पार्टी की निगरानी में जमींदारों के खिलाफ कई मोर्चे का गठन किया गया। लेकिन धीरे-धीरे सोशलिस्ट पार्टी का भी तेज घटता जा रहा था। जमींदारों के विरुद्ध जैसा विरोध नागार्जुन अपनी रचनाओं में करते दिखते हैं, वैसा कोई अन्य लेखक विरले ही होगा। “प्रेमचंद किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए उनके संगठन की आवश्यकता का अनुभव तो करते हैं, पर उनके उपन्यासों के किसान किसी संगठन का निर्माण कर जमींदारों के विरुद्ध आंदोलन नहीं करते।”⁷ किसानों और युवाओं ने मिलकर ग्रामीण विकास कोष की स्थापना कर ली है। इस कोष में इकट्ठे धनराशि से ग्रामीण विकास के साथ-साथ ‘जनशक्ति’ और ‘दैनिक नवराष्ट्र’ जैसे अनेक पत्रिकाएं मंगाई जाने लगी। इन पत्रिकाओं में रुपउली ग्राम में हुए किसानों के पहल को भी स्थान मिला।

बरगद बाबा दोनों हाथों से रुपउली गांव के कल्याण की दुआएं देते हुए अपना शरीर त्याग देते हैं। पूरा गांव बरगद बाबा के चले जाने से बहुत दुखी है, जैसे उन्होंने अपने एक पूर्वज को खो दिया है। बरगद बाबा के स्थान पर अब गांव के लोगों ने एक नए बरगद के वृक्ष का रोपण कर दिया है, अर्थात् जन जन में चेतना का संचार इस उपन्यास के माध्यम से किया गया है।

नागार्जुन ने इस रचना के माध्यम से जीव और जगत का एकाकार करके अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय कराया है। रचनाकार ने आजादी के पूर्व हुए हर एक घटनाक्रम को निष्पक्षता और निडरता के साथ प्रस्तुत किया है। आजादी के बाद गांव के बदले स्वरूप और उसमें युवाओं की भूमिका को रचनाकार ने एक दिशा दी है, जो पाठक को निश्चित ही प्रभावित करती है। इनके उपन्यासों के अधिकतर पात्र जुलूम और अत्याचार को सहन करने वाले नहीं बल्कि उसका डटकर मुकाबला करने वाले हैं। एक वृक्ष में मानवीय चेतना का निदर्शन और उसके प्रति अपनी गहरी संवेदना का प्रदर्शन यह शायद नागार्जुन ही कर सकते थे।

सन्दर्भ :

1. 'बाबा बटेसरनाथ', नागार्जुन, आठवाँ संस्करण-2016, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ० 9
2. वही, पृ० 11
3. वही, पृ० 55
4. गोपाल राय, हिंदी उपन्यास का इतिहास, चौथा संस्करण-2014, पृ० 218
5. बच्चन सिंह, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, तेरहवाँ संस्करण-2021, पृ० 278
6. नागार्जुन, 'बाबा बटेसरनाथ', आठवाँ संस्करण-2016, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ० 92
7. गोपाल राय, हिंदी उपन्यास का इतिहास, चौथा संस्करण-2014, पृ० 218

बांग्ला कथा—साहित्य और आदिवासी जीवन

दीक्षा सिंह*

*शोधार्थी, केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केरल

सारांश : भारतीय साहित्य में आदिवासी जीवन के चित्र प्रायः आरंभिक लेखन में भी दिखते हैं, परन्तु वहां आदिवासी जीवन और संस्कृति एक स्वायत्त संस्कृति के रूप में चित्रित न होकर व्यापक समाज के एक छोटे से अंश के रूप में ही चित्रित होती है। यही कारण है कि आदिवासी समाज की सूक्ष्मतरंगी विशिष्टताएँ तुलनात्मक रूप से उस तरह चित्रित नहीं हो पातीं, जिस तरह आधुनिक काल में दिखाई पड़ती हैं। आदिवासी जीवन विशेष तौर पर कथा—साहित्य में ही चित्रित हुआ है, जहां उसकी अपनी जीवनगत विशिष्टताएँ और संघर्ष की परिस्थितियाँ भी व्यापक रूप से स्थान पाती हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में बांग्ला कथा—साहित्य और आदिवासी जीवन से सम्बन्धित सभी पहलुओं को बड़े ही प्रासंगिक ढंग से स्पष्ट किया गया है। यह अध्ययन शोधार्थियों के लिए मार्गदर्शक व उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

मुख्य शब्द : भारतीय साहित्य, आदिवासी जीवन, स्वायत्त संस्कृति, सामाजिक—चेतना, बांग्ला साहित्य आदि।

बांग्ला उपन्यासों को आधुनिक युग में शीर्ष पर पहुँचाने में अनेकों लेखकों की महती भूमिका रही है, जिनमें उल्लेखनीय रचनाकार हैं— 'ताराशंकर बंदोपाध्याय', 'विभूतिभूषण बंदोपाध्याय', 'माणिक बंदोपाध्याय', 'जगदोश चन्द्र गुप्ता', 'सतीनाथ भादुड़ी', 'अमरेन्द्र घोष', 'प्रबोध सान्याल', 'सुबोध घोष', 'प्रफुल्ल राय', 'महाश्वेता देवी', 'समरेश बसु', 'सुनील गंगोपाध्याय', 'समरेश मजूमदार', 'आशुतोष मुखोपाध्याय', 'नलिनी बेरा', 'अनिल घड़ाई' आदि।

'ताराशंकर बंदोपाध्याय' ने ऐतिहासिक ज्ञान और व्यापक सामाजिक—चेतना के स्तर पर बांग्ला साहित्य में एक नये युग की आधारशिला रखी। उन्होंने यथार्थवादी आदर्शवाद की जगह ऐतिहासिक यथार्थ को केन्द्र में रखकर उपन्यासों की नींव रखी। उनके उल्लेखनीय उपन्यासों में 'सिद्धू—कान्हू डोक', 'राई—कमल', 'धरित्रि देवता', 'चौताली धुनी', 'कालिंदी', 'गणदेवता', 'पंचग्राम', 'हासुली बाँकेर उपकथा', 'मन्वन्तर', 'संदीपन पाठशाला', 'कवि', 'पदचिन्ह', 'आरोग्य निकेतन', 'कालान्तर' आदि प्रमुख हैं। इनमें से 'कालिंदी', 'हँसुली बाँक की उपकथा', 'जंगलगढ़' आदि उपन्यासों में आदिवासी जीवन, उनकी संस्कृति, लोक परम्पराओं, विश्वासों—अंधविश्वासों आदि सर्वांगीण पहलुओं को सजीवता से चित्रित किया है। 'कालिंदी' उपन्यास में लेखक ने संथाल आदिवासियों द्वारा जमींदारों के प्रति किये गये विद्रोह तथा उनके जीवन—संघर्ष को प्रमुखता दी है। 'जंगलगढ़' उपन्यास में लेखक ने एक अति बर्बर और आदिम मानी जाने वाली छत्तीस जातियाँ नामक जनजाति समुदाय के जीवन—संघर्ष को दर्शाया है। इन आदिवासियों का जीवन इतना विकट है कि उनमें भोज्य—अभोज्य में अन्तर करने की मानसिक स्थिति का अभाव मिलता है। वे अपने उदर की भूख को शांत करने के लिए किसी भी हद तक जाने को विवश हैं, लेकिन इन्हीं अभावों के बीच रहते हुए भी लेखक ने उनकी उत्सवधर्मिता को अत्यधिक सूक्ष्मता से उल्लिखित किया है।

'अरण्यवह्नि' उपन्यास भी संथाल आदिवासियों के विद्रोह को उजागर करता है, लेकिन उनके विद्रोह के कारणों की गहन पड़ताल भी इस उपन्यास में देखने को मिलती है। हूल के नायक सिद्धू—कान्हू का नेतृत्व तथा विद्रोह के समानान्तर चलती हुई प्रेमकथा भी इस उपन्यास के केन्द्र में है।

'हँसुली बाँक की उपकथा' उपन्यास में 'वीरभूम के राढ़ अंचल की लाल माटी से रंगी गाथा है जिसमें कई रंग और रूप हैं। वहां अब तक जो कुछ होता आया है वह सब दैव प्रेरित ही है। दैव के कोप या दैव की दया में ही उसकी नियति और गति है। ताराशंकर बाबू इस अभिशाप के साक्षी रहे थे और उन्होंने बहुत निकट से इस अंध आस्था के प्रति सारे लोक को समर्पित और असहाय होते देखा था। इस आदिकालीन मनोवृत्ति को इसी अंचल की बुढ़िया सुचौंद के द्वारा इस उपन्यास में स्थापित किया गया है।"¹

'गणदेवता' उपन्यास में बांग्ला के आदिवासी समाज के बहाने संपूर्ण भारतवर्ष के हाशिया—समूहों का जीवन प्रकट हुआ है। "गणदेवता बांग्ला के ग्राम्य जीवन पर आधारित एक ग्रामभित्तीक उपन्यास है। कृषि पर निर्भरशील ग्राम्य जीवन की शताब्दियों की सामाजिक परंपरा किस प्रकार पाश्चात्य औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप यंत्र सभ्यता के संघात से धीरे—धीरे अस्त—व्यस्त होने लगी थी, यही उपन्यास में दिखाया गया है। कृषि पर निर्भर ग्राम्य—जीवन जिन सामाजिक परंपराओं पर टिका हुआ था, उनका रूप संभवतया संसार के कृषि निर्भर यंत्र, सभ्यता से अछूते ग्राम्य जीवन में सर्वत्र एक ही है।"²

बांग्ला साहित्यकारों में 'विभूतिभूषण बंदोपाध्याय' का नाम उल्लेखनीय है। उनके कथा—साहित्य में बांग्ला जीवन तथा मानव का प्रकृति के प्रति प्रेम तथा सहजीवन विशेष रूप से प्रकाश में आया है। उनके उपन्यासों में 'पाथेर पांचाली', 'अपराजिता', 'दृष्टि प्रदीप', 'आरण्यक', 'आदर्श हिन्दू होटल', 'विपिनेर संसार', 'अनुवर्तन' आदि प्रमुख हैं। इनमें से 'आरण्यक' उपन्यास में आदिवासी जीवन विशेष रूप से चित्रित हुआ है।

"आरण्यक में आदिवासियों के लोक विश्वास, मिथ, किवदन्ती, लोकशिल्प एवं शिल्पी का संकट दैनंदिन जीवन में व्यवहार की वस्तु, खाद्य पदार्थ, मेला, धार्मिक आचारों आदि का विवरण दिया है। इनके बीच से ही भारत के अतीत को भी ढूँढ़ा जा सकता है। विभूतिभूषण बंदोपाध्याय परोक्ष रूप से यह रेखापथ तैयार कर गये हैं। इसके द्वारा परवर्ती समय में नये दृष्टिकोण, नये पथ पर चलने की प्रेरणा दी है।"³

बांग्ला उपन्यासकारों में 'माणिक बंदोपाध्याय' का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। उन्होंने 'प्रतिबम्ब', 'जननी', 'जीवनेर जटिलता', 'दर्पण', 'चतुष्कोण', 'पद्मानदीर मौझी', 'इतिकथार परेर कथा', 'शहरतली', 'दिवारात्रि काव्य', 'पुतुलनाचेर इतिहास' आदि उपन्यासों की रचना की। इनमें से 'पद्मानदीर मौझी' उपन्यास विशेषतः आदिवासी जीवन पर लिखी गयी कृति है।

बांग्ला साहित्यकारों में एक अन्य हस्ताक्षर 'सुबोध घोष' माने जाते हैं। उन्होंने 'सतकिया' नामक उपन्यास आदिवासियों को केन्द्र में रखकर लिखा। इस उपन्यास की कथाभूमि द्वितीय विश्वयुद्ध के काल की है। इसमें गैर आदिवासियों द्वारा जमीनों पर कब्जे और आदिवासियों का इस हस्तक्षेप के प्रति संघर्ष की कथा है। उपन्यास के नायक दासु द्वारा जमीन के लिये संघर्ष किया

जाता है। यहां तक कि वह इस संघर्ष में अपनी बलि दे देता है। तत्पश्चात् उसकी पत्नी व बच्चों को ईसाई मिशनरियों की शरण लेनी पड़ती है।

‘प्रफुल्ल राय’ का महत्वपूर्ण उपन्यास ‘पूर्व पार्वती’ के नाम से प्रकाशित है। इसमें लेखक ने नागा जनजाति के जीवन-परिस्थितियों, संघर्षों, संस्कृति-परंपराओं का विशद वर्णन किया है। नागा जनजाति के जीने का साधन मुख्यतः पशुपालन, शिकार तथा वनोत्पाद होते हैं। इनकी स्त्रियों का घर पेड़ों की शाखाओं पर बनाया जाता है। लेखक ने इन सभी विशेषताओं का अत्यधिक सूक्ष्मता से वर्णन किया है। उपन्यास का प्रमुख पात्र ‘सेंगाई’ है, जो कि अंग्रेजों द्वारा जब पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है, तब नागा समुदाय इसे बाह्य हस्तक्षेप मानकर इसकी भर्त्सना करते हैं। लेखक ने इस उपन्यास में नागा समुदाय को प्रभावित करने वाले देवी-देवताओं तथा प्रतिमाओं का भी चित्रण किया है। वे क्रमशः ‘अनिजा’ और ‘रिखुश’ कहलाते हैं। लोक कथाओं और लोकोत्सवों व परंपराओं के माध्यम से अपने संस्कृति का संरक्षण करने के प्रति नागाओं की चेष्टा तथा लेखकीय आग्रह इस कृति में दिखाई देता है।

‘दड़क शावरी’ उपन्यास ‘नारायण सान्याल’ की एक बेहद महत्वपूर्ण कृति है। उन्होंने इस उपन्यास को दण्डकारण्य में निवास करने वाले माड़िया, मुड़िया, भात्रा, काया, गोंड, बोंडा, सबर आदि आदिवासी समुदायों के जीवन संघर्ष से प्रेरित होकर लिखा। यह मूलतः गोंडी भाषा-भाषी मुड़िया गोंड आदिवासियों पर लिखा गया उपन्यास है। कुछेक स्थानों पर भात्रा एवं शबर जनजातियों की चर्चा भी की गयी है। ‘कोकारामकोर’ नृत्य करने वाले माड़िया जाति के लोग ‘घोटुल’ प्रथा का प्रधानता से पालन करते हैं। इस प्रथा में युवक-युवतियाँ एक अलग गृह में रहकर जीवन-संबंधी शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस कृति में लेखक ने इन सभी जनजातियों की उत्सवधर्मिता को बखूबी दर्शाया है।

बांग्ला साहित्यकारों में श्रेष्ठ रचनाकार ‘आशुतोष मुखोपाध्याय’ ने संथाल आदिवासियों पर ‘पंचतपा’ नामक उपन्यास लिखा है। विकास की अंधी दौड़ में किस तरह आदिवासी समुदाय बर्बाद हो रहे हैं, यह इस उपन्यास का केन्द्र बिंदु है। इसमें ‘मरामड़ाई नदी, पर बनने वाले बाँध और उसके प्रति संथाल आदिवासियों के विद्रोह एवं संघर्ष की कथा कही गयी है। ज्ञातव्य है कि संथाल समुदाय अत्यधिक शांतिप्रिय होते हैं, लेकिन पूर्व में हुए उनके कड़े अनुभवों के कारण वे इस बाँध-परियोजना का विरोध करते हैं। वे जानते हैं कि सरकार न तो उनके पुनर्वास की व्यवस्था करेगी और न ही उनकी आजीविका का। लेखक इस यथार्थ का भी चित्रण स्पष्ट रूप से करता है कि कैसे इस समुदाय के ही कुछ लोग जाकर प्रशासन से हाथ मिलाकर बाँध का कार्य प्रारंभ करवा देते हैं। इसके अतिरिक्त इस रचना में संथालों के उत्सव, रीति-रिवाज, रहन-सहन आदि का भी गंभीर वर्णन मिलता है।

‘समरेश मजूमदार’ द्वारा रचित ‘बासभूमि’ नामक उपन्यास इस कड़ी में एक महत्वपूर्ण कृति है। इसमें लेखक ने उत्तरी बंगाल के आदिवासी किसानों के जीवन संघर्ष और उनके गौरवशाली अतीत को प्रमुखता से स्थान दिया है। उपन्यास का वृद्ध पात्र ‘सुकरा’ जो कि चाय बागानों में काम करने वाले आदिवासी मजदूरों की दुर्दशा तथा अंग्रेजों के अत्याचारों की गत्यात्मक प्रक्रिया को अपनी आँखों से देखता एवं अनुभव करता है। वह गाँव लौटना चाहता है, परंतु उसका पुत्र नयी पीढ़ी का युवक होने के नाते बदलते वक्त के साथ चलना चाहता है।

बांग्ला साहित्यकारों में ‘सरमेश बसु’ एक ऐसे साहित्यकार के रूप में उभरकर सामने आते हैं, जिन्होंने समाज के विभिन्न पहलुओं को अपने कृतियों के माध्यम से मुखर आवाज दी है। आदिवासियों को केन्द्र में रखकर उन्होंने ‘दुई अरण्य’ (दो जंगल) नामक उपन्यास लिखा। इस उपन्यास में पड़ोस बंगाल तथा झारखंड के मुण्डा आदिवासियों का जीवन-संघर्ष, उनकी उत्सवधर्मिता व संस्कृति का व्यापक दस्तावेज मिलता है। इसमें लेखक गैर-आदिवासियों के लिए आदिवासी समाज द्वारा प्रयुक्त होने वाले ‘दिकू’ शब्द के अर्थ की भी पड़ताल करता है और यह संभावना जताता है कि अनार्यों के लिए संभवतः इसी शब्द का प्रयोग किया था। इस उपन्यास के नायक व नायिका ‘चेको’ एवं ‘मंगरी’ की प्रेमकथा के माध्यम से रचनाकार मुण्डा आदिवासी जीवन-संस्कृति को निरूपित करता है। दोनों पात्रों के विवाह के जरिये उनकी प्रथाओं-परंपराओं को वर्णित किया गया है। मुण्डाओं के अतिरिक्त लेखक ने बिरहोर आदिवासी जीवन तथा जीविका व संस्कृति को भी चित्रित किया है। इसमें गैर-आदिवासियों के छल-कपटपूर्ण व्यवहार को तो दिखाया ही गया है, लेकिन मास्टर साहब, अल्फ्रेड, संतोष महतो आदि के रूप में कुछ ऐसे भी पात्रों की संरचना की गयी है, जो आदिवासी न होते हुए भी उनके लिए मददगार रहे हैं।

संथाल आदिवासियों को केन्द्र में रखकर ‘अनिल घोड़ाई’ ने अपना उपन्यास ‘वनवासी’ (1990) शीर्षक से लिखा। इसमें संथाली प्रेमकथा के माध्यम से संथालों के सूझ-बूझ और संवेदना का इस प्रकार से वर्णन किया गया है कि पाठक अन्तरतम तक भाव-विभोर हो उठता है। उपन्यास का प्रमुख पात्र पागल सरदार को उसकी पत्नी छोड़ देती है। उनकी एक बेटी होती है, जिसका नाम चाँदमणि है। चाँदमणि गांव के ही एक लड़के होनुप से प्रेम करती है तथा दोनों विवाह के बंधन में बँधना चाहते हैं, परंतु पागल सरदार इसके लिए राजी नहीं होता। थोड़े दिन बाद होनुप क्रोध में आकर पागल सरदार को मारने जाता है, लेकिन उसे बचाता है। वह पागल सरदार से इंकार का कारण पूछता है तो सरदार कहता है कि मैं अपनी पुत्री को भली-भाँति जानता हूँ, वह अपनी माँ की ही तरह है। जैसे वह मुझे छोड़कर चली गयी, वैसे ही वह तुम्हें भी छोड़कर चली जाती, इसलिए मैं चाहता था कि वह थोड़ा सुधर जाये, तो मैं उसका विवाह तुमसे करूँ। होनुप यह सुनकर स्तब्ध रह जाता है। इस प्रकार लेखक ने आदिवासी समाज के अंतर्विरोधों के साथ-साथ उनके सहज समझ एवं बुद्धिमत्ता को भी यथास्थिति एवं यथा प्रसंग स्थान दिया है। इसके अलावा ‘नूनबाड़ी’ (1989), ‘मुकुलेर गंध’ (1997), ‘दौड़बोगड़ार उपाख्यान’, ‘जन्मदाग’ (1999) व ‘अनंत द्राघिमा’ (2009) आदि अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं।

झारखंड के धालभूम क्षेत्र के संथाल आदिवासियों को केन्द्र में रखकर ‘सुनील गंगोपाध्याय’ ने ‘अरण्येर दिन रात्रि’ (जंगल में दिन रात) नामक उपन्यास लिखा। इस रचना को मूलतः गैर-आदिवासी समाज के बर्बर दृष्टिकोण तथा उससे उपजी मानसिकता को ध्यान में रखकर रचा गया है। इसमें धालगढ़ के सरकारी बंगले में चार व्यक्ति तथा मित्र ठहरते हैं। यहां वे आदिवासी स्त्रियों तथा पुरुषों से परिचित होते हैं। वे चारों अपनी वासना-पूर्ति के लिए आदिवासी स्त्रियों से दुष्कर्म करते हैं। इस कुकृत्य के चलते आदिवासी समाज रोष में आकर उन चारों की पीट-पीटकर हत्या कर देता है। लेखक ने बाहरी समाज की मानसिकता को (स्त्रियों के संदर्भ में) बखूबी उभारा है तथा प्रतिरोध के रूप में जो घटना विकसित किया है, वह निश्चय ही आदिवासी समाज के स्वाभिमान और सामाजिक-लैंगिक समानता को दर्शाता है। इस रचना में लेखक की चिंता कई स्थानों पर

उजागर हुई है कि कैसे आदिवासी समाज विवश होकर अर्थोपार्जन करने के लिए कुली-मजदूर आदि का काम करने दूसरे क्षेत्रों में जाता है, जहाँ उन्हें कई प्रकार के शोषणों का सामना करना पड़ता है।

बांग्ला साहित्य की प्रख्यात लेखिका 'महाश्वेता देवी' का संपूर्ण रचनाकर्म ही वंचित समुदाय के लिए रहा है। उनकी रचनाएँ स्त्रियों, दलितों, किसानों, आदिवासियों को ही केन्द्र में रखकर लिखी गयीं। चूँकि वे आदिवासियों के दुःख-दर्द को अधिक प्रामाणिकता से उभारने के लिए आदिवासी इलाकों में कई वर्षों तक रहीं तथा उनके जीवन-संघर्षों को नजदीक से समझा। "महाश्वेता देवी एक थीम से दूसरी थीम के बीच भटकती नहीं हैं। उनका विशिष्ट क्षेत्र है— दलितों और साधनहीनों के हृदयहीन शोषण का चित्रण और इसी संदेश को वे बार-बार सही जगह पर पहुँचाना चाहती हैं ताकि अनंत काल से गरीबी-रेखा से नीचे सांस लेने वाली विराट मानवता के बारे में लोगों को सचेत कर सके।"⁴ महाश्वेता देवी अपनी लेखनी के बारे में स्वयं भी कहती हैं कि— "साधारण मानव, जीवन और मनुष्य के प्रति शुरु से ही मेरा आग्रह रहा है।..... निपीड़ित मनुष्य, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का पानी या जिंदा रहने का कोई न्यूनतम उपकार भी नहीं पा सका, उनके लिए छोटी-छोटी लड़ाईयों-आंदोलनों, संघर्षों में मैं विश्वास करती हूँ।"⁵

आदिवासी जीवन को लेकर महाश्वेता देवी का लेखन क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत रहा है। उन्होंने 'जंगल के दावेदार', 'शालगिरह की पुकार पर', 'चोट्टि मुण्डा और उसका तीर', 'सूरज गगराई', 'अक्लांत कौरव', 'अग्निगर्भ', 'टैरोडविल', 'लालगढ़ की माँ' आदि अनेकों उपन्यास लिखे, जिसमें उन्होंने आदिवासी जीवन-संस्कृति तथा उनके नायकों के माध्यम से उनकी जीजिविषा को उभारा। 'जंगल के दावेदार' उपन्यास झारखण्ड के उलगुलान पर आधारित है, जिसका नायक बीरसा मुण्डा है। इस उपन्यास की प्रेरणा लेखिका ने 'कुमार सुरेश सिंह' की किताब 'बिरसा मुण्डा और उनका आंदोलन' से लिया। इसमें लेखिका बिरसा मुण्डा के जीवन-संघर्ष के माध्यम से आदिवासी जीवन-स्थितियों की कथा कहती है।

इसी प्रकार 'शालगिरह की पुकार पर' उपन्यास तिलका माँझी पर आधारित है। इसी तरह 'अग्निगर्भ' उपन्यास सामंती प्रवृत्ति के प्रति वंचित जनों के निरंतर विद्रोह का प्रतीक है। 'सूरज गगराई' उपन्यास में झारखण्ड के कोल्हान क्षेत्र में सरकारी अतिक्रमण की कथा के माध्यम से आदिवासियों के संघर्ष का चित्रण किया गया है। उपन्यास का नायक शिक्षित होकर पहले सरकारी फौज का हिस्सा बनता है, लेकिन जब वह अपने ही लोगों को सरकार की ज्यादतियों से तिल-तिल मरते देखता है, तब उसका मोहभंग होता है और वह सबकुछ छोड़कर अपने गांव आकर अपना एक संगठन तैयार करता है, जो सरकारी योजना के अन्तर्गत निर्मित होने वाले 'चेरो बाँध प्रकल्प' का विरोध करता है। इस बाँध प्रकल्प में इकसठ आदिवासी गांवों का विस्थापित होना प्रस्तावित है तथा सरकारी मुआवजा इतना कम है कि आदिवासी कहीं और जाकर न तो उचित जमीन खरीद सकते हैं और न ही ढंग से वे अपना जीवन-यापन कर सकते हैं। लेखिका उपन्यास के पात्र सूरज गगराई, माटा गगराई, सेठना, नन्दी, गंगा, कालू, सुमराई आदि के माध्यम से आदिवासियों के प्रतिरोध की कथा कहती है। इस उपन्यास के माध्यम से लेखिका किसी भी अत्याचार-अन्याय के प्रति मुखर विरोध का संकेत देती हैं। यथा— "सूरज गगराई, मौत के बाद प्रशासन को और ज्यादा सता रहा है। बिरसा सेतु पर बेहद उद्धत तरीके से लिखा हुआ है— 'सूरज गगराई के अवशेष में काँच और धातु के चूरे क्यों मिले हैं, डी एस पी जवाब दो।"⁶ इस प्रकार महाश्वेता देवी अपने उपन्यासों के माध्यम से आदिवासी समाज के इतिहास, मिथक-मान्यताओं, परंपराओं, विद्रोहों को बड़े ही जीवंतता से उकेरती हैं।

उपर्युक्त उपन्यासों के अतिरिक्त भगीरथ मित्र का उपन्यास 'आड़कोटी' (1993), 'चारणभूमि' (1994), 'मृगया' (1961), 'संजीव चंदन चट्टोपाध्याय' का 'रोजनामचा' उपन्यास तथा 'नलिनी बेरा' का उपन्यास 'शबरचरित', 'चौदह मादल' व 'परती पर्व' भी उल्लेखनीय हैं। 'आड़कोटी' उपन्यास में असम के चाय-बागानों में कार्यरत आदिवासी मजदूरों की कथा कही गयी है। वहीं 'शबर चरित' उपन्यास में शबर जनजाति के जीवन-संघर्षों को प्रमुखता से स्थान दिया गया है। इस प्रकार बांग्ला साहित्य में वर्तमान समय में आदिवासी जीवन को ध्यान में रखकर लिखने की प्रवृत्ति बढ़ी है, जो कि एक सकारात्मक संकेत है।

बांग्ला कहानियों में भी बड़ी बारीकी से आदिवासी जीवन की पड़ताल की गयी है और उन मुद्दों की तरफ पाठकों का ध्यान आकर्षित किया गया है, जिन पर सामान्यतः दृष्टि नहीं जाती। इस क्रम में 'मानस देववर्मा' की कहानी 'स्वप्ने तव कुललक्ष्मी' अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें एक आदिवासी युवक के माध्यम से विलुप्त हो रहे जनजातीय भाषाओं की समस्या को उठाया गया है। नौकरी में आवेदन करते समय नायक के समक्ष यह चुनौती खड़ी होती है कि वह अपनी मातृभाषा क बजाय किस भाषा में आवेदनपत्र भरे। इसी प्रकार 'भीष्मदेव' की चर्चित कहानी 'राघ' में आदिवासी शिशु ब्रजबालक की कथा के माध्यम से अथक परिश्रम करने के बाद भी भूख से अभिशप्त जीवन जीने को मजबूर आदिवासियों की कथा कही गयी है। बांग्ला लेखक 'कालीपद चक्रवर्ती' ने अपनी कहानी 'तीर' के माध्यम से चाय बागानों में कार्यरत आदिवासी मजदूरों का उनके मालिकों द्वारा किए जाने वाले शोषण को अभिव्यक्ति दी गयी है। प्रसिद्ध लेखिका 'महाश्वेता देवी' ने उपन्यास के साथ-साथ कहानी जगत को भी अत्यधिक समृद्ध किया है। उनकी कहानियाँ 'आदिवासी कथा' पुस्तक में संग्रहीत की गयी हैं। उन्होंने 'डायन' कहानी में आदिवासियों में व्याप्त डायन प्रथा के अभिशाप को, 'भारतवर्ष' कहानी में सरकार की उदासीनता और पिछड़े आदिवासी अंचलों के अभावों को, 'शिकार' कहानी में दिक्कतों के शोषण और एक आदिवासी स्त्री के प्रतिरोध को, 'अर्जुन' कहानी में आदिवासियों के प्रकृति प्रेम को सहजता एवं मार्मिकता के साथ वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त 'लाइफर', 'तेतरी कहानी', 'रखवाला', 'जगमोहन की मृत्यु', 'मौलिक अधिकार और भिखारी दुसाध' आदि कहानियाँ प्रमुख हैं।

सन्दर्भ :

1. ताराशंकर बंदोपाध्याय, हँसुली बाँक की उपकथा, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, नई दिल्ली, सातवां सं०—2004, फ्लैप से उद्धृत
2. ताराशंकर बंदोपाध्याय, गणदेवता, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण—2004, पृ०सं०—9
3. भारतीय उपन्यास, एम० एच० डी० 16, इग्नू पाठ्यक्रम, पृ०सं०—36—37
4. महाश्वेता देवी, सूरज गगराई, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम सं०—2012, फ्लैप से उद्धृत
5. मिथिलेश, आदिम स्वरों की अनुगूँज, दिशा प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम सं०—2016, पृष्ठ सं०—80
6. महाश्वेता देवी, सूरज गगराई, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, सं०—2012, पृष्ठ सं०—136

बहिष्कार से समावेशन की प्रक्रिया : संवैधानिक उपागम एवं राज्य के प्रयास (अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिलाओं के विशेष संदर्भ में)

डॉ० संदीप कुमार*

*असि० प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, इ.सि.स्व.स.से.राजकीय महाविद्यालय, पचवस-बस्ती

सारांश : यह शोध-पत्र बहिष्कार से समावेशन की प्रक्रिया : संवैधानिक उपागम एवं राज्य के प्रयास (अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिलाओं के विशेष संदर्भ में) को रेखांकित करता है। भारत सरकार ने तेजी से टिकाऊ एवं अधिक समावेशी विकास पर ध्यान केन्द्रित करते हुये अनुसूचित जनजातियों, जनजातियों एवं महिलाओं के विकास एवं सशक्तिकरण के लिए प्रगतिशील कानून, कार्यक्रम एवं योजनाएं बनाई हैं। कार्यक्रम एवं नीतियां परिणाम दे रही हैं। वास्तव में पिछले छः दशकों में भारत में स्थानीय, प्रांतीय एवं केन्द्रीय स्तर पर सरकारों द्वारा किये गये विभिन्न उपायों ने भारतीयों के ऐतिहासिक रूप से वंचित एवं उत्पीड़ित वर्गों अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण बदलाव लाये हैं। यह शोध पत्र पूर्व अध्ययन से अलग एवं समाज के लिए महत्वपूर्ण है। यह अध्ययन शोधार्थियों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है।

मुख्य शब्द : बहिष्कार, संवैधानिक उपागम, समावेशन, धर्म निरपेक्ष, समतामूलक आदि।

बहिष्कार की अवधारणा : सामाजिक बहिष्कार या अपवर्जन वह तौर-तरीके हैं जिनके माध्यम से किसी व्यक्ति या समूह को समाज में पूरी तरह से घुलने-मिलने से रोका जाता है तथा समाज की मुख्यधारा से अलग या पृथक् रखा जाता है। सामाजिक बहिष्कार आकस्मिक या अनायास रूप से नहीं, बल्कि व्यवस्थित तरीके से होता है। यह समाज की संरचनात्मक विशेषताओं का परिणाम है। सामाजिक बहिष्कार की प्रकृति अनैच्छिक होती है, अर्थात् यह बहिष्कृत लोगों की इच्छाओं के विरुद्ध कार्यान्वित होता है। कई बार इस गलत तर्क से बहिष्कार को न्यायसंगत ठहराने का प्रयास किया जाता है कि सम्बन्धित समूह स्वयं ही मुख्यधारा में सम्मिलित नहीं होना चाहता है। परम्परागत रूप से भारत में अस्पृश्य जातियों को सामाजिक बहिष्कार का शिकार होना पड़ा जिसके कारण उनकी स्थिति आज भी अन्य जातियों की तुलना में निम्न है। भारत के इतिहास में जाति, लिंग तथा धार्मिक भेदभाव के विरुद्ध अनेक आन्दोलन हुये हैं। जाति एवं जनजाति दो ऐसी व्यवस्थाएं मानी जाती हैं जो भेदभावपूर्ण हैं तथा सामाजिक बहिष्कार को जन्म देती रही हैं।

समावेशन की अवधारणा : सामाजिक समावेशन अक्सर सामाजिक बहिष्कार का विपरीत होता है। सामाजिक समावेशन अपने साथ सकारात्मक कार्यवाही की अवधारणा लाता है जो उन कारकों को बदल या संशोधित कर सकता है जो समाज के एक वर्ग को मताधिकार से वंचित कर देते हैं जिससे उन्हें सामाजिक बहिष्कार के परिणाम भुगतने पड़ते हैं। सामाजिक रूप से समावेशी समाज को एक ऐसे समाज के रूप में परिभाषित किया गया है, जहां सभी लोग मूल्यवान महसूस करते हैं, उनके मतभेदों का सम्मान किया जाता है एवं उनकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है ताकि वे सम्मान से रह सकें। सामाजिक बहिष्कार सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रणालियों से अलग होने की प्रक्रिया है, जबकि समावेशन व्यक्तियों को समुदाय में एकीकृत करने से सम्बन्धित है।

संवैधानिक प्रावधानों तथा केन्द्र एवं राज्य सरकारों की नीतियों ने अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों एवं महिलाओं को बहिष्कार से मुख्यधारा में शामिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक धर्मनिरपेक्ष एवं समतामूलक सामाजिक व्यवस्था के दो प्रमुख उद्देश्य हैं जिन्हें हासिल काने के लिए भारत ने अपने सामने रखा।

1. **न्याय :** सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक।
2. **स्वतंत्रता :** विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था एवं पूजा।
3. **समानता :** स्थिति एवं अवसर की, एवं उन सबके बीच प्रचार करना।
4. **बंधुत्व :** व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता एवं अखण्डता सुनिश्चित करना।

इसके लिए हमारे संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं हेतु निम्नलिखित प्रावधान किये गये।

1. **अनुच्छेद 15(1) :** राज्य किसी भी नागरिक के प्रति धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।
2. **अनुच्छेद 17 :** अस्पृश्यता का पूर्णतः उन्मूलन तथा इसके लिए किसी भी रूप में प्रचलन का निषेध।
3. **अनुच्छेद 19(2) :** सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के बारे में किसी भी प्रकार की अयोग्यता, दायित्व, प्रतिबन्ध अथवा शर्तों को हटाना।
4. **अनुच्छेद 19(5) :** सभी नागरिकों को स्वतंत्रता पूर्वक आने-जाने बसने और सम्पत्ति अर्जित करने के सामान्य अधिकारों में अनुसूचित जनजाति के लिए कानून द्वारा कटौती करने की व्यवस्था।
5. **अनुच्छेद 29(2) :** राज्य द्वारा पोषित एवं सहायता द्वारा शिक्षा संस्थान में प्रवेश का किसी भी प्रकार के प्रतिबन्ध का निषेध।
6. **अनुच्छेद 46, 49 :** राज्य के दुर्बल वर्गों खासकर अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के आर्थिक एवं शिक्षा सम्बन्धी आर्थिक हितों की रक्षा।
7. **अनुच्छेद 164, 338 :** अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण तथा हितों की रक्षा के लिए राज्यों में जनजाति सलाहकार परिषदों तथा पृथक् विभागों की स्थापना करना।
8. **अनुच्छेद 244 :** अनुसूचित जाति तथा जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण के लिए विशेष उपबन्ध।

73 वें संविधान संशोधन से स्थानीय स्तर पर पंचायतों में अनुसूचित जातियाँ अनुसूचित जनजातियों एवं महिलाओं को आरक्षण सुविधाएं प्राप्त हो गई हैं। यह उनकी सामुदायिक सहभागिता की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। इससे समुदाय के विकास के निर्णय लेने की स्थिति में आ गई। उससे उनकी सहभागिता बढ़ गई।

राज्य विधान सभाओं एवं लोकसभा में भी इनके आरक्षण हेतु प्रयास जारी हैं। इन स्तरों पर भी यह आरक्षण लागू होने पर निश्चित रूप से समाज में इनकी सहभागिता काफी बढ़ जाएगी।

शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं :

1. प्रीमैट्रिक स्कॉलरशिप।
2. पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए।
3. नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप।
4. नेशनल फेलोशिप।
5. छात्रावास योजना।

इसके साथ ही व्यवसाय हेतु कुटीर उद्योगों की स्थापना हेतु अनुदान का भी प्रावधान है।

सरकार की गृहनिर्माण योजनाओं का लाभ भी उपलब्ध कराया जाता है। तथा इनके आर्थिक सशक्तीकरण के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति वित्त और विकास निगम की भी स्थापना की गयी है।

निष्कर्ष : रूप में यह कहा जा सकता है कि भारत सरकार के पास शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति, वित्तीय सहायता एवं उद्यम स्थापित करने के लिए कौशल निर्माण, नौकरियों में आरक्षण एवं अनुसूचित जाति के खिलाफ अत्याचार एवं हिंसा के मामलों को सम्बोधित करने के लिए विशेष अदालतों सहित अवसरों तक पहुंच को सक्षम करने के लिए विशेष योजनाएं हैं। भारत सरकार ने तेजी से टिकाऊ एवं अधिक समावेशी विकास पर ध्यान केन्द्रित करते हुये अनुसूचित जनजातियों, जनजातियों एवं महिलाओं के विकास एवं सशक्तीकरण के लिए प्रगतिशील कानून, कार्यक्रम एवं योजनाएं बनाई हैं। कार्यक्रम एवं नीतियां परिणाम दे रही हैं। वास्तव में पिछले छः दशकों में भारत में स्थानीय, प्रान्तीय एवं केन्द्रीय स्तर पर सरकारों द्वारा किये गये विभिन्न उपायों ने भारतीयों के ऐतिहासिक रूप से वंचित एवं उत्पीड़ित वर्गों अनुसूचित जातियाँ, जनजातियों एवं महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण बदलाव लाये हैं। कोई भी इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकता है कि स्थितियाँ अब धीरे-धीरे बदल रही हैं तथा आधुनिक पीढ़ी की सोच बदल रही है।

आधुनिक शिक्षा वैश्वीकृत दृष्टिकोण वाले आज के युवा सामाजिक व्यवस्था का समानता एवं निष्पक्षता के विभिन्न दृष्टिकोण से देख रहे हैं न कि धार्मिक या पारंपरिक दृष्टिकोण से। इस आधार पर भविष्य में हम आशा के साथ कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति का बहिष्कार केवल इतिहास के किताब के पन्नों पर रहेगा तथा अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिलाएं पूरी तरह से भारतीय समाज के मुख्य धारा में एकीकृत हो जाएंगी।

सन्दर्भ :

1. कुमार, मनीष, 2020, "महिला सशक्तीकरण— दशा और दिशा, पाण्डुलिपि प्रकाशन, नई दिल्ली
2. अग्रवाल पी.के., एवं गुप्ता, विराग, 2022, "BARE ACT" प्रभात पब्लिकेशन, नई दिल्ली
3. आहूजा, राम, "सामाजिक समस्या", रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली
4. सिंह, डॉ० निशांत, "सामाजिक न्याय और सतत विकास", राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली
5. बाबेल, डॉ० बसन्तीलाल, "अनुसूचित जातियाँ एवं अनुसूचित जनजातियाँ" (अत्याचार निवारण) अधिनियम एवं नियम, यूनिवर्सल लॉ पब्लिसर्स, प्रयागराज, २०२०

स्नातक स्तर के विद्यार्थियों की पारिवारिक वातावरण के सन्दर्भ में जीवन संतुष्टि का अध्ययन

आकांक्षा मिश्रा*

*शोध छात्रा, (शिक्षाशास्त्र), नेहरू ग्राम भारती (मानित विश्वविद्यालय), प्रयागराज, उ०प्र०

डॉ० श्रवण कुमार**

**शोध निर्देशक, असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षक-शिक्षा विभाग, नेहरू ग्राम भारती (मानित विश्वविद्यालय), प्रयागराज, उ०प्र०

सारांश : प्रस्तुत समस्या कथन में स्नातक स्तर के विद्यार्थियों की पारिवारिक वातावरण के सन्दर्भ में जीवन संतुष्टि का अध्ययन किया है। अध्ययन में वर्णनात्मक अनुसंधान के अन्तर्गत अन्तर्सम्बन्धात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया है। अध्ययन हेतु जनसंख्या में प्रयागराज जनपद के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के समस्त महाविद्यालयों में बी०ए० एवं बी०एस-सी० की कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को जनसंख्या माना गया है। न्यादर्श में सम्मिलित करने हेतु प्रयागराज जनपद के 10 शहरी एवं 10 ग्रामीण महाविद्यालयों का चयन स्तरीकृत यादृच्छिक विधि द्वारा किया गया तत्पश्चात् उसमें अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं का चयन साधारण यादृच्छिक न्यादर्शन विधि द्वारा किया गया। शहरी एवं ग्रामीण विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में से कला वर्ग व विज्ञान वर्ग के 300-300 छात्र-छात्राओं को यादृच्छिक न्यादर्शन विधि से चुनाव किया गया। हरप्रीत भाटिया एवं एन.के. चट्टा द्वारा “पारिवारिक वातावरण मापनी” तथा क्यू.सी. आलम एवं डॉ० रामजी श्रीवास्तव द्वारा निर्मित “जीवन संतुष्टि मापनी” का प्रयोग किया गया है। आँकड़ों के संग्रहण के पश्चात् विश्लेषण हेतु गुणनफल-आधुनिक सहसम्बन्ध गुणांक सांख्यिकी विधि का प्रयोग किया गया है। अध्ययन के निष्कर्ष में पाया कि— स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण के घटकों संगठित, प्रकटीकरण, स्वीकार्यता एवं देखभाल, सक्रिय मनोरंजन एवं सम्पूर्ण पारिवारिक वातावरण का उनके जीवन संतुष्टि के मध्य सकारात्मक सहसंबंध है। स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण के घटकों विरोध, स्वच्छता, व्यवस्था एवं नियंत्रण का उनके जीवन संतुष्टि के मध्य सहसंबंध नहीं है।

मुख्य शब्द : बाल्यावस्था, पारिवारिक वातावरण, जीवन संतुष्टि मापनी, प्रकटीकरण, सहसम्बन्ध गुणांक आदि।

प्रस्तावना : बाल्यावस्था के प्रारम्भ होने के साथ-साथ बालक का विद्यालयी शिक्षा (जीवन) भी प्रारम्भ होती है। इस समय बालक घर की सीमा से बाहर निकलकर एक दूसरे तरह के माहौल में पहुँचता है जो उसके लिए नया होता है, लेकिन धीरे-धीरे बालक उस माहौल में भी अपना सामंजस्य बैठा लेता है। धीरे-धीरे बालक अपने शारीरिक और मानसिक परिपक्वता के आधार पर वह सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से भी अपने को स्थापित करने का प्रयास करता है। बालक (छात्र) उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करके स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेते हैं। इस स्तर पर छात्र विषय को लेकर बहुत अधिक सजग रहते हैं क्योंकि स्नातक स्तर पर सही विषय का चुनाव ही भविष्य की दिशा तय करता है।

छात्र की शिक्षा में अभिभावक का महत्वपूर्ण स्थान है; क्योंकि परिवार बच्चे की सबसे पहली शिक्षा संस्था है और उसकी माँ सबसे पहली शिक्षिका। माँ तथा परिवार का सीधा सम्बन्ध उस क्षेत्र से होता है, जहाँ पर वह निवास करते हैं। यदि अभिभावक ग्रामीण क्षेत्र का होगा तो छात्र को ग्रामीण आचरण की विधियाँ सीखता है। इसके विपरीत शहरी माता-पिता एवं अन्य सदस्य शहरी आचरण की विधियाँ सिखाते हैं। छात्र की सम्पूर्ण उपलब्धियों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक पृष्ठभूमि का महत्व होता है और अभिभावकों का इससे सीधा सम्बन्ध होता है। समाज की सबसे बड़ी विशेषता होती है— प्रेम, सहानुभूति और सहयोगपूर्ण वातावरण इस पर्यावरण में बच्चों का स्वाभाविक विकास होता है।

स्नातक स्तर के छात्र अपने विषय के साथ-साथ अपने भविष्य को लेकर भी चिन्तित रहते हैं। यह समय किशोरावस्था की उत्तर किशोरावस्था का समय होता है, इसलिए स्नातक स्तर के छात्र एवं छात्राओं के सम्मुख भविष्य के अलावा भी बहुत अधिक समस्याएँ होती हैं। यथा—रोजगार की समस्या, जीवन साथी का चुनाव, काम-भावना की समस्या, समाज में अपनी प्रतिष्ठा, साथियों एवं अभिभावकों आदि के सम्मान आदि की भावना होती है। स्नातक स्तर पर छात्रों का दायरा बहुत बड़ा होता है और वह शैक्षणिक कार्यों के साथ-साथ सामाजिक, राजनीतिक कार्यों में रुचि लेने लगता है और उस क्षेत्र में भी अपने आप को प्रतिष्ठित करने का प्रयास करता है और ऐसा न कर पाने पर अपने अन्दर हीन भावना महसूस करता है।

प्रतिस्पर्धा की दौड़ में बालक (छात्र) अपने आपको आगे रखने के चाह में आगे बढ़ता है और अगर छात्र के यह चाहत पूर्ण हो जाती है तो वह समाज के लिए लाभकारी होता है क्योंकि यह युग प्रतिस्पर्धा का युग कहा जाता है। अगर प्रतिस्पर्धा की दौड़ में बालक अपने आपको पीछे या असफल पाता है तो वह कुटित महसूस करता है। इस आधुनिक युग में मानव को मशीन बना दिया है जिसके पास भोगने की तो सभी वस्तुएँ हैं लेकिन फिर भी वह हमेशा तनाव, चिन्ता, कुण्ठा, दुश्चिन्ता तथा अवसाद से घिरा रहता है। जिससे उनकी आत्म-सम्प्रत्यय के साथ जीवन संतुष्टि को प्रभावित करता है साथ ही उनमें आक्रामकता के स्तर में वृद्धि होने लगती है। अतः विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण का विद्यार्थियों के जीवन संतुष्टि पर पूर्व में किये गये शोध अध्ययन में सेपाहमानसूर, मोजहगन और बयात, मोहम्मदरेजा (2011) के परिणाम जीवन संतुष्टि और परिवार के आयाम के बीच 0.73 महत्वपूर्ण सकारात्मक संबंध हैं। राजापुरकर, शितीजा (2017) के परिणाम जीवन संतुष्टि और पारिवारिक वातावरण के बीच एक सकारात्मक सहसंबंध है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि वे इस बात से संतुष्ट हैं कि उनके पास क्या है और वे किस तरह से रह रहे हैं और घर पर उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। इसके अलावा, उनके पास बहुत सकारात्मक पारिवारिक वातावरण है जिसका अर्थ है कि उनके पास बहुत सहायक माता-पिता हैं जो उनकी समस्याओं के साथ उनकी मदद करते हैं। किशोर अपने परिवार के साथ खुश हैं क्योंकि उनके माता-पिता समझते हैं और वे अपने बच्चों को अपने किसी भी क्षेत्र में अपने सपनों और शौक को पूरा करने की अनुमति देते हैं जो वे चाहते हैं कि यह सांस्कृतिक, खेल आदि हो। अधिकांश प्रतिभागियों के

परिवार भी बाहर निकल रहे हैं और वे खुशी से रुचि लेते हैं और सांस्कृतिक और कला कार्यों में भाग लेते हैं और अपने बच्चों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

रथ, संगीता एवं पात्रा, मधुस्मिता (2018) के परिणाम से संकेत मिलता है कि उच्च माता-पिता के लगाव वाले छात्रों में कम माता-पिता के लगाव वाले छात्रों की तुलना में परिवार, दोस्त, रहने वाले वातावरण, स्कूल और समग्र जीवन संतुष्टि में उच्च स्कोर होता है।

सुमनसेकरा, डीगोडा गामागे इंदु रामिरा एवं अन्य (2021) के परिणाम शिक्षा एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती है। शिक्षा प्रक्रिया में माता-पिता की संलग्नता उनके बच्चों के प्रदर्शन को बढ़ा सकती है। माता-पिता जितना अधिक अपने बच्चों के साथ जुड़ते हैं, उनके बच्चे उतने ही अधिक अंक प्राप्त करते हैं। विशेष रूप से किशोरावस्था में कई विकासात्मक और प्रासंगिक परिवर्तन के साथ-साथ चुनौतियाँ भी होती हैं जो न केवल किशोरों को बल्कि उनके माता-पिता को भी प्रभावित करती हैं।

शर्मा, साक्षी एवं हुसैन, इमरान (2021) के परिणाम युवा वयस्कों के बीच लचीलापन के साथ परिवार के वातावरण और इसके आयाम (संघर्ष, सक्रिय मनोरंजक अभिविन्यास) में एक महत्वपूर्ण संबंध है।

अध्ययन का उद्देश्य : अध्ययन में निम्नलिखित उद्देश्यों का अध्ययन किया गया है—

1. स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण का उनके जीवन संतुष्टि पर अध्ययन करना।
2. स्नातक स्तर के छात्रों के पारिवारिक वातावरण का उनके जीवन संतुष्टि पर अध्ययन करना।
3. स्नातक स्तर के छात्रों की पारिवारिक वातावरण का उनके जीवन संतुष्टि पर अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पनाएँ : अध्ययन में उद्देश्यों के आधार पर निम्नलिखित शून्य परिकल्पनाओं का परीक्षण किया गया है—

1. स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण एवं उनके जीवन संतुष्टि के मध्य कोई सार्थक सहसंबंध नहीं है।
2. स्नातक स्तर के छात्रों के पारिवारिक वातावरण एवं उनके जीवन संतुष्टि के मध्य कोई सार्थक सहसंबंध नहीं है।
3. स्नातक स्तर के छात्रों की पारिवारिक वातावरण एवं उनके जीवन संतुष्टि के मध्य कोई सार्थक सहसंबंध नहीं है।

शोध विधि : स्नातक स्तर के विद्यार्थियों की पारिवारिक वातावरण के सन्दर्भ में जीवन संतुष्टि का अध्ययन करने के लिए किया गया है। इस अध्ययन को करने हेतु वर्णनात्मक अनुसंधान के अन्तर्गत अन्तर्सम्बन्धात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया है।

जनसंख्या : अध्ययन हेतु जनसंख्या में प्रयागराज जनपद के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के समस्त महाविद्यालयों में बी०ए० एवं बी०एस—सी० की कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को जनसंख्या माना गया है।

न्यादर्श : न्यादर्श में सम्मिलित करने हेतु प्रयागराज जनपद के 10 शहरी एवं 10 ग्रामीण महाविद्यालयों का चयन स्तरीकृत यादृच्छिक विधि द्वारा किया गया तत्पश्चात् उसमें अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं का चयन साधारण यादृच्छिक न्यादर्शन विधि द्वारा किया गया। शहरी एवं ग्रामीण विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में से कला वर्ग व विज्ञान वर्ग के 300-300 छात्र-छात्राओं को यादृच्छिक न्यादर्शन विधि से चुनाव किया गया।

अध्ययन में प्रयुक्त उपकरण : अध्ययन में आँकड़ों के एकत्रीकरण हेतु निम्नलिखित उपकरणों का प्रयोग किया गया है, जो निम्नांकित है—

पारिवारिक वातावरण मापनी : इस मापनी का निर्माण हरप्रीत भाटिया एवं एन.के. चट्टा द्वारा किया गया है तथा प्रकाशन स्थल आगरा मनोवैज्ञानिक अनुसंधान प्रकोष्ठ, आगरा है।

जीवन संतुष्टि मापनी : स्नातक स्तर के विद्यार्थियों की जीवन संतुष्टि को मापने के लिए क्यू.सी. आलम एवं डॉ० रामजी श्रीवास्तव द्वारा निर्मित “जीवन संतुष्टि मापनी” का प्रयोग किया गया है।

सांख्यिकी विश्लेषण : आँकड़ों के संग्रहण के पश्चात् विश्लेषण हेतु गुणनफल-आघूर्ण सहसम्बन्ध गुणांक सांख्यिकी विधि का प्रयोग किया गया है।

1. स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण का उनके जीवन संतुष्टि पर अध्ययन—

H₀₁ स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण एवं उनके जीवन संतुष्टि के मध्य कोई सार्थक सहसंबंध नहीं है।

तालिका-1

स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण एवं उनके जीवन संतुष्टि के मध्य सहसंबंध गुणांक

क्र.सं.	चर	विद्यार्थियों की सं०	सहसंबंध गुणांक
1	संगठित	600	0.1623*
2	प्रकटीकरण	600	0.1220*
3	विरोध	600	0.0355
4	स्वीकार्यता एवं देखभाल	600	0.2067*
5	स्वच्छदता	600	0.1112
6	सक्रिय मनोरंजन एवं उन्मुखीकरण	600	0.2359*
7	व्यवस्था	600	0.0783
8	नियंत्रण	600	0.1083
9	पारिवारिक वातावरण	600	0.2296*

*.01 सार्थकता स्तर पर सार्थक

व्याख्या : स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण के घटकों संगठित, प्रकटीकरण, स्वीकार्यता एवं देखभाल, सक्रिय मनोरंजन एवं सम्पूर्ण पारिवारिक वातावरण का उनके जीवन संतुष्टि के मध्य सहसंबंध गुणांक क्रमशः 0.1623, 0.1220, 0.2067, 0.2359 एवं 0.2296 है जो कि .01 सहसंबंध गुणांक के क्रान्तिमान 0.115 से अधिक है। परिणामतः स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण के घटकों संगठित, प्रकटीकरण, स्वीकार्यता एवं देखभाल, सक्रिय मनोरंजन एवं सम्पूर्ण पारिवारिक वातावरण का उनके जीवन संतुष्टि के मध्य सकारात्मक एवं सार्थक सहसंबंध है अर्थात् स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण के घटकों संगठित, प्रकटीकरण, स्वीकार्यता एवं देखभाल, सक्रिय मनोरंजन एवं सम्पूर्ण पारिवारिक वातावरण में वृद्धि होने पर उनके

विरोध, स्वीकार्यता एवं देखभाल, स्वच्छंदता, सक्रिय मनोरंजन, व्यवस्था, नियंत्रण एवं सम्पूर्ण पारिवारिक वातावरण में वृद्धि होने पर उनके जीवन संतुष्टि में वृद्धि होगी एवं स्नातक स्तर के छात्रों के पारिवारिक वातावरण के घटकों संगठित, प्रकटीकरण, विरोध, स्वीकार्यता एवं देखभाल, स्वच्छंदता, सक्रिय मनोरंजन, व्यवस्था, नियंत्रण एवं सम्पूर्ण पारिवारिक वातावरण में कमी होने पर उनके जीवन संतुष्टि में कमी होगी।

स्नातक स्तर के छात्रों के पारिवारिक वातावरण के घटक विरोध का उनके जीवन संतुष्टि के मध्य सहसंबंध गुणांक 0.0935 है जो .01 पर सहसंबंध के गुणांक मान 0.148 से कम है अर्थात् स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण के घटक विरोध का उनके जीवन संतुष्टि के मध्य कोई सार्थक सहसंबंध नहीं है अर्थात् स्नातक स्तर के छात्रों के पारिवारिक वातावरण के घटक विरोध में वृद्धि एवं कमी का उनके जीवन संतुष्टि में कमी एवं वृद्धि में संबंध नहीं है।

निष्कर्ष :

1. स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण के घटकों संगठित, प्रकटीकरण, स्वीकार्यता एवं देखभाल, सक्रिय मनोरंजन एवं सम्पूर्ण पारिवारिक वातावरण का उनके जीवन संतुष्टि के मध्य सकारात्मक सहसंबंध है।
2. स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण के घटकों विरोध, स्वच्छता, व्यवस्था एवं नियंत्रण का उनके जीवन संतुष्टि के मध्य सहसंबंध नहीं है।
3. स्नातक स्तर के छात्रों के पारिवारिक वातावरण के घटकों संगठित, प्रकटीकरण, स्वीकार्यता एवं देखभाल, स्वच्छंदता, सक्रिय मनोरंजन एवं सम्पूर्ण पारिवारिक वातावरण का उनके जीवन संतुष्टि के मध्य सकारात्मक सहसंबंध है।
4. स्नातक स्तर के छात्रों के पारिवारिक वातावरण के घटकों विरोध, व्यवस्था एवं नियंत्रण का उनके जीवन संतुष्टि के मध्य सहसंबंध नहीं है।
5. स्नातक स्तर के छात्रों के पारिवारिक वातावरण के घटकों संगठित, प्रकटीकरण, विरोध, स्वीकार्यता एवं देखभाल, स्वच्छंदता, सक्रिय मनोरंजन, व्यवस्था, नियंत्रण एवं सम्पूर्ण पारिवारिक वातावरण का उनके जीवन संतुष्टि के मध्य सकारात्मक सहसंबंध है।
6. स्नातक स्तर के छात्रों के पारिवारिक वातावरण के घटक विरोध का
7. उनके जीवन संतुष्टि के मध्य सहसंबंध नहीं है।

परिणाम : बच्चों के साथ खुलकर बात-चीत, उनकी समस्याओं पर परिवार में एक-दूसरे के रखना और उनकी शिक्षा के साथ-साथ उनके लक्ष्यों का निर्धारण यदि परिवार में विद्यार्थियों के हिसाब से होता है तो उनकी जीवन संतुष्टि में सकारात्मक लाया जा सकता है। पूर्व अध्ययनों में राजापुरकर, क्षितीजा (2017) के परिणाम, पारिवारिक वातावरण और किशोरों के जीवन की संतुष्टि के बीच सकारात्मक सहसंबंध है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि वे इस बात से संतुष्ट हैं कि उनके पास क्या है और वे किस तरह से रह रहे हैं और घर पर उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। इसके अलावा, उनके पास बहुत सकारात्मक पारिवारिक वातावरण है जिसका अर्थ है कि उनके पास बहुत सहायक माता-पिता हैं जो उनकी समस्याओं के साथ उनकी मदद करते हैं। किशोर अपने परिवार के साथ खुश हैं क्योंकि उनके माता-पिता समझते हैं और वे अपने बच्चों को अपने किसी भी क्षेत्र में अपने सपनों और शौक को पूरा करने की अनुमति देते हैं जो वे चाहते हैं कि यह सांस्कृतिक, खेल आदि हो। अधिकांश प्रतिभागियों के परिवार भी बाहर निकल रहे हैं और वे खुशी से रुचि लेते हैं और सांस्कृतिक और कला कार्यों में भाग लेते हैं और अपने बच्चों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसलिए, यह कहकर निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अधिकांश पारिवारिक वातावरण और जीवन संतुष्टि के बीच एक संबंध है और किशोरों की समझ और समायोजन स्तर देखा जा सकता है।

सन्दर्भ :

1. कुन्द, सी.एल. एवं दुट्टू, डी.एन. (2003). *एजुकेशनल साइकोलॉजी*, नई दिल्ली: स्टर्लिंग पब्लिशर्स प्रा.लि.
2. कौल, लोकेश (2006). *शैक्षिक अनुसंधान की कार्य प्रणाली*, नई दिल्ली: विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा.लि.
3. कुलश्रेष्ठ, एस0पी0 (2007). *शैक्षिक तकनीकी के मूल आधार*, आगरा : अग्रवाल पब्लिकेशन्स
4. गुप्ता, एस0पी0 एवं गुप्ता, अलका (2011). *उच्चतर शिक्षा मनोविज्ञान*, इलाहाबाद : शारदा पुस्तक भवन
5. सुमनसेकरा, डीगोडा गामागे इंदु रामिरा एवं अन्य (2021). रिव्यू ऑफ लिटरेचर ऑफ इनवाल्वमेंट एण्ड स्टाइल ऑफ पैरेन्ट्स टूवर्ड स्टूडेंट परफार्मेंस, *इण्टरनेशनल जर्नल ऑफ एडवॉंस साइंटिफिक एण्ड टेक्निकल रिसर्च*, वॉल 1, इश्यू-11, पृ0 26-38
6. Sepahmansour, Mozghan and Bayat, Mohammadreza (2011). Family Structure and Multidimensional Adolescent's Life Satisfaction. *Middle-East Journal of Scientific Research*. 9 (2): 167-170, 2011
7. Rajapurkar, Kshitija (2017). Family Environment and Life Satisfaction of Adolescents, *International Journal Of Research Culture Society*, Volume - 1, Issue - 08, Oct - 2017, pp. 189-192
8. Rath, Sangeeta & Patra, Madhusmita (2018). Satisfaction among High School Students: The Role of Parental Attachment and Gender, *International Journal of Research and Analytical Reviews* , Volume 5 I Issue 2 I APRIL - JUNE 2018, pp. 779-785
9. Sharma, Sakshi and Imran Hussain (2021). Effect Of Family Environment On Resilience And Mental Well-Being Of Young Adults, *International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT)*, 2021 IJCRT | Volume 9, Issue 9, pp. 771-780

नागार्जुन के साहित्य में वैवाहिक एवं पारिवारिक विघटन की समस्याएँ : एक अवलोकन टी० त्रिवेणी*

*असिस्टेंट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, एस० वी० ऑर्टर्स कॉलेज, तिरुपति, आंध्र प्रदेश

सारांश : मुस्लिम शासनकाल में लड़कियों के अपहरण किये जाने के डर से हिन्दुओं में बाल-विवाह का प्रचलन प्रारंभ हुआ। किन्तु देश के कई भू-भागों में आज भी इस प्रकार के विवाह किए जा रहे हैं। जिन्हें जागृति के द्वारा रोका जाना चाहिए। नागार्जुन के समय में विधवा विवाह तो समाज में प्रचलित नहीं था किन्तु कुछ स्थानों पर महिलाएँ, पुरुषों की हवस का शिकार हो जाती थी जिसे नागार्जुन ने अपने उपन्यासों में पुनर्विवाह कराकर जागृति लाने का प्रयास किया है। समाज में अनमेल विवाह भी काफी प्रचलित हो रहे थे। नागार्जुन ने समाज में इस बुराई को अत्यन्त निकटता से देखा और उसका चित्रण करते हुए उसके निदान का संकेत भी प्रस्तुत किया है। जिसका वर्णन 'नई पौध', 'पारो', 'रतिनाथ की चाची', 'उग्रतारा' आदि उपन्यासों में दिखाई पड़ता है। नागार्जुन के समय में अंतर्जातीय विवाह को समाज में नैतिक मान्यता न थी अन्तर्जातीय विवाह को एक हीन भावना के साथ देखा जाता था जिसे समाज मान्यता नहीं देता था। वर्तमान में भी अन्तर्जातीय विवाह स्वीकार नहीं किए जाते हैं। किन्तु उच्च धनिक वर्ग में अब ऐसा सम्भव होने लगा है। मुम्बई की मायानगरी इसका ऐसा ही उदाहरण है। आज गाँवों में निवास करने वाले नवयुवकों का शहरी चमक-दमक के प्रति रुझान, नौकरी करने बाहर निकल जाना, बेरोजगारी से निजात पाने हेतु काम की तलाश करना आदि से परिवार टूट रहे हैं दूसरी ओर जातिगत भेद-भाव व वर्ग-भेद के संघर्ष के कारण समाज का विघटन हो रहा है। नागार्जुन ने अपने कथा-साहित्य में उपरोक्त समस्याओं को विस्तृत रूप से उठाया है।

मुख्य शब्द : समकालीन समाज, अनमेल विवाह, नैतिक मान्यता, कथा-साहित्य, विधवा विवाह, अन्तर्जातीय विवाह आदि।

नागार्जुन ने आपने साहित्य में समकालीन समाज में फैली विभिन्न समस्याओं को अभिव्यक्त किया है। साथ ही उनके समाधान पर भी विचार व्यक्त किये हैं। इनका विस्तृत अध्ययन आवश्यक है। ये प्रमुख समस्याएँ निम्न प्रकार हैं—

बाल विवाह : मुस्लिम शासनकाल में प्रजा की सुंदर लड़कियों का राजा के सैनिकों द्वारा अपहरण किया जाने लगा लगा था। इसी कारण हिन्दुओं में बाल-विवाह का प्रचलन प्रारंभ हुआ। इसके उत्तरोत्तर जमींदारों ने भी इस प्रक्रिया को अपनाया किन्तु उन्होंने इस कार्य के लिए धन को मुख्य साधन के रूप में अपनाया अर्थात् उन्होंने धन के बल पर सुंदर कन्याओं को प्राप्त करने का प्रयास किया। इसके अलावा अपने लठैतों का भी प्रयोग करते थे। बाल-विवाह के अन्तर्गत लड़के तथा लड़की की शादी छः-सात वर्ष में कर दी जाती थी जिससे लड़कियों के अपहरण की घटना को रोका जा सके। इस विवाह के उपरान्त कुछ समय बाद गौने की रश्म की जाती थी तब लड़की को भेजा जाता था। इस बीच लड़का ससुराल में दो-दो, चार-चार दिन के लिए रह आता था। नागार्जुन के उपन्यास 'बलचनमा' से विवाह का एक उदाहरण प्रस्तुत है—'हमारी बिरादरी में शादी बड़ी ही कच्ची उमर में हो जाती है। शादी न कहकर उसे सगाई कहना ही ठीक होगा। छः वर्ष की उमर ही में शादी हो गई थी। और तो कुछ याद न रहा लेकिन बारात में सिगा बजाने वालों का नजारा कभी नहीं भूलेगा। बड़े मालिक के यहाँ से पालकी में गौनी की गई थी। कनेर के फूल से थोड़ा बहुत सजाकर उस पर बैठाया गया। बारात में दस-बारह जने गए थे। पीले रंग की धोती, धारीदार हसा सा कुरता। माथे पर जरी गोटे वाली टोपी। पैर खाली। मुझे सबकुछ याद नहीं है.....बरियाती में हमारे लोग औरतों को नहीं ले जाते हैं। सुना है, पश्चिम में ऐसा रिवाज है.....हमारी दुलहिन की उमर रही होगी यही कोई तीन-चार के करीब की। हम दोनों ही इतने छोटे और नादान थे कि सिवाय धूमधाम के, सिवाय भोज-भात के, सिवाय बाजा-गाजा के और कुछ याद नहीं है.....शादी और गौने के बीच के यह एगारह साल पहले हमारे लिए खाने-खेलने के दिन थे। इस बीच मैं कभी ससुराल नहीं गया। गौना से पहले ससुराल जाना हमारी बिरादरी का कौदा नहीं है। और भी कई बातों में हम लोगों का शादी-ब्याह बड़ी जातवालों के शादी-ब्याह से अलग किसिम का होता है। एक तो बिना जनेऊ हुए उनकी शादी नहीं होती, दूसरी बात यह है कि शादी और गौना के बीच-बीच में भी वे लोग ससुराल जा-जाकर रह आते हैं। और भी बहुत-सी बातें हैं।' इस प्रकार विवाह का एक रूप बाल-विवाह के रूप में समाज के सम्मुख प्रकट हुआ जिसे समाज ने अपनी सुविधा के रूप में अपना लिया था। देश के कई भू-भागों में आज भी इस प्रकार के विवाह किए जा रहे हैं। जिन्हें जागृति के द्वारा रोका जाना चाहिए।

विधवा विवाह : नागार्जुन के समय में मिथिला क्षेत्र में ब्राह्मण परिवार की विधवा स्त्रियों को पुनः विवाह करने की इजाजत नहीं थी। इस पर किसी स्त्री का माँ बन जाना तो विधवा के लिए और भी अपमान की बात मानी जाती थी। रतिनाथ की चाची इसी परिवार की स्त्री है। वह छोटी उम्र में ही विधवा हो गयी थी। गौरी गर्भधारण के विषय में अन्त तक मौन रही। उसने गर्भ किसका है यह बताने की अपेक्षा समाज का तिरस्कार स्वीकार किया। चारों ओर से लांछित, तिरस्कृत होकर उमानाथ की माँ भूखे पेट ही सो जाना चाहती है तो रतिनाथ सत्याग्रह कर देता है। यथा—'ऐसी क्या बात है चाची कि तुमने खाना-पीना छोड़ रखा है? अच्छा नहीं खाना है, न खाओ, मगर कल मैं भी नहीं खाऊँगा, नहीं खाऊँगा, इतना कहकर वह चाची की पीठ से सटकर बैठ जाता है और उसके रुखे बालों में अपनी नन्हीं-नन्हीं उँगलियाँ उलझाने लगता है। चाची की देह सिहर उठती है। वह भी उठ बैठी और दो चार कौर भात खा लेती। एक दिन पड़ोस की एक लड़की ने रतिनाथ से कहा था.....तेरी चाची को रति, बच्चा होने वाला है। उसने कसकर छोकरी को एक तमाचा लगा दिया.....बेचारे को पता नहीं कि आखिर बात क्या है। एक दिन दूर की किसी भाभी ने खुलासा कहा—लाला, तुम्हारी चाची की अगर दूसरी शादी हो गयी होती तो ठीक था। इस पर रतिनाथ ने उस भाभी को फटकारते हुए बतलाया था कि पण्डित की लड़की होकर तुम ऐसी बातें करती हो। दूसरी, तीसरी शादी क्या कभी किसी विधवा या सधवा ब्राह्मणी ने की है।' इस प्रकार उपरोक्त कथन से स्पष्ट होता है कि मिथिला के ब्राह्मण परिवारों में विधवा विवाह स्वीकार नहीं था।

निम्न वर्ण में कोई बात हो तो उसका फँसला उच्च वर्णों द्वारा किया जाता था। किन्तु जब उच्च वर्ण की लड़की के साथ कोई बात होती तो उसे दूसरी दृष्टि से देखा जाता। यथा—“कोई क्या कर लेगा हमारा? बिटिया को मैं प्याज की तरह जमीन के अंदर दबाकर नहीं रख सकती, इसके चलते जो कुछ हो। जिस समाज में हजारों की तादाद में जवान विधवाएँ रहेंगी, वहाँ यही सब तो होगा। मक्खन पाठक की पतोह उढ़कर पंजाब चली गई है, एक सिक्ख के साथ रहती है। मैं अपनी लड़की को झाड़ू से झाड़ू-पीटकर घर-निकाला और देश निकाला दूँगी, सो मुझसे नहीं होगा, मेरे जीते-जी गौरी मुसलमान या सिक्ख के घर जाने को मजबूर नहीं की जा सकती....”³ इस प्रकार देखा जाता है कि विधवा विवाह तो समाज में प्रचलित नहीं था किन्तु शारीरिक भूख शांत करने के लिए वेश्यावृत्ति (दमयन्ती) या पुरुष की वासना का शिकार होना (गौरी) आदि की घटनाएँ समाज में अवश्य मिलती थी। किन्तु जागृति के फलस्वरूप एक विधवा विवाह का उदाहरण नागार्जुन ने ‘दुखमोचन’ उपन्यास में प्रस्तुत किया है। जो कपिल और माया के द्वारा शादी करना दर्शाया गया है।

अनमेल विवाह : भारतीय समाज में अनमेल विवाह की परम्परा प्राचीन काल से चली आ रही है। अनमेल विवाह का परिणाम अत्यन्त दुःखद होता है। नागार्जुन के उपन्यासों में प्रायः नारी पात्रों का विवाह प्रायः अनमेल रूप में दिखाई देता है जिसके फलस्वरूप जीवन में विषमताएँ आ जाती हैं। नागार्जुन के उपन्यासों में प्रदर्शित अनमेल विवाह के मूल कारण कई स्थलों पर कुलीन यश या आर्थिक स्थिति। इसी कारण माता-पिता अपनी पुत्री को उससे अधिक उम्र के पुरुष के साथ बलपूर्वक पल्ले बाँध देते हैं। नागार्जुन ने समाज में इस बुराई को अत्यन्त निकटता से चित्रण करते हुए उसके निदान का संकेत भी प्रस्तुत किया है। जिसका वर्णन ‘नई पौध’, ‘पारो’, ‘रतिनाथ की चाची’, ‘उग्रतारा’ आदि उपन्यासों में दिखाई पड़ता है। अनमेल विवाह कराने में पण्डितों का विशेष हाथ रहता है। ‘लूचा झा घटकैती ने पारो की शादी के लिए पैतालिस वर्षीय चुल्हाई चौधरी को चुना, जिसके लिए परिवार को जमीन-जायदाद का लालच दिया’⁴ तो ‘भोला पण्डित ने उमानाथ की बहन प्रतिभामा को पैतालिस वर्ष के महामूर्ख के चंगुल में फँसा दिया’⁵

पण्डित कन्या के माता-पिता को या तो कुलीनता के लालच में या निर्धनता से छुटकारा दिलाने के लालच में फसाता है। आर्थिक स्थिति विपन्न लोग इन पण्डितों के पास आते हैं। यही स्थिति अनमेल विवाह सम्पन्न करवाने में सहायक होते हैं। तभी तो ‘कितने ही लूले, लंगड़े, अन्धे-अपाहिज, और बूढ़े भोला पण्डित की कृपा से अधखिली कलियाँ जैसी बालिकाओं को गृहलक्ष्मी के रूप में पाकर निहाल हो गए। एक-एक ब्याह में पचास-पचास रुपये पण्डित के बँधे हुए थे। इस तरह पच्चीस लड़कियाँ आपका नाम लेकर दक्खिन-पच्छिम में करम कूट कर रही थी।’⁶ तारा बाबा भोला, पण्डित जैसे लोगों के सम्बन्ध में कहते हैं कि—‘भोला पण्डित ब्रह्मपिशाच होगा।’

भारतीय समाज में लू झा पण्डित खोखाई झा और भोला पण्डित जैसे नरपिशाच हैं जो आर्थिक दृष्टि से विपन्न लोगों की असमर्थता का लाभ उठाकर स्त्री को नारकीय जीवन व्यतीत करने के लिए विवश करते हैं और अनमेल विवाह जैसी कुरीतियों को फलने-फूलने का अवसर मिलता है। जिसके बच्चे भी शादी करने लायक हों उनकी तो शादी की परवाह की नहीं जाती और बाप अपने लिए दुल्हन लेने चल पड़ता है। इस घटना पर गाँव वाले कह उठते हैं—‘पाँच लड़कों का बाप, साठ वर्ष की उमर और दूल्हे की यह साज-सिंगार! छी-छी-छी!!—डूब मरने को क्या पानी गाँव में नहीं मिला जो इतनी दूर आए?’⁸

अतः नागार्जुन ने अपने उपन्यासों के माध्यम से अनमेल विवाह की समस्या के सामाजिक, आर्थिक कारण पर प्रकाश डाला है। अनमेल विवाह का दुष्परिणाम या तो विधवा का जीवन व्यतीत करने में या स्त्री के असमय मृत्यु या फिर किसी नवयुवक के साथ भाग जाने में होता है। इसलिए नागार्जुन अनमेल विवाह जैसी कुरीतियों का विरोध करते हैं।

अंतर्जातीय-विवाह : अंतर्जातीय विवाह को समाज में नैतिक मान्यता न थी अन्तर्जातीय विवाह को एक हीन भावना के साथ देखा जाता था जिसे समाज मान्यता नहीं देता था। वर्तमान में भी अन्तर्जातीय विवाह स्वीकार नहीं किए जाते हैं। बहुत कम ऐसे उदाहरण ही इस प्रकार के समाज में पाये जाते हैं। नागार्जुन ने भी अपने उपन्यास ‘दुखमोचन’ में विधवा माया और विधुर कपिल की शादी को दोनों के हित को देखते हुए मान्यता दिलाने की कोशिश की है। जिससे समाज में एक नवीन क्रांति को जन्म देने का प्रयास किया गया है। यथा—‘माया विधवा थी और कपिल विदुर था। दोनों की उम्र में चार-पाँच वर्ष का अंतर था। पिछले साल-डेढ़ साल के अंदर दोनों का स्नेह-संपर्क बेहद गाढ़ा हो गया था। दोनों की नियत थी कि पति-पत्नी की तरह साथ रहें और स्वस्थ जीवन बिताएँ, लेकिन यह आसान नहीं था। एक तो विधवा-विवाह ही इस गाँव के लिए अनहोनी घटना थी, दूसरे कपिल राजपूत था।’⁹

नागार्जुन ने दूसरे अंतर्जातीय-विवाह का उदाहरण ‘रतिनाथ की चाची’ में भी प्रस्तुत किया है। किन्तु समाज द्वारा इसका विरोध भी दिखाया गया है। यथा—‘बंगाली की लड़की से जयदेव ने अपने लड़के की शादी करा दी। लड़की का बाप किरिस्तान है और अंडा खाता है। बाल-बच्चे समेत इतवार के दिन गिरजा जाता है।..... इस चर्चा ने इतना तूल पकड़ा कि चाची की कलंक कथा उसके आगे बिल्कुल फीकी पड़ गई। समाजपतियों ने तुलसी, ताम्र, गंगाजल उठाकर आपस में शपथ खाई—‘यदि लड़का शादी करके आया और बाप ने उसे अपने घर में घुसने दिया, तो जयदेव के यहाँ का अन्न-जल हममें से जो भी ग्रहण करे, वह गो मांस खाए। तीन बार सविधि उच्चारणपूर्वक यह शपथ ली गई थी, दमयन्ती के दरवाजे पर। दमयन्ती ने भी शपथ ली थी।’¹⁰

पारिवारिक विघटन : परिवार विघटन की परम्परा नगरीय वातावरण में अधिक देखने को मिलती है। सामाजिक समस्याओं के कारण ही व्यक्ति मानवीय संवेदनाओं को खो बैठता है—व्यक्ति, परिवार, समूह सभी इससे प्रभावित हुए हैं। नगरीय परिवार में अनेक प्रकार की नित नई समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। उनके सामने अस्तित्व को बनाए रखने का प्रश्न पैदा होने लगा है। वे अपनी आने वाली पीढ़ी का भविष्य किस आधार पर बनाएँ। पहले जैसी स्थिति तो आज है नहीं कि जो एक ही परिवार में अनेक व्यक्ति निर्वाह करें। यह सब अर्थाभाव के कारण है। यथा—‘वह दिनभर परेशान रहे कि कहीं से चालिस रुपए चाहे जैसे भी मिल जाएँ लेकिन सूरत नहीं निकली। बेटा, वह रुपयों का जमाना तो था नहीं, जिन्सों और मालों का जमाना था। रुपए में तीन-तीन चार-चार मन तक धान मिलते थे; दो-दो ढाई-ढाई मन चावल। सात सैर, छः सैर घी आता था, डेढ़-दो मन गुड़। कौड़ियाँ पैसों की जगह इस्तेमाल होती थीं। नोट का चलन बिल्कुल नहीं हुआ था.....आज तो एक बीघा उपजाऊ जमीन ढाई-ढाई तीन-तीन हजार रुपए पर उठती है! उन दिनों पच्चीस रुपए मिलते थे एक बीघा धनहर खेत के। आज तेरी बस्ती के पचासों आदमी बाहर रुपए कमा रहे हैं। यहाँ के किसान हर साल अनाज बेचकर हजारों

की खड़ी रकम बनाते हैं। तो, दिन-भर परेशान रहा शुक्रमर्दन राय, लेकिन रुपए दस भी देने को कोई तैयार नहीं हुआ।¹¹

उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि एक व्यक्ति धन के लिए किस कदर परेशान रहता है और धनाभाव के कारण विभिन्न प्रकार के संकटों का सामना करता है। इन सारी परिस्थितियों में विघटनकारी परिणाम अर्थाभाव ही है। परिवार एक छोटी इकाई है जहाँ परस्पर भदभाव मिलता है।

आज गाँवों में निवास करने वाले नवयुवकों का शहरी चमक-दमक के प्रति रुझान, नौकरी करने बाहर निकल जाना, बेरोजगारी से निजात पाने हेतु काम की तलाश करना आदि से परिवार टूट रहे हैं दूसरी ओर जातिगत भेद-भाव व वर्ग-भेद के संघर्ष के कारण समाज का विघटन हो रहा है। नागार्जुन ने अपने कथा-साहित्य में इन समस्याओं को विस्तृत रूप से उठाया है। यथा— 'रतिनाथ की चाची' उपन्यास के पारिवारिक विघटन का एक उदाहरण देखिए— *"कमलनाथ, वैद्यनाथ और जयनाथ—जब तक माँ जीती रही, तीनों इकट्ठे रहे। उसके बाद अलग-विलग हो गए। जमीन-जायदाद, बर्तन-बासन सभी के तीन हिस्से हुए। चूल्हे भी तीन। कमलनाथ यहाँ थे नहीं। रह गए वैद्यनाथ और जयनाथ। यह दोनों भी अलग-विलग थे।"*¹²

उपरोक्त उदाहरण से व्यक्तियों के अंतर्मन के बिखराव का पता चलता है। ग्रामों में आज भी छोटी-छोटी बातों पर आपस में लड़ने-झगड़ने लगते हैं। आपस में जमीन-जायदाद का बँटवारा करके पास रहते हुए भी एक-दूसरे से बातें तक नहीं करते। अतः पास रहते हुए भी परिवार से विघटित हो जाते हैं।

आज हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाने का प्रयास करते हैं कि यह अपने लिए कुछ अच्छी नौकरी करेगा या रोजगार करेगा। जब वह रोजगार करने लगता है तो वह उन्हीं माता-पिता की सेवा नहीं कर पाता जिन माता-पिताने उसे इस लायक बनाया कि वह उस रोजगार को कर सके। रोजगार या नौकरी करने के बहाने वह परिवार से बिछड़ रहा है और पत्नी को भी साथ ही रख लेता है। जब बेटा माँ-बाप के पास रहकर या उन्हें अपने पास रखकर उनकी सेवा नहीं कर सकता तो ऐसे पुत्र को पढ़ाने-लिखाने और पाल-पोसकर बड़ा करने से क्या फायदा? नागार्जुन ने इस समस्या को इस प्रकार प्रकट किया है— *"स्कूल, कालेज में पढ़ाओ तो हमेशा के लिए हाथ से निकल जाते हैं। माया नहीं, मोह नहीं, रस्तीभर ममता नहीं! इस जमाने के लिखे-पढ़े लड़के चांडाल होते हैं। मर जाओ तो मुँह में आग देने के लिए पटना, राँची तार ठोको। दो-दो दिन तक लाश पड़ी रहे और मक्खियों का भोज हो..."*¹³

इस प्रकार आज के युवाओं में माता-पिता के प्रति मोह नहीं रह गया है। वे तो अपने रोजगार और पत्नी बच्चों को ही अपना समझते हैं। माता-पिता जिन्हें वे पीछे छोड़ आए हैं उनके बारे में सोचने का समय ही नहीं है उनके पास। खबर देने पर भी कहा जाता है कि अभी फुरसत नहीं है।

सन्दर्भ :

1. नागार्जुन रचनावली भाग-4 (सम्पा. शोभाकान्त) उपन्यास-बलचनानामा, पृ0-193
2. नागार्जुन : रतिनाथ की चाची, पृ0-21
3. नागार्जुन रचनावली भाग-4 (सम्पा. शोभाकान्त) उपन्यास-रतिनाथ की चाची, पृ0-29
4. नागार्जुन रचनावली भाग-4 (सम्पा. शोभाकान्त) उपन्यास-पारो, पृ0-536
5. नागार्जुन रचनावली भाग-4 (सम्पा. शोभाकान्त) उपन्यास-रतिनाथ की चाची, पृ0-58
6. नागार्जुन : सम्पूर्ण उपन्यास-2, रतिनाथ की चाची, पृ0-153
7. नागार्जुन : सम्पूर्ण उपन्यास-2, रतिनाथ की चाची, पृ0-153
8. नागार्जुन रचनावली भाग-4 (सम्पा. शोभाकान्त) उपन्यास-नई पौध, पृ0-289
9. नागार्जुन रचनावली भाग-5 (सम्पा. शोभाकान्त) उपन्यास-दुखमोचन, पृ0-61
10. नागार्जुन रचनावली भाग-4 (सम्पा. शोभाकान्त) उपन्यास-रतिनाथ की चाची, पृ0-68
11. नागार्जुन रचनावली भाग-4 (सम्पा. शोभाकान्त) उपन्यास-बाबा बटैसरनाथ, पृ0-372-73
12. नागार्जुन रचनावली भाग-4 (सम्पा. शोभाकान्त) उपन्यास-रतिनाथ की चाची, पृ0-61
13. नागार्जुन रचनावली भाग-5 (सम्पा. शोभाकान्त) उपन्यास-उग्रतारा, पृ0-315

अम्बेडकर की छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष यात्रा : एक अवलोकन नितेश जायसवाल*

*शोध छात्र, गनपत सहाय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सुल्तानपुर, उ०प्र०

प्रोफेसर(डॉ०) मो० शाहिद**

**गनपत सहाय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सुल्तानपुर, उ०प्र०

सारांश : यह शोध-पत्र अम्बेडकर की छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष यात्रा : एक अवलोकन को रेखांकित करता है। यह शोध पत्र पूर्व के अध्ययन से अलग है एवं समाज के लिए महत्वपूर्ण है। शोधपत्र पुस्तकालीय एवं विश्लेषणात्मक विधि पर आधारित है। यह अध्ययन शोधार्थियों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है।

मुख्य शब्द : छुआछूत, गुलामी, भारत सरकार अधिनियम 1919, साउथबरो समिति, जातीय भेदभाव आदि।

डॉ० अम्बेडकर ने कहा था, "छुआछूत गुलामी से भी बदतर है।" अम्बेडकर बड़ोदा के रियासत द्वारा शिक्षित थे, अतः उनकी सेवा करने हेतु बाध्य थे, उन्हें महाराजा गायकवाड़ का सैन्य सचिव नियुक्त किया गया, परन्तु उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उन्हें जातिगत दंश झेलना पड़ा। डॉ० अम्बेडकर के अधीनस्थ कर्मचारी उनसे छुआछूत का व्यवहार करते थे। निर्धन, अशिक्षित चपरासी भी उन्हें अपने हाथों से सीधे कागज तथा विवरण-पुस्तिका देने में पाप समझते थे। कार्यालय में डॉ० अम्बेडकर को पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं होता था। डॉ० अम्बेडकर के लिए यह जीवन असह्य था। इस अपमान को उनका स्वाभिमान भी मन सहन नहीं कर सका और उन्होंने नौकरी छोड़कर समाज से अस्पृश्यता के निवारण का संकल्प लिया तथा इस दिशा में कार्य प्रारम्भ कर दिया।¹ उन्होंने इस घटना को अपनी आत्मकथा "वेटिंग फॉर अ वीजा" में वर्णित किया।²

इसी क्रम में भारत सरकार अधिनियम 1919 तैयार कर रही साउथबरो समिति के समक्ष भारत के प्रमुख विद्वान के तौर पर अम्बेडकर को साक्ष्य देने के लिए आमंत्रित किया गया। इस सुनवाई के दौरान, अम्बेडकर ने दलितों और अन्य धार्मिक समुदायों के लिए पृथक् निर्वाचिका और आरक्षण देने की वकालत की।³ उन्होंने दलित वर्ग का पक्ष प्रस्तुत करने के उद्देश्य से 1920 में 'मूक नायक' नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ किया। इस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने तत्कालीन हिन्दू समाज की वर्ण-व्यवस्था, दलितों एवं बहिष्कृतों के प्रति होने वाले दुर्व्यवहार, अन्याय, शोषण तथा इनके निराकरण की आवश्यकता की ओर समाज का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया। दलितों की स्थिति का चित्रण करते हुए डॉ० अम्बेडकर ने "मूकनायक" के प्रथम अंक में लिखा, "हिन्दू समाज एक बहुमंजली इमारत की तरह है, जिसके अन्दर प्रवेश करने के लिए न कोई सीढ़ी है और न बाहर आने के लिए कोई द्वार है। समाज एक ओर जहाँ विश्वास करता है कि जड़ पदार्थों में भी भगवान है, वह दूसरी ओर वह यह भी कहता है कि कुछ लोग, जो उसी के अपने अंग हैं, स्पर्श किये जाने योग्य नहीं हैं।"⁴

यह प्रकाशन शीघ्र ही पाठकों में लोकप्रिय हो गया। अम्बेडकर ने इसका प्रयोग रुढ़िवादी हिन्दू राजनेताओं व जातीय भेदभाव से लड़ने के प्रति भारतीय राजनैतिक समुदाय की अनिच्छा की आलोचना करने के लिए किया। उनके दलित वर्ग के एक सम्मेलन के दौरान दिये गये भाषण ने कोल्हापुर राज्य के स्थानीय शासक शाहू चतुर्थ को बहुत प्रभावित किया, जिनका अम्बेडकर के साथ गोजन करना रुढ़िवादी समाज में हलचल मचा दिया।⁵ बम्बे हाईकोर्ट में विधि का अभ्यास करते हुए उन्होंने अछूतों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें ऊपर उठाने के प्रयास किये। उनका पहला संगठित प्रयास केन्द्रीय संस्थान, "बहिष्कृत हितकारिणी सभा" की स्थापना था। जिसका प्रमुख उद्देश्य दलितों, अछूतों तथा बहिष्कृतों में शिक्षा के प्रसार द्वारा उनमें नव चेतना जागृत करना था ताकि वे अपनी आर्थिक गरीबी तथा सामाजिक प्रवंचना से उबर सकें। दलितों में जागृति उत्पन्न करने के उद्देश्य से उन्होंने सन् 1927 में "बहिष्कृत भारत" नामक पत्रिका का प्रसारण शुरू किया जिसका संपादन उन्होंने स्वयं किया। इस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने दलितों में शिक्षा के प्रति रुचि तथा अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने की कोशिश की। बहिष्कृतों के कल्याण के लिए उन्होंने पाठशालाएं तथा छात्रावास स्थापित किये। डॉ० अम्बेडकर द्वारा स्थापित सिद्धार्थ कॉलेज, मिलिन्द कॉलेज तथा पीपुल एजुकेशन सोसाइटी को शिक्षा के क्षेत्र में उनका अविस्मरणीय योगदान माना जाता है। इसी प्रकार अम्बेडकर ने दलित अधिकारों की रक्षा के लिए मूकनायक, बहिष्कृत भारत, समता, प्रबुद्ध भारत और जनता जैसी पांच पत्रिकाएँ निकाली।⁶

सन् 1925 में बाबा. साहेब भीमराव अम्बेडकर को बम्बई प्रेसीडेंसी समिति में सभी यूरोपीय सदस्यों वाले साइमन कमीशन में काम करने के लिए नियुक्त किया गया।⁷ इस आयोग के विरोध में भारत भर में विरोध प्रदर्शन हुए। जहां इसकी रिपोर्ट को अधिकांशतः भारतवासियों द्वारा नजर अंदाज किया गया। अम्बेडकर ने अलग से भविष्य के संवैधानिक सुधारों के लिए सिफारिश लिख भेजी।⁸ द्वितीय आंग्ल-मराठा युद्ध के दौरान 1 जनवरी 1818 ई० को हुई कोरेगाँव की लड़ाई में मारे गये भारतीय महार सैनिकों के सम्मान में अम्बेडकर ने 1 जनवरी 1927 को कोरेगाँव विजय स्मारक (जय स्तंभ) में एक समारोह आयोजित किया। यहाँ महार समुदाय से संबंधित सैनिकों के नाम संगमरमर के एक शिलालेख पर खुदवाये गये तथा कोरेगाँव को दलित स्वाभिमान का प्रतीक बनाया गया।⁹ 1927 ई० में ही अम्बेडकर को सामाजिक सेवाओं के सम्मानार्थ बम्बई विधान परिषद् का सदस्य मनोनित किया गया। विधानपरिषद् सदस्य के रूप में उन्होंने शासन तथा जनता के समक्ष दलित समाज की अन्याय पूर्ण स्थिति को प्रतिध्वनित किया। इसमें उन्हें काफी सफलता भी मिली।¹⁰

सन् 1927 तक डॉ० अम्बेडकर ने छुआछूत के विरुद्ध एक व्यापक एवं सक्रिय आन्दोलन आरम्भ करने का निर्णय किया। उन्होंने सार्वजनिक आंदोलनों, सत्याग्रहों, जुलूसों द्वारा पेयजल के सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी लोगों के लिए खुलवाने के साथ ही अछूतों को भी हिन्दू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने महाड़ शहर में अछूत समुदाय को भी शहर की चवदार तालाब से पानी लेने का अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह चलाया।¹¹ 1927 के अंत में सम्मेलन में अम्बेडकर ने 'जाति-भेदभाव' और 'छुआछूत' को वैचारिक रूप से न्याय संगत बनाने के लिए प्राचीन हिन्दू पाठ 'मनुस्मृति' की सार्वजनिक रूप से निन्दा की और उन्होंने औपचारिक रूप से प्राचीन पाठ की प्रतियां जलाईं।¹² चूंकि 'मनुस्मृति' जातिगत भेदभाव

प्राचीनकाल से ही पैदा करते आया है।¹⁴ 25 दिसम्बर 1927 को उन्होंने हजारों अनुयायियों के नेतृत्व में 'मनुस्मृति' की प्रतियाँ को जलाया।¹⁵ इसकी स्मृति में प्रतिवर्ष 25 दिसम्बर को 'मनुस्मृति दहन दिवस' के रूप में अम्बेडकरवादियों और हिन्दू दलितों द्वारा मनाया जाता है।¹⁶

1930 में अम्बेडकर ने तीन महीने की तैयारी के बाद कालाराम मंदिर सत्याग्रह प्रारम्भ किया। इस आंदोलन में लगभग 15000 स्वयं सेवक इकट्ठे हुए, जुलूस का नेतृत्व एक सैन्य बैंड ने किया। भीड़ जब काला राम मन्दिर के द्वार तक पहुँची, तो द्वार ब्राह्मण अधिकारियों द्वारा बंद कर दिये गए।¹⁷ 1942 में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में अम्बेडकर भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भी रहे। इस पद पर वे 1946 तक कार्य करते रहे। 1946 में ही उन्होंने "भारत एक हो" का नारा दिया। 1947 में उन्हें संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने भारत के संविधान का जो प्रारूप प्रस्तुत किया उससे दलित समाज का ही उद्धार नहीं हुआ बल्कि सम्पूर्ण भारतीय समाज की तस्वीर बदलने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

पूना पैक्ट में डॉ० अम्बेडकर : पूना पैक्ट के समय तक भीम राव अम्बेडकर आज तक की सबसे बड़ी अछूत राजनीतिक हस्ती बन चुके थे। उन्होंने मुख्यधारा के महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों की जाति व्यवस्था के उन्मूलन के प्रति उनकी कथित उदासीनता की कटु आलोचना की। अम्बेडकर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके नेता महात्मा गांधी की भी आलोचना की, उन्होंने उन पर अछूत समुदाय को एक करुणा की वस्तु के रूप में प्रस्तुत करने का आरोप लगाया। अम्बेडकर ब्रिटिश सत्ता की असफलताओं से भी असंतुष्ट थे, उन्होंने अछूत समुदाय के लिए एक ऐसी अलग राजनीतिक पहचान की वकालत की जिसमें कांग्रेस एवं ब्रिटिश सरकार दोनों की कोई दखल अंदाजी ना हो। लंदन में 8 अगस्त 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान अम्बेडकर ने अपनी राजनीतिक दृष्टि को दुनिया के सामने रखा जिसके अनुसार शोषित वर्ग की सुरक्षा उसके सरकार और कांग्रेस दोनों से स्वतंत्र होने में है। अम्बेडकर ने स्वयं कहा, "हमें अपना रास्ता स्वयं बनाना होगा। अपना रहने का पुराना तरीका बदलना होगा, शिक्षित होना होगा।"

अम्बेडकर ने कांग्रेस और गांधी द्वारा चलाये गये 'नमक सत्याग्रह' की आलोचना की। उनकी अछूत समुदाय में बढ़ती लोकप्रियता और जनसमर्थन के चलते उनको 1931 में लंदन में होने वाले दूसरे गोल मेज सम्मेलन में भी भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। वहाँ उनकी अछूतों को पृथक निर्वाचिका देने के मुद्दे पर गांधी जी से तीखी बहस हुई तथा ब्रिटिश डॉ० अम्बेडकर के विचारों से सहमत हुए। धर्म एवं जाति के आधार पर पृथक निर्वाचिका पर गांधी जी ने शका जताई कि अछूतों को दी गयी पृथक निर्वाचिका हिन्दू समाज को विभाजित कर देगी। गांधी जी को लगता था कि सवर्णों को छुआछूत भुलाने के लिए उनके हृदय परिवर्तन होने के लिए कुछ वर्षों की अवधि दी जानी चाहिए, किन्तु यह तर्क गलत सिद्ध हुआ, जब सवर्ण हिन्दुओं द्वारा पूना सन्धि के कई दशकों पश्चात् भी छुआछूत का नियम पालन होता रहा।¹⁸ 1932 में ब्रिटिश शासन ने अम्बेडकर के विचारों के साथ सहमति जतात हुए अछूतों को पृथक निर्वाचिका की घोषणा की। गांधी जी इस समय पूना की येरवडा जेल में थे। कम्युनल एवार्ड की घोषणा होते ही गांधी जी ने इस निर्णय को बदलने हेतु पत्र लिखा। लेकिन जब उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो उन्होंने मरण व्रत रखने की घोषणा की। तभी अम्बेडकर जी ने कहा, "यदि गांधी देश की स्वतंत्रता के लिए यह व्रत रखते तो अच्छा होता, लेकिन उन्होंने दलितों के विरोध में यह व्रत रखा है, जो बेहद अफसोसजनक है। जबकि ईसाईयों, मुसलमानों, सिक्खों को मिले इसी अधिकार को लेकर गांधी की ओर से कोई आपत्ति नहीं आई।" उन्होंने यह भी कहा कि गांधी कोई अमर व्यक्ति नहीं हैं। भारत में न जाने कितने ऐसे लोगों ने जन्म लिया और चले गये। अम्बेडकर ने यह कहा कि गांधी की जान बचाने के लिए वह दलितों के हितों का त्याग नहीं कर सकते। अब मरण व्रत के कारण गांधी जी की तबियत लगातार बिगड़ रही थी और पूरा हिन्दू समाज अम्बेडकर का विरोधी बन गया।¹⁹ देश में बढ़ते दबाव को देख अम्बेडकर 24 सितम्बर 1932 को शाम 5 बजे येरवडा जेल पहुँचे। यहाँ गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच समझौता हुआ, जिसे 'पूना पैक्ट' के नाम से जाना जाता है। अम्बेडकर इस समझौते से असहज थे, उन्होंने गांधी के इस अनशन को नाटकीय करार दिया। उन्होंने कहा कि गांधी का यह अनशन अछूतों को उनके राजनीतिक अधिकारों से वंचित करने के लिए गांधी द्वारा खेला गया एक नाटक था। 1942 में अम्बेडकर ने इस समझौते को धिक्कारा तथा 'स्टेट ऑफ मायनारिटी' ग्रन्थ में नाराजगी व्यक्त की।²⁰

अतः स्पष्ट है कि डॉ० भीमराव अम्बेडकर का व्यक्तित्व बहुआयामी था। वे वर्तमान शताब्दी के महान चिंतक, विचारक, समाजसुधारक, राजनेता, शिक्षाविद तथा न्यायशास्त्री माने जाते हैं। उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन मानव अधिकार, सामाजिक न्याय तथा दलितों के उद्धार के लिए समर्पित कर दिया।

सन्दर्भ :

1. संवाददाता, सौतिक विश्वास बीबीसी, 'दलित मुसलमानों के घर न जाते हैं, न खाते हैं।' BBC News हिन्दी, 25 अप्रैल, 2019
2. जाउलकर, माधव, 'स्वराज्य की दिशा', म०प्र० हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पृ०2, 2002
3. Ambedkar, B.R., 'Waiting for a Visa' Columbia Edu. Columbia University, मूल से 24 जून 2010 पुरालेखित 2015
4. Tejani, Shabnum, 'From Untouchable to Hindu Gandhi, Ambedkar and Depressed Class Question 1932', Bloomington : Ind. Indian University P. 205-2010, 2008
5. जाउलकर, माधव, 'स्वराज्य की दिशा', म०प्र० हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पृ० 2, 2002
6. Jaffrelot Christophe, 'Dr- Ambedkar and Untouchability; Analysing and Fighting Caste'- London : C Hurst and Co-Publication P.4, 2005
7. Benjamin, Joseph, 'B.R. Ambedkar; an Indefatigable B Defender of Human Rights-', 2009 शूद्रः शुश्रूणां कुर्यात् त्रिवर्णेपुनित्यशः।
8. Thorat, Sukhdao, Kumar, Narendra, 'B.R. Ambedkar : Perspectives on social Exclusion and inclusive policies-', New Delhi Oxford University Press, 2008
9. Ambedkar B.R., 'Writing an Speeches' Edu. Dept. Govt. of Maharastra, 1979
10. वागले, निखिल, 'अम्बेडकर ने कोरेगांव को दलित स्वाभिमान का प्रतीक बनाया ?' www-bbc.com. 2019
11. गर्ग, सुषमा, 'भारतीय राजनीतिक चिन्तन', अग्रवाल पब्लिकेशन, पृ० 298
12. Dr. Ambedkar, 'Maharashtra Navanirman Sena' 2010
13. एम० राजीव लोचन, 'भारत में कैसे बढ़ा मनुस्मृति का महत्त्व BBC.com. 2019

14. 'मनुस्मृति— ब्रिटैनिका विश्वकोश' www-britannica.com. 2018
15. Kumar, Aishwary, 'The lies of Manu', 2015
16. Menon, Nivedita, 'Meanwhile far Dalits and Ambedkarities in India', Dec- 25th is Manusmriti Dahan din, the day on which B.R. Ambedkar Publicty and Ceremoniously in 1927, 2015
17. कीर, धनंजय, 'डॉ० अम्बेडकर : लाइफ एण्ड मिशन', तीसरा संस्करण, बाम्बे प्रकाशन, पृ० 136—140, 1990
18. Jaffrelot, Christophe, 'Dr. Ambedkar and Untouchability: Analysing and Fighting Caste', London: C. Hurst and Co. Publication P&76-77, 2005
19. India Today, 'Poona Pact : Mahatma Gandhi Fight against untouchability', April, 2019
20. May 15 : 'It was 79 Years ago today that Ambedkar's Annihilation of caste was Published, 29, 2016

महर्षि दयानन्द सरस्वती का राष्ट्रीय आन्दोलन एवं शिक्षा में अवदान

प्रमोद वर्मा*

*प्रधान अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय रतसिया, विकास क्षेत्र बेहजम, जिला-लखीमपुर खीरी

सारांश : यह शोध-पत्र महर्षि दयानन्द सरस्वती का राष्ट्रीय आन्दोलन एवं शिक्षा में अवदान को रेखांकित करता है। भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन में महर्षि दयानन्द एवं उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऐसे क्रान्तिकारियों की एक लम्बी श्रृंखला है जिन्होंने, स्वराज्य एवं स्वाधीनता का पाठ महर्षि दयानन्द की पाठशाला में ही पढ़ा था। ऐसे क्रान्तिकारियों में श्याम जी कृष्ण वर्मा, लोकमान्य तिलक, विपिन चन्द्र पाल, लाला लाजपत राय, पं० राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, अशफाक उल्ला खाँ, राजगुरु, सुखदेव, लाला काशीराम, लेखराम, भाई परमानन्द, विनायक दामोदर सावरकर, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, सरदार अजीत सिंह, लाला हरदयाल तथा वारीन्दर कुमार घोष के नाम उल्लेखनीय हैं। प्रस्तुत आलेख में इन्हीं संदर्भों की पहचान और उनका विवेचन प्रस्तुत है। यह शोध पत्र पूर्व के अध्ययन से अलग एवं समाज के लिए महत्वपूर्ण है। शोधपत्र पुस्तकालीय एवं विश्लेषणात्मक विधि पर आधारित है। यह अध्ययन शोधार्थियों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है।

मुख्य शब्द : क्रान्तिकारी आन्दोलन, स्वराज्य एवं स्वाधीनता, भारतीय नवजागरण काल, स्वदेशी एवं राष्ट्रीय शिक्षा आदि।

महर्षि दयानन्द ने ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंककर स्वराज्य की स्थापना करने की सुस्पष्ट घोषणा की। उन्होंने भारतीय नवजागरण काल में ही स्वराज्य को प्रथम आदर्श घोषित किया। स्वराज्य का यह आदर्श न केवल क्रान्तिकारी आन्दोलन के रूप में प्रकट हुआ वरन् इस आदर्श में उदारवादियों के लिए दूरगामी, उग्रवादी तथा क्रान्तिकारियों के लिए तात्कालिक तथा गाँधी युग के लिए आन्दोलन के आधार रूप में स्पष्ट संदेश दिया।

महर्षि दयानन्द तथा आर्यसमाज ने जनता से स्वशासन की अकांक्षा तथा राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न की। गाँधी युगीन आन्दोलन ने अछूतोद्धार, मद्यनिषेध, स्त्री शिक्षा समाजिक समरसता, कुरीति निवारण, स्वदेशी एवं राष्ट्रीय शिक्षा के रूप में जिस मार्ग का अवलम्बन किया उसकी आधार भूमि लगभग अर्धशतक पूर्व महर्षि दयानन्द ने ही तैयार की थी।

क्रान्तिकारी आन्दोलन के समकालीन उग्रवादी आन्दोलन के प्रमुख सूत्रधार लाल, बाल, पाल, के नाम से विख्यात लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक तथा विपिन चन्द्र के स्वराज्य स्वरूप रहे। महर्षि दयानन्द का भी प्रभाव था। इसी कारण इन्होंने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन (सन् 1906) में राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी तथा स्वराज्य का समर्थन किया।

कांग्रेस के इतिहास लेखक डॉ० पट्टाभिषीता रमैया के शब्दों में "स्वराज्य के जो स्वर 1906 ई० में कांग्रेस में मंच पर मुखरित हुए उसकी सम्पूर्ण योजना और कार्यक्रम स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 1875 ई० में ही देशवासियों को दे दी थी"।

महर्षि दयानन्द सरस्वती आन्दोलन के अग्रदूत थे। उनके योगदान की समीक्षा करते हुए इन्द्र विद्या वाचस्पति ने लिखा है कि राजनीति में स्वामी दयानन्द को नवीन राष्ट्रीयता का अग्रदूत कहे तो अतिशयोक्ति न होगी। उन्होंने अपने ग्रन्थ 'सत्यार्थ प्रकाश' में स्वराज्य, स्वदेशी, स्वभाषा एवं स्वदेश के पक्ष में जो स्पष्ट विचार प्रकट किए थे, वह भारत की राजनीति में 1901 से पहले व्यक्त नहीं हुए थे। व्यवहारिक रूप में उनका प्रयोग वंग विच्छेद के पश्चात् ही हुआ।

महर्षि दयानन्द ने भारतीयों को उनके प्राचीन गौरव, महिमा एवं समृद्धि का वर्णन कर उनके हृदय मन तथा मस्तिष्क को प्रेरित किया। सत्यार्थ प्रकाश के 11वें सम्मुल्लास के अन्त में महर्षि ने आर्य राजाओं की नामावली देकर आर्यों को उनके प्राचीन गौरव की झलक दिखाते हुए उसकी पुनः प्राप्ति हेतु मर मिटने की तमन्ना व अभिलाषा परोक्ष रूप में उत्पन्न भी थी।

महर्षि दयानन्द की विचारधारा का प्रमुख क्रान्तिकारियों सरदार भगत सिंह, सुखदेव एवं उनके साथियों पर अच्छा प्रभाव पड़ा था। इन क्रान्तिकारियों की शिक्षा-दीक्षा आर्य समाज द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में हुई थी।

साइमन गो बैक के हुजूम का नेतृत्व कर रहे लाला लाजपत राय की साण्डर्स द्वारा लाठियों से पीटने के कारण हुई मृत्यु का बदला लेने के लिए उद्धत भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु ने लाहौर के डी०ए०वी० कॉलेज के छात्रावास में आश्रय लिया था।

हिन्दी के सुप्रसिद्ध लेखक यशपाल आर्य समाजी होने के साथ-2 क्रान्तिकारी दल के सदस्य थे। इनकी शिक्षा गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार, में हुई थी। लाहौर में साण्डर्स की हत्या के समय यशपाल भी भगत सिंह के साथ थे, पर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका।

हंसराज वायरलेस का नाम पंजाब के क्रान्तिकारियों में प्रसिद्ध है। इनकी माता आर्य कन्या महाविद्यालय जालंधर की स्नातक थीं। चन्द्रशेखर आजाद अपने क्रान्तिकारी साथियों के साथ आर्यसमाज मन्दिर कानपुर में ही गुप्त मन्त्रणा किया करते थे। एक बार विप्लवी कार्य सम्पन्न होने पर आजाद ने भागकर सीधे आर्य समाज में ही शरण ली थी।

महिला क्रान्तिकारी सुशील देवी व भगवती चरण वर्मा की पत्नी दुर्गा देवी, जोकि क्रान्तिकारियों में दुर्गा भाभी के नाम से प्रसिद्ध थीं, आर्यसमाज से सम्बन्धित थीं। गाँधी जी द्वारा असहयोग और सत्याग्रह कार्यक्रम स्थगित कर दिये जाने पर युवा पुनः संघर्ष के मार्ग पर अग्रसर हुए और 1922 में पुनः क्रान्तिकारी गतिविधियाँ प्रारम्भ हो गयीं। हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम से शचीन्द्र नाथ सान्याल ने एक क्रान्तिकारी संगठन बनाया जोकि आर्यसमाजी थे। काकोरी ट्रेन काण्ड के मुख्य अभ्युक्त पं० रामप्रसाद बिस्मिल, महर्षि दयानन्द के अनुयायी थे। आर्यसमाज के उपदेश स्वामी सोमदेव से ही उन्होंने सशस्त्र क्रान्ति तथा देशभक्ति की दीक्षा गृहण की। काकोरी काण्ड के एक और अभ्युक्त राजेन्द्र लाहिड़ी का भी आर्यसमाज से घनिष्ठ सम्बन्ध था। उनकी फाँसी के बाद आर्य समाजियों ने ही उनके भाव का जुलूस निकाला था।

विदेशों में क्रान्तिकारी आन्दोलन के सूत्रधार श्यामजी कृष्ण वर्मा के जीवन पर स्वामी दयानन्द का पूर्ण प्रभाव था। स्वामीजी का उन पर पूर्ण विश्वास था इन्होंने वेद भाष्य के प्रकाशन का सारा कार्य श्यामजी कृष्ण वर्मा को सौंपा था। उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैण्ड चले जाने पर भी स्वामी जी उन्हें पत्र लिखते रहे। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने राष्ट्रीयता एवं ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने का पहला पाठ स्वामी जी से ही सीखा था। डॉ० सत्यकेतु विद्यालंकार ने लिखा है कि श्यामजी कृष्ण वर्मा, महर्षि

दयानन्द के शिष्य होने के कारण इस सिद्धान्त के अनुयायी थे कि अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य भी स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता।⁵

भगत सिंह के दादा सरदार अर्जुन सिंह केशधारी होते हुए एक सक्रिय आर्यसमाजी थे। उनके भाई कुलटार सिंह एवं रणवीर सिंह ने देहरादून में आयोजित आर्य वीर दल की सभा को सम्बोधित किया।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि आर्य समाज तथा महर्षि दयानन्द के राष्ट्रवादी चिन्तन ने भारतीय स्वतन्त्रता संघर्ष के क्रान्तिकारी आन्दोलन पर प्रत्यक्ष प्रभाव डाला। जिस समय क्रान्तिकारी स्वदेशी, स्वराज्य व सर्वस्व बलिदान का जयघोष कर रहे थे, उस समय कितने ही प्रमुख कांग्रेसी नेता ब्रिटिश शासन का गुणगान कर रहे थे। यही कारण है कि महर्षि दयानन्द अपने प्रभाव के कारण क्रान्तिकारी राष्ट्रवाद के सूत्रधार एवं पथ-प्रदर्शक कहे जा सकते हैं।

सन्दर्भ :

1. मांगे राम आर्य : भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन में क्रान्तिकारियों की भूमिका (डॉ० सत्यकेतु विद्यालंकार द्वारा लिखित भूमिका से उद्धृत
2. वही, पृ० 92
3. इन्द्र विद्या वाचस्पति, भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम का इतिहास, पृ० 22
4. पूर्ण चन्द्र, चन्द्रशेखर आजाद, पृ० 12
5. विद्यालंकार, डॉ० सत्यकेतु, आर्य समाज का इतिहास, पृ० 376

नैतिक मूल्यों के उत्थान में शिक्षक की भूमिका

अमृता श्रीवास्तव*

*शोधार्थिनी, शिक्षाशास्त्र विभाग, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, उ०प्र०

डॉ० विशाखा शुक्ला**

**सहायक आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, उ०प्र०

सारांश : भूमण्डलीकरण के इस युग में परिवर्तन, समय की मांग है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र या समाज का विकास शैक्षिक परिदृश्य में परिवर्तन के फलस्वरूप ही संभव है। वर्तमान समय में उदारीकरण के परिणामस्वरूप, नगरीकरण, आधुनिकीकरण, तकनीकीकरण, निजीकरण आदि का भी प्रभाव हमारे समाज में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पश्चिमीकरण या पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण में हमें अपनी संस्कृति व सम्यता पिछड़ी हुई प्रतीत हो रही है। वर्तमान में हम मूल्यों के व्यवहारिक क्षरण की स्थिति से गुजर रहे हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति के विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में लालच, संकीर्णता, स्वार्थपरता, संवेदनहीनता एवं विलासिता की वृद्धि हुई है तथा नैतिक मूल्यों में गिरावट आई है। देश में आज हिंसा, लूट, बलात्कार, भ्रष्टाचार आदि घटनाएँ आम हो गई हैं।

मुख्य शब्द : मूल्य, भौतिकवाद, उपयोगितावाद, नगरीकरण, आधुनिकीकरण, तकनीकीकरण, निजीकरण आदि।

आज समाज में चारों ओर नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों में गिरावट देखने को मिलती है। आज की भीड़ भरी दुनियाँ में, भौतिकता की आँधी में संकीर्णता की बाढ़ में, प्रतिस्पर्धा की होड़ में और स्वार्थपरता के तूफान में हमारे सभी नैतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक तथा धार्मिक मूल्य बहते चले जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण शिक्षा में मूल्यों की उपेक्षा है। उपेक्षा के फलस्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में भी निरन्तर गिरावट देखने को मिल रही है। आज समाज में मेहनत, मजदूरी एवं ईमानदारी से जीने वाले व्यक्ति पिस रहे हैं और झूठ एवं धोखे का रोजगार करने वाले व्यक्ति निरन्तर दिन-दोगुनी रात चौगुनी प्रगति की ओर अग्रसर हैं। ईमानदार व्यक्ति को मूर्ख माना जाता है। इस धारणा ने समाज में अनुशासनहीनता, सत्य के प्रति अनास्था, स्वकर्तव्य के प्रति उदासीनता, अनुत्तरदायित्व आदि को जन्म दिया है। इनके फलस्वरूप समाजोत्थान का मार्ग अवरुद्ध हो गया है। अतः आज की विसंगतियों में समाज तथा उसके प्रत्येक सदस्य का यह दायित्व हो जाता है कि वह मानवीय मूल्यों की शिक्षा के विकास पर बल दे क्योंकि मूल्यविहीन शिक्षा मनुष्य को विनाश की ओर ले जायेगी, न कि विकास की ओर तथा इस कार्य में सबसे महत्वपूर्ण योगदान शिक्षण संस्थाओं और उसने शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षकों का योगदान महत्वपूर्ण होता है क्योंकि माता-पिता तथा परिवार के बाद एक बालक पर यदि किसी का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है तो वह है शिक्षक। शिक्षक शिक्षा संस्थाओं में ज्ञान प्रदान करने के साथ-साथ बालक को विभिन्न प्रकार से मूल्यों को अपनाने में सहायता कर सकता है तथा समाज में नैतिक मूल्यों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा समाज एक व्यवस्था है जिसका वह एक अंग है। व्यक्तियों से ही समाज बनता है जिसका आधार उत्कृष्ट व्यक्तियों द्वारा बनाए गए जीवन मूल्य तथा नीतियों हैं जो व्यक्ति के चरित्र का निर्माण तथा उसके व्यक्तित्व के विकास को एक दिशा प्रदान करते हैं। साधारण भाषा में, "नैतिकता से अभिप्राय नियमों की उस व्याख्या से है, जिसके द्वारा मानव अन्तःकरण उचित-अनुचित का बोध करता है, (मैकाइवर)"। नैतिकता, मनुष्य के व्यक्तित्व तथा सामाजिक व्यवहार की चालक एवं मार्ग दर्शक है।

नैतिक तत्त्वज्ञान, मूल्यों तथा एक विशेष धार्मिक अथवा सामाजिक व्यवस्था के बिना इसका छिन्न-भिन्न हो जाना निश्चित है। स्वच्छ आचार, नैतिकता तथा जीवन मूल्य, एक ही सिक्के के पहलू हैं जिनका उद्देश्य व्यक्ति तथा समाज को सदाचार का पाठ पढ़ाना है और उन्हें संमार्ग पर चलाना है। ऋषियों, मुनियों, साधु-सन्तों, समाज सुधारकों, धार्मिक नेताओं, शिक्षा शास्त्रियों तथा तत्त्वज्ञानियों ने मानव तथा मानव जाति के कल्याण के लिये नैतिक मूल्यों एवं दिशा-निर्देशों का निर्माण किया है तथा उन्हें आत्मसात् करने तथा अपनाने पर बल दिया है। अनैतिक व्यक्ति सामाजिक, संवैधानिक, धार्मिक नियमों का उल्लंघन किसी भी सीमा तक कर सकता है तथा अपराध करने से नहीं हिचकिचाता। ऐसे व्यवहार का समाज के लिये तथा स्वयं व्यक्ति के लिए घातक सिद्ध होना निश्चित होता है।

नैतिकता की प्रकृति तथा महत्व : नैतिकता अच्छे आचरण तथा मानव मूल्यों का प्रतीक है। यह एक अन्तःस्थ भावना है तथा व्यक्ति के जीवन का प्रेरणा स्रोत भी। नैतिक व्यक्ति स्वाभिमान, सच्चरित्र तथा उच्च आदर्शी होता है। नैतिकता जीवन का पथ-प्रदर्शक होती है। अच्छा आचरण केवल उपदेश एवं लिखाई पढ़ाई सीखने से नहीं बनताय इसका निर्माण अनुसरण तथा अभ्यास से होता है। नैतिकता व्यक्तित्व का आभूषण है तथा व्यक्ति के चरित्र के साथ इसका सीधा सम्बन्ध होता है। हमारे आवेग, भावनाएँ, अभिवृत्तियाँ तथा प्रवृत्तियाँ नैतिकता पर सीधा प्रभाव डालती हैं। नैतिकता व्यक्ति के आदर्शों, नियमों, सदाचार, सहनशीलता, दया-भाव, शिष्टाचार, साहस, विनम्रता, क्षमाशीलता, सन्तोष, आदि जैसे जीवन मूल्यों का प्रतीक मानी जाती है। इसे सदाचारी सौम्य, शान्त तथा उच्चकोटि के स्वस्थ जीवन का द्योतक कहना ही उचित होगा।

सभी धार्मिक ग्रन्थों में सत्य, अहिंसा, सहिष्णुता तथा मानव-प्रेम जैसे मौलिक जीवन मूल्यों का उल्लेख किया गया है। शिक्षा के माध्यम से ऐसे स्थाई जीवन मूल्यों को बनाने पर बल दिया गया है जिनसे मनुष्य जीवन के यथार्थों, कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों को पहचान सके। तीव्र गति से बढ़ते भौतिकवाद, उपयोगितावाद तथा आत्मरतवाद के कारण मनुष्य, के नैतिक मूल्यों का क्षय हो रहा है जिसके कारण समाज संतुष्ट तथा वातावरण अशान्त होता जा रहा है। नैतिक शिक्षा से बुनियादी जीवन मूल्यों के प्रति समाज में नई चेतना आएगी तथा मनुष्य समद्वेष, ईर्ष्या, कलह, जातिवाद, भ्रष्टाचार स्वार्थ, लालच, चोरी-चकारी, आदि को त्यागकर एक स्वच्छ जीवन के मार्ग पर चलने का सच्चा प्रयास करेगा। इस से व्यक्ति, देश तथा मानव-जाति का कल्याण सम्भव हो सकेगा। "सत्यम् शिवम् सुन्दरम्" नैतिकता का मूल मन्त्र है तथा इसका व्यक्ति के चरित्र, क्रिया-कलाप और व्यक्तित्व के निर्माण से गहरा सम्बन्ध है। श्री अरविन्दो के अनुसार "मानव-चरित्र के सर्वमान्य मानवीय गुणों का अपनाना ही नैतिकता है"।

आत्म-संयम, सत्याचार, अपने से बड़ों का आदर-सम्मान, निष्कपटता, न्यायप्रियता, सद्भाव, मैत्री, बन्धुता, आदि अच्छी नैतिकता के आधार हैं।

वास्तविक शिक्षा का प्रथम पाठ नैतिकता से आरम्भ होना चाहिए क्योंकि जहाँ नैतिकता नहीं है वहाँ भौतिक सुख भले ही हो, आध्यात्मिक उन्नयन तथा मानसिक शान्ति नहीं हा सकती व्यक्ति तथा समाज दोनों ही त्रस्त तथा अभिशप्त होते हैं। नैतिकता एक सभ्य तथा शिष्ट व्यक्ति का गुण है अनुसरण, अनुकरण तथा अभ्यास इसके प्रायोगिक मूल मन्त्र हैं। अच्छी नैतिकता से व्यक्ति कर्तव्य-परायण, निष्ठावान तथा योग्य नागरिक बनता है। सत्य कर्म तथा नैतिकता ही वैयक्तिक तथा सामाजिक जीवन की आधारशिला है। नैतिकता एक धर्म-निरपेक्ष संकल्पना है जो परिवार, समाज तथा राष्ट्र के सभी लोगों को एक श्रृंखला में बाँधे रखती है। व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र की प्रगति का आधार कुछ स्थाई नैतिक मूल्य होते हैं जैसे सत्य, निष्ठा, कर्तव्य परायणता। मानव का "पूर्ण" कल्याण केवल अच्छी नैतिकता ही से सम्भव हो सकता है।

वर्तमान समय में व्यक्ति नैतिक तथा चारित्रिक संकट के दौर से गुजर रहा है। सब कुछ अव्यवस्थित हो गया है। देश में भ्रष्टाचार, अनैतिकता, चोरी, लूट, हत्याकाण्ड, आदि घटनाएं आम हो चुकी हैं। संबंधों को जड़ प्रदान करने वाली संस्था परिवार की संरचना व मानदण्डों में द्रुतगति से परिवर्तन हो रहा है। भारतीय संदर्भ में जहाँ संयुक्त परिवार व्यक्तित्व निर्माण की प्रारम्भिक पाठशाला हुआ करते थे आज वे पूर्णतः टूट चुके हैं। मूल्यों का क्षरण हो रहा है। मुख्य रूप से युवा वर्ग में प्राचीन नैतिक मूल्यों व धारणाओं के प्रति विरक्ति आम हो गयी है वे पश्चिम सभ्यता के अन्धानुकरण को ही आधुनिकता मानते हैं और सफलता प्राप्त करने के लिए वे किसी भी मार्ग को चुन लेते हैं भले ही वह सही हो अथवा गलत और सफलता न प्राप्त होने पर व कुण्ठा, हताशा आदि का शिकार हो जाते हैं जिसका प्रभाव समाज के साथ उनके समयोजन पर पड़ता है।

इन सभी समस्याओं का मूल कारण शिक्षण संस्थाओं में प्रदान की जाने वाली मूल्यहीन शिक्षा है, आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षण संस्थाओं में छात्रों को नैतिक व धार्मिक मूल्यों की शिक्षा दी जाय। विद्यालय में सभी वर्गों के विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का होना अति आवश्यक है, तभी राष्ट्र शांतिपूर्ण प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो सकेगा।

शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना है जिसके द्वारा वह एक पूर्ण व सफल मनुष्य के रूप में समाज में स्वयं को स्थापित कर सकें। बालक के सर्वांगीण विकास से तात्पर्य उसके विकास के सभी पक्षों यथा— शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, चारित्रिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास से है। महात्मा गांधी के अनुसार "शिक्षा शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मन व आत्मा में निहित सर्वोत्तम गुणों के सर्वांगीण विकास से है।"

शिक्षा का कार्य केवल बालकों को ज्ञान देने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा के द्वारा बालक के अंदर छिपे हुए सभी प्रकार के गुणों को विकसित करना है इस सर्वांगीण विकास के अंतर्गत बालकों का नैतिक विकास भी समाहित है जोकि मानवीय मूल्यों का केंद्र है। मनुष्य अपने भौतिक एवं सामाजिक वातावरण में रहते हुए विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त करता है तथा अपने इन विभिन्न प्रकार के अनुभवों के आधार पर वह जीवन में कुछ सामान्य सिद्धांत विकसित करता है। इन सामान्य सिद्धांतों को ही मूल्यों की संज्ञा दी जाती है। जैसा कि हम जानते हैं संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया का केंद्र बिंदु बालक है तथा बालक के चरित्र निर्माण का सर्वाधिक दायित्व एक शिक्षक के कंधों पर होता है क्योंकि विद्यालय को बालकों के निर्माण करने वाली संस्था तथा अध्यापक को बालकों के चरित्र निर्माण करने वाला कुशल कारीगर माना जाता है। एक योग्य शिक्षक का उत्तरदायित्व छात्रों के अंदर वांछनीय नैतिक मूल्यों का विकास करना होता है, जिसके माध्यम से वह समाज में नैतिकता को बढ़ावा दे सकता है।

मूल्य शिक्षा हमारे अंदर नैतिक मूल्यों का विकास करती है। ये सीखने के साथ-साथ हमारे व्यक्तित्व में भी विकास करती है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक लॉरेस कोहलबर्ग का मानना था कि बच्चों को एक ऐसे माहौल में रहने की जरूरत है जो दिन-प्रतिदिन के संघर्षों की खुली और सार्वजनिक चर्चा के लिए अनुमति देता है। मूल्य शिक्षा का महत्व हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक है तथा विद्यार्थी के गुणों में विकास करता है। यह हमारे जीवन में अनुशासन के महत्व को भी बताता है। इतना ही नहीं यह हमारे अंदर समय के महत्व को समझने की क्षमता को विकसित करता है।

नैतिक मूल्यों के उत्थान में शिक्षक की भूमिका : शिक्षा का उद्देश्य संस्कार और मूल्य अर्जित करना है मूल्यपरक और कौशल आधारित शिक्षा ही इस उद्देश्य को सम्भव कर सकती है शिक्षा के इन लक्ष्यों की प्राप्ति में शिक्षक की अपरिहार्य भूमिका होती है गौरतलब है कि शिक्षण कार्य सूचना-प्रवाह या सूचना-संग्रह मात्र नहीं है यह एक पारस्परिक अंतःक्रिया है यह पारस्परिक अंतःक्रिया अपने पूर्ण फलंगम के साथ कक्षा में प्रत्यक्ष परिघटित होती है शिक्षक इस अभिक्रिया का 'केटालिस्ट' होता है शिक्षण जड़ प्रक्रिया न होकर दैनंदिन गतिशील क्रिया है जॉन डेवी ने शिक्षा में नवोन्मेष और नवाचार की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए लिखा है— "यदि हम विद्यार्थियों को जो कल पढ़ाया था, वही आज भी पढ़ा रहे हैं तो हम उन्हें उनके कल(भविष्य) से वंचित कर रहे हैं" नवोन्मेष और नवाचार की धुरी उत्प्रेरित, उत्साही और ऊर्जावान शिक्षक होता है शिक्षक रोल मॉडल भी होता है प्रत्येक विद्यार्थी अपनी अध्ययन-अवधि में किसी-न-किसी अध्यापक से प्रभावित और प्रेरित होता है और वही उसका रोल मॉडल बन जाता है छात्र-जीवन में ऐसे अभिप्रेरक रोल मॉडल का अकल्पनीय महत्व और योगदान होता है प्रेरणा-विहीन जीवन ठहराव और दिशा-भ्रम का शिकार होता है शिक्षक की उपस्थिति में कक्षा की क्रियाओं में प्रत्यक्ष भागीदारी, इंटरैक्टिव वातावरण, सहपाठियों के साथ पठन-पाठन के दौरान वार्तालाप और व्यवहार, अन्य पाठ्येतर गतिविधियों यथा— संगीत, नृत्य, कविता, नाटक, खेलकूद, वाद-विवाद, भाषण, दूरदृष्टिकानिक आदि का भी अपना 'पाठ' होता है इस पाठ का 'लर्निंग आउटकम' भविष्य-निर्धारण और जीवन-निर्माण में सर्वाधिक काम का होता है।

माता-पिता के बाद गुरु का को ही सबसे ऊपर माना गया है। गुरु अर्थात् शिक्षक उस कुम्हार के समान है जो मिट्टी रूपी विद्यार्थी को एक बरतन का आकार देकर एक योग्य व उपयोगी पात्र बना देता है। गुरु किसी भी छात्र को ऐसी शिक्षा देकर एक बेहतर मनुष्य बना देता है। एक शिक्षक ही विद्यार्थी को समाज के प्रति उसके उत्तरदायित्वों से रुबरु कराता है। एक शिक्षक का सबसे मुख्य काम यह है कि वह अपने विद्यार्थी को वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखकर शिक्षा दे। शिक्षा में परंपरा और नवीनता का मिश्रण होना चाहिये। वो विद्यार्थी को केवल किताबी ज्ञान तक ही सीमित न रखे बल्कि उसे जीवन के व्यवहारिक ज्ञान की भी शिक्षा दे। विद्यार्थी तो एक गीली मिट्टी से समान होता है शिक्षक उसे जैसा ढालेगा वैसा ढल जायेगा। यहाँ पर शिक्षक की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाती है। नैतिक मूल्यों की जो शिक्षा वो विद्यार्थी को देगा उसका प्रभाव विद्यार्थी पर जीवन पर्यंत बना

रहेगा। यहीं से उसके चरित्र निर्माण की प्रक्रिया आरंभ होगी। अतः नैतिक मूल्यों के उत्थान में शिक्षक की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

एक अच्छा जीवन जीने के लिए व्यक्ति के जीवन में नैतिक मूल्य महत्वपूर्ण हैं। बढ़ती हिंसा, किशोर अपराध और किशोरों में गर्भावस्था छात्रों में नैतिक मूल्यों की कमी का प्रत्यक्ष परिणाम है। बच्चे माता-पिता की सबसे बड़ी संपत्ति और देश का भविष्य होते हैं। बच्चों में सही गुणों और आदतों को विकसित करने के लिए अच्छे नैतिक मूल्यों की शिक्षा देना आवश्यक है।

छात्रों को अच्छी शिक्षा के साथ-साथ अच्छे नैतिक मूल्यों की शिक्षा देना माता-पिता, शिक्षकों और शिक्षा संस्थानों की जिम्मेदारी है। कम उम्र में बच्चों को अच्छे नैतिक मूल्यों की शिक्षा देना उन्हें बेहतर नागरिक बनाएगा और अपराध को काफी हद तक कम करने में मदद कर सकता है।

एक उत्तम शिक्षक निम्नलिखित व्यवहारों को अपनाकर अपने विद्यार्थियों के जीवन मूल्य एवं नैतिक मूल्यों का उत्थान कर सकता है तथा बालक समाज और राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकता है।

अपने बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बनें : बच्चे जो कुछ भी सीखते हैं सर्वप्रथम उनके सीखने का तरीका अनुकरण ही होता है। बच्चे बड़ों से सीखते हैं, और वे उन तरीकों से सीखते हैं जिनसे आप दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं। अध्यापक, बच्चों के सामने जो कुछ भी व्यवहार करते हैं, बालक उन सभी व्यवहारों का निरीक्षण करते हैं कि विभिन्न स्थितियों को कैसे संभालना है और आप उन्हें संभालने के लिए क्या करते हैं। अगर शिक्षक अपने बच्चों को स्वाभिमान, ईमानदारी और करुणा के गुण सिखाना चाहता है तो स्वयं उसके अंदर ये गुण होने चाहिए। इसके अलावा, शिक्षक उन्हें जो सिखाते हैं, वह उनके अपने कार्यों और गतिविधियों से मेल खाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि शिक्षक उन्हें ईमानदार होने के लिए कहते हैं और स्वयं उनके सामने झूठ बोलते हैं, तो वे ईमानदारी नहीं सीख पाएंगे।

प्रेम, सहयोग और सहानुभूति का वातावरण बनाएं : चरित्र का विकास देखभाल करने वाले रिश्ते से शुरू होता है। घर पर माता-पिता और स्कूल में शिक्षकों के साथ एक बच्चे का संबंध इस बात पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है कि वह कौन से नैतिक मूल्यों को सीखेगा। माता-पिता और शिक्षकों से अच्छी देखभाल प्राप्त करने वाला कोई भी बच्चा संभवतः दूसरों की देखभाल करेगा और एक अच्छा नागरिक बनेगा। प्यार और देखभाल का माहौल बनाने से छात्रों को दूसरों की देखभाल करने के बारे में सीखने में मदद मिलेगी। एक प्रेम, सहयोग एवं सहानुभूति वाला वातावरण छात्रों के बीच सामाजिक बंधन के विकास में मदद करेगा। इससे छात्र भावी जीवन में सदैव अपने वातावरण में प्रेम सहयोग और सामंजस्य स्थापित करना सीखता है तथा छात्रों को स्कूलों में सुरक्षित महसूस करने में भी मदद मिलेगी।

शिक्षक स्वयं के व्यक्तिगत अनुभव साझा करें : हम सभी के पास पिछले कुछ अनुभव हैं जिन्होंने हमें जीवन में मूल्यवान सबक सिखाया है। परिवार में माता-पिता को अपने निजी अनुभव अपने बच्चों के साथ साझा करना चाहिए ताकि बच्चे भी उनसे सीख सकें तथा विद्यालय में शिक्षकों को अपने उन अनुभवों को बच्चों के साथ साझा करना चाहिए जिनमें इनके द्वारा अच्छे नैतिक मूल्यों के अनुरूप निर्णय लिए गए हैं। व्यक्तिगत अनुभव साझा करने से आपके बच्चों को उन अनुभवों से जुड़े नैतिक मूल्यों को सीखने में मदद मिलेगी। साथ ही, उन कहानियों को भी बताएं जहां आपने कुछ बुरे फैसले लिए और जिससे आपको कुछ सबक सीखने को मिले तथा छात्र अपने शिक्षकों से प्राप्त अनुभवों का लाभ उठाकर भविष्य में अपने जीवन में गलत निर्णय लेने से बचें।

विद्यार्थियों को अपनी गलतियों के लिए जवाबदेह होना सिखाएं : छात्र अपने जीवन के विभिन्न चरणों में गलतियाँ करते हैं। कुछ बच्चे स्कूल के नियमों की अवहेलना करते हैं, कुछ यातायात नियमों की अवहेलना करते हैं, कुछ पढ़ाई में खराब प्रदर्शन करते हैं, और कुछ घर परिवार पढ़ो और साथियों के साथ छोटी-छोटी गलतियाँ करते रहते हैं। इसके अलावा, बच्चे झूठ बोलते हैं और अक्सर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं। एक शिक्षक का यह दायित्व है कि वह अपने छात्रों और बच्चों को अपनी गलतियों को स्वीकार करना और खेद महसूस करना सिखाएं। जब वे गलतियों को स्वीकार करते हैं, तो वे उन्हें दोबारा नहीं दोहराना सीखते हैं और सही और गलत के बीच का अंतर जानते हैं। अधिकांश छात्र जो अपनी गलतियों के लिए जवाबदेह होना सीखते हैं, उन्हें दोबारा नहीं दोहराते हैं।

विद्यार्थियों को दूसरों की मदद करने के लिए प्रोत्साहित करें : एक शिक्षक को अपने बच्चों को जब भी संभव हो दूसरों की मदद करना सिखाना चाहिए। दूसरों की मदद करने की गतिविधियों में शामिल होने से छात्रों में दया और करुणा के गुणों का विकास होगा। शिक्षकों को अपने छात्रों को बीमार लोगों के लिए गेट वेल कार्ड बनाने और विकलांगों की मदद करने जैसी गतिविधियाँ करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। एक शिक्षक को यह चाहिए कि वह विद्यार्थियों को गरीब निर्धनों के प्रति संवेदनशील, वृद्ध, असहाय और बीमार व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति का पाठ पढ़ाएं। इसके अतिरिक्त दिन प्रतिदिन के जीवन में महिलाओं के प्रति सम्मान दर्शाना, वृद्ध, असहाय को सड़क पार करने में मदद करना, वृद्ध व्यक्तियों को सीट देना, वृक्षारोपण करना और उसका महत्व समझाना और इसी तरह की गतिविधियों को सिखा सकते हैं। बच्चों को ऐसी गतिविधियों में शामिल करने से उनमें दया, उदारता, सम्मान और करुणा के गुणों को विकसित करने में मदद मिलती है।

टेलीविजन उपयोग की निगरानी करें : छात्र फिल्मों और टीवी शो से बहुत कुछ सीखते हैं। परंतु आजकल के टीवी कार्यक्रम और फिल्मों में हिंसा, अपराध, अश्लीलता अश्लीलता, मूल्य हीन विषय पर आधारित कार्यक्रम तथा अन्य अनेक नकारात्मक चीजों की भरमार है। हम सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे टेलीविजन पर क्या देख रहे हैं और सुनिश्चित करें कि वे केवल वही शो देखें जो अच्छे नैतिक मूल्यों की शिक्षा देते हैं। परिवार में माता-पिता की जिम्मेदारी है कि वे अपराध, सेक्स और हिंसा से संबंधित फिल्में और टीवी शो दिखाने वाले सभी चैनलों को बंद कर दें जो बच्चों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। इसके साथ ही अध्यापकों का भी यह दायित्व है कि वह अपने विद्यार्थियों को टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले ऐसे कार्यक्रमों को देखने के लिए प्रेरित करें जिनमें नैतिक मूल्यों का विकास करने की संभावना हो तथा मूल्यहीन कार्यक्रमों को देखने के दुष्परिणाम से विद्यार्थियों को परिचित कराएं।

इंटरनेट उपयोग की निगरानी करें : इंटरनेट बच्चों और छात्रों के लिए जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कोरोना काल के दौरान ऑनलाइन शिक्षण का महत्वपूर्ण योगदान रहा परंतु इसके अनेक दुष्प्रभाव भी सामने आए हैं। बालक इंटरनेट पर किसी भी तरह की जानकारी आसानी से हासिल कर सकते हैं। यहां तक कि वयस्कों के लिए प्रतिबंधित वेबसाइटों तक किशोरों द्वारा आसानी से पहुँचा जा सकता है। छात्रों के लिए गृहकार्य, पाठ सीखने और परियोजनाओं को पूरा करने के लिए इंटरनेट का

उपयोग करना आवश्यक है। हालांकि, शिक्षकों और अभिभावकों को इंटरनेट के उपयोग की निगरानी करनी चाहिए ताकि वे प्रतिबंधित वेबसाइटों और नकारात्मक जानकारी तक न पहुंचें। इंटरनेट के उपयोग को सीमित करने से आपको अपने बच्चों को गलत मूल्यों को सीखने से रोकने में मदद मिलती है।

शिक्षण के लिए दैनिक अनुभवों का उपयोग करें : हर दिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ सामने आती हैं जो हमें अपने बच्चों को कुछ मूल्य सिखाने का अवसर प्रदान करती हैं। शिक्षक और माता-पिता ऐसी स्थितियों का उपयोग बच्चों को यह सिखाने के लिए कर सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। क्या सही है यह जानने से उन्हें सही काम करने और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। आए दिन हम समाचार सुनते हैं, जिनमें से अधिकांश में देश भर में नकारात्मक घटनाएं होती हैं। इसके अलावा, स्कूलों और घरों के आस-पास कुछ घटनाएं और कार्यक्रम होते हैं। बच्चों को अच्छे नैतिक मूल्यों के बारे में सिखाने के लिए हम उनमें से किसी को भी चुन सकते हैं।

निष्कर्ष : बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए नैतिक मूल्य महत्वपूर्ण हैं। जा छात्र कम उम्र में अच्छे नैतिक मूल्य सीखते हैं, उनके अच्छे माता-पिता और अच्छे नागरिक बनने की संभावना अधिक होती है। इसलिए यह माता-पिता और शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि वे अपने बच्चों को अच्छे नैतिक मूल्यों की शिक्षा दें ताकि वे सीख सकें और उन्हीं मूल्यों को अगली पीढ़ी को सौंप सकें। घरों, स्कूलों और छात्र देखभाल केंद्रों में नैतिक मूल्यों को पढ़ाने से ईमानदार, देशभक्त, वफादार और प्यार करने वाले इंसान पैदा होंगे। क्योंकि शिक्षकों का कार्य केवल बच्चों को ज्ञान देने तक ही सीमित नहीं है शिक्षा का उद्देश्य बालकों का सर्वांगीण विकास करना है तथा इस उद्देश्य की प्राप्ति तभी हो सकती है जब सभी शिक्षक अपने उत्तरदायित्व का पूरे मनोयोग से निर्वाह करें तथा बालकों में उच्च नैतिक मूल्य को विकसित करने में अपनी भूमिका अदा करें।

सन्दर्भ :

1. गुप्ता, नत्थू लाल, (2005), "मूल्यपरक शिक्षा और समाज", नमन प्रकाशन, नई दिल्ली
2. लाल, रमन बिहारी, (2005), "शिक्षा के दार्शनिक व सामाजिक आधार", रस्तोगी प्रकाशन, मेरठ
3. डागर, बी०एस०, "शिक्षा तथा मानव मूल्य", हरियाणा साहित्य एकेडमी, चण्डीगढ़
4. गुप्ता, एस०पी०, (2003), "आधुनिक मापन व मूल्यांकन, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद
5. भट्टाचार्य, जी.सी., (2006-07), "अध्यापक शिक्षा", विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा,
6. पांडे, के.पी. (1992), "मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग बिहेवियर", अनामिका प्रकाशन, मेरठ,

अध्ययन आदत एवं मूल्य का अवधाराणात्मक स्वरूप

विशेष श्रीवास्तव*

*शोधकर्ता, शिक्षाशास्त्र विभाग, सन्त गणिनाथ राजकीय पी.जी.कालेज, मोहमदाबाद, गोहना, मऊ, उ०प्र०

डॉ० के.डी. उपाध्याय**

**विभागाध्यक्ष, शिक्षाशास्त्र विभाग, सन्त गणिनाथ राजकीय पी.जी.कालेज, मोहमदाबाद, गोहना, मऊ, उ०प्र०

सारांश : यह शोध पत्र अध्ययन आदत एवं मूल्य के अवधाराणात्मक स्वरूप को स्पष्ट करता है। अध्ययन से तात्पर्य उस शिक्षण तकनीकी से लगा सकते हैं जिनके द्वारा मानसिक क्षमता और कौशल को हासिल करने तथा अपने ज्ञान में वृद्धि करने से लगाया जा सकता है। अध्ययन विषय के रूप में व्यक्त किया जाता है। अध्ययन विषय वस्तुओं तथा घटनाओं के किसी विशिष्ट क्षेत्र संबंधी ज्ञान का संगठन है। इन विषय वस्तु तथा घटनाओं के अंतर्गत वे तथ्य प्रदत्त, पर्यवेक्षण, अनुभूतियाँ आदि सम्मिलित रहती हैं। जो उस ज्ञान की आधारभूत घटकों को निर्मित करती हैं। कोई ज्ञान किसी का अध्ययन विषय के क्षेत्र में आता है या नहीं, इसका निर्धारण करने के लिए आधारित नियम एवं परिभाषाएँ निर्मित कर ली जाती हैं। इस आधार पर अध्ययन विषयों में कुछ विशिष्ट लक्षण परिलक्षित होते हैं। ये लक्षण विश्लेषणात्मक, सरलीकरण, संश्लेषणात्मक समन्वय एवं गत्यात्मकता आधारित होते हैं। शाब्द-पत्र अध्ययन विषय व समाज के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह अध्ययन शोधार्थियों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है।

मुख्य शब्द : अध्ययन आदत, शिक्षा, मूल्य, सामाजिक परिवेश, शिक्षण तकनीकी आदि।

अध्ययन का सामान्य रूप से तात्पर्य विषयवस्तु के सभी क्षेत्रों तथा उस पाठ वस्तु में वर्णित कठिन तथ्यों अपने विषयवस्तु से सम्बंधित कर पढ़ने व पढ़ाने की प्रक्रिया से संबंधित होता है। अध्ययन से तात्पर्य उस शिक्षण तकनीकी से लगा सकते हैं जिनके द्वारा मानसिक क्षमता और कौशल को हासिल करने तथा अपने ज्ञान में वृद्धि करने से लगाया जा सकता है। अध्ययन विषय के रूप में व्यक्त किया जाता है। अध्ययन विषय वस्तुओं तथा घटनाओं के किसी विशिष्ट क्षेत्र संबंधी ज्ञान का संगठन है। इन विषय वस्तु तथा घटनाओं के अंतर्गत वे तथ्य प्रदत्त, पर्यवेक्षण, अनुभूतियाँ आदि सम्मिलित रहती हैं। जो उस ज्ञान की आधारभूत घटकों को निर्मित करती हैं। कोई ज्ञान किसी का अध्ययन विषय के क्षेत्र में आता है या नहीं, इसका निर्धारण करने के लिए आधारित नियम एवं परिभाषाएँ निर्मित कर ली जाती हैं। इस आधार पर अध्ययन विषयों में कुछ विशिष्ट लक्षण परिलक्षित होते हैं। ये लक्षण विश्लेषणात्मक, सरलीकरण, संश्लेषणात्मक समन्वय एवं गत्यात्मकता आधारित होते हैं। इसके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित कौशलों का विकास करके अपनी क्षमता का विकास करके अपने सामाजिक परिवेश में अपने आप को समाहित कर लेता है। **रश्क के शब्दों में**, अध्ययन व्यक्ति द्वारा किसी ज्ञान अपनी धारणा क्षमता को सुरक्षित रखने कुशलताओं को प्राप्त करने तथा विभिन्न समस्याओं का निराकरण करने के लिए किया जाने वाला प्रयत्न है।

अध्ययन पर विभिन्न मत : क्रो एवं क्रो के शब्दों को सीखने के लिए तथा विद्यालयी जीवन के लिए अध्ययन आवश्यक है। इसके लिए उन्होंने तीन उद्देश्यों का बताया है।

आदत : एक आदत व्यवहार की एक दिनचर्या है जो नियमित रूप से दोहराई जाती है और अवचेतन रूप से घटित होती है।

जब व्यक्ति किसी कार्य को अपनी इच्छा से जान-बूझकर बार-बार करता है। तब वह कृपया कुछ समय बाद बिना प्रयास के अपने आप होने लगती है। इसे बार-बार दोहराए गए ऐच्छिक कार्यों के परिणाम को आदत कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि आदत एक प्रकार का अर्जित व्यवहार है। जिसमें किसी क्रिया के करने का ढंग (तरीका) निहित होता है। जैसे : खाना, पीना, उठना, बैठना, आदि। एक विशेष आदत अनुसार ही होते हैं। जेम्स ने आदत को मनुष्य का 'दूसरा स्वभाव' कहा जाता है।

मनोविज्ञान के अमेरिकन जनरल (1903) आदत के दृष्टिकोण से परिभाषित मनोविज्ञान तैयार है, या एक मानसिक के पिछले पुनरावृत्ति के माध्यम से प्राप्त कर लिया महसूस कर रही है। एक सोच का कम या ज्यादा तथ्य कि जिस तरह से (के रूप में) अनुभव हो।

आदत के प्रकार : साधारण आदतें दो प्रकार की होती हैं।

1. अच्छी आदतें,
2. बुरी आदतें

अच्छी आदतें जीवन के लिए उपयोगी होती हैं और बुरी आदतें जीवन के लिये हानिकारक होती हैं।

बर्नार्ड के अनुसार : बर्नार्ड के अनुसार आदतें तीन प्रकार की होती हैं—

1. शारीरिक
2. मानसिक
3. साम्प्रदायिक

आदत निर्माण के नियम : विलियम जेम्स डालने के प्रमुख चार नियम बताए हैं—

1. **संकल्प की दृढ़ता :** हमें किसी नए कार्य को दृढ़ता एवं निश्चय से आरंभ करना चाहिए
2. **क्रियाशीलता :** संकल्प करने के बाद कार्य को प्रारंभ करके तब तक जारी रखना चाहिए, जब तक कि भली-भांति उसकी आदत नहीं पड़ जाती है।

आदत की विशेषताएँ : आदत की महत्वपूर्ण विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

सरलता एवं सुगमता : जिन कार्यों को हम बार-बार दोहराते हैं, वे हमारे लिए सरल हो जाते हैं और दोबारा करने में कठिनाई नहीं होती। जैसे शुरुआत में टाइप करना कठिन होता लेकिन जब अभ्यास करते करते आज पड़ जाती है तब हम बड़ी सुगमता से टाइप कर लेते हैं।

रोचकता : रोचकता के कारण आदतों का निर्माण होता है। अर्थात् जिन कार्यों की हमें आदत पड़ जाती है उन कार्यों में हम रुचि लेने लगते हैं। जैसे प्रारंभ में बालक स्कूल जाने में रुचि नहीं लेता, लेकिन धीरे-धीरे उसे स्कूल जाने में रुचि होने लगती है और वह बालक स्वयं, से रोज स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है।

मूल्य : मूल्य शिक्षा की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग एक दूसरे को नैतिक मूल्य नियम देते हैं। पोनी एट अल के अनुसार यह एक ऐसी गतिविधि हो सकती है, जो किसी भी मानवीय संगठन में हो सकती है। जिसके द्वारा लोगों को दूसरे द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

स्वयं के लिए सम्बद्ध व्यवहार का आकलन करने के लिए हमारी नैतिकता को स्पष्ट करने के लिए अनुभवी स्थिति में है। प्रत्येक मानव जीवन में कुछ न कुछ मूल्यों का समावेश होता है। जिनके द्वारा व्यक्ति के जीवन शैली मानसिक व्यवहारों के बारे में समाज अंदाजा लगाता है तथा इन मूल्यों के द्वारा मानव का व्यवहार निर्देशित होता है। सामान्यता किसी समाज में जिन आदर्शों को महत्व दिया जाता है और जिनमें उस समाज के व्यक्तियों का व्यवहार निर्देशित वह नियंत्रित होता है। उन्हें उस समाज का मूल्य कहते हैं।

“मूल्य मानक रूपी मानदंड है। जिनके आधार पर मनुष्य अपने सामने उपस्थित क्रिया विकल्पों में से चयन करने में प्रभावित होते हैं” ।

मूल्यों का अर्थ :

1. **मनोवैज्ञानिक अर्थ :** जो हमारी इच्छा को पूरा करता है वह मूल्य है।
2. **जैविक अर्थ :** मूल्य उस वस्तु या क्रिया की विशेषता है जो हमारे जीवन की सुरक्षा एवं वृद्धि में सहायक होती है।
3. **नीतिशास्त्र संबंधी अर्थ :** वे वस्तुएं अथवा क्रियाएं मूल्यवान होती हैं जो हमारी आत्मा को पूर्णतया प्रदान करने में सहायक होती हैं।
4. **दार्शनिक अर्थ :** मूल्य किसी वस्तु या व्यक्ति से सम्बन्धित नहीं होते बल्कि किसी विचार या दृष्टिकोण से सम्बन्धित होते हैं।

मूल्य शिक्षा के प्रकार : भारतीय दार्शनिकों ने मूल्यों को केवल 2 वर्गों में विभाजित किया है।

आध्यात्मिक मूल्य : ऐसे मूल्य जो हमारे आध्यात्मिक चिंतन और व्यवहार को दिशा प्रदान करते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष।

भौतिक मूल्य : ऐसे मूल्य जो हमारे ऐहिक जीवन से सम्बन्धित होते हैं— प्रेम, सेवा, सत्य इत्यादि।

पारकर का मूल्यों का वर्गीकरण :

1. जैविक मूल्य
2. आर्थिक मूल्य
3. भावात्मक मूल्य
4. सामाजिक मूल्य
5. सौंदर्यात्मक का मूल्य
6. बौद्धिक मूल्य
7. नैतिक मूल्य
8. धार्मिक मूल्य

मूल्यों को सांस्कृतिक लक्षणों के रूप में स्वीकार करते हैं। उनकी दृष्टि से सांस्कृतिक और मूल्य विभिन्न अंग होते हैं। कोई भी सांस्कृतिक अपने मूल्यों के द्वारा पहचाना जाता है। मनुष्य के जीवन जीने के तरीके तथा उसके व्यवहार को एक नियमित सीमा क्षेत्र तक निर्देशित मूल्यों के द्वारा किया जाता है। धीरे-धीरे मनुष्य प्राकृतिक जीवन से सामाजिक जीवन की ओर अग्रसर हुआ, ऐसे सामाजिक जीवन की ओर जिसमें संघर्ष और शक्ति के स्थान पर प्रेम सहानुभूति और सहयोग का महत्व था। प्रेम सहानुभूति और सहयोग को हम मूलभूत सामाजिक नियम आदर्श सिद्धांत व्यवहार मानदंड अथवा मूल्यों की संज्ञा दे सकते हैं। अधिकतर विद्वान मूल्यों का वर्गीकरण इन्हीं आयामों के आधार पर करते हैं— यथा सामाजिक मूल्य सांस्कृतिक मूल्य, धार्मिक मूल्य, राजनैतिक मूल्य और आर्थिक मूल्य।

सन्दर्भ :

1. ए. आर्य (1994): “स्टडी आफ इमोशनल मेमोरिटी एण्ड वैल्यू आफ सुपीरियर चिल्ड्रन इन फैमिली, अप्रकाशित शोध प्रबन्ध, आगरा विश्वविद्यालय आगरा
2. ए. पाण्डेय (1998): “स्टडी ऑफ एण्डोलेसन्स पर्सनैलिटी वैल्यू एण्ड वोकेशनल इन्ट्रेस्ट ऑफ सुपर, नॉर्मल एण्डोलेसन्स,” अप्रकाशित शोध प्रबन्ध, आगरा विश्वविद्यालय, आगरा
3. ई. एल. रसेल. (1959) : वैल्यू इन चार्ल्स ई. स्कीनर (एजुकेशन), एजुकेशनल फिलासफी, लंदन, प्रिंटिंग हाल
4. आर.पी. वर्मा (1972) : स्टडी आफ रिलेशनशिप बिटवीन द पैटर्न ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप द वैल्यू ऑफ टीचर्स एण्ड स्टूडेंट इन सेकेंडरी स्कूल एमबी बुक थर्ड सर्वे ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एनसीईआरटी, न्यू दिल्ली
5. आई.वी.वर्मा (1968) : “एन इन्वेस्टिगेशन इन टू दि इम्पैक्ट ऑफ ट्रेनिंग आंधी वैल्यूज एटीट्यूटस पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स एण्ड एडजेस्टमेंट आफ टीचर अप्रकाशित शोध प्रबंध एजुकेशन आगरा यूनिवर्सिटी
6. आर.पी. वर्मा (1991) : “ए स्टडी आफ रिलेशन बिटवीन पैटर्न आफ इंटर पर्सनल रिलेशन एण्ड वैल्यूज ऑफ टीचर्स एण्ड स्टूडेंट्स इन सेकेंडरी स्कूलस,” अप्रकाशित शोध प्रबन्ध एजुकेशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय

अध्यापक शिक्षा व शिक्षा प्रणाली : एक अध्ययन

डॉ० दीपिका शर्मा*

*असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, जगन्नाथ विश्वविद्यालय, जयपुर (राज.)

सारांश : यह शोध-पत्र अध्यापक शिक्षा व शिक्षा प्रणाली : एक अध्ययन को रेखांकित करता है। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है, जिसका मुख्य उद्देश्य बालक का शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास करना है, जिससे वह बालक आगे चलकर देश का एक अच्छा नागरिक बन सके। शिक्षा के द्वारा बालक सद्भावना, ज्ञान, सत्य, निष्ठा जैसे मानवीय गुणों को ग्रहण करता है, साथ ही सांसारिक दुखों का दमन करने की शक्ति प्राप्त करता है। यह शोध पत्र पूर्व अध्ययन से अलग एवं समाज के लिए महत्वपूर्ण है। शोधपत्र पुस्तकालीय एवं विश्लेषणात्मक विधि पर आधारित है। यह अध्ययन शोधार्थियों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है।

मुख्य शब्द : अध्यापक शिक्षा, शिक्षा प्रणाली, वैदिक काल, गुणात्मक विकास, बौद्धिक परम्पराएँ, तकनीकी कौशल आदि।

शिक्षा बालक के आंतरिक एवं बाह्य व्यक्तित्व का विकास करती है तथा उसको ज्ञान के दुर्लभ क्षेत्रों से जोड़ती है। शिक्षित व्यक्ति ही सृष्टि का सृजन, चिंतन, कल्पना व प्रज्ञा सम्पन्न सर्वोत्कृष्ट शिखर को स्पर्श करता है शिक्षाविहीन बालक कर्मशील होकर भी अकर्मण्य बना रहता है। शिक्षा का महत्व इस नीति 'लोक से भी समझा जा सकता है' -

“साहित्य, संगीत, कला विहीनः,
साक्षात्, पशु पुच्छ विषाण हीनः।
तृणं न खादन्नपि जीवमानः,
स्तदभागधेयं परमं पशूनाम्॥”

शिक्षा ही बालक को संस्कारवान बनाती है जिससे वह अच्छा-बुरा, सुख-दुःख, पाप-पुण्य, करणीय व अकरणीय कार्य से परिचित होता है। जैसे तो बालक जीवन पर्यन्त किसी न किसी माध्यम से शिक्षा ग्रहण करता रहता है, किन्तु बालक की प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है जहाँ माता बालक की प्रथम शिक्षिका के रूप में उसे जीवन के प्रत्येक पहलू से अवगत करवाती है वहीं पिता बालक के अन्दर ज्ञान के प्रति चाह, सत्संगति एवं इन्द्रियनिग्रह की प्रवृत्ति तथा अपने कर्तव्य के प्रति उसे सचेत करता है। जिस प्रकार एक बालक को अस्तित्व उसके माता-पिता प्रदान करते हैं ठीक उसी प्रकार उसके व्यक्तित्व को साकार स्वरूप शिक्षक प्रदान करता है। बालक का उचित विकास केवल शिक्षक ही कर सकता है। शिक्षक को प्राचीन समय में शैक्षिक प्रणाली का मेरुदण्ड, मानव जाति का निर्माता तथा समाज का वास्तुकार माना जाता था। उनका समाज में सर्वश्रेष्ठ स्थान था। वैदिक काल में गुरुकुल प्रणाली पाई जाती थी। विद्यार्थी गुरु के परिवार का अंग बनकर शिक्षा ग्रहण करता था। गुरु व शिष्य के मध्य सम्बन्ध पिता-पुत्र की तरह होता था। समय के साथ शिक्षा के क्षेत्र व स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला गया।

दार्शनिक अरविन्द ने शिक्षक के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा था “शिक्षक राष्ट्र की संस्कृति को बनाता है। वह राष्ट्र का शिरोमणिकर्णधार होता है।” इस प्रकार किसी सभ्य समाज की महत्वपूर्ण पूँजी शिक्षक है जो राष्ट्र, समाज व व्यक्ति के निर्माण में योगदान करता है।

शिक्षक बालक रूपी गीली माटी को सँवारने वाला दक्ष कुम्भकार होता है। शिक्षक एक सामान्य व्यक्ति न होकर बलिक शिल्पकार होता है। क्योंकि वह ब्रह्माण्ड की सर्वोत्तम कृति बालक को आकार प्रदान करता है, जो कि आगे चलकर राष्ट्र का निर्माण करता है। अगर शिल्पकार दक्ष न हो तो उसकी कृति में विकार उत्पन्न हो सकता है जो हमारे समाज एवं राष्ट्र के विकास में घातक सिद्ध हो सकता है। इस प्रकार शिक्षक शिक्षा द्वारा एक पीढ़ी को तैयार करता है जो भविष्य में उस राष्ट्र की भाग-दौरे संभालती है। अतः किसी भी सभ्य समाज की महत्वपूर्ण पूँजी शिक्षक है। बालक के व्यक्तित्व का निर्माण कर उसे समाज व राष्ट्र का निर्माता बनाता है।

शिक्षक की गरिमा को स्पष्ट करते हुए डॉ०ए०पी०जे० अब्दुल कलाम ने कहा है कि “मैं जानता हूँ कि मैं विद्यार्थी नहीं अपितु एक तेजस्वी गुण युवा के निर्माण के लिए उत्तरदायी हूँ जो इस धरती के नीचे, धरती पर और आकाश में सबसे अमूल्य शक्ति है, मैं शिक्षा के महान मिशन के प्रति पूरी तरह समर्पित रहूँगा मैं स्वयं को सर्वश्रेष्ठ अध्यापक तभी मानूँगा जब मैं एक औसत विद्यार्थी को उत्कृष्ट विद्यार्थी बना सकूँगा।” वर्तमान में उच्च कोटि के शिक्षित, प्रतिभाशाली, योग्य, कर्मठ व अनुभवशील अध्यापकों की आवश्यकता है। शिक्षक में शिक्षकोचित गुणों का विकास करने के लिए अध्यापक प्रशिक्षण को महत्वपूर्ण माना गया है। जिससे एक अध्यापक में व्यावसायिक गुणों का विकास हो सके। समाज में शिक्षा का स्तर अध्यापक के गुणों पर निर्भर करता है और अध्यापक के गुण उसके प्रशिक्षण पर निर्भर करता है। अतः शिक्षा के स्तर को ऊँचा करने तथा उसमें निरन्तर सुधार लाने के लिए अध्यापक शिक्षा के गुणात्मक विकास पर अधिक बल देना चाहिए। अध्यापक ही सभ्यता की ज्योति को प्रज्वलित करने में सहायता प्रदान करता है। एक अध्यापक को बहती हुई नदी के समान होना चाहिए न कि स्थिर तालाब के समान। कहने का तात्पर्य यह है कि बदलती हुई, परिस्थितियों के अनुसार अध्यापक निरन्तर अध्ययन अध्यापन में तल्लीन रह कर अपने ज्ञान में वृद्धि करता रहे क्योंकि वही इस सम्पूर्ण मानव समाज का पथप्रदर्शक होता है, जैसा कि कहा गया है।

शिक्षक : सर्वदेशस्य समाजस्य च नायकः।

यथास्मै रोचते बालके तथैव परिवर्तते॥

शिक्षा प्रणाली में जो भी गुण-दोष देखे जाते हैं इन सबका उत्तरदायित्व शिक्षक को ही माना जाता है। शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक की भूमिका के सम्बन्ध में विभिन्न शिक्षाशास्त्रियों ने अपने विचार अलग-अलग ढंग से प्रस्तुत किये हैं। शिक्षाशास्त्रियों का विचार है कि अध्यापक उस मोमबत्ती के समान है जो स्वयं को जलाकर दूसरों को प्रकाशित करता है। वास्तव में अध्यापक शिक्षा पद्धति का केन्द्र बिन्दु होता है।

माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार— “हम इस बात से पूर्णरूप से सहमत हैं कि शिक्षा के पुनर्निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व अध्यापक हैं। उसके वैयक्तिक गुण उसकी शैक्षणिक योग्यतायें, उसका व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा उसका स्कूल तथा समुदाय में स्थान, स्कूल की प्रसिद्धि तथा सामुदायिक जीवन पर उसका प्रभाव उसमें काम कर रहे अध्यापकों पर आधारित होता है।”

डॉ० राधाकृष्णन ने कहा है— शिक्षकों का समाज में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वे सभ्यता की रोशनी को रोशन रखने में बौद्धिक परम्पराओं और तकनीकी कौशल को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने में सहायता करते हैं।”

एच०जी० वेल्स के अनुसार— “इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है।”

कबीर, प्रो० हुमायूँ के अनुसार— “अच्छे अध्यापकों के बिना शिक्षा की सर्वोत्तम पद्धति भी सफल नहीं हो सकती। अच्छे अध्यापकों से शिक्षा पद्धति के दोषों को भी दूर किया जा सकता है।”

कोटारी कमीशन 1964-66 ने अपनी रिपोर्ट “शिक्षा और राष्ट्रीय विकास” में स्पष्ट किया था कि वे सभी पहलू जो शिक्षा के स्तर और राष्ट्रीय विकास में शिक्षा की भूमिका को प्रभावित करते हैं, उनमें शिक्षक के गुण, योग्यता और चरित्र सबसे प्रमुख स्थान रखते हैं।

उपर्युक्त विचारों को देखते हुए कहा जा सकता है कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक का कार्य निष्पादन सर्वाधिक महत्व का निवेश है। शिक्षा से सम्बन्धित प्रत्येक योजना का सफल क्रियान्वयन शिक्षकों के वैयक्तिक व्यवहार शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं व कार्य निष्ठा पर निर्भर करता है।

अध्यापक शिक्षा : सामान्य शब्दों में अध्यापक शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें अध्यापक अपने कौशल, अनुभव और योग्यता के आधार पर सामाजिक विकास के लिए प्रयास करता है और राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। अध्यापक शिक्षा द्वारा ही व्यक्ति का चारित्रिक और व्यक्तित्व का विकास किया जाता है। अध्यापक शिक्षा वह है जिसके माध्यम से शैक्षिक वातावरण तैयार किया करके मूल्यों पर आधारित शिक्षा के लिए अनुकूल परिवेश का निर्माण किया जाता है। मानवता बोध और सांस्कृतिक चेतना में अध्यापक शिक्षा की मुख्य भूमिका रहती है। इसी संदर्भ में यह भी कहा जा सकता है कि अध्यापक शिक्षा एक शैक्षिक आयोजन है, जिसमें विभिन्न विषयों के अध्यापकों को विभिन्न विषय-वस्तुओं सहित सामान्य व्यक्ति से पृथक एक प्रशिक्षण प्रक्रिया के अन्तर्गत शिक्षा के योग्य बनाया जाता है अर्थात् अध्यापक शिक्षा के अभाव में शिक्षित व्यक्ति ही शैक्षिक कार्य नहीं कर पाता है। अध्यापक शिक्षा द्वारा ही शिक्षा का हस्तान्तरण किया जाता है और समाज में व्यक्ति को उसके उत्तरदायित्वों से परिचित कराया जाता है।

अध्यापक शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया और तकनीकी है जिसमें शिक्षण कार्य के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाता है और शैक्षिक कौशलों का विकास किया जाता है। अध्यापक शिक्षा एक मिशन है जिसमें राष्ट्रीय विकास के लिए व्यक्तियों को विभिन्न संदर्भों में तैयार किया जाता है। अध्यापक शिक्षा व्यक्ति के सामाजिक, सांस्कृतिक शिक्षा और नैतिक विकास की शिक्षा है। साथ ही यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें विभिन्न आयोजन किए जाते हैं और छात्र-छात्राओं के ज्ञानात्मक और बौद्धिक विकास की शिक्षा दी जाती है।

अध्यापक शिक्षा अथवा शिक्षक प्रशिक्षण का प्रत्येक देश की सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था के अन्तर्गत परम् महत्व होता है। इस दिशा के अभाव में किसी भी देश की प्रति पूर्णतया असम्भव होती है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित शिक्षक संघ की कॉन्फ्रेंस में भी इस आवश्यकता पर बल देते हुए कहा गया कि “अच्छा अध्यापन अच्छे अध्यापकों पर ही निर्भर है। अतः अध्यापकों की गुणात्मक उन्नति करना प्रत्येक देश का लक्ष्य होना चाहिए।”

मुखर्जी के शब्दों में, “अध्यापक शिक्षा ऐसी शिक्षा का नाम है जो किसी व्यक्ति को शिक्षा प्रणाली व्यवसाय को अपनाने के योग्य बनाती है।”

गुडे के अनुसार, “अध्यापक शिक्षा में वे सभी औपचारिक एवं अनौपचारिक क्रिया तथा अनुभव सम्मिलित हैं, जो किसी भी व्यक्ति को शिक्षण व्यवसाय का दायित्व सम्भालने की योग्यता प्रदान करते हैं।”

अध्यापक शिक्षा एक संगठित व्यवस्थित एवं संस्थात्मक शिक्षा प्रणाली प्रक्रिया है, जो अध्यापक को अध्यापन व्यवसाय अपनाने योग्य बनाती है तथा इस व्यवसाय में पहले से लगे हुए अध्यापकों को और अधिक शिक्षा प्रदान कर उसके ज्ञान में वृद्धि करती है। एक डॉक्टर, वकील तथा इंजीनियर से भी बढ़ कर जरूरी है, एक अध्यापक को प्रशिक्षित करना क्योंकि अध्यापक राष्ट्र के निर्माता होते हैं। अध्यापन एक कला है जो एक विशिष्ट प्रशिक्षण द्वारा सीखी जाती है। माता-पिता तो केवल एक बच्चे को जन्म देते हैं किन्तु अध्यापक उसे जीवित रहने की कला सिखाते हैं। अध्यापक हो छात्रों को एक कुम्हार के समान व्यक्तित्व प्रदान करता है। बालकों में ज्ञान व गुणों का ऐसा संयोग एक कुशल अध्यापक ही उत्पन्न कर सकता है। इसलिए अध्यापक का प्रशिक्षित होना अत्यन्त आवश्यक है। इस हेतु अध्यापक निम्न संस्थाओं में प्रशिक्षण प्राप्त करता है —

1. **माध्यमिक स्तर के शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय :** ये महाविद्यालय स्नातकों एवं अधिस्नातकों को मिडिल तथा हायर सेकण्डरी स्कूलों के लिए अध्यापक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। लगभग सभी राज्यों में माध्यमिक स्तर पर अध्यापकों को तैयार करने का उत्तरदायित्व इन संस्थाओं का है। जिसमें पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद बी०एड० की डिग्री प्रदान की जाती है।
2. **क्षेत्रीय शिक्षण महाविद्यालय :** अध्यापकों की कमी को दूर करने के लिए पांच क्षेत्रीय महाविद्यालयों की स्थापना अजमेर, भुवनेश्वर, भोपाल, मैसूर तथा शिलांग में की गई। इन महाविद्यालयों में 12 के बाद प्रवेश देकर चार वर्षीय पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद स्नातक एवं बी०एड० दोनों डिग्री दी जाती है।
3. **जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान (डाईट) :** भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत नई शिक्षा नीति 1986 तथा क्रियान्वयन कार्यक्रम में डाईट की स्थापना प्रत्येक जिले में की गई है। जिसकी संकल्पना प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए सेवापूर्व व सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना है।
4. **अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय(सी०टी०ई०) :** सी० टी० ई० की स्थापना शैक्षिक नवाचार की गुणवत्ता को बढ़ाने की दृष्टि से 1987-88 में विभिन्न चरणों में की गई। वर्तमान में राजस्थान में 8 शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय कार्यरत हैं। जैसे-शाह गोवर्धन लाल काबरा शिक्षक-शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर, हटुण्डी अजमेर, केशव विद्यापीठ, जामडोली, जयपुर इत्यादि। जिनका मुख्य कार्य है माध्यमिक शिक्षा के लिए शिक्षक तैयार करना।

5. **उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान (आईओएसआई)** : नई शिक्षा नीति कार्यक्रम के क्रियान्वयन के तहत भारत सरकार ने प्रत्येक राज्य में उच्च अध्ययन हेतु शिक्षा संस्थानों की स्थापना का लक्ष्य रखा। ये संस्थान सेवा पूर्व तथा सेवारत शैक्षिक कार्यक्रमों का संचालन करते हैं। राजस्थान में इस योजना के तहत स्नातकोत्तर स्तर के चार महाविद्यालयों को आईओएसआई का दर्जा प्रदान किया गया। ये संस्थान निम्न जिलों में स्थित हैं, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा अजमेर, विद्या भवन—उदयपुर, गांधी विद्या मन्दिर, सरदार शहर (चूरु)।
6. **विस्तार सेवा विभाग** : क्षेत्रीय सेवा विभाग ने कुछ प्रशिक्षण महाविद्यालयों में विस्तार सेवा विभाग स्थापित किए हैं, जिनका उद्देश्य माध्यमिक स्कूल अध्यापकों को सेवाकालीन शिक्षा प्रदान करना है।
7. **सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण** : सभी क्षेत्रीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में बीओड कोर्स की व्यवस्था की गई है। इस त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के तहत 4 महीने के दो ग्रीष्मकालीन अवकाश में पूर्णकालिक प्रशिक्षण दिया जाता है।

वस्तुतः किसी भी देश की शिक्षा के क्षेत्र में विकास से सम्बन्धित समस्त कार्यक्रम की सफलता निःसंदेह योग्य शिक्षकों पर ही निर्भर होती है। अध्यापकों को अधिकाधिक योग्य, ज्ञान सम्पन्न एवं कुशल बनाने के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि उनके प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था की जाये।

सन्दर्भ :

1. भटनागर, ए बी एवं भटनागर, मीनाक्षी (2006). भारत में शैक्षिक प्रणाली का विकास, मेरठ : आर लाल बुक डिपो
2. दासर, रंगना. (2015). टीचिंग प्रैक्टिस फॉर स्टूडेंट टीचर्स ऑफ बी. एड. प्रोग्राम इश्यूज, प्रेडिक्मेन्ट्स एंड सजेशन. International Journal 163
3. द्विवेदी, डॉ. रोली, (2016). ज्ञान तथा पाठ्यक्रम आगरा : अग्रवाल पब्लिकेशन
4. गर्ग, श्वेता. (2019). पुरुष और महिला बी.एड. प्रशिक्षुओं में बी.एड. प्रशिक्षण कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं के प्रति दृष्टिकोण International Journal of arts, humanities and management studies- 5(8), 1—10.
5. गुप्ता, सुमन (2019). परसेप्शन एण्ड एक्सपीरियन्स ऑफ बी.एड. स्टुडेंट्स अबाउट इंटरनशिप एण्ड सेशनल वर्क. MIER Journal of Educational Studies- 9 (1), 109—120.
6. महाजन, अभिषेक. व राणा, सुदर्शन (2017). प्रोब्लम्स फेस्ड बाय पुपिल टीचर्स ड्यूरिंग टु ईयर बी.एड. प्रोग्राम. Journal of Emerging Technology and Innovative Research, Vol 4 (11), ISSN- 23495162. pp. 202—203.
7. न्वानोरो, जे, (2016). चेलेन्जेस ऑफ स्टूडेंट टीचर्स ड्यूरिंग टीचिंग प्रैक्टिस इन नाइजीरिया, Journal of Education policy and Entrepreneurial Research, vol .4(5), PP. 30—36.
8. ओगोनोर और बेडमस, एम. एम. (2006). रिफ्लेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिस अमंग स्टूडेंट टीचर्स: द केस इन ए टेरेटरी इंस्टीट्यूशन इन नाइजीरिया. Australian Journal of Teacher Education, Vol.31(2).
9. पारीक, सुमन. (2018). लिंग एवं संकाय के आधार पर बी.एड. पाठ्यक्रम के सैद्धांतिक व प्रायोगिक कार्यक्रमों की सार्थकता, 167

शंकराचार्य एवं चैतन्य महाप्रभु के चिंतन : एक अध्ययन

डॉ० अनिल कुमार तिवारी*

*असि0प्रो०, दर्शनशास्त्र विभाग, राष्ट्रीय पी0जी0 कालेज, सुजानगंज, जौनपुर, उ०प्र०

सारांश : शंकर के अनुसार यह जगत् जो सत्य प्रतीत होता है वह माया के कारण होता है। शंकराचार्य जगत् के मिथ्यात्व को प्रमाणित करते हुए जगत् के कारण रूप में माया की सत्ता को स्वीकार करते हैं तथा यह प्रमाणित करते हैं कि यह जगत् माया का परिणाम है। माया के कारण ही यह जगत् सत्य प्रतीत होता है। शंकराचार्य स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि यदि माया है अज्ञान है तभी यह जगत् है। की समाप्ति पर यह जगत् भी समाप्त हो जाता है। 19 जिस प्रकार कोई माया जादू से या माया से दर्शकों को प्रभावित कर देता है पर स्वयं अपनी जादूगर माया या जादू से प्रभावित नहीं होता उसी प्रकार ईश्वर अपनी माया से जीवों को प्रभावित तो कर देता पर स्वयं अपनी माया से तनिक भी प्रभावित नहीं होता। इस प्रकार शंकराचार्य ब्रम्ह और माया का भी अभेद प्रमाणित कर देते हैं, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार शंकर ब्रम्ह और माया में किसी भी प्रकार के विभेद को स्वीकार नहीं करते।

मुख्य शब्द : माया, सत्ता, आवरण शक्ति, जगत् मिथ्या, मायाधीन शक्ति, मोक्ष आदि।

शंकर की दृष्टि में जगत् सृष्टि पारमार्थिक दृष्टि से असत् है, मिथ्या है, क्योंकि यह जगत् माया या अविद्या का ही परिणाम है। माया जगत् सृष्टि के सम्बन्ध में अपनी दोनों ही शक्तियों का प्रयोग करती है। आवरण शक्ति और विच्छेप शक्ति। आवरण शक्ति के द्वारा माया ब्रम्ह के स्वरूप का आवरण करती है तथा विच्छेप शक्ति के द्वारा उसे अन्य रूप में प्रदर्शित करती है। इसलिये यह ब्रम्हमय जगत्, वस्तुमय जगत् के रूप में तो प्रतीत होता है वह माया के विच्छेप का ही परिणाम है। माया के विच्छेप के ही कारण जगत् की सम्पूर्ण क्रियाएँ यथार्थ के रूप में प्रतीत होती हैं। जबकि तात्त्विक दृष्टि से उस रूप में उनकी यथार्थता नहीं होती यथार्थता तो एकमात्र सत्ता ब्रम्ह की ही है। इसीलिए तत्त्व की विवेचना करते हुए शंकर ने ब्रम्ह सत्य, जगत् मिथ्या की अवधारणा को प्रमाणित किया। यही शंकर का जीव, जगत् एवं माया है। अब चैतन्य महाप्रभु के दार्शनिक विचारों का (जीव, जगत्, माया) का अध्ययन आचार्य शंकर के परिपेक्ष्य में करने का प्रयास करेंगे। महाप्रभु शंकराचार्य जहाँ तक जीव को माया से ग्रसित मानते हैं वहीं पर चैतन्य ने परब्रम्ह श्री कृष्ण को सर्वोत्तम मानते हैं और जीव को उनका नित्य दास सेवक के रूप में मान्यता प्रदान की है। चैतन्य मतानुसार जीव श्री कृष्ण की तीन शक्तियों में से तटस्थ शक्ति है।

जीव नाम तटास्थाख्य एक शक्ति ह्य।' शक्तिमान श्री कृष्ण व शक्ति—रूप जीव में परस्पर भेदाभेद सम्बन्ध है। परब्रम्ह श्री कृष्ण विभूचित् एवं जीव आयुचित है। जीव भगवान का अंश है किन्तु जैसा कि बलदेव विद्याभूषण स्पष्ट लिखा है कि ब्रम्ह के अंश होने से जीव को ब्रम्ह के समान नहीं समझ लेना चाहिए, क्योंकि ब्रम्ह के साथ यह अंशत्व विभिन्नांश रूप में ईश्वर के अवतारों के सदृश्य स्वांश रूप में नहीं।²

स्वांश रूप में भगवान की अर्न्तरंग स्वरूप शक्ति विद्यमान रहती है जबकि विभिन्नांश रूप में जीव में शुद्ध स्वरूप शक्ति नहीं है। जीव—जीव शक्ति (तटस्थ) विशिष्ट ब्रह्म का अंश है। शुद्ध स्वरूप शक्ति सम्बन्धित ब्रह्म का नहीं।³ शंकराचार्य ने एक मात्र ब्रह्म को सत्य निरोधक तत्त्व माना, परन्तु कहा कि चेतन होने के कारण जीव शक्ति जड़ माया शक्ति से उत्कृष्ट है। जीव भगवान के चित्कण का एक क्षुद्र अंश है और षडैश्वर्यपूर्ण श्री कृष्ण सूर्य के समान है। ज्वलन्त अग्नि राशि और एक क्षुद्र चिनगारी जैसे कभी समान नहीं हो सकते, चैतन्य महाप्रभु ने जीव और ईश्वर कभी समान नहीं हो सकते।⁴ परन्तु इस भेद के साथ ही दोनों में चित् का अस्तित्व रहने से अभेद भी है अर्थात् 'भेदाभेद है।

जीव परतन्त्र है और ब्रह्म स्वतन्त्र स्वरूप एवं सामर्थ्य में अणुचित विभूचित् ब्रह्म से सदैव भिन्न होता है। ईश्वर का नियन्त्रण होते हुए भी अणु होने का अर्थ यह नहीं है कि जीव की कोई स्वतन्त्र कार्य इसीलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इसे अणु स्वतन्त्र कहा है। वस्तुतः श्रीकृष्ण सेवा विधान के लिए ही उसका यह अणु—स्वतन्त्र है, सांसारिक सुख—विधान के लिए नहीं है। से मुग्ध होकर वह मायाधीन होता है। ईश्वर एवं जीव में मायाधीन व मायाधीन शक्ति नहीं है माया का अन्तर है।⁵ जीव गोस्वामी ने 'तदप्राप्त्याम' कह कर माया को ईश्वर की अनुगता⁶ इस प्रकार जीव एवं यया सम्मोहितः' कहकर जीव को माया से मुग्ध बताया है। मायाधीन है और माया ईश्वराधीन। श्री कृष्ण विमुखता से जीव मायाबद्ध होता है एवं श्रीकृष्ण—कृपा से ही वह माया मुक्त भी होता है। मुक्तावस्था में जीव 'ब्रह्मनन्द सहोदर ब्रह्म सदृश आनन्द की प्राप्ति करते हैं तथापि वे ब्रह्म नहीं होते उनके पृथक् बने रहते हैं। ब्रह्म स्वरूप होते हुए भी मुक्तावस्था में जीवात्माएँ दिव्य लोक में अपने पद को ईश्वर के दास के रूप में अनुभव करती हैं। ईश्वर में नहीं होती। यहां भी अभेद में भेद की परिकल्पना ही सिद्ध होती है।⁷

शंकराचार्य ने ब्रह्म को सत्य माना तथा जगत् मिथ्या पर तुलनात्मक विवेचन में चैतन्य महाप्रभु का जगत् एवं शंकर के जगत् में भिन्नता है। जैसे चैतन्य दर्शन के अनुसार जगत् भी जीव की भांति ब्रह्म से उद्भूत है एवं उनमें परस्पर भेदाभेद संबंध है। भगवान की बहिरंग शक्ति अर्थात् माया शक्ति के दो भेद है — जीवमाया और गुणमाया। जीवमाया जगत् का निमित्त कारण है और गुणमाया जगत् का उपादान कारण है⁸ जगत् पर ब्रह्म श्री कृष्ण का अविकृत परिणाम है यथा—स्यमन्तक जगत् मणि प्रतिदिन सोना प्रसव करती हुई भी स्वयं विकारहीन रहती है, उसी प्रकार ईश्वर में अनेक पदार्थों का रूप धारण करते हुए भी स्वयं सर्वदा अविकारी रहता है।⁹ परमात्मा का अविकृत परिणाम होने के कारण यह जगत् न तो मिथ्या है और न ही परमात्मा से बिल्कुल भिन्न। श्री बलदेव उपाध्याय ने कहा है— चैतन्य मत में जगत् नितरां सत्य भूत पदार्थ है, क्योंकि यह सत्य संकल्प सर्वविद श्री हरि की बहिरंग परमात्मा का शक्ति का विलास है यह 'अक्षय तथा नित्य है।'¹⁰ यद्यपि जीव गोस्वामी के अनुसार जगत् 'रज्जु सर्ववत् मिथ्या' न होते हुए भी घटवत् नश्वर है। परन्तु यहाँ नश्वरता का तात्पर्य केवल अव्यक्तता से है।¹¹ इससे स्पष्ट है कि शंकराचार्य के जगत् मिथ्या के स्थान पर चैतन्य महाप्रभु घटवत् नश्वर माना है। शंकराचार्य से तुलना करने पर स्पष्ट होता है कि चैतन्य मत में काफी अन्तर दिखाई देता है जैसे बलदेव विद्याभूषण ने एक उदाहरण द्वारा इसे स्पष्ट किया कि 'वनलीन विहंगवत्' जगत् ब्रह्म में अनाम्यक्त रूप से विद्यमान रहता है। अर्थात् जिस प्रकार वन में पक्षियों की सत्ता रात्रि—काल में विद्यमान रहते हुए भी व्यक्त नहीं होती, उसी प्रकार प्रलय काल सृष्टि के नष्ट हो जाने पर भी जगत् ब्रह्म में अव्यक्त रूप से विद्यमान रहते हुए रहता

है। जगत् और ब्रह्म के इस सम्बन्ध में भेदाभेद स्थापित होता है। चूँकि ब्रह्म से उद्भूत होते हुए भी उन्हीं की भाँति सत्य एवं नित्य है अतः स्वरूप दृष्टि से उनमें परस्पर अभेद है परन्तु गुणों की दृष्टि से उनमें भेद है। नित्य होते हुए भी जगत् का आविर्भाव एवं तिरोभाव होता रहता है। तिरोभाव के आधार पर जगत् की जीवों की अनाशक्ति के लिए कथित है। जगत् ईश्वरधीन है अर्थात् सृष्टि के नियामक, पालक एवं संहारक परब्रह्म श्री कृष्ण ही है। अनित्यता इस प्रकार जगत्, ईश्वर की शक्ति से उद्भूत तुलनात्मक अध्ययन हुआ न तो उनमें पूर्ण एकत्व है और भाव, अपितु यहाँ भी दुर्बोध भेदाभेद ही सत्य है अर्थात् 'अचिन्त्य भेदाभेद सम्बन्ध' है।

परब्रह्म श्री कृष्ण का गुण माया के रूप में प्रकृति नित्य है। जड़ होने पर भी प्रकृति श्री कृष्ण कृपा शक्ति प्राप्त कर जगत् का गौण उपादान कारण-बकरी के गले में रहने वाले स्तन के समान अर्थात् केवल दिखावा-मात्र है "प्रकृतिकरण येछे 'अजागलस्तन' (च0च01-5-53)। एक दृष्टान्त देते हुए भी श्री कृष्णदास कविराज का कथन है कि घटादि का निमित्त कारण (बनाने वाला) जैसे कुम्हार है और उसके सहायक चक्र दण्डादि हैं, उसी प्रकार जगत् का निमित्त कारण पुरुषावतार श्री कृष्ण है एवं जगत् की रचना में प्रकृति (गुणमाया) उनकी सहायक मात्र है।¹² इस प्रकार जीव, जगत्, प्रकृति आदि पर ब्रह्म श्री कृष्ण के अंश रूप होते हुए भी उनमें स्वरूपतः पूर्ण रूप से भिन्न भी नहीं है और अधीन-अधीश सम्बन्ध होते हुए सामर्थ्य गुणों की दृष्टि से अभिन्न भी नहीं है अर्थात् उनमें न तो परस्पर रात्रभेद कहा जा सकता है आर न अभेद। यह भेदाभेद चिन्तन से परे है, इसलिए "अचिन्त्य भेदाभेद है" तुलना करने पर स्पष्ट होता है कि शंकर के चिन्तन से चैतन्यमहाप्रभु का चिन्तन ठीक विपरीत है।

तुलनात्मक अध्ययन के अन्तर्गत शंकर एक ओर जहाँ जीव और ब्रह्म की एकाकारता को प्रमाणित करते हैं वहीं वे मुक्ति के सिद्धान्त को भी दार्शनिक शंकर ने मुक्ति के लिए मोक्ष। दृष्टि से प्रमाणित करते हैं। शब्द का प्रयोग किया है। चूँकि जीव का बन्धन अविद्याकृत है। इसलिए अद्वैत वेदान्त दर्शन में यह प्रमाणित किया गया कि अविद्या निवृत्तिरेवमोक्षः अर्थात् अविद्या की निवृत्ति ही मोक्ष है। जीव परमार्थतः ब्रह्म स्वरूप एवं नित्य मुक्त है। वह अनादि अविद्या के कारण अपने पारमार्थिक स्वरूप को भूलकर अपने को बन्धन में पाता है। इसी कारण आचार्य शंकर ने दार्शनिक दृष्टि से प्रमाणित किया कि अविद्या को दूर करना ही मोक्ष है।

शंकराचार्य का चैतन्य महाप्रभु के मोक्ष की तुलना करने पर स्पष्ट होता है कि चैतन्य दर्शन के सारभूत-सिद्धान्त-अचिन्त्य-भेदाभेदवाद की केन्द्रीय विचारधारा यह है कि यह नित्य है। अमुक अवस्था में सांसारिक रूप में ब्रह्म एवं जीव का भेदाभेद सम्बन्ध होता ही है परन्तु मुक्तावस्था में भी यह विद्यमान रहता है। बौद्ध दर्शन के 'निर्वाण' द्वारा जीव अन्तिम रूप से मुक्त हो जाता है। एवं ज्ञान मार्गियों के योग साधना द्वारा भी अन्तिम रूप से जीव मुक्तावस्था में ब्रह्म में लीन हो जाता है। दोनों में ही जीव एवं ब्रह्म का अभेद होता है। परन्तु चैतन्य दर्शन में इससे भी ऊपर की अवस्था का वर्णन है जहाँ जीव अन्तिम रूप से कभी मुक्त नहीं होता और संसार मुक्त होते हुए भी भगवान के नित्य दास के रूप में रहता है पर भगवान में कभी विलीन नहीं होता। चैतन्य भक्त कभी भगवान नहीं बनना चाहता क्योंकि मिश्री कभी अपने माधुर्य का रसास्वादन नहीं कर सकती, इसी प्रकार भक्त भगवान बनकर उनके माधुर्य के रसास्वादन से वंचित रह जाता है इसलिए मुक्तावस्था में जीव ब्रह्म श्री कृष्ण का सामीप्य पाकर भी, उनमें भिन्न रहते हुए चिर दास के रूप में अवर्णनीय आनन्द प्राप्त करता है यही नित्य भेदाभेद है।

आचार्य शंकर के मोक्ष सम्बन्धी विचारों का तुलना करने पर चैतन्य महाप्रभु के मोक्ष में भक्त ब्रह्म के सामीप्य पा कर दास बने रहते हैं। परन्तु शंकर के मोक्ष जीव अपने पूर्व अवस्था को पाकर ब्रह्म हो जाता है। जैसे आचार्य शंकर कहते हैं कि यदि अविद्या के आवरण के कारण ही जीव की सत्ता है। तो यह आवरण ही बन्धन है तथा आवरण का समापन ही मोक्ष है। इस कथन का तात्पर्य यह है कि जब तक आवरण है तब तक बन्धन बना रहेगा। आवरण के समाप्त होने पर बन्धन भी स्वतः समाप्त हो जायेगा। अविद्या के दूर होते ही ज्ञानोदय के साथ ही आत्मा को अपने नित्य रूप का साक्षात्कार होता है। परिणामस्वरूप वह मुक्त हो जाता है। इस अवस्था में जीव और ब्रह्म की एकाकारता हो जाती है। इसीलिए शंकर ने इस तथ्य को प्रमाणित किया कि ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। अर्थात् ब्रह्म को जानने वाला स्वयं ब्रह्म हो जाता है। दोनों में एकाकारता हो जाती है। स्वरूपगत विभेद समाप्त हो जाता है तथा जीव को ब्रह्म से पृथक् अपनी स्वतंत्र सत्ता की अनुभूति नहीं होती यह अनुभूति का न होना ही मोक्ष है।

मोक्ष ब्रह्मभाव या ब्रह्मसाक्षात्कार है। (ब्रह्माभावश्च मोक्षः) यह जीव द्वारा अपनी ही आत्मा का साक्षात्कार है। मोक्ष की स्थिति में जीव अपने यथार्थ स्वरूप को धारण करता है। पुनः मोक्ष दुःखनिवृत्ति मात्र नहीं है। अपितु आनन्दामूति भी है। चित्सुखाचार्य का कथन है कि आनन्दमय का साक्षात्कार ही मोक्ष है। शंकराचार्य मोक्ष का स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि यह परमार्थिक सत् का कूटस्थ नित्य आकाश के समान सर्वव्यापी सभी क्रियाओं से रहित नित्य तृप्त निरवयव एवं स्वयं ज्योति स्वभाव ह। मोक्ष की अवस्था में मोक्ष एवं अधर्म अपने कार्य सुख एवं दुःख के साथ तीनों कालों में सम्बन्ध नहीं रखते। यह शरीररहित अवस्था ही मोक्ष है।¹³ जब जीव सच्चिदानन्द से एकाकार हो जाता है तो सच्चिदानन्द के आनन्द तत्त्व में वह विलीन हो जाता है। परिणामस्वरूप वह आनन्द की अनुभूति नहीं करता अपितु आनन्दमय हो जाता है।

अद्वैत वेदान्त में मोक्ष के दो भेद प्राप्त होते हैं। जीवनमुक्ति और विदेह। इसी जीवन में ही मोक्ष प्राप्त होना जीवन मुक्ति है जीव ब्रह्मेकत्व की अपरोक्षानुभूति होने पर जीव इसी जीवन में मुक्त हो जाता है। शरीर-पात के अनन्तर प्राप्त होने वाली मुक्ति विदेह मुक्ति है। जिस प्रकार केचुल उतारकर फेंक देने पर सर्प की उसमें कोई आसक्ति नहीं होती उसी प्रकार जीवन मुक्ति को अपने शरीर में कोई आसक्ति नहीं होती। जीवन मुक्ति जब भौतिक उपाधियों (शरीर आदि) से अलग हो जाता है तो उसकी अवस्था को विदेह मुक्ति कहते हैं। जब जीवन मुक्ति के प्रारब्ध कर्मों का भोग समाप्त हो जाता है तब उसका शरीर नहीं रहता, क्योंकि यह शरीर प्रारब्ध कर्मों का फल है। इस प्रकार स्थूल एवं सूक्ष्म शरीरों के अन्त के परिणामस्वरूप जीवन मुक्ति की अवस्था को विदेह मुक्ति कहते हैं।

अविद्यालेश के कारण मुक्त पुरुष का शरीर कुछ समय के लिए बना रहता है। जिस प्रकार जली हुई रस्सी में ऐंठन बनी रहती है। कुम्भकार का चाक एक बार चलाने के बाद भी तब तक चलता रहता है। जब तक उसमें वेग का संस्कार बना रहता है। उसी प्रकार अविद्या निवृत्ति के बाद भी प्रारब्ध कर्म के कारण जो अज्ञान का विक्षेपाश रहता है। वह अविद्यालेश है। उस अविद्या लेश के कारण उसे दिनों तक शरीर धारण करना पड़ता है। अद्वैत वेदान्ती के अनुसार जीवन्मुक्त देहस्थ नहीं है। उसका देह उसे व्याप्त नहीं करता है।

शंकराचार्य चैतन्य महाप्रभु के चिन्तन में सिद्धान्तों का तुलनात्मक अध्ययन के अन्तर्गत चैतन्य महाप्रभु के अनुसार मोक्ष के लिए भगवान को अपने वश में करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग चैतन्य मत के अनुसार भक्ति ही है। कर्म का उपयोग चित्त की शुद्धि कर उसे ज्ञान तथा शक्ति का उपयुक्त आधार बनाने में है। भक्तिरस की सांगोपांग कल्पना चैतन्य मत की मुख्य विशेषता है। प्रसिद्ध

वैष्णव दर्शनों के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि इनमें ज्ञान की अपेक्षा भक्ति की ही प्रधानता है। वैष्णव सम्प्रदायों में भगवान का साकार सगुण सविशेष भाव ही मान्य है। “विदेह मुक्ति की कल्पना ही आदरणीय है, ‘जीवनमुक्ति’ की नहीं। विदेह मुक्ति होने पर ही जीव भगवान् के सानिध्य में आनन्दमय जीवन बिताता है। सामीप्यादि चतुर्विद की कल्पना में भगवान् तथा भक्त का किंचित् अंश में भेद बना ही रहता है। सायुज्य मुक्ति में दोनों की एकरूपता होने पर भी किंचिन्मात्र भेद उसी प्रकार रहता है जिस प्रकार दो वृत्तों के एक दूसरे के ऊपर रखने से एकाकार होने पर भी उनमें परस्पर भेद किंचित् रहता ही है।

सन्दर्भ :

1. शारीरिकभाष्य, 2-1-91
2. चौतन्य चरितामृत, 1-5-38 एवं 2-20-101, 102
3. गोविन्दभाष्य बलदेव विद्याभूषण, 2-3-47
4. परमात्मा संदर्भ —जीव गोस्वामी, श्लोक 31
5. चौ० च० 2-18-105-106
6. श्री चौतन्य महाप्रभु: सांस्कृति और साहित्य
7. मायाधीश मायावश ईश्वर जीवे भेद। चौ०च०2-6-148
8. तत्त्व संदर्भ, पृ० 82
9. तदैवनिमित्तांशो जीवमाया, उपादानांशो गुणमाया” — भगवत्सन्दर्भ, पृ० 68
10. चौ० च०, 2-6-155
11. भागवत् सम्प्रदाय— बलदेव उपाध्याय, पृ० 524
12. चौतन्य चरितामृत 1-5-55-56
13. इदं तु पारमार्थिक कूटस्थ, नित्य व्योमवत् सर्वव्यापि नित्य तृप्तं निरवयवं मोक्षाख्यं 1 ब्रह्मसूत्र भाष्य1-1-41

कौशल विकास के हेतु आर्थिक सहायता व प्रशिक्षण प्रदान करना

डॉ० सुनीत कुमार सिंह*

*रामबहन सिंह शिक्षण संस्थान, चोरहा बरईपार, जौनपुर, उ०प्र०

सारांश : वर्तमान में भारत सरकार के 20 से अधिक मंत्रालयों एवं विभागों के मार्गदर्शन में 40 से अधिक कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास की आवश्यकता को समझते हुए भारत सरकार ने 31 जुलाई 2014 को कौशल विकास उद्यमशीलता विभाग मंत्रालय बना दिया। यह शोध पत्र पूर्व के अध्ययन से अलग एवं समाज के लिए महत्वपूर्ण है। शोधपत्र पुस्तकालीय एवं विश्लेषणात्मक विधि पर आधारित है। यह अध्ययन शोधार्थियों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है।

मुख्य शब्द : कौशल विकास, कुशल जनशक्ति, तकनीकी शिक्षा, विषमता, कम्प्यूटर शिक्षा सूचना प्रौद्योगिकी आदि।

भारत सरकार के 20 से अधिक मंत्रालयों एवं विभागों के मार्गदर्शन में 40 से अधिक कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य किये जाते हैं – 1. कौशल विकास के लिए ढाँचा विकसित करने का कार्य। 2. कुशल जनशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच विषमता को दूर करने के लिए व्यवसायिक और तकनीकी शिक्षा का विस्तार करना। कौशल का स्तर बढ़ाने कौशल निर्मित करने तथा अन्य कौशल विकास योजनाओं के साथ समन्वय स्थापित करना। 3. कौशल विकास से सम्बन्धित समन्वय की भूमिका। 4. कौशल विकास के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना। 5. उद्योग संस्थान सम्पर्क। 6. इस कार्य में सार्वजनिक निजी भागीदारी तत्व को लाना ऐसे उद्योगों के साथ 7. भागीदारी करना जिनके कुशल जनशक्ति को आवश्यकता है। 8. बाजार की आवश्यकता और कौशल विकास के सम्बन्ध में सभी अन्य मंत्रालयों और विभागों के लिए विस्तृत नीतियाँ बनाना। 9. सॉफ्ट कौशलों के लिए नीतियों को तैयार करना। 10. कम्प्यूटर शिक्षा सूचना प्रौद्योगिकी सम्बन्धित व्यापक कौशल विकास। 11. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से संबंधित कार्य। 12. राष्ट्रीय कौशल विकास निगम।

जौनपुर जनपद के ग्रामीण/शहरी युवक-युवतियाँ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात जिले के गरीब वर्ग के उद्यमी इस योजना के माध्यम से नवीन उद्योग की स्थापना कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में जब उत्तरदाताओं से यह प्रश्न पूछा गया कि कोई निजी तथा गैर सरकारी संगठन किसी उद्यमी को आर्थिक सहायता व प्रशिक्षण प्रदान करता है? तो उत्तरदाताओं ने यह विचार व्यक्त किया कि कोई निजी तथा गैर सरकारी संगठन किसी उद्यमी को आर्थिक सहायता व प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह तथ्य निम्न सारणी संख्या- 7:6 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है।

सारणी संख्या-7:6

किसी निजी तथा गैर सरकारी संगठन, किसी उद्यमी को आर्थिक सहायता व प्रशिक्षण प्रदान करने से सम्बन्धित

उत्तरदाता	कोई निजी तथा गैर सरकारी संगठन किसी उद्यमी को आर्थिक सहायता व प्रशिक्षण प्रदान करने से सम्बन्धित			प्रतिशत
	हाँ	नहीं	कुछ मामलों में	
ग्रामीण युवक	59 (65.56)	12 (13.33)	19 (21.11)	90 (100.00)
ग्रामीण युवतियाँ	32 (53.33)	10 (16.67)	18 (30.00)	60 (100.00)
शहरी युवक	50 (64.10)	11 (14.10)	17 (21.80)	78 (100.00)
शहरी युवतियाँ	47 (65.28)	9 (12.50)	16 (22.22)	72 (100.00)
योग	188 (62.67)	42 (14.00)	70 (23.33)	300 (100.00)

उपरोक्त सारणी संख्या 7:6 के विश्लेषण से यह तथ्य परिलक्षित होता है कि ग्रामीण युवक के 90 उत्तरदाताओं में से 65.56% उत्तरदाता इस तथ्य से सहमत हैं कि कोई निजी तथा गैर सरकारी संगठन किसी उद्यमी को आर्थिक सहायता व प्रशिक्षण प्रदान करता है, 13.33% उत्तरदाता इस तथ्य से असहमत हैं कि कोई निजी तथा गैर सरकारी संगठन किसी उद्यमी को आर्थिक सहायता व प्रशिक्षण प्रदान करता है एवं 21.11% उत्तरदाताओं ने यह विचार व्यक्त किया है कि कोई निजी तथा गैर सरकारी संगठन किसी उद्यमी को कुछ मामलों में आर्थिक सहायता व प्रशिक्षण प्रदान करता है।

ग्रामीण युवतियों के 60 उत्तरदाताओं में से 53.33% उत्तरदाता इस तथ्य से सहमत हैं कि कोई निजी तथा गैर सरकारी संगठन किसी उद्यमी को आर्थिक सहायता व प्रशिक्षण प्रदान करता है, 16.67% उत्तरदाता इस तथ्य से असहमत हैं कि कोई निजी तथा गैर सरकारी संगठन किसी उद्यमी को आर्थिक सहायता व प्रशिक्षण प्रदान करता है एवं 30% उत्तरदाताओं ने यह विचार व्यक्त किया है कि कोई निजी तथा गैर सरकारी संगठन किसी उद्यमी को कुछ मामलों में आर्थिक सहायता व प्रशिक्षण प्रदान करता है।

शहरी युवक के 78 उत्तरदाताओं में से 64.10% उत्तरदाता इस तथ्य से सहमत हैं कि कोई निजी तथा गैर सरकारी संगठन किसी उद्यमी को आर्थिक सहायता व प्रशिक्षण प्रदान करता है, 14.10% उत्तरदाता इस तथ्य से असहमत हैं कि कोई निजी तथा गैर सरकारी संगठन किसी उद्यमी को आर्थिक सहायता व प्रशिक्षण प्रदान करता है एवं 21.80% उत्तरदाताओं ने यह विचार व्यक्त किया है कि कोई निजी तथा गैर सरकारी संगठन किसी उद्यमी को कुछ मामलों में आर्थिक सहायता व प्रशिक्षण प्रदान करता है।

शहरी युवतियों के 72 उत्तरदाताओं में से 65.28% उत्तरदाता इस तथ्य से सहमत हैं कि कोई निजी तथा गैर सरकारी संगठन किसी उद्यमी को आर्थिक सहायता व प्रशिक्षण प्रदान करता है, 12.50% उत्तरदाता इस तथ्य से असहमत हैं कि कोई निजी

तथा गैर सरकारी संगठन किसी उद्यमी को आर्थिक सहायता व प्रशिक्षण प्रदान करता है एवं 22.22% उत्तरदाताओं ने यह विचार व्यक्त किया है कि कोई निजी तथा गैर सरकारी संगठन किसी उद्यमी को कुछ मामलों में आर्थिक सहायता व प्रशिक्षण प्रदान करता है।

इस प्रकार सारणी संख्या 7:6 के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाता इस तथ्य से सहमत हैं कि कोई निजी तथा गैर सरकारी संगठन किसी उद्यमी को आर्थिक सहायता व प्रशिक्षण प्रदान करता है।

इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लिये जाने से सम्बन्धित : पहले गैर सरकारी संगठन अपना सहयोग नहीं देता था। इस सम्बन्ध में जब उत्तरदाताओं से यह प्रश्न पूछा गया कि इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लिया जा रहा है? तो उत्तरदाताओं ने यह विचार व्यक्त किया कि इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए गैर सरकारी संगठन को सहयोग लिया जा रहा है। यह तथ्य निम्न सारणी संख्या— 7:7 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है।

सारणी संख्या— 7:7

इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लेने से सम्बन्धित

उत्तरदाता	इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लेने से सम्बन्धित			प्रतिशत
	हाँ	नहीं	थोड़ा बहुत	
ग्रामीण युवक	58 (64.44)	7 (7.78)	25 (27.78)	90 (100.00)
ग्रामीण युवतियाँ	30 (50.00)	10 (16.67)	20 (33.33)	60 (100.00)
शहरी युवक	50 (64.10)	6 (7.69)	22 (28.21)	78 (100.00)
शहरी युवतियाँ	46 (63.89)	8 (11.11)	18 (25.00)	72 (100.00)
योग	184 (61.33)	31 (10.33)	85 (28.34)	300 (100.00)

उपरोक्त सारणी संख्या—7:7 के विश्लेषण से यह तथ्य परिलक्षित होता है कि ग्रामीण युवक के 90 उत्तरदाताओं में से 64.44% उत्तरदाता इस तथ्य से सहमत हैं कि इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लिया जा रहा है, 7.78% उत्तरदाता इस तथ्य से असहमत हैं कि इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए गैर सरकारी संगठनों को सहयोग लिया जा रहा है एवं 27.78% उत्तरदाताओं ने यह विचार व्यक्त किया है कि इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए गैर सरकारी संगठनों का सहयोग थोड़ा बहुत लिया जा रहा है।

ग्रामीण युवतियों के 60 उत्तरदाताओं में से 50% उत्तरदाता इस तथ्य से सहमत हैं कि इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लिया जा रहा है, 16.67% उत्तरदाता इस तथ्य से असहमत हैं कि इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लिया जा रहा है एवं 33.33% उत्तरदाताओं ने यह विचार व्यक्त किया है कि इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए गैर सरकारी संगठनों का सहयोग थोड़ा बहुत लिया जा रहा है।

शहरी युवक के 78 उत्तरदाताओं में से 64.10% उत्तरदाता इस तथ्य से सहमत हैं कि इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लिया जा रहा है, 7.69% उत्तरदाता इस तथ्य से असहमत हैं कि इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लिया जा रहा है एवं 28.21% उत्तरदाताओं ने यह विचार व्यक्त किया है कि इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए गैर सरकारी संगठनों का सहयोग थोड़ा बहुत लिया जा रहा है।

शहरी युवतियों के 72 उत्तरदाताओं में से 63.89% उत्तरदाता इस तथ्य से सहमत हैं कि इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लिया जा रहा है, 11.11% उत्तरदाता इस तथ्य से असहमत हैं कि इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लिया जा रहा है एवं 25% उत्तरदाताओं ने यह विचार व्यक्त किया है कि इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए गैर सरकारी संगठनों का सहयोग थोड़ा बहुत लिया जा रहा है।

इस प्रकार सारणी संख्या 7:7 के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाता इस तथ्य से सहमत हैं कि इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लिया जा रहा है।

निष्कर्ष : जौनपुर जनपद के ग्रामीण/शहरी युवक-युवतियाँ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात जिले के गरीब वर्ग के उद्यमी इस योजना के माध्यम से नवीन उद्योग की स्थापना कर सकते हैं। कोई निजी तथा गैर सरकारी संगठन किसी उद्यमी को आर्थिक सहायता व प्रशिक्षण प्रदान करता है। ग्रामीण युवक 65.56 प्रतिशत उत्तरदाता, ग्रामीण युवतियाँ 53.33 प्रतिशत उत्तरदाता, शहरी युवक 64.10 प्रतिशत उत्तरदाता, शहरी युवतियाँ 65.28 प्रतिशत उत्तरदाता इस को मानते हैं कि कोई निजी तथा गैर सरकारी संगठन किसी उद्यमी को आर्थिक सहायता व प्रशिक्षण प्रदान करता है। सम्पूर्ण उत्तरदाताओं में से 62.27 प्रतिशत उत्तरदाता इस तथ्य को मानते हैं कि कोई निजी तथा गैर सरकारी संगठन किसी उद्यमी को आर्थिक सहायता व प्रशिक्षण प्रदान करता है। (सारणी संख्या 7:6)

पहले गैर सरकारी संगठन अपना सहयोग नहीं देते थे। इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए गैर सरकारी संगठनों को सहयोग लिया जा रहा है। ग्रामीण युवक 64.44 प्रतिशत उत्तरदाता, ग्रामीण युवतियाँ 50 प्रतिशत उत्तरदाता, शहरी युवक 64.10 प्रतिशत उत्तरदाता, शहरी युवतियाँ 63.89 प्रतिशत उत्तरदाता इस को मानते हैं कि इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए गैर सरकारी संगठनों को सहयोग लिया जा रहा है। सम्पूर्ण उत्तरदाताओं में से 61.33 प्रतिशत उत्तरदाता इस तथ्य को मानते हैं कि इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए गैर सरकारी संगठनों को सहयोग लिया जा रहा है। (सारणी संख्या 7:7)

इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि कोई निजी तथा गैर सरकारी संगठन किसी उद्यमी को आर्थिक सहायता व प्रशिक्षण प्रदान करने के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं ने स्पष्टतः इस तथ्य को स्वीकार किया है कि कोई निजी तथा गैर सरकारी संगठन किसी उद्यमी को आर्थिक सहायता व प्रशिक्षण प्रदान करता है।

इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए गैर सरकारी संगठनों को सहयोग लिये जाने के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं ने स्पष्टतः इस तथ्य को स्वीकार किया है कि इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए गैर सरकारी संगठनों को सहयोग लिया जा रहा है।

सन्दर्भ :

1. Dash, L.N., Infrastructure Development and the Indian Economy, Deep & Deep Publications Pvt. Ltd. New Delhi, 2010
2. Ramesh, Nakkiram G., Research Methods in Rural Development, Deep & Deep Publications Pvt. Ltd. New Delhi, 2009
3. Jain, J.N. Modern, Industrial Relations and Labour Laws, Bhola Ajay Deep & Deep Publications Pvt. Ltd. New Delhi, 2006

समकालीन कला जगत में प्रयोगशील शिल्पकार एम० वी० कृष्णन सत्येन्द्र कुमार*

*शोध छात्र, मूर्तिकला विभाग, दृश्यकला संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उ०प्र०

सारांश : डॉ० मुथुवीड वेनुगोपाल कृष्णन की कृतियाँ विभिन्न माध्यमों में रचित हैं जैसे— पत्थर, लकड़ी, टेराकोटा, काँस्य, प्लास्टिक आदि। सभी माध्यमों के शिल्पों में शिल्पकार की कला कौशल की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। भारतीय शिल्प जगत में इनकी कलाकृतियाँ समय के बदलते परिवेश में अन्वेषण का परिचायक हैं। एम० वी० कृष्णन भारतीय मूर्तिकला जगत में एक मूर्धन्य मूर्तिकार के रूप में समाहित हैं, इस तथ्य की महत्वता केवल इस कारण सिद्ध नहीं है कि वे उत्तर प्रदेश के मूर्ति परम्परा को एक नवीन दिशा देने में सफल रहे, वरन् इसका कारण है कि समकालीन भारत की मूर्तिकला जगत में नवीन दृष्टिकोण अपनाते हुये अपने शिल्पों को भावतत्वों से जोड़कर रचनात्मक विधा अपनाये। साथ ही साथ उसे भारतीय सन्दर्भों में विन्यस्त कर अधिक सार्थकता और व्यञ्जकता भी दी।

मुख्य शब्द : समकालीन कला, भारतीय शिल्प, भारतीय मूर्तिकला, बोधात्मक अभिव्यक्ति, लयात्मक आदि।

शिल्पाचार्य कृष्णन का जन्म 15 अप्रैल 1926 को केरल के तिरुवनन्तपुरम में हुआ। कला की प्रारम्भिक शिक्षा इन्होंने (1940-1945) त्रिवेन्द्रम, केरल से प्राप्त किया। बाल्यावस्था में ही कला में इनकी अभिरुचि के बीज अंकुरित हुये परन्तु चित्रविधा के अतिरिक्त मूर्तिविधा ने इनका ध्यान अधिक आकृष्ट किया। मूर्तिविधा की सुदृढ़ता, त्रिआयामी आकार-प्रकार, स्थूलता के कारण इन्होंने बाल्यावस्था में ही मूर्तिकला विधा को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाने का दृढ़ निश्चय किया। फलस्वरूप त्रिवेन्द्रम में कला अध्ययन के दौरान इन्हें कला की शिक्षा के लिये अनेक छात्रवृत्ति प्राप्त हुई। डी०एफ०ए० (डिप्लोमा ऑफ फाइन आर्ट्स) की कला शिक्षा मद्रास के राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय में विख्यात मूर्तिशिल्पी देवी प्रसाद राय चौधरी के निर्देशन एवं सानिध्य में प्रथम श्रेणी (मॉडलिंग) में प्राप्त किये। तत्पश्चात् 50 के दशक में ललित कला विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में मॉडलिंग के प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त हुये। ये काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में 3 दशकों से अधिक समय तक निरन्तर अध्यापन कार्य करते हुये कला संकाय प्रमुख के रूप से सेवानिवृत्त हुये।

श्री एम०वी० कृष्णन एक शिक्षक के रूप में सन् 1966-1968 तक Eugene Oregon University में तथा 1969 तक Oregon University of Carvallis (State) में कार्य किये। इन्होंने अपने अध्ययन एवं अध्यापन काल के दौरान से ही भारत के साथ-साथ विदेशों में भी नेतृत्वकर्ता के रूप में कला का नेतृत्व किये। वे नेपाल, अमेरिका, अफ्रिका से प्राप्त फेलोशिप के आधार पर इन देशों के कलात्मक क्षेत्रों का भ्रमण एवं अध्ययन किया। अध्यापन काल के दौरान इन्होंने 1973 में स्नातकोत्तर की उपाधि मूर्तिकला Oregon University से प्राप्त की। तत्पश्चात् इन्होंने धातु की ढलाई पर “Cireperdue” पर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से पी-एच.डी० की उपाधि से सम्मानित किया गया। सन् 1977-1980 तक अमेरिका से प्राप्त फेलोशिप के आधार पर ये कला प्रवास के लिये अमेरिका गये। जहाँ इन्होंने पाश्चात्य कला के विभिन्न रूपों एवं तकनीकों का अध्ययन किया। इसी समयान्तराल की अवधि में इन्होंने नाईजीरिया के Auchy Polytechnic में आर्ट एण्ड डिजाइन के प्रिन्सिपल सह व्याख्याता तथा मूर्तिकला, सिरामिक विभाग में विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य किये। यह प्रवास इनके मूर्तिशिल्पी जीवन के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण रहा, जिसके फलस्वरूप इनका रुझान आधुनिक कला की प्रयोगवादी व्यक्तित्व की तरफ निरन्तर विकसित होता गया। सन् 1976 में जनक पब्लिकेशन, नई दिल्ली द्वारा Cireperdue Casting in India शीर्षक पर आधारित इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई। विख्यात कला इतिहासकार व कला समीक्षक प्रोफेसर रतन परिमू ने सन् 2008 में प्रकाशित इनकी दूसरी पुस्तक The Art of Sculpture: A complete handbook of methods and materials के लिये अग्रसारण लेख (Forward) लिखा। इन दोनों ही पुस्तकों के विभिन्न अध्यायों में मिट्टी, प्लास्टर, सीमेंट, धातु ढलाई, काष्ठ, रेजीन फाइबर एवं मिश्रित माध्यमों में शिल्प निर्माण प्रयोग विधि व तकनीकी एवं इन माध्यमों में असीमीत सम्भावनाओं पर विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। यह पुस्तक निःसन्देह शिल्पकला में अध्ययनरत एवं शिल्पीयों के लिये अत्यन्त ज्ञानवर्धक तथा लाभकारी है। यद्यपि धातु माध्यम में तकनीकी की पराकाष्ठा पर पहचकर इनको कार्य करने का गौरव प्राप्त हुआ। तथापि इनकी कलाकृतियाँ धातु माध्यमों के साथ-साथ विभिन्न माध्यमों में अविस्मरणीय प्रयोगशील योगदान के लिये पहचान स्थापित कर चुकी है।

विदित है कि एम०वी० कृष्णन धातुकला माध्यम के साथ-साथ विभिन्न माध्यमों में भी सिद्धस्त शिल्पकार थे, जिन्होंने पत्थर, टेराकोटा, लकड़ी, प्लास्टिक आदि माध्यमों के साथ अपनी अभिव्यक्ति को साकार रूप प्रदान किये। इन सभी माध्यमों में इनके प्रयोगशील व्यक्तित्व एवं तकनीकी कौशल की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। इनकी कृतियाँ एकमात्र विषय न होकर अन्वेषण हैं, जो इनके रचनात्मक प्रतिबद्धता की मूक अभिव्यञ्जना करती हुई प्रतीत होती है। धातु माध्यम में परम्परागत पद्धति के अतिरिक्त इन्होंने विषय, तकनीकी एवं रूपों की परिवर्तित परिभाषा का परिचय देते हुये नवीन अन्वेषण किये। इस माध्यम में प्रयोग होने वाले मोम के अतिरिक्त डायरेक्ट आब्जेक्ट को कास्टिंग कर प्रयोगशील दक्षता का परिचय दिया। थर्माकोल को काटकर या जोड़कर अनेक धातु मूर्तियों का निर्माण किया जो इनके नवीन प्रयोगशील व्यक्तित्व को दर्शाता है। इन्होंने जो धातु कृतियाँ रचित कीं उनमें घनात्मक एवं ऋणात्मक विन्यास का अदभूत समन्वय दिखाई देता है। धातु माध्यम के बिल्कुल विपरीत प्लास्टिक माध्यम में भी संरचनात्मक रूप के माध्यम से इन्होंने संयोजनात्मक मूर्तिशिल्पों की रचना की। इस माध्यम की कृतियों में ज्यामितीय आकारों, विन्यास एवं बहुआयामी प्रभाव का सुन्दर समन्वय परिलक्षित होता है। इसी माध्यम में रचित इनकी कुछ कृतियाँ लाल-पीले प्लास्टिक से मिले-जुले प्रभाव पर केन्द्रित हैं। इन रचनाओं पर पश्चिमी शैली का प्रभाव देख सकते हैं। इन रंगीन प्लास्टिक कृतियों को प्रसिद्ध संरचनावादी मूर्तिशिल्पी नामगाबो की कृतियों से तुलना तथा इनकी कृतियों के प्रभाव का स्पष्ट छाप दिखाई देता है। एक कलाकार के साथ-साथ एम०वी० कृष्णन लेखन कार्य से जुड़े रहे। इनके कला विचार समय-समय पर कला पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं। ये अपनी कला साधना के सभी पड़ावों तक देश तथा विदेश में एकल एवं सामूहिक कला प्रदर्शनियों का आयोजन समय-समय पर करते रहे। 1966 में केरल ललित कला अकादमी में इनकी कृतियाँ प्रदर्शित एवं पुरस्कृत

हुयीं। तत्पश्चात् राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में 1969, 1971, 1974 एवं 1988 में इनकी कृतियाँ प्रदर्शित हुईं। यद्यपि इनका प्रारम्भ मद्रास में (1950) तमिलनाडू कांग्रेस द्वारा आयोजित स्वदेशी उद्योग एवं कला प्रदर्शनी से ही आरम्भ हो चुँकि थी। इस कला प्रदर्शनी में इनके शिल्प पुरस्कृत भी हुये थे। सन् 1953 में वाराणसी अध्यापन काल में ही इन्हें फ्रांस सरकार के द्वारा मूर्तिकला के लिये विशेष पुरस्कार एवं सम्मान से सम्मानित किया गया। सन् 1966 में अपने प्रायोगिक विशेषता लिये हुये "ग्रोथ" नामक शिल्प राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया। यह शिल्प एल्यूमिनियम माध्यम में रचित है, जिसमें धातु माध्यम में जीवन के विकास पर आधारित सम्भावनाओं को दर्शाया गया है। यह शिल्प अत्यन्त सुन्दर, लयात्मक, आकार तथा मनोहारी प्रभाव लिये हुये हैं।

एम0वी0 कृष्णन एक अकादमिक कलाकार के रूप में माध्यमों की नवीनता एवं अन्वेषणपूर्ण तथा दृष्टिपरक विचारधारा के पक्षधर थे। इनकी कृतियों में विविधता होते हुये भी एकात्मकता, लय एवं संरचनात्मकता है, जिसका सम्बन्ध सीधे कलाकार के अन्तर्मुखी व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ परिलक्षित होता है। इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैण्ड, फ्रांस, प0अफ्रीका, जापान, नाइजीरिया, थाइलैण्ड आदि देशों का भ्रमण करके विभिन्न देशों के कलारूपों के नवीन दृष्टिकोण के साथ समन्वय करने का प्रयास किया। यही कारण है कि इनकी कला में पूर्व एवं पश्चिम का सुन्दर सामन्जस्य दिखाई देता है। राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ द्वारा 1981 में आयोजित प्रदर्शनी में इनके शिल्पाकृतियों Construction (Transparent Plastic 1975) एवं Untitled, (Paper Board) पर विदेशी प्रवास का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। श्री कृष्णन का कला चिंतन उन्हीं की तरह स्वकीय दूसरे शब्दों में उनकी ही एकान्त और निजी मनोजगत का विस्तार है, जिसे निरन्तर सार्वजनिक एवं सांस्थानिक स्वीकृति मिलती चली गयी।

एक तरफ कृष्णन ने यथार्थवादी भाषा में कार्य किया दूसरी ओर इन्होंने माध्यम में व्यापक संरचनात्मक अभिव्यक्ति पर भी प्रयोग किये और इनका प्रयोग यथार्थता, घनात्मक और अमूर्त के चाक्षुश व बोधात्मक अभिव्यक्ति के साथ जोड़ते हुये किया जिससे दृश्यमान गतिवाद की अभिव्यक्ति हुई। इन अनुसांगिक रूपों में से विकसित इनकी अमूर्तता घनाकृति के साथ लयात्मक है। कलाकृतियों में औपचारिक बनावट और सामंजस्यता इनके मनोभावों को परिलक्षित करती है। इनकी महत्वपूर्ण कृतियों में— डैमसेल्स, कंस्ट्रक्शन, कम्पोजिशन आदि प्रमुख हैं। मेटल कास्टिंग विधियों के मर्मज्ञ काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के मूर्तिकला विभाग में प्रायोगिक परम्परा को आगे बढ़ाने में एम0वी0 कृष्णन का एक अध्यापक के रूप में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये स्वयं भी किसी एक शैली की बाध्यता को न स्वीकार करके मूर्तिविधा में नित नये प्रयोगों से अवगत होते रहे। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के मूर्तिकला विभाग के शिल्प शिक्षक तथा संकाय प्रमुख के पद का निर्वहन कुशलतापूर्वक करते हुये सन् 1986 में सेवानिवृत्त हुये। तत्पश्चात् अपनी कला को आगे बढ़ाते हुये मूर्तिविधा के प्रयोगों में आजीवन लगे रहे।

सन्दर्भ :

1. कला त्रैमासिकी, राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित
2. शोधार्थी द्वारा बी0एच0यू0 में मूर्तिकला विभाग में सहायक तकनीकी मिटाई लाल जी से बातचीत
3. कला त्रैमासिकी, राज्य ललित कला अकादमी, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित अंक 01
4. डॉ0 कृष्णन एवं उनकी मूर्तिकला प्रदर्शनी, कला त्रैमासिकी, राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
5. समकालीन कला, सम्पादक ज्योतिष जोशी, ललित कला अकादमी प्रकाशन, नई दिल्ली
6. जी0एच0 सिद्धीकीएवं बी0एच0यू0 द्वारा, Delhi College of Arts and Craft Exhibition, (Catalogue)
7. Variegated Vista, Shefali Bhatnagar, Shubhi Publication, Haryana, India
8. Sunil Naliyath, "In Purit of Knowledge" the Hindu online edition
9. Exhibition of Sculpture by M.V. Krishnan, Birla Academy of Art and Culture, Calcutta, Catalogue

जनवाद और दूधनाथ सिंह का कथा साहित्य

डॉ० प्रदीप जायसवाल*

*शोध प्रवक्ता, हिंदी विभाग, राज्य हिन्दी संस्थान, वाराणसी, उ०प्र०

सारांश : जनवाद शब्द अंग्रेजी के 'डेमोक्रेसी' का हिन्दी संस्करण है। डेमोक्रेसी शब्द के डेमो का अर्थ है— जनता अब्राहम लिंकन ने (1809–1965) जनवादी व्यवस्था को जनता का जनता द्वारा जनता के लिए बताया है। वस्तुतः डेमोक्रेसी शब्द में मानव समूह का व्यापक हित समाहित है जनवाद कला, साहित्य और जीवन के प्रति मार्क्सवादी दृष्टिकोण है। हिन्दी साहित्यकोश के अनुसार— साहित्य की जो मार्क्सवादी विवेचना हुई, उससे जनवाद का प्रादुर्भाव हुआ। हिन्दी साहित्यकोश के अनुसार हिन्दी साहित्य में 'जनवाद कम्युनिस्ट स्रोतों से ही आया है जनवादी काव्य या साहित्य से तात्पर्य— व्यवस्था विराधी काव्य से है। उस व्यवस्था का विरोधी साहित्य जिसमें नब्बे प्रतिशत की कमाई पर दस प्रतिशत लोग मौज कर रहे हैं। जहाँ मेहनत करने वालों को उनके श्रम का उचित मूल्य नहीं मिलता, खून—पसीना बहाकर उत्पादन करने वाले लोग भूखों रहते हैं, जहाँ कपड़ा बनाने वाले लोग नंगे रहते हैं, जहाँ मकान बनाने वाले खुद फुटपाथों पर सो कर जीवन—यापन करते हैं, जहाँ मासूम बच्चे स्कूल जाने के बजाय होटलों की प्लेट धोने तथा भीख माँगने के लिए अभिशप्त हैं। जहाँ देश के शासक निहित स्वार्थी के चलते देश को बच देने के लिए आमादा है, जहाँ राजनीतिक पार्टियों का अस्तित्व साम्प्रदायिक दंगों और जातीय घृणाओं की खेतियों पर निर्भर है और जहाँ शोषकों को जनता का खून पीने तथा कुछ भी करने की पूरी आजादी है। जनवाद एक ऐसा दमकता मशाल है जिसे विश्व की शोषित, उत्पीड़ित जनता ने अपने मजबूत हाथों में उठाया है। दूधनाथ सिंह का जनवादी साहित्य आम जनता की जिन्दगी को उसकी सम्पूर्ण प्रातिनिधिकता तथा समग्रता से प्रस्तुत करती है। उनका सम्पूर्ण साहित्य जनवादी चेतना से ओत-प्रोत है। उनके साहित्य में संघर्षरत आम आदमी का चित्रण मिलता है। वह आम आदमी जो हर तरह के शोषण, दमन तथा भ्रष्टाचार का शिकार रहा है जो हर तरफ से उपेक्षित और तिरस्कृत किया गया है जिसकी जिन्दगी अभावों का पर्याय बन चुकी है। दूधनाथ सिंह के साहित्य में व्यवस्था की मार झेलते निम्न एवं मध्यवर्ग की स्थितियों का यथार्थ परक ढंग से चित्रण मिलता है। इसमें निर्धन जनो के प्रति विशेष करुणा और संवेदना व्यक्त की गई है। वह कहते हैं कि सामान्य जनता अपनी आजीविका चलाने के लिए घोर परिश्रम करता है। लेखक ने 'नमो अधकार' उपन्यास में आम आदमी की आर्थिक विसंगतियों का चित्रण अत्यंत सजीव ढंग से किया है। सामान्य आदमी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार से करता है, इस संदर्भ की एक बानगी देखिये— "सब लोग कुछ न कुछ करते ही हैं। सन्त प्रसाद पढ़ाता है। सिंह साहब कोचिंग चलाते हैं किसी की कोई उपरी आमदनी नहीं है। सभी कतर—ब्योत करते हैं। इधर तानते हैं तो उधर हो जाता है, उधर तानते हैं तो इधर कभी—कभी ज्यादा तानते हैं तो चादर चरे—से फट जाती है। उसी पर पेबंद साटने के लिए कोई साफ टुकड़ा भी नहीं मिलता। तब उसे उसी तरह खुला छोड़ देते हैं। जिन्दगी चल रही है।

मुख्य शब्द : जनवाद, कथा साहित्य, मार्क्सवाद, भ्रष्टाचार, वर्ग संघर्ष, अभिजात्य वर्ग आदि।

दूधनाथ सिंह एक संवेदनशील कथाकार हैं। उनका मासूम बच्चों के प्रति विशेष लगाव रहा है। है—बाल—श्रमिकों को मुक्त करवाना है। सूचना यह है कि पलामू जिले के लगभग तीन हजार बच्चे काम यही कारण है कि उन्होंने बालकों के आर्थिक और सामाजिक शोषण के विविध यथार्थपरक चित्र खींचा में लगे हैं, बँधुआ है। उम्र आठ बरस से सोलह सत्रह तक एक बच्चा एक कालीन तीन माह में तैयार करता है। मिलता क्या है? साढ़े चार सौ रुपल्ली खाने में खेसारी की दाल और घोड़ा—चावल तुम पूछोगे, सोलह—सत्रह से ज्यादा क्यों नहीं? पन्द्रह साल तक आँखों से आन्धर नाखून घिस कर लगभग गायब। अगुलियों टूट, कोढ़ियों जैसी। खेसारी की दाल खाने से घुटने दस साल में रेटे। झुंड के झुंड मचकते हुए बालकों को देखना हो तो पलामू के गाँवों में जाओ। निश्चित रूप से दूधनाथ सिंह ने पिछड़े हुए गाँव में बाल—श्रम से पीड़ित बालकों की दुर्दशा पर अपनी संवेदना प्रकट की है। इस परिवार की आर्थिक स्थिति इस तरह बदहाल है कि एक मासूम बच्चे तक का पर्याप्त भोजन देने में असमर्थ है। 'जार्ज मेकवान कहानी का जार्ज पात्र जो पेशे से चित्रकार है लेकिन उसकी भी आर्थिक स्थिति अत्यन्त कमजोर है। इसी आर्थिक विपन्नता के कारण ही वह मलिन बस्ती में रहने के लिए बाध्य है।

दूधनाथ सिंह ने समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार पर तीखा प्रहार किया है। नमो अधकार उपन्यास में कथा—पात्र गुरु जी दुखहनों की बेटी अनुसूया को लेक्चरर की पदवी दिलवाते हैं और बदले में उसके पति जो जंगल में फारेस्ट आफिसर है, को फोन पर उसके द्वारा चंदन की लकड़ी बेचकर किये जाने वाले भ्रष्टाचार का बखान कर अपने लिए पैसे मँगवाते हैं—पचास हजार का ड्राफ्ट तुरन्त भेजो तुम्हारी बीवी की नौ महोने की तनखा होती है और तुम्हारी केवल पन्द्रह दिन की हो सकता है तुम्हारे भ्रष्टाचार को मैं कम आँक रहा हूँ। इससे स्पष्ट होता है कि समाज में भ्रष्टाचार अपना पैर किस हद तक फैला चुका है। पैसे की लालच ने मनुष्य की मनुष्यता को जैसे अपने आगे बौना कर दिया है। आज इस तरह के सैकड़ों उदाहरण हमें समाज में मिलते हैं।

दूधनाथ सिंह के उपन्यासों में वर्ग संघर्ष स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। निष्कासन उपन्यास में वर्ग संघर्ष उच्च वर्ग और दलित वर्ग के साथ है। इस उपन्यास की नायिका दलित वर्ग से है। उसकी आर्थिक विपन्नता के कारण उसे हर जगह संघर्ष करना पड़ता है। यह विश्वविद्यालय में प्रवेश से लेकर हॉस्टल में रहने व खाने तक संघर्ष करती है। हर जगह उसका शोषण होता है वह न्याय के लिए हर जगह भटकती है। लेकिन उसे न्याय नहीं मिलता है। अन्ततः वह पराजित होकर आत्महत्या कर लेती है। उसकी यह आत्महत्या वर्ग विषमता की सीमा की पराकाष्ठा है। लेखक यहाँ पर पाठकों को सोचने के लिए बाध्य करता है कि समाज में वर्ग—विषमता की खाई खत्म होनी चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को उसका अधिकार मिलना चाहिए। अगर छोटी बहन भी एक वक्त खाना छोड़ दे, तब भी एक मुश्त इतने पैसे कहाँ से आयेंगे? कोई किशतों में चुकाना तो है नहीं। ये कमरे पर लौटी और चुपचाप पड़ गयी। थोड़ी देर बाद दोनों उठी और दूसरी लड़कियों से पूछा चिपकने वाली लड़कियों में से ज्यादातर ने मुँह बनाया ये सभी महिमामंडित सवर्ण घरों से आती हैं, और गप के दौरान अक्सर हमारा खानदान हमारा खानदान बोलती है उन्होंने मुँह बनाया और दोनों बहनों को ऊपर से नीचे तक देखा भी कुछ ने नाक भौं सिकोड़ी। कुछ में रुमाल या दुपट्टा या तौलिया उठाकर

नाक पर लगाया जैसे मुह पोछने जा रही हो दोनों बहने इस कमरे से उस कमरे भटकती रहो। फिर वे उन कमरों की ओर गयी जिनमें उन्हीं की बिरादरी रहती थी।

वर्ग संघर्ष की दृष्टि से उनकी कृति आखिरी कलाम और नमो अंधकार उल्लेखनीय है। इनमें लेखक ने वर्ग संघर्ष की समस्याओं का बड़ा ही यथार्थ परक चित्र खींचा है। इस दृष्टि से उनका कथा-साहित्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहना गलत न होगा कि निष्कासन उपन्यास में वर्ग संघर्ष का रूप दलितों और सवर्णों के बीच की लड़ाई है। आजादी के 65 वर्ष के बाद भी वर्ग-विषमता समाप्त नहीं हुई है। कुल मिलाकर देखा जाय तो दूधनाथ सिंह के कथा-साहित्य में अर्थ चेतना एवं वर्ग संघर्ष के विभिन्न आयाम चित्रित हुए हैं। दूधनाथ सिंह ऐसे कथाकार हैं जिनके कथा-साहित्य में युगीन चेतना की अभिव्यक्ति सीधे रूप में हुई है। वह अपने समय के सामाजिक सरोकारों से सीधे रूप से जुड़ती है। आज समाज में वर्ग-भेद की समस्या ज्वलन्त है। प्रभुसत्ता सम्पन्न वर्ग आज भी दिन-रात वैभव में खेलता है और उसके विपरीत निर्धन वर्ग रोजी-रोटी के जुगाड़ में रात-दिन मेहनत करता है। लेखक ने अपने कथा-साहित्य में वर्ग संघर्ष की इसी भावना को गहराई से अभिव्यक्त किया है। उनकी समूची संवेदना निम्न वर्ग के साथ है। उनके साहित्य में निम्न वर्ग के प्रति उदार चेतना दिखाई पड़ती है। दूधनाथ सिंह की हुडार कहानी में समाज में फेली कुरीतियों को एक निम्न जाति की महिला के माध्यम से प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। एक निम्न जाति की महिला को अभिजात्य वर्ग किस प्रकार शारीरिक यातना देता है। उसके उत्पीड़न को संवेदनात्मक रूप से व्यक्त किया गया है। दूधनाथ सिंह के कथा-साहित्य में व्यवस्था की अमानवीयता एवं क्रूरता का यथार्थ चित्रण हुआ है। लेखक ने अपन कथा-साहित्य में वर्तमान कानून व्यवस्था पर तीखा प्रहार किया है। इनकी कहानियों देश की दूषित कानून व्यवस्था पर व्यंग्य करती दिखाई देती हैं। इनकी कहानियों के पात्र ऐसी दूषित व्यवस्था का विरोध ही नहीं ते वरन् उसे जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए प्रयास करते हैं। इस दृष्टि से दूधनाथ सिंह की स्वर्गवासी विजेता प्रतिशोध आदि कहानियाँ उल्लेखनीय हैं उनकी कहानियों के पात्र व्यवस्था को दूषित करने वाले धर्म के चरित्र को उद्घाटित करते हैं तथा उनकी नीतियों का पर्दाफाश करते हैं।

वर्तमान समय में दफ्तरशाही की समस्या अपना विकराल रूप लेता जा रहा है। लेखक ने अपने कथा पात्रों के माध्यम से अपना रोष व्यक्त किया है। आज देश के किसी सरकारी दफ्तरों में चले जाये तो बिना पैसा (घुस) दिये कोई काम नहीं होने वाला है वहां तो बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रूपया कहावत चरितार्थ है। कथाकार ने अपनी कहानियों में दफ्तरशाही का सजीव चित्रण किया है। उन्होंने इसके विरुद्ध तीक्ष्ण प्रतिक्रिया व्यक्त की है। वर्तमान में टूटते पारिवारिक मूल्य एवं विघटन को कथाकार ने अपने कथा-साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उनकी कहानियां भारतीय जीवन-मूल्यों और आपसी सम्बन्धों के विघटन को गहराई से चित्रित करती हैं। दाम्पत्य जीवन को लेखक ने बहुत ही मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया है। इस दृष्टि से इनकी सुखान्त स्वर्गवासी कहानिया महत्वपूर्ण हैं।

दूधनाथ सिंह की नारी विषयक दृष्टि प्रगतिशील है। इनकी कहानियों में नारी अपने ऊपर होने वाले अत्याचार का डटकर सामना करती है। वह अब पुरुषों की कठपुतली बनकर नहीं रहना चाहती है। उनका मानना है कि वह अब दासीया सम्भोग की वस्तु नहीं है वह अपना जीवन अधिकार के साथ जीना चाहती है। दूधनाथ सिंह की नारी पात्र स्वयं आत्म निर्भर होना चाहती है। वे बन्धन से मुक्त होना चाहती है। आज की नारी प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर निरन्तर आगे बढ़ रही है। लेखक की 'माई का शोकगीत कहानी में उनकी नारी दृष्टि प्रगतिशील एवं सकारात्मक रही है। इस कहानी में कथा पात्र गंगा माई गांधी की चेली है। वह घर-घर जा करके स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर बल देने को कहती है। कहानी में वह अपनी सखी कनियों को उसके पति के अत्याचारों से बचाने में असमर्थ रहती है। गंगामाई महात्मा जी का अलख जगाते हुए कनिया के घर पहुंचती है और भारत माता को छुड़ाने की बात करती है। तभी कनिया कहती है— पहिले हमके छुड़ाओ न सखी हम भी तो कालकोठरी में बन्द हैं। हमारी भी तो कुर्ती फट गयी है। हम तो बेपर्दा हो गये हैं। इहाँ भी एक ठो राच्छस पहरा दे रहा है। इसी कहानी में गंगामाई पुरुषों पर व्यंग्य करती हुई कहती हैं— "ये दुनिया औरत खातिर कसाईखाना ही है। निश्चित रूप से इस व्यंग्य के पीछे एक पीड़ित शोषित नारी की संवेदना को उजागर करने का प्रयास किया है। दूधनाथ सिंह जनवादी रचनाकार की कोटि में आते हैं। वह अपनी वैज्ञानिक सोच रखते हैं। इसलिए किसी भी बात को बिना तथ्यों और तर्कों की कसौटी पर कसे उसे स्वीकार नहीं करते हैं। वर्षों पुरानी परम्पराओं एवं सामाजिक मूल्यों का विघटन जिस तरह हो रहा है उससे मनुष्य की धार्मिक आस्था प्रभावित हुई है। भौतिकवाद के बढ़ते प्रभाव से मनुष्य की आध्यात्मिकता नष्ट होती जा रही है और वह धर्म के प्रति उदासीन होता जा रहा है।

दूधनाथ सिंह के कथा-साहित्य में धर्म पर तीक्ष्ण प्रहार किया गया है "आखिरी कलाम उपन्यास के कथानायक प्रो० तत्सम पाण्डेय घोर नास्तिक हैं। वह अपनी बहू गायत्री और पोते रविकान्त के नास्तिक व कर्मकाण्डी व पूजा पाठ पर जोर देने पर नफरत करता है। कथा नायक तत्सम पाण्डेय का नौकर बिल्लेश्वर भी अपने मालिक की भौति धर्म को एक सिरे से नकारता है—धर्म—करम अन्दर की चीज है। उसे बाहर क्यों दिखाते हो? दिखात हो, इसीलिए झगड़ा है। सब कहते हैं, ईश्वर एक है। उसकी इबादत के रास्ते अलग-अलग हैं। एक तो ईश्वर को लेकर ही लफड़ा है। जो दिखता नहीं यही सारे झगड़े की जड़ है। लेखक भली-भाँति जानता है कि ईश्वर भगवान, खुदा कर्म—काण्ड, धर्म—मजहब, पुनर्जन्म और भाग्य इत्यादि क सारे विधान झूठे हैं। लेखक पाठकों को सचेत करता है कि सत्ताधारी वर्ग आम जनता को दिग्भ्रमित करने या गुमराह करके अपने वश में किए रहने के लिए तमाम तरह के खतरनाक साजिश रचता है। इस दृष्टिसे दूधनाथ सिंह के साहित्य वैज्ञानिक दृष्टि मिलता है। इनके कथा-साहित्य में जिस जनसामान्य का चित्रण हुआ है वह गरीबी भुखमरी फटेहाली बेरोजगारी एवं शोषकों के शोषण नीतियों का शिकार होते रहे। है साथ ही व्यवस्था के चौतरफा हमलों को झेलती हुई जिन्दगी जी रहे है। लेखक अपने कथा-पात्री के माध्यम से सर्वहारा वर्ग को एकजुट होकर संगठित रहने की वकालत करता है। लेखक का दावा है कि जिस दिन वह शक्ति संगठित होकर अपने हक के लिए आवाज उठायेगे उस दिन दुनिया का कोई भी तानाशाह उनकी आवाज को नहीं दबा सकेगा। दूधनाथ सिंह के कथा साहित्य जनता की इस सात का व्यापक चित्रण हुआ है। आज के समाज का बहुसंख्यक वर्ग समस्याओं के जाल में जकड़ा हुआ छटपटा रहा है। मुसीबते कदम-कदम पर मुँह बाये खड़ी है। हर आदमी घुट-घुट कर जीने के लिए विवश है और जिन्दगी एक प्रश्न बन गयी है। किन्तु यह भी शत-प्रतिशत सत्य है कि यह स्थिति हमेशा नहीं होगी। वह इतिहास से लैस है। मानव-समाज के लम्बे ऐतिहासिक विकास में कई बार इस तरह की समस्याओं का सामना हुआ है। बड़ी बात यह है कि उनका समाधान भी निकाला गया है। आज हमारी जिन्दगी भले ही संकटों से घिरी हुई हो, लेकिन कल ये संकट अवश्य ही दूर होंगे।

इसलिए इन सबके बावजूद निराश या हताश नहीं है। आम आदमी में अदम्य आशा, विश्वास, साहस और जिजीविषा है। दूधनाथ सिंह का कथा-साहित्य हमें सकारात्मक लक्ष्य या मंजिल की ओर अग्रसर करती हुई प्रेरित करती है। उसमें जिन्दगी के प्रति एक आत्म विश्वास भरती है।

दूधनाथ सिंह के कथा-साहित्य की महत्वपूर्ण विशेषता है उसकी संघर्षशीलता और क्रांतिकारी चेतना। इनके साहित्य का सर्वहारा वर्ग का पात्र क्रांति का उद्घोष करता हुआ नजर आता है। वह शासक वर्ग के समूचे मेडिया तंत्र के विरुद्ध जेहाद छेड़ने और उनके लूट के सिंहासन पर धावा बोलने का आह्वान करता है अतः कहा जा सकता है कि दूधनाथ सिंह ने अपने कथा-साहित्य में आज की जिन्दगी के विविध पक्षों और आयामों को समग्रता में विस्तार से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इनकी कहानियों को पढ़ते हुए आज के समूचे समाजिक यथार्थ के तमाम तरह के रूपों से सीधा साक्षात्कार होता है। माई का शोकगीत, धर्मक्षेत्र-कुरक्षेत्र, सुखान्त इत्यादि कहानी-संग्रह इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अपनी कुछ खास निजी विशेषताओं के कारण दूधनाथ सिंह की कहानियों को विशेष ख्याति प्राप्त है। कहना गलत न होगा कि उनकी (कथा साहित्य) कहानियाँ काफी वैविध्यता को समेटे हुए हैं।

समग्रतः दूधनाथ सिंह का कथा-साहित्य जनवादी चेतना से ओत-प्रोत है। इनकी जनवादी दृष्टि-प्रगतिशील रही है। यह आधुनिक भाव-बोध और संवेदना के रचनाकार है वह जनवादी विचारधारा के कथाकार है, जो मार्क्सवाद से प्रेरित हैं। जनवादी लेखकों में दूधनाथ सिंह का महत्वपूर्ण स्थान है। उनका साहित्य सामान्य जन की जिन्दगी के बीच उगते हुए उसकी आशाओं-आकांक्षाओं उसके स्वप्नों तथा संघर्षों को वाणी देता है। लेखक ने अपने कथा-साहित्य में जहाँ एक ओर समाज में व्याप्त कुरीतियों भ्रष्टाचार राजनीतिक स्वार्थपरकता, उच्च स्तरीय घूसखोरी को दर्शाया है, वहीं दूसरी ओर पारिवारिक विघटन, अन्तर्सम्बन्धों का तनाव, दाम्पत्य जीवन की समस्याओं का यथार्थ परक चित्र खींचा है। उनके साहित्य में उनके प्रगतिशील विचारों की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।

सन्दर्भ :

1. हिन्दी साहित्यकोश भाग-एक, पृ० 330
2. शुक्ल, रामनारायण, उत्तरार्द्ध अंक 9 अप्रैल 1975, पृ० 335
3. सिंह, दूधनाथ, नमो अंधकार, पृ० 70
4. सिंह, दूधनाथ, नमो अंधकार, पृ० 76
5. सिंह, दूधनाथ, नमो अंधकार, पृ० 28
6. सिंह, दूधनाथ, निष्कासन, पृ० 14
7. सिंह, दूधनाथ, कहानी-संग्रह- माई का शोकगीत, पृ० 108
8. सिंह, दूधनाथ, आखिरी कलाम, पृ० 292

मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के निहितार्थ : एक ऐतिहासिक विश्लेषणात्मक अध्ययन अभिषेक शुक्ल*

*असिस्टेंट प्रोफेसर, इतिहास विभाग, बंदी विशाल महाविद्यालय, फर्रुखाबाद, उ०प्र०

सारांश : मौर्यकालीन प्रशासन का अध्ययन भारतीय इतिहास में सदैव दिलचस्पी का विषय रहा है। इस अध्ययन का मूल उद्देश्य मौर्य साम्राज्य के अधीन विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों का विश्लेषण तथा मूल्यांकन करना है। वास्तव में मौर्यकालीन प्रशासन एक क्रमिक विकास का परिणाम रहा है, जो वैदिक कबायली संरचना से होते हुए एक केंद्रीकृत प्रशासन के रूप में विकसित हुआ। मौर्य प्रशासन एक केंद्रीकृत प्रशासन था, जिसकी अभिव्यक्ति नागरिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में दृष्टिगोचर होती है। मौर्यकालीन प्रशासनिक ढांचा रोजमर्रा के जीवन से संबंधित प्रशासन के अतिरिक्त नागरिकों के नैतिक मूल्यों के उन्नयन तथा सुरक्षा को लेकर कटिबद्ध दिखाई देता है। यह एक नौकरशाही पर आधारित केंद्रीकृत प्रशासन था, जो नन्द शासकों की पद्धति का ही विकसित एवं परिष्कृत रूप था। मौर्य प्रशासन की केंद्रीय व्यवस्था राजतन्त्रात्मक थी, जिसकी प्रामाणिक जानकारी कौटिल्य के अर्थशास्त्र, अशोक के अभिलेखों तथा मेगस्थनीज की इंडिका से प्राप्त होती है। प्रशासन में सर्वोच्च स्थिति राजा की थी, जिसमें सभी अधिकार तथा शक्तियाँ निहित थी। अर्थशास्त्र द्वारा प्रतिपादित राज्य की सप्तांग विचारधारा भी राजा की सशक्त भूमिका को वैधानिकता प्रदान करती है। यद्यपि राजा की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं था, तथापि वह ईश्वर का प्रिय पात्र समझा जाता था। अशोक द्वारा 'देवानांप्रिय' की उपाधि धारण करना इस बात का प्रमाण है कि राजा को ईश्वर का प्रिय पात्र माना जाता था। इस दृष्टि से यह अध्ययन महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक है। यह अध्ययन समाज के लिए एवं शोधार्थियों के लिए भी मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है।

मुख्य शब्द : केंद्रीकृत प्रशासन, वैधानिकता, सप्तांग विचारधारा, देवानांप्रिय आदि।

मौर्यकालीन प्रशासन में राजा के निम्नांकित कार्य होते थे— जैसे वह कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का प्रधान अधिकारी होता था। मंत्रियों, एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति उसके द्वारा ही की जाती थी। कानून का निर्माण, दोषियों को दंड देना तथा जनता का कल्याण करना आदि उसके प्रमुख कर्तव्य थे। उपरोक्त विवरण का यदि हम विश्लेषण करते हैं तो यह दृष्टिगोचर होता है कि इस समय राजा की शक्ति एवं अधिकार काफी बढ़ गए थे। राजा अब दूरस्थ प्रशासक ही नहीं अपितु निकटस्थ संरक्षक बन गया था। राजशक्ति निरंकुश पितृसत्तावाद पर आधारित थी। इसकी उद्घोषणा अशोक के 'धौलीशिला लेख' में स्पष्ट रूप से की गई, जहाँ अशोक कहता है कि "सारी प्रजा मेरी संतान है।"

मंत्रिपरिषद : राजा की सहायता के लिए एक मंत्रीपरिषद की व्यवस्था थी। वास्तव में मंत्रिपरिषद एक परामर्शदात्री निकाय के रूप में कार्य करती थी तथा अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार राजा के पास सुरक्षित था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मंत्रिमंडल के विभिन्न कार्यों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है, जहाँ इसे राज्य को चलाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहिए के रूप में परिभाषित किया गया है। मौर्य मंत्रिपरिषद की कई श्रेणियाँ होती थी, जिसमें सबसे प्रमुख मंत्रियों की संख्या 3-4 होती थी। इसकी नियुक्ति अमात्य वर्ग से उपधा परीक्षण (योग्यता परीक्षण) के उपरान्त होती थी। मंत्रिपरिषद के सर्वोच्च सदस्यों का वेतन 48,000 पण होता था।¹ उच्चस्तरीय मंत्रिमंडल के अतिरिक्त एक विस्तृत मंत्रिपरिषद का भी उल्लेख मिलता है, जो सामान्य मानविकी के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती थी मंत्री परिषद के इन सदस्यों का वेतन 12,000 पण तक निर्धारित होता था। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह मंत्रिपरिषद कुछ हद तक वर्तमान केंद्रीय सचिवालय प्रशासन के समान रही होगी।

केंद्रीय प्रशासन : कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र में नौकरशाही का विस्तृत उल्लेख मिलता है। मौर्य प्रशासन में सबसे उच्च स्तर का पदाधिकारी तीर्थ, महामात्र अथवा अमात्य होता था। अर्थशास्त्र में प्रमुख तीर्थ के रूप में मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, समाहर्ता, सन्निधाता, दुर्गपाल, अंतपाल, व्यावहारिक आदि की चर्चा मिलती है।² सन्निधाता राज्य का कोषाध्यक्ष होने के साथ ही खजाने का प्रभारी भी होता था, जो एक अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारी समाहर्ता के साथ मिलकर कार्यकर्ता था। समाहर्ता के दो महत्वपूर्ण दायित्व थे— एक तरफ वह भू-राजस्व की वसूली से जुड़ा था वहीं दूसरी तरफ वह लेखपाल द्वारा प्रस्तुत आय व्यय के ब्यौरों की जांच करता था। उपरोक्त 18 तीर्थों के अतिरिक्त 26 अध्यक्षों की भी चर्चा मिलती है जैसे— कोषाध्यक्ष, सीता अध्यक्ष, विविताध्यक्ष, गणिकाध्यक्ष, पण्यध्यक्ष इत्यादि। वास्तव में यह अधिकारी ना केवल राज्य के प्रशासनिक ढांचे का निर्माण करते थे, अपितु सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक जीवन का विनियमन भी करते थे।

प्रांतीय प्रशासन : संपूर्ण मौर्य साम्राज्य का विभाजन प्रांतों में किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के दौरान प्रांतों की संख्या के बारे में ठोस जानकारी का अभाव है, परन्तु अशोक के काल में चार प्रांतों तथा उसकी राजधानियों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। उत्तरी प्रांत को राजधानी तक्षशिला, पश्चिमी प्रांत की राजधानी उज्जैन, पूर्वी प्रांत की राजधानी तोसली तथा दक्षिणी प्रांत की राजधानी सुवर्णगिरि थी। उपरोक्त चारों महत्वपूर्ण तथा बड़े प्रांत थे तथा इनका प्रशासन राजकुल से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्तियों के पास होता था। अशोक के अभिलेखों में इन प्रशासकों को 'कुमार' अथवा 'आर्यपुत्र' कहा गया है। विश्लेषण करने के उपरान्त प्रांतीय प्रशासन में हम एक केंद्रीयकरण के तत्व दिखाई देते हैं। प्रांतीय मंत्री परिषदों को यह स्वतंत्रता थी कि वह प्रांतीय प्रशासक को सूचित किए बिना राजा को सीधे महत्वपूर्ण सूचनाएँ प्रेषित कर सकें। प्रमुख प्रांतीय प्रशासकों में काठियावाड़ के प्रशासक 'योनराज तुषाष्' का नाम उल्लेखनीय है, जिसका वर्णन रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख मिलता है।

जिला प्रशासन : प्रांतों का विभाजन जिलों में किया गया था। जिला प्रशासन से जुड़े महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे— प्रादेशिक तथा राजुक।³ प्रादेशिक नामक अधिकारी कानून व्यवस्था की सुरक्षा तथा भू-राजस्व की वसूली से संबंधित था तथा समाहर्ता के निर्देशन में कार्य करता था। राजुक नामक अधिकारी विशेष रूप से न्यायिक कार्यों से जुड़ा था। अशोक के अभिलेखों तथा शिला लेखों में इस अधिकारी की विशेष चर्चा मिलती है। जिला तथा ग्राम प्रशासन के बीच एक और प्रशासनिक इकाई का उल्लेख आता है जो संभव था पांच या 10 गांवों का समूह होता था। इसका महत्वपूर्ण अधिकारी 'गोप' होता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। ग्राम का अध्यक्ष ग्रामणी नाम से संबोधित किया जाता था, जो ग्रामीण वृद्धजनों में से निर्वाचित होता था।

नगर प्रशासन : मौर्य साम्राज्य में नगर प्रशासन का प्रधान अधिकारी 'नगरक' होता था। नगर प्रशासन की उल्लेखनीय जानकारी के स्रोत के रूप में मेगास्थनीज के विवरण, अर्थशास्त्र एवं अशोक के अभिलेख महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। विशेष रूप से मेगास्थनीज की इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन के लिए 6 समितियों का उल्लेख मिलता है, जो नगर प्रशासन से संबंधित विभिन्न कार्य किया करती थीं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी नगर प्रशासन के कार्यों का उल्लेख है। इस ग्रंथ में नगराध्यक्ष के कार्यों के बारे में बताया गया है कि आग से नगर की सुरक्षा, दुर्भिक्ष के समय सरकारी गोदाम से अनाज वितरण, महामारी रोकने एवं स्वच्छता का अनुपालन करवाने, रात्रि विचरण पर रोक आदि कार्य उसके लिए महत्वपूर्ण थे।

न्याय प्रशासन : मौर्यकालीन न्याय प्रशासन अत्यंत सुव्यवस्थित एवं उच्च कोटि का था। न्याय के लिए अनेक न्यायालय होते थे। सर्वोच्च स्तर पर राजा का न्यायालय होता था, जिसका निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होता था। नए प्रशासन के अंतर्गत सबसे छोटा न्यायालय ग्राम का होता था जिसमें 'ग्रामिक' ग्रामसभा की सहायता से निर्णय देता था। अपराधों की प्रकृति के आधार पर मौर्यकाल में मुख्यतः दो प्रकार के न्यायालय प्रचलित थे। प्रथम, धर्मस्थीय न्यायालय, जो एक प्रकार की दीवानी अदालत होती थी यहाँ पर मुख्यतः खेत, सिंचाई, चारागाह, सड़कों, मानहानि आदि मामलों का न्यायिक समाधान दिया जाता था। द्वितीय प्रकार का न्यायालय कटक शोधन न्यायालय होता था, जिसमें मुख्यतः फौजदारी के मामलों का निर्णय किया जाता था। कुल मिलाकर कहा जाए तो मौर्यकालीन धर्मस्थलीय तथा कटकशोधन न्यायालय वर्तमान समय के दीवानी तथा फौजदारी अदालतों की भांति ही थे।

राजस्व प्रशासन : किसी भी साम्राज्य के लिए राजस्व के स्रोतों का बहुत अधिक मूल्य होता है। पर्याप्त राजस्व के अभाव में कोई भी साम्राज्य फल-फूल नहीं सकता। मौर्य साम्राज्य भी इसका अपवाद नहीं था। मौर्य प्रशासन में राजस्व प्रशासन का एक महत्वपूर्ण स्थान था। आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र में कहा है कि संपूर्ण कार्य कोष पर ही निर्भर करते हैं, अतः राजा का यह दायित्व है की वह कोष बढ़ाने पर विशेष ध्यान दें। मौर्यकाल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर था। राज्य के अधिकार क्षेत्र में आने वाली भूमि से होने वाली आय को 'सीता' कहा जाता था तथा जो भूमि राज्य के अधिकार क्षेत्र से बाहर होती थी, उससे होने वाली आय को 'भाग' कहते थे। मौर्यकाल में आयात तथा निर्यात कर भी लिया जाता था। आयात कर को 'प्रवेश' तथा निर्यात कर को 'निष्क्राम्य' कहा जाता था। इस तथ्य से इस बात पर भी प्रकाश पड़ता है कि मौर्यकालीन व्यापार सुदूर क्षेत्रों से सुनियोजित रूप से जुड़ा हुआ था।

सैन्य प्रशासन : मौर्य साम्राज्य के तहत एक स्थायी तथा विशाल सेना का निर्माण किया गया था। इसकी सूचना तात्कालिक साहित्यिक स्रोतों में उपलब्ध होती है। मेगास्थनीज ने उल्लेख किया है कि सेना की देखरेख के लिए अलग विभाग था जिसमें 30 सदस्य होते थे, जो कुल 6 समितियों में विभक्त थे— नौसेना, सेना यातायात, रसद एवं युद्ध सामग्री पहुंचाने वाली टुकड़ी, अश्वारोही रथ, हाथी तथा पैदल। अर्थशास्त्र में यद्यपि किसी समिति की चर्चा नहीं की गई है परन्तु कौटिल्य चतुरंगिणी सेना का उल्लेख करते हैं। जहाँ तक सैन्य बलों की संख्या का प्रश्न है तो उसके लिए विदेशी यात्रियों के विवरण से पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। उदाहरण के लिए प्लिनी हमें बताता है की चन्द्रगुप्त मौर्य की सेना में 6,00,000 पैदल 30,000 घुड़सवार तथा 9000 हाथी थे। जबकि जस्टिन उल्लेख करता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी 6,00,000 की सेना द्वारा संपूर्ण भारत को रौंद दिया।¹

गुप्तचर प्रशासन : मौर्य प्रशासन क्योंकि एक केंद्रीकृत प्रशासन था इसलिए राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जन प्रतिक्रिया को जानने के लिए एक सक्षम गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना भी की गई थी। साम्राज्य में छात्र, अधिकारी, विधवाएँ, वेश्याएँ आदि सभी गुप्तचरों के रूप में नियुक्त होते थे² तथा महत्वपूर्ण बातों की सूचना सीधे सम्राट तक पहुंचाते थे। वास्तव में मौर्य साम्राज्य जैसे एक अतिविशाल केंद्रीकृत साम्राज्य का अस्तित्व एक सक्षम गुप्तचर प्रशासन पर निर्भर था।

निष्कर्ष : उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि मौर्य साम्राज्य जैसे विशाल राजवंशों के संचालन में एक सक्षम प्रशासनिक नौकरशाही की भूमिका थी, जिसे केन्द्रीय, प्रांतीय तथा ग्रामीण स्तर पर शासन का दायित्व सौंपा गया। कालांतर में इसी प्रशासनिक नौकरशाही के बल पर मौर्य साम्राज्य लंबे समय तक एक सशक्त राजसी अभिव्यक्ति का माध्यम बना रहा। केन्द्रीयकरण के तत्व ने न केवल इस साम्राज्य की प्रतिष्ठा को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया अपितु समकालीन राजवंशों में श्रेष्ठतम प्रशासनिक नौकरशाही का प्रवर्तक भी सिद्ध किया। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि मौर्यकालीन प्रशासन की लोकल्याणकारी भावना ने न केवल तत्कालीन युग में अपनी छाप छोड़ी वरन कालांतर में अनेक राजवंशों के लिये पथ प्रदर्शन का कार्य किया।

सन्दर्भ :

1. डी.एन. झा एवं कृष्ण मोहन माली, प्राचीन भारत का इतिहास, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, पृ० 214-215
2. डॉ० के० सी० श्रीवास्तव, प्राचीन भारत का इतिहास, यूनाइटेड बुक डिपो, पृ० 261-265
3. ए.एल.बाशम, अदभुत भारत (A wonder that was India), शिवलाल अग्रवाल एंड कंपनी, आगरा, पृ० 54-60
4. राम शरण शर्मा, 2022, भारत का प्राचीन इतिहास, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन
5. रोमिला थॉपर, भारत का इतिहास, राजकमल प्रकाशन, पृ० 61-63

स्वामी दयानंद सरस्वती के वर्ण व जाति संबंधी विचारों का अध्ययन राहुल*

*असिस्टेंट प्रोफेसर, इतिहास विभाग, बंदी विशाल डिग्री कॉलेज, फर्रुखाबाद, उ०प्र०

सारांश : वर्ण व जाति भारतीय इतिहास के अध्ययन का एक प्रमुख विषय रहा है। आज भी वर्ण व जाति का प्रश्न समय-समय पर भारतीय समाज की एकता के लिए चुनौती बन कर उभरता रहा है। स्वामी दयानंद सरस्वती 19वीं शताब्दी के धर्म व समाज-सुधार आंदोलन के एक प्रमुख व्यक्तित्व रहे हैं। प्रस्तुत शोध अध्ययन का उद्देश्य स्वामी दयानंद सरस्वती के वर्ण व जाति संबंधी विचारों का अध्ययन करना है। यह अध्ययन समाज व शोधार्थी के लिए नये ज्ञान का सृजन करेगा।

मुख्य शब्द : वर्ण, जाति, पुरुष सूक्त, सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलन आदि।

वर्ण व जाति व्यवस्था भारतीय सामाजिक, ऐतिहासिक अध्ययन का प्रमुख विषय रहा है। भारतीय समाज 19वीं शताब्दी में अनेक कुप्रथाओं से ग्रस्त था। इसी कालखंड में स्वामी दयानंद सरस्वती का आविर्भाव हुआ, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की तथा सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण किया तथा अनेक ग्रंथों का व्यापक अध्ययन कर अपने ग्रंथों में वर्ण व जाति संबंधी प्रश्नों पर चिंतन प्रस्तुत किया।

वस्तुतः वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के विषय में ऋग्वेद के पुरुषसूक्त के आधार पर चार वर्णों को विराट पुरुष के चार अंगों से उत्पन्न कहा गया है। तदनुसार उसके 'मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघे से वैश्य तथा पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई।' स्वामी दयानंद इस मंत्र के अर्थ को करते हुये लिखते हैं कि, "इस मंत्र का अर्थ जो तुमने किया वह ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ पुरुष अर्थात् निराकार व्यापक परमात्मा की अनुवृत्ति है। जब वह निराकार है तो उसके मुख आदि अंग नहीं हो सकते..... इसका यह अर्थ है कि जो.....मुख सदृश्य सब में मुख्य उत्तम वह (ब्राह्मणः) ब्राह्मण....., बल वीर्य का नाम बाहु है वह जिसमें अधिक हो सो (राजन्यः) क्षत्रिय....., और जो सब देशों में उरु के बल से जाये आवे .. वैश्य और (पद्म्याम) जो पग के अर्थात् नीच अंग के सदृश मूर्खत्वादि गुणवाला हो वह शूद्र है"²

इस प्रकार स्वामी दयानंद वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति गुण व कर्म के आधार पर सिद्ध करते हैं। वह आगे लिखते हैं कि, "क्योंकि जैसे और सब लोग गर्भाशय से उत्पन्न होते हैं वैसे तुम भी होते हो। तुम मुखादि से उत्पन्न न होकर ब्राह्मण आदि संज्ञा का अभिमान करते हो इसलिए तुम्हारा कहा अर्थ, व्यर्थ है"³

मनु का प्रमाण देते हुये वह लिखते हैं कि "जो शूद्र कुल में उत्पन्न हो के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के समान गुण, कर्म, स्वभाव वाला हो तो वह शूद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य हो जाए....."⁴

इसी प्रकार आपस्तम्ब के सूत्र को प्रस्तुत करते हुए लिखते हैं कि, "धर्म आचरण से निकृष्ट वर्ण अपने से उत्तम उत्तम वर्ण को प्राप्त होता है।.....वैसे अधम आचरण से... उत्तम वर्ण वालामनुष्य नीचे नीचे वाले वर्ण को प्राप्त होता है।"⁵

इसी प्रकार जन्मना जाति व्यवस्था के विरुद्ध प्रबल प्रमाण प्रस्तुत करते हुए उदाहरण प्रस्तुत करते हैं वह लिखते हैं कि, "छांदोग्य उपनिषद में जाबाल ऋषि अज्ञात कुल, महाभारत में विश्वामित्र क्षत्रिय वर्ण आर मातंग ऋषि चांडाल कुल से ब्राह्मण हो गए थे। अब भी जो उत्तम विद्या स्वभाववाला है वही ब्राह्मण के योग्य और मूर्ख शूद्र के योग्य होता है"⁶ आगे वह कहते हैं कि रज वीर्य के योग से ब्राह्मण शरीर नहीं होता। इस संबंध में वह उन्हें मनु का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं।⁷

वह प्रबल तर्क प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि, "जो कोई अपने वर्ण को छोड़.... क्रिश्चियन, मुसलमान हो गया हो उसको भी ब्राह्मण क्यों नहीं मानते हैं। हाँ, यही कहोगे कि उसने ब्राह्मण की कर्म छाड़ दिए इसलिए वह ब्राह्मण नहीं है, इससे यह भी सिद्ध होता है कि.... उत्तम कर्म करते हैं वहीं ब्राह्मणादि.... नीच काम करे तो उसको नीच वर्ण में गिनना अवश्य चाहिए"⁸

"स्त्री और शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है" इस दुराग्रह और मिथ्या प्रचार का भी वह सप्रमाण विरोध करते हैं। वह लिखते हैं कि, "सब स्त्री और पुरुष अर्थात् मनुष्य मात्र को पढ़ने का अधिकार है। तुम कुओं में पड़ो और यह श्रुति तुम्हारी कपोल कल्पना से हुई है किसी प्रमाणिक ग्रंथ कि नहीं, और सब मनुष्यों को भी वेदशास्त्र पढ़ने-सुनने का अधिकार का प्रमाण यजुर्वेद के 26वें अध्याय में दूसरा मंत्र है।"⁹ इस मंत्र के अर्थ में वे स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र स्त्री व अति शूद्रों के लिए भी वेदों का प्रकाश किया है। वह तर्क भी प्रस्तुत करते हैं कि क्या ईश्वर पक्षपाती है कि वेदों की पढ़ने-सुनने का शूद्रों के लिए निषेध और द्विजों के लिए विधि करें? जो ईश्वर का अभिप्राय शूद्रादि के पढ़ाने सुनाने का न होता तो इनके शरीर में वाक् और श्रोत्र इंद्रिय क्यों रचता?¹⁰

आगे वह स्पष्ट करते हैं कि जहाँ-जहाँ निषेध किया है उसका यह अभिप्राय है कि जिसको पढ़ने-पढ़ाने से कुछ भी ना आवे...मूर्ख होने से शूद्र कहलाता है। उसका पढ़ना-पढ़ाना व्यर्थ है।¹¹ इसी प्रकार सत्यार्थ प्रकाश के आठवें समुल्लास में विद्वानों का नाम आर्य तथा मूर्खों का नाम शूद्र और अनार्य अर्थात् अनाड़ी बताया है।¹²

स्वामी दयानंद लिखते हैं शूद्र को सेवा का अधिकार इसलिए है कि वह विद्या रहित मूर्ख होने से विज्ञान संबंधी काम कुछ भी नहीं कर सकता किंतु शरीर के काम सब कर सकता है।¹³ वह लिखते हैं कि, "शूद्र सब सेवाओं में चतुर, पाक विद्या में निपुण, अति प्रेम से द्विजों की सेवा, उन्हीं से अपनी उपजीविका करें और द्विज लोग इसके खानपान, वस्त्र, स्थान, विवाहादि में जो कुछ व्यय हो सब कुछ देवें अथवा मासिक कर दे।"¹⁴ अपने ग्रंथ आर्योद्देश्य रत्नमाला में वह वर्ण और जाति को परिभाषित करते हैं—
जाति : जो जन्म से लेकर मरणपर्यंत बनी रहे, जो अनेक व्यक्तियों में एक रूप से प्राप्त हो, जो ईश्वर कृत अर्थात् मनुष्य, गाय, अश्व और वृक्षादि समूह है, वह 'जाति' शब्दार्थ से लिए जाते हैं।

वर्ण : जो गुण और कर्मों के योग से ग्रहण किया जाता है वह 'वर्ण' शब्दार्थ से लिया जाता है।

निष्कर्ष :

1. स्वामी दयानंद सरस्वती वर्ण व्यवस्था को गुण व कर्म पर आधारित मानते हैं। जिसके लिए वह वेद, मनु आदि का प्रमाण भी प्रस्तुत करते हैं।

2. वह वर्ण व्यवस्था में गुण व कर्म के आधार पर परिवर्तन को प्रमाणित करते हैं।
3. वह मूर्ख व्यक्ति को शुद्र की श्रेणी में रखते हैं और इसी कारण से शुद्र का कार्य अन्य तीनों वर्णों की सेवा व उनसे अपनी आजीविका की प्राप्ति का तर्क प्रस्तुत करते हैं।
4. इस प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती अपने सप्रमाणित विचारों में वर्ण व जाति संबंधी प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत करते हैं।

सन्दर्भ :

1. श्रीवास्तव, के.सी., 'प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति', यूनाइटेड बुक डिपो, इलाहाबाद, सोलहवीं आवृत्ति, 2021-22, पृ० 147
2. सरस्वती, महर्षि दयानंद, 'सत्यार्थ प्रकाश', आर्यावर्त प्रकाशन, अमरोहा, प्रथम संस्करण, पृ० 77
3. वहीं, पृ० 78
4. वहीं, पृ० 78.
5. वहीं, पृ० 78
6. वहीं, पृ० 76
7. वहीं, पृ० 76
8. वहीं, पृ० 77
9. वहीं, पृ० 67
10. वहीं, पृ० 67
11. वहीं, पृ० 68
12. वहीं, पृ० 185
13. वहीं, पृ० 80
14. वहीं, पृ० 95

वृत्तिक शिक्षा क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति के प्रति दृष्टिकोण एवं जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन

संजीत कुमार पाण्डेय*

*शोधार्थी, बी.एड. विभाग, मडियाहूँ पी.जी. कॉलेज, मडियाहूँ, जौनपुर, उ० प्र०

डॉ० विजय कुमार चतुर्वेदी**

**असिस्टेंट प्रोफेसर, बी.एड. विभाग, मडियाहूँ पी.जी. कॉलेज, मडियाहूँ, जौनपुर, उ० प्र०

सारांश : आधुनिकीकरण का वर्तमान चरण भारतीय परंपराओं के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण अवधि है, जिसमें कई संरचनात्मक विसंगतियां हैं जैसे नागरिक संस्कृति (शिक्षा) के प्रसार के बिना लोकतंत्रीकरण, सार्वभौमिक मानदंडों के प्रति प्रतिबद्धता के बिना नौकरशाहीकरण, मीडिया भागीदारी (संचार) में वृद्धि और आनुपातिक के बिना बढ़ती उम्मीदें संसाधनों में वृद्धि और वितरणात्मक न्याय, सामाजिक नीति में इसके प्रसार के बिना कल्याणकारी विचारधारा की मौखिकवादिता, औद्योगीकरण के बिना अति-शहरीकरण और अंत में, जातियों की स्तरीकरण प्रणाली में सार्थक परिवर्तन के बिना आधुनिकीकरण। उभरते बदलावों और तनावों के इसी संदर्भ में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और शराबबंदी ने समाज में अपनी जगह बना ली है। वृत्तिक शिक्षा क्षेत्र में भी अध्ययनरत विद्यार्थियों में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। विशेषकर मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। अतः शोध कर्ता ने वृत्तिक शिक्षा क्षेत्र (मेडिकल एवं इंजीनियरिंग) में अध्ययनरत विद्यार्थियों में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति के प्रति दृष्टिकोण एवं जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करने का निश्चय किया। तथा निष्कर्ष स्वरूप पाया की वृत्तिक शिक्षा क्षेत्र (मेडिकल एवं इंजीनियरिंग) में अध्ययनरत विद्यार्थियों में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति के प्रति दृष्टिकोण एवं जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

मुख्य शब्द : वृत्तिक शिक्षा, नशा, आधुनिकीकरण, लोकतंत्रीकरण, नौकरशाहीकरण आदि।

प्रस्तावना : भारत में दवाओं का उपयोग औषधीय, सामाजिक, कार्यात्मक और क्षेत्रीय उपयोग के लिए किया जा रहा है। रोगों के उपचार के रूप में दवाओं का व्यवस्थित उपयोग सभ्यता की शुरुआत से ही मौजूद रहा है। प्राचीन सुमेरिया की एक मिट्टी की गोली, 2000 B.C से पहले नशीली दवाओं के उपयोग के सबसे पुराने लिखित रिकॉर्ड को मान्य करने वाले लगभग एक दर्जन नुस्खों की एक सूची शामिल है। प्राचीन मिस्र का एक पपीरस, जो लगभग 1500 ईसा पूर्व लिखा गया था। 700 से अधिक दवाओं के नाम के साथ 800 से अधिक नुस्खे रिकॉर्ड करता है। इन प्रारंभिक दवाओं के कुछ परिचय के मामले में, मिस्रवासियों द्वारा दिया जाने वाला अरंडी का तेल रेचक के रूप में प्रभावी था और चीनियों द्वारा गण्डमाला के उपचार के रूप में जले हुए समुद्री शैवाल का उपयोग किया गया था। इनके अलावा, शराब, निकोटीन, हेल्सोनीनोजेन, ओपियोड आर मारिजुआना भी प्रभावी थे। इनका प्रयोग औषधीय और उपचार प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है।

आधुनिकीकरण का वर्तमान चरण भारतीय परंपराओं के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण अवधि है, जिसमें कई संरचनात्मक विसंगतियां हैं जैसे नागरिक संस्कृति (शिक्षा) के प्रसार के बिना लोकतंत्रीकरण, सार्वभौमिक मानदंडों के प्रति प्रतिबद्धता के बिना नौकरशाहीकरण, मीडिया भागीदारी (संचार) में वृद्धि और आनुपातिक के बिना बढ़ती उम्मीदें संसाधनों में वृद्धि और वितरणात्मक न्याय, सामाजिक नीति में इसके प्रसार के बिना कल्याणकारी विचारधारा की मौखिकवादिता, औद्योगीकरण के बिना अति-शहरीकरण और अंत में, जातियों की स्तरीकरण प्रणाली में सार्थक परिवर्तन के बिना आधुनिकीकरण। उभरते बदलावों और तनावों के इसी संदर्भ में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और शराबबंदी ने समाज में अपनी जगह बना ली है।

चिकित्सक कहते हैं कि यदि आज के युवा नहीं संभले और नशे के प्रति जागरूक नहीं हुए तो आने वाले दिनों में परिणाम और भी घातक होंगे। युवाओं में नशे का आकर्षण और उसकी सामाजिक स्वीकार्यता विगत कुछ दशकों में तेजी से बढ़ी है। संचार माध्यमों और 'सेलीब्रिटी' संस्कृति से मिल रहे बढ़ावों को सामाजिक रूप से खारिज करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। युवा अधिकांशतः अपने शिक्षण संस्थानों से या बाहर अपने साथियों से नशाखोरी सीखते हैं। इसके लिए जरूरी है कि शिक्षण संस्थानों में नशाखोरी के दुष्प्रभावों के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रयास किए जायें। नशाखोरी विषय को शोध एवं पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाये जाने की जरूरत है। शराब, सिगरेट एवं खैनी का सेवन थोड़ी मात्रा में भी शरीर को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन जब यह लत बन जाए तो स्थिति बेकाबू होने लगती है। तम्बाकू से न सिर्फ दिल की बीमारी होने का खतरा रहता है बल्कि कैंसर व अन्य बीमारियों का भी यह बड़ा कारण है। दिखावा व बाहरी चमक में फंसकर युवा नशे के आदी होते जा रहे हैं। सरकारी व प्रशासनिक लापरवाही की वजह से भी यह समस्या बढ़ रही है। अतएव युवा वर्ग जो समाज के कर्णधार एवं राष्ट्र का भविष्य होते हैं इस नशीली संस्कृति के परिणाम स्वरूप, दिग्भ्रमित होकर सामाजिक विघटन के कारण बन रहे हैं। जिससे मानवीय नैतिकता तथा संस्कृतिक का निरन्तर हरण हो रहा है। मानसिक, शारीरिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य में निरन्तर ट्रांस विश्रंखला एवं उच्छृंखला में वृद्धि के कारण पारिवारिक जीवन में तनाव अशान्ति एवं विवाद बढ़ा है। समाज की मूलभूत इकाई परिवार के विघटन का भयावह परिणाम समाज पर प्रत्यक्ष एवं स्पष्ट दिखाई देता है। इसी तरह युवाओं के क्रियाकलापों पर नजर रखने के साथ ही उनमें नशे की प्रवृत्ति के प्रति दृष्टिकोण एवं जागरूकता का अध्ययन करना होगा। सभी मिलकर काम करेंगे तभी नशा मुक्त समाज का निर्माण संभव हो सकेगा।

अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व : रूसों ने अपनी पुस्तक में लेखा है कि "जो देश, अपने देश के प्रतिभावान बच्चों की प्रतिभा को सुरक्षित एवं समायोजित नहीं रखता, वह देश अवनति के गर्त में गिर जाता है।" आज भारत ही अपितु सम्पूर्ण विश्व का प्रत्येक राष्ट्र समृद्धि और विकास के लिए सतत प्रयत्नशील है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिक एवं तकनीकी आविष्कार के फलस्वरूप उद्योगवाद, उपभोगवाद, उपयोगितावाद एवं पूंजी प्रसार का युग हो गया है। लोगों को अपार सम्पदा की प्राप्ति वैज्ञानिक मानसिक में वृद्धि के कारण जीवन में अधिकाधिक सुख भोग की लालसा निरन्तर बनी रहती है।

आज वर्तमान समय में भारत भी निरन्तर प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। इसी प्रगति और सुख भोगने की लालसा के पाश्चात्य सभ्यता के तौर तरीकों को अंगीकार कर लिया है। इसमें विशेषकर सिने जगत एवं दूरदर्शन का विशेष महत्व रहा है,

जिसके परिणाम स्वरूप भारत में आदि काल से चले आ रहे नशे की प्रकृति को बदलकर वर्तमान समय में अत्याधुनिक एवं वैज्ञानिक तकनीकी से निर्मित मादक पदार्थों, जिनका स्वरूप टेबलेट्स, इन्जेक्शन, कैप्सूल व पाउडर जैसा होता है। परन्तु परिणाम अत्यन्त घातक होता है, का प्रचलन तेजी से बढ़ा है। वृत्तिक शिक्षा क्षेत्र में भी अध्ययनरत विद्यार्थियों में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। विशेषकर मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। अतः शोधकर्ता ने वृत्तिक शिक्षा क्षेत्र (मेडिकल एवं इंजीनियरिंग) में अध्ययनरत विद्यार्थियों में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति के प्रति दृष्टिकोण एवं जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करने का निश्चय किया।

समस्या कथन : "वृत्तिक शिक्षा क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति के प्रति दृष्टिकोण एवं जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन"

अध्ययन के उद्देश्य : शोधकर्ता ने अपने शोध अध्ययन वृत्तिक शिक्षा क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति के प्रति दृष्टिकोण एवं जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन, हेतु निम्न उद्देश्य निर्धारित किये हैं।

1. वृत्तिक शिक्षा क्षेत्र (मेडिकल एवं इंजीनियरिंग) में अध्ययनरत विद्यार्थियों में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति के प्रति दृष्टिकोण का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. वृत्तिक शिक्षा क्षेत्र (मेडिकल एवं इंजीनियरिंग) में अध्ययनरत विद्यार्थियों में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पना : प्रस्तुत शोध में शोधकर्ता ने निम्नलिखित परिकल्पनाओं का निर्माण किया है—

1. वृत्तिक शिक्षा क्षेत्र (मेडिकल एवं इंजीनियरिंग) में अध्ययनरत विद्यार्थियों में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
2. वृत्तिक शिक्षा क्षेत्र (मेडिकल एवं इंजीनियरिंग) में अध्ययनरत विद्यार्थियों में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

शोध में प्रयुक्त तकनीकी शब्दों की परिभाषा :

वृत्तिक शिक्षा : वृत्तिक शिक्षा राष्ट्र के शिक्षा संबंधी प्रयास का एक महत्वपूर्ण तत्व है। राष्ट्र के बदलते परिप्रेक्ष्य में वृत्तिक शिक्षा और अधिक प्रभावी ढंग से अपनी भूमिका निभा सके तथा भारत की बड़ी जनसंख्या/विशाल जन समूह इसका लाभ उठा सके, उसके लिए वृत्तिक शिक्षा के महत्वपूर्ण तत्वों को पुनः परिभाषित करने की अत्यधिक आवश्यकता है, जिससे इसे और अधिक सुविधापूर्ण, समकालीन प्रासंगिक और सृजनात्मक बनाया जा सके। सरकार वृत्तिक शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका से भली भांति अवगत है, इसीलिए सरकार इस क्षेत्र में पहले से ही बहुत से महत्वपूर्ण भूमिका से भली भांति अवगत है, इसीलिए सरकार इस क्षेत्र में पहले से ही बहुत से महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है। इस समय भारत स्कूल पर आधारित वृत्तिक शिक्षा और जिसका प्रवर्तित योजना में शामिल है, जिस पर 1988 में विचार विमर्श किया गया और जिसका उद्देश्य उच्चतर शैक्षिक का विकल्प प्रदान करना था। वृत्तिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के विकास के लिए व्यवस्थित और अव्यवस्थित दोनों क्षेत्रों के लिए कुशल और मध्यमवर्गीय जनशक्ति की आवश्यकता को पूरा करना है। शिक्षार्थियों की आवश्यकतानुसार वृत्तिक शिक्षा पाठ्यक्रमों को विकसित करना है। वृत्तिक शिक्षा के अन्तर्गत मेडिकल, इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर एजुकेशन, कटाई, सिलाई और परिधान बनाना, और कढ़ाई, सौन्दर्य वर्द्धन और स्वास्थ्य देखभाल, हस्त शिल्प कला, चित्रांकन और चित्रकारी, इलेक्ट्रानिक, बेल्टिंग, मोबाइल फोन रिपेयरिंग आटोमोबाइल्स, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, फूलों की खेती, कृत्रिम खाद, आदि कोर्स एवं ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जाता है।

नशे की प्रवृत्ति : दुनिया में सबसे ज्यादा युवा भारत में निवास करते हैं। युवाओं के बलबूते भारत इक्कीसवीं सदी तक दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनना चाहता है। मगर देश के युवाओं में जिस गति से सूचना औद्योगिकी का चलन बढ़ रहा है। उसी गति से बेरोजगारी और तनाव भी उनके बीच पैर पसार रहा है। इनके बीच का एक बहुत बड़ा तबका नशे की गिरफ्त में आता जा रहा है।

पुलिस-प्रशासन, अध्यापक, अभिभावक और समाज वैज्ञानिक इस बात से हैरान हैं कि भारत के युवाओं में नशे का प्रचलन दिन-प्रतिदिन इतना बढ़ क्यों रहा है? अफीम, गांजा, चरस, स्मैक, हेरोइन, कोकीन, एफेड्राइन, शराब जैसी खतरनाक ड्रग्स युवाओं के बीच लोकप्रियता हासिल कर रही है। जिस तरह से समाज का एक बड़ा युवावर्ग नशे की गिरफ्त में आता जा रहा है। नशा अब मौजमस्ती और तनाव दूर करने की आदत के साथ ही यह हमारी युवा पीढ़ी की आवश्यकता बनता जा रहा है। जाने-माने मनोचिकित्सक डॉ० नवीन ग़ोवर, कहते हैं, युवाओं के बीच नशे के बढ़ते चलन के पीछे बदलती जीवनशैली, दोस्तों के साथ, परिवार का दबाव, माँ-बाप के झगड़े, इंटरनेट पर घंटों समय बिताना और पारिवारिक कलह जैसे मामले हैं। मनोचिकित्सक कहते हैं कि नशे की गिरफ्त में आया व्यक्ति खुद को दुनिया से अलग समझता है। उसके व्यक्तित्व में बदलाव आना शुरू हो जाता है और वह अपराध की तरफ अग्रसरित होता है। नशा व्यक्ति को भ्रम की एक ऐसी दुनिया में ले जाता है, जहां से उसका निकलना मुश्किल हो जाता है। कभी-कभी नशा की ज्यादा मात्रा लेने व्यक्ति हिंसक हो जाता है।

समाज में दिन-प्रतिदिन शराब, मादक पदार्थों व द्रव्यों के सेवन की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकने के लिए सामाजिक न्याय विभाग द्वारा अभियान चलाये जा रहे हैं। इस आयोजन का उद्देश्य समाज में बढ़ती हुई मद्यपान, तम्बाकू, गुटखा, सिगरेट की लत एवं नशीले मादक द्रव्यों पदार्थों के दृष्ट्य परिणामों से समाज को अवगत कराना है कि ताकि मादक द्रव्य एवं मादक पदार्थों के सेवन के उन्मूलन के लिए उचित वातावरण एवं चेतना का निर्माण किया जा सके।

शोध विधि : शोध कार्य में महत्वपूर्ण सोपान शोध विधि चयन का होता है, क्योंकि शोधकर्ता समाज की विभिन्न प्रकार की समस्याओं में अपनी रुचि कार्य एवं क्षमता के अनुरूप समस्या का चयन करता है। अतः समस्या की प्रकृति एवं आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए शोध कार्य हेतु वर्णनात्मक शोध विधि का चयन किया गया है।

अध्ययन का क्षेत्र : प्रस्तुत शोध अध्ययन कानपुर मण्डल के अन्तर्गत समस्त जनपदों के वृत्तिक शिक्षण संस्थाओं के (मेडिकल एवं इंजीनियरिंग) विद्यार्थियों को सम्मिलित किया गया।

न्यादर्श : प्रस्तुत शोध अध्ययन म कानपुर के अन्तर्गत जनपदों (कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद) में से प्रत्येक जनपद से 20 वृत्तिक शिक्षण संस्थाओं का चयन किया गया अर्थात् कुल 120 वृत्तिक शिक्षण संस्थानों का चयन किया गया।

निष्कर्ष :

1. वृत्तिक शिक्षा क्षेत्र(मेडिकल एवं इंजीनियरिंग) में अध्ययनरत विद्यार्थियों में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
2. वृत्तिक शिक्षा क्षेत्र (मेडिकल एवं इंजीनियरिंग) में अध्ययनरत विद्यार्थियों में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

सुझाव : प्रस्तुत अध्ययन के आधार पर निम्न सुझाव प्रस्तुत किये जा रहे हैं:-

1. माता पिता पारिवारिक सदस्य शिक्षक व समाज के व्यक्ति किशोर छात्रों का पूर्ण रूपेण ध्यान रखें व उनके समक्ष एक अच्छा आदर्श प्रस्तुत करें। उन्हें सही दिशा निर्देश निदेशित करें। उनका मार्गदर्शन करें।
2. परिवार का वातावरण अच्छा चाहिए जिससे विद्यार्थी अपनी किसी भी समस्या का समाधान करले व उन्हें किसी तरह का तनाव न हो।
3. किशोर देश का भविष्य व माता पिता के बुढ़ापे की लाठी है। अतः उन्हें समुचित पारिवारिक वातावरण प्रदान करें।
4. स्वास्थ्य सेवी संस्थानों द्वारा एवं व्यक्तिगत रूप से मादक पदार्थों के सेवन करने वाले व्यक्तियों को इसकी आदत छुड़ाने हेतु अभियान चलाने चाहिए जिसमें किशोर छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि, पारिवारिक वातावरण व समायोजन क्षमता में वृद्धि हो व राष्ट्र का भविष्य उज्जवल होगा।
5. मादक पदार्थों को समूल रूप से नष्ट कर देना चाहिए और मादक पदार्थ के निर्माण को बंद करने के लिए सरकार को नशाबंदी कानून को सख्ती से लागू करना चाहिए।
6. आवकारी नीति का सुधार होना चाहिए सरकारी व गैर सरकारी स्कूल के पास एवं मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर अनुसूचित जाति व जनजाति के क्षेत्र में ठेके नहीं लगा सके।
7. पाठ्यक्रम में मादक पदार्थों के सेवन करने से होने वाले दुष्परिणामों का अध्ययन समाविष्ट करना चाहिए।

सन्दर्भ :

1. शर्मा, आर०ए०. (2009). शिक्षा अनुसंधान, मेरठ आर. आर. लाल बुक डिपो, मेरठ पृ० 911
2. कटानी, मोरीजियो (1989). एबाउट ए सोशल वर्क एकोनॉमिक एक्टिविटी एण्ड रि इन्सर्सन ऑफ यूथ एट रिस्क. बेल्जियम
3. गैरेट, हेनरी ई० (2005). शिक्षा एवं मनोविज्ञान में सांख्यिकीय. नई दिल्ली कल्याणी पब्लिकेशन, पृ० 211,242, 243
4. माने, (1989). वर्किंग विद द फैमिलीज ऑफ दि एडिक्ट्स डिपार्टमेन्ट मेडिकल साइटेरिक, सोशल वर्क टाटा इन्सटीट्यूट, भारत
5. राय, पारसनाथ, (1999). अनुसंधान परिचय, आगरा लक्ष्मी नारायण अग्रवाल प्रकाशन पृ० 91-285
6. मिगयुल, (1991). दि सोशल प्राबलम आफ एण्ड इन स्पेन: स्पेन. यूवार्सिलोना
7. सेडलर जार्ज, (1992). फोर्सिंग प्रैगनेन्ट ड्रग एडिक्ट्स टू एबोर्ट राइट्स बेस्ट एण्ड मुटीलिटोरियन जस्टीफिकेशन, यू०एस०

महिला सशक्तिकरण : भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के संदर्भ में विकास मणि तिवारी*

*असिस्टेंट प्रोफेसर, (राजनीति विज्ञान), बंदी विशाल पी0 जी0 कालेज, फर्रुखाबाद, उ0प्र0

सारांश : सृष्टि के मूल में नारी शक्ति रही हैं जिसे हमारे समाज और संस्कृति में भी स्वीकार्य किया गया है। आदि काल से ही नारी के महत्व को स्वीकार्य किया गया है। यह तथ्य ऋग्वैदिक समाज में दिखता है जहाँ स्त्रियों को राजनैतिक एवं सामाजिक जीवन में पर्याप्त एवं समानता का अधिकार प्राप्त था परन्तु सभ्यता के विकास के साथ ही समाज की मनोवृत्ति भी बदली तथा समानता की भावना के स्थान पर पुरुषवादी मानसिकता विकसित हुई परिणामस्वरूप स्त्रियों की स्थिति गिरती गयी। आधुनिक काल में इस तथ्य को महत्व मिलना शुरू हुआ कि दुनिया की आधी आबादी जो कि महिलाओं की है उन्हें समान अधिकार मिलना चाहिए एवं लोकतंत्र के विकास के साथ-साथ इस परिकल्पना को भी व्यापक महत्व मिलना शुरू हुआ। आज हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं जो कि लोकतंत्र का युग है तथा लोकतंत्र की मूल मान्यता भी यह है कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए एवं इस हेतु विभिन्न प्रावधान भी किए गए हैं। महिला सशक्तिकरण का मूल तात्पर्य यह है कि महिलाएँ आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक रूप से स्वतंत्र हों एवं अपने संदर्भ में निर्णय लेने के लिए आत्मनिर्भर हों। यह और भी ज्यादा महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब समाज पुरुष का प्रावधान किया गया है ताकि को स्थानिय स्तर पर निर्णय निर्माण में भागीदारी कर सके। प्रस्तावित शोध में स्थापित शोध तकनीकों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक श्रोतों के गहन अध्ययन के उपरान्त द्वितीय श्रोतों की सहायता ली गयी। प्रस्तुत शोध में ऐतिहासिक उपागम का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन शोध के लिए राजनीतिक व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन किया जा जायेगा। इस शोध के लिए विश्लेषणात्मक एवं समीक्षात्मक पद्धतियों का सहारा लिया गया।

मुख्य शब्द : महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भर, पुरुषवादी मानसिकता, नारी शक्ति, सामाजिक-आर्थिक तथा राजनीतिक अधिकार आदि।

‘यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।’ मनुस्मृति में उल्लिखित यह वाक्य शक्ति रूपी नारी की महत्ता को रेखांकित करती है। उसमें देवत्व के गुणों को स्थापित करते हुए उसे पूजनीय माना गया है, किन्तु उनकी वास्तविक स्थिति इससे कोसों दूर दिखाई देती है। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक अधिकारों से वंचित नारी आज उपेक्षा का शिकार है। नारियों के इन अधिकारों से वंचित रहने के परिणामस्वरूप किसी राष्ट्र या समाज का विकास सम्भव नहीं है। आज इस वंचित तबके को सशक्त बनाने की आवश्यकता है जिसके लिए सरकार तथा स्थानीय स्तर पर विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। उनको बल प्रदान करके ही किसी राष्ट्र के स्वर्णिम भविष्य की रूपरेखा को रेखांकित किया जा सकता है। इस संदर्भ में पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था, “लोगों को जगाने के लिए महिलाओं को जागृत होना जरूरी है।” एक बार कदम उठा लेती हैं तो परिवार आगे बढ़ता है। गाँव, शहर, देश आगे बढ़ता है और राष्ट्र विकास की ओर उन्मुख होता है।

भारत में, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले समाज में उनके अधिकारों और मूल्यों को मारने वाले उन सभी राक्षसी सोचों को मारना जरूरी है जैसे दहेज प्रथा, अशिक्षा, यौन हिंसा, असमानता, भ्रूण हत्या, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, बलात्कार, वेश्यावृत्ति, मानव तस्करी और ऐसे ही दूसरे विषय लैंगिक भेदभाव राष्ट्र में सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक अंतर ले आता है, जो देश को पीछे की ओर ढकेलता है। भारत के संविधान में उल्लिखित समानता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना सबसे प्रभावशाली उपाय है। प्राचीन समय से स्त्री ने समाज के विकास एवं संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है फिर भी स्त्री की दशा बहुत सोचनीय थी, उन्हें बहुत सी सामाजिक कुरीतियों का सामना भी करना पड़ता था। जब राजा राममोहन राय, ईश्वर चन्द्र विद्यासागर जैसे महान विचारक एवं समाज सुधारकों ने जब इन कुरीतियों से स्त्री को होने वाली हानियों का अनुभव किया तो उन्होंने नारी स्वाधीनता की आवाज उठाई, जिससे स्त्रियों में कुछ जागृति के लक्षण उत्पन्न होने लगे और अनेक महिलाएँ आगे आकर राष्ट्र निर्माण के मानकों में भाग लेने लगीं एवं अपनी विद्या बुद्धि एवं कर्तव्य शक्ति के बल पर समाज में उच्च स्थान प्राप्त किया और मानव समाज का मार्ग दर्शन करने में प्रशंसनीय कार्य कर दिखाया। इन समाज सुधारकों के निरंतर प्रयासों से देश में स्त्रियों की स्थिति में सुधार होने लगा।

परम्परागत रूप से रूढ़िवादी, शोषण मूलक व जड़ समाज को आगे ले जाने के लिए परम्परागत मान्यताओं और रूढ़ियों में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। परिवर्तन की इस चाह का प्रारम्भ मानव विचारों से होता है। विचार ही परम्परागत मानकों तथा निश्चित की गयी भूमिका को बदलकर नए मानक गढ़ने के लिए उत्तरदायी हैं। स्त्री विमर्श ऐसा ही एक चिंतन है जो महिलाओं से सम्बन्धित पुराने आयामों को त्यागकर सशक्तिकरण के नये आयामों की तलाश करता है। इस नये चिंतन में स्त्री कोई वस्तु नहीं बल्कि स्वयं एक व्यक्ति है। यह महिला को लिंग भेद की परम्परागत खाई को पाटकर विकास के नये अवसर देने की कोशिश है। यह महिला अधिकारों की लड़ाई है। ऐसे में प्रश्न यह है कि इस लड़ाई का प्रारम्भ कब हुआ, यह किसके विरुद्ध लड़ाई है तथा यह लड़ाई विभिन्न काल से होते हुए वर्तमान में कहाँ तक पहुँची है? स्त्री सशक्तिकरण वर्तमान में बेहद जरूरी विमर्श है। चूँकि यह स्त्री की समानता, स्वतंत्रता और महत्ता का हिमायती है इसलिए इसे सम्पूर्ण मानव जाति के आधे हिस्से की बेहतरी से जुड़ा विमर्श कहा जा सकता है।

अध्ययन महत्व : आज हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं जो कि लोकतंत्र का युग है तथा लोकतंत्र की मूल मान्यता भी यह है कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए एवं इस हेतु विभिन्न प्रावधान भी किए गए हैं। महिला सशक्तिकरण का मूल तात्पर्य यह है कि महिलाएँ आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक रूप से स्वतंत्र हों एवं अपने संदर्भ में निर्णय लेने के लिए आत्मनिर्भर हों। यह और भी ज्यादा महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब समाज पुरुष का प्रावधान किया गया है ताकि को स्थानिय स्तर पर निर्णय निर्माण में भागीदारी कर सके। संविधान द्वारा जितने भी अधिकारी वर्तमान में प्रदान किए गए हैं वह एक महत्वपूर्ण एवं स्वागतयोग्य कदम है बावजूद इसके यह अधिकार अभी पर्याप्त नहीं हैं क्योंकि

अभी भी भारतीय महिलाओं की स्थिति पिछड़ी है तथा शासन के संचालन में उन्हें बराबर की सहभागिता प्राप्त नहीं है। स्थानीय स्तर पर जो प्रतिनिधित्व मिला है वह भी उनके द्वारा स्वतंत्र रूप से उपयोग नहीं हो पाता तथा ग्रामिण अंचलों में 'प्रधान-पति' की धारण प्रचलित है। राष्ट्रीय तथा राज्य विधानसभाओं में उन्हें प्रतिनिधित्व की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है जिससे वह नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सके। चूंकि देश का संचालन संसद तथा राज्य विधानसभाओं द्वारा निर्मित कानून के माध्यम से होता है तथा यह सभी पर लागू होता है। यह उल्लेखनीय है कि जिस समूह की आबादी देश की कुल आबादी का आधा हो उसे नीति निर्माण में भूमिका अपरिहार्य है एवं उस समूह को इन संस्थाओं में पर्याप्त अवसर मिलना अत्यन्त न्याय संगत एवं मानवीय है। इन अधिकारों के साथ ही इस बात पर भी ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि समाज की अभिवृत्ति को भी बदलने की आवश्यकता है ताकि भारतीय समाज पितृसत्तात्मक एवं पुरुषवादी रहा है। जहां महिलाओं की स्थिति पुरुषों की अपेक्षा दो-एक दर्जे की रही है। इसके बावजूद भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन में महिलाओं ने बराबर का सहयोग प्रदान किया। स्वतंत्रता के उपरान्त भारतीय संविधान में यह प्रावधान किया गया कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह पुरुष हो या स्त्री समान अधिकारों का हकदार है एवं इसके लिए संविधान में विभिन्न प्रावधान किए गए जैसे— **अनुच्छेद (14)** में प्रत्येक व्यक्ति को समान मानते हुए समता का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त **अनुच्छेद (16)** में सभी स्त्री-पुरुषों को समान मानते हुए नियोजन में समानता को स्वीकार्य किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य को यह निर्देशित किया गया कि स्त्री पुरुष को समान मानते हुए समान कार्य के लिए समान वेतन (**अनुच्छेद 39**) की व्यवस्था करें, प्रसूति सहायता की व्यवस्था की जाए, कार्य की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं उपलब्ध हों, कार्य स्थल पर शोषण के विरुद्ध रक्षा, मातृत्व सुरक्षा इत्यादि। किन्तु इसके साथ ही यह भी अनुभव किया गया कि कुछ और भी प्रावधान किए जाने चाहिए जो कि महिलाओं को समानता का स्तर प्रदान करने में सार्थक हो अतः **अनुच्छेद 15 (3)** में प्रावधान किया गया कि राज्य स्त्रियों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए विशेष प्रावधान करेगा। इन अधिकारों निर्देशों के अतिरिक्त यह भी अपेक्षा रही है कि महिलाओं को राजनैतिक संस्थाओं में भागीदारी मिले इस हेतु संविधान के 73वें तथा 74वें संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को एक तिहाई (1/3) सीट का प्रावधान किया गया है ताकि को स्थानीय स्तर पर निर्णय निर्माण में भागीदारी कर सके। संविधान द्वारा जितने भी अधिकारी वर्तमान में प्रदान किए गए हैं वह एक महत्वपूर्ण एवं स्वागतयोग्य कदम है बावजूद इसके यह अधिकार अभी पर्याप्त नहीं हैं क्योंकि अभी भी भारतीय महिलाओं की स्थिति पिछड़ी है तथा शासन के संचालन में उन्हें बराबर की सहभागिता प्राप्त नहीं है। स्थानीय स्तर पर जो प्रतिनिधित्व मिला है वह भी उनके द्वारा स्वतंत्र रूप से उपयोग नहीं हो पाता तथा ग्रामिण अंचलों में 'प्रधान-पति' की धारण प्रचलित है। राष्ट्रीय तथा राज्य विधानसभाओं में उन्हें प्रतिनिधित्व की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है जिससे वह नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सके। चूंकि देश का संचालन संसद तथा राज्य विधानसभाओं द्वारा निर्मित कानून के माध्यम से होता है तथा यह सभी पर लागू होता है। यह उल्लेखनीय है कि जिस समूह की आबादी देश की कुल आबादी का आधा हो उसे नीति निर्माण में भूमिका अपरिहार्य है एवं उस समूह को इन संस्थाओं में पर्याप्त अवसर मिलना अत्यन्त न्याय संगत एवं मानवीय है। इन अधिकारों के साथ ही इस बात पर भी ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि समाज की अभिवृत्ति को भी बदलने की आवश्यकता है ताकि समाज द्वारा भी महिला समानता को स्वीकृति मिले।

प्रस्तुत शोध इस परिकल्पना के साथ प्रारम्भ होता है महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में संविधान द्वारा जितने भी प्रावधान किए गए हैं वो इस दिशा में कहीं तक सार्थक हुए हैं एवं अभी और क्या किए जाने की आवश्यकता है। चूंकि नारी सशक्तिकरण के माध्यम से ही देश की आधी आबादी को भी मुख्यधारा में शामिल किया जा सकता है जो कि देश को विकसित करने और विजन 2020' के लिए एक मील का पत्थर होगा।

निष्कर्ष : परम्परागत रूप से रूढ़िवादी, शोषण मूलक व जड़ समाज को आगे ले जाने के लिए परम्परागत मान्यताओं और रूढ़ियों में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। परिवर्तन की इस चाह का प्रारम्भ मानव विचारों से होता है। विचार ही परम्परागत मानकों तथा निश्चित की गयी भूमिका को बदलकर नए मानक गढ़ने के लिए उत्तरदायी है। स्त्री विमर्श ऐसा ही एक चिंतन है जो महिलाओं से सम्बन्धित पुराने आयामों को त्यागकर सशक्तिकरण के नये आयामों की तलाश करता है। इस नये चिंतन में स्त्री कोई वस्तु नहीं बल्कि स्वयं एक व्यक्ति है। यह महिला को लिंग भेद की परम्परागत खाई को पाटकर विकास के नये अवसर देने की कोशिश है। यह महिला अधिकारों की लड़ाई है। ऐसे में प्रश्न यह है कि इस लड़ाई का प्रारम्भ कब हुआ, यह किसके विरुद्ध लड़ाई है तथा यह लड़ाई विभिन्न काल से होते हुए वर्तमान में कहीं तक पहुँची है। स्त्री सशक्तिकरण वर्तमान में बेहद जरूरी विमर्श है। चूंकि यह स्त्री की समानता, स्वतंत्रता और महत्ता का हिमायती है इसलिए इसे सम्पूर्ण मानव जाति के आधे हिस्से की बेहतरी से जुड़ा विमर्श कहा जा सकता है।

सन्दर्भ :

1. भारत का संविधान (Bare Act)
2. बसु, डी०डी०, भारत का संविधान एक परिचय
3. कोटारी, रजनी, पॉलिटिक्स इन इण्डिया, दिल्ली, 1970

निर्गुण भक्त कवियों में आर्थिक चेतना

डॉ० बृजेश कुमार पाण्डेय*

*सहायक प्राध्यापक, शासकीय रामानुज प्रताप सिंहदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बैकुण्ठपुर, जिला— कोरिया (छ.ग.)

सारांश : भारत सदैव से धर्म प्रधान देश रहा है। हजारों-लाखों वर्षों से यहाँ विभिन्न धर्मावलम्बियों तथा मतों के लोगों का वास रहा है। निर्गुण भक्त कवियों ने अपनी पूजा पद्धति में या कहे भक्ति पद्धति में लोककल्याणकारी सामाजिक स्वरूप को अभिव्यजित किया है। इनका लक्ष्य काव्य के मानदण्डों से इतर सामाजिक जीवन और उसमें भी सामान्य से सामान्य जन-मानस के कल्याण हेतु साहित्य-सृजन करना था। इन्होंने पुरानी रूढ़ मान्यताओं को खण्डित कर स्वानुभव से निर्मित मान्यताओं द्वारा अपने प्रगतिशील होने का परिचय दिया। सभी निर्गुण भक्त कवियों ने सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, व राजनैतिक शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई है और उसका जमकर विरोध भी किया है।

मुख्य शब्द : निर्गुण भक्त, आर्थिक चेतना, लोककल्याणकारी, धर्म, आर्थिक विषमता आदि।

निर्गुण भक्त कवियों के समय का समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था जो कि मूलतः आर्थिक विषमता द्वारा उत्पन्न हुआ था। अर्थ की हमारे जीवन में विशेष अनिवार्यता होती है। वह अर्थ ही है जो कि हमारे सम्पूर्ण जीवन को विभिन्न प्रकार के आरोहो-अवरोहों से युक्त करता है। साथ ही यह जीविका के लिए भी परमावश्यक होता है। जैसा कि हमारे शास्त्रों में भी व्यजित है कि पाप की पृष्ठभूमि में सामान्यतः भूख की ही अवस्थिति होती है।¹ धर्म के अनुष्ठान के लिए तथा सामाजिक कल्याण के लिए धन की आवश्यकता होती ही है। धर्मानुष्ठान शरीर द्वारा सम्भव है, तथा शरीर अन्न से पोषित होता है, इसलिए कबीर ने इस भाव को व्यजित किया है कि भूखे पेट ईश्वरोपासना सर्वथा असम्भव है

भूखे भगति न कीजै यह माला अपनी लीजै।²

समाज की आर्थिक विषमता के कारण समाज में अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। इसके कारण धनिक और निर्धनों के बीच द्वेष की गहरी खाई खिचती चली जाती है। एक तरफ धनिक वर्ग ऐश्वर्यपूर्ण जीवन भोग रहा है तो निर्धन भोजन तथा तन ढकने हेतु फटे चिथड़ों के लिए भी मुहाल है। धनिक वर्ग ऊँचे प्रासादों में निवास करते हैं जबकि निर्धन टूटी झोपड़ी के लिए भी मुश्किल से जुगाड़ कर पाते हैं

“कबीर कहा गरनियँ ऊँचे देखि आवास।

छिनहर घर अरु छिनहर टाटी।।

घन गरजत कपै मोरी छाति।³”

कबीर धनिकों द्वारा निर्धनों की उपेक्षा से अत्यधिक क्षुब्ध होते हैं और उन्हें चेतावनी देते हैं कि किसी को हीन समझकर उसका अनादर कभी नहीं करना चाहिए। क्या पता कब वह तुमसे बलशाली होकर तुम्ही को रौंद डाले। यह कबीर की प्रगतिशील चेतना का एक महत्वपूर्ण आयाम है—

“कबीर घास न नीदिये, जो पाऊँ तले होइ।

डड़ि पड़ै जब आँख में, खरा दुहेला होइ।।⁴

कबीर कालीन समाज में उच्च वर्ग विलासिता में आकंठ इतना डूबा हुआ था कि समाज की निम्न वर्गीय जनता किस प्रकार कंगाल हा रही है और दुर्भिक्ष के संकटों से जूझ रही है इसका ख्याल करने वाला शायद कोई न था। इसका एक मात्र कारण आर्थिक विषमता ही प्रतीत होता है। जनता की स्थिति इतनी संकटपूर्ण थी कि उन्हें संतानों के स्नेह से भी वंचित होना पड़ा था

कोई लरका बेचई लरकी बेचै काई।⁵

कबीर केवल धनिकों को ही नहीं बल्कि उननिर्धनों को भी फटकार लगाते हैं, जो बिना कर्म किए अपनापेट भरना चाहता है, जो निर्धन होने की दुहाई देकर शिक्षामार्गने का जतन करता है। वे निर्धनों में आत्म-सम्मानजागृत कराने के उद्देश्य से कहते हैं कि—

“भूखा-भखा क्या करे, कहा सुनावे लोग।

भांडा घड़ि जिनि मुदिया, कोई पूरण जोग।⁶

कबीर धन को महत्व देते हैं लेकिन आवश्यकता से अधिक अर्थ-संचय के वे विरोधी भी हैं। वे उतना ही धन आवश्यक मानते हैं जिससे कि परिवार का भरण-पोषण आसानी से हो जाय तथा साधु-सन्यासी, मित्र-बन्धुओं, अतिथि आदि को भी सम्मान के साथ खिलाया जा सके।

साई इतना दीजिए, जामे कुटुम्ब समाए।

मैं भी भूखा ना रहूँ, साधु न भूखा जाय।।⁷”

भक्त कवि रैदास ने मानव जीवन को हीरे की तरह अनमोल माना है। धन के पीछे अपने जीवन को नष्ट करने वाले मनुष्यों को ये कहते हैं कि धन तो जीवन की झूठी आशा है—

“धन जीवन की झूठी आसा

सति सति भाषे जन रैदासा।।⁸”

कबीर के समान रैदास जी ने भी कर्मपूर्वक आजीविका चलाने की बात कही है। उनका कहना है कि श्रम करके जो अपनी जीविका, रोजी-रोटी चलाता है। उसकी यह नेक कमाई कभी निष्फल नहीं होती है

**रविदास श्रम करि खइहिं ज्यौ लो पार बसाय
नेक कमाई जउ करई, कबहुँ न निहकल जाए।।⁹**

है—

धनु— धनु कहा पुकारते माइआ सभ कूट।**नम बिहूने नानका होत जात सभु घूर।।¹⁰**

नानक जी कहते हैं कि धन व बल का अहंकार करने से कोई लाभ नहीं है। यह शरीर जिसका तुझे अभिमान है अपना नहीं है। राज्य, भूमि, धन आदि सदा केतेरे अपने नहीं है। तू किस किससे मोह कर रहा है ?

आपन तनु नहीं जाको गरबा।**राज मिलख नहीं आपन दरसा।।****आपन नहीं का कड लपटाइओ।****आपन नामु सतिगुर ते पाइओ।।¹¹**

नानक धन से होने वाले विकारों की निंदा करते हैं क्योंकि समाज में जितने भी विकार व्याप्त हो रहे थे या आज हो रहे हैं उनमें अर्थ की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपनी बातों को अन्य निर्गुण भक्तों की अपेक्षा अधिक व्यावहारिक ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है।

संत दादूदयाल ने कहा है कि राम ही मेरा रोजगार और सम्पत्ति है, उन्हीं के प्रसाद से परिवार का पोषण होता है। व्यर्थ मैं खाने-पीने की चिंता करने से क्या लाभ धन के लिए झींखने से क्या लाभ क्योंकि जो होना है वह तो होगा ही तथा जो कुछ जाना है वह जायेगा ही। इस विषय में चिंता करने से मनुष्य अपने चित्त को ही खायेगा यानी कि अशांत करेगा

दादू च्यंता कीया कुछ नहीं च्यता जीव कू खाई।**हूणा है सो है रह्या जाणा है सो जाइ।।¹²**

राजधन का सुख सिर्फ कुछ दिनों का होता है, और जो मनुष्य इसके पीछे भागता है वह मूर्ख है। क्योंकि धन तो स्वप्नवत है, इसे नष्ट होने में जरा भी समय नहीं लगता—

दादू माया का सुष पंच दिन, गरव्यौ कहा गंवार।**सुपिनै पाया राजधन, जात न लागे बार।।¹³**

कवि सुन्दरदास अपने युग की आर्थिक असमानता से पूर्णरूपेण परिचित थे जहाँ उच्च वर्ग अनेक सुख-सुविधाओं में लिप्त था वहीं निर्धन वर्ग में दरिद्रता व्याप्त थी फलस्वरूप समाज में विभिन्न प्रकार के आपराधिक कर्म चोरी, लूटमार आदि निर्धन वर्ग की जनता द्वारा किए जा रहे थे। संस्कृत की प्रसिद्ध उक्ति है—बुभुक्षितः किं न करोति पापं यानी कि भूखा व्यक्ति क्या पाप नहीं कर सकता। कोई पेट की खातिर चोरी करता है, कोई लूटमार करता है, कोई हिंसा करता है—

पेटहि कारण जीव हतै बहु, पेटहि मांस भखै केसुरा पी।**पेटहि लेकर चोरी करावत, पेटहि कूंगठरि गहि कापी।।¹⁴**

इस प्रकार सभी निर्गुण भक्त कवियों ने धन की महत्ता उतनी ही स्वीकार की जितने में जीवन की मूलभूत आवश्यकता पूर्ण हो जाये। अपने प्रभु से अलग निर्गुण कवियों ने यदि अर्थिक सत्ता का अनुभव किया तो वो भी आध्यात्मिक रूप में तथा समाज में आर्थिक असमानतादूर करने के संदर्भ में क्योंकि वे समाज में भेदभावरहित वातावरण का निर्माण करना चाहते थे। सभी निर्गुण कवियों ने सांसारिक धन को तुच्छ बतलाते हुए राम नाम रूपी धन को अपनाने की सलाह दी है, क्योंकि इससे न तो अमाव उत्पन्न होता है और न ही कुबुद्धि बल्कि समाज में सबका सबके साथ समभाव बना रहता है जो कि सामाजिक गतिविधियों के सुचारु रूप से संचालन के लिए परमावश्यक है। कर्म करते हुए धनार्जन को श्रेष्ठ बताया निठल्लों की तरह बैठकर भिक्षाटन करना या अन्य अन्यायपूर्ण तरीकों से कमाये गए धन को तुच्छ बताया।

सन्दर्भ :

1. पाण्डय, डॉ० रामसजन, 1995, संतों की सांस्कृतिक संस्कृति, उपकार प्रकाशन, दिल्ली संस्करण, पृ० 302
2. वही, पृष्ठ— 303 13.
3. श्यामसुन्दर दास, कबीर ग्रन्थावली, नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी, संस्करण सं० 2055 वि०, पृ० 135
4. वही, निधा की अंग, पृ० 65
5. वही, परिशिष्ट, पृ० 199
6. वही, बेसास की अंग, पृ० 45
7. मिश्रा, डॉ० भोलानाथ, हिन्दी संत साहित्य में प्रतिबिम्बित समाज, पृ० 259
8. सिंह, डॉ० योगेन्द्र, संत रैदास, अक्षर प्रकाशन प्राइवेट लि०, दिल्ली संस्करण 1972 (फरवरी), पृ० 66
9. डॉ० धर्मवीर, गुरु रविदास, समता प्रकाशन, शाहदरा, दिल्ली संस्करण, 1997, पृ० 16
10. गुरु ग्रन्थ साहित्य सलोक, पृ० 710
11. वही, रागु गडडी गुआरेरी महला 5 चरपदे दुपदे, पृ० 535
12. चतुर्वेदी, आचार्य परशुराम, दादू दयाल ग्रन्थावली, सांच को अंग, नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी, पृ० 158
13. वही, माया की अंग, पृ० 127
14. गुप्ता, डॉ० किशोरी लाल, सुंदर विलास—अधीर उराहने को अंग, कल्याणदास एण्ड ब्रदर्स, ज्ञानवापी, वाराणसी, संस्करण—1974, पृ०

समाज और आधुनिकीकरण : एक अवलोकन

डॉ० किसलय सिन्हा*

*सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग, रमा देवी बाजला महिला महाविद्यालय, देवघर(झारखंड)

सारांश : आधुनिकीकरण की प्रक्रिया ने वैज्ञानिक सोच के आगमन के बाद से मनुष्य के जीवन और मानव प्रथाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। मनुष्य सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सौंदर्य और आध्यात्मिक जीवन के क्षेत्रों में तर्क और व्यवहार के माध्यम से विचार और व्यवहार के नए दृष्टिकोणों को सामने ला रहा है। सामाजिक अलगाव के कारण महिलाएं विकास के कई लाभों से वंचित थीं। सामान्य रूप से मानव जागरूकता और विशेष रूप से लोकतंत्र के आगमन के साथ, महिलाओं ने एक नया सामाजिक दर्जा प्राप्त किया। यह सब शिक्षा का परिणाम है। इसके अलावा, नारी शिक्षा पर अमिट छाप आधुनिकीकरण की प्रक्रिया ने भी छोड़ दी है, इसलिए, शिक्षा और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया दोनों को महिलाओं के विकास के लिए जिम्मेदार माना गया है।

मुख्य शब्द : आधुनिकीकरण, अर्थव्यवस्था, लोकतंत्र, नारी शिक्षा, धर्मनिरपेक्षता, औद्योगिकीकरण आदि।

देश की आजादी के बाद से, भारत में हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं में सामाजिक परिवर्तन अभूतपूर्व हो गया है। देश की नीतियों और कार्यक्रमों को विशेष रूप से शिक्षा, अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामान्य जनकल्याण के क्षेत्र में शुरू किया गया है। इन कार्यक्रमों ने हमारे सामाजिक जीवन की प्रक्रिया के परिवर्तन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। आधुनिक शिक्षा ने जीवन के प्रति नए मूल्यों, मानदंडों, आशाओं और आकांक्षाओं को जन्म दिया है। इस परिवर्तन ने देश के कोने-कोने में व्याप्त सामाजिक परिवर्तन की शक्तियों को उत्पन्न किया है। आदिवासी क्षेत्र जो अंग्रेजों के दौरान राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा से बाहर रहे, इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सामाजिक परिवर्तन और आधुनिकीकरण की सामान्य प्रवृत्ति से अवगत कराया गया है और अब उनको राष्ट्रीय जीवन की प्रगति पर लाया गया है।

आधुनिकीकरण की अवधारणा, लंबे समय से एक सार्वभौमिक परिभाषा और विश्लेषण के उपयुक्त स्तर पर सहमति की कमी से ग्रस्त है। यह शब्द सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया पर लागू होता है, जिससे कम विकसित समाज अधिक विकसित समाजों से सामान्य विशेषताओं का अधिग्रहण करते हैं (डेविड, सिल्स, 1972), इसका उपयोग तर्कसंगतता और धर्मनिरपेक्षता के विकास और एक ऐसी प्रक्रिया के लिए किया जाता है जिसके द्वारा मनुष्य को अत्याचारी शासन, कुरीतियों से छुटकारा मिल जाए, जैसे कि अंधविश्वास से यह अर्थशास्त्र और राजनीति में सामाजिक व्यवहार में व्याप्त दृष्टिकोण में होने वाले परिवर्तनों से भी संबंधित है। शहरीकरण कैसे होता है, कैसे सामाजिक संरचना में परिवर्तन होता है, शैक्षिक प्रणाली कैसे परिवर्तित होती है और औद्योगिकीकरण कैसे होता है। वास्तव में, आधुनिकीकरण का अर्थ वर्तमान समय के अनुकूल होना है, पुरानी आदतों, रीति-रिवाजों को त्यागते हुए परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार परंपराओं और दृष्टिकोण में परिवर्तन होता है। आज जो माना जाता है, वह कुछ वर्षों के बाद शायद वैसा न हो। कुल मिलाकर यह एक के बाद एक चरण में हासिल की जाने वाली एक सतत प्रक्रिया है। आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान का समाज में प्रचार एवं प्रसार होता है जिससे समाज में व्यक्तियों के स्तर में सुधार होता है और समाज अच्छाई और विकास की ओर बढ़ता है। — अलातास

आधुनिकीकरण परिवर्तन की एक प्रक्रिया है इसका संबंध मुख्य रूप से विचारों एवं मनी व्रतियों के तरीकों में बदलाव, नगरीकरण में वृद्धि साक्षरता का बढ़ना प्रति व्यक्ति आय का बढ़ना तथा राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि जैसे परिवर्तन से होता है। — डेनियल लर्नर

आधुनिकीकरण को प्रक्रिया है जिससे ऐतिहासिक रूप से उत्पन्न संस्थाएं तेजी से बदलती हुई नई जिम्मेदारियों के साथ अनुकूलित होती हैं जिसमें वैज्ञानिक प्रगति से जुड़ी अपने परिवेश पर नियंत्रण की क्षमता वाले मनुष्य के ज्ञान में अभूतपूर्व वृद्धि दिखाई देती है। — सी.ई. ब्लेक

आधुनिकीकरण को सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है जिसमें सामाजिक गतिविधि के आर्थिक घटक में विकास होता है। जब राष्ट्र या राज्य के स्तर पर विचार किया जाता है, तो व्यापक रूप से साझा राय होती है। धारणा का तात्पर्य "वृद्धि" शब्द में निहित परिवर्तन से है। इसे मानव समस्याओं के समाधान के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के रूप में, संक्षेप में व्याख्यायित किया जा सकता है। इस तरह के परिवर्तन निश्चित रूप से सामाजिक संरचना के एक व्यापक तन्त्र को प्रभावित करते हैं, जो राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय और यहां तक कि व्यक्तित्व में परिवर्तन तक के क्षेत्र में होते हैं।

कुछ सामाजिक वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया है कि आधुनिकीकरण की किसी भी परिभाषा का प्रारंभिक बिंदु समाजों की प्रकृति में नहीं है बल्कि लोगों की विशेषताओं में है, जो उस समाज का हिस्सा होते हैं (टोरस्टन एंड हुसैन, 1985 इंकलेस एंड स्मिथ 1974) इस प्रकार यह लोगों का स्वभाव और मानसिक रवैया है, जो संगठन के उच्च स्तर को बदलने के लिए एक प्रकार की पूर्व कन्डीशन है इंकलेस एंड स्मिथ (1974) ने अपने प्रसिद्ध शोध "बीकमिंग मॉडर्न" में व्यक्तिगत आधुनिकता के अनुभवजन्य सत्यापन का एक व्यवस्थित अन्वेषण दिया। इंकलेस और उनके सहकर्मियों (1974) ने "आधुनिक" शब्द का इस्तेमाल व्यक्तिगत कामकाज की एक विधा के रूप में किया। छह विकासशील देशों अर्जेंटीना, चिली, भारत, इजराइल, नाइजीरिया और तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान (बांग्लादेश) में से प्रत्येक में लगभग 1000 श्रमिकों पर आधारित इंकलेस, और स्मिथ की शोध रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला है कि आधुनिक समाजों में पुरुषों द्वारा साझा किए गए कुछ दृष्टिकोण हैं, जिसमें सांस्कृतिक अंतर शामिल नहीं है। आधुनिक व्यक्ति के संदर्भ में इलेक्स इनकेल्स और स्मिथ द्वारा दिए गए दृष्टिकोण और व्यवहार पैटर्न की एक श्रृंखला की रूपरेखा इस प्रकार है— 1. नए विचारों और नए तरीकों को स्वीकार करने की तत्परता, 2. राय व्यक्त करने की तत्परता, 3. एक सकारात्मक समय बोध जो पुरुषों को अतीत की तुलना में भविष्य और वर्तमान में अधिक रुचि रखता है। 4. समय की पाबंदी की बेहतर समझ 5. योजना, संगठन और दक्षता के लिए एक बड़ी चिंता, 6. दुनिया से सीखने योग्य देखने की प्रवृत्ति 7. विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विश्वास और 8. समान वितरणात्मक न्याय में विश्वास।

टीसी एस एन ईसेनस्टेड (1969) के अनुसार "ऐतिहासिक आधुनिकीकरण उस प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं के प्रति परिवर्तन की प्रक्रिया है जो पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी में विकसित हुई हैं और 19वीं और 20वीं शताब्दी में दक्षिण अमेरिका, एशियाई और अफ्रीकी महाद्वीपों के साथ अन्य यूरोपीय देशों में फैल गई हैं। **लनर (1962)** की अवधारणा मुख्य रूप से पश्चिमीकरण पर आधारित है उनके अनुसार "आधुनिकीकरण में सार्वजनिक संस्थानों के साथ-साथ निजी आकांक्षाओं को छूती हुई प्रत्यक्षवादी भावना शामिल है।"

आधुनिक भारत के संदर्भ में **श्रीनिवास** ने कहा कि आधुनिकीकरण उन्नत **"मीडिया एक्सपोजर"** द्वारा चिह्नित है, जो व्यापक आर्थिक भागीदारी (प्रति व्यक्ति आय) राजनीतिक भागीदारी (मतदान) और सामाजिक गतिशीलता में हुई वृद्धि से जुड़ा है। **योगेंद्र सिंह (1973)** द्वारा दिखाए गए एक मॉडल के माध्यम से बताया "कि समाज, आधुनिकता की परम्परा से बदलता है और इस तरह छोटी-छोटी परंपरा धीरे-धीरे महान परंपरा में बदल जाती है।" उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि आधुनिकीकरण की अवधारणा का पता लगाने की आवश्यकता है। कुछ हद तक आधुनिकीकरण पर शोध साहित्य में, कई सामाजिक विज्ञान विषयों के विशिष्ट सैद्धांतिक लेख देखना संभव है, जो सामाजिक परिवर्तन के परिणामों पर आधारित हैं। सामाजिक वैज्ञानिकों ने अपने व्यक्तिगत स्तर पर आधुनिकता की संकल्पना की है जिसमें कुछ सामाजिक क्षेत्रों से संबंधित दृष्टिकोण और व्यवहार पर जोर दिया गया है। व्यक्तियों के व्यवहार और व्यवहारिक क्रिया प्रवृत्तियों में परिवर्तन देखकर अवधारणा को परिचित किया जा सकता है। हालांकि, अलग-अलग वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण अलग-अलग हैं, जिन्हें संक्षेप में निम्न क्षेत्रों को प्रस्तुत किया जा सकता है— 1. आधुनिकीकरण को किसी के आंतरिक गुणों के संदर्भ में माना जाता है। जैसे कि किसी के व्यवहार में तर्कसंगतता, निष्पक्षता, व्यापक सोच और लचीलेपन की वृद्धि। 2. एक समाजशास्त्री के लिए आधुनिकीकरण विभेदीकरण की प्रक्रिया है जो आधुनिक समाजों की विशेषता है। 3. एक अर्थशास्त्री के लिए आधुनिकीकरण का अर्थ आर्थिक विकास और भौतिक उन्नति से है। 4. आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के अनुप्रयोग के संबंध में, यह आधुनिक समाज के तकनीकी उन्नत मॉडलों को अनिच्छा से पश्चिमीकरण के साथ संदर्भित करता है। इसके अलावा, आधुनिकीकरण की अवधारणा में निम्नलिखित विशेषताएं प्रतीत होती हैं— 1. पुराने से नए में बदलाव। 2. परिवर्तन के लिए समायोजन। 3. परिवर्तन की प्रक्रिया के प्रति गतिशील और बाहरी दृष्टिकोण। 4. कौशल के लिए क्षमताओं का विकास। 5. परिवर्तन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए व्यवहार। 6. आर्थिक और भौतिक प्रगति के लिए नए तकनीकी मॉडल का विकास।

शिक्षा, जिसे आधुनिक समाज में कौशल, दृष्टिकोण और मूल्य प्रदान करने वाले एक संगठित प्रयास के रूप में देखा जाता है, और जो समाज में रहने योग्य बनाने की प्रथम सीढ़ी है, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। **फ्रेडरिक हार्बिन्सन और चार्ल्स ए. मेयर्स (1980)** द्वारा दिया गया बयान 'शिक्षा वह कुंजी है जो आधुनिकता के द्वार को खोलती है' और संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा दिया है शिक्षा के क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि आधुनिकीकरण का मतलब शिक्षा, शिक्षित और कुशल नागरिकों का निर्माण करके उन्हें समाज में फैलाना है, जिससे वह समाज में आधुनिकीकरण को बड़े स्तर पर विकसित कर सकें।

स्वतंत्र भारत में समाज के स्वरूप और उसके आदर्शों में एक और परिवर्तन आया शिक्षा को राष्ट्र के सर्वांगीण विकास को प्राप्त करने का उद्देश्य दिया गया था। भारत में शिक्षा आधुनिक भारत की जरूरतों और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उपयोगिता और आदर्शवाद के बीच एक संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करती है। प्रौद्योगिकी के उपयोग के कारण आज का सामाजिक जीवन आदिम सामाजिक जीवन से बहुत अलग है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हाल के उल्लेखनीय विकासों ने मानवीय धारणा और मूल्यों में परिवर्तन किया है। नतीजतन, हाल ही में शिक्षा को दिए गए उद्देश्यों में से एक क्षमता विकसित करना और तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। हाई-टेक विकास के अलावा, आर्थिक परिवर्तनों ने भी सामाजिक जीवन को काफी प्रभावित किया है **एस.एन. ईसेनस्टेड (1966)** ने ठीक ही कहा है कि, आधुनिक समाजों में शैक्षणिक संस्थानों में विशेषताओं के विश्लेषण के लिए यह शायद सबसे अच्छा प्रारंभिक बिंदु है, जो कि आधुनिकता की मांग के साथ विकसित होने वाली शैक्षिक सेवाओं की मांग और आपूर्ति के अनुरूप हो।

योगेंद्र सिंह के शब्दों में, "शिक्षा भारत में आधुनिकीकरण के सबसे प्रभावशाली साधनों में से एक रही है इसने लोगों की राष्ट्रवाद, उदारवाद और स्वतंत्रता के लिए भावनाओं को प्रेरित किया है। यह अकेले ही प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों के विकास के लिए जिम्मेदार रही है जिसने न केवल स्वतंत्रता के लिए एक आंदोलन को आगे बढ़ाया बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक सुधारों के लिए एक अथक संघर्ष भी किया।" शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य आधुनिकीकरण है आधुनिकीकरण एक व्यापक अवधारणा है जिसका उद्देश्य समाज में गहन गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तनों का धारण करना, उनका वर्णन करना और उनका मूल्यांकन करना है।

आधुनिकीकरण लाने में शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका के बारे में पश्चिम और भारत में शोध किए गए हैं। उनमें से अधिकांश ने दोनों के बीच सकारात्मक संबंध दिखाया है। **हालॉकि, सॉन्डर्स (सॉन्डर्स, जॉन वी.डी. 1969)** ने ब्राजील में शिक्षा और आधुनिकीकरण पर अपने अध्ययन में ज्ञात किया है कि यह आधुनिकता को कमजोर करता है। उन्होंने टिप्पणी की, "ब्राजील के स्कूल में, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर जहां व्यक्तित्व विकास पर उनका प्रभाव सबसे अधिक होता है, व्यक्तित्व लक्षणों को विकसित करने के बजाय आधुनिकीकरण के लिए जोर देते हैं, और जो समाज के नवप्रवर्तक को कमजोर करता है।" **लनर** ने अपने शोध कार्य में पारंपरिक समाज के पारित होने पर जोर दिया कि साक्षरता, आधुनिकीकरण प्रक्रिया में अंतर्निहित बुनियादी व्यक्तिगत कौशल है, और जो प्रतिभागी समाज को विकसित करती है तकनीकी और सामाजिक-राजनीतिक विन्यास के कारण महिलाओं की धारणाओं में बदलाव की भूमिकाओं के संबंध में शिक्षा के क्षेत्र ने महिलाओं के लिए नए आयाम और रूपरेखा प्रदान की है। विभिन्न विषयों के विभिन्न पाठ्यक्रमों में भाग लेकर महिलाओं के अध्ययन को बढ़ावा दिया जा रहा है और महिला विकास के सक्रिय कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

भारत की स्वतंत्रता के पूर्व की अवधि के दौरान, समाज में महिलाओं की सामाजिक अक्षमताओं को दूर करने की आवश्यकता पर लोगों के मन में जागरूकता और चेतना जगाई गई थी। महिला संगठन, मध्यवर्गीय शहरी महिलाओं की जरूरतों और मुद्दों का प्रतिनिधित्व करने और आवाज उठाने से उनके लिए शिक्षा के द्वार खोले गए थे। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी से महिलाओं की गतिशीलता में वृद्धि हुई। आधुनिकीकरण की जटिल प्रक्रिया ने विभिन्न अंशों में महिलाओं की स्थिति को प्रभावित

किया है। इस अवधि में महिलाओं ने अपने तक सीमित क्षेत्रों में रोजगार की तलाश में अधिक से अधिक आर्थिक रूप से स्वतंत्र होकर अपने पैरों पर खड़े होने की आवश्यकता महसूस की।

भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान दो प्रमुख आंदोलन हुए जिन्होंने महिलाओं की स्थिति को प्रभावित किया। ये थे उन्नीसवीं सदी में सामाजिक सुधार आंदोलन और बीसवीं सदी का राष्ट्रीय आंदोलन ब्रिटिश शासकों के उदार दृष्टिकोण और मूल्यों से प्रभावित होकर समाज सुधारकों ने लिंग समानता की वकालत करने की कोशिश करके महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार लाने के लिए यहां-वहां प्रयास किए एक और बहुत शक्तिशाली शक्ति जिसने महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण को बदलने में मदद की। वह गांधीवादी चरण के दौरान राष्ट्रवादी आंदोलन थी राष्ट्रवादी आंदोलन में महिलाओं ने खुद को समूहों में संगठित किया और जुलूस में शामिल होकर, पुलिस फायरिंग का सामना करा और ये जेल जाने के लिए भी तैयार थी (संजय केतन जेना, 1993)

भारत में 19वीं शताब्दी से जब समाज में महिलाओं की निम्न स्थिति के खिलाफ पहली आवाज उठाई गई, समाज सुधारकों ने महिलाओं की शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दी। 1949 में कलकत्ता में बेथून स्कूल की स्थापना की गई और कुछ स्वदेशी प्रयासों के साथ गुजरात और महाराष्ट्र में इसी अवधि के दौरान लड़कियों के लिए स्कूलों की स्थापना से, महिलाओं की शिक्षा की स्वीकृति की दिशा में पहला कदम उठाया गया था (देसाई राय, 1987)। हालांकि उदारवादी सुधारकों ने लड़कियों के लिए शिक्षा के मूल्य और इसकी सामग्री को लड़कियों के स्तर के लिए मान्यता दी थी। शिक्षित परिवार में महिलाओं की भूमिका उनकी सीमित धारणा से बहुत अधिक निर्धारित थी। यह विश्वास था कि समाज के परिवर्तन के विशाल कार्य में, जिसमें शिक्षित मध्यम वर्ग के पुरुष शामिल थे, यदि महिलाओं को शिक्षा दी जाती है, तो न केवल समाज में हो रहे परिवर्तनों की सराहना की जाएगी बल्कि समाज इस परिवर्तन की प्रक्रिया को तेज करने में भी सहयोग करेगा। उन्होंने महिलाओं की पारंपरिक पत्नी माँ की भूमिका में कमी भी बदलाव की परिकल्पना नहीं की। हालाँकि यह समाज सुधारक लड़कियों को शिक्षा देने के मूल्य को स्वीकार कराने का माहौल तैयार करने में सफल रहे। (नतेसेन एन. डी. कर्वे, डी.के. 1936 रानाडे, एम. जी. 1902 मजूमदार, वीना, 1985)।

समाज सुधारकों द्वारा की गई उत्कृष्ट दलीलों के बावजूद, महिला शिक्षा का प्रसार व्यापक नहीं था। राष्ट्रवादी उभार के दौरान, विशेष रूप से तीस के दशक के बाद, एक महत्वपूर्ण बदलाव तब शुरू हुआ जब महिलाओं ने राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और ऐसे संगठनों का निर्माण किया जहां शिक्षा की आवश्यकता पर लगातार जोर दिया गया। बेशक इस चरण के दौरान भी महिलाओं की भूमिका की धारणा में ज्यादा बदलाव नहीं आया था, लेकिन फिर भी धीरे-धीरे यह महसूस किया जा रहा था कि शिक्षा उनकी व्यापक भागीदारी के लिए आवश्यक अंग है। पहले की अवधि की तुलना में इस चरण के दौरान अधिक महिलाएं स्कूलों और कॉलेजों में जाती थीं और कुछ ने शिक्षण, चिकित्सा और कानून के व्यवसायों में प्रवेश किया था। लेकिन इनमें से कुछ प्रगति के बावजूद महिला शिक्षा की वृद्धि बहुत धीमी रही थी आजादी की पूर्व संध्या पर केवल आठ प्रतिशत महिलाएं ही साक्षर थीं। शिक्षा महिलाओं की स्थिति के पूर्ण प्रचार और सुधार का आधार है और इस दशक के तीन लक्ष्य समानता, विकास और शांति, तीन उप विषयों रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा से अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पुरुषों द्वारा जिम्मेदारी साझा करने की आवश्यकता होती है। समकालीन महिलाओं तक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को कवर करने वाले व्यापक बदलाव के लिए निम्नलिखित आयामों पर ध्यान देने की आवश्यकता है— 1. प्राचीन भारत में मातृत्व की विचारधारा। 2. दर्शनिकों और समाज सुधारकों द्वारा कल्पना की गई महिलाओं की स्थिति 3. आधुनिकीकरण और महिलाएं।

समाजशास्त्र विभाग कुवेम्पु विश्वविद्यालय (1992) महिला और विकास, आलोचनात्मक पहलू मुझे पर दो दिवसीय संगोष्ठी में महिलाओं के विकास हेतु निम्नलिखित पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया—1. महिला और विकास महत्वपूर्ण मुद्दे 2. महिला और शक्ति 3. महिलाएं और अर्थव्यवस्था 4. महिला आर जनसंचार माध्यम 5. महिला और शिक्षा 6. महिला और सार्वजनिक स्वास्थ्य।

महिलाओं के सन्दर्भ में, यह सच में कहा गया है कि, पालने को हिलाने वाला हाथ दुनिया पर राज कर सकता है।" नारी की डोरी में वह क्रांतिकारी शक्ति छिपी है जो धरती पर जन्मत स्थापित कर सकती है। वर्तमान में नागालैंड में महिलाओं के बीच शिक्षा का स्तर एक बोधगम्य ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। वहाँ महिलाओं ने सभी गतिविधियों में भाग लिया है और महिलाओं ने वर्तमान की भूमि बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है महिलाएं शिक्षक, पादरी, महिला पुलिस, डॉक्टर, नर्स, सिविल सेवाओं में प्रशासक, सामाजिक कार्यकर्ता, व्यावसायिक उद्यमी और अन्य सभी कार्यों को कर रही हैं। इस प्रकार महिलाओं की शिक्षा ने समाज के विभिन्न क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। आओ समुदाय में आधुनिकता के मामले में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की श्रेष्ठता पर ध्यान देना आश्चर्यजनक है। हालांकि नागा परंपरागत रूप से पितृसत्तात्मक समाज है, फिर भी महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के लिए समान दर्जा और अवसर दिए जाते हैं।

सन्दर्भ :

1. डेविड, एल. सिल्स, 1972, इंटरनेशनल इनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज (वॉल्यूम 9 और 10) मैकमिलन कंपनी और फ्री प्रेस, न्यूयॉर्क, सहलियर मैकमिलन प्रकाशक, लंदन
2. इनकेलेस और स्मिथ, 1974, छह विकासशील देशों में "बीकमिंग मॉडर्न", कैम्ब्रिज मेसाचुसेट्स, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस
3. आइन्सन्स्टेड, एस.एन., 1909, मॉडर्नाइजेशन प्रोटेस्ट एंड चेंज प्रेंटिस हॉल ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली
4. लर्नर, डैनियल, 1908, "द पासिंग ऑफ ए ट्रेडिशनल सोसाइटी द फ्री प्रेस, न्यूयॉर्क कोलियर मैक मिलन लिमिटेड, लंदन,
5. श्रीनिवास, एम.एन. 1947, "सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया", ओरिएंट लॉन्गमैन लिमिटेड, नई दिल्ली
6. सिंह, योगेंद्र, 1988, "भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण, रावत प्रकाशन, जयपुर
7. कुमार, बी.बी., 1993, "नागा समाज में आधुनिकीकरण, ओमसोन्स प्रकाशन, नई दिल्ली
8. ओ. ईसेन्स्टेड एस.एन. 1968, "मॉडर्नाइजेशन प्रोटेस्ट एंड चेंज" प्रेंटिस हॉल ऑफ इंडिया, प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली,
9. सिंह, योगेंद्र, 1973, भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण, रावत प्रकाशन, जवाहर नगर, जयपुर
10. सॉन्डर्स, जॉन वी.डी., 1969, शिक्षा और आधुनिकीकरण, लुइसाना स्टेट यूनिवर्सिटी, ब्राजील
11. Rana Singh, 2009, Banaras : Making of India's Heritage City, Cambridge Scholars Publishing

उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति और भागीदारी

मनोज कुमार वर्मा*

*शोधार्थी, राजनीति विज्ञान, रामबचन सिंह राजकीय महिला महाविद्यालय, बगलीपिजड़ा, मऊ, उ०प्र०

डॉ० पवन कुमार सिंह**

**असि० प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान, रामबचन सिंह राजकीय महिला महाविद्यालय, बगलीपिजड़ा, मऊ, उ०प्र०

सारांश : वर्तमान में महिलाएँ उन सभी क्षेत्रों में भी योगदान दे रही हैं, जो कभी महिलाओं के लिए वर्जित माने जाते थे। देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में भी महिला साक्षरता दर, बालिका शिशु मृत्यु दर, कार्य भागीदारी दर जैसे मामलों में स्थिति अब बेहतर हुई है। कारोबार और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी स्थिति में सुधार हुआ है। प्रस्तुत शोध पत्र में उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति और भागीदारी का तुलनात्मक अध्ययन शेष भारत के सापेक्ष किया गया है। कुछ संकेतकों में स्थिति अच्छी नहीं मानी जा सकती है। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति और भागीदारी का आकलन करना है और उनके सशक्तीकरण के वर्तमान प्रयासों का पड़ताल करते हुए जरूरी सुझाव देना है।

मुख्य शब्द : सशक्तीकरण, साक्षरता, लैंगिक समानता, महिला कार्यबल, सामाजिक संरचना आदि।

प्रस्तावना : दुनिया भर में, गरीबी में रहने वाले 1.2 बिलियन लोगों में से 70% महिलाएँ हैं। स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, बाल देखभाल, आवास, भोजन और पानी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अपर्याप्त या गैर-लैंगिक सामाजिक कार्यक्रमों और नीतियों से महिलाएँ असमान रूप से प्रभावित होती हैं। इन कार्यक्रमों का एक विशाल बहुमत महिलाओं की विशिष्ट जरूरतों और हितों पर विचार नहीं करता है, विशेष रूप से उनकी देखभाल करने वाली भूमिकाओं को देखते हुए। उत्तर प्रदेश आबादी के मामले में भारत का सबसे बड़ा राज्य है और महिलाओं की जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम है। लेकिन हाल के कुछ वर्षों में सकारात्मक प्रगति दिखती है। कई क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी में सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं।

पद्धति : अध्ययन माध्यमिक डेटा पर आधारित है। आँकड़े मुख्य रूप से सरकार, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ), रजिस्ट्रार ऑफ इंडिया आदि की जनगणना रिपोर्टों से एकत्र किए जाते हैं। शेष भारत की तुलना में उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति की जाँच विभिन्न संकेतकों में महिला साक्षरता (एफएल), महिला कार्यबल भागीदारी दर (एफडब्ल्यूपीआर), सकल नामांकन अनुपात, बीच में स्कूल छोड़ने की दर, लिंग अनुपात, महिला शिशु मृत्यु दर, विवाह की आयु और निर्णय लेने/महिला सशक्तिकरण में महिलाओं की भागीदारी के आधार पर की जाती है। ज्यादातर, स्थिति की जाँच विभिन्न संकेतकों में राज्यों की रैंकिंग की विधि की मदद से की जाती है। रैंकिंग सबसे अच्छे से सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों को दी गयी है। तथापि, बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर, शिशु मृत्यु दर आदि जैसे नकारात्मक संकेतकों के मामले में। (जहाँ उच्च मूल्य समाज के लिए प्रतिकूल हैं), रैंकिंग सबसे खराब से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों को दी जाती है।

साहित्य समीक्षा : सिंह, संध्या और सिंह (2021) उत्तर प्रदेश या राष्ट्र, कोई भी राष्ट्र, आज तीव्र प्रतिस्पर्धा की दुनिया में विकसित होने के लिए, आर्थिक विकास के मूल में उद्यमियों की आवश्यकता है। उद्यमशीलता गतिविधियाँ और उद्यमिता सदियों से एक पुरुष प्रधान गतिविधि रही है। हालाँकि, आधुनिकीकरण और ज्ञान और प्रौद्योगिकी की उन्नति के कारण, महिलाओं को उनकी क्षमताओं के बारे में पता चला और बेहतर शैक्षिक सुविधाओं ने उन्हें पुरुष प्रधान स्थान में उद्यम करने में सक्षम बनाया है। महिलाएँ आज अपने राष्ट्रों के आर्थिक विकास में प्रमुख खिलाड़ियों के रूप में उभरी हैं। हालाँकि, समाज का यह परिवर्तन बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और इसलिए, महिला उद्यमियों को न केवल एक उद्यम के प्रबंधन के सभी चरणों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भारत जैसे देश में जहाँ लगभग 50% आबादी महिलाओं की है, महिला उद्यमियों की संख्या सिर्फ 13.36% है। भारत में महिलाओं को अपने उद्यमों में प्रवेश करते समय विभिन्न प्रकार की सामाजिक-आर्थिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए, शोध पत्र में महिला उद्यमियों की स्थिति और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए उनके महत्व पर चर्चा की गई है। साथ ही, विभिन्न साहित्यों की समीक्षा करके और इन बाधाओं को दूर करने के लिए मूल्यवान सुझाव प्रदान करके इन महिला उद्यमियों के सामने आने वाली चुनौतियों को पहचानने का प्रयास किया गया है। गुप्ता, डॉ. और राजन, समीर (2017) यदि भारत का उत्तर प्रदेश (यूपी.) राज्य एक देश होता, तो यह दुनिया का 5वां सबसे अधिक आबादी वाला देश होता। इस शोध पत्र में, महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, और ई-गवर्नेंस पहल के रूप में विभिन्न सरकारी प्रक्रिया री-इंजीनियरिंग उपकरणों का अध्ययन और प्रकाश डाला गया है जो महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य में लागू किए जाते हैं। गुप्ता, रचित और अग्रवाल, शालिनी (2017) महिला सशक्तिकरण एक बहुत ही बहस का विषय है, जिसके कई पहलू हैं। यह न केवल दृष्टिकोण में बहुआयामी है, बल्कि यह समझने में भी मदद करता है कि जब महिलाएँ सशक्त होती हैं, तो वे आत्मविश्वास प्राप्त करती हैं और अपनी शक्ति और क्षमताओं को साकार करती हैं। शोध पत्र ग्रामीण महिलाओं के जीवन में एसएचजी के महत्व पर केंद्रित है। इसके लिए अध्ययन भारत के उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के चुनिंदा गांवों में आयोजित किया गया था।

उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति की जाँच निम्नलिखित संकेतकों के आधार पर की जाती है—

1. **महिला साक्षरता और लिंग अंतर :** देश के अन्य राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता और लिंग अंतर को तालिका 1 में प्रस्तुत किया गया है। तालिका में राज्यों की रैंकिंग इस तस्वीर को दर्शाती है कि उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर कम है क्योंकि यह 20वीं रैंक पर है, जबकि साक्षरता दर की तुलना में पुरुषों और महिलाओं के बीच साक्षरता दर में अंतर कम है, लेकिन फिर भी 18वीं रैंक है। साक्षरता दर में लिंग अंतर की व्यापकता की व्याख्या करने के लिए साहित्य में गैर-आर्थिक और आर्थिक दोनों कारकों पर चर्चा की गई है।

तालिका 1 महिला साक्षरता और साक्षरता दर में लिंग अंतर (जीएलआर)

राज्य	साक्षरता महिलाओं में का स्थान	महिला साक्षरता और साक्षरता दर में लिंग अंतर	राज्य	साक्षरता में महिलाओं का स्थान	महिला साक्षरता और साक्षरता दर में लिंग अंतर
केरल	1	2	असम	13	9
मिजोरम	2	3	उड़ीसा	15	17
लक्षद्वीप	3	5	छत्तीसगढ़	16	22
त्रिपुरा	4	7	मध्य प्रदेश	17	20
A और N द्वीप समूह	5	6	आंध्र प्रदेश	18	13
गोवा	6	8	अरुणाचल प्रदेश	19	11
नागालैण्ड	7	4	उत्तर प्रदेश	20	18
महाराष्ट्र	8	12	जम्मू और कश्मीर	21	19
मेघालय	9	1	झारखण्ड	22	23
मणिपुर	10	10	बिहार	23	24
उत्तराखण्ड	11	16	भारत	14	15
गुजरात	12	14			

2. **सकल नामांकन अनुपात** : भारत के अन्य राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश राज्य का सकल नामांकन अनुपात तालिका 2 में प्रस्तुत किया गया है। जब भारत के विभिन्न राज्यों में सामान्य शिक्षा के लिए स्कूलों की कक्षा I&VIII की नामांकन दरों की तुलना की जाती है, तो यह देखा जाता है कि बिहार, गोवा और चंडीगढ़ जैसे शेष भारत के कुछ राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में नामांकन दर तुलनात्मक रूप से बहुत कम है।

तालिका 2: सामान्य शिक्षा के लिए स्कूलों के कक्षा I&VIII में सकल नामांकन अनुपात

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	कक्षा I-VIII (6-13 वर्ष)			राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	कक्षा I-VIII (6-13 वर्ष)		
	लड़कियाँ	लड़के	कुल		लड़कियाँ	लड़के	कुल
आंध्र प्रदेश	90.11	90.18	90.15	उड़ीसा	104.68	105.62	105.16
अरुणाचल प्रदेश	138.1	146.31	142.26	पंजाब	100.6	102.84	101.83
असम	84.9	82.21	83.54	राजस्थान	98.71	109.97	104.08
बिहार	86.03	100.79	93.72	सिक्किम	123.37	118.82	121.08
गोवा	86.13	88.75	87.5	तमिलनाडु	114.07	114.32	114.2
गुजरात	106.04	108.88	107.56	त्रिपुरा	121.74	123.56	122.66
हरियाणा	87.58	84.31	85.79	उत्तर प्रदेश	96.27	94.65	95.42
हिमाचल प्रदेश	109.38	110.37	109.9	पश्चिम बंगाल	110.74	107.16	108.92
जम्मू और कश्मीर	104.27	104.67	104.48	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	73.04	75.62	74.34
कर्नाटक	97.86	99.81	98.76	चंडीगढ़	64.71	62.62	63.55
केरल	97.11	98.58	97.86	डी एंड एन हवेली	101.98	105.24	103.69
मध्य प्रदेश	130.18	133.32	131.81	दमन और दीव	83.48	72.35	77.1
महाराष्ट्र	96.4	99.82	98.18	दिल्ली	116.35	116.31	116.33
मणिपुर	147.71	155.44	151.64	लक्षद्वीप	75.68	73.99	74.83
मेघालय	141.86	135.15	138.49	पुदुचेरी	100.39	95.6	97.87
मिजोरम	133.58	142.98	138.33	भारत	101.09	103.75	102.47
नागालैण्ड	83.45	83.2	83.32				

3. **महिला कार्य भागीदारी दर** : शेष भारत की तुलना में उत्तर प्रदेश राज्य की महिला कार्यबल भागीदारी दर बहुत दयनीय है। तालिका-3 इस तथ्य को प्रकट करती है कि उत्तर प्रदेश में महिला कार्य भागीदारी दर (एफडब्ल्यूपीआर) सबसे कम है क्योंकि यह शीर्ष 23 की सूची में भी नहीं है। और इसमें काम की भागीदारी के मामले में उच्चतम लिंग असमानताएं हैं। सबसे कम एफडब्ल्यूपीआर को आंशिक रूप से इस तथ्य से समझाया जा सकता है कि समुदाय सबसे कम साक्षरता दर और कम निर्णय लेने की शक्ति के कारण महिला कार्यकर्ता को नहीं लेता है या पसंद नहीं करता है।

तालिका 3: महिला कार्य भागीदारी दर (एफडब्ल्यूपीआर)

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	श्रेणी	FWPR	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	श्रेणी	FWPR
छत्तीसगढ़	1	62.7	मध्य प्रदेश	13	41.1
हिमाचल प्रदेश	2	58.8	झारखंड	14	39.8
आंध्र प्रदेश	3	56.5	जम्मू और कश्मीर	15	38.4
नागालैण्ड	4	52.7	गुजरात	16	37.9
मेघालय	5	51.4	उड़ीसा	17	37.8
राजस्थान	6	46.2	उत्तराखंड	18	36.6
मिजोरम	7	45.4	मणिपुर	19	31.5
अरुणाचल प्रदेश	8	45.1	केरल	20	27.3
कर्नाटक	9	43	पंजाब	21	26.3
महाराष्ट्र	10	42.9	असम	22	20.8
सिक्किम	11	41.2	त्रिपुरा	23	15.6
तमिलनाडु	12	41.1	भारत		35.6

स्रोत : एनएसएसओ (2010) की गणना के आधार पर

4. **महिलाओं में एनीमिया** : भारत के विभिन्न राज्यों में महिलाओं में एनीमिया की स्थिति को तालिका- 4 में प्रस्तुत किया गया है। भारत में अधिकांश महिलाएं एनीमिक हैं। पूर्वी भारत और उत्तर प्रदेश में रहने वाली महिलाओं में आयरन की कमी विशेष रूप से स्पष्ट है। उत्तर प्रदेश 20 वें स्थान पर है, यह अपेक्षाकृत अधिक है।

तालिका 4: भारत में एनीमिया से पीड़ित महिलाएं

राज्य	गर्भवती महिलाएं 15-49 वर्ष आयु की जो एनीमिक हैं(%)	रैंकिंग	राज्य	गर्भवती महिलाएं 15-49 वर्ष आयु की जो एनीमिक हैं (%)	रैंकिंग
असम	72.2	1	मध्य प्रदेश	57.9	14
हरियाणा	69.7	2	महाराष्ट्र	57.8	15
झारखंड	68.4	3	त्रिपुरा	57.6	16
जम्मू और कश्मीर	68.3	4	तमिलनाडु	54.6	17
उड़ीसा	68.1	5	अरुणाचल प्रदेश	51.8	18
छत्तीसगढ़	63.1	6	मिजोरम	51.7	19
पश्चिम बंगाल	62.6	7	उत्तर प्रदेश	51.6	20
सिक्किम	62.1	8	उत्तराखण्ड	50.8	21
राजस्थान	61.7	9	पंजाब	41.6	22
गुजरात	60.8	10	नागालैंड	NA	
कर्नाटक	60.4	11	हिमाचल प्रदेश	39.2	23
बिहार	60.2	12	गोवा	36.9	24
मेघालय	60.2	12	मणिपुर	36.4	25
आंध्र प्रदेश	58.2	13	केरल	33.8	26
भारत	57.9		दिल्ली	29.9	27

5. महिला शिशु मृत्यु दर : आम तौर पर, जैविक और आनुवंशिक कारणों से मादाओं की तुलना में नर शिशुओं को मृत्यु के लिए अधिक संवेदनशील माना जाता है। हालांकि, भारत में, महिला शिशु मृत्यु दर पुरुषों से अधिक है, जो मृत्यु दर पर सामाजिक-सांस्कृतिक प्रभावों को दर्शाती है। भारत के राज्यों की महिला शिशु मृत्यु दर तालिका- 5 में प्रस्तुत की गई है और रैंकिंग की गई है। हालांकि आईएमआरएफ को लेकर उत्तर प्रदेश की स्थिति सबसे खराब है, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, यह अच्छा लक्षण नहीं है।

तालिका 5: महिला शिशु मृत्यु दर

राज्य	IMRF	श्रेणी	राज्य	IMRF	श्रेणी
केरल	14	21	झारखंड	44	11
गोवा	15	20	J&K	45	10
मणिपुर	16	19	गुजरात	47	9
तमिलनाडु	24	18	आंध्र प्रदेश	47	9
नागालैंड	28	17	हिमाचल प्रदेश	47	9
त्रिपुरा	29	16	हरियाणा	49	8
महाराष्ट्र	29	16	बिहार	50	7
दिल्ली	31	15	छत्तीसगढ़	54	6
पश्चिम बंगाल	32	14	मेघालय	56	5
अरुणाचल प्रदेश	32	14	राजस्थान	57	4
सिक्किम	32	14	असम	60	6
पंजाब	35	13	उड़ीसा	61	2
मिजोरम	39	12	उत्तर प्रदेश	62	1
कर्नाटक	39	12	भारत	49	

स्रोत: नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस 2012)

6. निर्णय लेने/ महिला सशक्तिकरण में महिलाओं की भागीदारी : जैसा कि रुस्तोगी (2004) द्वारा 1977 से 1999 तक पिछले आठ आम चुनावों में रिपोर्ट किया गया है, 51 से 59 प्रतिशत महिलाओं ने मतदाताओं के रूप में भाग लिया है। महिलाओं के बीच कुछ प्रतियोगियों में से, जीतने की दर पुरुषों की तुलना में अधिक है। इसलिए, सार्वजनिक निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी धीरे-धीरे सुधर रही है। वर्तमान में विवाहित महिलाओं का प्रतिशत जो आमतौर पर घरेलू निर्णयों में भाग लेती हैं, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय औसत से कम है। हालांकि, जिन महिलाओं को तीन स्थानों (बाजार, स्वास्थ्य सुविधा और समुदाय के बाहर) पर अकेले जाने की अनुमति है, उनका प्रतिशत कम है और उन्हें निर्णय लेने के लिए अधिकांश स्थानों पर अभिभावक की आवश्यकता होती है। इसी तरह, बैंक या बचत खाता रखने वाली महिलाओं का प्रतिशत जो वे स्वयं उपयोग करती हैं, राष्ट्रीय औसत से कम है, लेकिन फिर भी कुछ राज्यों की तुलना में अच्छा प्रतिशत है।

तालिका 6: निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी

राज्य	वर्तमान में विवाहित महिलाएं जो आमतौर पर घरेलू निर्णयों में भाग लेती हैं (%)	15-49 उम्र की महिलाएं, जिन्हें तीन स्थानों पर (बाजार, स्वास्थ्य सुविधा, और समुदाय के बाहर) अकेले जाने की अनुमति (%)	एक बैंक या बचत खाता जो वे स्वयं उपयोग करती हैं (%)	राज्य	वर्तमान में विवाहित महिलाएं जो आमतौर पर घरेलू निर्णयों में भाग लेती हैं (%)	15-49 उम्र की महिलाएं, जिन्हें तीन स्थानों पर (बाजार, स्वास्थ्य सुविधा, और समुदाय के बाहर) अकेले जाने की अनुमति (%)	एक बैंक या बचत खाता जो वे स्वयं उपयोग करती हैं (%)
आंध्र प्रदेश	40.4	37.3	18	मणिपुर	69.4	63.5	8
अरुणाचल प्रदेश	53.5	40.2	19	मेघालय	77.3	28.1	16.9
असम	60.9	35.3	11.7	मिजोरम	70.4	75.4	8.1
बिहार	32.7	25.2	8.2	नागालैंड	73.1	25.4	7.4
छत्तीसगढ़	26.8	17.9	8.1	उड़ीसा	41.8	18.7	9.8
दिल्ली	52	36.6	34.4	पंजाब	37.4	39	14.6
गोवा	47	56.8	42.4	राजस्थान	22.8	31.6	7.6
गुजरात	36.6	47.3	19.9	सिक्किम	58.7	50.9	20.9
हरियाणा	41.7	40.7	12.4	तमिलनाडु	48.8	54.2	15.9
हिमाचल प्रदेश	39.2	60.4	22.2	उत्तर प्रदेश	33.7	23.4	13.2
जम्मू और कश्मीर	25.2	51	21.9	पश्चिम बंगाल	23.9	32.3	14.1
कर्नाटक	35.2	30.6	22.1	त्रिपुरा	30.2	36.8	18.7

केरल	47.2	34.7	27	उत्तरांचल	36	42.8	20.1
मध्य प्रदेश	29.4	25.7	8.9	झारखंड	41.8	36.6	14.4
महाराष्ट्र	45.4	40.2	20.3	भारत	36.7	36.8	16.2

7. लिंग अनुपात : पिछले कुछ वर्षों में दुनिया के कई देशों की आबादी में महिलाओं के अनुपात में गिरावट देखी गई है। शोधकर्ताओं ने स्वास्थ्य देखभाल, पोषण, खाद्य आवंटन आदि में लड़कियों के खिलाफ लिंग पूर्वाग्रह के लिए बेटे की प्राथमिकता जैसे कई कारकों को जोड़ा है। घटते लिंग अनुपात की व्याख्या करने में जनगणना, 2011 (अंतिम) के आंकड़ों से पता चलता है कि हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में लड़कियों का अनुपात कम है। उत्तर प्रदेश 22 वें स्थान पर है जो सबसे खराब स्थिति को दर्शाता है।

तालिका 7: भारत के राज्यों में बाल लिंग अनुपात

क्र०सं०	राज्य	2011	श्रेणी	क्र०सं०	राज्य	2011	श्रेणी
1	आंध्र प्रदेश	922	3	15	महाराष्ट्र	925	18
2	अरुणाचल प्रदेश	920	19	16	मणिपुर	987	6
3	असम	954	14	17	मेघालय	986	5
4	बिहार	916	21	18	मिजोरम	975	8
5	छत्तीसगढ़	991	4	19	नागालैंड	931	16
6	गोवा	968	10	20	उड़ीसा	978	8
7	गुजरात	918	20	21	पंजाब	893	23
8	हरियाणा	877	26	22	राजस्थान	926	17
9	हिमाचल प्रदेश	974	9	23	सिक्किम	889	24
10	जम्मू और कश्मीर	883	25	24	तमिलनाडु	995	2
11	झारखंड	947	15	25	त्रिपुरा	961	13
12	कर्नाटक	968	11	26	उत्तर प्रदेश	908	22
13	केरल	1084	1	27	उत्तराखण्ड	963	12
14	मध्य प्रदेश	930	17	28	पश्चिम बंगाल	947	15

निष्कर्ष : पूर्वगामी चर्चा से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं की स्थिति शेष भारत में महिलाओं की स्थिति की तुलना में कुछ संकेतकों में अच्छी नहीं है। हालांकि, प्रत्येक राज्य के भीतर गूढ़ विरोधाभास होते हैं। उदाहरण— उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात कम है, जिसका अर्थ है कि राज्य में महिलाओं की संख्या कम है। कार्यबल की भागीदारी समाज में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए चर में से केवल एक है। उच्च महिला रोजगार दर 'व्यावहारिक लिंग आवश्यकताओं' (जैसे— पानी, स्वास्थ्य देखभाल, रोजगार आदि का प्रावधान) को पूरा कर सकती है, न कि 'रणनीतिक लिंग आवश्यकताओं' (जैसे शक्ति और नियंत्रण, घरेलू हिंसा से सुरक्षा, समान मजदूरी, और अपने शरीर पर नियंत्रण आदि)। क्या खाना बनाना है, अपनी खुद की स्वास्थ्य देखभाल के बारे में और अपने माता-पिता, भाई-बहनों के साथ रहना, गतिशीलता की सीमा और अनुमति के बिना बाजार जाने या दोस्तों, रिश्तेदारों से मिलने के लिए इन विकल्पों को चुनने की महिलाओं की निर्णय क्षमता भी महत्वपूर्ण हैं। कई संकेतक बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के पास आवाजाही की स्वतंत्रता का स्तर बहुत कम है और खुद पर नियंत्रण का निम्न स्तर है और बदलाव लाने की क्षमता है। आर्थिक विकास लैंगिक समानता की गारंटी नहीं देता है। अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति अधिक असुरक्षित है। केवल नीति निर्माताओं की लैंगिक जागरूक नीतियाँ और लोगों की मानसिकता में बदलाव ही इस संबंध में मदद कर सकता है। अन्य अध्ययन ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में राज्यों में महिला रोजगार के अधिक वास्तविकता को दर्शाता है, जिस पर गंभीर चिंता की आवश्यकता है। आलोचना हो रही है कि इस प्रतिस्पर्धी दुनिया में आर्थिक सुधार के बाद केवल उच्च योग्य लोगों को ही सम्मानजनक नौकरियाँ मिल रही हैं और ग्रामीण क्षेत्र के लोग बहुत पीछे हैं। नियमित मजदूरी रोजगार के हिस्से में वृद्धि केवल महिला रोजगार की गुणवत्ता में सुधार का संकेत दे सकती है यदि यह वृद्धि अन्य दो श्रेणियों अर्थात् स्व-नियोजित और आकस्मिक श्रमिक के हिस्से में वृद्धि की तुलना में तज है। इसलिए, इसकी सीमाओं के भीतर लिंग विकास और लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए राज्य विशिष्ट व्यक्तिगत नीति की आवश्यकता होती है। सरकारी नीति के प्रभावी नियोजन और कार्यान्वयन के लिए सही जानकारी रखने के लिए जिला स्तर पर भी महिलाओं की स्थिति की विस्तृत जांच आवश्यक है।

सन्दर्भ :

- सिंह, संध्या और सिंह, रुबी एंड के, जया और डीसिल्वा, जैसिटा और एस कुमार, राजेश और अरुण कुमार, डॉ. ए., उत्तर प्रदेश राज्य में एमएसएमई के विशेष संदर्भ में महिला उद्यमिता की समस्याएं और संभावनाएं, अनुभवजन्य अर्थशास्त्र, पत्र, 20.
- हेबर्ट, लसियाना और बंसल, सुचि और ली, सो और यान, शर्ली और अकिनोला, मोटोलानी और राइन, मार्कज और मेनेंडेज़, एलिसिया और गिलियम, मेलिसा। लखनऊ, उत्तर प्रदेश में लैंगिक असमानता के युवा महिलाओं के अनुभवों को कहानी के हलकों के माध्यम से समझना, किशोरावस्था और युवाओं के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, 25, 1—11. 10.1080/02673843.2019.1568888.
- गुप्ता, डॉ और राजन, समीर, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य को बदलने के लिए महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ई-गवर्नेंस पहल, इंजीनियरिंग अनुसंधान और अनुप्रयोगों के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, 07, 102—106. 10.9790/9622-070606102106.
- गुप्ता, रचित और अग्रवाल, शालिनी, उत्तर प्रदेश जिले में गाजियाबाद के विशेष संदर्भ के साथ स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण पर एक अध्ययन, पृ 32—38.
- राजपुरोहित, अंबेश और केसरवानी, प्रियंका और श्रीवास्तव, विनोद, ग्रामीण उत्तर प्रदेश की महिलाओं द्वारा गर्भनिरोधक का उपयोग— एक सामाजिक-जनसांख्यिकीय अध्ययन, सामुदायिक स्वास्थ्य के भारतीय जर्नल, 26, 139—144.
- भारत सरकार, भारत में महिला और पुरुष (2000), केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, नई दिल्ली, 2001.
- रुस्तोगी, प्रीत (2004), लिंग से संबंधित विकास संकेतकों का महत्व: भारतीय राज्यों का विश्लेषण, इंडियन जर्नल ऑफ जेंडर स्टडीज, वॉल्यूम 11, नंबर 3, सेज प्रकाशन, पीपी.291—343, 26 फरवरी, 2012
- किशोर, सुनीता और गुप्ता, कमला (2009), राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएस)—3, मुंबई, भारत के आधार पर लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पर एक रिपोर्ट
- नमूना पंजीकरण प्रणाली (2012), एसआरएस बुलेटिन, 46 (1), दिसंबर, नई दिल्ली: भारत के रजिस्ट्रार जनरल
- बर्मन, जे.जे. रॉय, "भारत में आदिवासी महिलाओं की स्थिति", मुख्यधारा, खंड एल, संख्या 12, 2012, 10 मार्च

हिन्दी साहित्य : थर्ड जेंडर का संघर्ष और संवेदना

डॉ० दिनेश पाल*

*सहायक प्राध्यापक सह विभागाध्यक्ष, हिन्दी विभाग, जगलाल चौधरी महाविद्यालय, छपरा, बिहार (अंगीभूत-जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा)

सारांश : हिन्दी साहित्य में अस्मितामूलक विमर्श के अन्तर्गत कई प्रकार के विमर्श जारी हैं, जिसमें से एक प्रमुख विमर्श थर्ड जेंडर/किन्नर भी है। हिन्दी में थर्ड जेंडर केन्द्रित साहित्य मुख्य रूप से उपन्यास, कहानी एवं आत्मकथा विधा में लिखा गया है। कुछ-कुछ कवितायें भी देखने को मिलती हैं। मुख्यधारा के समाज से अलग-थलग किये जाने के कारण लम्बे समय से उपेक्षित व गुमनाम जीवन जीने वाले इस समुदाय की बनावट बहुत जटिल है। लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी के पहल पर 15 अप्रैल, 2014 को सर्वोच्च न्यायालय से थर्ड जेंडर की मान्यता मिलने और संसद से अधिनियम बनने के बाद सरकार की तरफ से कुछ सार्थक पहल किये जा रहे हैं, जिससे इन्हें मुख्यधारा में शामिल होने में सहाय्य मिलेगी। थर्ड जेंडर समाज में शैक्षिक और राजनीतिक चेतना तेजी से जाग्रत हुई है, जिसका सार्थक परिणाम दिखने लगा है, लेकिन अभी भी बहुत बदलाव की दरकार है।

मुख्य शब्द : किन्नर, थर्ड जेंडर, हिजड़ा, अस्मिता, विमर्श, विकलांगता आदि।।

“औरत जन्म से ही औरत नहीं होती बल्कि बढ़कर औरत बनती है। कोई भी जैविक, मनोवैज्ञानिक या आर्थिक नियति आधुनिक स्त्री के भाग्य की अकेली नियंता नहीं होती। पूरी सभ्यता ही इस अजीबोगरीब जीव का निर्माण करती है। पुरुष और हिजड़े के बीच अवस्थित यह जीव स्त्री के रूप में वर्णित होता है।”¹

उपर्युक्त पंक्तियाँ विश्व विख्यात लेखिका व स्त्री चिंतक सीमोन द बोउवार की हैं। यदि शब्दों में थोड़ा फेरबदल करते हुए ‘औरत’ की जगह ‘हिजड़ा’ तथा ‘हिजड़ा’ शब्द की जगह और ‘औरत’ रखकर देखें तो क्या यह कथन किन्नर/थर्ड जेंडर समाज के लिए सटीक नहीं बैठता। हम यहीं से समझ सकते हैं ‘सेक्स’ और ‘जेण्डर’ में अंतर। सामान्यतः लोग सेक्स और जेण्डर को एक-दूसरे का पर्यायवाची समझ लेते हैं, जबकि दोनों अलग-अलग हैं। सेक्स जैविक है जबकि जेण्डर मानव रचित है। सेक्स प्रजनन व जैविक रूप से प्राप्त स्त्री-पुरुष को एक सेक्सुअल ऑर्गन मात्र है जबकि जेण्डर सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया है। जेण्डर की आग में किन्नर आज भी झुलस रहे हैं। जब किसी के घर विवाह होता है या बच्चे का जन्म होता है तो उनके यहाँ किन्नर आते हैं। हम अपने गाँव-गलियों में आते किन्नर को दूर से ही पहचान लेते हैं, आखिर कैसे। कहीं न कहीं सामाजिक व संस्कृति द्वारा एक पहचान दे दी गई, जिसे देखते ही बच्चे-बुढ़े व स्त्री-पुरुष सभी एक अलग प्रकार की हँसी हँसते हैं। एक तरफ लोग इनसे आशीर्वाद भी लेते हैं और दूसरी तरफ इनका उपहास भी उड़ाते हैं। किन्नर इस परिस्थिति को अपना नियति मान लेते हैं। यह सिर्फ गाँव की गलियों तक ही सीमित नहीं है बल्कि शहर, बाजार एवं ट्रेन आदि में भी देखने को मिलता है। जाति प्रधान भारत में जन्मजात श्रेष्ठता-हीनता बोध से ग्रसित समाज जाति और लिंग के आधार पर सिर्फ भेदभाव ही नहीं करता बल्कि उसे गाली का रूप दे दिया जाता है। आज तमाम जातियों का नाम गाली बन गया है और हिजड़ा शब्द भी गाली के रूप में ही अधिक प्रयोग किया जाता है, जो कि बेहद दुःखद है।

लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी के प्रयास से “15 अप्रैल, 2014 को भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने किन्नरों को मुख्यधारा में लाने के लिए उन्हें ओबीसी श्रेणी में रखा। राज्य और केन्द्र की सरकारों को निर्देशित करते हुए कहा कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाये तथा समस्त शैक्षिक संस्थाओं में इनके लिए अलग से शौचालय बनवाये जायें। साथ ही समस्त नौकरी तथा प्रवेश परीक्षा के फॉर्मों में थर्ड जेण्डर नाम का एक कॉलम बनाये जायें।”² सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के. एस. राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी की खण्डपीठ का यह निर्णय थर्ड जेण्डर की स्थिति को सुधारने में मील का पत्थर साबित होगा, बशर्ते कि सरकार इसे सही से लागू कराये और जागरूकता अभियान चलाये, क्योंकि “कानून के सहारे जिन्दगी नहीं कटती, जीने के लिए इन्सान को इन्सान के प्यार और सहारे की आवश्यकता होती है। जब तक यह इंसानी समाज नहीं बदलेगा तब तक हालात नहीं बदलने वाले।”³

हिन्दी के कथा-सम्राट मुंशी प्रेमचंद का मानना है कि ‘साहित्य, राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है।’ वे इसी रूप में साहित्य को देखना चाहते थे। साहित्य किसी विमर्श को आगे बढ़ाता है तो राजनीति उसे समाज और सरकार से जोड़ने का काम करती है। आजादी के बाद हिन्दी साहित्य में अस्मितामूलक विमर्श तेजी से आगे बढ़ा। बीसवीं सदी के आखिरी दशकों में स्त्री-विमर्श, दलित-विमर्श एवं आदिवासी-विमर्श केन्द्रित साहित्य का लेखन हिन्दी में खूब हुआ है। इक्कीसवीं सदी में कुछ और अस्मितामूलक विमर्श तेजी से उभरकर सामने आये हैं, जिसमें वृद्ध-विमर्श, विकलांग-विमर्श एवं किन्नर-विमर्श (थर्ड जेंडर) प्रमुख हैं। हिन्दी साहित्य में किन्नर विमर्श ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराकर समाज और सरकार दोनों को झकझोर दिया है। ‘किन्नर-विमर्श’ बहुत जरूरी विषय बन गया है और होना भी चाहिए, क्योंकि जबतक समाज इनके प्रति संवेदनशील नहीं होगा, तब तक इनके प्रति समाज का नजरिया नहीं बदलेगा। साहित्य का एक प्रमुख काम रहा है समाज को संवेदनशील बनाना और एक-दूसरे के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना। लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी ने समाज के वर्तमान नजरिया की वजह कुछ हद तक किन्नर को भी मानती हैं और अपने किन्नर समाज से अपील करते हुए कहती हैं कि “इन हिजड़ों से मैं बार-बार कहती हूँ, समाज का हमें देखने का जो नजरिया है, उसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं। समाज में घुल-मिल जाओ, उनसे बात करो। फिर देखो, ये नजरिया बदलता है कि नहीं।”⁴ पिछले दो दशकों में हिन्दी साहित्य में किन्नर संबंधित रचनाओं की संख्या में खूब बढ़ोतरी हुई है। “हिन्दी में थर्ड जेण्डर पर केन्द्रित उपन्यास लेखन की परम्परा 2002 ई. से हुई है। इस विषय पर सर्वप्रथम उपन्यास नीरजा माधव कृत ‘यमदीप’ लिखा गया है।”⁵ उसके बाद तो हिन्दी में उपन्यास और आत्मकथाओं की एक शृंखला बन गयी है। प्रदीप सौरभ कृत ‘तीसरी ताली’, महेंद्र भीष्म कृत ‘किन्नर कथा’ और ‘मैं पायल....’, डॉ. अनुसूया त्यागी कृत ‘मैं भी औरत हूँ’, निर्मला भुराड़िया कृत ‘गलाम मण्डी’, चित्रा मुद्गल कृत ‘पोस्ट बॉक्स नं. 203 नाला सोपारा’, भगवत अनमोल कृत ‘जिंदगी 50-50’, गिरिजा भारती कृत ‘अस्तित्व’, सुभाष अखिल कृत ‘दरमियाना’, राजेश मलिक कृत ‘आधा आदमी’, लवलेश दत्त कृत ‘दर्द न जाने

कोई' एवं डॉ. लता अग्रवाल कृत 'मंगलापुखी' आदि उपन्यासों के साथ ही लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी की आत्मकथा 'मैं हिजड़ा...मैं लक्ष्मी!' तथा मानोबी बंधोपाध्याय की आत्मकथा 'पुरुष तन में फँसा मेरा नारी मन' हिन्दी साहित्य के किन्नर विमर्श को एक नई दिशा दे दिया है। साथ ही दर्जनों कहानियाँ भी छपकर आ गई हैं। अस्मितामूलक विमर्श के क्षेत्र में डॉ. एम. फीराज खान तथा वांगमय पत्रिका का अतुलनिय योगदान रहा है।

इस धरती पर नर और मादा के साथ ही किन्नर का भी आगमन हुआ होगा भले ही साहित्यकारों तथा इतिहासकारों के यहाँ उनका वर्णन कम मिलता है। तेजेन्द्र शर्मा लिखते हैं कि "भारत में किन्नरों का पहला वर्णन शायद महाभारत में है। अज्ञातवास में अर्जुन ने किन्नर रूप धारण किया था। अर्जुन और नागकन्या उलूपी की एक सन्तान उत्पन्न हुई जिसका नाम इरावन था। वही इरावन किन्नरों के भगवान हैं। वे उन्हीं की पूजा करते हैं। अधिकांश किन्नर एक रात के लिए अपने भगवान इरावन से विवाह भी करते हैं और फिर उनकी विधवा के रूप में जीवन बिताते हैं।"⁶ महाभारत की इस कथा पर आधारित तमिलनाडु में किन्नर समुदाय की परम्परा को रेखांकित करते हैं जो आज भी जारी है। बताते हैं कि "तमिलनाडु के कूवगाँव में हर साल तमिल नववर्ष की पहली पूर्णिमा से हिजड़ों के विवाह का उत्सव शुरू होता है जो 18 दिनों तक चलता है। 17वें दिन हिजड़ों की शादी होती है। सोलह शृंगार किये हुए हिजड़ों को पुरोहित मंगलसूत्र पहनाते हैं और इनका विवाह हो जाता है। विवाह के अगले दिन इरावन देवता की मूर्ति को शहर में घुमाया जाता है और इसके बाद मंगलसूत्र तोड़ दिया जाता है। इसके साथ ही किन्नर अपना शृंगार उतारकर एक विधवा की तरह विलाप करने लगते हैं।"⁷ समाज में कोई परम्परा या रिवाज जल्दी खत्म नहीं होते, चाहे वो कृपथा ही क्यों न हो। पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। हाँ समय और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन होते रहता है। अपने देश में कुछ परम्पराओं व कृपथाओं को कानून के माध्यम से रोका गया है लेकिन कुछ तो कानून बनने के बाद भी जारी है। तेजेन्द्र शर्मा आगे लिखते हैं कि, "महाभारत में ही एक दसरा वर्णन पढ़ने को मिलता है। जब भीष्म शिखण्डी पर हथियार उठाने से इनकार कर देते हैं। उनका सिद्धान्त है कि वे किन्नर पर हथियार नहीं उठाते।"⁸ कूर्म पुराण तथा मत्स्य पुराण में 'किंपुरुष' के रूप में चित्रित किया गया है। वात्स्यायन ने 'कामसूत्र' में औपनिषदिक प्रकरण में मुख-मैथुन तथा गुदा-मैथुन करने वाले 'तृतीय प्रकृति' के रूप में किन्नर का चित्रण किया है। मुगल काल को किन्नर के लिए स्वर्णयुग बताया जाता है, क्योंकि मुगलकाल में कई किन्नर को उच्च पदों पर रखा गया, जिसे इतिहासकार स्मिथ ने रेखांकित किया है। कई मुस्लिम शासकों ने अपने हरम की रखवाली हेतु किन्नरों का बहाल किया था। वे किन्नर की रखवाली में दोहरी सुरक्षा मानते थे।

ब्रिटिश काल में 'आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871' के तहत तमाम जनजातियों के साथ 'किन्नर' को भी अपराधी घोषित किया गया था। समय-समय पर इस कानून में ब्रिटिश संशोधन करते रहे। स्वतंत्रता के पश्चात् भारत सरकार द्वारा इस कानून को निरस्त किया गया, लेकिन तृतीय लिंग की मान्यता देने और सरकारी नौकरी तथा शैक्षिक संस्थानों में जगह देने में लगभग 65 साल लग गये। यूरोपीय देश जर्मनी इस मामले में अग्रणी है, जिसने बच्चे के जन्म प्रमाण-पत्र में पुरुष और महिला के अतिरिक्त एक तीसरा कॉलम भी बनाया। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय व निर्देश के बाद अपने यहाँ उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 बनाया गया, जिसे 5 दिसम्बर, 2019 को राष्ट्रपति द्वारा मान्यता मिली और 25 सितम्बर, 2020 को भारत सरकार के न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया। तृतीय लिंग की मान्यता मिलने से पहले ट्रांसजेंडर को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। कई ट्रांसजेंडर खुद को महिला मानती थीं, लेकिन जब महिला के लिए आरक्षित पद पर उनकी नियुक्ति होती थी या वे चुनाव जीतती थीं तो उन्हें कोर्ट में महिला न होने का आरोप लगाकर हटा दिया जाता था। उदाहरणस्वरूप ट्रांसजेंडर 'कमला जान' 2000 ई. में मध्यप्रदेश के कटनी नगर की महापौर बनीं, लेकिन यह पद महिलाओं के लिए आरक्षित था, इसलिए उनके ट्रांसजेंडर होने की वजह से न्यायालय ने उनकी जीत को अवैध ठहरा दिया। लगभग उसी समय उत्तर प्रदेश में 'आशा देवी' भी गोरखपुर की महापौर बनीं, लेकिन वहाँ भी महिला के लिए आरक्षित पद था, इसलिए विवाद उत्पन्न हुआ और उन्हें भी 'कमला जान' की तरह हटाना पड़ा। इन घटनाओं ने ट्रांसजेंडर समुदाय को झकझोर दिया, फिर उन लोगों ने 'जीती जितायी पॉलिटिक्स' नाम की एक संस्था 'शबनम मौसी' के नेतृत्व में स्थापित की। विदित हो कि शबनम मौसी भारत की पहली ट्रांसजेंडर विधायक रही हैं, जो मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में अनूपपुर जिले के सुहागरपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनकर विधानसभा में दस्तक दी थीं और पूरे पाँच सालों (1998-2003) तक विधायक बनी रहीं। उनके ऊपर 2005 में 'शबनम मौसी' नाम से योगेश भारद्वाज के निर्देशन में फिक्शन फीचर फिल्म भी बनी, जिसमें शबनम मौसी का किरदार आशुतोष राणा ने निभाया। मालूम हो कि तमिलनाडु भारत का पहला राज्य है, जहाँ ट्रांसजेंडर को मतदान का अधिकार 1994 में मिला, जबकि देश में चुनाव आयोग द्वारा 2009 में 'अन्य' विकल्प के साथ मतदाता बनाने का निर्णय लिया गया। ट्रांसजेंडर समाज के प्रसिद्ध अधिवक्ता डॉ. पवन यादव की सरकार से माँग है कि पूरे देश में ट्रांसजेंडर को पहचान पत्र के साथ राशन कार्ड दिया जाए। पहचान पत्र के अभाव में ट्रांसजेंडर को अपनी पहचान स्पष्ट करने के लिए नंगा होना पड़ता है जो कि शर्मनाक है। बिहार में कुछ ट्रांसजेंडर को पहचान पत्र जारी किया गया है, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है।

डॉ० लता अग्रवाल 'हजार दिनारा लौंडा' की भूमिका में लिखती हैं कि "मध्य प्रदेश सरकार ने अगस्त में केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय को सुझाव दिया कि 'श्रीमती', 'कुमारी' या 'श्री' की तरह इस वर्ग को अंग्रेजी में 'टीजीआर' आर हिंदी में 'कि' कहकर संबोधन किया जाना चाहिए। वहीं पंजाब की प्रथम शिक्षित थर्ड जेंडर धनंजय जी कहती हैं, स्त्री और पुरुष के नाम के आगे जिस तरह श्रीमती और श्री लिखा जाता है उसी तरह हमारे नाम के आगे 'मेक्स' ;डमगद्ध लिखा जाय।"⁹ समाज जब तक थर्ड जेंडर को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखेगा और सरकार उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए ठोस पहल नहीं करेगी तब तक वे मुख्यधारा में शामिल होने की संभावना कम है, जबकि उनका मुख्यधारा में शामिल होना राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी है। "कहते हैं समाज व्यक्ति के सुख-दुःख में सहयोग करने के लिए बनाई गई संस्था है मगर इसका वर्चस्व तो कई लोगों की जिंदगियों को अँधेरे में धकेल देती है।"¹⁰ पायल फाउण्डेशन की डायरेक्टर 'पायल सिंह' लिखती हैं कि "हमारा समुदाय सदा से ही परहित में रत रहा है। दूसरों के हित के लिए सदैव कर्मरत हम फिर भी उपेक्षा के पात्र हैं इसका अफसोस है।..... हमारा जन्म गुमनामी में और मौत खामोशी में ही दबकर रह जाती है।"¹¹ समाज ने किन्नरों को इस कदर उपेक्षित रखा है कि वे अपने ही परिवार के लिए बेगाने बन जाते हैं। शिवप्रसाद सिंह की कहानी 'बिंदा महाराज' के मुख्य पात्र बिंदा महाराज के माध्यम से उनके अकेलेपन की पीड़ा को समझा जा सकता है— "दुनिया के सारे नाते-रिश्ते केवल पुरुष और स्त्री से हैं..... विपरित लिंगों का आकर्षण, एक के दायरे की तमाम वस्तुएँ दूसरे से उसी प्रकार संबद्ध हैं। बिन्दी महाराज का दुनिया में कोई रिश्ता नहीं, हो भी

कैसे, न तो वह मर्द है न औरत।¹² जो समाज अपने को सभ्य व श्रेष्ठ समझता है, उसी समाज की एक लड़की (शकुन) 'मंगलामुखी' में अपने प्रेमी से धोखा पाती है और प्रेमी से गर्भवती होने के कारण तालाब में कूदकर आत्महत्या करना चाहती है तो किन्नर समाज उसे पानी से बाहर निकालता है और किन्नर गुरु शिल्पा उसे अपने डेरे में सहारा देना चाहती है। उस पीड़ित लड़की को अपने डेरे पर चलन के लिए प्रस्ताव रखते हुए कहती है कि "हाँ! बोल क्या हुआ निकल गई बहादुरी? अरी! तेरी उस दुनिया से तो अच्छी है हमारी दुनिया। हम किसी का बालात्कार नहीं करते... किसी को धोखा नहीं देते... नाजायज बच्चे नहीं जनते। बोल है मंजूर?"¹³ यह कथन तथाकथित सभ्य व श्रेष्ठ समाज के मुँह पर तमाचा है। गर्भवती शकुन को न सिर्फ सहारा मिलता है, बल्कि उसे वह सब मिलता है जो उसे अपने परिवार में भी नहीं मिलता। वहाँ सभी किन्नरों से उसे अपनत्व मिलता है और गुरु तो उसकी इतनी देखभाल करती हैं कि उतना उसकी माँ भी न करें। जब शकुन का गुरु डॉक्टर के यहाँ दिखाने ले जाती हैं और डॉक्टर के मुँह से "लगता है बहुत ध्यान रखते हो आप शकुन का तभी इतनी अच्छी ग्रोथ है जच्चा और बच्चा की"¹⁴ सुनती हैं तो उनके चेहरे पर संतोष का भाव आ जाता है। बाद में शकुन एक बच्ची को जन्म देती है, जो उसी डेरे में पलती है और बड़ी होकर आईएस बनती है।

धीरे-धीरे किन्नर समाज के प्रति लोगों का दृष्टिकोण बदलने लगा है और सरकार भी उनके सशक्तिकरण के लिए पहल करने लगी है। देश में पहली बार कॉलेज प्रिंसीपल बनने वाली ट्रांसजेंडर मानोबी बंधोपाध्याय अपनी आत्मकथा में लिखती हैं कि "हम बाहरी तौर पर दिखने में भले ही थोड़े अलग लगें, पर आपकी तरह ही इन्सान हैं और आप सबकी तरह ही— शारीरिक और भावनात्मक जरूरतें रखते हैं।"¹⁵ अब साहित्यकारों के साथ-साथ समाज और सरकार भी थर्ड जेंडर की संवेदना तथा संघर्ष समझने लगी है और जरूरी पहल भी जारी है। उम्मीद है आगे के कुछ वर्षों में बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे।

सन्दर्भ :

1. डॉ० प्रभा खेतान, स्त्री : उपेक्षिता (द सेकेण्ड सेक्स – सीमोन द बोउवार), हिन्दू पॉकेट बुक्स, नई दिल्ली, संस्करण 2008, पृ० 131
2. डॉ० एम० फीरोज़ खान, (सं.), थर्ड जेण्डर : अतीत और वर्तमान – विकास प्रकाशन, कानपुर, संस्करण-2018, पृ० 5
3. डॉ० लता अग्रवाल, दहलीज का दर्द, विकास प्रकाशन, कानपुर, संस्करण-2021, पृ० 7
4. लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी, मैं हिजड़ा... मैं लक्ष्मी!, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली, संस्करण-2015, पृ० 8
5. डॉ० एम० फीरोज़ खान, (सं.), किन्नर कथा : तीसरी दुनिया का सच, विकास प्रकाशन, कानपुर, संस्करण 2019, पृ० 8
6. प्रियंका नारायण, किन्नर : सेक्स और सामाजिक स्वीकार्यता, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली, संस्करण 2021, पृ० 9-10
7. वही, पृ० 10
8. वही, पृ० 10
9. डॉ० लता अग्रवाल, हजार दिनारा लौंडा, विकास प्रकाशन, कानपुर, संस्करण-2022, पृ० 8
10. डॉ० लता अग्रवाल, मंगलामुखी, विकास प्रकाशन, कानपुर, संस्करण-2020, पृ० 47
11. वही, पृ० 8-9
12. डॉ० एम० फीरोज़ खान, (सं.), थर्ड जेण्डर : हिन्दी कहानियाँ, अनुसंधान पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, कानपुर, संस्करण-2017, पृ० 23
13. डॉ० लता अग्रवाल, मंगलामुखी, पृ० 31
14. वही, पृ० 36
15. मानोबी बंधोपाध्याय, पुरुष तन में फँसा मेरा नारी मन, राजपाल एण्ड सन्स, संस्करण-2018, पृ० 7

G-20 सम्मेलन : महिला सशक्तिकरण और विकास

प्रो० आलोक श्रीवास्तव*

*भूगोल विभाग, राजकीय महाविद्यालय, बूंदी

सारांश : भारत G-20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। यह पहली बार है कि देश इस तरह के महत्वपूर्ण संगठन का आयोजन करने जा रहा है। G-20 के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाने का समय आ गया है। एजेंडा जिसमें निरंतरता और विकास सुनिश्चित करने के साथ अर्थव्यवस्था और समाज दोनों की भागीदारी शामिल है, महिला सशक्तिकरण और भागीदारी का एक महत्वपूर्ण पहलू है। लैंगिक असमानता लगभग सभी अन्य विकास संभावनाओं को प्रभावित करती है, G-20 एजेंडा और इसके सहयोगी समूहों में लैंगिक समानता पर ठोस कदम उठाने पर जोर देंगे। अब यह स्वीकार कर लिया गया है कि किसी भी संकट का प्रभाव लैंगिक होता है। महिलाओं और लड़कियों को अधिक कीमत चुकानी पड़ती है, उनकी सुरक्षा, आजीविका और स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। भारत की अध्यक्षता में G-20 महिलाओं और लैंगिक समानता पर तीव्रगति से ध्यान केंद्रित कर रहा है।

मुख्य शब्द : G-20 शिखर सम्मेलन, महिला सशक्तिकरण, अर्थव्यवस्था, लैंगिक असमानता, वैश्विक आदि।

‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ यानी पूरा विश्व ही हमारा परिवार है, की हमारी प्राचीन दृष्टि, थीम और अवधारणा के अनुरूप 2023 में होने वाले G-20 शिखर सम्मेलन का आयोजन और अध्यक्षता विश्व की प्राचीन मानव संस्कृति के वाहक भारत द्वारा की जा रही है। भारत की राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू न केवल भारत की महिलाओं की प्रगति को दर्शाती हैं, बल्कि पूरी दुनिया को आधी आबादी का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्पष्ट किया है कि विकास के सभी पहलुओं की भागीदारी में विश्व की महिलाओं की स्थिति और महत्व पूर्णतः बदल चुका है। दुनिया में हुए सभी प्रकार के सकारात्मक परिवर्तनों में महिलाओं की भूमिका हमेशा अग्रणी रही है। विकास की मूल संरचना को महिलाओं के विकास से जोड़ा जाएगा और शिखर सम्मेलन में स्पष्ट रूप से परिलक्षित भी होगा। इस तथ्य से भारत की अध्यक्षता में होने वाले G-20 शिखर सम्मेलन में महिलाओं की स्थिति को विकास के आधार पर देखा जाएगा। विकास के अनेकसूचकांक स्थापित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

G-20 की उत्पत्ति : 90 के दशक में कई उभरती अर्थव्यवस्थाएं एवं उत्पन्न वित्तीय संकट से उत्पन्न चुनौतियों के जवाब में इसे स्थापित करने की संकल्पना बनायी गई थी कि इनमें से कुछ देशों को पूर्व में वैश्विक आर्थिक परिचर्चा में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था।

संगठन संरचना : G-20 संगठन बिना किसी स्थायी सचिवालय या कर्मचारियों के बिना काम करता है। अध्यक्ष का पद सदस्य देशों के मध्य वार्षिक रूप से सर्वसम्मति से चुना जाता है और देशों के एक अलग क्षेत्रीय समूह से चुना जाता है। अध्यक्ष का पद अतीत, वर्तमान और भविष्य की कुर्सी के तीन सदस्यीय प्रबंधन समूह का हिस्सा है जिसे ट्रॉइका (Troik) कहा जाता है। G-20 का वर्तमान अध्यक्ष भारत है, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और अगला अध्यक्ष नियत समय पर तय की जाएगी और पिछला अध्यक्ष इंडोनेशिया था। उद्देश्य वैश्विक आर्थिक स्थिरता, सतत विकास आदि को प्राप्त करने के लिए इसके सदस्य के बीच नीति समन्वय, वित्तीय नियमों को बढ़ावा देना जो जोखिम को कम करते हैं और जो भविष्य के वित्तीय संकट को रोकते हैं और एक नया अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचा बनाते हैं।

जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए तैयारी प्रक्रिया स्थापित शेरपा और वित्त ट्रैक के माध्यम से आयोजित की जाती है जो शिखर सम्मेलनों में अपनाए गए मुद्दों और प्रतिबद्धताओं पर तैयारी और अनुवर्ती कार्रवाई करती है। शेरपा का ट्रैक विकास, भ्रष्टाचार विरोधी और खाद्य सुरक्षा जैसे गैर-आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर केंद्रित है, जबकि जी-20 प्रक्रिया के प्रक्रियात्मक नियमों जैसे आंतरिक पहलुओं को संबोधित करता है। शेरपा महत्वपूर्ण योजना, बातचीत और कार्यान्वयन कार्यों को लगातार करते हैं। वित्त ट्रैक यह आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर केंद्रित है। शेरपा और वित्त ट्रैक दोनों विशेषज्ञ कार्य समूहों की एक श्रृंखला के तकनीकी और ठोस काम पर निर्भर करते हैं। विषयगत एजेंडा कई मंत्रिस्तरीय बैठकों के संगठन के माध्यम से विकसित किया जाता है, जैसे कि वित्त और विकास मंत्रियों की संयुक्त बैठक और श्रम, कृषि और पर्यटन मंत्रिस्तरीय बैठकें।

G-20 शिखर सम्मेलन : अब तक G-20 का 17 शिखर सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं, सभी आयोजित G-20 शिखर सम्मेलनों का विवरण और मुद्दे इस प्रकार हैं— पहला शिखर सम्मेलन नवंबर 2008 में वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा आयोजित किया गया था और मुख्य उद्देश्य वैश्विक विकास को बहाल करना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को मजबूत करना और संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय में सुधार करना था। दूसरा शिखर सम्मेलन अप्रैल 2009 में ब्रिटेन के प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित किया गया था और मुख्य मुद्दा था— अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान में सुधार। दूसरे शिखर सम्मेलन के ठीक 5 महीने बाद सितंबर में पिट्सबर्ग में तीसरा शिखर सम्मेलन, इस शिखर सम्मेलन में जी-20 को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए प्रमुख मंच के रूप में नामित किया गया है, इस शिखर सम्मेलन के मुख्य परिणामों में सूक्ष्म अर्थशास्त्र नीतियों को मजबूत करने के माध्यम से 21वीं सदी में मजबूत, टिकाऊ और संतुलित विकास के लिए एक ढांचे को बढ़ावा देना शामिल था। और इस शिखर सम्मेलन में भारत ने पारस्परिक मूल्यांकन प्रक्रिया (एमएपी) की पीयर रिव्यू की सह-अध्यक्षता वाली सीट पर कब्जा कर लिया।

जून, 2010 में टोरंटो में रिकवरी और नई शुरुआत विषय के तहत चौथा शिखर सम्मेलन ‘मजबूत, सतत और संतुलित विकास की रूपरेखा’ और देशों के समूह द्वारा एमएपी सहित चरण 1 के कार्य को पूरा करने पर केंद्रित था। नवंबर 2010 में सियोल में आयोजित पांचवें शिखर सम्मेलन का मुख्य आकर्षण बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन विकास, व्यापार, निळ निवेश और रोजगार सृजन, लचीलापन के साथ खाद्य सुरक्षा विकास, घरेलू संसाधन जुटाने के साथ नौ-विकास स्तंभ के तहत बहु-वर्षीय कार्य योजना में सन्निहित G-20 विकास एजेंडा का शुभारंभ था। ज्ञान साझा करना और वित्तीय समावेशन। छठा G-20 शिखर सम्मेलन नवम्बर, 2011 में कान में आयोजित किया गया था, इस शिखर सम्मेलन के परिणाम सांप्रदायिक विज्ञप्ति और हमारे साझा भविष्य के निर्माण की घोषणा के परिणामस्वरूप हुए, सभी के लाभ के लिए नए सिरे से संग्रह कार्रवाई के साथ-साथ विकास और

नौकरियों के लिए आने वाली कार्य योजना थी। 7वां G-20 शिखर सम्मेलन 18-19 जून, 2012 को मेक्सिको में आयोजित किया गया था।

G-20 सम्मेलन :

G-20 Summits	Date	Country (Place)
1	14-15 Nov 2008	U S A (Washington D.C.)
2	2 April 2009	U K (London)
3	24-25 Sep.2009	U S A (Pittsburgh)
4	26-27 June 2010	Canada (Toronto)
5	11-12 November 2010	S Korea (Seoul)
6	3-4 November 2011	France
7	18-19 June 2012	Mexico
8	5-6 September 2013	Russia
9	15-16 November 2014	Australia
10	15-16 November 2015	Turkey
11	4-5 September 2016	China
12	7-8 July 2017	Germany
13	30 November – 1 December 2018	Argentina
14	28-29 June 2019	Japan
15	21-22 November 2020	S Arabia
16	30-31 October 2021	Italy (Rome)
17	15-16 November 2022	Indonesia
18	9-10 September 2023	India

Courtesy : Google Internet

सभी शिखर सम्मेलनों के परिणाम वाले लक्ष्य और मुद्दे G-20 शिखर सम्मेलन के मुख्य विषय हैं, इन मुद्दों की उपलब्धि पूरी तरह से सभी सदस्य देशों के बीच सहयोग और वैश्विक व्यापार पर निर्भर करती है। आजकल सामाजिक सुरक्षा और पर्यावरण के मुद्दे पर जोर जी -20 शिखर सम्मेलन के घोषणापत्र में भी शामिल किया गया है। जी-20 संगठन दुनिया की दो तिहाई आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, इन आबादी के आधे हिस्से में महिलाएं हैं। देशों के विकास में महिलाओं की भूमिका और संगठन के विकास में महिलाओं के महत्व को अच्छी तरह से जाना जाता है, सामाजिक सुरक्षा, पर्यावरणीय मुद्दे, विकास और अन्य आर्थिक और सह-परिचालन मुद्दे भी महिला सशक्तिकरण के माध्यम से पूरी आबादी पर निर्भर और संबंधित और पारलक्षित होते हैं। महिलाएं इन सभी मुद्दों की वाहक हैं। अब हम सभी इन सभी विकास के बारे में बहुत सतर्क हैं और तेजी से विकास के हानिकारक प्रभावों के बारे में भी चिंता करते हैं। दुनिया के लोग कार्बन उत्सर्जन के बारे में बहुत चिंतित हैं। सदस्य देश कार्बन के उपयोग में कटौती करने के लिए सहमत हुए हैं ताकि अगले 30 वर्षों में इसके उत्सर्जन में 1.5% तक की कटौती हो सके। कुछ देशों को कार्बन और जीवाष्म ऊर्जा के कम उपयोग का लक्ष्य प्राप्त होता है लेकिन कई देशों को इसे प्राप्त करना पड़ता है। G-20 का पद एक महत्वपूर्ण मोड़ और उपयुक्त समय पर भारत आ रहा है। दुनिया भर के देश जिन्होंने पिछले तीन वर्षों में विशेष रूप से महामारी और आर्थिक मंदी के कारण संकट का सामना किया है, वे कम्फर्ट जोन में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अब यह स्वीकार कर लिया गया है कि किसी भी संकट का प्रभाव लैंगिक होता है। महिलाओं और लड़कियों को अधिक कीमत चुकानी पड़ती है, उनकी सुरक्षा, आजीविका और स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। भारत की अध्यक्षता में जी -20 महिलाओं और लैंगिक समानता पर तेजी से ध्यान केंद्रित कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूंजी को महिलाओं की पहुंच, उद्यमिता और श्रम बल की भागीदारी जैसे प्रमुख मुद्दों के समाधान की आवश्यकता पर बल दिया है। घरेलू मोर्चे पर, भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण को अपने विकास के केंद्र में रखा है...सरकार समाज के स्तर पर सार्थक व्यवस्था लाने के लिए महिला शक्ति के महत्व को पहचान रही है, इसलिए महिलाओं की भूमिका पर न केवल विकास के लाभार्थी के रूप में बल्कि विकास के वाहक और परिवर्तनको एजेंट के रूप में अधिक ध्यान दिया जा रहा है। G-20 के प्रयास को आगे बढ़ाते हुए, महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाने का समय है। महिलाओं ने निरंतरता सुनिश्चित करने के साथ अर्थव्यवस्था और समाज दोनों में विकास का नेतृत्व किया और केवल उनके प्रवेश को सुविधाजनक बनाना एक महत्वपूर्ण पहलू है। महिला शक्ति भागीदारी को स्वीकार करते हुए कि लिंग एक ऐसा विषय है जो लगभग सभी अन्य विकास संभावनाओं को प्रभावित करता है, हम आशा करते हैं कि जी-20 एजेंडा और इसके सहयोगियों का जोर जारी रहेगा। समूहों में लैंगिक समानता पर उठाए जाने वाले ठोस कदम।

डिजिटल सुविधा का समर्थन और महिलाओं (लगभग आधी महिलाओं और लड़कियों) का समावेश आगे की वित्तीय प्रणाली से बाहर है। वित्तीय समावेशन दरों में प्रगति के बावजूद। लिंग अंतर कम नहीं हुआ है और 7% पर बना हुआ है। डिजिटल प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से सूचना और संचार के लिए नवाचार में महिलाओं के आर्थिक वातावरण में तेजी लाने की क्षमता है। डिजिटल प्रौद्योगिकी और डिजिटल शिक्षा दोनों तक पहुंच में डिजिटल लिंग अंतर बना हुआ है। भारत में जैम (जन-धन-आधार मोबाइल) प्लेटफॉर्म है। इसकी मदद से कई महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम महिलाओं तक सीधे पहुंच सके और उन्हें मजबूत करने के अलावा, उन्हें आर्थिक रूप से भी सशक्त बनाया गया है। जी -20 के माध्यम से हमें महिलाओं के डिजिटल और वित्तीय समावेशन को मजबूत करने के लिए इसी तरह की ठोस पहल पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। महिलाओं की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए उन्हें विकास में समान भागीदार बनाने के लिए महत्वपूर्ण कारक अर्थव्यवस्था और समाज दोनों में महिलाओं की भागीदारी में निरंतरता सुनिश्चित करेंगे।

निर्णय लेने के सभी स्तरों पर महिला नेतृत्व को सक्षम करना। भारत में प्रशासनिक अधिकारियों में 19 मिलियन से अधिक महिलाएं, पंचायत राज संस्थानों के लिए चुनी गई 17000 से अधिक महिलाएं और रक्षा बलों में 10000 से अधिक महिलाएं सेवारत हैं। उनके नेतृत्व में विकास के लिए इस तरह का दृष्टिकोण उनकी अनूठी क्षमता, अनुभव और नेतृत्व प्रणाली को सामने लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे महिलाएं समावेशी प्रभावी निर्णय लेने की स्थिति तक पहुंचने में सक्षम होंगी। अंत में, विभिन्न

पहलों से प्राप्त परिणामों की स्थिरता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अलग लिंग डेटा प्रणाली को प्राथमिकता देना आवश्यक होगा। लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति की निगरानी और लक्ष्यीकरण के लिए इस डेटा को एकत्र करने और साझा करने पर विशेष ध्यान देना महत्वपूर्ण होगा। अब तक जितने भी G-20 शिखर सम्मेलन हुए हैं, उनके उद्देश्यों को प्राप्त करने के परिणामस्वरूप, सदस्य देशों और पूरी दुनिया को कई विकास कारकों में वृद्धि दिखाई देती है जैसे कि आपसी सहयोग, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक स्तर में वांछनीय सुधार भी देखा जाता है। सदस्य देशों की कुल आबादी में महिलाओं की संख्या लगभग आधी पाई जाती है। पूरी आबादी में विकास कार्यों में वृद्धि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महिलाएं भी लाभान्वित हो रही हैं। विकासशील देशों खासकर G-20 के सदस्य देशों में महिलाओं की दशा और दिशा में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं।

भारत इस G-20 शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष है, देश की पहली महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो राष्ट्रपति का पद धारण करती हैं, आदिवासी समाज से ही आती हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि भारत में महिलाओं की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। समाज की एक महिला भारत में सर्वोच्च स्थान पर आसीन है, जो निश्चित रूप से आदिवासी और पिछड़े समाज की महिलाओं का विकास के पथ पर ले जाने में मदद करेगी। विकास के साथ, सुरक्षा और वर्तमान स्थिति में बदलाव से महिला समाज में भी बदलाव आएगा। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से भी महिलाओं की स्थिति में बदलाव आ रहा है। आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सामाजिक परिवर्तन, डिजिटल स्वीकृति, इंटरनेट का उपयोग, आदि। विकास के वे मापदंड हैं जो भारत और विकासशील देशों में महिला समाज में स्पष्ट रूप से देखे जाते हैं। भविष्य में और भी बदलाव देखने को मिलेंगे। 2023 में जी-20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता न केवल भारत की महिलाओं को सशक्त बनाने में सक्षम होगी, बल्कि लेकिन इससे इसके सदस्य देशों की महिलाओं और पूरी दुनिया की महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में भी बदलाव आएगा।

महिलाओं की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए उन्हें विकास में समान भागीदार बनाने के लिए महत्वपूर्ण कारक अर्थव्यवस्था और समाज दोनों में महिलाओं की भागीदारी में निरंतरता सुनिश्चित करने के साथ-साथ उनके प्रवेश विशेषज्ञ को उनके प्रवेश की सुविधा प्रदान करना होगा, जैसे, शिक्षा को दुनिया भर में सशक्तिकरण का आधार माना जाता है, फिर भी केवल 49% ने अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी की है, सभी महिलाओं में से केवल 6 ने लैंगिक समानता हासिल की है। निम्न माध्यमिक शिक्षा में यह आंकड़ा केवल 42% और उच्च माध्यमिक शिक्षा में 24% है। दुनिया भर में 1.1 बिलियन महिलाएं और लड़कियां औपचारिक वित्तीय प्रणाली से बाहर रहती हैं, कई डिजिटल प्रौद्योगिकी तक सीमित पहुंच के साथ, इसी तरह दुनिया में महिलाएं बिना वेतन के बहुत सारे देखभाल कार्य करती हैं। यह महत्वपूर्ण है कि इस G-20 सभी सदस्य देश एक साथ काम करें और कार्यस्थलों पर महिलाओं के जीवन में लंबे समय से चली आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए आम सहमति से निर्णय बने एवं उनका पालन महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु किया जाये। निर्णय लेने के लिए सभी स्तरों पर महिला नेतृत्व को सक्षम बनाना भी अति आवश्यक होगा। भारत में 19 मिलियन से अधिक महिलाएं प्रशासनिक क्षेत्र में हैं।

सन्दर्भ :

1. The Hindu Dated 07/12/2022
2. "Women Empowerment "Text Book of Community Health Nursing 2nd Vol., Edition II P.V. Publication.

भारतीय निर्वाचन व्यवस्था : वर्तमान विमर्श एवं चुनौतियाँ

डॉ० राणा चन्द्र भानु सिंह*

*सहायक प्राध्यापक, विश्वविद्यालय राजनीतिविज्ञान विभाग, तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर, बिहार

सारांश : निर्वाचन की प्रक्रिया ऐतिहासिक रूप से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सर्वाधिक सरल एवं महत्वपूर्ण सूचक है। निर्वाचन वह माध्यम है जिसके द्वारा सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था, आम जनता एवं बुद्धिजीवी वर्ग तथा व्यक्ति एवं सरकार के मध्य संपर्क का मार्ग प्रशस्त होता है। वर्तमान भारतीय निर्वाचन व्यवस्था कुछ नवीन विमर्श और चुनौतियों की ओर ध्यान आकृष्ट करता है, जैसे—निरंतर परिवर्तित हो रहा भारत का सामाजिक एवं राजनीतिक परिवेश किस प्रकार निर्वाचन की प्रक्रिया को प्रभावित करता है? क्या भारत में निर्वाचन पूर्णतः मुक्त एवं न्यायसंगत विधि द्वारा संपन्न हो पाता है? वर्तमान निर्वाचन व्यवस्था बहुमत के प्रतिनिधित्व की अवधारणा को क्या पूरी तरह से सार्थक बना पा रहा है? निर्वाचन के सफल संपादन में बाधक तत्व व चुनौतियाँ क्या हैं? इस प्रकार से प्रस्तुत शोध-पत्र में भारतीय निर्वाचन व्यवस्था को लेकर हो रहे वर्तमान विमर्श एवं इसके सम्मुख उत्पन्न नवीन चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है।

मुख्य शब्द : निर्वाचन आयोग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वीवीपेट, सोशल मीडिया, आईटी एक्सपर्ट्स, आईटी सेल, इस्पॉन्सर्ड कंटेंट, ट्रेंड फंक्शन, डी-ब्रांडिंग, प्रॉपगेंडा मैटिरियल, सी-विजिल आदि।

परिचय : 'प्रत्येक निर्वाचन सामाजिक परिवर्तन की वृहत् प्रक्रिया का एक स्थिर चित्र होता है।' समकालीन भारतीय राजनीतिक प्रणाली की प्रकृति, संचालन एवं विस्थापन को समझने हेतु निर्वाचन व्यवस्था का अध्ययन एक उपयोगी उपागम सिद्ध हो सकता है। भारत संसदीय एवं संघीय व्यवस्था पर आधारित एक संवैधानिक लोकतंत्र है जिसके हृदय में नियमित, स्वतंत्र एवं न्यायसंगत निर्वाचन के प्रति गहरी निष्ठा है।¹ भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। भारत में लोकतंत्र का आधार चुनाव ही है, जो विभिन्न स्तरों पर समय-समय पर संपन्न होते हैं। जब हमारी चुनावी व्यवस्था स्वाभाविक, पारदर्शी एवं निष्पक्ष होगी तो सही और उन्हीं व्यक्तियों का चयन होगा जो असल में जनता का प्रतिनिधित्व करते हों। क्योंकि जनता के हाथ में एक यही ऐसा हथियार है जिससे वह अपने रुझान और अपनी भावना को प्रकट करती है।² अनेक विविधताओं वाले भारतीय समाज में चुनाव प्रक्रिया कई सामाजिक-सांस्कृतिक, धार्मिक-राजनीतिक कारकों से प्रभावित होती है। हमारी निर्वाचन प्रणाली में अनेक विकृतियाँ एवं खामियाँ जुड़ी हुई हैं।

भारत में निर्वाचन संबंधी महत्वपूर्ण दायित्व के निर्वहन के लिए एक स्वतंत्र प्रशासकीय तंत्र की व्यवस्था की गयी है। यह प्रशासनिक तंत्र निर्वाचन आयोग है। निर्वाचन आयोग को चुनाव व्यवस्था के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण का कार्य सौंपा गया है।³ निर्वाचन आयोग भारतीय लोकतंत्र के चौथे संस्थागत अंग के रूप में उभरा है। यह लोकतंत्र के क्रियान्वयन एवं सशक्तीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है।⁴ स्वायत्त एवं संवैधानिक निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान सभा की एक विशिष्ट खोज है।⁵ स्थापना काल से लेकर पिछले 75 वर्षों में एक ओर आयोग ने स्वयं को स्थापित कर लिया है वहीं दूसरी ओर निर्वाचन व्यवस्था की संपूर्ण विसंगतियों को दूर करने में सफल नहीं हो सका है। यही कारण है कि समय-समय पर भारतीय निर्वाचन व्यवस्था में अनेक विमर्श उत्पन्न होते रहे हैं।

वर्तमान विमर्श : वर्तमान भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में कई विमर्श उभरकर सामने आ रहे हैं। पहला विमर्श इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) बनाम मतपत्र के माध्यम से मतदान का है। पिछले दिनों कुछ राजनीतिक दलों द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया। उनका आरोप था कि सत्ताधारी दल द्वारा अपने फायदे के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से छेड़-छाड़ की जा रही है। इसलिए मतपत्र के माध्यम से मतदान कराना बेहतर एवं पारदर्शी होगा, जबकि दूसरी ओर चुनाव आयोग का मानना है कि मशीन से छेड़-छाड़ संभव नहीं है। क्योंकि इसे किसी बाहरी मशीन या इंटरनेट से नहीं जोड़ा जा सकता। इस मुद्दे पर चुनाव आयोग ने सर्वदलीय बैठक बुलाई तथा यह चुनौती दी कि जिन्हें इस बात की आशंका है कि मतदान मशीन के साथ छेड़-छाड़ संभव है, वह यह साबित करे। परंतु कोई भी राजनीतिक दल उपस्थित नहीं हुआ।

यह बात निराधार है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से छेड़-छाड़ संभव है। जहां तक मतपत्र से मतदान कराने का प्रश्न है तो यह बिल्कुल अव्यवहारिक है। यह सही है कि वर्तमान व्यवस्था में कमी हो सकती है। परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि पुनः पीछे लौटा जाए, बल्कि वर्तमान व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता है। 2018 के विधान सभा चुनावों से आयोग ने पहल भी की है तथा वी. वी. पी. ए. टी. (Voter Verified Paper Audit Trail) की शुरुआत कर दी है। मतदान मशीन के विरोधियों का यह तर्क है कि कई देशों में आज भी मतपत्र द्वारा ही चुनाव होता है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता है। मतपत्र आधारित मतदान के विरोध के कई कारण हैं : 1. इसमें समय ज्यादा लगेगा 2. मानव संसाधन का दुरुपयोग होगा 3. प्राकृतिक संसाधन का दुरुपयोग 4. अवैध मतदान की आशंका और 5. मतपेटी प्रबंधन की समस्या।⁷

दूसरा विमर्श निर्वाचन व्यवस्था में सोशल मीडिया की भूमिका को लेकर है। हम एक अरब से अधिक लोगों के परस्पर संबद्ध राष्ट्र के रूप में निरंतर विकसित हो रहे हैं; सरकार देश में सूचना के लोकतंत्रीकरण और एक बेजोड़ जनसूचना ढांचा कायम करने के प्रति वचनबद्ध है। ... इस नये ढांचे के सर्वव्यापक होने, लोगों और विचारों के बीच तीव्रतम ढंग से संबंध कायम होने से हम सूचना के लोकतंत्रीकरण के लिए अनिवार्य खुलेपन, पहुंच, पारदर्शिता, जवाबदेही और विकेंद्रीकरण की वर्तमान प्रक्रियाओं में एक पीढ़ीगत परिवर्तन महसूस कर रहे हैं। ... इस उभरती हुई गतिशीलता में सोशल मीडिया की मध्यवर्ती भूमिका है। ... नागरिक पहले से ही हर तरफ सोशल मीडिया के वैकल्पिक स्थान में एक-दूसरे से जुड़े हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, जानकारी बांट रहे हैं और अपने को अभिव्यक्त कर रहे हैं। अभिव्यक्ति के ये मंच, जिनकी शुरुआत हाशियों में हुई, अब निरंतर संस्कृति की मुख्यधारा में सन्निहित हो रहे हैं और हमारे भौतिक जगत में क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं को प्रेरित कर रहे हैं।⁸ आधुनिक दुनिया में जहाँ अब इसके बिना रहने की कल्पना भी बेमानी हो गई है। यही वजह है कि इंडियन पॉलीटिक्स को सोशल मीडिया से अलग करके नहीं देखा जा सकता और फिलहाल यह संभव भी नहीं है। चुनाव के दौरान तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता

ही है, चुनाव के बाद भी यह बदस्तूर जारी रहता है। फेसबुक, मैसेंजर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्वीटर, ब्लैक एसएमएस, ई-मेल, यूट्यूब और वेबसाइट जैसे माध्यमों के जरिये आम लोगों के बीच बने रहने की कोशिश तेज हो गई है।

पार्टियाँ प्रचार में तेजी लाने के लिए बड़ी-बड़ी आई.टी. कंपनियों और कंसल्टिंग फर्मों को हायर कर रही हैं। कई बड़ी विदेशी कंपनियाँ भी इस होड़ में शामिल हो गई हैं। इन कंपनियों से डाटा क्रय किया जा रहा है। पार्टियों के कार्यालयों में आईटी एक्सपर्ट्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। छोटे-छोटे शहरों में भी आईटी सेल का गठन किया जा रहा है। पार्टियाँ इसके जरिये स्थानीय स्तर पर भी अपनी पहुँच बढ़ा रही हैं। मंत्री, सांसद और विधायक भी इसके लिए पीआर एजेंसियों की मदद ले रहे हैं। यही वजह है कि लोकसभा और विधानसभा के साथ कॉर्पोरेशन के चुनाव भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। पंचायत के चुनावों तक में सोशल मीडिया की भूमिका बढ़ गई है। कैम्पेनिंग के लिए प्रोफेशनल्स की मदद ली जा रही है।⁹ आईटी सेल में मौजूद एक्सपर्ट्स या प्रोफेशनल्स अपनी-अपनी पार्टियों के लिए ढेर सारे फेसबुक पेज तैयार करते हैं। धर्म, देश, राष्ट्रवाद, भारतीय सेना, शहीदों, के आधार पर तैयार किए जाने वाले इन पेजों के जरिये पहले तो ढेर सारी लाइक बटोरी जाती है, और जब उन्हें हजारों-लाखों लाइक्स मिल जाते हैं तो फिर उनका इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए किया जाता है। आक्रामक चुनाव प्रचार के लिए उन फेसबुक पेजों को भी खरीदने की कोशिश की जाती है जो व्यक्तिगत तौर पर रन कर रहे होते हैं। फेसबुक पेज के ऑनर यानी एडमिन को बड़ी रकम देकर मनपसंद पोस्ट को वायरल कराया जाता है। आमतौर पर उन फेसबुक पेजों को ज्यादा ध्यान में रखा जाता है, जिन पर 30 हजार से ज्यादा लाइक रहते हैं।¹⁰

किसी भी फेसबुक ग्रुप को टारगेट करने से पहले उसके सदस्यों का स्टैंडर्ड देखा जाता है। यानी यहाँ भी ऑडियंस मायने रखती है। फेसबुक ग्रुप को खरीदने या फिर एडमिन को अपने पक्ष में करने के बाद पार्टियाँ ग्रुप पर सामग्री के रूप में ऐसे कंटेंट, टेक्स्ट, वीडियो को रन कराने की कोशिश करती हैं जिनकी वजह से उन्हें ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक फायदा हासिल हो सके। फेसबुक मैनेजमेंट की तरफ से यूजर्स के अकाउंट पर स्पॉन्सर्ड कंटेंट (Sponsored content) भी भेजे जाते हैं। आईटी सेलो में काम करने वाले राजनीतिक पार्टियों के प्रोफेशनल्स चुनाव के दौरान इस पूरी प्रक्रिया पर नजर रखते हैं।

सोशल मीडिया को प्रासंगिक बनाए रखने में ट्वीटर की भूमिका भी कम नहीं है। खास बात यह है कि राजनीतिक दलों व नेताओं को फेसबुक की तुलना में ट्वीटर पर ज्यादा आसानी के साथ मीडिया कवरेज मिल जाता है। राजनीति से जुड़े मुद्दे हों या फिर किसी मुद्दे को राजनीतिक रूप देना हो, इसके लिए ट्वीटर पर मौजूद 'ट्रेंड फंक्शन' (अगर एक मिनट के अंदर करीब दो हजार लोगों ने एक ही #टैग पर ट्वीट कर दिया तो वह ट्रेंड कर जाता है।) का इस्तेमाल बढ़ गया है।¹¹

भारत के अलग-अलग राज्यों के साथ तमाम छोटे-बड़े शहरों में वॉररूम बनाए गए हैं। यहाँ बड़ी संख्या में कंटेंट राइटर, डिजाइनर, ग्राफिक्स डिजाइनर, फोटोग्राफर, ट्वीटर हैंडलर, फेसबुक मैनेजर, यूट्यूबर की तैनाती की गई है। यूट्यूब पर छोटे-छोटे वीडियो (शॉर्ट्स), मोबाइल नम्बर्स पर वॉयस कॉलिंग (जिसमें सॉन्ना थीम पर कंटेंट और पार्टी के स्लोगन शामिल होते हैं), व्हाट्सएप कॉलिंग, इंस्टाग्राम आदि के जरिये भी कैम्पेन किया जाता है। चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए सोशल मीडिया के जरिये जहाँ एक तरफ राजनीतिक दल अपनी पार्टी और अपने नेताओं की ब्रांडिंग करती है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियाँ को बदनाम और गंदा करने के साथ उन्हें सियासी रूप से घेरने का भी काम किया जाता है, जिसे 'डी ब्रांडिंग' कहा जाता है। सोशल मीडिया इसके लिए उपयुक्त प्लेटफॉर्म साबित हो रहा है। इससे पता चलता है कि निर्वाचन व्यवस्था में सोशल मीडिया एक तरह 'जंग का मैदान' (Battle Ground) बन गया है।

यद्यपि चुनाव आयोग सोशल मीडिया के बढ़ते राजनीतिक इस्तेमाल को लेकर गंभीर है। चुनाव आयोग ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी गाइडलाइंस जारी किया था जिसके तहत गूगल, फेसबुक, ट्वीटर और यूट्यूब को राजनीतिक दलों से मिलने वाले विज्ञापनों को वेरिफाई करने का आदेश दिया गया था। चुनाव आयोग ने यह भी कहा था कि सोशल मीडिया पर विज्ञापन जारी करने से पहले पार्टियों और उम्मीदवारों को आयोग की मंजूरी लेनी होगी। इसके लिए राज्य और जिला स्तर पर मीडिया सर्टिफिकेशन और मॉनीटरिंग कमेटियों का गठन किया गया था। उम्मीदवारों को हिदायत दी गई थी कि वे नामांकन दाखिल करते समय सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट्स का ब्योरा चुनाव आयोग को सौंपेंगे। इसका मकसद चुनाव के दौरान प्रॉपेगेंडा मैटेरियल पर रोक लगाना था। चुनाव आयोग के मुताबिक सोशल मीडिया और आईटी कंपनियों ने इस दौरान 'हेट स्पीच' जैसी सामग्री पर रोक लगाने का आश्वासन भी दिया था। आयोग ने 'सी-विजिल' के नाम से एक एप भी जारी किया था जहाँ आचार संहिता से जुड़े मामलों को लेकर सीधे तौर पर शिकायत दर्ज की जा सकती थी। फैक्ट चेकर्स को तैनाती भी की गई थी जिनका काम सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर पोस्ट, वीडियो, ऑडियो, फोटो आदि के रूप में डाले गए कंटेंट की जाँच करना था। फिलहाल नियम के अनुसार सोशल मीडिया पर विज्ञापन देने से 48 घंटे पहले आयोग की अनुमति लेना जरूरी है।

वर्तमान में इस विशाल प्लेटफॉर्म पर नजर रख पाना लगभग असंभव है। यही वजह है कि चुनाव आयोग गाइडलाइंस जारी कर राजनीतिक दलों को सोशल मीडिया का दुरुपयोग न करने की सिर्फ नसीहत ही दे सकता है। खास बात यह है कि सोशल मीडिया पर किसी भी चुनाव को प्रभावित करने का काम हमेशा चलता रहता है। जबकि आयोग की गाइडलाइंस आमतौर पर सिर्फ चुनाव तक के लिए ही होती है। राजनीतिक पार्टियाँ आईटी सेल का इस्तेमाल कर पूरे 5 साल तक सोशल मीडिया का दुरुपयोग करती हैं। 70 फीसदी मतदाता तो पहले ही प्रभावित हो चुके होते हैं। चुनाव के दौरान प्लोटिंग वोटर्स के रूप में मौजूद सिर्फ 30 फीसदी लोगों को ही टारगेट करने का प्लान रहता है। लिहाजा सरकार को ऐसा कानून लाने की जरूरत है जिसकी मदद से सोशल मीडिया पर कंटेंट के रूप में वायरल होने वाले ऐसे वीडियो, पोस्ट, फूटेज, ऑडियो पर निगरानी रखी जा सके, जिसका इस्तेमाल कर पूरे सामाजिक ताने-बाने को पैरालाइज करने की कोशिश की जाती है।¹²

तीसरा विमर्श निष्पक्ष तथा उत्तरदायी प्रेस एवं समाचार चैनल का है। वर्तमान समय में जनमत-निर्माण में प्रेस एवं समाचार चैनल की भूमिका महत्वपूर्ण हो गयी है। यह दुर्भाग्य की बात है कि भारत में प्रेस एवं समाचार चैनल निष्पक्ष नहीं रहा है और उसने एकपक्षीय समाचार को बढ़ावा दिया है। एक ओर यह प्रायः देखने में आता है कि देश के किसी भाग में हुई एक घटना को समाचार-पत्र व चैनल बढ़ा-चढ़ा कर प्रस्तुत करते हैं। परिणाम यह होता है कि समाज के संबंधित वर्ग इससे नकारात्मक रूप में प्रभावित होते हैं। दूसरी ओर कुछ समाचार-पत्र एवं न्यूज चैनल सत्तारूढ़ दल का आँख मूँदकर समर्थन करते हैं और कुछ कठारता के साथ सरकार-विरोधी दृष्टिकोण रखते हैं। इससे स्वस्थ जनमत का निर्माण नहीं हो पाता। मीडिया क स्वतंत्र और

निष्पक्ष न होने के कारण समाज के विभिन्न वर्गों के बीच दूरी बढ़ी है। यदि समाचार के साधन निष्पक्ष और उत्तरदायित्वपूर्ण भूमिका अदा करें तो सामाजिक तनाव बहुत कम हो सकता है।¹³

चौथा सबसे महत्वपूर्ण विमर्श का मुद्दा “एक राष्ट्र—एक चुनाव” (One Nation-One Election) का है। यहाँ यह बताना उचित होगा कि एक राष्ट्र—एक चुनाव भारतीय संदर्भ में कोई नई संकल्पना नहीं है। 1952, 1957, 1962 एवं 1967 में ऐसे कई चुनाव संपन्न हुए थे। परंतु समय के साथ-साथ ऐसा परिवर्तन हुआ कि आज प्रतिवर्ष या फिर ये कहे कि वर्ष में कम-से-कम दो बार तो चुनाव (संसदीय, विधानसभा या स्थानीय) होते ही हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। चुनाव की अतिशयता प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से विकास की प्रक्रिया को अवरुद्ध कर रही है। चूंकि सरकार एवं मंत्री अधिकतर समय चुनाव की तैयारी एवं चुनाव प्रक्रिया में ही समय नष्ट कर देते हैं। इस कारण मूलभूत समस्याओं एवं मुद्दों पर उनका ध्यान नहीं जा पाता। इस कारण शासन के दिन भी घट जाते हैं। एक—राष्ट्र—एक चुनाव की संकल्पना चुनौतीपूर्ण जरूर है, किंतु इसके बहुआयामी फायदे हैं। पहला इससे चुनाव खर्च कम होगा, दूसरा सरकार को शासन के लिए समय मिलेगा, तीसरा चुनाव आयोग की जिम्मेदारियाँ कम होंगी। चौथा एवं सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इससे जनसहभागिता भी बढ़ेगी। उत्तर—पूर्व के राज्यों में यह देखा गया है कि लोकसभा की तुलना में विधानसभाओं के चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ जाता है। ऐसी परिस्थिति में यदि साथ-साथ चुनाव होते हैं तो स्वभावतः जनसहभागिता बढ़ेगी।¹⁴

नवीन चुनौतियाँ : प्रत्येक निर्वाचन के साथ ही निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित अनेक चुनौतियों का निर्वाचन आयोग को सामना करना पड़ रहा है। कई सुझाव एवं संस्थागत प्रयासों के बावजूद आज भी निर्वाचन व्यवस्था में कई प्रकार की विसंगतियाँ विद्यमान हैं, जिनका अवलोकन किया जाना आवश्यक है :

जन—समर्थन और अनुपात में गंभीर अन्तर : केन्द्र और राज्य स्तर पर होने वाले चुनाव में उस दल को बहुमत प्राप्त हो जाता है, जिन्हें वास्तव में जन—समर्थन प्राप्त नहीं होता। प्रायः यह देखा गया है कि दलों के प्रत्याशियों को मतदान में डाले गये समस्त मतों का बहुमत प्राप्त नहीं होता और ये प्रत्याशी विजयी हो जाते हैं। यह चुनाव प्रणाली (फर्स्ट पास्ट द पोस्ट) का ही प्रभाव है कि हमें ऐसा परिणाम मिला है जिससे निकला जनादेश मतदाताओं के बहुलांश का सीधा प्रतिनिधित्व नहीं करता। एक तरह से यह बहु—जन के बजाय अल्प—जन का जनादेश है। वास्तव में आजादी के बाद चुनी गयी प्रत्येक लोकसभा के जनादेश की कमीबेश यही स्थिति है।¹⁵

निर्दलीय उम्मीदवारों की भरमार : भारतीय चुनाव व्यवस्था की एक गंभीर समस्या सभी प्रकार के चुनावों में निर्दलीय उम्मीदवारों की बहुलता रही है। जिस किसी व्यक्ति को दल से टिकट नहीं मिल पाता है वही दल के प्रति विद्रोह करके निर्दलीय उम्मीदवार बनने का प्रयास करता है। राजनीति विज्ञानियों के बीच इस बात को लेकर बहस जारी है कि चुनावों में अधिक उम्मीदवारों का प्रवेश रोकने के उपायों से कुछ फायदा मिल भी पाएगा या नहीं। प्रतिबंधों के समर्थकों के तर्क प्रायः चुनावों की प्रबंधनीयता पर आधारित होते हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि असीमित प्रविष्टियों के कारण इनसे संबंधित खर्च बहुत बढ़ जाता है और साथ ही उनका यह भी तर्क है कि अगर इस प्रवृत्ति पर रोक नहीं लगायी गयी तो यह चुनाव प्रक्रिया की पवित्रता को ही धूमिल कर देगा। हालांकि बहुत से राजनीति विज्ञानी इस विचार को लेकर सहज नहीं हैं। उनका कहना है कि हाशिये पर के उम्मीदवारों के प्रभाव का आकलन केवल उनकी चुनावी सफलता के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। वे लोग जिन मुद्दों को उठाते हैं और जिनके लिए संघर्ष करते हैं, कई बार वे मुद्दे चुनावी बहस का रुख बदल देते हैं और सत्ताधारियों के व्यवहार में भी बदलाव ला देते हैं। इस मत का मानना है कि चुनावी प्रविष्टि पर कृत्रिम प्रतिबंध असहमति के स्वर को मंद कर देता है और विचारों की अनेकता, जो किसी भी लोकतंत्र का आवश्यक तत्व है, केवल प्रबंधनीयता की कीमत पर पीछे छूट जाती है। कुछ अन्य राजनीति विज्ञानियों का मानना है कि चुनाव में भागीदारी पर कृत्रिम प्रतिबंध के पयास कभी सफल नहीं हुए हैं और सामान्य तौर पर दीर्घकालिक परिदृश्य में ये उत्पादकता के प्रतिकूल परिणाम देते रहे हैं।¹⁶

निर्वाचन अधिकारियों पर अनुचित दबाव : निर्वाचन आयोग और अन्य निर्वाचन अधिकारियों पर अनुचित दबाव डालने का प्रयास किया जाता है जिसके माध्यम से मतदाता सूचियों में गड़बड़ कराना, संसद और विधानसभा सदस्यों के नाम मतदाता सूचियों से निकाल देना, जिससे वे चुनाव न लड़ सकें, प्रतिपक्षी उम्मीदवारों के नाम अधिक संख्या में रद्द कराना जैसे कार्य कराये जाते हैं। सत्तारूढ़ नेता प्रायः अपने निर्वाचनों के दौरान निर्वाचन अधिकारियों पर अनुचित दबाव डालते रहते हैं। निहित स्वार्थों के परोक्ष अभिप्रायों को पूरा करने के लिए इसके दुरुपयोग के कारण ‘लोकतंत्र’ शब्द की मूल अवधारणा, जन धारणा और दर्शन की प्रतिष्ठा घटी है।¹⁷

मतदाता सूचियों की अपूर्णता : चुनाव होने तक मतदाता सूचियाँ पूर्ण नहीं हो पाती हैं। अनेक नागरिकों के नाम उन सूचियों से गायब होते हैं जिससे अनेक नागरिक मत देने से वंचित रह जाते हैं।

मतदाताओं की अनुपस्थिति : भारत में निर्वाचन प्रणाली में एक गंभीर दोष यह भी है कि लगभग 50 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक मतदाता निर्वाचन में भाग नहीं लेते। मतदान के अधिकार का उचित प्रयोग न करना चुनाव व्यवस्था के साथ लापरवाही है।

राजनीति का अपराधीकरण : राजनीति का अपराधीकरण एवं अपराधों का राजनीतिकरण दोनों एक—दूसरे के पर्याय बने हुए हैं।¹⁸ राजनीति के अपराधीकरण को केवल कानूनी या प्रशासनिक प्रावधानों से नहीं रोका जा सकता है। इसके लिए सबसे बड़ी पहल राजनीतिक स्तर पर करनी होगी। जिसमें छोटे—बड़े राजनीतिक दलों, सरकार और विपक्ष सभी की महत्वपूर्ण भूमिका है। आखिर राजनीति के अपराधीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत राजनीतिक दलों के स्तर पर ही होती है। ऐसे में राजनीतिक दलों को यह तय करना होगा कि वे अपराधियों के प्रति शून्य सहनशीलता (जीरो टालरेंस) की नीति अपनाएँगे। दलों में अपराधियों के प्रवेश पर अंकुश लगाने की व्यवस्था करेंगे और खासकर उन्हें चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं देंगे।

दूसरे, राजनीति के अपराधीकरण को रोकने में आम मतदाताओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्हें बाहुबली उम्मीदवारों में राबिनहुड खोजने/देखना से बचना होगा और उन्हें नकारना होगा। आखिर राजनीतिक पार्टियाँ अपराधी उम्मीदवारों में चुनाव जीतन की क्षमता को देखकर ही उन्हें टिकट देती हैं। इस कारण यह एक दुश्चक्र सा बन गया है। अगर मतदाता अपराधी उम्मीदवारों और ऐसे उम्मीदवारों को बढ़ावा देने वाली पार्टियों को नकारने लगे तो इससे राजनीतिक दलों पर अपराधियों को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति पर अंकुश लग सकता है। जाहिर है कि मतदाताओं को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी।¹⁹ इस समय

सबसे पहला काम जो करने की आवश्यकता है, वह है तीन भयानक चीजों—धनबल, बाहुबल और माफिया बल को समाप्त किए जाने की है।²⁰

लोकतांत्रिक वंशवाद : सामान्यतः भारत में देखा जाए तो स्वतंत्रता के पश्चात् देशी रियासतों के समापन एवं लोकतंत्र की स्थापना के साथ ही वंशीय राजनीति का उन्मूलन हो गया था। परंतु, वर्तमान भारतीय राजनीति में एक नए तरीके के लोकतांत्रिक वंशवाद की परंपरा उभर कर सामने आ रही है। पिछले तीन आम चुनावों का अवलोकन करे तो पाते हैं कि लगभग एक चौथाई लोकसभा सांसद वंशीय परंपरा के तहत जीत कर आए हैं।²¹

निष्कर्ष : स्वतंत्रता प्राप्ति से आरंभ करते हुए देखा जाए तो भारत में निर्वाचन कई दौरों से गुजर चुका है। भारतीय निर्वाचकीय व्यवस्था बदलते हुए परिवेश के अनुरूप स्वयं को ढालने का प्रयास कर रही है तथा अनुकूलन के इस प्रयास के फलस्वरूप निर्वाचन की प्रक्रिया में कई गुणों एवं दुर्गुणों का मिश्रित समावेश हो रहा है। वैश्वीकरण के बाद उपभोक्तावाद के बढ़ने के कारण भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में कई नई चुनौतियों का आविर्भाव हुआ है। निर्वाचन आयोग निर्वाचन की प्रणाली में गुणों की वृद्धि एवं दुर्गुणों से मुक्ति की दिशा में प्रयासरत है। कई का सफलतापूर्वक समाधान किया जा चुका है। कुछ चुनौतियां आज भी विद्यमान हैं जिनका सुसंगत समाधान किए जाने की आवश्यकता है।

सन्दर्भ :

1. मित्रा, सुब्रत के एंव सिंह, वी.बी. (1999), *डेमोक्रेसी एंड सोशल चेंज इन इंडिया*, दिल्ली, सेज पब्लिकेशन
2. अशरफ, तारीक (2004), *इलेक्शन 2004*, बुकवेल, पृ01.
3. शर्मा, जी० एल० (2015), *सामाजिक मुद्दे*, जयपुर, रावत पब्लिकेशन्स, पृ0 367.
4. मंगलनी, रूपा (2005), *भारतीय शासन एवं राजनीति*, जयपुर, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पृ0 414.
5. काटजू, मंजरी (2000), "इलेक्शन कमीशन एण्ड फन्शनिंग डेमोक्रेसी", *इन इकॉनामिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली*, vol. 41, No. 17 (अप्रैल 29—मई 5.2006), पृ0 1635—1640.
6. रेहान, अली (2001), *द वर्किंग आफ दी इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया*, नई दिल्ली, झंडा प्रकाशन.
7. मुरारी, कृष्ण (2019), "निर्वाचन आयोग एवं चुनाव सुधार", इन अभय प्रसाद सिंह एंड कृष्ण मुरारी (सं.), *भारत में राजनीतिक प्रक्रिया*, हैदराबाद, ओरिएंट ब्लैकस्वॉन, पृ0 55.
8. पित्रोदा, सैम (2013, मई), सूचना का लोकतंत्रीकरण, *योजन*, अंक 5 (वर्ष 58), पृ0 7.
9. रज़ी, मुहम्मद (2022), *चुनावनीति*, नोएडा, हिन्द युग्म, पृ0 126.
10. वर्ह, पृ0 128.
11. वर्ह, पृ0 131—132.
12. वर्ह, पृ0 138—154.
13. सईद, एस० एम० (2014), *भारतीय राजनीतिक व्यवस्था*, लखनऊ, भारत बुक सेण्टर, पृ0 453—454.
14. मुरारी, कृष्ण (2019), *उपरोक्त*, पृ0 55—56.
15. दुबे, अभय कुमार, (2014, जुलाई), चुनाव—प्रणाली: विसंगतियां और सुधार, *योजन*, अंक 7 (वर्ष 58), पृ0 19.
16. भट्टाचार्य, कौशिक (2014, जुलाई), उम्मीदवारों की बहुलता और भारतीय चुनाव सुधार, *योजन*, अंक 7 (वर्ष 58), पृ0 36.
17. हेपतुल्ला, डॉ० नजमा, (2021, जनवरी), भारतीय लोकतंत्र, राजनीति और शासन, *योजन*, अंक 01 (वर्ष 65), पृ0 11.
18. वोहरा कमिटी रिपोर्ट (1993).
19. प्रधान, आनंद, (2014, जुलाई), चुनाव बनाम अपराधीकरण, *योजन*, अंक 7 (वर्ष 58), पृ0 45.
20. मित्रा, सुब्रत के, (2014, जुलाई), चुनाव, चुनाव सुधार और मजबूत होता लोकतंत्र, *योजन*, अंक 7 (वर्ष 58), पृ0 25.
21. चंदना, कंचन, (2016), *डेमोक्रेटिक डाइनेमिजिज: स्टेट, पार्टी एण्ड फैमिली*, कैंब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, पृ0 12.

भारतीय सभ्यता में गुप्तकालीन सभ्यता का स्थान एवं महत्व डॉ० सौमिनी सिंह*

*असिस्टेंट प्रोफेसर, इतिहास विभाग, बृहस्पति महिला महाविद्यालय, के-50, किदवई नगर, कानपुर, उ०प्र०

सारांश : प्रत्येक सभ्यता का विकास एक भौगोलिक तथा वाशिक वातावरण में होता है, इसलिये सभ्यताओं के स्वरूपों में विभिन्नता दृष्टिगोचर होती है। वास्तव में सभ्यताओं के विभिन्न स्वरूपों के निर्माण का मूल कारण है उनको अपनाने और ग्रहण करने वाले विभिन्न मानव वंशों के समूहों की विशिष्ट भौतिक भक्ति। इतिहासज्ञों का कथन है कि एक संस्कृति के सच्चे तत्वों को दूसरी संस्कृति वाले मानव पूरा रूप से कभी नहीं अपना सकते। समूह अपने से विभिन्न सभ्यता का अनुकरण केवल बाहरी रूप में ही कर पाता है। वह अन्य सभ्यताओं के आदर्शों, भावनाओं, प्रेरणाओं, विधि विधानों और संस्थाओं को अपनाते अपनाते उनमें अपनी भौतिक बीजभूत प्रकृति और प्रवृत्ति के अनुसार परिवर्तन कर ही लेता है बिना हेर-फेर किये वे अपनाये नहीं जाते। यूनान की सभ्यता को यूरोप के रोमन लोगों ने परिवर्तन करके अपना लिया। सभ्यताओं के संघर्ष, मिलन और आदान-प्रदान होता रहता है। एक दूसरे के संपर्क में आने पर विभिन्न सभ्यतायें संघर्ष करती और जुझती हैं और कभी-कभी एक दूसरे में विलीन हो जाती हैं।

मुख्य शब्द : हिंदू संस्कृति, आदर्श भावना, प्रेरणा, विधि-विधान आदि।

इस्लाम के अनेक अनुयायियों ने भारत में हिंदू संस्कृति में कई अंगों और तत्वों को अपनाया। प्राचीन मध्य युग और आधुनिक काल में संस्कृतियों को अपनाने वाले विशाल तथा प्रख्यात राष्ट्रों और मानव समूहों ने संस्कृति के अंशों का आदान प्रदान सरल और सहज भाव से किया है। यूनान भी सभ्यता ने भारतीय सभ्यता के दार्शनिक सिद्धांतों को अपनाया अरबों ने यूनानी सभ्यता के प्रमुख तत्वों को आत्मसात ही नहीं किया अपितु उसमें वृद्धि भी की। मध्य युग में यूरोप में रोमन सभ्यता के कानूनों को अपनाने में विभिन्न राष्ट्रों ने अपना गौरव समझा। आधुनिक यूरोप की सभ्यता में यहूदी, यूनानी और रोमन सभ्यताओं की ये सम्मिलित हैं। ये विशेषतायें आधुनिक यूरोप की संस्कृति की पैतृक संपत्ति हैं। आधुनिक पाश्चात्य सभ्यता सैकड़ों वर्षों से प्रचलित विभिन्न सभ्यताओं का परिणत स्वरूप है। मानव और वातावरण तथा परिस्थितियों में परस्पर निरंतर संघर्ष चलता रहता है जब मानव अपने वातावरण के परिवर्तन करने में सफल होता है और परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, तब वह अपनी जीवन प्रणाली में भी परिवर्तन करता है। उसकी नवीन परिवर्तित जीवन पद्धति ही सभ्यता के विकास का एक अंग बन जाती है। जब मनुष्य ने जल भी वाष्प भाक्ति को नियंत्रित किया तब यांत्रिक संस्कृति के अंगों का विकास हुआ बिजली और हवा पर जब मनुष्य ने नियंत्रण कर लिया, तब बिजली के यंत्रों, टेलीफोन, टेलीविजन, वायुयान आदि का प्रारंभ हुआ, और यांत्रिक संस्कृति में और अधिक विकास हुआ। इन मनीषियों और कलाविदों के अनुसंधानों से सारे देश ने पूर्ण लाभ उठाया और इन्हीं के बल पर भारत की एकता प्रस्फुटित और विकसित हुई। देश में बहने वाली नदियों में गंगा, यमुना, गोदावरी नगरियों में रांची, अयोध्या, मथुरा, अवन्तिका पर्वतों में महेन्द्र मलय आदि को सबके लिये मान्य और दर्शनीय बताकर इसी एकता की भावना को अधिक बल दिया गया है। भारत के प्रमुख आचार्यों व संता ने समस्त भारत में परिक्रमण करके अपने ज्ञान का प्रकाश वितरित किया। शंकराचार्य इसके श्रेष्ठ उदाहरण हैं। राम और कृष्ण का आदर्श चरित्र और उन मान्यता भी देश की एकता का परिचायक बन गयी, मन की स्मृति का राजधर्म सारे भारत में स्थापित हो गया और उससे राजनीतिज्ञ और प्रशासकीय एकता बनी रह गयी।

सर्वसुखिनः सन्तु प्रायः— मनुष्य की प्रवृत्तियाँ उनके सुख के लिये होती हैं क्योंकि सभी अपनी सुख-समृद्धि चाहते हैं। भारत के ब्राह्मण जैन और बौद्ध धर्मों में यह शिक्षा दी गयी किसी को कष्ट न हो, दूसरों का कष्ट दूर करने के लिये तन, मन और धन से सदा प्रस्तुत रहो, दूसरी की उन्नति करने के लिये सदैव प्रस्तुत रहो। भारतीय सभ्यता का उपदेश रहा है कि मनुष्य को उन सुखों की उपेक्षा करने के लिये प्रस्तुत रहना चाहिये। जिनकी प्राप्ति के लिये दूसरों का शोषण करना पड़े।

भारतीय सभ्यता के उन्नायकों की यह ऊँची भावना ही कि वे अपना सर्वस्व त्याग कर भी दूसरों को सुखी बनाने का प्रयास करें। उनकी धारणा थी कि स्वार्थी यस्य परार्थ एवं से नृपानग्रणी अर्थात् जिनका स्वार्थ ही परीपकार करने में है, वे ही मानवता के नेता हैं। भारत का विश्वास सर्व सुखिनः सन्तु मे रहा है जो कुछ सत्य, शिव और सुन्दर हो। वह आप हो। भारतीय सभ्यता विशेषताओं के कारण ही मानव की विचारणा और चेतन्यता को प्रस्फुरित कर सकी है। इन विशिष्ट गुणों से ही यह सभ्यता आज भी विद्यमान है, जबकि अनेक विविध संस्कृतियाँ विलुप्त हो गयीं। भारतीय अपनी सभ्यता की विशिष्टताओं से और अपनी अमर सांस्कृतिक निधि के सपयोग से राष्ट्रीय जीवन का अभ्युत्थान कर सके और विश्व को अपनी सांस्कृतिक देन दे सके।

भारतवर्ष एक विशाल महाद्वीप है इसकी विशालता के साथ-साथ इसमें प्राकृतिक दशाओं की विभिन्नता और जलवायु की विविधता है। भारत की भौगोलिक स्थिति ने उसकी प्राकृतिक दशाओं ने तथा उनकी विभिन्नताओं ने भारत की बहुरंगी संस्कृति अधिक प्रभावित किया है। यहां के जन जीवन पर गहरी छाप छोड़ी है। किसी देश का इतिहास वहां के निवासियों के राजनीतिक सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन के विकास और परिवर्तन का लेखा जोखा है। भारत के इतिहास पर उसकी भौगोलिक दशा का बड़ा प्रभाव पड़ा है। हिमालय की तराई में अनेक स्वास्थ्यप्रद स्थान और विस्तृत धनबन हैं। यहां की विविध जड़ी बूटिया काण्ड, वनसंपदा और अन्य देश का व्यापार व्यवसाय, सुख समृद्धि में वृद्धि करते, इस प्रकार हिमालय स्वास्थ्य समृद्धि में सहायक है। हिमालय की घाटियों में निवास करने वाली गुरखा, गढ़वाली भूटानी आदि पहाड़ी लड़ाकू जातियों ने सैनिक होकर देश की सुरक्षा में योग दिया है। भारत के उत्तर-पश्चिम में हिमालय की हिन्दुकुश, सुलेमान, किरबर आदि नीची श्रेणियों में खेबरू बोलन, टोनी गोमल आदि दरे हैं। आजकल ये पाकिस्तान में हैं इन्हीं दरों से विदेशी आक्रमणकारी प्राचीन और मध्ययुग में भारत में प्रवेश करके धीरे-धीरे समस्त उत्तरी भारत में फैलते गये। इसीलिये इन दरों को भारत के द्वारा इन्हीं दरों से प्राचीन और मध्य युग में भारत के व्यापारी और धर्म प्रचारक एशिया के अन्य देशों को गये। फलस्वरूप इन्हीं द्वारा से भारतीय सभ्यता और संस्कृति अरब, ईरान, यूनान, मध्य एशिया, खोताने के अन्य देशों से प्रसारित होती रही। हिमालय भी घाटियों और कन्दराओं में अनेक महात्माओं, ऋषियों तपसियों योगियों आदि ने शान्ति और एकांत जीवन व्यतीत करके आत्मप्रकृति, ईश्वर, सृष्टि सृजन ह्याण्ड आदि पर चिन्तन और

मनन किया तथा दार्शनिक और आध्यात्मिक प्रगलियाँ और परंपरा प्रारंभ की, ये दार्शनिक विचारधारायें भारतीय सभ्यता में अपना विशिष्ट स्थान रखती हैं। भारतीय सभ्यता दार्शनिक तत्त्वों से ओत-प्रोत है।

गंगा-सिंधु या उत्तरी भारत का मैदान और उसका प्रभाव उत्तर में हिमालय और दक्षिण में विन्ध्याचल पर्वत के बीच और पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक उत्तरी भारत में एक विस्तृत मैदान है। इसमें गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र झेलम सत्य व्यास और उनकी अन्य सहायक नदियाँ बहती हैं। ये नदियाँ बाढ़ के समय मिट्टी लाक मैदान में बिखेर देती हैं। इससे यह मैदान अधिक उपजाऊ हो गया है। इन नदियों पर अनेक स्थानों पर जो बांध गये हैं और नहर निकाली गयी हैं उससे भूमि की उर्वरता और कृषि में तथा समृद्धि में वृद्धि हुयी है। यह मैदान समतल होने से इसमें अनेक रेल और नहरे हैं। यातायात के इस सुगम और प्रचुर साधनों से देश का बाणिज्य व्यवसाय और आर्थिक जीवन प्रभावित हुआ है। उर्वरक भूमि चारागाहों की प्रचुरता सिंचाई की अधिकता से मैदान कृषि प्रधान हो गया। फलतः उत्तरी भारत की संस्कृति पर कृषि और पशुपालन की छाप रही है। इसी मैदान के नदियों के तटों पर प्राचीन कला के सभ्यता और संस्कृति का उदय हुआ। संभव सभ्यता और आर्य सभ्यता इसी मैदान की उपज को इसी मैदान ने भारतीय संस्कृति ललित कला साहित्य और दर्शन के केन्द्र रहे। इस उपजाऊ मैदान में जीवन की सुख-सुविधायें सरलता से उपलब्ध होने के कारण यहां के निवासियों को मनन चिन्तन और अध्ययन करने को पर्याप्त अवकाश और अवसर मिले। फलतः यहाँ के निवासियों ने दार्शनियों और आध्यात्मिक सिद्धांतों औरतों की प्रसारित किया और ये सिद्धांत भारत की सांस्कृतिक विद्या बन गये। इसके अतिरिक्त हरी मैदान में साहित्य, धर्म कला आदि में खूब प्रगति हुई। इस मैदान की भूमि की स्वास्थ्यप्रद समशीतोष्ण जलवायु जीविका उपार्जन की सुगमता, सुख सुविधाओं की सरल उपलब्धि, धनवान्य का बाहुल्य यातायात की सुगमता आदि से भरत के प्रमुख राज्यों और साम्राज्यों का अभ्युदय, विकास और पतन भी यही हुआ। मौर्य और गुप्त साम्राज्य तथा दिल्ली रहन-सहन और राजनीतिक इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला है। भारतवर्ष एशिया का एक बड़ा भाग है। यह एशिया के दूसरे भागों से बिल्कुल भारत का दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध में और उत्तरी भाग भीतोरण कटिबंध में है। इसलिये दक्षिण भारत की जलवायु गर्म, परंतु उत्तरी भारत की जलवायु ठण्डी और गर्म है। भारत का क्षेत्रफल 12,21,000 वर्गमील है। यह पूर्व से पश्चिम तक लगभग 2,500 व उत्तर से दक्षिण तक लगभग 2,000 मील है। सीमा की दृष्टि से भारत के उत्तर में हिमालय और उसकी श्रेणिया हैं, उत्तर-पश्चिम में किरधर, सुलेमान और सफेद कोह भी पर्वत श्रेणियाँ, सिंधु नदी और पाकिस्तान का प्रदेश है। दक्षिण में भारत के तीन किनारों पर हिन्द महासागर लहराता है। इसका पूर्वी भाग माजी खाड़ी और पश्चिमी भाग अरब सागर कहलाता है। पूर्व की ओर ब्रह्मपुत्र नदी और भारत जयन्तिया और अराकान योगा की पर्वत की श्रेणिया हैं। भौगोलिक दृष्टि से भार निम्नलिखित छः बड़े भागों के विभक्त है। इनमें से प्रत्येक भाग का आकार और मह अलग-अलग है। 1. उत्तर में हिमालय पर्वत और उसकी तराई का प्रदेश 2. गंगा-सिंधु का मैदान या उत्तरी भारत का मैदान 3. राजस्थान का मरुस्थल 4. विन्ध्याचल और सतपुड़ा का क्षेत्र 5. दक्षिण भारत का पठार।

गुप्तकाल भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग है इस युग में भारत ने राजनीतिक सामाजिक, आर्थिक, साहित्यिक, कलात्मक क्षेत्रों में अपार उन्नति की। इस काल इतिहास को जानने के विभिन्न स्रोत उदाहरणस्वरूप साहित्य अभिलेखों, मुद्राएँ, स्नाय सिक्के हैं। गुप्तकालीन सभ्यता में समाज, धर्म, कला, साहित्य, दर्शन, विज्ञान एवं तकनीक विका की दृष्टि से गतिविधियों में चरमोत्कर्ष है, गुप्तकाल में सामाजिक स्थिति अस्पृश्यताएं, दासप्रथा, स्त्रियों की दशा धार्मिक विकास (हिन्दू धर्म, वैष्णव धर्म, धर्म, सूर्य पूजा, बोट धर्म, जैन धर्म), कला साहित्य (वास्तुकला, चित्रकला) विज्ञान तथा तकनीक में वृद्धि हुई। गुप्तकाल को स्वर्णयुग उच्च वर्गों के संदर्भ में माना जा सकता है जिनका जीवन स्तर पर्याप्त ऊँचाई पर पहुँचा हुआ था और वह भी मुख्यतः उत्तर भारत में। रोमिला थापर क विचार है कि बीसवी सदी के आरंभ में लिखने वाले इतिहासकारों के लिये स्वर्णयुग एक आदर्श था जिसका अस्तित्व सुदूर अतीत में ही हो सकता था। परिणामस्वरूप प्रारंभिक भारत के इतिहास पर काम करने वाले इतिहासकारों ने जिसे स्वर्णयुग कहा उसमें हिंदू संस्कृति दृढ़तापूर्वक स्थापित हो गई थी। फिर भी गुप्तकाल का स्वर्णयुग केवल उत्तरी भारत सीमित था। गुप्त मूर्तिकला के सर्वोत्तम उदाहरण सारनाथ की मूर्तियाँ और चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण अजन्ता कला के उदाहरण हैं। आर्यमट्ट तथा वराहमिहिर के ज्योति सिद्धांत आशिक रूप में ही भारतीय है। वाराहमिहिर के पाँच सिद्धान्तों में वो एक रोमन था और दूसरा पालिश जो सिकंदरिया के ज्योतिषी पाल द्वारा प्रतिपादित था। कुछ पुराणों की रचना तथा वे सिक्के व शिलालेख हैं जिनसे गुप्त शासकों द्वारा वैष्णव व शैव धर्म को प्रोत्साहन देने के प्रमाण मिलते हैं। परंतु कालिदास की रचनायें किसी बौद्धिक पुर्नजागरण का प्रतीक न होकर उस साहित्यिक शैली का विकसित रूप है जो पूर्वकाल में उदित हो रही थी। पुराण की गुप्तकाल में पूर्णरूप से विद्यमान थे। केवल उनका संकलन गुप्तकाल में हुआ। वैष्णव और शैवधर्म के सिद्धांत भी पूर्वकाल से चले आ रहे विकास के परिणाम थे। जो विकसित हो रही सामंतवादी व्यवस्था के अनुकूल होने के कारण वे अधिक लोकप्रिय हुये। डी. एन. झा के अनुसार प्राचीन भारतीय स्वयं को हिंदू नहीं कहते थे अतः तथाकथित हिन्दू पुर्नजागरण न तो पुर्नजागरण हो था और नहीं हिंदू पुर्नजागरण।

शकों और हूणों से युद्ध के कारण रामगुप्त को छोड़े भव्य गुप्त सम्राटों को राष्ट्रीयता की पुर्नस्थापना का श्रेय दिया गया है परंतु किसी भी दरबारी नाटक या काव्य में किसी गुप्त राजा का प्रत्यक्ष वर्णन नहीं है। कालिदास का मालविकाग्निमित्रम् शुंगों से संबंधित है, विशाखाद का मुद्राराक्षस, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य से केवल समकालीन पुराणों में उनका उल्लेख है जहां उन्हें निम्न कोटि के राजाओं में शामिल किया गया है। केवल गुप्त राजाओं को अपनी प्रशस्तियों, विशेषकर, समुद्रगुप्त की प्रशारित और शिलालेखों में उनकी प्रशंसा की गई है। 19 वीं शताब्दी में जब प्रिंसेप आदि विदेशी विद्वानों ने इस शिलालेखों का अध्ययन किया तो राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास के प्राचीन युग की उज्ज्वलता सिद्ध करने के लिये इनका उपयोग किया। डी. डी. कोशाबी के अनुसार, गुप्त ने राष्ट्रीयता की पुनरुत्पत्ति नहीं की वरन् राष्ट्रीयता ने गुप्तों की पुनरुत्पत्ति की।

गुप्तकाल में सामंतवाद, दासप्रथा आदि का विकास हुआ और कृषक आर्थिक रूप से बन्धन बने। स्त्रियों संपत्ति का एक हिस्सा बनी और पूर्णतः पुरुषों के अधीन हो गई। जातिभेद और वर्णव्यवस्था में जटिलता आई। फाह्यान लिखता है जनता समृद्ध थी, परंतु इसके विपरीत जीवन में संबंध में संभवतः कुछ ऐसा था जो उच्चवर्ग के लोगों को भी रुचिकर नहीं था क्योंकि इसी युग में वृद्ध लोगों द्वारा प्रयाग में गंगा और यमुना के संगम पर तथाकथित पवित्र वटवृक्ष से कूदकर आत्महत्या की प्रथा प्रारम्भ हुई। कला और साहित्य इस काल के उच्च वर्गों में सुखी जीवन का परिचय देते हैं। कासांबी के अनुसार, गुप्तकाल की सबसे अधिक स्वर्ण मुद्रायें प्राप्त हुई हैं पर नगरों का वैभव कम हो गया था। अशोक कालीन भवनों को देवताओं द्वारा निर्मित माना जाता था। मगध का महान नगर पटना, जो चंद्रगुप्त की राजधानी थ, एक ग्राम बनकर रहा गया था। गुप्त युग की एक अन्य राजधानी

उज्जैन विश्व का वैसा महान नगर बन सकी जैसी पटना मौर्यकाल में थी। बाद की राजधानी कन्नौज व इससे भी कम प्रभाव वाली थी।

कौसांबी के अनुसार स्वामिभक्ति में कृषक दासों एवं आश्रितों का सामंतीय प्रमुखों के साथ एक श्रृंखला के रूप में निबद्ध कर दिया। यही भाव धर्म में व्यक्ति भक्ति सिद्धांत के रूप में विकसित हुआ। अनेक आद्य प्रथाओं को ब्राह्मणीकरण के माध्यम से किस प्रकार तथाकथित हिंदू धर्म में समाविष्ट करने का प्रयास किया गया। यहां तक की बौद्ध एवं जैन धर्मों में भी भक्ति का पुर पहुंच गया, जो सामंतीय व्यवस्था को प्रतिविदित कर बुद्ध भक्त को बोधिचित्तक विकास के लिये स्वयं को समर्पित करना पड़ता था। साहित्य एवं कला के क्षेत्रों की तथाकथित उपलब्धियों को भी एक भिन्न दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता भारत के नाट्यशास्त्र में सामंतीय मूल्यों का वृहद आधार बताया गया है। कालिदास की कृतियों के साहित्यिक लालित्य द्वारा ध्वनित उच्चवर्गीय जीवन मूल्यों एवं आस्थाओं को छिपाया नहीं जा सकता। कला का संरक्षण, अधिकांशतः बड़े-बड़ सामंतों में हाथों में जनसाधारण की कला कृतियों के दृष्टांत जैसे मूर्तियों, मिट्टी के बर्तन आदि या तो कम ही दृष्टिगोचर होते हैं फिर इस तरह रूपांतरित होकर सामने आते हैं कि वे जनसाधारण के नहीं अपितु समाज से विशिष्ट वर्ग के लिये बनाये गये प्रतीत होते हैं। तथाकथित राजनीतिक एकता जो स्वर्ण युग की कसौटी बताई जाती है। उस समय कुछ कम अर्थपूर्ण प्रतीत होती है। गुप्तकाल में होन वाले ग्राम्य आत्मनिर्भरता के क्रमिक विकास पर दृष्टिपाल करते हैं जब राज्य अपनी अर्थव्यवस्था में नगर और ग्रामों के पारस्परिक संबंधों का तालमेल ही नहीं बिठा सका तो वह राजनीतिक एकता किस काम की। राष्ट्र उन्हीं से बनता है और उन्हीं के श्रम से एक विशाल अट्टालिका का निर्माण होता है। तथाकथित राजनीतिक एकता हिन्दू पुनर्जागरण कालिदास भारवि, वसुबंधु देवगढ़, भीतरगाँव, अजन्ता बाघ जैसी उपलब्धियों के पीछे वे लोग हैं जिनके गीत गाने के लिये हरिषेण, समष्टि एवं वाणभट्ट थे। भारत के इतिहास में गुप्तकाल से एक नवीन युग का प्रारंभ होता है। गुप्तयुग हमें अधिकार से प्रकाश में लाता है कुषाण साम्राज्य के पतन और गुप्त साम्राज्य के अभ्युदय के बीच का युग अधिकारमय है। परंतु गुप्तकाल का प्रारंभ इस अधिकार को दूर करता है और ऐतिहासिक क्रिम को पुनः स्थापित करता है। क्रमबद्ध इतिहास पुनः प्रारंभ हो जाता है। मौर्या के पतन के बाद देश में विदेशियों की सत्ता स्थापित हो गयी। अनेक प्रदेशों में छोटे-छोटे निःप्रभ राज्य भी स्थापित हो गये। इनमें परस्पर संघर्ष और युद्ध होते रहते थे। सारे देश में राजनीतिक विश्रृंखलता थी। गुप्त सम्राटों ने अपनी दिग्विजयों से इस विच्छिन्नता को नष्ट किया, विदेशी सत्ता का उन्मूलन किया और देश को एक बहुत बड़े भाग में राजनीतिक एकता, एकछत्र शासन और शांति स्थापित की। देश एक से शासन के अंतर्गत संगठित हो गया। गुप्त सम्राटों ने विशाल साम्राज्य स्थापित कर केन्द्रीय शक्ति को दृढ़ किया और उच्चकोटि के शासन प्रबंध के द्वारा सर्वत्र शान्ति और सुव्यवस्था स्थापित कर दी। गुप्त सम्राटों ने शान्तिपूर्ण प्रशासन में, उनकी लोक कल्याण बनी अनेक योजनाओं के परिणामस्वरूप देश के अभूतपूर्व आर्थिक समृद्धि हो गयी। इस युग में भारत का विदेशी व्यापार बहुत उन्नत हो गया। अनेक देशों से घनिष्ठ व्यापारिक संबंध होने से देश में अविरल गति से स्वर्ण वहा चला आ रहा था। पश्चिम में रोमन साम्राज्य से और पूर्व में पूर्वी द्वीप समूह तथा अन्य देशों से व्यापार होने से देश धन-धान्य से पूर्ण और संपन्न हो गया था।

गुप्त सम्राटों ने ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म को राजधर्म बनाकर संरक्षण दिया। इससे ब्राह्मण धर्म की प्राचीन काल की क्रियाविधियों और यज्ञ पुन प्रारंभ हो गये और ब्राह्मण धर्म का विकास द्रुतगति से हुआ। इस युग ने हिन्दू धर्म को वर्तमान रूप प्रदान किया। गुप्त सम्राटों की धार्मिक उदारता और सहिष्णुता से तथा प्रबल सक्रिय से आधुनिक वैष्णव धर्म का खूब उत्कर्ष हुआ। गुप्तकाल हिन्दू धर्म के पुनरुद्धान और परिवर्द्धन का युग माना गया है। गुप्त सम्राटों ने शक पहव और कुषाण आदि विदेशी राज्यों का भारत से अन्त कर हिन्दू राजनीतिक परंपराओं हिन्दू राज्य और उसकी राजनीतिक तथा सांस्कृतिक धारणाओं को पुनः स्थापित किया। हिन्दू साम्राज्य और चक्रवर्ती सम्राट की भावना दृढ़ रूप में प्रतिष्ठित हो गई। गुप्तकाल में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का विदेशी में प्रसार हुआ और भारत में इस युग में अपने विस्तार और उपनिवेश के जीवन में प्रवेश किया। दक्षिणीपूर्वी एशिया के देशों में जैसे— सुमात्रा, बोर्नियो वाली इण्डोचीन और चीन, कोरिया व अन्य देशों में भारतीय धर्म और संस्कृति का विश्वव्यापी प्रसार रहा भारत के विदेशी व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध जो थोड़े समय के लिये क्षीण हो गये थे, पुनः अपनी प्राचीन प्रतिष्ठा और गौरव रोहित स्थापित हो गये। ब्राह्मण धर्म और साहित्य का परस्पर अटूट संबंध होने से इस युग में ब्राह्मण धर्म के उत्कर्ष के साथ-साथ संस्कृत भाषा और साहित्य की भी अभूतपूर्व प्रगति हुई। गुप्तकाल संस्कृत के चरम उत्कर्ष का युग माना गया है। इस युग में संस्कृत साहित्य में कालिदास जैसे महाकवि वीरसेन शाव जैसे व्याकरणाचार्य और राजनीतिज्ञ तथा विशाखादत्त जैसे नाटककार हुये। आसंग, वसुबन्धु दिग्नाग और आर्यदेव ने चौद्ध दर्शन में सिद्धसेन, दिवाकर, और सामन्तभट्ट ने जैन दर्शन में अपने मौलिक विचार प्रदान किये। अनेक धार्मिक ग्रन्थ लिखे गये और पौराणिक साहित्य का वर्तमान निर्मित हुआ।

गुप्तकाल में भारतीय ललितकलायें अपनी उन्नति की सीमा तक पहुँच चुकी थी। वास्तुकला, भवन निर्माणकला, गुहाकला, मूर्तिकला, चित्रकला, आदि की उच्चकोटि की अभिव्यक्ति हुई। अजन्ता की गुफाआ के भित्तिचित्र, विभिन्न देवी-देवताओं और अवतारों की सजीव मूर्तियों एवं विशाल मन्दिर इस युग की कला में सर्वोत्कृष्ट नमूने हैं। गुप्त युग की ललितकलाओं में आध्यात्मिक अभिव्यजना के साथ-साथ सौन्दर्य बुद्धि-विवेक, भावनाओं तथा अलंकरण का सुन्दर समानुपातिक समन्वय है। इसके अतिरिक्त भारतीय कला पर गोचार शैली में जो विदेशी व्यापार था वह भी नष्ट कर दिया गया। कला के साथ-साथ इस युग में विज्ञान के क्षेत्र में भी प्रगति हुई। ज्योतिष, रसायनशास्त्र, गणित, भूमिति, पदार्थ विज्ञान, औषधि विज्ञान, खगोल विद्या, आदि पर मौलिक ग्रन्थ लिये गये। विज्ञान के क्षेत्र में दशाश या दशमलव प्रणाली और मेहरौली (दिल्ली में कुतुबमीनार के समय में लीह स्तंभ गुप्त युग की देन है।

सन्दर्भ :

1. ई. बी. टाइलर, प्रीमीटिन्ह कल्चर, वाई 1. पृ 0 1
2. हुमायूँ, कबीर, अवर हरीटेज, पृ 0 7
3. हर्सकोविट्स, मैन एण्ड हिज वर्क्स, पृ 0 620
4. टी. एस. इलियट, नोट्स टुवर्डस डेफीनेशन ऑफ कल्चर, पृ 0 21
5. ट्वायनबी, चुनौती और उसके प्रत्युत्तर, पृ 0 18
6. आर्नल्ड जे. ट्वायनबी, ए स्टडी आफ हिस्ट्री 7 डी. सी. सामरवेल कृत संक्षेप, पृ 0 196
7. सोशल फिलासफीज आफ क्राइसिस, पृ 0 99-98
8. इनसाइलेपीडिया ऑफ सोशल साइसेस, भाग 4, पृ 0 622
9. हर्सकोविट्स, मैन एण्ड हिज वर्क्स, पृ 0 626
10. टी. एस. इलियट, नोट्स टुवर्डस डेफीनेशन आफ कल्चर, पृ 0 22

किन्नर विमर्श : संघर्ष अस्तित्व का नेहा*

*ग्राम व पोस्ट— बिधलान, सोनीपत, हरियाणा

सारांश : अक्सर आप लोगों ने सड़क पर चलते हुए ... बस या गाड़ी रुकवा कर ताली बजाकर पैसे मांगते हुए, किसी विवाह, जन्मोत्सव या मुंडन में ढोल की थाप पर नाचते हुए कुछ लोग देखे होंगे ...ये लोग समाज द्वारा निर्धारित दो लिंगों—स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से अलग दिखते हैं। इन्हें सामान्यतः जनभाषा में 'हिजड़ा' नाम से संबोधित किया जाता है। हिजड़ा शब्द दिमाग में आते ही हमारी आँखों के सामने एक खास तरह ही भाव भंगिमा, आचार—व्यवहार, रहन—सहन, चाल—ढाल वाले इंसानों की छवि आ जाती है। सच कहूँ तो बहुत बार अपने यहाँ गाली के तार पर इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है, हिजड़ा... पर हमें दिखाई देने वाले हिजड़े और 'हिजड़ा' ये संकल्पना असल में है क्या, ये जानने की हम ज्यादातर कोशिश ही नहीं करते हैं।

मुख्य शब्द : किन्नर विमर्श, समुदाय, लैंगिकता, विश्व स्वास्थ्य संगठन, महाकाव्य आदि।

लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी अपनी जीवनी 'मैं हिजड़ा.. मैं लक्ष्मी' में लिखती हैं— "'हिजड़ा' मूलतः उर्दू शब्द है। वो भी 'हिजर' इस अरेबिक शब्द से आया हुआ। 'हिजर' यानी अपना समुदाय छोड़ा हुआ, उस समुदाय से बाहर निकला हुआ। मतलब स्त्री—पुरुषों के हमेशा के समाज से बाहर निकलकर स्वतन्त्र समाज बना के रहने वाला। ये अर्थ इस शब्द में ही समाया हुआ है।' अलग—अलग भाषाओं में उसके लिए अलग—अलग शब्द हैं। अलग—अलग राज्यों के हिसाब से उनका इतिहास, संस्कृति भी अलग है।" उर्दू और हिन्दी में 'हिजड़ा' शब्द है। इसके साथ ही उर्दू में 'ख्वाजासरा' भी कहा जाता है हिजड़ों को अपने प्राचीन ग्रन्थों में 'किन्नर' शब्द की संकल्पना है। इस वजह से हिजड़ों को हिन्दी में 'किन्नर' भी कहते हैं। मराठी में 'हिजड़ा' और 'छक्का' ये दो शब्द प्रचलित हैं। गुजराती में उन्हें 'पावैया' कहते हैं तो पंजाबी में 'खुस्रा' या 'जनखा। तेलुगु में 'नपुंसकुडु', 'कोज्जा', 'मादा' कहा जाता है, तो तमिल में शिरुरनान गार्ड, 'अली', 'अरवन्नी', 'अरावनी', 'अरुवनी' शब्द इस्तेमाल किये जाते हैं।

'हिजड़ा' पुरुष के रूप में जन्म लेता है। बचपन से पुरुष के रूप में ही बड़ा होता है... लेकिन मूल रूप से ही उसकी लैंगिकता अलग होती है। बड़ा होते—होते वो स्त्री की भूमिका अपनाने लगता है। उसका दिखना, बर्ताव करना, चाल—ढाल, हाव—भाव सभी लड़कियों की तरह होने लगते हैं। हिजड़ों को परिमार्जित भाषा में 'किन्नर' कहा जाता है। किन्नर हिन्दी के दो शब्दों 'कि' और 'नर' से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य हिमाचल की किन्नर जनजाति से न हो कर उस वर्ग से है, जो पूर्ण रूपेण न स्त्री है और न पुरुष। किंतु क्या इनके संबोधन के बदलाव से इनके हिजड़े होने के निहितार्थ को बदला जा सकता है? इस बात का जिक्र 'चित्रा मुद्रल' के उपन्यास 'पोस्ट बॉक्स नम्बर 203 नाला सोपारा' में किया गया है, जिसमें उपन्यास का पात्र बिन्नी उर्फ विनोद पत्र के माध्यम से अपनी बा को यह बात बताता है। "सुनने में किन्नर शब्द भले ही गाली न लगे मगर अपने निहितार्थ में वह उतना ही क्रूर और ममत्क है, जितना हिजड़ा किन्नर की सफेदपोशी में लिपटा चला आता उसकी ध्वन्यात्मकता में रचा—बसा कोई भूले तो कैसे भूले।"

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 'ट्रांसजेंडर' एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें वे सभी लोग शामिल हैं जिनकी लिंग की अनुभूति जन्म के समय उन्हें नियत किये गए लिंग से मेल नहीं खाती। हिन्दी साहित्य में ट्रांसजेंडर, तृतीय लिंगी, किन्नर, हिजड़ा आदि का प्रयोग प्रायः एक ही अर्थ में किया जाता है। कुछ संगठनों एवं बौद्धिक लोगों के द्वारा किन्नर और हिजड़ा को एक ही अर्थ में प्रयोग करने पर विरोध दर्ज कराया जाता रहा है। उनके द्वारा किन्नर का अर्थ 'किन्नर हिमालय में आधुनिक कन्नोर प्रदेश के पहाड़ी लोग, जिनकी भाषा कन्नौरी, गलचा, लाहौली आदि बोलियों के परिवार की हैं। रामायण में राम—रावण युद्ध में राम की सैन्य वाहिनी में वानर सेना के साथ कोल, किरात, किन्नर और भील आदि जनजातियों की सेना भी सम्मिलित थी। 'किन्नर एक वन्य जनजाति के रूप में रामायण महाकाव्य में उल्लिखित है किन्तु यह नपुंसक (हिजड़ा) समुदाय नहीं था। यह बलशाली और वीरता से युक्त जनजाति थी।

किन्नरों का उल्लेख विविध सदर्भों में भारतीय पौराणिक साहित्य में प्राचीन काल से होता रहा है। राम जब वनवास के लिए निकलते हैं तब अयोध्या के नगरद्वार पर हिजड़े उनकी राह देखने के लिए रुके रहे थे। महाभारत कथा में अर्जुन देवलोक में उर्वशी के श्राप से नपुंसक रूप धारण करने को अभिशप्त हो जाता है। अर्जुन की इस स्थिति का सदुपयोग पांडव अपने अज्ञातवास काल में करते हैं। पांडव अज्ञातवास काल में विराट महाराज के आश्रय में रहते हैं जहाँ अर्जुन नृत्यकला के आचार्य वृहन्नला (किन्नर) का रूप धारण कर विराट राजा की सुपुत्री 'उत्तरा' को नृत्य कला में पारंगत कराता है। महाभारत कथा में एक अन्य प्रसंग में महारथी भीष्म द्वारा तिरस्कृत राजकुमारी 'अंबा' अपने अपमान का प्रतिकार लेने के लिए कुरुक्षेत्र के महासंग्राम में नपुंसक शिखंडी के रूप में भीष्म के सम्मुख प्रकट होकर उनके मृत्यु का कारण बनती है। शिखंडी और वृहन्नला दोनों ही किन्नर के रूप में पुराणों में वर्णित हैं। तीसरी कथा भी महाभारत से ही है, अर्जुन और उलूपी के पुत्र 'अरावन', जिसने कौरव—पांडव युद्ध में कौरवों की जीत के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया। केवल एक दिन के लिए विवाहित जीवन जीने वाले अरावन की बलि के बाद किन्नर समुदाय ने उन्हें देवता 'अरावन' के रूप में पूजना शुरू कर दिया। आज भी तमिलनाडु का 'कुवागम त्यौहार' अरावन देवता की बलि के सन्दर्भ में ही आयोजित किया जाता है।¹ ये तो कुछ ऐसी मिथकीय कथाएँ थीं, जो महाभारत और रामायण से सम्बन्धित थीं। इतिहास में भी किन्नर समुदाय की उपस्थिति के उदाहरण मिलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर किन्नर समुदाय से आता था, उसने दक्षिण भारत विजय अभियान के दौरान कई युद्धों में विजय प्राप्त की और कोषाध्यक्ष के पद पर भी कार्य किया। इतिहास में मौजूद कई अन्य उदाहरणों से पता चलता है कि किन्नरों को अय्यारी और जासूसी के कार्यों के साथ—साथ हरम में रानियों की सुरक्षा और सैनिक अभियानों में भी काम और करने के लिए नियुक्त किया जाता था। यह महज चंद उदाहरण हैं इतिहास और मिथकों में, पर वास्तविकता यह है कि यही उदाहरण किन्नर समाज की मौजूदगी का प्रमाण हैं।

वात्स्यायन के 'कामसूत्र' में 'तृतीय प्रकृति' कहकर हिजड़ों का उल्लेख है। वो स्त्री अथवा पुरुष किसी के भी कपड़े पहन सकते हैं, ऐसा उसमें कहा गया है। वात्स्यायन ने और शेष बहुत से पंडितों ने उन हिजड़ों को 'नायिका' कहा है। कोई

राजकुमार या किसी सरदार का पुत्र कामक्रीड़ा में कमजोर हो, तो उसे सिखाने के लिए हिजड़ों की नियुक्ति की जाती है। जन्म से पुरुष होने के कारण पुरुष क्या कर सकता है और स्त्री भावनाएँ होने से स्त्री को क्या चाहिए, ये दोनों बातें हिजड़े ठीक से पहचान सकते हैं, और सम्भवतः इसी वजह से इस काम के लिए उनको चुना जाता होगा।¹

किन्नरों को चार वर्गों में विभक्त किया जा सकता है बुचरा, नीलिमा, मनसा और हंसा। वास्तविक हिजड़े बुचरा ही होते हैं, क्योंकि ये जन्मजात न पुरुष होते हैं न स्त्री। नीलिमा कोटि के हिजड़े किसी कारणवश स्वयं हिजड़े बन जाते हैं। मनसा कोटि के हिजड़े मानसिक तौर पर स्वयं को हिजड़ों के निकट समझते हैं। इन्हें सामान्य मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग के द्वारा इनके वास्तविक लिंग में भेजा जा सकता है। हंसा कोटि के हिजड़े किसी यौन अक्षमता के कारण स्वयं की नियति को हिजड़ों के साथ जोड़ लेते हैं। इनका इलाज करने के बाद इनमें से अधिकांश को सामान्य पुरुष अथवा स्त्री बनाया जा सकता है और ये भी सामान्य जीवन जी सकते हैं। नकली हिजड़ों को अबुला कहा जाता है। जो वास्तव में पुरुष होते हैं, किन्तु धन के लोभ में हिजड़ों का स्वांग करत है। एक अन्य विभाजन के अंतर्गत नीलिमा शाखा के किन्नर गाने और ढफली बजाने का काम करते हैं तो मनसा शाखा का काम बनने वाले व्यक्ति के लिए सामान्य इकट्ठा करना है। जब बुचरा किसी को किन्नर बना रहे होते हैं तब हंसा के जिम्मे साफ-सफाई का काम आता है। साथ ही कब्र खोदने और उसमें राख डालने का काम भी केवल हंसा शाखा के किन्नर ही करते हैं, शवों पर पहली मिट्टी डालने का काम बुचरा शाखा के लोग ही करते हैं किन्नरों की भी एक पारिवारिक व्यवस्था होती है। यह व्यवस्था सामान्यजनों के परिवारों की तरह ही होती है। हर घर या घराने का एक मुखिया होता है। जिसे नायक कहते हैं। नायक के नीचे गुरु होते हैं फिर चले। गुरु का दर्जा माता-पिता से कम नहीं होता। हर किन्नर को अपने गुरु को अपनी कमाई का एक निश्चित हिस्सा देना होता है। गुरु के नीचे काम करने वाले सभी चले घराने की बहुत कहलाती हैं। घराने के अंदर भाई, बहन, बुआ, चाची, दादा, दादी आदि का अपना स्थान होता है। जो किन्नर पुरुष प्रवृत्ति का होता है उसे भाई कहा जाता है। ऐसे ही महिला प्रवृत्ति के किन्नरों को बहन का ओहदा दिया जाता है।

किन्नर विमर्श : साहित्य और समाज की भूमिका में ऋषभदेव शर्मा लिखते हैं— ‘‘किसी व्यक्ति के षंड या किन्नर या हिजड़ा होने के मूल में किसी न किसी प्रकार की जेनेटिक विकृति जिम्मेदार होती है। इसके लिए वह व्यक्ति या समुदाय स्वयं किसी भी प्रकार उत्तरदायी नहीं है। लेकिन ‘लिंगकेंद्रित (फैलोसेंट्रिक)’ व्यवस्था ने ऐसे व्यक्ति अथवा समुदाय के लिए अपने बीच कोई गुंजाइश नहीं छोड़ कर रखी है। हमारे समाज का यह दोगलापन भी विचित्र ही है कि एक ओर तो ऐसे व्यक्ति और समुदाय को समाज से बहिष्कृत, तिरस्कृत, अपमानित, अस्पृशित और समाज की मूलकथा से पूरी तरह अनुपस्थित रखा जाता है तथा दूसरी ओर उसे देवत्व के मिथक के साथ जोड़कर रहस्यमय भी बना दिया जाता है। ‘किन्नर विमर्श’ इस लिंगभेदजनित अमानुषिकता का विराध करता है और किन्नर समुदाय के मानवाधिकार को बहाल करने की माँग करता है। हिंदी के आधुनिक काल के साहित्य में ‘निराला’ के ‘कुल्ली भाट’ का चरित्र यदि समलैंगिक व्यक्ति का चरित्र है तो शिवप्रसाद सिंह की ‘बहाव वृत्ति’ तथा ‘बिंदा महाराज’ जैसी कहानियों के केंद्रीय चरित्र तृतीयलिंगी विमर्श की आरंभिक आहट देने वाले किन्नर चरित्र हैं जो समाज की मूलकथा में पुनर्वास के लिए जूझ रहे हैं। वृंदावन लाल वर्मा के एकांकी ‘नीलकंठ’ का भी इस श्रेणी में उल्लेख किया जा सकता है।²

भारतीय समाज में ‘लिंगपूजा’ की आड़ में हड़प्पा से लेकर वैदिक युग तक और आज भी कहीं न कहीं पितृसत्ता को ही पोषित किया जाता रहा है। इस ‘लैंगिक-पूजक’ परम्परा की तुलना जब हम मिथकीय कथाओं से करते हैं तो पाते हैं कि ‘यह एक तरह का षड्यंत्र था उन लोगों के खिलाफ, जो ‘स्त्री’ या ‘पुरुष’ के लिए निर्धारित साँचे में ‘फिट’ नहीं होते थे। ऐसी संतानें उन्हें किसी काम की नहीं लगती। उनका आगे क्या होगा? कोई उन्हें देखेगा तो क्या कहेगा? — इन यक्ष प्रश्नों और लैंगिक आक्रांति के चलते मानव मस्तिष्क उन्हें स्वीकार नहीं पाता और उन्हें समाज द्वारा बहिष्कृत कर दिया जाता है। जब किसी के यहाँ ऐसे बच्चे पैदा होते हैं तो वह इस मामले को गोपनीय रखना चाहता है। यह उसके लिए बड़े शर्म की बात हो जाती है कि उसके यहाँ किन्नर पैदा हुआ। इस मामले में धार्मिक प्रवृत्तियाँ भी अहम भूमिका निभाती हैं। भारतीय परिवेश में तो विज्ञान पर धर्म सदैव हावी रहता आया है खासकर साधारण परिवारों में। अतः जब किन्नर संतान पैदा होती है तो लोग इसके वैज्ञानिक कारणों पर ध्यान नहीं दे पाते या देना नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि यह ईश्वरीय लीला है, ईश्वर द्वारा दिया हुआ दंड है, उनके किसी पाप का फल है या बच्चे के पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का नतीजा है, आदि-आदिय और फिर वे उससे जल्दी छुटकारा पा लेना चाहते हैं।

भारतीय समाज में समाजीकरण की प्रक्रिया बेहद जटिल और हास्यास्पद है, यहाँ ‘जेंडर’ और ‘सेक्स’ दोनों अलग-अलग चीजें हैं। ‘सेक्स’ जहाँ जैविक पहचान निर्धारित करता है वहीं ‘जेंडर’ ही समाजीकरण की प्रक्रिया है, जहाँ ‘स्त्री को स्त्री होना’ और ‘पुरुष को पुरुष’ होना सिखाया जाता है। स्त्री और पुरुष की भूमिका तय करने के क्रम में समाज हमेशा से किन्नर समुदाय को हाशिए पर रखता आया है, उन्हें समाज में किसी भूमिका के लायक समझा ही नहीं गया। मिथकीय कथाओं पर तनिक भी भरोसा करें तो ‘किन्नर समुदाय को समाज की भूमिका में वैकल्पिक रूप से केवल इस्तेमाल किया गया, उन्हें ऐसा कोई कार्य नहीं दिया गया जिससे इतिहास उन्हें तथ्य के रूप में याद करता न कि मिथक के रूप में। अनुत्पादक’ और ‘उत्पादक’ की साजिश में स्त्री बाँझ के रूप में’ और ‘किन्नर नपुंसक के रूप में समाज में हमेशा ही अपमान के भागी रहे।

किन्नरों की सामाजिक बहिष्कृति एक खास तरह की मनोवृत्ति के कारण होती है जिसे ‘ट्रांसफोबिया’ कहा जाता है, ‘तीसरे लिंग के प्रति भय, लज्जा, क्रोध, हिंसा, पूर्वाग्रह, भेदभाव आदि नकारात्मक भावों के सम्मिश्रण से बना यह ‘ट्रांसफोबिया’ तीसरे लिंग के जीवन को नरक बना देता है। भारतीय समाज में हिजड़ा बच्चा पैदा होना उसके पिता के पुरुषत्व पर प्रश्नचिह्न लगा देता है, उसे जीनविकृति से इतर पुरुषत्व से जोड़कर देखा देखा जाता है, जिसके कारण हिजड़े बच्चे को अधिकांश मामलों में पुरुष की ही तरफ से बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। किन्नर को जीवन के प्रारम्भ से लेकर अंत तक अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उसकी सबसे बड़ी चुनौती उसकी देह होती है। दैहिक बनावट और अंतःकरण की भावनाओं में सामंजस्य न होने के कारण वे मानसिक वेदना सहते ही हैं, साथ ही कई बार उनकी देह शोषण का शिकार भी हो जाती है। लोगों के घरों में मंगल अवसरों पर अपनी वेदना को छिपाकर हर्षित होने वाले किन्नरों की देह लोगों में प्रायः आकर्षण का केंद्र बनी रहती है। इसीलिए कुछ कुठित मानसिकता के लोग उनका दैहिक शोषण करते हैं। हमारे ही समाज के तथाकथित इज्जतदार लोग इस कृत्य को अजाम देते हैं।

प्रदीप सौरभ कृत ‘तीसरी ताली’ उपन्यास की पात्र मणि के साथ स्कूल में एक अप्रिय घटना घटती है जो उसके जीवन को बदलकर रख देती है। एक दिन स्कूल में कुछ बदमाश लड़के उसे नंगा कर उसके गुप्तांगों को देखकर हिजड़ा!

हिजड़ा चिल्लाने लगते हैं। इस अपमान जनित व्यवहार से प्रताड़ित होकर मणि स्कूल छोड़ने के लिए विवश हो जाती है। इसी तरह के प्रसंग का चित्रण गुलाम मंडी (निर्मला भुराडिया) में हुआ है। छात्र का लिंग पहचानने के लिए उसकी चूड़ी उतरवाई जाती है और फिर उसे जूतों से मारकर स्कूल से निष्कासित किया जाता है। इस तरह इस वर्ग को सभी क्षेत्रों में हेय दृष्टि से देखा जाता है। पोस्ट बॉक्स नं 203 नालासोपारा की पूनम जोशी के साथ जबरन विधायक का भतीजा अपने दास्तों के साथ मिलकर पाश्वकता का नृशंस नाच करता है। यमदीप उपन्यास में अपने परिवार की प्रतिष्ठा बचाने के लिए ही 'छैल बिहारी' और 'नंदरानी' स्वयं अपना घर-परिवार छोड़कर निकल पड़ते हैं और महाताब गुरु के हिजड़ा समुदाय में 'घैलू' और 'नाजबीबी' के रूप में एक नई पहचान प्राप्त करते हैं। मैं पायल... उपन्यास में तो 'जुगनी' रोज- की दुत्कार और मार से तंग आकर आत्महत्या करने के विचार से ही घर से निकलती है। 'एकाएक मेरे मन में विचार आया फिर पीटी जाऊँ, मारी जाऊँ, इससे अच्छा है, मैं खुद ही न मर जाऊँ और फिर एक बार जो मेरे मन यह विचार आया तो मरने की इच्छा गहराती चली गयी... मैंने तख्त के दो चक्कर लगाते हुए पिताजी की और देखा, उनके पैरों के पास आकर अपना सिर रख दिया और बिना पीछे मुड़कर देखें घर का दरवाजा खोल इस अभिशप्त देह का विनाश करने निकल पड़ी।' आवास की समस्या किन्नर समाज की मुख्य समस्याओं में से एक है। प्रमोद भीणा, 'अर्धनारीश्वरों का नारकीय जीवन में किन्नरों को डेरे में संगठित होकर रहने तथा रहने के लिए घर की तलाश में आने वाली समस्याओं की ओर संकेत करते हैं, "कुछ हिजड़ा परिवार की तरह समूह में भी रहते हैं लेकिन रहने के लिए एक सुरक्षित घर खोजना हिजड़ों के लिए हमेशा एक चुनौती बनी रहती है। ज्यादातर मकान मालिक हिजड़ों को मकान किराये पर देते ही नहीं हैं ... मकान मालिकों की बेरुखी से तंग आकर बहुत से हिजड़ों को गंदी कच्ची बस्तियों में रहने को मजबूर होना पड़ता है और वहाँ से भी उन्हें लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा बेदखल किया जाता रहता है।

अधिकांश तृतीयलिंगी लोग अशिक्षा के चलते बेहद कष्टपूर्ण जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। जिसकी मुख्य वजह यह है कि इनका लिंग निर्धारित न होने के कारण इन्हें स्कूलों में दाखिला नहीं मिल पाता। सामान्य लोगों का मानना है कि तृतीय लिंगियों को स्कूल में दाखिला देने से उनके स्कूल की साख खतरे में आ जाएगी और स्कूल का माहौल भी खराब हो जायेगा। सामान्य लोगों की इसी घटिया सोच के चलते किन्नर अशिक्षित रह जाते हैं और एक अंधकारमय जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। स्कूल में दाखिला न मिलने का एक जीवंत उदाहरण तीसरी ताली उपन्यास में देखने को मिलता है।

वसुधैव कुटुम्बकम् का छल रचने वाले समाज की बुनियाद ही गैर बराबरी के विचार पर टिकी है। समाज में किसी भी स्तर पर समतामूलक समाज की स्थापना का सपना देखने वालों का संघर्ष जारी है जिनमें किन्नर समाज भी शामिल हैं। आज हम 21वीं शती के मशीनी युग में जी रहे हैं जहाँ हर काम बटन दबाने से ही चुटकियों में संपन्न हो जाते हैं। मगर मन मस्तिष्क आज भी उन्हीं पुरानी और दकियानूसी विचारों की संकीणता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। शायद यही एक वर्ग है जिसे परिवार से लेकर बाजार तक भी कहीं कोई कार्य नहीं दिया जाता। शादी और जन्मोत्सव के अवसर पर किन्नरों का मौजूदगी को शुभ मानकर दान दक्षिणा देना मुख्यधारा के समाज का षड़यन्त्र है ताकि यह समाज पारम्परिक पेशे से बाहर न निकल सके व आरक्षित क्षेत्रों में सहभागिता की दायेंदारी न कर सके। समाज में किन्नर समुदाय की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। इसका स्पष्ट कारण है कि समाज व सरकार द्वारा किन्नरों के साथ उपेक्षित व्यवहार किया जाता है। सरकार ने तो बरसों तक इन्हें नागरिक अधिकार से वंचित रखा। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के शब्दों में... *We are the only seQual Minority which is visible, though treated as Invisible.*⁹

1994 में मतदान का अधिकार मिल जाने के बावजूद '1998' में शबनम मौसी का चुनावी नामांकन इसलिए रद्द कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के लिए आरक्षित 'सोहागपुर' सीट से चुनाव लड़ा, पर समस्या यह थी कि आयोग ने इन्हें स्त्री मानने से इंकार कर दिया। लेकिन आगे चलकर कुछ अन्य लोगों जैसे शोभा नेहरू, कमला जान, आशा देवी जैसे लोगों ने पार्षद और मेयर जैसे पदों को संभाला, लेकिन अभी भी समस्याएँ खत्म नहीं हुई 12009 में उन्हें 'स्त्री' या 'पुरुष' से इतर 'OTHER' की श्रेणी में रखा। अब वे मतदान भी कर सकते थे और स्वतंत्र रूप से चुनाव भी लड़ सकते थे। भारतीय किन्नर समुदाय ने अपना पहला मतदान 2014 में किया क्योंकि 2011 कि जनगणना में उन्हें रजिस्टर्ड किया जा सका और वे व्यवस्थित रूप से मतदाता सूची में किन्नर के रूप में शामिल किये गए रजिस्टर्ड होने से पहले उन्हें शिक्षा, रोजगार, बैंकिंग, पासपोर्ट, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, नागरिकता पहचान पत्र, पैनकार्ड के लिए लगातार दिक्कतें झेलनी पड़ीं। शिक्षा का अवसर, अच्छी चिकित्सा की सुविधा, रोजगार, व्यापार का अवसर, उच्च शिक्षा का अवसर या अन्य बहुत सी सरकारी सुविधाओं और योजनाओं से इन्हें वंचित रहना पड़ता था।

किन्नरों के सम्मुख आने वाली समस्याओं का समाधान उन्हें तृतीय लिंग के रूप में मान्यता देने भर से ही नहीं हो जाता। आज आवश्यकता है एक ऐसे आधारभूत ढांचे की जो उन्हें ऐसा माहौल उपलब्ध कराने में सक्षम हो जिसमें वे बिना किसी हीन भावना के गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक जरूरतें प्राप्त कर सकें। इसके लिए सरकार के साथ-साथ गैर सरकारी संगठनों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है जो विभिन्न माध्यमों के द्वारा सामाजिक जागरूकता फैला कर समाज की मनोवृत्ति बदलने का कार्य करते हैं किन्नरों को चिन्हित कर सरकार को उनसे जुड़े आंकड़ों को इकट्ठा करने की आवश्यकता है जिसके द्वारा किन्नर समुदाय के विकास के लिए उचित कदम उठाने में आसानी होगी।

सन्दर्भ :

1. त्रिपाठी, लक्ष्मी नारायण, 2018, मैं हिजड़ा... मैं लक्ष्मी, संस्करण 1 वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ० 157
2. चित्रा मुद्रल : पोस्ट बॉक्स नम्बर 203 नाला सोपारा, 2017, सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ० 12-13
3. त्रिपाठी, लक्ष्मी नारायण, 2018, मैं हिजड़ा... मैं लक्ष्मी, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ० 162-163
4. त्रिपाठी, लक्ष्मी नारायण, 2018, मैं हिजड़ा... मैं लक्ष्मी, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ० 164
5. विश्णोई, मिलन सं. 2018, किन्नर विमर्श : साहित्य और समाज, कानपुर, <http://rishabhuvach.blogspot-com / 2018 / 12 /blog&post-html>
6. खान, डॉ० एम. फिरोज, 2017, थर्ड जेंडर: कथा आलोचना, सं. प्रथम, अनुसंधान पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, कानपुर, पृ० 52
7. भीष्म, महेंद्र, 2016, मैं पायल... प्रथम संस्करण, अमन प्रकाशन, कानपुर, पृ० 39
8. त्रिपाठी, लक्ष्मी नारायण, 2018, मैं हिजड़ा... मैं लक्ष्मी, वाणी प्रकाशन, दिल्ली, पृ० 154

बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली

श्री अरविन्द कुमार*

*प्रयक्ता य तदर्थ प्रधानाचार्य, ग्राम विकास इण्टर कालेज, खुटहन, जौनपुर, उ०प्र०

सारांश : मानव जीवन में विद्या का विशिष्ट स्थान है। विद्या बिना मनुष्य का व्यक्तित्व संकुचित हो जाता है, साथ ही ही उसका जीवना भी पर्याप्त बोझिल हो जाता है। विद्या या ज्ञान संयुक्त कर्म प्रबल होत हैं। ज्ञान को मनुष्य का तीसरा नेत्र भी कहा गया है जो मनुष्य को समस्त तत्व के मूल को समझने में सहायता करता है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें किसी से शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक होता है। शिशु को उसके माता-पिता और परिवार, समाज से शिक्षा मिलती है। शिक्षा हमारे शरीर को ब्रह्मा प्राप्ति के योग्य बनाती है। विश्व के मानव मस्तिष्क पटल पर भारतीय शिक्षा को अपनी अलग पहचान है। इसी पहचान में महत्वपूर्ण योगदान देने में बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था का अपना अलग स्थान है। यह शोध पत्र पूर्व के अध्ययनों से अलग है एवं समाज के लिए महत्वपूर्ण है। शोधपत्र पुस्तकालीय एवं ऐतिहासिक विधि पर आधारित है। यह अध्ययन शोधार्थियों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है।

मुख्य शब्द : बौद्ध शिक्षा दर्शन, शिक्षा व्यवस्था, परिवार, शिक्षण विधियों, संस्कार आदि।

600 ईसा पूर्व (600बीसी) से 1200 ई० तक के काल को बुद्ध काल के नाम से पुकारा जाता है। इसी काल में बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ तथा बौद्ध धर्म के अनुरूप एक नवीन प्रकार की शिक्षा व्यवस्था का आविर्भाव हुआ। भारत के शिक्षा के स्वरूप निर्धारण में बौद्ध शिक्षा दर्शन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। माध्यमिक कारीका में वर्णित निम्नलिखित श्लोक से बौद्ध धर्म के स्वरूप को समझा जा सकता है।

द्वे सत्ये समुपाश्रित्य बुद्धाना धर्मदेशना
लोक संविति सत्यम् च सत्यम् च परमार्थना

अर्थात् शिक्षा एक प्रक्रिया है जो मनुष्य को लौकिक एवं परमार्थिक दोनों जीवन के योग्य बनाती है। परमार्थिक जीवन से तात्पर्य निर्वाण से है। अतः बौद्ध धर्म के अनुसार वास्तविक शिक्षा वह है जो मनुष्य को निर्वाण की प्राप्ति कराए।

बौद्ध शिक्षा के मुख्य उद्देश्य में चरित्र का निर्माण करना जिसमें नैतिक नियमों की स्थापना करके शिक्षार्थी के चरित्र का निर्माण करना प्रमुख था। व्यक्तित्व का विकास करना अर्थात् विद्यार्थी में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, आत्म संयम एवं आत्मनिर्भरता का विकास करना, सर्वांगीण विकास करना, संस्कृति संरक्षण करना इत्यादि प्रमुख थे। बौद्ध धर्म का आधार संसार से दुःख का निरोध करना है। इस लिए बौद्ध कालीन शिक्षा में निर्वाण आधारित शिक्षा का जन्म हुआ। इस काल के शिक्षा पाठ्यक्रम में इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। इस समय बिहारो एवं मठों ने शिक्षा का कार्य अपने हाथ में ले लिया था। इस समय शिक्षा प्राप्त करने के लिए दो संस्कार आवश्यक थे (1 पबज्जा संस्कार एवं 2 उप संपदा संस्कार। पबज्जा संस्कार से उपासकत्व का आरम्भ होता है। 7 वर्ष की आयु में बालक मठ में जाकर पबज्जा ग्रहण करता था। इसके पश्चात वह मठ में ही रहता था। इस समय विद्यार्थी को उपासक के नाम से जाना जाता था।

उपासक काल के पश्चात उप संपदा संस्कार होता था। इस समय विद्यार्थी की आयु 20 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इस समय के प्रारम्भिक शिक्षा में अक्षर ज्ञान कराने की एक निश्चित व्यवस्था थी। बालकों को वैज्ञानिक तरीके से खेल-खेल में अक्षरों का ज्ञान एवं अभ्यास कराया जाता था। **व्हेनसांग** ने प्रारम्भिक शिक्षा का विवरण देते हुए लिखा है कि बालक पहले वर्णमाला के अक्षरों की सीखता था। अक्षर ज्ञान के पश्चात शब्द विद्या, शिल्पासन विद्या, चिकित्सा विद्या, अध्यात्म विद्या एवं हेतु विद्या की शिक्षा दिया जाता था।

बौद्ध काल में उच्च शिक्षा अपने उच्चतम शिखर में था। इस समय नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध थे, जहाँ पर सुयोग्य विद्वानों के द्वारा सभी प्रकार की शिक्षा दिया जाता था। उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम विस्तृत था। बौद्ध धर्म दर्शन के अतिरिक्त अन्य धर्म एवं दर्शनों को भी स्थान दिया गया था। इस समय स्नातकों को अत्यंत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। इस समय के पाठ्यक्रम में विभिन्न व्यवसायिक पाठ्यक्रम जैसे व्यापार, कृषि, ज्योतिष, चिकित्सा इत्यादि का ज्ञान देकर स्नातकों को आत्मनिर्भर बनाया जाता था। इस समय विद्यार्थियों को अपने रुचि के अनुसार कोई भी विषय का चयन करने की पूरी स्वतंत्रता थी।

बौद्ध कालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम अत्यंत ही उच्च कोटि का एवं विस्तृत था एवं पाठ्यक्रम को उचित रूप से विद्यार्थी तक पहुँचाने के लिए अनेक प्रकार के शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता था। इस समय प्रचलित शिक्षण विधियों में मौखिक विधि, पद विधि, सूत्र विधि, व्याख्या विधि, वाद-विवाद विधि, कथा विधि, व्यक्तिगत शिक्षा विधि, अग्र शिष्य शिक्षा विधि, निरीक्षण एवं तुलना विधि, गुरु शिष्य संवाद विधि प्रमुख थे। बौद्ध काल में मौखिक शिक्षण विधि का विशेष महत्व था। इस विधि का द्वारा स्मरण भाक्ति को बढ़ाया जाता था। विद्यार्थी प्रतिदिन पाठ की पुनरावृत्ति कर अभ्यास करते थे। इस काल में आचार्यों ने शिक्षण प्रदान करने के लिए शिक्षण पद्धति को लयबद्ध पद के रूप में प्रस्तुत करते थे। उनका मानना था कि लयबद्ध हो जाने से राचक बन जाता है एवं किसी भी विषय को लम्बे समय तक स्थाई रूप से स्मरण किया जा सकता था। मुख्य शिक्षण विधि के रूप में मौखिक विधि होने के कारण विद्वानों द्वारा मुख्य परिणामों को छोटे-छोटे वाक्या में सूत्रबद्ध कर दिया गया था जिसे सरलता से स्मरण किया जा सकता था। कई ऐसे विषय होते थे जिनका अध्ययन विद्यार्थी स्वयं से नहीं कर सकते थे जैसे व्याकरण, आयुर्वेद और दर्शनजिन को समझने के लिए आचार्य विस्तृत व्याख्यान देते थे। सम्यक रूप से समझ लेने पर विषय विद्यार्थी को याद हो जाता था।

वाद-विवाद विधि से विद्यार्थियों की वक्ता शैली में सुधार एवं विवेक पूर्ण तर्क विधि के क्षमता में वृद्धि होती थी। आचार्य द्वारा विद्यार्थियों में शास्त्रार्थ को आयोजित किया जाता था। बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था में कथा साहित्य का विशेष योगदान था। कथा के साथ उदाहरणों को मिलाकर दी जाने वाली शिक्षा से ज्ञान को स्थायित्व प्राप्त होता था। वैयक्तिक शिक्षा विधि में

विद्यार्थियों को पृथक् रूप से शिक्षा प्रदान करना होता था। उस समय शिक्षक विद्यार्थी अनुपात कम होने के कारण ऐसा संभव होता था। प्रत्येक विद्यार्थी को पाठ को कंठस्थ करना पड़ता था। कंठस्थ करने के पश्चात ही अगला पाठ पढ़ाया जाता था। जब तक विद्यार्थी वर्तमान पाठ को पूरी तरह से कंठस्थ नहीं कर लेता था तब तक नये पाठ को प्रस्तुत नहीं किया जाता था। इस प्रकार प्रत्येक विद्यार्थी अपने प्रतिभा के अनुसार आगे बढ़ते थे। अग्र शिष्य शिक्षा विधि में शिक्षा केन्द्रों के योग्य और अनुभवी विद्यार्थी शिक्षण कार्य में सहयोग करते थे। ऐसे विद्यार्थी जो सुयोग्य एवं वरिष्ठ होते थे वह जहाँ एक तरफ कनिष्ठ विद्यार्थियों के अध्यापन कार्य में सहायता करते थे, वही शिक्षण केन्द्रों के देखभाल में भी सहयोग करते थे। ऐसे सुयोग्य विद्यार्थियों का बहुत सम्मान किया जाता था। निरीक्षण एवं तुलना विधि द्वारा विद्यार्थियों में बहुत शक्ति का विकास किया जाता था। इसका प्रयोग विशेष रूप से मंद बुद्धि एवं अप्रतिभावना विद्यार्थियों पर किया जाता था।

बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था केन्द्र के रूप में बिहार, मठ एवं विश्वविद्यालय ही होते थे। यहाँ पर शिक्षा के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को अत्यन्त अनुशासित जीवनयापन करना होता था। उन्हें कई नियमों का पालन करना पड़ता था। प्रतिदिन स्नान करना, सादा भोजन करना, केवल 3 ही बार भोजन ग्रहण करना, कम से कम वस्त्र धारण करना, प्रतिदिन प्राप्त भिक्षा मांगने जाना होता था। वे आभूषण धारण नहीं कर सकते थे, न ही खेल तमाशा इत्यादि देख सकते थे। वे विद्या अध्ययन काल में केश नहीं रख सकते थे। विद्यार्थी चाहे धनी परिवार का हो या सामान्य परिवार का, सभी को एक समान नियमों का पालन करना पड़ता था। अगर कोई विद्यार्थी इन नियमों का पालन नहीं करता था तो उसे शिक्षा केन्द्र से निष्कासित कर दिया जाता था।

प्रत्येक विद्यार्थी को अपने गुरु के प्रति कई कर्तव्य का पालन करना होता था। गुरु का आज्ञा का पालन करना ही शिष्य का प्रमुख कर्तव्य होता था। बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली में एक निजी विशेषता देखने को मिलती है कि आचार्य कोई ऐसा आज्ञा नहीं दे सकता था जिसका पालन करने से शिष्य का जीवन खतरे में पड़ जाए या जो धर्म के विधान के प्रतिकूल हो। बौद्ध कालीन शिक्षा में गुरु और शिष्य सम्बन्ध अत्यन्त पवित्रता से परिपूर्ण होता था। वह अपने-अपने कर्तव्य का पालन बड़े मनोयोग से करते थे। जहाँ एक ओर शिष्य का जीवन अत्यन्त सादा एवं पवित्र होता था वही गुरु भी अपने शिष्यों के सामने सादा जीवन, निरन्तर अध्ययन, ब्रह्मचर्य, निकलंक, चरित्रवान तथा आदर्श रूप प्रस्तुत करता था। गुरु एवं शिष्य कई वर्षों तक एक साथ रहते थे इसीलिए दोनों के संबंध में अत्यन्त निकटता एवं निर्मलता रहती थी। प्रायः गुरु अपने शिष्य को सौम्य कहते थे, इसका अभिप्राय होता था चन्द्रमा के जैसा आकण्ठ और मधुर गुण सम्पन्न। गुरु अपने शिष्यों से कोई भी विद्या गोपनीय नहीं रखता था। गुरु अपने शिष्य के साथ पिता पुत्र की तरह व्यवहार करते थे। वे शिष्यों के नैतिक अनैतिक कार्यों के बारे में बताते थे तथा उसे बुरे कर्मों की ओर जाने से रोकते थे। बौद्ध कालीन शिक्षा में सभी वर्ण समान थे एवं सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। गुरु अपने शिष्यों से शिक्षा देने के बदले में कोई शुल्क नहीं मांग सकता था। बौद्ध युग में स्त्रियाँ शिक्षित एवं विद्वान हुआ करते थे। विद्या, दर्शन धर्म के प्रति उनकी गहरी रुचि होती थी। अनेक स्त्रियाँ शिक्षिका का जीवनयापन करते थे। आरम्भ में स्त्रियों को संघ प्रवेश कठिनाई से मिला। उन्हें अनेक शर्तों एवं प्रतिबंधों के साथ संघ में प्रवेश की अनुमति दिया गया। स्त्रियों को दर्शनके अतिरिक्त संगीत, नृत्य, चित्र लेखन आदि की शिक्षा दिया जाता था।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था तत्कालीन विश्व की श्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली थी। उस समय की शिक्षा व्यवस्था में कई ऐसे तत्व थे जो वर्तमान समय में विशेष प्रासंगिक है जिनमें गुरु शिष्य सम्बन्ध, गुरु शिष्य का अनुशासित जीवन, शिक्षा केन्द्रों का संस्कार प्रधान एवं अनुशासित होना प्रमुख है। इन तत्वों को आज की शिक्षा व्यवस्था में शामिल कर के हम निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर जीवन दे सकेंगे एवं भारत को विश्व गुरु का स्थान दिलवा सकेंगे।

सन्दर्भ :

1. अलतेकर, ए0एस0 (1944) एजुकेशन इन एनसेंट इण्डिया, नंदकिशोर एंड ब्रदर, वाराणसी
2. सिंह, राजेश, (2009), बौद्ध दर्शनमें शिक्षा की स्थिति विस्तार एवं वर्तमान में प्रासंगिकता अप्रकाशित शोध, बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय, बुंदेलखण्ड
3. पांडे, राम शकल, (1983), शिक्षा दर्शन, प्रकाशक विनोद पुस्तक मंदिर अगरा
4. लाल, रमन बिहारी, (1993), शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धान्त, रस्तोगी प्रकाशन
5. उपाध्याय, बलदेव, (1966), भारतीय दर्शन, शारदा मंदिर, वाराणसी
6. त्यागी, महावीर सिंह, (1985), भारत का इतिहास, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा
7. पराश मधु, एवं सिंह, दीपा, (2021), भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं विकास, एस0बी0पी0डी0 पब्लिकेशन, आगरापाठक, डॉ0 श्रीकान्त, (1996), जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म, भवदीय प्रकाशन, अयोध्या, फैजाबाद

भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति

डॉ० सुरेन्द्र कुमार यादव*

*समाजशास्त्र विभाग, डी०ए०वी०पी०जी० कॉलेज, आजमगढ़, उ०प्र०

सारांश : सम्पूर्ण विश्व में महिलाएं भेदभाव, असमानता, दमन-शोषण आदि की शिकार रही हैं। लम्बे समय तक स्वयं महिलाओं में भी यह चेतना नहीं थी कि उन्हें इन स्थितियों का प्रतिकार करना चाहिये। पहली बार संगठित रूप से प्रतिकार का स्तर उठा अमेरिका में, जहाँ कल-कारखानों में कार्यरत महिलाओं ने अपनी कार्य-दशाओं में सुधार और समान वेतन तथा सुविधाओं के लिये आंदोलन किया और लम्बे संघर्ष के बाद सफलता प्राप्त की। धीरे-धीरे उनके आंदोलन की गूँज अन्य देशों में भी सुनाई दी और अमेरिकी महिलाओं की सफलता का दिन 8 मार्च, 'अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस' बन गया। भारत सहित अनेक देशों में इसे 'अन्तर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह' का नाम दिया गया। शोधपत्र विश्लेषणात्मक एवं मात्रात्मक प्रकृति पर आधारित है।

मुख्य शब्द : भारतीय समाज, महिला स्थिति, महिला अशिक्षा, महिला हिंसा आदि।

भूमिका : वैश्विक धरातल पर महिला को समाज, संस्कृति एवं सभ्यता का मेरुदंड माना गया है। विश्व की सभी संस्कृतियों में महिलाओं के प्रति विशेष उदार और उन्नत विचार रखे गये हैं। महिला को शक्ति का महान भंडार और परिवार की नींव माना गया है। चूंकि परिवार समुदाय की नींव है और समुदाय राष्ट्र की, अतएव महिला ही समाज व राष्ट्र की नौका की वास्तविक कर्णधार है।¹ प्रागैतिहासिक काल से लेकर आज तक विधान और विज्ञान दोनों ही स्त्री के विरुद्ध रहे हैं। इस संदर्भ में वास्तविकता यह है कि पूरी दुनिया में स्त्री की अस्मिता, उसके ही संदर्भ पर कायम है। अनेकों बार नियम और कानूनों को संशोधित किया गया, आत्म-निर्णयवाद के सिद्धान्त ने पूरी दुनिया के साम्राज्य को अनेक राष्ट्रीय राज्यों में परिवर्तित कर दिया मगर औरत आज भी आदमी का अंतिम उपनिवेश है।² प्रकृति ने ही स्त्री-पुरुष को विपरीत बनाया है, पुरुष बर्बर तथा आक्रामक है और स्त्री कोमल तथा भावुक। जीवन संघर्ष को जीतने के लिए दोनों ही प्रवृत्तियाँ अनिवार्य हैं। मानव जीवन व समाज के विकास में दोनों की स्वस्थ परस्परता अनिवार्य है किन्तु पता नहीं किस अशान्त वातावरण में पुरुष ने अपनी इच्छा और विश्वास के अनुसार स्त्री को चलाना चाहा है कालान्तर में इसी अवधारणा के कारण या तो स्त्री देवी (मातृरूप में) मानी गई या तो दासी व भोग्या (सौभाग्यवती पत्नी) या पशु (विधवा, वेश्या)। किसी भी श्रेणी में स्त्री की अपनी इच्छा, अपने सिद्धान्त या अपनी रुचियों का कोई स्थान नहीं। ऐसी स्थिति में नारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सुंदर भावी पीढ़ी का निर्माण करे।³

महिलाओं की वर्तमान स्थिति : वर्तमान दौर में नारी अपनी योग्यता के बल पर आर्थिक रूप से अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने में सफल हो रही है जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में उसने पुरुषों के कन्धे से कन्धा मिलाकर चलना सीख लिया है, परन्तु फिर भी अभी उसके प्रति भोग्या का नजरिया न तो पुरुष का बदला है और न ही समाज का। इसी का परिणाम है कि स्त्री बाजार की वस्तु बन गई है। कभी स्वास्थ्य सलाहकार के रूप में दिखती है तो कभी सौन्दर्य उत्पादों की गणिका। पुरुष वर्ग तथा सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था जीवन के हर मोर्चे पर स्त्री के प्रति दोहरे मानदण्डों को अपनाकर उसका निरन्तर शोषण कर रही है। एक ओर तो उसने नारी को आर्थिक स्वतंत्रता दे दी है ताकि परिवार संरचना का अर्थतन्त्र मजबूत हो सके वहीं दूसरी ओर घर से बाहर निकलने के आरोप में उसे संशय की दृष्टि से देखा जा रहा है।⁴ निश्चित रूप से पितृसत्तात्मक सत्ता ही महिला समाज की अधोगति के लिए जिम्मेदार रही है। महिला वर्ग में भी दलित महिला और अधिक हाशिए पर है और दोहरे शोषण का शिकार है। एक तरफ पितृ सत्तात्मक सोच और दूसरी ओर दलित होने का दर्द।⁵

महिला समाज का अभिन्न अंग है। उसके अभाव में पुरुष अधूरा है। फिर भी पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के साथ आये दिन भिन्न-भिन्न प्रकार के अपराध घटित होते रहते हैं किसी भी दिन का समाचार-पत्र महिलाओं के प्रति अपराध, क्रूरता और धिनोनी हरकतों के समाचारों से रहित नहीं रहता। सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा तथा विकास के लिए समय-समय पर भिन्न-भिन्न कानून बनाए हैं फिर भी महिलाओं के प्रति आए दिन होने वाले अपराधों के दिन-प्रतिदिन वृद्धि हो रही है तथा उनका शोषण और उत्पीड़न निरन्तर जारी है।⁶

महिला की क्षमता उसकी बौद्धिकता एवं समाज में उसके स्थान के सम्बन्ध में भारतीय परम्परा अत्यन्त समृद्धशाली रही है। महिलाएँ हमारी संस्कृति का आधार ही नहीं वरन् लोकजीवन, धर्म और मानवता के विकास की कुंजी भी हैं। मूल भारतीय सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं को सुख, सम्पत्ति, ज्ञान एवं शक्ति का प्रतीक माना गया है जिसकी अभिव्यक्ति के रूपमें लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा की पूजा की जाती रही है।⁷

महिला का दायम दर्जा : भारतीय समाज में महिलाओं की निर्णायक भूमिका और अधिकार सीमित हैं। अपने अधिकारों की स्वायत्तता, निर्णय, भेदभावों के प्रति विरोध, जैसे अधिकार महिलाओं को पारिवारिक और सामाजिक ढांचे में आज भी प्राप्त नहीं है। परिवार और समाज के पुरुषों को अपने अधिकारों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप पसंद नहीं है। मौजूदा व्यवस्था की समर्थ महिलायें, जो खुद इन ज्यादातियों को झेलती रही हैं वे भी मुखर होकर महिला सदस्यों का साथ नहीं देती। समाज में एक आज्ञाकारी नारी की छवि स्थापित है जो पारिवारिक निर्णयों के आगे समर्पित रहे और अपनी सोच को अपने तक ही रखे।⁸

परिवार और समाज में औरत को दायम दर्जा देने के लिये पुरुषों ने इस रिश्ते को सदैव महिमंडित किया। औरत की हर रिश्ते में एक खास छवि बना दी गयी है। बेटी, बहन, पत्नी, माँ और सास के रूप में इन सब रिश्तों में जहाँ भी वह पुरुष से जुड़ी है वहाँ एक खास किस्म की आज्ञाकारिता, सहनशीलता और चुपकी की उससे अपेक्षा की जाती है। इस सब में सम्मान, पवित्रता जैसे शब्द जोड़कर औरत की एक परम्परागत छवि बना दी गई है। इस छवि ने औरत को एक फ्रेम के अन्दर कैद कर दिया। इसके बाहर भी उसकी पहचान बन सकती है। मगर यह वह खुद नहीं जान पाती। त्रासदी यह है कि इस छवि में कैद औरत को यह कैद नहीं लगता क्योंकि पुरुष लगातार उसे भावात्मक रूप से ब्लैकमेल करता रहता है। सदियों से औरतों को खूब बहलाया गया है कभी देवी कहकर तो कभी घर की जिम्मेदारी का अहसास दिलाकर पर बदल माहौल में जब युवतियाँ आगे बढ़ी तो उन्हें किसी न किसी बहाने से पीछे करने की कोशिश की गई।⁹

भारत में ही नहीं वरन् सम्पूर्ण विश्व में महिलाएं भेदभाव, असमानता, दमन-शोषण आदि की शिकार रही हैं। लम्बे समय तक स्वयं महिलाओं में भी यह चेतना नहीं थी कि उन्हें इन स्थितियों का प्रतिकार करना चाहिये। पहली बार संगठित रूप से प्रतिकार का स्तर उठा अमेरिका में, जहाँ कल-कारखानों में कार्यरत महिलाओं ने अपनी कार्य-दशाओं में सुधार और समान वेतन तथा सुविधाओं के लिये आंदोलन किया और लम्बे संघर्ष के बाद सफलता प्राप्त की। धीरे-धीरे उनके आंदोलन की गूँज अन्य देशों में भी सुनाई दी और अमेरिकी महिलाओं की सफलता का दिन 8 मार्च, 'अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस' बन गया। भारत सहित अनेक देशों में इसे 'अन्तर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह' का नाम दिया गया। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 1975-85 के दशक को महिला दशक घोषित किया गया। संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में महिला प्रश्नों पर अनेक सम्मेलन हुए जिनकी परिणति 'बीजिंग काफ़्रेस' की सिफारिशों के रूप में हुई।

महिला अशिक्षा : भारतीय समाज में महिला अशिक्षा अभी भी व्याप्त है, जो उसके प्रति हो रही हिंसा का मुख्य कारण है। अशिक्षा के कारण वे परंपरागत रूढ़िग्रस्त मान्यताओं के आधार पर कोल्हू के बैल की भाँति आँख पर पट्टी बांधकर चलती रहती है। स्वतंत्रता के पश्चात् भारत में बालिकाओं की शिक्षा दर बढ़ी है किन्तु बालकों की तुलना में बालिकाओं का पढ़ाया जाना सभी वर्ग, सभी समुदाय, सभी जातियों, सभी अंचलों में अपेक्षाकृत काफी कम है। उन्हें सिर्फ कामचलाऊ प्राथमिक, माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक शिक्षा ही दी जाती है। मध्यवर्ग और निम्न मध्यवर्ग तथा निम्नवर्ग में लड़की की पढ़ाई पर खर्च करना एक अपव्यय माना जाता है क्योंकि अन्ततोगत्वा वह पराये घर की मानी जाती है।

शिक्षा के अभाव में उसे जीवन संग्राम की व्यापक समझ का अभाव तो रहता ही है, वह पारंपरिक संस्कारों के दबाव के परिणामस्वरूप वैवाहिक जीवन को एकमात्र निर्यात मानती है, पुरुष जिस विवशता का विवाह से लेकर विवाहेतर जीवन में भी अनुचित लाभ उठाते हैं। दहेज प्रथा का दानवी स्वरूप धारण करना उसके लिए विवाह संस्था को अनिवार्य माने जाने के कारण ही है। उसे इस विकल्प को चुनने का अधिकार नहीं रहता कि जीवनसाथी के रूप में एक संभावना युक्त श्रेष्ठ पति के मिलने पर विवाह करे अन्यथा अविवाहित पुरुषों की भाँति स्वतंत्र जीवन-यापन कर सके।

महिला हिंसा : समाज में प्रचलित रीति-रिवाजों, मूल्यों, विश्वासों एवं विचारधाराओं का भी महिला हिंसा में बहुत योगदान है। बलात्कार, दहेज प्रथा, महिलाओं को जला देना, भगा ले जाना, अपहरण, मारने-पीटने की घटनाओं में हमारी सामाजिक-आर्थिक स्थितियाँ ही सहायक हैं। पुत्र द्वारा वंश निर्धारण की सोच ने भी लड़कियों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाया है।¹⁰

आधुनिक जीवन में महिलाओं को ज्यादा समझदार, विवेकशील, सजग और चौकन्ना रहने की जरूरत है, किन्तु इसके बावजूद वह अपनी मूल प्रकृति, कोमलता, संवेदना, भावात्मक आवेग की प्रचुरता और मातृत्व की स्वाभाविक चाह में लिप्त पुरुषों के सुनियोजित अत्याचार की शिकार हो जाती है। नारी चाहे कितनी बुद्धि संगत हो जाए उसका भावनात्मक पहलू जब तक ज्यादा निर्णायक नहीं रहेगा वह कमजोर ही रहेगी। आज भी महत्वाकांक्षी महिलाओं के साथ बलात्कार, शारीरिक छेड़छाड़ आदि घटनाओं को हम देखते और सुनते हैं। आज तो मनुष्य की मानसिकता इतनी विकृत हो गई है कि अबोध एवं नाबालिग बच्चियों को ही अपहरण, बलात्कार एवं वेश्यावृत्ति का सर्वाधिक शिकार बनाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति और भी ज्यादा दयनीय बनी हुई है। मजदूरी में लैंगिक भेद और शारीरिक शोषण अतिरिक्त है। विडंबना यह है कि इसे न सिर्फ उन्होंने बल्कि शेष समाज ने, व्यवस्था ने भी उनकी नियति मान लिया है।¹¹

लैंगिक असमानता : अनादिकाल से हमारे देश में लड़की के जन्म को अशुभ माना जाता रहा है। उसे एक बोझ के रूप में परायाधन मानकर उसका पालन-पोषण किया जाता रहा है। लड़के एवं लड़कियों में भेद-भाव किया जाता रहा है। लड़की को लड़के की तुलना में हेय दृष्टि से देखा जाता था। उसकी शिक्षा-दीक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता था। सामाजिक कुरीतियों एवं अधविश्वासों ने धार्मिक विश्वास का रूप धारण कर रखा था। बाल विवाह के प्रचलन के कारण वैधव्य अथवा प्रसव जन्म-मृत्यु का कष्ट भी उनका प्रारब्ध बन चुका था, परन्तु जैसे-जैसे देश में शिक्षा का प्रचार-प्रसार हुआ, सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन आया लड़कियों को पढ़ने-लिखने, नौकरी के समान अवसर प्राप्त होने लगे। स्त्रियाँ आधुनिक समाज में पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर जीवन के हर क्षेत्र में कार्य कर रही हैं फिर भी उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा प्राप्त नहीं हो रहा है। घर से बाहर कदम रखने के बाद नारी जीविकोपार्जन हेतु पुरुष के ही समान संघर्ष कर रही है। फलस्वरूप विषम आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों से कुटित एवं पीड़ित नारी आत्महत्या हेतु प्रेरित हो जाती है। आज के युग में आत्मनिर्भर होते हुए भी नारी सुरक्षित नहीं है। समाज एवं मानवीय संबंधों में परस्पर तीव्र गति से संवेदनशीलता, सौहार्द स्नेह एवं विश्वास की कमी ने ही इस विषम समाज को जन्म दिया है। स्वार्थपरता भी मानव संबंधों को कमजोर बनाने में प्रमुख भूमिका निभा रही है।¹²

सामाजिक दृष्टि से महिला आज भी घर की दासी, विलासिता की वस्तु और संतान पैदा करने का यंत्र मानी जाती है। अनेकानेक प्रकार से नारी स्वतंत्रता और अधिकारों की हिमाकत करने वाली महिलाओं को समाज में बहुत सम्मान प्राप्त नहीं है। उन्हें घर-परिवार तोड़ने का दोषी और चरित्रहीन करार दिया जाता है तथा उनकी स्वतंत्रता उनकी बदनीयती के रूप में समझी जाती है। महिलाओं के सन्दर्भ में अभी भी विभिन्न प्रकार की सामाजिक कुरीतियाँ, रूढ़ियाँ और नियोग्यताएँ विद्यमान हैं। दहेज प्रथा और कन्या परीक्षण की स्थितियाँ आज भी उनके सन्दर्भ में विद्यमान हैं जो कि महिलाओं की सामाजिक स्थिति को निम्नतर बनाती हैं।¹³

महिला सशक्तीकरण : भारतीय समाज में महिलाओं के सशक्तीकरण के सन्दर्भ में भी महिलाओं पर सदैव नियंत्रण लगाने के प्रयास किये जाते रहे हैं ताकि पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था के विरुद्ध नारी घर से बाहर कदम न निकाल सके। आज भी उसके आर्थिक स्वावलम्बन के बावजूद भी उसे पुरुषों के समान परिवार में सम्मानजनक स्थान नहीं मिल पाया है। महिला हिंसा से एक पक्ष और सम्बद्ध है वह भारतीय समाज में महिला की आर्थिक परतंत्रता का। समाजशास्त्रियों का ऐसा मानना है कि जब तक महिला जगत् का आर्थिक स्वावलम्ब का आकार वृहत् नहीं होगा और महिला जगत् की पुरुष जगत् पर आर्थिक परतन्त्रता समाप्त नहीं होगी, तब तक महिला को समाज में सम्मान नहीं मिलेगा और उस पर होने वाली हिंसा कम न होगी। संयुक्त राष्ट्र संघ के सार्वभौम महिला अधिकार के दर्शन के सन्दर्भ में महिला समानता तब तक संभव नहीं, जब तक कि महिला बौद्धिक व आर्थिक रूप से सबल न हो और पुरुष जगत् में अपने व्यक्तित्व व कृतित्व के गुणों से अपनी पहचान न कराये।¹⁴ वर्तमान समाज में महिलाओं की आर्थिक स्थिति में बदलाव आया है। अब महिलायें काम करने के लिए बाहर निकल रही हैं। शहर की महिलाओं को कारखानों में काम करने की रुचि इच्छा बढ़ती जा रही है। क्योंकि उन्हें कारखानों में अच्छा वेतन व सुविधाएँ मिलती हैं। महिलाओं के स्तर

को ऊँचा उठाने में राजाराम मोहन राय, स्वामी विवेकानन्द, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, दयानन्द सरस्वती जैसे महान समाज सुधारकों ने महिलाओं से जुड़ी कुरीतियों को समाप्त करके उन्हें सफलता की सीढ़ियों पर चलने के लिए प्रेरित किया। इनके प्रयासों से महिलाये घर की चहारदीवारी से बाहर निकली, शिक्षा प्राप्त करके जागरूक बनी और पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हुई। उनके इस बढ़ते कदम को शुरुआती दौर में आलोचना की दृष्टि से देखा गया लेकिन घर के पुरुषों द्वारा समर्थन किये जाने से उन्हें सम्बल मिला। महानगरीय और आधुनिक जीवन शैली में सिर्फ पुरुष के वेतन पर निर्भर रहने की क्षमता भी नहीं रह गयी है। इसके लिये महिला को आर्थिक व्यवस्था के लिए घर से बाहर निकलना ही पड़ा। अब बुद्धिजीवी वर्ग के पुरुष महिलाओं की सफलता को सराहने लगे हैं, पिता और भाई और पति के रूप में महिलाओं को मानसिक, शारीरिक, आर्थिक सम्बल देकर उन्हें आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं।¹⁵

उपसंहार : आज विश्व समाज यह महसूस कर रहा है कि नीति निर्धारक सैद्धान्तिका में परिवर्तन लाना आवश्यक है। आज का विश्व समाज अपनी समस्याओं का समाधान नारी व पुरुष के लिंग भेद के अन्तर के साथ नहीं कर सकता और न ही समाज की समग्रता की उपेक्षा कर किसी भी उन्नति या विकास का स्वप्न संजोया जा सकता है। समाज का शिवत्व उसके समग्र कल्याण की सामूहिकता में निहित है। महिला को एक राष्ट्रीय प्राणी मानकर राष्ट्रीय समस्याओं से उसे सम्बद्ध करना ही होगा और यह विषय केवल एक पुरुषमात्र का अधिकार क्षेत्र बनाकर नहीं रखा जा सकता।

सन्दर्भ :

1. वशिष्ठ, विनीता, 1998, नारी तुम अबला कब तक, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश, पृ० 221
2. Sharma, Shreenath, 2007, 'Rajnitik Samajshastra', Bhoj Mukta Vishwavidyalaya, Bhopal, M.P.
3. Verma, Mahadevi, 2004, 'Shringkhala Ki Kadiyan', Lakbharti Prakashan, Allahabad, p. 17.
4. Dube, Leela, 1995, 'Dharati Aur Bij' (Ed. Rajkishor, Stree Ke Liya Jagat), Vani Prakashan, New Delhi
5. Dr. Ambedkar, 2005, Mishan Patrika, Nari Uthan Main Dr. Ambedkar Kee Bhoomika Sampadan, December
6. ओझा, सुरेश, 2012, महिला कानून, सर्जना प्रकाशन, बीकानरे, पृ० 11
7. जन, दीपा, 2007, महिला सुरक्षा एवं महिला पुलिस, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, पृ० 1
8. शुक्ला डी.पी. एवं शुक्ला, उषा, 1999, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारतीय नारी : समस्याओं से संभावनाओं तक, ए.पी.एच. पब्लिशिंग कारपोरेशन, नई दिल्ली, पृ० 62
9. शुक्ला, डी.पी. एवं शुक्ला, उषा, 1999, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारतीय नारी : समस्याओं से संभावनाओं तक, ए.पी.एच. पब्लिशिंग कारपोरेशन, नई दिल्ली, पृ० 63
10. रायजादा, अजीत, 1992, एमहिला उत्पीड़न, समस्या और समाधान, पृ० 124
11. रायजादा, अजीत, 1992, महिला उत्पीड़न, समस्या और समाधान, पृ० 130-131
12. रायजादा, अजीत, 1992, महिला उत्पीड़न, समस्या और समाधान, पृ० 156-157.
13. रायजादा, अजीत, 1992, महिला उत्पीड़न, समस्या और समाधान, पृ० 138
14. अंसारी, एम.ए., 2000, राष्ट्रीय महिला आयोग और भारतीय नारी, ज्योति प्रकाशन, जायपुर, पृ० 59
15. व्यास, मीनाक्षी, 2007, नारी चेतना और सामाजिक विधान, रोशनी पब्लिकेशंस, कानपुर, पृ० 86

मानवाधिकार के परिप्रेक्ष्य में तीन तलाक की अस्मिता

डॉ० ऋचा शुक्ला*

*सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय (संगठन महाविद्यालय) जेवर, गौतम बुद्ध नगर, उ०प्र०

सारांश : प्रस्तुत पत्र में मानवाधिकार के परिप्रेक्ष्य में तीन तलाक की अस्मिता से सम्बन्धित सभी पहलुओं को बड़े ही प्रासंगिक ढंग से स्पष्ट किया गया है। मानव अधिकारों का उद्देश्य एक ऐसे सुसम्भ्य समाज की स्थापना करना होता है जो विधि सम्मत होने के साथ ही मानव हित में भी हो। मानव अधिकार सभी को ऐसे जीवन स्तर को प्राप्त करने का नैसर्गिक अधिकार देता है जो उसे और उसके परिवार के स्वास्थ्य, कल्याण और विकास के लिए आवश्यक हो। इन अधिकारों में आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों के समक्ष समानता का अधिकार एवं शिक्षा का अधिकार आदि नागरिक और राजनैतिक अधिकार भी सम्मिलित होते हैं। विश्व की प्रायः सभी प्राचीन सभ्यताओं में ये अधिकार लोगों को जन्मजात प्राप्त होते थे। किंतु जब इन अधिकारों को लागू कराने में राष्ट्र, धर्म, जाति एवं लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है तब परिवार तथा समाज की समृद्धि प्रभावित होती है। अंत में समय के साथ-साथ समाज में कुप्रथाओं व कुविचारों का जन्म होता है। कुप्रथा में परिणति के कारण लोगों के मानवाधिकारों का उल्लंघन होने के साथ ही उनकी गरिमामय वातावरण में जीवन जीने की आकांक्षा प्रभावित होने लगती है। मुस्लिम समाज में व्याप्त तीन तलाक व हलाला जैसी परंपराएं प्रायः इन्हीं कुरीतियों में से एक हैं। इस लेख के माध्यम से मुस्लिम समाज के रूढ़िवादी वर्ग को समझाने व आइना दिखाने का एक प्रयास किया जा रहा है ताकि उन्हें पता चल सके कि तीन तलाक की अवधारणा सिर्फ और सिर्फ सतही है। कुरान कभी भी महिलाओं पर अत्याचार की अनुमति नहीं देता बल्कि समाज का रूढ़िवादी वर्ग धार्मिक आजादी का नाम देकर तीन तलाक व हलाला जैसी दकियानूसी व घृणित परंपरा को अमलीजामा पहनाता है।

मुख्य शब्द : मानवाधिकार, तीन तलाक, आधुनिक समाज, अंतर्राष्ट्रीय शांति संगठन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आदि।

आधुनिक समाज में महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने और लैंगिक समानता सुनिश्चित करने की शुरुआत, वर्ष 1945 में वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय शांति संगठन की स्थापना के साथ ही हो गई थी। महिला एवं पुरुषों के लिए समान अधिकारों की बात को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए यू.एन। चार्टर पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रपत्र था। अपनी प्रस्तावना में चार्टर मूलभूत मानवाधिकारों और मनुष्यों के सामर्थ्य और उनकी गरिमा और सभी मनुष्यों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए अंतर्राष्ट्रीय ढाँचे को प्रयोग में अपनी आस्था को पुनः प्रबलित करता है ताकि ये सभी एक बेहतर जीवन जी सकें। इसके अलावा, समय समय पर संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं के जीवन के विशिष्ट पहलुओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों से संबद्ध बहुत सी अंतर्राष्ट्रीय संधियों को अंगीकृत किया है। इनमें सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय पारस्परिक सविदाएं, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार संबंधी अंतर्राष्ट्रीय पारस्परिक सविदाएं, महिलाओं के प्रति होने वाले हर प्रकार के भेदभाव का उन्मूलन संबंधी अभिसमय, बच्चों के अधिकार संबंधी अभिसमय और हर प्रकार के जातीय भेदभाव का उन्मूलन संबंधी अभिसमय आदि प्रमुख हैं। भारत ने भी इन मानव अधिकार अभिसमयों को प्रमुखता से अंगीकृत किया है।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो पता चलता है कि यहाँ का संविधान उन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखता है जिनका उल्लेख उपरोक्त प्रसविदाओं में किया गया है। इनमें वर्णित कई सारे अधिकार भारतीय नागरिकों को उसी समय उपलब्ध हो गए थे जब देश आजाद हुआ था क्योंकि यह अधिकार प्रमुख रूप से संविधान के भाग 3 और भाग 4 में मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत दिए गए हैं। इसके साथ ही मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य से भारतीय संसद द्वारा पारित 'मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993' के तहत 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। इस अधिनियम के अनुसार मानव अधिकार का अर्थ है 'संविधान द्वारा गारंटीकृत या अंतर्राष्ट्रीय पारस्परिक सविदाओं में सन्निहित और भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय जीवन, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति विशेष की गरिमा संबंधी अधिकार'। अपनी स्थापना के साथ ही न्यायपालिका का यह अनुपूरक संस्थान देश में लोगों के सांविधिक रूप से निहित मानव अधिकारों की रक्षा एवं संवर्धन में लगा हुआ है। तथापि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि भारतीय समाज में मानवाधिकारों के लिए समर्पित इतने सारे कानूनी उपबंधों के होते हुए भी आजादी के इतने वर्षों बाद अब कहीं जाकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय व भारतीय संसद तीन तलाक को अवैध, अनैतिक व गैरकानूनी घोषित करने में कामयाब हो सके हैं। वर्तमान भारत सरकार ने 'मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकार का संरक्षण) अधिनियम, 2019' के माध्यम से तीन तलाक को पूरी तरह से शून्य व अवैध करार कर संज्ञेय अपराध घोषित कर दिया है। इस अधिनियम ने मुस्लिम समाज की महिलाओं को गरिमामय जीवन जीने का मौलिक अधिकार प्रदानकर उनके जीवन में एक नई रोशनी भरने का प्रयास किया है। यद्यपि मुस्लिम समाज का प्रगतिशील, उदारवादी व बुद्धिजीवी वर्ग सदैव से ही तीन तलाक व हलाला जैसी घृणित परंपरा का विरोधी रहा है। किंतु दुर्भाग्यवश, आज भी मुस्लिम समाज का रूढ़िवादी व कट्टरपंथी वर्ग धर्म के नाम पर अपने तीन तलाक के अधिकार की आजादी छोड़ने को तैयार नहीं है। प्रस्तुत आलेख तीन तलाक की ऐतिहासिकता व वैधता को उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर परखने की एक कोशिश है ताकि तीन तलाक में आस्था रखने वालों को हकीकत का पता चल सके तथा मुस्लिम महिलाओं को परिवार व समाज में बिना किसी भेदभाव व हिंसा का सामना किए गरिमामय व खुशहाल वातावरण में जीवन जीने का मानव अधिकार मिल सके।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में तीन तलाक : लगभग सभी प्राचीन राष्ट्रों में विवाह विच्छेद दाम्पत्य अधिकारों का स्वाभाविक परिणाम समझा जाता है। रोमवासियों, यहूदियों, इजरायलियों आदि सभी लोगों में विवाह-विच्छेद किसी न किसी रूप में प्रचलित था। इस्लाम के आरम्भ से पहले पति को विवाह-विच्छेद के असीमित अधिकार प्राप्त थे। मुस्लिम विधि के लगभग सभी विद्वान तलाक को उचित मानते हैं किन्तु उसके अकारण प्रयोग को वे नैतिकता और धर्म की दृष्टि से जघन्य समझते हैं। पैगम्बर साहब का कथन है कि "जो मनमानी रीति से पत्नी को अस्वीकार करता है वह खुदा के शाप का पात्र होता है।" अपने अन्तिम समय के निकट उन्होंने बिना पंच या न्यायाधीश के हस्तक्षेप के पुरुषों द्वारा तलाक के प्रयोग को ही एक प्रकार सा लगभग वर्जित से कर दिया था। इस सम्बन्ध में कुरान में लिखा है कि "यदि उनके मध्य-वैवाहिक सम्बन्ध के भंग की आशंका हो तो एक निर्णायक,

पति के पक्ष से और एक पत्नी के पक्ष से नियुक्त करो। इस प्रकार यदि वे अपने सम्बन्ध सुधारना चाहेंगे, तो अल्लाह उन्हें (पति-पत्नी को) एकमत कर देगा। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के लागू होने के पश्चात् पत्नी इस अधिनियम की धारा 2 के अन्तर्गत दिए गए आधारों में से किसी एक या अधिक आधारों पर न्यायालय से विवाह-विच्छेद की डिग्री प्राप्त कर सकती है। **तलाक** : अरबी में “तलाक” शब्द का अर्थ होता है— ‘निराकरण करना’ या नामंजूर करना। परन्तु मुस्लिम विधि के अन्तर्गत इसका अर्थ वैवाहिक बन्धन से मुक्त करना है। यह हर प्रकार के विवाह-विच्छेद का एक व्यापक नाम है। मुस्लिम विधि में कोई स्वस्थचित एवं वयस्क पति अपनी पत्नी को बिना कोई कारण बताये अपनी इच्छा से जब चाहे तब तलाक दे सकता है। शिया लोग तलाक के समय दो साक्षियों की उपस्थिति को अनिवार्य समझते हैं।

तिहरा तलाक की अवधारण : तिहरा तलाक मान्यता प्राप्त परन्तु अस्वीकृत तलाक का प्रकार है तथा इस्लामी विधिवेत्ताओं ने इसे शरीयत में नवीन प्रवर्तन माना है। इसको न तो पवित्र कुरान का प्रमाण और न पवित्र पैगम्बर की स्वीकृति प्राप्त है। यह प्रथम खलीफा अबुबकर के जीवन काल में व द्वितीय खलीफा उमर के समय भी दो वर्ष से अधिक समय तक प्रचलन में नहीं आया था। बाद में हजरत उमर ने कुछ विशेष स्थितियों में इसका प्रारम्भ किया। जब अरबों ने सीरिया, मिश्र व पर्शिया आदि पर विजय प्राप्त की तो उन्होंने वहां की स्त्रियों को अरब की स्त्रियों की तुलना में सुन्दर पाया और इसलिए उनसे विवाह करने के लिए उन्हें अपनी मौजूदा पत्नियों को तुरन्त एक साथ तीन तलाक सुनाकर तलाक देना चाहिए। यह शर्त अरबों ने शीघ्र मान ली क्योंकि वे जानते थे कि इस्लाम में तलाक दो पृथक् तुहर की अवधि में केवल दो बार अनुमन्य है तथा एक साथ इसकी पुनरावृत्ति इस्लाम के विरुद्ध है। शून्य है एवं प्रभावी नहीं होगा। इस तरीके से वे न केवल सुन्दर स्त्रियों से विवाह कर सकें बल्कि अपनी मौजूदा पत्नियों को भी रख सकें। यह तथ्य द्वितीय खलीफा हजरत उमर को सूचित किया गया। खलीफा उमर ने असदिग्ध पति द्वारा धर्म का दुरुपयोग रोकने के लिए यह निर्णय दिया कि एक साथ तलाक, तलाक, तलाक की पुनरावृत्ति करने से भी विवाह अखण्डनीय भंग हो जायेगा। यद्यपि खलीफा उमर का यह प्रशासनिक उपाय एक आपातकालीन स्थिति से निपटने को लिए था और स्थाई कानून बनाने का उद्देश्य नहीं था परन्तु दुर्भाग्य से हनफी विधिवेत्ताओं ने बाद में द्वितीय खलीफा की इस मात्र प्रशासनिक आदेश की शक्ति पर तलाक के इस प्रकार को न्याययुक्त घोषित किया और इसे धार्मिक मान्यता भी दी।

वर्तमान में जहां तक भारतवर्ष में इस तीन तलाक क कानून का प्रयोग हो रहा है यह मुस्लिम समाज द्वारा स्वयं आश्रय दिया गया है जिससे प्रायः महिलाये अत्यधिक असुविधा महसूस कर रही हैं। विशेष परिस्थितियों के लिए बनाया गया नियम सामान्य परिस्थितियों में प्रयोग करना अनुचित है। तीन तलाक का कोई सम्बन्ध पवित्र कुरान से भी नहीं है अतः इसकी तथ्यात्मकता पर प्रश्न चिन्ह? लगना जायज है।

तीन तलाक और पवित्र कुरान : इस्लामी विधिशास्त्र का परम स्रोत, पवित्र कुरान ने निर्दिष्ट नहीं किया कि एक सांस में तीन तलाक की घोषणा तीन पृथक् तलाकों का प्रभाव रखती है। **कुरान** में स्पष्ट सन्दर्भित पद है कि— “तलाक केवल दो बार ही अनुमन्य है उसके बाद पक्षकारों को यह तो साथ-साथ अपक्षपात शर्तों पर रहना चाहिए या दयालुता के साथ अलग-अलग रहना चाहिए।”

अरबी शब्द “मररतने” का इस पद में प्रयोग का अर्थ पुनरावृत्ति नहीं है परन्तु दो पृथक् अवसर पर तलाक को प्रभावी करना है। जैसा कि पद के प्रत्यक्ष अर्थ से स्पष्ट है कि दो भिन्न अवसरों पर दो तलाक घोषित करने के उपरान्त भी, पत्नी को रखने का अवसर काफी खुला हुआ है। तीसरे तलाक के पृथक् अवसर पर घोषणा से पहले। वास्तव में यह तीसरी तलाक की घोषणा तलाक हो अखण्डनीय बना देती है। और पत्नी को रखने का अवसर समाप्त हो जाता है जबकि कुछ विधिवेत्ताओं का मत कि शब्द ‘मररतने’ का अर्थ केवल तलाक शब्द को तीन बार तलाक कहना तलाक को प्रभावी करने का उद्देश्य प्रस्तुत करता है। इस प्रकार यह पद स्थापित करता है कि एक समय में तीन तलाक घोषित करने से अखण्डनीय तलाक नहीं होता है। जहाँ तक रही कुरान की बात तो इसके ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि एक समय में तीन तलाक घोषित करना अखण्डनीय रूप से तीन तलाक समझे जायें। विद्वान इस हद तक गये हैं कि तीन तलाक के मामले में सम्बन्धित पर एक निश्चित तथा स्पष्ट इस विषय पर निर्देश है कि वर्जित तलाक (मुगल्लजा) तभी होगा जब एक के बाद एक भिन्न-भिन्न अवसरों पर तीन तलाक घोषित किए जायें। इस प्रकार जैसा कि उपरोक्त सूक्ष्म परीक्षा की गयी है कुरान की सामग्री के आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सकता है कि एक अवसर पर तीन घोषणा करने से पहले एक तलाक का प्रभाव होगा।

हदीस (हजरत मोहम्मद साहब की परम्परा) के अनुसार तीन तलाक केवल तलाक की पुनरावृत्ति मुगल्लज या अन्तिम तलाक की नियत के बिना तलाक की पुनरावृत्ति या केवल मात्र बल देने के लिए या क्षणिक उत्तेजना से मुगल्लज नहीं होता है। कुछ परम्परायें इस बात का समर्थन देती हैं—

1. महमूद बिन लबीद ने सूचित किया कि अल्लाह के पैगम्बर ने एक आदमी के बारे में बताया जिसने अपने पत्नी को एक समय में तीन तलाक दिया जब वह कुपित हुए और कहा कि क्या तुम अल्लाह की किताब से खिलवाड़ कर रहे हो जो कि महान और कीर्तिमान है जबकि मे अभी तुम्हारे बीच में हूँ? इस पर एक सहाबी खड़े हुए और कहा कि क्या मैं उस व्यक्ति को जान से मार दूँ। यह किवदन्ति तीन तलाक के बुरा होने का स्पष्ट संकेत है क्योंकि यदि पुनरावृत्ति की अनुमति होती तो पैगम्बर इतने नाराज क्यों होते? स्वीकृति बातों पर नाराजगी क्या होती? अतः यह प्रश्न तीन तलाक के अस्वीकृत होने का प्रमाण है।
2. राकनाह बिन अबु यजीद के द्वारा दी गयी एक परम्परा है कि उसके अपनी पत्नी सहलमाश को अखण्डित तलाक दी और उसने अल्लाह के पैगम्बर को इसके बारे में बताया और कहा अल्लाह की कसम, मेरी नियत एक तलाक देने की थी। तब अल्लाह के पैगम्बर ने पूछा क्या तुम्हारी नियत एक तलाक की थी। रोकनाह ने कहा जी मेरी नियत एक तलाक की थी। पैगम्बर ने उसकी तरफ पीठ कर ली। बाद में उसने उसे दूसरी बार तलाक की बात कही। तीसरी बार हजरत उसमान के समय में तलाक दिया। उपरोक्त परम्परा में पैगम्बर को पीठ कर लेना तलाक की अपित्रता और सबसे बुरे काम का सूचक है।
3. खलीफ उमर के समय में जब लोगों ने इस सुविधा का दुरुपयोग करना शुरू किया और बहुत अधिक तीन तलाक में उलझे, एक तलाक देने की कसम खाकर अपनी पत्नी के पास वापस आये तो खलीफा हजरत उम ने यह निर्णय दिया कि तीन तलाक प्रभावी माना जाये। वह जोड़ों को एक दूसरे के साथ आने से मना किया क्योंकि शपथ खाने की सुविधा

बहुत लोगों में व्यर्थ हो गयी। इस निर्णय का उद्देश्य सिर्फ — 1. तलाक को रोकना था। 2. तलाक जैसे संजीदगी मामले की पुनरावृत्ति को समाप्त करना था। 3. तलाक के मामले की गैरजिम्मेदारी को रोकना था।

परन्तु आज के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रचलन बहुत अधिक क्षतिग्रस्त है। लोग क्षणिक उत्तेजना में एक समय में तीन तलाक देते हैं। तलाक की घोषणा की नीयत के बिना परन्तु प्रथम घोषणा को बल देने के लिए जिसे बाद में वह गम्भीरता से लेते हैं। जब वह महसूस करते हैं कि दुष्कृति समाप्त नहीं की जा सकती। इस दुष्कृति से समाज में पुरुष से अधिक महिलाओं की मानसिक और शारीरिक दुर्दशा होती है।

विधिवेत्ताओं की दृष्टिकोण में : तीन तलाक : इमाम अबु हनीफ का मानना है कि तीन तलाक का अर्थ है तीन बार अलग-अलग तलाक देना और इसके फलस्वरूप अन्तिम तलाक हो जाती है। पति का यह स्पष्टिकरण कि उसमें तीन तलाक पहली तलाक को जोर देने के लिए की थी, इससे विवाह विच्छेद की प्रकृति नहीं बदला जा सकता है और अन्तिम तलाक (मुगल्लाजा) हो जाती है। यही दृष्टिकोण अधिकतर हनफी विधिवेत्ताओं ने भी अपनाया है कि इस तरह से अन्तिम तलाक हो जाती है। यह विधिवेत्ताओं की दृष्टि से तो सही है परन्तु धर्म की दृष्टि से बुरी है। अर्थस्वरूप यह कहा जा सकता है कि न्यायालय द्वारा इस तरह की तलाक को प्रभावी किया जायेगा परन्तु इब्नतौमिया का मत है कि पति तलाक को तीन बार पृथक् रूप से नहीं कहता ता इसे एक बार तलाक माना जायेगा और यह अन्तिम तलाक नहीं होगा।

मुस्लिम शरीफ (हदीसों की एक किताब) में इब्ने अब्बास द्वारा एक हदीस प्रतिवेदित है — “प्रोफेट मोहम्मद, हजरत अबुबकर तथा खलीफा हजरत उमर के शुरू के दो वर्षों में तीन तलाक को केवल एक माना जाता था। हजरत उमर ने कहा कि लोग जिस मामले में उन्हें सोचने का समय दिया गया उसी में जल्दी करते हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि हम उसे प्रवर्तित कर दें। इसलिए इन्होंने तीन बार तलाक को तीन बार अलग-अलग तलाक मानकर प्रवर्तित कर दिया। दूसरी जगह यह भी कहा गया है कि हजरत उमर उन लोगों को जो कि तीन तलाक देते थे, को दण्डित किया करते थे। अतः इस बात से पुष्टि होती है कि वे लोगों को इस तरह के निन्दनीय कार्य के लिए हतोत्साहित करते थे, सुन्नी विधिवेत्ता जो कि तीन तलाक को तीन अलग-अलग तलाक या अन्तिम तलाक मानते हैं वे यह स्पष्टीकरण देते हैं कि उस समय में लोगों के तीन तलाक का अर्थ केवल एक तलाक होता था और बाद की दो तलाक पहली तलाक को जोर देने के लिए होती थी किन्तु आज के समय में तीन तलाक का अर्थ तीन अलग-अलग तलाकों के आशय से होता है इसलिए इसे एक तलाक नहीं माना जा सकता। परन्तु हनफी विधिवेत्ताओं का यह निर्वचन सामान्यतः स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह कुरान और हदीस में विवाह-विच्छेद के तरीके भी आत्मा विशुद्ध हैं जो कि यह कहता है कि विवाह-विच्छेद के मामले में पति और पत्नी के बीच सुलह की सभी सम्भावनाओं का उपयोग कर लेना चाहिए और यदि इच्छत अवधि में कोई समझौता न हो पाने पर तलाक अन्तिम हो जानी चाहिए। विवाह-विच्छेद की इस प्रक्रिया के पीछे मुख्य विचार यह है कि इस्लाम का आधारभूत कानून यह है कि दोनों पक्षकारों को सुलह का पूर्ण अवसर मिलना चाहिए।

शमीम आरा बनाम यू0पी0 सरकार के बाद में उच्चतम न्यायालय ने ‘तीन तलाक’ के प्रश्न को इस्लामिक विधि के अन्तर्गत स्पष्ट करते हुए कहा कि —पवित्र ग्रन्थ कुरान में तलाक की विधि यह है कि तलाक किसी समुचित कारण पर दी जानी चाहिए और इससे पहले पति-पत्नी द्वारा नियुक्त दो विचारक नियुक्त हों और वह सुलह के सभी प्रयास कर और जब ये प्रयास असफल हो जाये तब तलाक प्रभावी होना चाहिए। इस तरह उच्चतम न्यायालय ने भारत वर्ष में लागू तीन-तलाक के फार्मुले को अप्रत्यक्ष नकार दिया।

मुस्लिम समाज के कुछ सामान्य जनो के विचार : इस मुद्दे पर ज्यादा विचार विमर्श करने के पश्चात् मुस्लिम समाज के कुछ बुद्धिजीवि वर्गों से बात करने के पश्चात् एक सामान्य बात जो सबके विचारों में पायी गयी जो ये थी कि —

1. तीन तलाक सबसे ज्यादा अपवित्र कार्य है इसे पैगम्बर सबसे बड़ा गुनाह मानते हैं।
2. तीन तलाक एक साथ न मानकर एक तलाक बोलने के बराबर माना।
3. इसके कुछ निश्चित समय के अन्तराल के बाद दोनों पक्षों के लोगों के साथ सुलहनामों की कोशिश की जाती है।
4. पुनः एक माह के निश्चित समय के बाद सुलह की कोशिश किया जाए इसके पश्चात यदि निर्णय उसका तलाक की हो तब अन्तिम (मुगल्लाजा) तलाक माना जाएगा।

अतः तीन तलाक के बीच दो अन्तराल होने पर ही तीन तलाक सही है अन्यथा अवैध माना जाएगा।

उपसंहार : आज इक्कीसवीं सदी में भी तीन तलाक की अवधारणा धार्मिक तथा सांस्कृतिक पालने में पल करके मुस्लिम महिलाओं के लिए एक अभिशाप बनी हुई है। यद्यपि इसका आधार आस्था और विश्वास मात्र था किन्तु मुस्लिम समाज के एक वर्ग द्वारा इसकी व्याख्या सदैव गलत तरीके से की जाती रही जिसे आज भी जारी रखने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय व देश की संसद द्वारा तीन तलाक गैरकानूनी घोषित हो जाने के बाद भी स्त्री समाज में व्यावहारिक तौर पर विवाह विच्छेद की यह मानसिक प्रताड़ना स्पष्ट रूप से महसूस की जा रही है। इस लेख के माध्यम से मुस्लिम समाज के रूढ़िवादी वर्ग को समझाने व आइना दिखाने का एक प्रयास किया जा रहा है ताकि उन्हें पता चल सके कि तीन तलाक की अवधारणा सिर्फ और सिर्फ सतही है। कुरान कभी भी महिलाओं पर अत्याचार की अनुमति नहीं देता बल्कि समाज का रूढ़िवादी वर्ग धार्मिक आजादी का नाम देकर तीन तलाक व हलाला जैसी दकियानूसी व घृणित परंपरा को अमलीजामा पहनाता है। आज भूमंडलीकरण के इस युग में जब दुनिया विकास व तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है तब मुस्लिम समाज के भटके हुए वर्ग को भी अपने अबूझ रूढ़िवादी परंपरा में बदलाव लाना ही पड़ेगा।

मानव होने के नाते मानव के गरिमा की रक्षा करना एक मानवीय धर्म है जो धर्म और संस्कृति की रक्षा से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। हमें न सिर्फ सैद्धांतिक बल्कि व्यावहारिक स्तर पर भी मस्तिष्क और समाज से तीन तलाक की इस व्यवस्था को हटाना पड़ेगा तभी मानवाधिकार के इस पक्ष का स्थायी समाधान मिल सकेगा। अतः ये कहना गलत नहीं होगा कि देश को आज ऐसे समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है जो पीड़ित व वंचित वर्ग विशेषकर मुस्लिम समाज के कुछ परिवारों की बच्चियों व महिलाओं की रूढ़िवादी व दकियानूसी परंपराओं से रक्षा कर उनको अपने परिवार व समाज में बिना किसी भेदभाव व हिंसा का सामना किए गरिमामय व खुशहाल वातावरण में जीवन जीने का मौलिक मानवाधिकार दिला सके।

सन्दर्भ :

1. मुहम्मद अली, मैनुअल पृ० 284 नवम्बर 1 तैय्यबजी पृष्ठ 143, अमीर अली पृ० 472
2. सैयद युसूफ अकबर हुजैनी बनाम सैयद मुर्तजा अकबर हुसैनी ए० आई० आर० (1983) ए० पी० 225
3. साशबाई बनाम रबिया बाई बाद का निर्णय से लिया गया, 30 बम्बई 537
4. धारा 2, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, 1939
5. ए० आई० आर० 1977 कलकत्ता 90
6. कुरान, पृ० 229,
7. आई० एल० आर० (1905) 30 बाम्बे 537
8. ए० आई० आर० 2004 कर्नाटक 261
9. शमीन आरा बनाम यू० पी० सरकार जे० टी० 20021(7) सु० को० 320.
10. 9 दिसम्बर 2016, लेख ब्रह्मानन्द राजपूत मुस्लिम समाज को ओढ़ना होगा आधुनिकता का बुरका
11. प्रो० इकबाल अली खॉं, मुस्लिम विधि, सेंट्रल लॉ एजेन्सी

कर्मयोग से तनाव निवारण एवं सुखी जीवन

डॉ० कुमारी चम्पा*

*सहायक प्राध्यापिका, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, महाराजा कॉलेज वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा, बिहार

सारांश : उपभोक्तावादी प्रवृत्ति, विकास की अंधीदौड़, अचानक अमीर बनने की होड़, भौतिकवादी जीवन एवं तकनीकी प्रगति ने तनावपूर्ण वातावरण बनाने में अपनी भूमिका निभाई है। चिकित्सा विज्ञान, मनोविज्ञान एवं अन्य साधनों से यह सर्वविदित हो चुका है कि आज का मनुष्य कम कर्मकर के अधिक फल प्राप्ति करना चाहता है। मनुष्य की यही प्रवृत्ति तनाव का कारण बनती है।

मुख्य शब्द : कर्मयोग, उपभोक्तावाद, चिकित्सा विज्ञान, भक्तिकाल, कुरुक्षेत्र आदि।

श्रीमद्भगवद्गीता की दूसरे अध्याय के 47में श्लोक में यह कहा गया है कि कर्म करना हमारे हाथ में है, फल किसी और के हाथ में है इसलिए कर्म करते समय फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए पर इसका मतलब यह नहीं है कि हमें कर्म करना ही छोड़ देना चाहिए।

**“कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्तवकर्मणि”**

गीता के तीसरे अध्याय का नाम ही कर्म योग है। जिसमें बतलाया गया है कि निष्काम कर्म ही कर्म योग की श्रेणी में आता है। निष्काम कर्म को भगवान यज्ञ का रूप मानते हैं। हमें यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। अन्यथा कर्म नहीं करना चाहिए। गीता का उपदेश अत्यंत मनोवैज्ञानिक है। क्षणिक रूप में यह अत्यंत कठिन लगता है। आस-पास के लोगों की भौतिक तरक्की देखकर आमजन का मन तनाव से ग्रसित हो जाता है। लेकिन यह तरक्की तात्कालिक है, क्षणिक है, अस्थायी है। स्थाई सुख प्राप्त करने के लिए हमें गीता के आध्यात्मिकता की ओर जाना होगा। अन्यथा कर्म से बंधन उत्पन्न होता है। यह हमारे भीतर मोह, माया एवं इच्छा पैदा करती है। अतः हमें निष्काम कर्म करना चाहिए। कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है।

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्मयोग ने बहुत सारे दार्शनिकों को समाज सुधारकों एवं कवियों को प्रभावित किया है। जिसमें प्रमुख हैं स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, कबीरदास राष्ट्रकवि दिनकर आदि। सिर्फ अपने देश में नहीं बल्कि विदेशों के दार्शनिकों के विचारों को गीता से प्रभावित देखा गया है। शायद यही कारण है कि विश्व के कई भाषाओं में गीता का अनुवाद हो चुका है।

स्वामी विवेकानंद पर गीता के कर्म योग का गहरा प्रभाव पड़ा है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार गीता का कर्म योग हमें अनवरत कार्य करना सिखलाती है। बिना किसी स्वार्थ के परोपकार के लिए अपना कर्तव्य सर्वश्रेष्ठ तरीके से करना ही कर्म योग है। जब हम किसी कार्य को करते हैं तो उसमें कुछ अच्छाई और कुछ बुराई होती है। फिर भी हमें लगातार काम करने को कहा जाता है। क्योंकि अच्छाई और बुराई दोनों से कुछ निष्कर्ष निकलते हैं। अच्छे काम हम पर अच्छा एवं बुरे काम बुरा प्रभाव डालते हैं। गीता में यह बताया गया है कि यदि हम अपने कर्म में आसक्त नहीं हैं तो उस कार्य का हमारी आत्मा पर कोई बंधनकारी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जब हम निष्काम कर्म करेंगे तो स्वतः ही सारे परिणाम अच्छे होंगे। उसके बाद महात्मा गांधी ने गीता का अध्ययन किया और गीता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इस पर टीका लिख डाली जिसका नाम है “गीतामाता”। उन्होंने गीता माता में श्लोकों का सरल अर्थ देते हुए टीका की है। गांधीजी का विश्वास था कि जो मनुष्य गीता का भक्त होता है उसे कभी निराश नहीं होना पड़ता, वह हमेशा आनंद में डूबा रहता है। गांधीजी का मानना था कि उन्हें जन्म देने वाली माता तो चली गई पर गीता माता के शरण में जाकर ज्ञानामृत से तृप्त हो सकते हैं। गीता में लिखा गया है कि बिना अहंकार एवं तृष्णा के एकाग्रचित्त होकर कर्म करके कर्म पथ पर चलना श्रेष्ठकर है। इस प्रकार गीता से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा से सिर्फ भारत को ही आजादी नहीं दिलाई बरन पूरे विश्व को सत्य अहिंसा, शांति और प्रेम का पाठ पढ़ाया। सही मायने में महात्मा गांधी योगी भी थे और कर्मनिष्ठ भी। शायद इसलिए क्योंकि वह गीता से पूरी तरह प्रभावित थे।

महात्मा गांधी के अनुसार श्रीमद्भगवद्गीता हमें जीवन जीने की कला तथा नर से नारायण बनने का मार्ग दर्शन कराती है। इसलिए अनेक दार्शनिकों ने इसे कर्तव्य ज्ञान का कोश कहा है। गीता का एक संदेश कि संन्यास या त्याग ही मोक्ष का एक मात्र तरीका नहीं है, गांधी जी को बहुत पसंद आया। क्योंकि गांधीजी ने स्वयं सत्य और अहिंसा के बल पर एक कर्मयोगी बनने का कार्य किया है गांधीजी के अनुसार गीता की व्यवहारिकता यही है कि जिस धर्म का दैनिक जीवन में अभ्यास नहीं हो सकता वह सच्चा धर्म नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए गीता की सिर्फ भाषा ही नहीं बल्कि नैतिक शिक्षा भी आसानी से ग्रहण योग्य है।

भक्तिकाल के निर्गुण शाखा के ज्ञान मार्गी कवि कबीरदास हैं। कबीर के आगमन के समय हमारे समाज की सामाजिक व्यवस्था चरमराई हुई थी। जाति, धर्म, ढोंग, बुराई आदि कुरीतियों ने समाज को इस कदर जकड़ रखा था कि इंसान भले-बुरे का भेद भूल चुका था। इन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से समकालीन जनता को जागृत करने का कार्य किया है। आज भी इनकी वाणी अपनाने योग्य है। एवं इनकी वाणी परगीता का प्रभाव दिखता है। जैसे जब कबीर कहते हैं—

**“माया मरी न मन मआ, मरी मरी गया शरीर
आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर”²**

इस दोहे में हम देखते हैं कि कबीर हमारे भीतर की आशा तृष्णा को मिटाने की बात कहते हैं। यही तो गीता में भी कहा गया है कि निष्काम कर्म करना है एवं फल पाने की आशा में कार्य नहीं करना है।

इसी प्रकार कबीरदास ने बाहरी आडंबर ढोंग पर चोट करते हुए हमें झूठे दिखावे से दूर रहने को कहा है।

“मन ना रँगाए, रँगाए जोगी कपड़ा।।

आसन मारि मंदिर में बैठे,

ब्रम्ह—छाँड़ि पूजन लगे पथरा।।”

‘कनवा फड़ा जटवा बढ़ा ले,
दाढ़ी बाढ़ाय जोगी होई गेलें बकरा।।’
‘जंगल जाये जोगी धुनिया रमौले
काम जराए जोगी होए गैले हिजड़ा।।’
‘मथवा मुड़ा जोगी कपड़ा रंगौले,
गीता बाँच के होय गैले लबरा।।’
‘कहहिं ‘कबीर’ सुनो भाई साधो,
जम दरवजवा बाँधल जैबे पकड़ा।।’³

वस्तुतः यहां भी कबीरदास का मानना है कि हमें अपने मन कोई श्वर की भक्ति में रंगना है ना कि अपने वेशभूषा को। हम अपना बहुरूपिया वेष बनाकर ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर सकते। ब्रह्म का निवास हमारे भीतर ही होता है। और हमारे भीतर आत्मा है। आत्मा भी संतुष्ट होती है जब हम अच्छे कर्म करते हैं जैसा कि गीता में भी कहा गया है। इस प्रकार हम अच्छे कर्मकर आत्मा को संतुष्ट करेंगे तभी आत्मा परमात्मा से मिलेगी। तभी हमें सच्चे सुख की अनुभूति हागी।

कबीरदास धैर्यपूर्वक काम करने पर बल देते हैं उनका मानना है कि धैर्यपूर्वक परिश्रम करते रहिए समय आने पर फल अवश्य मिलेगा।

‘धीरे-धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय,
माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होय।’⁴

मन में धीरज रखने से सब संभव होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को सौ घड़ेपानी से भी सींचे तब भी फल ऋतु आने पर ही मिलता है। गीता में भी धैर्यपूर्वक काम करने पर बल दिया गया है। समय आने पर अपने कर्म का फल अवश्य मिलता है।

किसी भी युग का साहित्यकार अपने प्राचीन और नवीन विचारधाराओं से प्रभावित होकर अपने साहित्य को रचता है। दिनकर आधुनिक काल के प्रगतिवादी कवि हैं। इन्होंने अपनी रचना में तात्कालिक शोषित समाज को दर्शाते हुए उससे मुक्ति पाने की युक्ति भी सुझाई है। दिनकर ने गीता से प्रभावित होकर कुरुक्षेत्र की रचना की है गीता के तरह ही कुरुक्षेत्र में भी लिखा गया है।

‘व्यक्ति का है धर्म, तप, करुणा, क्षमा,
व्यक्ति की शोभा विनय भी, त्याग भी,
किन्तु, उठता प्रश्न जब समुदाय का,
भूलना पड़ता हमें उतप-त्याग को।’⁵

गीता में भी भगवान कृष्ण एवं अर्जुन का कुरुक्षेत्र में युद्ध करने की आवश्यकता नहीं थी किन्तु उन्होंने जनता को यह सिखाने के लिए युद्ध किया कि जब सत्य परामर्श असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हंसा आवश्यक हो जाती है। युद्ध के पूर्व निवारण के लिए भगवान ने स्वयं प्रयास किया था किन्तु दूसरा पक्ष लड़ने को तुला थ। अतः ऐसी स्थिति में युद्ध जरूरी है।

कुरुक्षेत्र लिखने के बाद दिनकर ने रश्मिरथी लिखकर समाज को एक नया दीपक दिखाने का काम किया है। उस समय समाज में व्याप्त दलितों की उपेक्षा का प्रश्न उठाते हुए लोगों को यह समझाने की कोशिश की है कि कोई भी इंसान अपने कर्मों से महान है ना की जाति से।

‘जाति-जाति रटते, जिनकी पूँजी केवल पाषण्ड।
मैं क्या जानूँ जाति? जाति हैं ये मेरे भुजदण्ड।।’⁶

इसमें गीता के कर्म योग की झलक मिलती है यहां कर्म के माध्यम से इंसान की पहचान की बात की गई है।

सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं जर्मनी के दर्शनशास्त्र के प्रोफेसर से पिनहारतो गीता के अनुवाद को पुस्तकालय में पढ़कर नाचने लगे थे। नाचने का कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि इतना बड़ा ज्ञान युद्ध के मैदान में दिया जा सकता है यह तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। इस प्रकार गीता के ज्ञान से देश और दुनिया के बहुत सारे लोग प्रभावित हुए हैं।

आधुनिक युग में कर्म योग अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के दौर में यह देखते हैं कि अधिकांश व्यक्ति अपने मतलब के लिए ही कर्म करते हैं। भौतिकवादी विकास ने हमारे भीतर प्रतिस्पर्धा का भाव पैदा कर दिया है। इसी ने हमारे घर के समुदाय के एवं देश के झगड़ों को जन्म दिया है। इन झगड़ों ने मनुष्य के भीतर आतंक एव डर पैदा कर दिया है। आज अमेरिका विकसित देशों में सबसे ऊपर है। यहां विज्ञान के विकास की सीमा सर्वोपरि है। फिर भी इस देश के नागरिक अत्यधिक बेचैन रहते हैं और तनावग्रस्त होने के कारण उन्हें सोने के लिए नींद की गोलियों का सहारा लेना पड़ता है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं भारत में भी ऐसा हो रहा है। आज की पीढ़ी को संस्कृति सोच एवं व्यवहार से कोई सरोकार नहीं है। सभी को सब कुछ चाहिए पर उसके लिए काम कोई नहीं करना चाहता। जितनी तेजी से हम भारतीय संस्कृति से दूर जा रहे हैं, उतनी ही तेजी से पश्चात संस्कृति हम पर हावी हो रहे हैं। इतनी सुविधाओं से लैस होने पर भी मनुष्य बेचैनी दुख और संताप झेल रहा है। व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रोगी होता जा रहा है। आज लोग अपने स्वार्थ के खातिर हर कुकर्म करने को तैयार हैं। जंगल काट रहे हैं, पहाड़ काट रहे हैं, भाई-भाई को काट रहे हैं, जीव हत्या कर रहे हैं, इससे जैवविविधता में कमी आएगी, प्रदूषण बढ़ेगा एवं हमारा पारितंत्र प्रभावित होगा। यह हमारे जीवन में तनाव को बहुत बढ़ाएगा। इसीलिए हमें प्रकृति से जुड़कर रहना होगा गीता का यज्ञ कर्म भी इसी पर जोर देता है कि हमें प्रकृति के साथ उत्तम व्यवहार करना चाहिए। हमें शुद्ध सात्विक भाव से परोपकार का कार्य करते रहना चाहिए एवं फल की इच्छा ना करते हुए ईश्वर के लिए समर्पित होकर कर्म करना चाहिए। तभी तनाव का पूर्ण रूप से निवारण हो सकता है।

एक कर्म योगी को अच्छी सोच रखने की आवश्यकता है। इसी सोच के सहारे अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। हमें ज्यादातर कार्य सेवा भाव को ध्यान में रखकर अनुशासित होकर करनी चाहिए। बहुत सारे लोग इस संसार में हैं जिन्होंने अच्छे कर्म किए पर उन्हें उस कर्म का फल नहीं मिला। फिर भी उन्हें तनाव नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने फल पाने को कामना नहीं की थी। स्वामी विवेकानंद, कबीरदास, महात्मा गांधी जैसे दार्शनिकों को भी कभी तनाव नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने कर्मफल पाने के लिए

नहीं किया था। उनके कर्म में सेवाभाव छिपा था। उनका कर्मनिष्काम था। इसी कारण उन्हें तनाव नहीं हुआ। इस प्रकार यदिपूर्ण रूप से तनाव से मुक्ति पाना चाहते हैं तो हमें गीता के कर्म योग का आत्मसात करना होगा।

आधुनिक जीवन शैली ने मन एवं शरीर के सामंजस्य में असंतुलन पैदा कर दिया है। लेकिन कर्म योग के द्वारा मनुष्य खुशहाल एवं शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकता है। कर्म योग करने से दूसरों के प्रति हमारे भीतर पनपने वाले बुरे ख्याल समाप्त हो जाते हैं। और हमारे भीतर शांति का प्रवेश हो जाता है। कर्म योग करने से धैर्य बढ़ता है। धैर्य बढ़ने से हमारे भीतर क्रोध एवं अहंकार घटता है। कर्म योग के द्वारा हम पुरानी बातें भूलते हैं एवं आने वाली नई चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इससे हमारे भीतर एकाग्रता की क्षमता का विकास होता है, हमारी कार्य क्षमता में सुधार होता है, कार्य क्षमता बढ़ने से हमारे भीतर की नकारात्मकता दूर होती है और हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए हर कार्य में अपना बेहतर प्रदर्शन करते हैं। कर्मयोगी परिणाम की चिंता नहीं करते हैं। हम सफलता एवं विफलता को समभाव से देखते हैं। राजा जनक सीता माता के पिता एवं राजा रामचंद्र के ससुर थे। वह एक स्वरूप सिद्ध राजा भी थे। वह कर्म करने के लिए बाध्य नहीं थे। फिर भी सारे नियत कर्म करते थे, क्योंकि उन्हें अपनी प्रजा को शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता है।

राजा जनक एवं उनकी प्रजा ने नियत कर्म किया और फल की चिंता नहीं कि तभी उन्होंने खुशहाल जीवन जिया। आज के नेता एवं आम लोगों को गीता के कर्मयोग से सीख लेने की आवश्यकता है। उनसे सीख लेकर हम खुशहाल जीवन जी सकते हैं।

कोरोना काल में हमें मानवता की गिरी हुई सीमा की झलक दिखाई पड़ती है। जब समाचार में यह वीडियो दिखाया गया कि एक प्रोफेसर बेटे ने अपनी विकलांग मां को छत की ऊपरी मंजिल से फेंक दिया और मां की मृत्यु हो गई। मुंबई में भी एक मां अपने बेटे का इंतजार करते-करते अपने फ्लैट में ही बिस्तर पर ही अपना दम तोड़ देती है। उसका बेटा इतनी देर बाद पहुंचता है कि सिर्फ उसका कंकाल बेड पर पड़ा मिलता है। क्या हम इसीलिए इतना पैसा कमाते हैं और तनावपूर्ण जीवन जीते हैं? यदि प्रोफेसर बेटा भी नियत कर्म करता और कर्म योग के मार्ग पर चलता तो वह कभी भी अपनी मां को छत से नीचे नहीं फेंकता। बल्कि वह उनकी सेवा करता और उसी में खुशहाली होती। एक बेटे को इतना काम था कि मां के मरने के बाद भी नहीं कंकाल बनने के बाद आया। इसका मतलब है कि उनसे इस बीच अपनी मां से बात ही नहीं किया। हमारा भारतीय समाज पाश्चात्य की नकल कर, अपने गीता के ज्ञान को भुलाकर दुख, निराशा एवं तनाव के दलदल में समा रहा है। अमेरिका में रहने वाला बेटा यदि मां के साथ होता तो मां और भी अधिक दिन जीवित रह सकती थी। एवं बेटे के साथ खुशहाल जीवन जी सकती थी।

आज लोगों को सब कुछ नियत कर्म के द्वारा मिल सकता है। जीवन एक प्रतिध्वनि है यदि हम किसी की भलाई करते हैं तो कोई और हमारी भलाई करता है महाभारत में पांडवों ने न्याय के लिए युद्ध किया। उन्हें पता नहीं था कि जीत किस की होगी। उन्होंने परिणाम की चिंता किए बिना नियतकर्म समझकर युद्ध किया और परिणाम उनके पक्ष में हुआ। भगवान बुद्ध बहुत बड़े चिकित्सक एवं मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने ढाई हजार वर्ष पूर्व ही कहा था कि खुश रहना है ता चाह एवं अहंकार से दूर रहना होगा। इस प्रकार विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि गीता के कर्म योग कोना सिर्फ पढ़कर वरन अपने जीवन में आत्मसात कर सुखी जीवन जी सकते।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि श्रीमद्भगवद्गीता की कर्मयोग को जीवन में अपनाकर तनाव का पूर्ण रूप से निवारण किया जा सकता है। जब हम तनाव मुक्त होंगे तब रोग मुक्त होंगे और प्रसन्नचित से किसी कार्य को करेंगे तभी सच्चा सुख मिलेगा।

सन्दर्भ :

1. श्रीमद्भगवद्गीता, गीताप्रेस, गोरखपुर, द्वितीय अध्याय, श्लोक संख्या 47
2. कबीर ग्रंथावली (संपा) श्यामसुंदरदास, नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी, मायाको अंग साखी संख्या 11
3. कबीर वाणी, अली सरदार जाफरी, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ 70
4. <https://poemgyan.com/kabir-ke-dohe-dheere-dheere-re-mana-meaning-in-hindi/>
5. कुरुक्षेत्र, रामधारी सिंह दिनकर, राजपाल एंड संस, कश्मीरीगेट, नई दिल्ली, द्वितीय अध्याय, पृ 23
6. रश्मिरेथी, रामधारी सिंह दिनकर, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद, प्रथम सर्ग, पृ 15

भारत में आवास नीति और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण

अनुज कुमार*

*शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग, बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ, उ०९०

सारांश : यह शोध-पत्र भारत में आवास नीति और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को रेखांकित करता है। मकान केवल आश्रय और निवास स्थान नहीं होता बल्कि यह मानव की ऐसी संपत्ति है जिससे उसकी आजीविका के साधन उपलब्ध होते हैं और जो उसकी सामाजिक स्थिति का प्रतीक होने के साथ-साथ सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का एक माध्यम भी होता है प्राकृतिक परिवेश के अनुरूप सुरक्षित और सुविधायुक्त घर व्यक्ति को मौसमी परिस्थितियों से अवसर प्रदान करता है और उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा का, नए सामुदायिक विकास कार्यक्रम और 1987 से 90 के दशक में लाई गई राष्ट्रीय आवास नीतियां काफी हद तक आवासों की कमी को दूर करने में कारगर रही इसके अतिरिक्त उन नीतियों ने आवासों के क्षेत्रफल सुधरे हुए स्वरूप तथा वासियों के प्रति स्थाई दृष्टिकोण में भी बहुत बड़ा परिवर्तन किया। इन नीतियों और कार्यक्रमों के बाद स्वतंत्र रूप से गरीबों को आवास मुहैया कराने के लिए प्रथम प्रयास इंदिरा आवास योजना के रूप में 1980 में किया गया। यह शोध पत्र पूर्व के अध्ययन से अलग है एवं समाज के लिए महत्वपूर्ण है। शोधपत्र पुस्तकालीय एवं विश्लेषणात्मक विधि पर आधारित है। यह अध्ययन शोधार्थियों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है।

मुख्य शब्द : आवास नीति, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, औपनिवेशिक राज, समानतावादी सिद्धांत, पंचवर्षीय योजना आदि।

इंदिरा आवास योजना ने ग्रामीण भारत में आवासों की समस्या को दूर करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया परंतु इसके बावजूद आवासों की समस्या पूरी तरीके से दूर नहीं हो पाई, इंदिरा आवास में इंदिरा आवास योजना में व्याप्त कमियों को दूर करने के लिए और देश में प्रत्येक व्यक्ति को अपना पक्का मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एनडीए सरकार ने 19 नवंबर 2016 को सन् 2022 तक सबको आवास मिशन के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का शुभारंभ किया, जिसने विगत 6 वर्षों में काफी तत्परता के साथ निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की है और ग्रामीण भारत में आवासों की समस्या का समाधान करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की प्रस्तुत लेख में हम भारत में महत्वपूर्ण आवास नीतियों के विकास और उपलब्धियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का अध्ययन करेंगे।

आवास नीति के संबंध में 1947 के बाद ही योजनाबद्ध तरीके से कार्य आरंभ हुआ आजादी से पूर्व जिस समस्या कि वो कुवैत नहीं किया गया था परंतु औपनिवेशिक राज की दो माह उन बातों ने स्वतंत्र भारत के आवास ढांचे को प्रभावित किया। भारतीय वर्गों के प्रति जानबूझकर उपेक्षा दिखाई गई इसका परिणाम हुआ बस्तियों का अलग-अलग होना। यह बात दुर्भाग्यपूर्ण है कि पश्चिम में विकास के संदर्भ समानतावादी सिद्धांत अपनाया गया था भारत में उसकी उपेक्षा की गई इसके विपरीत कमजोर वर्ग के लिए जो आवासीय छेद पहले से थे ये जो नए बनाए गए उनकी भी उपेक्षा की गई उन्हें विकसित करने के साधन नहीं जुटाए गए और ना इधर ध्यान दिया गया। गृह निर्माण के लिए वित्तीय सहायता का लाभ केवल समृद्ध और उच्च मध्यवर्ग को ही मिला या बाद में अधिकांश भारतीय नगरों में बनी अलग-अलग बस्तियों में साफ दिखाई देती है दूसरी मुख्य बात जिसने आवासीय स्थिति पर प्रभाव डाला वह थी कि राय और किरायेदारों के संबंध में पाबंदी और कानून जो 1939 के मुंबई किराया पाबंद नियम के बाद प्रारंभ हुआ यदि मकान मालिकों द्वारा मकानों की भारी कमी वाले क्षेत्रों में अधिक मुनाफाखोरी रोकने के लिए तदर्थ सकटकालीन उपाय किए गए थे परंतु यह बातें अभी तक चली आ रही हैं।

आजाद के बाद आवास संबंधी परिपेक्ष में परिवर्तन तब आया जब यह तथ्य स्वीकार कर लिया गया कि सरकार को इस दिशा में सीधे और सकारात्मक ढंग से काम करना चाहिए आवास संबंधी क्षेत्र में समानता की बात आजादी के आरंभिक दिनों में प्रथम पंचवर्षीय योजना में झलकती है उसमें कहा गया था जहां तक निम्न आय वर्ग के लिए आवासों का संबंध है व्यक्तिगत औद्योगिक उद्योगपति यह काम नहीं कर सकते क्योंकि निम्न आय वर्ग के लोग सामान्य स्तर के घर का लाभदायक किराया नहीं दे सकते। इस प्रकार इस मूल समस्या को आर्थिक समस्या के रूप में पहचान लिया गया यह समस्या भी मकानों को मूल्य और खरीदने की स्थिति के बीच का अंतर है इसका आधार या मानक गुणवत्ता का स्थान जिसका आरंभिक दिनों में कानून के आकार और उसमें लगे सामान के रूप में आश्रय स्थल की शिकार स्थिति है।

आवासीय समस्याओं के समाधान संबंधी योजनाओं पर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के दशक में केंद्रीय स्तर पर काम प्रारंभ हुआ परंतु आगामी दशक में यह योजनाएं राज्य सरकारों को दे दी गई विभिन्न राज्य सरकारों ने पुरानी योजनाओं में यथा अधिकतम मूल्य सीमा सहायता देने का ढंग और उसके लिए पात्रता आदि के साथ कई परिवर्तन करके लागू किया परंतु साठ के दशक में मूलभूत ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ इस काल में विशेषज्ञ अनुसंधानकर्ताओं तथा सरकारी क्षेत्र के योजनाकार और उन्हें लागू करने वालों ने आवास कर्मियों की कमी जरूर अनुभव की क्योंकि इन सारे कार्यक्रमों के लिए बाहरी आर्थिक सहायता की आवश्यकता इस तरह के कार्यक्रम की सीमित सफलता और इसके कारणों का 60 के दशक के आरंभ में ही पता चल गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम की विफलता के बहुत से कारणों का पता चला जिस में भूमि अधिग्रहण की बिकारु प्रक्रिया गंदी बस्तियों के निकट स्थान का ना मिलना और अधिक दाम गंदी बस्तियों में रहने वालों को रियायती आर्थिक सहायता मुक्त किराया देने की क्षमता तथा उनको साफ किए जाने वाले स्थान को हटने की अनिच्छा आज के कई कारण थे जिनसे इन योजनाओं को आंशिक सफलता ही मिलता है।

गृह निर्माण योजना के संबंध में 70 का दशक महत्वपूर्ण रहा क्योंकि इस दशक के इस महत्वपूर्ण नीतिगत दृष्टिकोण को अपनाया गया जिनमें प्रथम है गंदी बस्ती वाले क्षेत्रों से संबंधित कार्यक्रम पहले उनकी सफाई हो पर्यावरण में सुधार के लिए उन्हें दूसरे स्थानों पर बताने की बात सुनिश्चित परिवर्तन है दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन है आवासों के लिए इसके महत्व को समझना और इस काम के लिए विशिष्ट संगठनों की स्थापना करना साठ के दशक के मकानों के लिए भूमि संबंधी नीतियों से संबंधित महत्व के बारे में कहा जाता रहा 70 के दशक में मकानों के लिए खास कदम उठाए गए। गंदी बस्तियों में पर्यावरण विकास संबंधी केंद्र की

योजना प्रभावी ढंग से 1972 में लागू कर दी गई। योजना आयोग द्वारा निर्मित कार्यकारी दल ने उन तत्वों का सार प्रस्तुत किया जिसके कारण इस परिवर्तन का शुभारंभ हुआ। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से पचासी मकानों के लिए स्थानों और सेवा योजना में यह महत्वपूर्ण काम किया गया अनुभवों के मकानों के क्षेत्रों से स्थान और सेवा की सहायता दी जानी चाहिए। इस अवधि काल में भारत सरकार ने आवास कमी को दूर करने के लिए 26 से अधिक आवास योजनाएं बनाई जिसके अंतर्गत 1990 पॉइंट 87 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। सन् 1987 से सन् 2001 तक आवास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास किए गए 21-22 मई 1987 में राष्ट्रीय आवास नीति के निर्धारण के लिए आवास मंत्रियों के सम्मेलन में कई प्रकार के आवास संबंधी विषयों के बारे में प्रस्ताव रखे गए। सम्मेलन में आठवीं लोकसभा की आकलन सभमति 185-86 की सिफारिशों का आकलन करने के बाद सुझाव दिया कि ग्राम पंचायतों को ग्रामीण आवास निर्माण कार्यक्रमों में भागीदार बनाना चाहिए साथ ही यह भी कहा कि ग्राम पंचायतें मकानों के निर्माण के लिए स्थान देने और उस वर्ग के लोगों को छांटने के काम में अपना योगदान दें। सम्मेलन में विचार किया गया कि ग्रामीण आवास योजना को तब और भी प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा जब संबंध में उन्हें क्रियान्वित करने में भागीदार इसलिए समझा देता है कि सामुदायिक विकास खंडों सहित पंचायत स्तर पर पुराने ढांचे को बदलकर ग्रामीण आवास कार्यक्रमों में विशेष सहायता के लिए बल देते हुए सहकारी समितियों को पुनर्गठित किया गया सन् 1987 में राष्ट्रीय आवास नीति के संबंध में तैयार किए गए प्रारूप में कमियों को देखते हुए भारत सरकार ने मई 1988 में इसे संशोधित करने का प्रयास किया और राष्ट्रीय आवास नीति 1988 का निमायण किया। राष्ट्रीय आवास नीति 1988 के उद्देश्य प्राथमिकताएं एवं नीतियां निम्नलिखित हैं।

उद्देश्य : अ. सभी व्यक्तियों विशेष रूप से ग्रामीणों तथा नये लोगो को भूमि सामाग्रियों तथा वित्त व्यवस्था के माध्यम से अपने लिए समर्थनीय आवास प्राप्त करने के लिए प्रेरणा देना तथा सहायता देना। ब. अष्ट के आवास भंडार की सुई स्थिर वृद्धि और इसका उपयोग संरक्षण नवीकरण तथा उन्नयन की उपलब्धि की दृष्टि से आवास से पूंजी निवेश को प्रोत्साहन देना। स. सभी प्रयासों को अधिक से अधिक बढ़ाने में निवेश प्रदान करने हेतु बाधाओं को दूर करके तथा कुशल व अधिगम में पद्धति का विकास करके एक समर्थ वातावरण का सृजन करना। द. पेयजल स्वच्छता तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था कर के जीवन स्तर में सुधार करने की दृष्टि से मानव बस्तियों में वातावरण में सुधार करना।

राष्ट्रीय आवास नीति 1990 : कांग्रेस सरकार द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय आवास नीति 1988 को लागू नहीं किया जा सके क्योंकि इस समय कांग्रेस सरकार विरोधी दल के रूप में अस्तित्व में थी अर्थात् श्री बी. पी. सिंह की सरकार ने सन् 1990 में फिर से आवाज को तैयार करवाया सन् 1990 वाले राष्ट्रीय नीति के बारे में भूमि की आपूर्ति और प्रबंध तथा अधिवास बस्तियां आवास वित्त आर्थिक सहायता की भूमिका भवन सामग्री और प्रौद्योगिकी विषमताओं का निराकरण विधिक संरचना सरकार निवेश योजना राज्य स्तर पर एक्शन प्लान को महत्व दिया गया।

राष्ट्रीय आवास नीति 1992 : केंद्र में सत्ता परिवर्तन होने के कारण राष्ट्रीय आवास नीति 1990 का भी सफल क्रियान्वयन नहीं हो सका। 1991 में बनी कांग्रेस सरकार ने राष्ट्रीय आवास नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन करते हुए नई राष्ट्रीय आवास नीति 1992 का निर्माण किया। पिछले प्रयासों से स्पष्ट हो गया की आवास ही कठिन समस्या है जिसका सीधा समाधान बहुत मुश्किल है अतः कुछ वैकल्पिक कार्य किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। आवास नीति राज्य और शहर स्तर पर निर्धारित की जानी चाहिए क्योंकि संविधान में हाउसिंग राज्य का विषय है पूर्व योजनाओं में आवास योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए। इसके अलावा आवास सहायता नीतियों को स्वीकार करने के लिए स्थानीय जरूरतों को समझना भी महत्वपूर्ण माना गया क्योंकि स्थानीय सरकारों के पास अपनी जनता आवास स्थिति का अंदाज लगाने की सूचना प्राप्त करने का आधार होता है। इस प्रकार पुरानी नीतियों में भागीदार की समस्या का समाधान करते हुए आवास में राज्य नगरों और स्थानीय संस्थाओं की सहभागिता को सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

इंदिरा आवास योजना : इंदिरा आवास योजना की उत्पत्ति 1980 में फार्म भारतीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की साथ होती है ग्रामीण भूमिहार ओजार गारंटी कार्यक्रम के तहत मकानों का निर्माण किया जाना प्रमुख कार्यकलापों में से एक था इंदिरा आवास योजना की शुरुआत आर्थन ईजीपी की एक उपयोजना के रूप में की गई और इसके बाद या वर्ष 1989 में प्रारंभ जवाहर रोजगार योजना किए उपयोजना के रूप में जारी रही 1 जनवरी 1996 को यह एक स्वतंत्र योजना बन गई।

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में मकान बनाने के लिए 450000 प्रति आवास और पर्वतीय क्षेत्रों में मकान बनाने के लिए 485000 प्रति आवास सहायता राशि दी जाती है जो 1 अप्रैल 2010 से लागू है किसी मकान के जीर्णोद्धार के लिए रु की धनराशि दी जाती थी इसके अतिरिक्त माओवाद आतंकवादी प्रभावित 60 जिलों को 485000 प्रति इकाई की तरफ से सहायता राशि प्राप्त कराई जाती थी इसके लिए केंद्र तथा राज्यों द्वारा वित्तपोषण का 50:50 के आधार पर वह किया जाता था।

यद्यपि इंदिरा आवास योजना ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों की मकान संबंधी जरूरतों को पूरा करती थी फिर भी वर्ष 2014 में समवर्ती मूल्यांकन और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की निष्पादन लेखा परीक्षा के दौरान अनेक कमियों का पता चला यह कमियां थी मकान की कमी का निर्धारण न कर पाना मकान की खराब गुणवत्ता तालमेल का अभाव रेड की अनुपलब्धता लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता का ना होना कमजोर निगरानी तंत्र आर संबंधित अधिकारियों की योजना के प्रति गंभीरता का ना होना इन समस्याओं की फल फ्रूट ग्रामीण आवास कार्यक्रम में परिवर्तन लाने के लिए सरकार को प्रेरित किया तत्कालीन सरकार ने सन् 2022 तक सभी को मकान उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता के साथ इंदिरा आवास योजना के स्थान पर 1 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को प्रतिस्थापित कर दिया।

प्रधानमंत्री आवास योजना : ग्रामीण : भारत विभिन्नता से भरा एक विशाल देश से जहां एक स्पीकर से अधिक जनसंख्या निवास करती है एक विकासशील और लोक कल्याणकारी राज्य होने के नाते देश के नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक से शैक्षिक विकास के लिए सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका अपरिहार्य है आवास वक्त की मूलभूत आवश्यकताएं महत्वपूर्ण स्थान रखता है। देश में आजकल ग्रामिण क्षेत्रों में अत्यधिक आर्थिक असमानता और गरीबी होने के कारण एक बेहतर और सुरक्षित मकान बनाना समस्त नागरिक के बस की बात नहीं है अतः यह कार्य सरकार द्वारा जिम्मेदार पूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए।

इसी कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा 2016 में घोषित प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से आवास योजना के तहत पक्के मकानों को प्राथमिकता देते हुए गंभीरतापूर्वक प्रयास किए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत

देश के सभी बेघर परिवारों और कच्चे तथा जीण क्षीण मकानों में रह रहे परिवारों को 2022 तक पक्का तथा सुविधा संपन्न आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। इसके अंतर्गत वर्ष 2016-17 से 2018-2019 तक के तीन वर्षों में बेघर परिवारों या कच्चे मकानों में रहने वाले एक करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचाना निश्चित किया गया।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की प्रमुख विशेषताएं : प्रधानमंत्री आवास योजना के आयोजित योजनाएं जिसके लिए केंद्र सरकार संपूर्ण देश में हवाओं के लक्ष्य का निर्धारण करती है इस योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं—

1. 2016-17 से 2018-19 तक 3 वर्ष की अवधि में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में एक करोड़ आवास निमायण के लिए सहायता उपलब्ध कराना
2. आवास निर्माण के लिए जगह को 20 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 25 वर्गमीटर तक किया जाना।
3. मैदानी क्षेत्र में सहायता धनराशि को 70 हजार से बढ़ाकर एक लाख 20 हजार रुपये और पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्रों में 75000रु से बढ़ाकर एक लाख 30 हजार रुपये तक किया जाना।
4. केंद्र राज्य सरकारों के बीच की सहायता का वहन मैदानी क्षेत्र में हाथ अनुपात 40 के आधार पर तथा पूर्व तो तीन हिमालय राजू जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 90 अनुपात 10 के आधार पर किया जाएगा।
5. योजना के माध्यम के अलावा स्वच्छ भारत मिशन या मनरेगा के साथ या अन्य समर्पित स्रोत से शौचालय के लिए 12000रु रुपये का और 19/95 दिनों की अकुशल मजदूर का प्रावधान किया जाता है।
6. यदि लाभार्थी चाहे तो उन्हें वित्तीय संस्थाओं से 70000रु तक की ऋण सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।
7. लाभार्थी का निर्धारण ग्रामसभा द्वारा मकानों की कमी और सामाजिक, आर्थिक जाति जनगणना 2011 के आंकड़ों में दर्शाए गए सामाजिक अपवर्जन मानदंडों के आधार पर होता है

लक्ष्य और उपलब्धियां : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 2022 तक सबको आवास उपलब्ध कराने के सपने को पूरा करने के लिए लक्ष्यों का निर्धारणवद्ध तरीके से किया जाता है जिसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष के अनुसार लक्ष्यों का निर्धारण मकानों की स्वीकृति और पूर्ण रूप से आवास निर्माण का विवरण रखा जाता है सन 2016 में आरंभ की गई प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लक्ष्य का निर्धारण स्वीकृति और किए गए मकानों का विवरण इस प्रकार है—

वित्त वर्ष	लक्ष्य	स्वीकृति आवास	पूर्ण आवास
2016-17	4232368	4190991	3985353
2017-18	3153872	3130529	2973827
2018-19	2513662	2609864	2422576
2019-20	5862199	5643710	4897939
2020-21	4369690	4143223	2978724

— स्रोत भारतीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, वार्षिक नेशनल लेवल रिपोर्ट

निष्कर्ष : रोटी, कपड़ा और मकान मानव मात्र की तीन मूलभूत आवश्यकताएं हैं। आज के बदलते परिवेश में मकान मनुष्य के लिए एक आवश्यक और बुनियादी जरूरत है क्योंकि आवास जहां व्यक्ति के लिए एक सामाजिक, आर्थिक पहचान रखता है, वहीं यह उसकी अर्थव्यवस्था ने भी महत्वपूर्ण योगदान देते हुए राष्ट्रनिर्माण में अहम भूमिका का निर्वहन करता है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत से ही सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं से लेकर के देश के समस्त नागरिकों को एक पक्का बेहतर आवास उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न राष्ट्रीय आवास नीतियों का निर्माण किया, जिसमें 'राष्ट्रीय आवास नीति 1988', 'राष्ट्रीय आवास नीति 1990', 'राष्ट्रीय आवास नीति 1992', 'इंदिरा आवास योजना' तदोपरान्त 2014 में सत्ता में आई एन.डी.ए. सरकार द्वारा '2022 तक सबको आवास' प्राप्त कराने की महत्वाकांक्षा के साथ सन 2016 में प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री आवास योजना भारतीय ग्रामीणों को सुंदर और सुरक्षित आवास उपलब्ध करवा रही है। इस प्रकार प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण अपने निर्धारित लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करते हुए भारत सरकार की एक सफल और महत्वाकांक्षी योजना बन गई है।

सन्दर्भ :

1. कटार सिंह, अनिल सिसौदिया, ग्रामीण विकास सिद्धांत, नीतियां, रूम प्रबंध 2018 से पब्लिकेशन, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली
2. प्रथम पंचवर्षीय योजना, भारत सरकार, 1951-56, योजना आयोग, नई दिल्ली
3. एरोमर रेवी, 1990, "सेंटर्स इन इंडिया" हर आनंद पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
4. आर० एल० सहगल, 1993, भारतीय आवास नीति, के पी पब्लिक सर एंड डिस्ट्रीब्यूटर अशोक विहार, डी. डी. प्लैट, दिल्ली
5. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 1988, नेशनल हाउसिंग पॉलिसी, आवासीय और शहरीविकास मंत्रालय, नई दिल्ली
6. राष्ट्रीय आवास नीति, दस्तावेज, 1992, भारत सरकार
7. प्रधान मंत्री आवास योजना, ग्रामीण दस्तावेज क्रियान्वयन तथा फ्रेमवर्क, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
8. नेशनल लेवल रिपोर्ट, 2016-2017, भारत सरकार
9. नेशनल लेवल रिपोर्ट, 2021-22, भारत सरकार
10. अमर उजाला, 31 मार्च 2018, लखनऊ
11. Swetha Mishra, 1996, Rural housing problems and studies kurukshetra, May-June
12. Indira Hirway, 1987, Housing for the Rural poor Economic and Political weekly, August 22

जल संकट और घटते भूजल स्तर के दुष्परिणाम

डॉ० नीरजा माहेश्वरी*

*एसो० प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, आगरा कॉलेज, आगरा

सारांश : यह शोध-पत्र जल संकट और घटते भूजल स्तर के दुष्परिणामको रेखांकित करता है। जल ही जीवन है। जल के अभाव में मानव जीवन की कल्पना करना भी निरर्थक है और जल का विकल्प मात्र जल है। वैसे भारत देश जल संसाधनों के मामले में अन्य देशों से बेहतर स्थिति है। हमारे यहाँ उपजाऊ भूमि और जल संसाधनों का पर्याप्त भण्डार रहा है। इसी कारण भारत को पुरातन काल से लेकर आधुनिक काल तक कृषि प्रधान देश कहा जाता रहा है। यह शोध पत्र पूर्व के अध्ययन से अलग है एवं समाज के लिए महत्वपूर्ण है। यह अध्ययन शोधार्थियों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है।

मुख्य शब्द : जनसंख्या, भारतीय संस्कृति, औद्योगीकरण, शहरीकरण, जलवायु आदि।

वर्तमान समय में भारत में विश्व की लगभग 17 प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है और पानी मात्र 4 प्रतिशत भाग जलीय है, जो महासागरों, सागरों एवं अन्य जलीय स्तरों के रूप में अवस्थित है लेकिन इसका 3 प्रतिशत भाग ही मृदुजल है शेष 97 प्रतिशत जल खारे जल के रूप में उपलब्ध है। इस 3 प्रतिशत मृदुजल का दो रिहाई हिस्सा हिमखण्ड, हिमनंद व अन्य अनुपलब्ध स्तरों के रूप में विद्यमान है। इस प्रकार सम्पूर्ण विश्व का मात्र 1 प्रतिशत भाग ही जल है जो पेयजल के रूप में उपलब्ध है, जिसका वर्ग व अन्य विधियों से नवीनीकरण होता रहा है। लेकिन अगर भारत की बात करें तो यहाँ उपलब्ध कुल जल मात्रा का लगभग 10 प्रतिशत जल पीने योग्य है। अन्य देशों से शुद्ध जल की उपलब्धता में भारत की स्थिति मजबूत है, लेकिन आज के इस तकनीकी दौर में भूगर्भ से जिस प्रकार जल का दोहन हो रहा है, उस हिसाब के भारत में जल्द ही पेयजल का संकट उत्पन्न होने वाला है। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का दोहन और बर्बादी ज्यादा हो रही है। क्योंकि घटते जल स्तर के कारण हैंडपम्प कार्य नहीं कर रहे हैं। हैंडपम्प के स्थान पर सबमर्सिबल लगाई जा रही है, जिसके कारण पानी अधिक मात्रा में बर्बाद हो रहा है और निरन्तर जल स्तर घट रहा है।

अगर हम आगरा शहर की बात करें तो प्रतिवर्ष 50 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक भूजल स्तर में गिरावट दर्ज की जा रही है। आज पानी की समस्या का विकराल रूप धारण कर चुकी है। भारत के कुछ राज्य पानी की समस्या से अधिक प्रभावित हैं। सरकारें तकनीकी का उपयोग कर खारे पानी को पीने योग्य भी बना रही हैं। लेकिन हर व्यक्ति तक स्वच्छ जल पहुँचाना कठिन कार्य है। इसी कारण ग्रामीण एवं शहरों में पेयजल समस्या बढ़ती जा रही है। **दैनिक जागरण के अखबार के अनुसार** – “भारत में शहरी क्षेत्रों में 9.70 करोड़ लोगों को पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल पाता है। ग्रामीण इलाकों में 70 फीसदी लोग प्रदूषित पानी पीने को मजबूर हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट बताती है कि भारत में विगत 20 वर्षों में सूखे के कारण 3 लाख से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है। 33 करोड़ लोग अत्यंत सूखाग्रस्त क्षेत्रों में रहने को मजबूर हैं।” भूगर्भीय जल का अत्यधिक दोहन, नदियों का बढ़ता प्रदूषण, नदियों का सूखना, और तालाबों पर अतिक्रमण एवं कुओं के सूखे जाने के कारण पीने के पानी का संकट खड़ा हो गया है।

एक अनुमान के अनुसार भारत के 10 बड़े शहरों में कुल पेयजल की मांग, 14,0000 करोड़ लीटर के लगभग है, परन्तु उन्हें, 10,000 करोड़ लीटर जल ही प्राप्त हो पाता है। अनवरत बढ़ती जनसंख्या ने जहाँ प्रत्यक्ष रूप से उपलब्धता पर दबाव डालकर प्रति जल की उपलब्धता को कम किया है। 1947 के मुकाबले देश में अब तक 35 प्रतिशत पानी समाप्त हो चुका है। पिछले 70 वर्षों में पानी देश में पानी उपलब्धता एक तिहाई से कम रह गई है। “देश के प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता जो वर्ष 1947 में 5150 घन मीटर थी, यह 48 वर्षों में आधे से कम यानी, वर्ष 1995 में देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 2011 घन मीटर रह गई थी, जो घटकर 2001 में 1902 और 2011 में मात्र 1545 घन मीटर रह गई और घटकर वर्ष 2025 में 1401 घन मीटर व 2050 में 100 घन मीटर रहे का अनुमान है।”²

जल आपूर्ति की दृष्टि से प्रति व्यक्ति जल संसाधनों का यह स्तर बताता है कि देश के कई हिस्से किसी न किसी रूप में जल संकट का सामना कर रहे हैं। “फालकेनमार्क सूचकों के अनुसार प्रति व्यक्ति 1700 घन मीटर से कम प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता को जल की अधिक कमी माना जाता है।”³ इन तथ्यों के आधार पर भारत में आज पेयजल की समस्या उत्पन्न हो चुकी जो कि निरन्तर बढ़ता जा रही है। दूसरी तरफ तीव्र शहरीकरण के कारण भी जल संकट बढ़ रहा है। शहरों में तेजी से होते विकास और पक्की सड़कों के कारण वर्षा का अधिकांश पानी नालियों-नालों में बहकर व्यर्थ चला जाता है, फलस्वरूप भूमि जल स्तर की वृद्धि में इसका उपयोग नहीं हो पाता है। वन क्षेत्रों में तो हुई भारी-कमी ने भी भूमिगत जल स्तर को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित किया है, साथ ही सिंचित भूमि को तेजी से बढ़ाया है। अत्यधिक दोहन और गिरते जल स्तर के कारण खारे पानी की समस्या बढ़ती जा रही है।

“भारतीय संस्कृति में जल को देवता स्वरूप मानते हुए नदियों को ‘जीवनदायिनी’ कहा गया है। लेकिन बढ़ती जनसंख्या, औद्योगीकरण, शहरीकरण, सिंचित भूमि में वृद्धि, जल दुरुपयोग, जल प्रदूषण आदि के कारण जल की समस्या वर्तमान सदी में प्रमुख मुद्दा बनकर उभरी है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किये गये सर्वेक्षण के अनुसार विश्व में इस समय लगभग 80 प्रतिशत शुद्ध जल की कमी के कारण उत्पन्न होती है।”⁴

भारत में कई समस्याओं में एक समस्या जल संकट है, जिसका दबाव भारत पर दिखाई देने लगा है। शहरी भारत जल के लिए त्राहि-त्राहि कर रहा है। बढ़ती जनसंख्या के कारण जल की माँग बढ़ती जा रही है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है। शुद्ध जल के लिए गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न होगी। ऐसा नहीं है जल की कमी शहरी समस्या है, बल्कि भारत में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल एवं सिंचित जल की मात्रा में कमी होने के कारण खाद्य सुरक्षा का खतरा बढ़ता जा रहा है। **जल संसाधन मंत्रालय** की प्रस्तुतियों के अनुसार आने वाले कुछ वर्षों में गंगा सहित अन्य नदियों में जल की कमी हो जायेगी जिससे देश के लोगों की जिंदगी संकट में पड़ सकती है। शब्द पेयजल की समस्या केवल भारत की ही नहीं बल्कि

विश्वव्यापी समस्या है। आज जल के कारण समाज में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। यह तनाव की स्थिति संघर्ष को जन्म देती प्रतीत हो रही है, लगता है कि द्वितीय विश्व युद्ध यदि पेट्रोलियम के लिए हुआ था, तो अगला विश्वयुद्ध निश्चित ही शुद्ध जल के लिए होगा।

घटते भूजल स्तर के परिणामस्वरूप : भूमिगत जल का अन्धाधुन्ध दोहन होने के कारण जल स्तर तेजी से गिर रहा है जिसके कारण कुओं का पानी सूख रहा है, जलापूर्ति की समस्या बढ़ रही है, जल प्रदूषण बढ़ रहा है, लवणीकरण और पम्पिंग से लगवाने की लागत बढ़ने जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। आज भी देशों में लगभग 6 करोड़ से अधिक लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। आजादी के 75 साल बाद यदि इतनी बड़ी आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं है तो चयन चिंता का विषय है। अतः भूजल का संरक्षण करने की आवश्यकता है। वर्षा के जल को संरक्षित करने की आवश्यकता है और वनों एवं वृक्षों को भी बढ़ाने की आवश्यकता है।

दुनिया 30 फीसदी भूभाग जंगलों से घिरा है, जिसमें 65 फीसदी हिस्सा बंजर होता जा रहा है। 1990 से अब तक मानवीय गतिविधियों के चलते दुनिया भर में आवश्यक जलयुक्त जमीन का लगभग 70 फीसदी हिस्सा खोया जा चुका है। जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया भर में बाढ़ और सूखे जैसी समस्याएँ बढ़ रही हैं। कई जल स्रोत लगातार सूख रहे हैं। शोध में पाया गया है कि जिस रफ्तार से जंगल खत्म हो रहे हैं, उससे कहीं 3 गुना अधिक रफ्तार से जल के स्रोत सूख रहे हैं। "आज जलाशय सूखते जा रहे हैं। नदियों से पानी का बहाव घट रहा है। पिछले 10 सालों में भूगर्भीय जल का स्तर 54 फीसदी तक कम हो गया है, देश के 55 फीसदी कुएँ तकरीबन सूख चुके हैं। वैसे हमारे देश सालाना औसत बारिश 1170 मिलीमीटर है, जो पश्चिमी अमेरिका से लग 6 गुना ज्यादा है लेकिन इसके बावजूद देश के करोड़ों लोग पीने के स्वच्छ पानी से वंचित हैं। देश में करीब 33 करोड़ लोग ऐसी जगह रह रहे हैं। जहाँ हर साल भयंकर सूखा पड़ता है। कई जगहों में पीना तो दूर नहाने लायक भी नहीं बचा है।"⁵

भूजल की दुर्बलता का एक मुख्य कारण यह भी है कि सतही जल की अपेक्षा इसे पुनः भरना ठीक होता है। भारत में 80 प्रतिशत जनसंख्या की पानी की जरूरत भूजल द्वारा पूरी होती है। किंतु भूजल अधिकांश प्रदूषित होता है। ऐसे में जरूरी है कि भूजल प्रबंधन को बेहतर बनाया जाय तभी जल संकट की स्थिति से उबरा जा सकता है और जल संरक्षण किया जा सकता है।

भूजल संरक्षण के उपाय : आज पूरा देश स्वच्छ पीने के पानी की समस्या से जूझ रहा है, उत्तर पश्चिम भारत के बहुत सारे इलाके डार्क जोन की श्रेणी में पहुँच गये हैं, वहाँ भूजल का भंडार या तो समाप्त हो गया है या जल स्तर इतने नाचे चला गया है कि वहाँ से पानी निकाला नहीं जा सकता। इसके लिए हमें परम्परागत जल संरक्षण पर जोर देना होगा, तालाबों का जीर्णोद्धार करना होगा। इसके साथ ही बरसात के पानी का भी संरक्षण करना होगा। जल संरक्षण के महत्व को समझते हुए इसे जन आंदोलन बनाना होगा। भूजल को स्वस्थ व सुरक्षित बनाए रखने एवं भू जल स्तर में उत्तरोत्तर वृद्धि करने वाली जल प्रौद्योगिकियों को विकसित करने की भी आवश्यकता है।

कम-से-कम पानी पर अधिक जीवन चक्र पूरा करने वाले पौधों को विकसित करना चाहिए, जिससे भूजल पर बढ़ते दबाव को कम करने में मदद मिल सके। आधुनिक कृषि यंत्रों के प्रयोग से खेती को समतल कर सिंचाई करने में पानी की उपयोगिता काम रहेगी और उन्नत पैदावार होगी। जल को एकत्रित करने और उसका उपयोग करने के लिए परम्परागत प्रणाली को लागू करने की आवश्यकता है। कुएँ, तालाबों का संरक्षण कर घरेलू उपयोग के लिए हैडपम्प का प्रयोग करना चाहिए जिससे जितने जल की आवश्यकता हो उतना उपयोग के लिए हैडपम्प का प्रयोग करना चाहिए जिससे जितने जल की आवश्यकता हो उतना उपयोग किया जा सके। नगरों में बरसात के जल के संरक्षण के उपाय करने चाहिए। वर्षा आधारित खेत, प्राकृतिक खेती के साथ-साथ सूखा रोधी बीजों के चलन को भी बढ़ावा देना चाहिए। पेयजल वर्बाद न हो सके, इसके लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। रासायनों व कीटनाशकों का कम-से-कम प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे जल प्रदूषित न हो। ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिसमें जल का पुनर्चक्रण किया जा सके।

जल संकट से बचने के लिए जल, जमीन और जंगल का प्रबंधन होना चाहिए। जल संरक्षण के कारगर और ठोस उपाय किए जाने चाहिए। अत्यधिक भूजल दोहन पर रोक लगानी चाहिए। साथ ही भूमिगत जल को प्रदूषण से बचाने पर ध्यान देना चाहिए। अशुद्ध जल के उपयोग से बीमारियों का प्रकोप निरन्तर बढ़ रहा है। आज जल संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाए गए तो आने वाली पीढ़ी पानी की समस्या त्रस्त होगी और जन जीवन प्रभावित होगा, क्योंकि 'जल ही जीवन है'। इसलिए आमजन मानस को जल की उपयोगिता को समझते हुए जल की बर्बादी को रोकना होगा।

सन्दर्भ :

1. www.jagran.com/uttar-pradesh/agra-city-agra
2. जल संसाधनों का उपयोग संरक्षण, गजेन्द्र सिंह, मधुसूदन, कुरुक्षेत्र पत्रिका, जुलाई-2022
3. www.jagran.com/News/National-by-2050-there-will-be-half-quantity-of-available-under-per-person
4. Bhoogal aur Aap, Second Monthly Magazine, Sep-Oct. 2003.
5. भूजल का उचित प्रबंधन जरूरी, रंजना मिश्रा, कुरुक्षेत्र पत्रिका, जुलाई-2022.

अथर्ववेदीय सामाजिक प्रथाएं एवं मान्यताएं

डॉ० सत्येन्द्र कुमार यादव*

*सहायक आचार्य-वेद विभाग, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, उ०प्र०

सारांश : यह शोध-पत्र अथर्ववेदीय सामाजिक प्रथाएं एवं मान्यताएं को रेखांकित करता है। इस शोध पत्र में तत्कालीन समाज और अथर्ववेदकालीन समाज के विभिन्नताओं का अध्ययन किया गया है यह शोध पत्र पूर्व के अध्ययन से अलग है एवं समाज के लिए महत्वपूर्ण है। शोधपत्र पुस्तकालीय एवं विश्लेषणात्मक विधि पर आधारित है। यह अध्ययन शोधार्थियों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है।

मुख्य शब्द : अथर्ववेदीय, वर्ण-व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, यजुर्वेद, वैदिक काल आदि।

अथर्ववेदकालीन समाज में विभिन्न प्रथाएं एवं मान्यताएं प्रचलित थीं, जिनमें से अधिकांश का वर्णन वर्ण-व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था संस्कारादि के प्रसंग में किया जा चुका है। तत्कालीन समाज में व्याप्त कतिपय महत्वपूर्ण प्रथाओं एवं मान्यताओं का विवेचन करना भी आवश्यक है, अतः उसका संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत है—

परिवार : परिवार मानव समाज की एक इकाई के रूप में है क्योंकि इसकी समष्टि ही समाज कहलाता है। वैदिक काल में समाज को सुव्यवस्थित करने की दृष्टि से चार आश्रमों की व्यवस्था की गयी थी, जिनमें गृहस्थ आश्रम का प्रमुख स्थान था और यही आश्रम पूर्णरूप से परिवार पर आश्रित था। तत्कालीन समाज से आज तक सामान्यतः परिवार के दो रूप देखे जाते हैं— संयुक्त परिवार एवं विघटित परिवार। अथर्ववेदकालीन समाज में प्रायः संयुक्त परिवार होते थे, जिसमें माता-पिता, पति-पत्नी, पुत्र-पुत्री, भाई-बहन, भतीजे-भतीजियाँ इत्यादि एक साथ मिल-जुलकर रहते थे परन्तु वर्तमान समाज में विघटित परिवार ही देखे जा रहे हैं जिनमें पति-पत्नी एवं उनकी पुत्र-पुत्रियाँ ही एक साथ रहते हैं।

बाल-विवाह : तत्कालीन समाज में बाल-विवाह प्रायः नहीं किया जाता था। बालक अथवा बालिका जब संयम एवं सदाचरण के साथ युवावस्था को प्राप्त कर लेते थे तभी उनका विवाह होता था—

इह प्रियं प्रजायै ते समध्यतामस्मिन् गृहे गार्हपत्याय जागृहि।

एना पत्या तन्व१ सं स्पृशस्वाथ जिर्विर्विदथमा वदासि।।¹

शं ते हिरण्यं शमु सन्त्वापः शं मेधिर्भवतु शं युगस्य तर्घ।

शं त आपः शतपवित्रा भवन्तु शमु पत्या तन्व१ सं स्पृशस्व।।²

जिसका कारण यह था कि युवावस्था में बालक एवं बालिकाओं में परस्पर शरीर समर्पण करने, सन्तानोत्पत्ति करने एवं गार्हस्थ्य सम्हालने की क्षमता उनमें विकसित हो जाती थी।

बहु-विवाह : अथर्ववेदकालीन समाज में कुछ लोग बहु-विवाह करते थे तो कुछ लोग एक ही विवाह करते थे। तत्समय कोई भी व्यक्ति क्रमशः अथवा एक साथ एक से अधिक पत्नियाँ रख सकता था जिन्हें 'सपत्नी' कहा जाता था। राजा चार पत्नियाँ रखते थे, जिनमें प्रथम पत्नी को 'महिषी' कहा जाता था, जो निरन्तर पुत्रों को जन्म देने वाली राजा की प्रमुख पत्नी होती थी।³ राजा की दूसरी पत्नी को 'परिवृक्ता' कहा जाता था जो निःसन्तान होती थी अतः उन्हें उपेक्षित रखा जाता था।⁴ तीसरी पत्नी को 'वावाता' कहा जाता था, जो राजा की प्रिय होती थी और चौथी पत्नी को 'पालागली' कहा जाता था, जो राज दरबार के अन्तिम अधिकारी की पुत्री होती थी।

विधवा विवाह : तत्कालीन समाज में पति की मृत्यु हो जाने पर जब पत्नी शोक विह्वल हो जाती थी तो उस रोती-बिलखती विधवा को पतिशव के साथ श्मशान-भूमि तक ले जाया जाता था, जहाँ पर वह शव के साथ चिता पर लेट जाती थी। जिसके उपरान्त उसे चिता से उठने और शेष जीवन योग्य पुरुष के साथ व्यतीत करने के लिए कहा जाता था⁵ और कुछ समय पश्चात् उन्हें योग्य जीवन-साथी खोज दिया जाता था, जिसके साथ वह अपने जीवन का शेष समय सुखपूर्वक व्यतीत करती थीं।

सती प्रथा : पति की मृत्यु हो जाने पर कुछ स्त्रियाँ गहन शोक में डूबकर मृत शरीर के साथ ही अग्नि में स्वयं को भी जला देती थीं क्योंकि उनको पुनर्विवाह करके शेष जीवन बिताने में अच्छा नहीं लगता था। ऐसी स्त्रियों को 'सती-स्त्रियाँ' कहा जाता था।⁶

पर्दा प्रथा : अथर्ववेद के विभिन्न मन्त्रों में नारी के पर्दा (घूँघट) करने का उल्लेख प्राप्त होता है—

ये सूर्यात् परिसर्पन्ति स्नुषेव श्वशुरादधि।

बजश्च तेषां पिंगश्च हृदयेऽधि नि विध्यताम्।।⁷

सुमंगलीरियं वधूरिमां समेत पश्यत्।⁸

यहाँ एक स्थल पर श्वसुर को देखकर वधू को हट जाने का उल्लेख प्राप्त होता है तो अन्य स्थल पर कहा गया है कि यह वधू मंगलकारिणी है, सभी जन एकत्र होकर उसे देखें। जिससे स्पष्ट हो जाता है कि विवाह के पश्चात् घर में बड़े लोगों के सामने स्त्रियाँ पर्दा (घूँघट) करती थीं।

समाज में नारी का स्थान : सृष्टि में जीवोत्पत्ति के पश्चात् मानव ने ही अपने समाज की सुख-शान्ति एवं समृद्धि हेतु विविध आचरण, व्यवहार एवं अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सर्वाधिक उन्नति को प्राप्त किया। तत्कालीन समाज में स्त्री एवं पुरुष दो प्रमुख अंग थे, जो आज भी हैं। इनके सामञ्जस्य एवं सहयोग से ही समाज विकसित हुआ है, जिसमें नारी की अग्रणी भूमिका रही है। मानव समाज में नारी सभ्यता की स्रोत हैं इनका स्थान बहुत ऊँचा होता है। इनके द्वारा ही परिष्कृत संस्कृति का निर्माण व विकास होता है। नारी को वैवाहिक जीवन का आधार, जन्मदात्री, शिशु की प्रथम शिक्षिका एवं आदर्श गृहणी कहा जाता है, इनके बिना समाज की कल्पना ही नहीं की जा सकती है।

किसी भी सुसंस्कृत समाज का विकास स्त्रियों की स्थिति पर आधारित होता है। विश्व समुदाय के विभिन्न समाजों में जहाँ भी स्त्रियों की स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय के अधिकारों से वंचित कर प्रताड़ित किया जाता है, वहाँ के सभ्यता एवं संस्कृति का विनाश हो जाता है। समाज एवं परिवार में नारी का विविध रूपों में यथा-विवाह के पूर्व पुत्री के रूप में, विवाहोपरान्त पत्नी के

रूप में एवं पुत्रोत्पत्ति के पश्चात् माता के रूप में उनका महनीय योगदान रहता है। महर्षि मनु ने समाज के विकास में नारी के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए उन्हें अत्यन्त महान् व परम श्रेष्ठ कहा है—

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।

यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः॥⁹

अर्थात् जिस कुल में स्त्रियों का वस्त्राभूषण एवं मधुर वचनादि द्वारा आदर सत्कार होता है, उस कुल में देवता का वास होता है व सुख समृद्धि रहती है आर जिस कुल में स्त्रियों का आदर-सत्कार नहीं होता वहाँ सब कर्म निष्फल होते हैं अतः स्त्रियों का अनादर कभी नहीं करना चाहिए।

वैदिक साहित्य में स्त्रियों को आदरणीय स्थान प्राप्त है। तत्कालीन समाज में वह प्रायः विभिन्न कार्यों में पुरुष का सहयोग करती थीं। ऋग्वेद में स्त्री के लिए ब्रह्मा शब्द आया है।¹⁰ इसका आशय यह है कि वह ज्ञानादि के कारण यज्ञ में विविध संस्कार करा सकती थीं। एक अन्य मन्त्र में इन्द्राणी ने स्वयं को समाज में मूर्धन्य, अग्रगण्य एवं उद्भट वक्ता कहा है¹¹ तो यजुर्वेद में स्त्रियों के महत्व को इस प्रकार स्वीकार किया गया है—

अषाढासि सहमाना सहस्वरातीः सहस्व पतनायतः।

सहसवीर्यासि सा मा जिन्व॥¹²

अर्थात् स्त्रियाँ अषाढा (अजेय), शत्रुओं से अपराजित, शत्रुओं को जीतने वाली, असंख्य पराक्रम वाली, शत्रुरहित, शत्रुओं को नष्ट करने वाली, विजेता, सबको तिरस्कृत करने वाली, प्रसन्नता प्रदान करने वाली हैं। अन्य स्थल पर पति-पत्नी का कर्तव्य बताते हुए कहा गया है कि वे शत्रुओं को नष्ट करें जिससे उनके सिर न उठने पायें।¹³

तत्कालीन स्त्रियाँ गायत्री जैसे पूज्य थीं¹⁴ इनके बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होता था, इन्हें सहधर्मिणी¹⁵ एवं अर्धांगिनी¹⁶ कहा गया है। मनुस्मृति में इनका महत्व बताते हुए कहा गया है कि—जिस परिवार में स्त्री प्रसन्न नहीं रहती उस परिवार में सुसन्तान कभी नहीं उत्पन्न होती¹⁷ एवं पति-पत्नी के सन्तुष्ट होने पर परिवार हमेशा फलता-फूलता है।¹⁸

यजुर्वेदीय समाज में नारी को देवियों का रूप समझा जाता था, जो अभीष्टदात्री होती थीं।¹⁹ सत्ताइसवें अध्याय में एक ही साथ तीन देवियों को यज्ञ में आने के लिए प्रार्थना की गयी है—

तिस्त्रो देवीर्बर्हिरेद सदन्तु इडा सरस्वती भारती। मही गृणाना।²⁰

अर्थात् हे तीनों देवियाँ—भूमि-देवी, ज्ञान देवी एवं वाग्देवी, महान् और स्तुत्य हैं, आप तीनों यज्ञ में आये। अन्य स्थलों पर यज्ञ में देवियों को उपस्थित होने के लिए इस प्रकार प्रार्थना की गयी है—

आ नो यज्ञं भारती तूयमेतु इडा मनुष्यदिह चेतयन्ती।

तिस्त्रो देवीर्बर्हिरेद स्योनं सरस्वती स्वपसः सदन्तु॥²¹

आदित्यैर्ना भारती वष्टु यज्ञं सरस्वती सह रुद्रैर्न आवीत।

इडोपहूता वसुभिः सजोषा यज्ञं नो देवीरमृतेषु घत्त॥²²

अर्थात् वाग्देवी, मनुष्य के समान सचेतन भूमि-देवी व सरस्वती देवी यज्ञ में शीघ्र आये एवं वाग्देवी आदित्यों के साथ, सरस्वती देवी रुद्रों के साथ व भूमि देवी वसुओं के साथ आये। शुभ कर्मों वाली देवियाँ यज्ञ में आये और यज्ञ की रक्षा करें।

वेदों में उल्लेख है कि स्त्रियाँ प्राचीन काल में यज्ञ में भाग लेती थीं, युद्ध में जाती थीं²³ वह अबला नहीं सबला होती थीं,²⁴ परिश्रमी होती थीं, विवाहादि उत्सवों में जाती थीं,²⁵ लज्जाशील थीं,²⁶ वे सरल, सुशील एवं विनीत होती थीं।²⁷ वह ललित कला, नृत्य, संगीत, अभिनय, शस्त्र-विद्या, काव्यकलादि में निपुण होती थीं। वे अपने कर्तव्यों का भी मनोयोगपूर्वक निर्वहण करती थीं, यथा— पति के मनानुसार कार्य करना,²⁸ उनका विरोध न करना,²⁹ पति से मधुर व शान्तिपूर्ण वचन कहना,³⁰ स्वच्छ जल लाना,³¹ अपने कार्यों के प्रति सतर्क रहना,³² वीर पुत्र को जन्म देना,³³ अपने कुल की रक्षा करना,³⁴ चटाई बनाना³⁵ आदि। वह जितना अपने कर्तव्यों का पालन करती थीं, उतना ही समाज में उनका आदरणीय स्थान होता था। उनके विविध अधिकार भी अथर्ववेद में बताये गये हैं— वह गृहस्वामिनी होती थीं,³⁶ उनका पति पर एकछत्र अधिकार होता था³⁷ एवं साथ ही परिवार के अन्य सदस्यों पर भी उनका अधिकार था।³⁸

यजुर्वेद में यह भी कहा गया है कि जिस प्रकार समान मन वाली रूप-लावण्ययुक्त स्त्रियाँ हर्ष व प्रसन्नता व्यक्त करती हुई अपने-अपने पति को प्राप्त हाती हैं, उसी प्रकार घृत धाराएं प्रदीप्त अग्नि को प्राप्त होकर उसे व्याप्त करती हैं।³⁹ महर्षि मनु ने स्त्रियों के महत्व को स्वीकारते हुए कहा है कि अपना कल्याण चाहने वाले, उन्नति की इच्छा करने वाले मनुष्यों को स्त्रियों का आदर-सत्कार, वस्त्राभूषण, भोजनादि से विशेष सत्कार करना चाहिए।⁴⁰

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि तत्कालीन समाज में नारी का स्थान बहुत ऊँचा था। वह आदर्श गृहणी, गृहलक्ष्मी, निर्भीक, ओजस्विनी, वन्दनीय, सबला, अभिनन्दनीय, यज्ञों की रक्षा करने वाली, कुल पालक इत्यादि गुणों से युक्त होती थीं।

ऋणत्रय : पितृ ऋण, ऋषि ऋण एवं देव ऋण, इन तीनों ऋणों का समावेश ही 'ऋण त्रय' कहलाता है। जिसमें 'पितृऋण' से व्यक्ति सन्तानोत्पत्ति द्वारा मुक्त हो जाता था⁴¹ तो ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेशोपरान्त ऋषि ऋण द्वारा मुक्त हो जाता था⁴² और तीसरे ऋण अर्थात् देव ऋण से यज्ञादि सम्पादन द्वारा वह मुक्त होता था।⁴³

शकुन विचार : अथर्ववेद के अलक्ष्मीनाशन सूक्त में कतिपय कुलक्षणों को हटाने एवं सुलक्षणों के होने का उल्लेख किया गया है⁴⁴— जिसमें सिर छोटा होना या बुद्धिहीन होना, माथे पर अधिक बाल होना, हिरण की तरह पतले पैर होना, बैल की तरह दांत होना, गाय की तरह चाल होना, कठोर आवाज होना, भड़े बाल का होना, क्रूरतापूर्वक देखना, शारीरिक रूप से कुरूप होना, मानसिक रूप से क्रूर व कृपण होना, शारीरिक रूप से विकलांग (दिव्यांग) होना इत्यादि को प्रमुख कुलक्षण माना गया है।

तत्कालीन समाज में पुच्छलतारा निकलना, उल्कापात होना,⁴⁵ विद्रोह,⁴⁶ हवा का प्रतिकूल बहना (किसी कार्य हेतु प्रस्थान के समय)⁴⁷, कबूतर का अग्नि के समीप गिरना, उल्लू का बोलना,⁴⁸ निन्दा किया जाना, सब ओर से छींक होना, रिक्त कुम्भ (खाली घड़ा) का दिखाई देना,⁴⁹ अशुभ स्वप्न (नेवला द्वारा सोंप को टुकड़े-टुकड़े करके पुनः जोड़ना आदि)⁵⁰, कृष्णवर्ती कौवे द्वारा किसी व्यक्ति को चौंका या पंजे से प्रहार करना (प्राणघातक अनिष्ट)⁵¹ इत्यादि को प्रमुख अपशकुन की कोटि में रखा गया था।

सन्दर्भ :

1. अथर्ववेद 14.1.21
2. वही 14.1.40
3. वही 2.36.3, 20.128.10
4. वही 7.113.2, 20.128.10
5. वही 18.3.1-3
6. वही 9.9.15, 11.8.17, 18.3.1
7. वही 8.6.24
8. वही 14.2.28
9. मनुस्मृति 3.56
10. ऋग्वेद 8.33.19
11. वही 10.159.2
12. यजुर्वेद 13.26
13. वही 33.32
14. जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण 27.10.17
15. तैत्तिरीय ब्राह्मण 2.2.2.6
16. वही 3.3.3.5
17. मनुस्मृति 3.60
18. वही 3.61
19. यजुर्वेद 3.27
20. वही 27.19
21. वही 29.33,
ऋग्वेद 10.110.8
अथर्ववेद 5.12.8
22. यजुर्वेद 29.8
23. ऋग्वेद 10.86.10
अथर्ववेद 20.126.10
24. वही 20.26.9
निरुक्त 6.31
25. अथर्ववेद 6.60.2
26. ऋग्वेद 8.33.19
27. वही 10.30.5
28. अथर्ववेद 3.25.5
29. वही 2.36.4
30. वही 3.30.2
31. वही 11.1.13, 15-17
32. वही 14.1.21
33. वही 3.8.2
34. वही 1.14.3
35. वही 6.138.5
36. वही 14.2.6, 75
37. वही 3.18.2
38. वही 14.1.44
39. यजुर्वेद 17.96
40. मनुस्मृति 3.55, 59
41. वही 3.23.2-5, 7.81.3-4, 18.1.1
42. वही 7.52.2, 7.54.2, 9.1.16-17, 11.5.6-7
43. वही 2.23.1-12, 3.10.9, 5.8.1, 7.98.1
44. वही 1.18.1-4
45. वही 5.17.4
46. वही 19.9.9
47. वही 19.8.6
48. वही 6.29.1-2
49. वही 19.8.4
50. वही 6.139.5
51. वही 7.64.1

सामवतम् कथानक की शास्त्रीय समीक्षा

बलराम वर्मा*

*शोधार्थी, (संस्कृत), डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या

प्रो० आशा गुप्ता**

**आर० आर० पी० जी० कॉलेज, अमेटी

सारांश : सामवतम् की कथावस्तु का संक्षिप्त विवेच्य करने के उपरान्त अब हम शास्त्रीय एवं पारम्परिक नाट्य-शास्त्रीय मान्यताओं के आधार पर सामवतम् नाटक की कथावस्तु का अनुशीलन कर यह निर्धारण करने का प्रयास करेंगे कि नाट्य-शास्त्रीय मान्यताओं को कसौटी पर यह नाटक कितना खरा उतरता है। इस शास्त्रीय विश्लेषण के क्रम में हम सर्वप्रथम संक्षेप में कथावस्तु सम्बन्धी शास्त्रीय प्रतिमानों पर प्रकाश डालेंगे और तत्पश्चात् यह भी दृष्टि डालने का प्रयत्न करेंगे कि शास्त्रोक्त तत्वों में से कौन से तत्व इस नाटक में उपलब्ध होते हैं।

मुख्य शब्द : नाट्य-शास्त्रीय, शास्त्रीय, पारम्परिक, गतिमान, रसानुभूति, रसनिष्पत्ति आदि।

काव्यशास्त्रियों ने काव्य का विभाजन दो प्रकार से किया है – श्रव्य काव्य तथा दृश्य काव्य। आचार्य धनन्जय ने दृश्य काव्य का लक्षण देते हुये कहा है, ‘रूपकं तत्समारोपात्।’¹ दृश्यकाव्य में नट पर रामादि पात्रों की अवस्था का आरोप किया जाता है, अतः इसे रूपक भी कहा जाता है। दशरूपककार के अनुसार रूपकों के तीन भेदक तत्व होते हैं – वस्तु, नेता और रस, ‘वस्तुनेतारसस्तेषां भेदकः।’² ये तीनों ही तत्व रूपक के प्राणभूत तत्व हैं, इनकी अनुपस्थिति में रसनिष्पत्ति सम्भव ही नहीं है।

दृश्य काव्य में कथानक का महत्वपूर्ण स्थान होता है। कथानक को ही कथा, कथानक, इतिवृत्त, नाटकीय आख्यान आदि नामों से सम्बोधित किया जाता है। नाटक को अभिनय या प्रस्तुति रंगमंच पर की जाती है। अतः इसे रंगमंचीय या अभिनेय भी कहा जाता है। कथानक के माध्यम से ही चरित्रों की अभिव्यक्ति होती है। यद्यपि भारतीय काव्य साहित्य में रस को ही काव्य की आत्मा माना गया है, लेकिन शरीररूपी कथावस्तु के अभाव में रस का चमत्कार लक्षित नहीं हो पाता है। नाटक का सम्पूर्ण क्रिया-कलाप रस-सृष्टि के लिए ही होता है –

रसप्राणो हि नाट्यविधिः।

डा० सत्यनारायण चौधरी कथानक का दार्शनिक विवेचन करते हुए लिखते हैं कि ‘जिस प्रकार आत्मा पार्थिव शरीर को छोड़कर पृथक् रूप से प्रतिभासित नहीं हो सकती। उसी प्रकार कथातत्त्व के अभाव में पृथक् रूप से रसानुभूति सम्भव नहीं है। कथानक के अन्तराल से ही रस का अमृत निष्पन्न होता है। आनन्द का दिव्य आलोक प्रस्फुटित होता है, जिसके पावन प्रकाश से सहृदयों का तन, मन और प्राण पुलकित होता रहता है। अतः ऐसा माना जाता है कि नाटक में कथानक का कलेवर जितना ही व्यापक गतिशील एवं स्वाभाविक होगा, आनन्द की उपलब्धि उतनी ही स्वस्थ स्थायी एवं सर्वसुलभ होगी। कथानक रूपी कंकाल में कवि अपनी अन्तश्चेतना की समस्त उपलब्धियों का संधान करता है तथा अपनी चिरन्तन कल्पना के द्वारा जीवन का संचार करता है। इस जीवन रस की दिव्य अनुभूति काव्य में अनन्दानुभूति के नाम से जानी जाती है।’³ कथानक को आधार मानते हुए ही नाटक की सम्पूर्ण गतिविधियाँ निरन्तर गतिमान रहती हैं। इसीलिए नाटक में कथानक का विशेष महत्व माना गया है। कथावस्तु का उद्देश्य सामाजिकों के हृदय में उद्भूत भावों का उन्मीलन करना तथा नाटक में रस का उन्मेष करना है। कथावस्तु का विषय चाहे कहीं से उद्भूत किया गया हो या कविकल्पित हो, उसका रसपरक होना अत्यन्त आवश्यक है। सम्भवतः इसी उद्देश्य को दृष्टि में रखकर संस्कृत साहित्य का कवि या नाटककार किसी प्रख्यात विषय के यथार्थ चित्रण को अपनी काव्यात्मक दृष्टि एवं कोमल भावना से साज-संवार कर और सरस बनाकर दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करता है, जिससे दर्शक नाटकीय भावसंयोजना तथा नाटक के चरित्रों के साथ तादात्म्य स्थापित कर सकें।

भारतीय परम्परा के नाट्यशास्त्राचार्यों ने कथावस्तु की मूलप्रकृति तीन प्रकार की मानी है – प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र ‘प्रख्यातोत्पाद्य- मिश्रत्व-भेदास्त्रिधापि’ जिस कथानक में इतिहास, पुराण, सम्मत विषय होते हैं। ऐसे प्रसिद्ध कथानक को ‘प्रख्यात’ कहते हैं। जो पूर्णतः कवि की कल्पना से ही उद्भव हो, उसे ‘उत्पाद्य’ कहते हैं तथा जो कथानक प्रख्यात स्रोतों से ग्रहीत हों तथापि उसमें कवि की कल्पना का भी समावेश हो। उसे ‘मिश्र कथानक’ कहते हैं। प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र कथानकों को ही क्रमशः दिव्य, अदिव्य तथा दिव्यादिव्य भी कहा गया है।

प्रख्यातमितिहासदेरुत्पाद्यं कविकल्पितम्

मिश्रं च संकरात्ताभ्यां दिव्यमत्पार्यादिभेदतः⁴

यूनानी समालोचक अरस्तू ने भी नाटकीय कथावस्तु को तीन प्रकृतियों का उल्लेख किया है – ‘दन्तकथा मूलक, कल्पनामूलक तथा इतिहासमूलक।’⁵ इनमें दन्तकथा हमारी मिश्रकथा के अनुरूप है। अरस्तू ने नाटकीय कथावस्तु के लिए दन्तकथा को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया है, क्योंकि दन्तकथा में सत्य तथा कल्पना का मधुर मिश्रण रहता है। इनमें सत्य अपनी विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता के कारण तथा कल्पना तत्व अपनी रमणीयता तथा संभाव्यता के कारण नाटक को श्रीवृद्धि करते हैं। अधिकांशतः संस्कृत नाटकों को कथावस्तु मिश्र प्रकृति की ही होती है। वैसे तो प्रख्यात एवं उत्पाद्य कथाओं का भी यत्र-तत्र प्रयोग हुआ है किन्तु मिश्र इतिवृत्त को ही आचार्यों ने अधिक काम्य तथा उच्च कोटि का माना है।⁶

प्रख्यात कथावस्तु के निर्वाह में कवि या नाटककार को अधिक सावधानी बरतनी पड़ती है। यदि नाटककार या कवि प्रख्यात अंश में कल्पना का समावेश करेगा तो उस अंश की प्रामाणिकता समाप्त हो जायेगी। यथा- बंगाली कवि माइकेल मधुसूदन के ‘मेघनाटवध’ में मेघनाद को एक उच्च आदर्श के रूप में उपस्थित करना, प्रख्यात इतिवृत्त को ठेस पहुंचता है। परन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि प्रख्यात अंश में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यदि प्रख्यात इतिवृत्त का स्वस्थ ऐसा हो कि वह नायक के गुणों और उसके धीरोदात्तत्व में बाधक होता हो, तो उस स्थिति में रख के अनौचित्य दोष को हटाने के लिए नाटककार कथानक के उस अंश में परिवर्तन कर सकता है।

वस्तुतः संस्कृत के ज्यादातर नाटकों को कथावस्तु मिश्रप्रकृति की होती है, क्योंकि विशुद्ध ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को आधार मानने पर कवि की सम्भावनाएं सूक्ष्म हो जाती हैं। वह इतिहासादि में अपनी प्रतिभा से नवीन तथ्यों की योजना नहीं कर सकता, यदि अपनी कल्पना से वह कोई परिवर्तन करना भी चाहता है। तो ऐतिहासिक इतिवृत्त की प्रामाणिकता कमतर हो जाती है। इसीलिए नाटककार इतिहास एवं पुराणों की कोई प्रसिद्ध कथा को लेकर उसे अपनी मधुर कल्पना से और भी सरस बना देता है। इसके लिए उसे कथानक के विभिन्न अंशों में अपेक्षित संशोधन करके उसे अपनी रसमयी कल्पना से सजाता है। दशरूपककार के अनुसार नाटककार का नाटक में नायक के चरित्र को दूषित करने वाले कथांश को त्याग देना चाहिए अथवा उसकी अन्य रूप में कल्पना कर लेना चाहिए।

‘यत्तत्रानुचितं किञ्चिन्नायकस्य रसस्यु वा।
विरुद्धं तत्परित्याज्यमन्यथा वा प्रकल्पयेत् ॥’⁶

इसी कारण ही महाभारत और पदमपुराण के कामुक तथा पतित चरित्र वाले दुष्यन्त को तथा वाल्मीकि रामायण में निर्दोष बालि का वध करने वाले श्रीराम को कालिदास और भवभूति ने मुनि दुर्वासा की शाप की तथा स्वयं बालि की राम से युद्ध करने की इच्छा की कल्पनाओं के आधार पर निर्दोष सिद्ध कर उन्हें आदर्श नायकत्व प्रदान किया है।

उपर्युक्त विवेचन से ज्ञात होता है कि कवि प्रख्यात इतिवृत्त में उस सीमा तक परिवर्तन तथा परिवर्तन कर सकता है। अधिकृत परिवर्तन रस निष्पत्ति में सहायक हो तथा नायकादि के पौत्रों की गरिमा की रक्षा कर सके। किन्तु इसके साथ-साथ यह आवश्यक है कि कविकृत ये परिवर्तन कथानक की प्रामाणिकता का क्षति न पहुंचाये।

प्रासंगिक विषय को सिद्धान्त स्वरूप आधार पर हम सामवतम् की कथावस्तु का विवेचन करके यह निर्धारित करने का प्रयास करेंगे कि उसकी कथावस्तु प्रख्यात उत्पाद्य तथा मिश्र में से किस कोटि की है तथा इसमें कितना अंश प्रख्यात है। कितना उत्पाद्य और कितना मिश्र है।

प्रथम अंक की कथावस्तु में प्रख्यात अंश को कल्पना मिश्रित करके कवि ने नाटक को गति प्रदान की है तथा प्रख्यात अंश में आवश्यक परिवर्तन करके नाटक को रसपेशल स्वरूप बनाया है। इसमें मुनि सारस्वत तथा वेदमित्र में मैत्रीभाव होना। उनके पुत्र सामवान् तथा सुमेधा को मित्रता तथा बाल्यावस्था ही सर्वशास्त्र वेत्ता होना, मुनियों द्वारा अपने पुत्रों को विवाह के लिए अपने धनोपार्जन हेतु विदर्भदेश भेजना, मुनिकुमारों द्वारा पिता की आज्ञा को सहर्ष स्वीकार करना आदि प्रख्यात अंश हैं। शेष बन्धुजीव द्वारा भावी घटना को सूचित करना, कलि के आगमन की याचना, विदर्भदेश के मार्ग में पड़ने वाले प्राकृतिक सौन्दर्य का वर्णन, मालसा अम्बरा के मधुर संगीत तथा रूप-सौन्दर्य से सामवान् का आकृष्ट हो जाना तथा क्रोधित दुर्वासा मुनि के शाप आदि की घटनाएं कवि की कल्पना की उपज हैं। जिनके माध्यम से कथा सुगमता से आगे निरन्तर बढ़ती है। इस अंक में कवि ने मूलकथा में भी कुछ परिवर्तन किया है। जैसे मूलकथा में सामवान् और सुमेधा, पिता की आज्ञा शिरोधार्य करके विदर्भ नरेश के महल में पहुंचकर राजा को अपनी विद्या तथा गुणादि से सन्तुष्ट करते हैं। जबकि इस नाटक में सामवान् और सुमेधा के विदर्भदेश पहुंचने से पूर्व ही सामवान् दुर्वासा मुनि के शाप से ग्रस्त हो जाता है।

द्वितीय अंक में मुख्य अंश का सर्वथा अभाव है। राजभट तथा जटिल का वार्तालाप, होलिकोत्सव का वर्णन, राजपुरोहित देवशर्मा द्वारा राजा की प्रशंसा करना, सामवान् और सुमेधा द्वारा राजमार्ग में स्थित पक्षियों का वर्णन, राजसभा में भावकलावती नर्तकी के नृत्य के चित्रण आदि के प्रसंग रस निष्पत्ति हेतु कवि की प्रतिभा और कल्पना के प्रयोग हैं।

तृतीय अंक में निहित अधिकांश कथावस्तु कल्पनामिश्रित है। प्रस्तुत अंक में कलि का आगमन होता है। रक्षक तथा पुरोहित का वार्तालाप होता है। पुरोहित वार्षिक योगिनी पूजन की सूचना देते हैं तथा वसन्तक को भी पूजन निमंत्रित करते हैं। वसन्तक सामवान् और सुमेधा का अहित सोचता है। देवशर्मा के साथ सामवान् तथा सुमेधा राजप्रासाद में प्रवेश करते हुए राजोद्यानद्वार एवं भित्तिशोभा आदि के सौन्दर्य का वर्णन करते हैं। राजसभा में पहुंचने पर सामवान् का उपहास करता है। उपर्युक्त सभी घटनाएँ कविकल्पित हैं। मूलकथा में केवल इतना ही है कि विदर्भ नरेश कुछ परिहास करने की इच्छा से सामवान् और सुमेधा को दम्पति वेश में सीमन्तिनी के महल में जाने का आदेश देते हैं। मुनिकुमार पहले तो भयभीत हो जाते हैं लेकिन राजभय के कारण वे दोनों राजाज्ञा को स्वीकार कर लेते हैं। नाटकीय कथावस्तु को शैथिल्य से बचाने के लिए कवि ने कुछ प्रख्यात अंशों को काट दिया है। जैसे मूलकथा में चंद्रांगद की पत्नी सीमन्तिनी राजगृह आये हुए सपत्निक ब्राह्मणों का चरणादि धोकर आदर सत्कार करती है। कृतक दम्पती रूप वाले सामवान् और सुमेधा को गौरीशंकर मानकर उनकी अर्चना करती है तथा सुरगन्धित माला और धूपदि सामग्री से उनकी आराधना करके घृत निर्मित विभिन्न विभिन्न पकवानों से उन्हें प्रसन्न करके धनवस्त्रादि से सन्तुष्ट करती है। सीमन्तिनी सामवान् के पुंसत्व की बात भूलकर उसे गौरी मानकर से भक्तिभाव से अर्चना करती है, इसलिए सामवान् रूपवती कन्या के रूप में परिवर्तित हो जाता है। नाटक की कथावस्तु में उपर्युक्त कथांश का संशोधित रूप ही प्राप्त होता है। नाटक की कथावस्तु में कवि ने ब्रह्मचारी के मुख से सामवान् के स्त्रीत्व प्राप्ति की घटना को सूचित किया है। नाटक में सीमन्तिनी द्वारा किए गये आदर सत्कार आदि का वर्णन नहीं है। सम्भवतः कवि के विस्तार भय से कथावस्तु के इन अंशों को छोड़ दिया होगा।

प्रस्तुत चतुर्थ अंक की अधिकांश इतिवृत्त प्रख्यात है, कुछ काल्पनिक अंशों का मिश्रण करके कवि ने नाटक की कथावस्तु को रोचक अवश्य बनाया है। स्त्रीत्व प्राप्ति के बाद सामवती सुमेधा से बार-बार प्रणय निवेदन करती है। अपने मित्र को स्त्री रूप में देखकर सुमेधा को विश्वास नहीं होता। वह आश्चर्य चकित रह जाता है, लेकिन सामवती के स्त्री सुलभ अंगों को देखकर सुमेधा आश्चर्य हो जाता है। इसके पश्चात सुमेधा सामवती को सान्त्वना देते हैं तथा अपने रुक्ष व्यवहार के लिए खेद प्रकट करते हैं। सुमेधा सामवती के प्रणय निवेदन का दुराग्रह करते हैं तथा कामवेदना से पीड़ित सामवती बलपूर्वक सुमेधा के अधरों का चुम्बन करती है। ये सभी घटनाएँ प्रख्यात अंश हैं।

इसी अंक के आरम्भ में भिक्षुक विदर्भदेश में होने वाले उपद्रव का वर्णन करता है। इसके बाद ब्रह्मचारी और भिक्षुक का परिचय होता है। ब्रह्मचारी द्वारा भिक्षुक को सामवान् के स्त्रीत्व प्राप्ति की घटना बताना, पादलेप के बाद दोनों का आकाश में विचरण करना आदि घटनाएँ कवि कल्पना प्रसूत हैं। मूलकथा का सुमेधा कामज्वर से सन्तप्त नहीं होता, जबकि नाटक की कथावस्तु में कामवेदना से पीड़ित सुमेधा कामदेव को भर्त्सना करता है, यह अंश उत्पाद्य है। मूल कथा में सारस्वत मुनि सुमेधा और सामवती से मिलने के बाद राजा के प्रति अपना रोष प्रकट करते हैं। जबकि नाटक की कथा में मुनि सारस्वत को सामवान् के

स्त्रीत्व प्राप्ति की सूचना ब्रह्मचारी द्वारा मिलती है तथा मुनि सामवती से मिलने के पूर्व ही रोष प्रकट करते हैं। नाटक में ब्रह्मचारी की योजना काल्पनिक अंश के अन्तर्गत है।

पंचम अंक की कथा प्रख्यात तथा उत्पाद्य अंशों की मिश्रित कथा है। अमात्य तथा नाविकों का मागधी गीत गाना, नौका डूबना, अमात्य का मूर्छित होना, ब्रह्मचारी द्वारा अमात्य को मूर्छा दूर करके अमात्य से सामवती का वृत्तान्त कहना आदि घटनाएं कविकल्पित हैं। नेपथ्य में राजा का जागरण, अशुभ स्वप्न देखकर राजा का आशंकित होना, राजा को चिन्तित देखकर देवशर्मा का राजा को ऐसा मन्त्रोपदेश देना जिसके उच्चारण से भगवती देवी प्रकट हो जाती है, इत्यादि इतिवृत्त भी काल्पनिक अंश ही हैं। शेष कथा प्रख्यात है। यद्यपि प्रख्यात अंशों में भी कवि ने कुछ परिवर्तन तथा परिवर्द्धन किया है। सारस्वत मुनि का राजा पर क्रोधित होना, राजा की आराधना से देवी का प्रकट होना, देवी द्वारा मुनि सारस्वत को दूसरे पुत्र की प्राप्ति का वरदान देना तथा सामवती और सुमेधा के पाणिग्रहण के लिए आदेश देना, प्रसन्नचित्त सारस्वत का अपने आश्रम में लौट आना आदि इतिवृत्त के अंश हैं।

नाटक की कथा को रोचक तथा सरस बनाने के लिए कवि ने मूल कथा में संशोधन भी किया है। जैसे मूलकथा में राजा, भरद्वाज मुनि के साथ मुनिकुमार तथा सारस्वत को लेकर, अम्बिका के भवन में जाकर तीन दिन तक उपासना करते रहे। तब देवी प्रकट हुई लेकिन नाटक में राजा के मन्त्रोच्चारण करने पर देवी तुरन्त राजसभा में ही प्रकट होती है। सम्भवतः नाटक में समयाभाव के कारण कवि अल्पसमय में ही राजसभा में देवी के प्रकट होने की कल्पना करते हैं। मूल कथानक में देवी मुनि सारस्वत को सन्तुष्ट करके अन्तर्धान हो जाती है। जबकि नाटक में देवी राजा को धन-धान्य से सम्पन्न होने का वरदान भी देती है। मूलकथा में सामवान् के स्त्रीत्व प्राप्ति का प्रधान कारण सीमन्तिनी द्वारा सामवान् और सुमेधा को गौरीशंकर मानकर भक्तिभाव से उनका पूजन करना है, जबकि नाटक के कथानक के अनुसार सामवान् के स्त्रीत्व प्राप्ति के अन्य कई कारण हैं, जिसमें दुर्वासा मुनि का शाप देना मुख्य कारण है, जो लेखक की आत्मिक कल्पना है।

षष्ठ अंक की अधिकांश कथा उत्पाद्य कोटि की है, प्रख्यात अंश इतना ही है कि सारस्वत मुनि शीघ्र ही एक अन्य उत्तम पुत्र को प्राप्ति होने के बाद सामवती का सुमेधा से विवाह कर देते हैं तथा वे दोनों चिरकाल तक सुख से निवास करते हैं। नाटक के इतिवृत्त में कवि ने सामवती तथा सुमेधा की वियोगावस्था का चित्रण कर दोनों के प्रगाढ़ प्रेम को प्रस्तुत किया है। सभी प्रणय प्रसंग नायक-नायिका के प्रेम को अधिक समृद्ध बनाने की दृष्टि से परिकल्पित किए गये हैं तथा संस्कृत के श्रृंगारिक नाटकों की पूर्व स्तिर परम्परा का अनुसरण तथा अनुमोदन करते हैं। नाटक में विधि-विधानपूर्वक सामवती और सुमेधा का विवाह सम्पन्न होता है। मुनि सारस्वत और वेदमित्र प्रसन्न होकर बाह्यणों तथा याचकों को धन, वस्त्रादि दान देते हैं। सारस्वत मुनि अश्रुयुक्त नेत्रों से पुत्री को विदा करते समय अपने वात्सल्य भाव को प्रदर्शित करते हैं। इन सब काल्पनिक अंशों की योजना करके कवि ने नाटक के कथानक को स्वाभाविकता, मांसलता और गतिशीलता प्रदान की है। अन्ततः वेदमित्र के मंगलमय वचनों के साथ नाटक समाप्त हो जाता है। दुर्वासा मुनि के शाप से सामवान् को स्त्रीत्व की प्राप्ति होना नाटक की सर्वप्रधान घटना घटित होती है। नाटक में दुर्वासा मुनि के शाप की कल्पना करके कवि राजा धर्मसिंधु के चरित्र में नैतिकता की रक्षा की है।

सम्पूर्ण कथा का अवलोकन करने पर यह ज्ञात होता है कि प्रख्यात वृत्त पर आधारित होते हुए भी नाटक का कथानक कवि की कल्पना एवं उसकी मौलिक संयोजनाओं से युक्त होने के कारण मित्र कथावस्तु की कोटि में आता है।

सन्दर्भ :

1. दशरूपकम् – पृष्ठ 4
2. दशरूपकम् पृष्ठ – 1.1
3. उत्तररामचरितम् की शास्त्रीय समीक्षा – पृष्ठ 16
4. दशरूपक 1.15
5. दशरूपक – 1.15
6. अरस्तू का काव्यशास्त्र, डॉ० नगेन्द्र पृष्ठ – 68
7. अरस्तू का काव्यशास्त्र, डॉ० नगेन्द्र, पृष्ठ 69
8. दशरूपकम् – 3.24

जनपद अमेठी (उत्तर प्रदेश) में भूमि उपयोग : एक भौगोलिक अध्ययन

सुनील कुमार*

*शोध छात्र, भूगोल, बयालसी पी०जी० कॉलेज, जलालपुर, जौनपुर, उ०प्र०

डॉ० अल्केश्वरी सिंह**

**विभागाध्यक्ष एवं एस०प्र०, भूगोल, बयालसी पी०जी० कॉलेज, जलालपुर, जौनपुर, उ०प्र०

सारांश : कृषि मानव जीवन का प्राथमिक उद्यम है जो मात्र एक व्यक्ति विशेष नहीं बल्कि सर्व समाज और सम्पूर्ण देश की अर्थव्यवस्था का आधार मानी जा सकती है। कृषि भारत की राष्ट्रीय आय में वृद्धि करती है और लोगों को रोजगार भी प्रदान करती है। कृषि कार्य में देश एवं अध्ययन क्षेत्र की अधिकांश जनसंख्या संलग्न है। यहाँ यह प्रश्न स्वाभाविक ही है कि ऐसा क्यों? प्रस्तुत शोध-पत्र के द्वारा जनपद अमेठी (उत्तर प्रदेश) में भूमि उपयोग : एक भौगोलिक अध्ययन का तथ्यात्मक एवं विवरणात्मक सूचनाओं तथा द्वितीयक स्रोतों के आधार पर इसके विविध पक्षों को स्पर्श किया गया है। प्रस्तुत शोध-पत्र में इन्हीं संदर्भों की पहचान और उनका विवेचन प्रस्तुत है।

मुख्य शब्द : अर्थव्यवस्था, रोजगार, निर्धनता, कुपोषण, भुखमरी आदि।

भारत विविधताओं का देश है जहाँ पर स्थान-स्थान पर अलग-अलग प्रकार की जलवायु पायी जाती है और यह सर्वविदित है कि कृषि जलवायु के अनुसार ही की जाती है। अतः भारत में विभिन्न प्रकार की खेती एवं विभिन्न प्रकार की उपज प्राप्त की जाती है आज की कृषि पोषण के अर्थात् जीवन निर्वाहक के साथ-साथ व्यावसायिक हो गई है। यह देश के लोगों को रोजगार, निर्धनता, कुपोषण, भुखमरी जैसी गम्भीर समस्याओं से मुक्ति प्रदान करती है और कृषि उत्पादों के उत्पादन से राष्ट्रीय आय में वृद्धि भी करती है। भारत में कृषि उत्पादन फार्मों में लगे हुए लोगों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करती है। और उनके जीवन स्तर को भी उच्च बनाती है भारत की कुल जी०डी०पी० में कृषि का योगदान 30 प्रतिशत है। अध्ययन क्षेत्र में लोगों के जीवन का प्रमुख आधार कृषि है और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की उपजें गेहूँ, चावल, मक्का, आलू, चना, मटर, अलसी आदि विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है और लोगों का जीवन-यापन होता है।

कृषि एक ऐसी विधा है जिससे विभिन्न उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है जैसे कागज उद्योग, कपड़ा उद्योग के लिए, कपास, जूट, चीनी उद्योग के लिए गन्ना, वनस्पति तेल, सुगंधित इत्र, पेय पदार्थ चाय एवं कोको आदि कृषि उत्पाद हैं। इसके अलावा धान की भूसी से दफ्ती एवं तेल निकालना, सरसों की पेराई कर तेल निकालना, सूती वस्त्र बनाना, कपास उसेलना, नारियल का तेल निकालना आदि अनेक कार्य कलाप एवं उद्योग कृषि पर आधारित हैं। प्रायः इन उद्योगों में कार्य करने वाले या संलग्न व्यक्ति अपनी भोजन-सामग्रियों की पूर्ति कृषि उत्पादों से ही करते हैं। नगरीय क्षेत्रों की बाजार व्यवस्था उपभोग एवं वितरण ग्राम क्षेत्रों में भण्डारों (मण्डियों) द्वारा गाँव एवं नगर एक दूसरे से जुड़े हैं। सूक्ष्म अध्ययन किया जाय तो यही कृषि उत्पाद शहरों एवं गाँवों के मध्य एक मजबूत कड़ी का काम करते हैं।

एक तथ्य का उल्लेख आवश्यक हो जाता है कि भूमि अर्थात् पृथ्वी की ऊपरी परत चाहे वह अमेठी जनपद में हो या सम्पूर्ण भारत देश की, यह कृषि के उपयोग के अलावा अन्य विभिन्न कार्यों में उपयोग की जाती है जिसे भूमि का उपयोग कहा जाता है।

जनपद अमेठी ऐसा जनपद है जहाँ पर कृषि के साथ-साथ कृषि सम्बन्धी उद्योग तथा विभिन्न प्रकार के अन्य वृहत उद्योग स्थापित हैं। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य अध्ययन क्षेत्र के लोगों की वर्तमान विभिन्न दशाओं एवं अवरोधों, संरचना, संभाव्यता, का आंकलन करना है साथ ही क्षेत्र के विकास के लिए रणनीति का निर्धारण करना है।

1. जनपद अमेठी की जनसंख्या एवं ग्रामीण विकास से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करना एवं उससे सम्बन्धित विभिन्न तत्वों की पहचान करना।
2. जनपद अमेठी की जनसंख्या की निरन्तर गतिशील स्थिति का आंकलन करना तथा उसके मूल कारणों की पहचान करना।
3. जनपद में उपलब्ध भूमि संसाधन के आधार पर जनसंख्या संसाधन और कृषि से सम्बन्धित उत्पादनों के साथ अन्तर्सम्बन्ध का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना। कृषि के भास्य संयोजन, फसल दक्षता, भूमि अभिक्षमता एवं एवं इस पर जनसंख्या के भार का विश्लेषण करना।
4. मानव संसाधन में वृद्धि के अनुसार भूमि संसाधन की गुणवत्ता में परिष्कार हेतु अनुकूल एवं उपयोगी नीति निर्धारित करना।

अध्ययन क्षेत्र का परिचय : जनपद अमेठी फैजाबाद वर्तमान नाम अयोध्या मण्डल का एक प्रतिष्ठित जनपद है। किसी जनपद के गठन अथवा विघटन के कुछ सामाजिक, आर्थिक अथवा राजनीतिक कारण होते हैं। जनपद अमेठी का सृजन (उत्तर प्रदेश का 72 वाँ जनपद) भी एक ऐसी ही राजनीतिक घटना है। इस जनपद का सृजन 1 जुलाई सन् 2010 को छत्रपति भाहूजी महाराज नगर के नाम से उ०प्र० की तत्कालीन मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी द्वारा किया गया। जिसमें सुलतानपुर जनपद की तीन (अमेठी, गौरीगंज, मुसाफिरखाना) एवं रायबरेली जनपद की दो (तिलोई, सलोन) तहसीलों को सम्मिलित किया गया था। पुनः 30 जुलाई 2012 को राज्यपाल महोदय द्वारा जनपद की अधिसूचना को निरस्त करते हुए 'अमेठी' नामक नये जिले का सृजन हुआ जिसका मुख्यालय गौरीगंज निश्चित किया गया। उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी थे। प्रशासनिक सुविधा एवं जन-तक सुविधाओं के सुचारु पहुँच के लिए इस जनपद का सृजन उपयुक्त माना जा सकता है। इस जनपद पूर्व दिशा में सुलतानपुर, पश्चिम में रायबरेली, उत्तर दिशा में अयोध्या, सुलतानपुर, उत्तर पश्चिम में बाराबंकी, दक्षिण में प्रतापगढ़ तथा दक्षिणपूर्व दिशा में सुलतानपुर जनपद स्थित हैं। इस समय जनपद में 4 तहसीलें (अमेठी, गौरीगंज, मुसाफिरखाना, तिलोई) और 13

विकासखण्ड (अमेठी, गौरीगंज, मुसाफिरखाना, तिलोई, जगदीशपुर, बाजार भुक्कुल, भेटुआ, भादर, संग्रामपुर, भाहगढ़, जामों, सिंहपुर, बहादुरपुर), 99 न्याय पंचायतें तथा 682 ग्राम पंचायतें हैं। इस जनपद की कुल जनसंख्या 1867678 (जनगणना 2011) है जिसमें ग्रामीण जनसंख्या 1818940 तथा नगरीय जनसंख्या 48738 है। कुल जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या 945235 तथा महिला जनसंख्या 922443 है। इस जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल 2362 वर्ग किमी है तथा अक्षांशीय स्थिति 26°9' उत्तरी अक्षांश एवं देशान्तरीय विस्तार 81° 49' पूर्वी देशान्तर है। तथा औसत ऊँचाई 101 मीटर (331 फीट) है। इस जनपद का प्रशासनिक सेटअप उच्चस्तरीय है। अमेठी इस जनपद का प्रमुख नगर है जबकि गौरीगंज जनपद मुख्यालय के रूप में जाना जाता है। अमेठी जनपद कई मायनों में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। प्रथम—इस जनपद में अनेक ऐसे वृहत उद्योगों की स्थापना की गयी है जिनमें प्रयुक्त कच्चे माल को बाहर से आयातित करना पड़ता है जैसे ए0 सी0 सीमेन्ट प्लांट टिकरिया, तथा कुछ पाद रहित उद्योग जैसे एच0 ए0 एल0 जहाँ पर वायुयानों के चिप का निर्माण किया जाता है। इस जनपद के पूर्वी भाग में एक ऐसे केन्द्र की स्थापना की गई है जिसका उल्लेख आवश्यक सूदूर पूर्व में पीपरपुर न्याय पंचायत की भोजपुर गाँव में एशिया स्तर के मत्स्य प्रजनन केन्द्र की स्थापना की गयी है। जो अपने समीपी ग्रामों को तो सुविधा प्रदान करता ही है इससे इतर दूर-दराज के क्षेत्रों को भी सुविधा प्रदान करता है। इससे आस-पास के क्षेत्रों में मत्स्यपालन के लिए लोगों को बीज प्रदान किए जाते हैं। इस जनपद की कोई विशेष प्राकृतिक सीमा नहीं है परन्तु आदि गंगा के रूप में प्रसिद्ध गोमती नदी इस जनपद की उत्तरी सीमा बनाती है। जो कि बाजार शुक्ल के उत्तरी भाग में प्रवेश करती है तथा मुसाफिरखाना के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में अमेठी से अलग हो जाती है। यह जनपद मानसूनी क्षेत्र में आता है इस लिए अधिकांश वर्षा जुलाई एवं अगस्त के महीने में (इसी समय मानसून आने के कारण) होती है। जनपद की वार्षिक औसत वर्षा 110 सेमी है। मूल रूप से देखा जाय तो यह बारानो कृषि वाला क्षेत्र है इस लिए वर्षा का जल से क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। यही जल यहां के भूमिगत जल के स्तर को सामान्य रखता है जो कि पेय एवं सिंचाई के काम में लाया जाता है। वर्तमान आर्थिक युग में परिस्थितियां अनुकूल नहीं रह गयी हैं क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के अनुरूप संसाधनों में अनुकूलतम वृद्धि नहीं देखी जा रही जिसका मूल कारण संसाधनों का तीव्र गति से दोहन है। इस जनपद में वन संसाधन उपलब्ध तो है पर उसके संरक्षण की आवश्यकता है। इस जनपद के गठन के समय से ही यहां निरन्तर गतिशीलता बनी रही है। उल्लेखनीय है कि यह जनपद औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए जाना जाता है यहां भेल, सेल, इण्डोगल्फ, एच0 ए0 एल0, ए0 सी0 सी0 सीमेन्ट प्लांट जैसे बृहत् उद्योग तो हैं ही इसके साथ-साथ छोटे एवं मझले उद्योगों की संख्या भी 100 से अधिक हैं। इस जनपद में जनसंख्या वृद्धि के अनुरूप विभिन्न सुविधाओं का कितना विकास हुआ है इसका मूल्यांकन करना इस शोध का मुख्य विन्दु है।

भूमि का उपयोग प्रतिरूप : जनपद अमेठी का वर्तमान भूमि का उपयोग प्राचीन परम्परा का अनुसरण करती है भूमि उपयोग अध्ययन से स्पष्ट होता है कि सम्पूर्ण भूमि पर कौन-कौन से कार्यकलाप विकसित हैं अथवा कृषि के अन्तर्गत कितनी भूमि संलग्न है और कृषि के अतिरिक्त कितनी भूमि है। भूमि उपयोग को दो प्रकारों में बांटा जाता है। प्रथम कृषि के लिए योग्य भूमि तथा द्वितीय कृषि के लिए अयोग्य भूमि। इससे भूमि के उपयोग के स्पष्ट हो जाने से आने वाले समय में भूमि की उपलब्धता के अनुरूप योजनाएं बनायी जा सकती हैं जिससे भूमि उपयोग को और भी बेहतर बनाया जा सके। जनपद अमेठी में भी भूमि उपयोग का अध्ययन कर भविष्य के लिए योजनाएं तैयार की जा सकती हैं। सामान्य भूमि के उपयोग के आधार पर अध्ययन क्षेत्र को निम्नलिखित भूमि वर्गों में बांटा जा सकता है— 01—वन क्षेत्र, 02—कृष्य बेकार भूमि, 03—वर्तमान परती भूमि, 04—अन्य परती भूमि, 05—ऊसर एवं कृषि के लिए अयोग्य भूमि, 06— कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग की भूमि, 07—चारागाह, 08—उद्यानों, वृक्षों एवं झाड़ियों का क्षेत्र, 09—शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, 10—कुल प्रतिवेदित भूमि

भूमि उपयोग का उपरोक्त प्रकार अग्रलिखित सारणी क्रमांक 5.1 से स्पष्ट होता है कि और इस सारणी में 2010-11 से 2020-21 के मध्य भूमि उपयोग परिवर्तन को भी दर्शाया गया है।

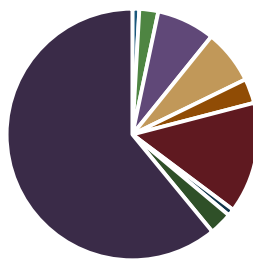
सारणी क्रमांक 1.1

जनपद अमेठी सामान्य भूमि उपयोग (हेक्टेयर में) (वर्ष 2010-11 एवं 2020-21)

क्र०सं०	भूमि उपयोग विवरण	2010-11		2020-21	
		भूमि उपयोग	प्रतिशत	भूमि उपयोग	प्रतिशत
01	वनक्षेत्र	5606	1.02	2111	0.89
02	कृष्य बेकार भूमि	12045	2.19	5788	2.42
03	वर्तमान परती	54940	10.03	17826	7.48
04	अन्य परती	22950	4.19	16636	6.98
05	ऊसर एवं कृषि के लिए अयोग्य भूमि	15213	2.78	7546	3.17
06	कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग की भूमि	74263	13.56	33995	1.27
07	चारागाह	41328	7.55	2086	0.88
08	उद्यानों वृक्षों एवं झाड़ियों का क्षेत्र शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल	18590	3.39	7011	2.94
09	शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल	339914	62.07	145202	60.96
	कुल प्रतिवेदित भूमि	547653	100.00	238201	100

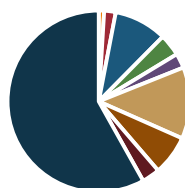
स्रोत—जिला सांख्यिकी पत्रिका 2010-11 एवं 2020-21

जनपद अमेठी में भूमि उपयोग (2020-21)



- भूमि उपयोग विवरण
- वनक्षेत्र
- वर्तमान परती
- ऊसर एवं कृषि के लिए अयोग्य भूमि
- चारागाह
- शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल
- कृषि बेकार भूमि
- अन्य परती
- कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग की भूमि
- उद्यानो वृक्षों एवं झाड़ियों का क्षेत्र शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल

जनपद अमेठी भूमि उपयोग (2010-11)



- वनक्षेत्र
- वर्तमान परती
- ऊसर एवं कृषि के लिए अयोग्य भूमि
- चारागाह
- शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल
- कृषि बेकार भूमि
- अन्य परती
- कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग की भूमि
- उद्यानो वृक्षों एवं झाड़ियों का क्षेत्र शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल

सामान्य भूमि उपयोग : तालिका क्रमांक 1.1 में जनपद अमेठी के भूमि उपयोग का प्रदर्शन किया गया है। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2010-11 में सर्वाधिक प्रतिशत शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 60.96 प्रतिशत है। यह सकल अन्य भूमि उपयोग के योग से भी अधिक है। लेकिन 2010-11 में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 62.07 प्रतिशत भूमि आती है। यह प्रतिशत 2020-21 की 60.96 प्रतिशत से अधिक है। इससे तात्पर्य है कि वर्ष 2011 में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल अधिक है जिसका प्रमुख कारण भूमि के अन्य उपयोगों में परिवर्तन है। इसके बाद जनपद में भूमि के उपयोग में अधिक भाग कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग की भूमि का है। अध्ययन क्षेत्र में कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग की भूमि 14.27 प्रतिशत है। 2010-11 में यह प्रतिशत 13.56 था, जिसमें 0.71 प्रतिशत की वृद्धि हुई है अर्थात् जनपद अमेठी में अन्य कार्यों के अर्न्तगत आने वाली भूमि में वृद्धि हुई है, चाहे वह औद्योगिक विकास हो अथवा नगरीय। इसके बाद वर्तमान परती भूमि के अर्न्तगत 7.18 प्रतिशत का क्षेत्र आता है। यह भूमि 2010 में 10.03 प्रतिशत है जनपद में 2010-11 की तुलना में 2020-21 में वर्तमान परती भूमि में 2.55 प्रतिशत की कमी आयी है। इसका प्रमुख कारण भूमि सुधार एवं ऊसर सुधार कार्यक्रमों के द्वारा परती भूमि का उपयोग की ओर बढ़ाया गया है, यह एक सकारात्मक प्रयत्न है।

अध्ययन क्षेत्र में 2020-21 में अन्य परती भूमि विगत दशक में 2.07 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जनपद अमेठी में ऊसर एवं कृषि के लिए अयोग्य भूमि का प्रतिशत 3.17 है जो 2010-11 में 2.78 प्रतिशत था। इसकी तुलना में वर्तमान में ऊसर एवं कृषि के लिए अयोग्य भूमि में 0.39 प्रतिशत की कमी थी। ऊसर एवं कृषि के लिए अयोग्य भूमि में वृद्धि का मतलब यह है कि कृषि इस प्रकार की भूमि में पिछले दशक में वृद्धि हुई है। जिसका कारण यह है कि इस भूमि का उपयोग अन्य कार्यों के लिए किया गया है। जनपद में उद्यानों, वृक्षों एवं झाड़ियों के क्षेत्र में 0.45 प्रतिशत की कमी हुई। 2010-11 में इसके अर्न्तगत 3.39 प्रतिशत भूमि संलग्न थी जो 2020-21 में 2.94 प्रतिशत हो गई। इसका तात्पर्य यह है कि उद्यानों एवं झाड़ियों के क्षेत्रों में पेड़ों के झाड़ियों को काटकर इस भूमि को अन्य उपयोग में लाया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त कृषि योग्य बेकार भूमि में 2010-11 की तुलना में 2020-21 में 0.23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। जनपद अमेठी में वन के अर्न्तगत भूमि का प्रतिशत बहुत कम है जो कि चिंता का विषय है। 2010-11 की तुलना में 2020-21 में 0.13 प्रतिशत वन क्षेत्र में कमी आयी है। 2010-11 में अध्ययन क्षेत्र में वन क्षेत्र के अर्न्तगत 1.02 प्रतिशत भाग था जो 2020-21 में घटकर 0.98 प्रतिशत हो गया। वन क्षेत्र में कमी का प्रमुख कारण विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों एवं पेड़ों का काटना। हालांकि वृक्षों के काटने पर प्रतिबन्ध है लेकिन लोग चोरी-चुपके अपनी लालच के वशीभूत होकर वनों का नाश करने में लगे हैं। इसी प्रकार चारागाहों की भी यही स्थिति है अर्थात् 2010-11 की तुलना में 2020-21 में चारागाहों के क्षेत्र में 6.67 प्रतिशत की कमी आयी है। यह कमी बहुत अधिक है। अध्ययन क्षेत्र में 2010-11 में जहाँ 7.55 प्रतिशत क्षेत्र पर चारागाह भूमि थी वहीं यह 2020-21 में कम होकर मात्र 0.88 प्रतिशत ही रह गई। विभिन्न लोगों एवं सरकारी शह की वजह से चारागाह भूमि पर अतिक्रमण कर इस प्रकार की भूमि का लोप हो रहा है।

जनपद अमेठी के भूमि उपयोग का प्रदर्शन किया गया है। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2010-11 में सर्वाधिक प्रतिशत शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल के अर्न्तगत आता है जो कि 60.96 प्रतिशत है। यह सकल अन्य भूमि उपयोग के योग से भी अधिक है। लेकिन 2010-11 में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल के अर्न्तगत 62.07 प्रतिशत भूमि आती है। यह प्रतिशत 2020-21 की 60.96 प्रतिशत से अधिक है। इससे तात्पर्य है कि वर्ष 2011 में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल अधिक है जिसका प्रमुख कारण भूमि के अन्य उपयोगों में परिवर्तन है। इसके बाद जनपद में भूमि के उपयोग में अधिक भाग कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग की भूमि का है। अध्ययन क्षेत्र में कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग की भूमि 14.27 प्रतिशत है। 2010-11 में यह प्रतिशत 13.56 था, जिसमें 0.71 प्रतिशत की वृद्धि हुई है अर्थात् जनपद अमेठी में अन्य कार्यों के अर्न्तगत आने वाली भूमि में वृद्धि हुई है, चाहे वह औद्योगिक विकास हो अथवा नगरीय। इसके बाद वर्तमान परती भूमि के अर्न्तगत 7.18 प्रतिशत का क्षेत्र आता है। यह भूमि 2010 में 10.03 प्रतिशत है जनपद में 2010-11 की तुलना में 2020-21 में वर्तमान परती भूमि में 2.55 प्रतिशत की कमी आयी है। इसका प्रमुख कारण भूमि सुधार एवं ऊसर सुधार कार्यक्रमों के द्वारा परती भूमि का उपयोग की ओर बढ़ाया गया है, यह एक सकारात्मक प्रयत्न है।

अध्ययन क्षेत्र में 2020-21 में अन्य परती भूमि के अर्न्तगत 6.98 प्रतिशत आती है इसके पूर्व 2010-11 में अन्य परती भूमि के अर्न्तगत 4.91 प्रतिशत थी। इस प्रकार विगत दशक में 2.07 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जनपद अमेठी में ऊसर एवं कृषि के लिए अयोग्य भूमि का प्रतिशत 3.17 है जो 2010-11 में 2.78 प्रतिशत था। इसकी तुलना में वर्तमान में ऊसर एवं कृषि के लिए अयोग्य भूमि में 0.39 प्रतिशत की कमी थी। ऊसर एवं कृषि के लिए अयोग्य भूमि में वृद्धि का मतलब यह है कि कृषि इस प्रकार की भूमि में पिछले दशक में वृद्धि हुई है। जिसका कारण यह है कि इस भूमि का उपयोग अन्य कार्यों के लिए किया गया है। जनपद में उद्यानों, वृक्षों एवं झाड़ियों के क्षेत्र में 0.45 प्रतिशत की कमी हुई। 2010-11 में इसके अर्न्तगत 3.39 प्रतिशत भूमि संलग्न थी जो 2020-21 में 2.94 प्रतिशत हो गई। इसका तात्पर्य यह है कि उद्यानों एवं झाड़ियों के क्षेत्रों में पेड़ों को काटकर इस भूमि को अन्य उपयोग में लाया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त कृषि योग्य बेकार भूमि में 2010-11 की तुलना में 2020-21 में 0.23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। कृषि योग्य बेकार भूमि 2010-11 में जहाँ 2.19 प्रतिशत थी वहीं 2020-21 में बढ़कर 2.42 प्रतिशत हो गई। जनपद अमेठी में वन के अर्न्तगत भूमि का प्रतिशत बहुत कम है जो कि चिंता का विषय है। 2010-11 की तुलना में 2020-21 में 0.13 प्रतिशत वन क्षेत्र में कमी आयी है। 2010-11 में अध्ययन क्षेत्र में वन क्षेत्र के अर्न्तगत 1.02 प्रतिशत भाग था जो 2020-21 में घटकर 0.98 प्रतिशत हो गया। वन क्षेत्र में कमी का प्रमुख कारण विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों एवं पेड़ों का काटना। हालांकि वृक्षों के काटने पर प्रतिबन्ध है लेकिन लोग चोरी-चुपके अपनी लालच के वशीभूत होकर वनों का नाश करने में लगे हैं। इसी प्रकार चारागाहों की भी यही स्थिति है। अर्थात् 2010-11 की तुलना में 2020-21 में चारागाहों के क्षेत्र में 6.67 प्रतिशत की कमी आयी है। यह कमी बहुत अधिक है। अध्ययन क्षेत्र में 2010-11 में जहाँ 7.55 प्रतिशत क्षेत्र पर चारागाह भूमि थी वहीं यह 2020-21 में कम होकर मात्र 0.88 प्रतिशत ही रह गई। विभिन्न लोगों एवं सरकारी शह की वजह से चारागाह भूमि पर अतिक्रमण कर इस प्रकार की भूमि का लोप हो रहा है।

सन्दर्भ :

1. शर्मा, एस0सी0 (1989), आदर्श कृषि विकास हेतु निवेश तथा अवस्थापनाओं का नियोजन, उत्तर प्रदेश पत्रिका, वाल्थूम एक, अंक-1, जून, पृ0 63-64
2. पाण्डेय, रविन्द कुमार (2004), पूर्वी उत्तर प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों का विकास स्तर, समस्याएँ एवं नियोजन, उत्तर भारत भूगोल पत्रिका, अंक-33, पृ0 34
3. विश्वकर्मा, रोहित कुमार, शोध प्रबन्ध (2014), मानव संसाधन विकास एवं पर्यावरण प्रबन्धन (जनपद सुलतानपुर का एक भौगोलिक विश्लेषण), पृ0 37-39
4. जिला सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद अमेठी, 2020-21
5. जिला कृषि कार्यालय, जनपद अमेठी, (उ0प्र0)

जिला उद्योग एवम उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र की भूमिका

रितेश कुमार यादव*

*ग्राम-बहेलिया, पट्टी प्रतापगढ़, उ०प्र०

सारांश : किसी देश या प्रदेश के तीव्र आर्थिक विकास में औद्योगिक विकास की महती भूमिका होती है। उद्योगों की स्थापना व विकास से न केवल तीव्र आर्थिक प्रगति प्राप्त होती है बल्कि भारी संख्या में रोजगार के अवसर भी सुलभ होते हैं। वर्तमान बदलते हुए आर्थिक परिवेश एवं जनसंख्या के निरन्तर बढ़ते हुए दबाव में सभी को नौकरी उपलब्ध कराना संभव नहीं है, परन्तु उद्योगों कि अधिकारिक स्थापना से बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है। अतः विकास के लिए विकेंद्रित व्यवस्था की आवश्यकता को देखते हुए भारत सरकार द्वारा 1979 में जिले स्तर पर जिला उद्योग केन्द्र की स्थापना की गयी। पिछड़े एवं ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक विकास कार्य जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा सम्पादित किये जाते हैं।

मुख्य शब्द : औद्योगिक विकास, बेरोजगारी, मूल्य अनुबन्ध, टेक्नालॉजी अपग्रेडेशन योजना, कलस्टर विकास योजना आदि।

गोरखपुर जनपद के औद्योगिक विकास के लिए जिला उद्योग केन्द्र सतत् प्रयत्नशील है। यह जनपद में उद्यमियों को प्रशिक्षित करने तथा विभागीय योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित कराने का पूर्ण प्रयास करता है। अन्य विभागों/निगमों एवं संस्थाओं से समन्वय स्थापित कर उनके द्वारा दी जाने वाली सुविधाएँ उपलब्ध कराता है। जनपद का औद्योगिक सर्वेक्षण कर उपलब्ध संसाधनों का पता लगाना, अवस्थापना सुविधाओं का विकास करना तथा संभावित उद्योगों की योजना तैयार करना आदि इस केन्द्र के प्रमुख कार्य हैं। **जिला उद्योग केन्द्र के प्रमुख उद्देश्य निम्नवत् हैं**—जनपद के उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना। क्षमतानुसार उद्योगों के चयन एवं उनकी योजना तैयार करने में सहायता करना। योजना चयन के बाद उद्यमियों एवं बेरोजगारों द्वारा निर्धारित आवेदन-पत्र भरने में उनकी सहायता करना। उद्यमियों को लघु उद्योग के अन्तर्गत पंजीकरण/मेमोरेण्डम प्रदान करना। उद्यमियों एवं बेरोजगारों को वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करना। यदि संभव हो तो उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराने तथा उनके उचित आवंटन में सहायता करना। उद्यमियों को उनके उत्पाद के विपणन व निर्यात हेतु उचित मार्गदर्शन प्रदान करने तथा जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तरीय विभिन्न प्रदर्शनियों में उनके उत्पाद के प्रदर्शन की व्यवस्था करना। जनपद के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में उद्यमिता विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करना। उद्यमियों को औद्योगिक क्षेत्रों में (यू०पी०एस०आई०डी०सी०) उपलब्धता के आधार पर विकसित भोड/भूखण्ड उपलब्ध कराना। उत्कृष्ट औद्योगिक इकाईयों एवं हस्तशिल्पियों को पुरस्कृत कराने हेतु प्रोत्साहन देना। रुग्ण इकाईयों के पुनर्वासन हेतु वांछित सहायता उपलब्ध कराना। मूल्य अनुबन्ध (सेट कान्ट्रैक्ट) योजना के अन्तर्गत इकाईयों को चयनित उत्पादों के विपणन में सहायता करना। पात्र औद्योगिक इकाईयों को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करना। जिला स्तरीय उद्योग बन्धु के माध्यम से विभिन्न विभागों से सम्बन्धित औद्योगिक समस्याओं का निराकरण एवं उन्हें स्वीकृतियां प्रदान करना। लघु एवं ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहित करके रोजगार के अधिकाधिक औद्योगिकरण की गति से अधिक तीव्रता लाना। उद्योगों की स्थापना हेतु इच्छुक उद्यमियों को एक छत के नीचे उद्योग स्थापना की समस्त जानकारी एवं सभी सुविधाएं उपलब्ध कराना। लघु एवं छोटे उद्योगों के विकास के लिए अवस्थापना का प्रबन्ध तकनीकी जानकारी, उद्यमिता विकास तथा सर्वेक्षण करना। वर्तमान समय में जिला उद्योग केन्द्र **“जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र”** के नाम से जाना जाता है। औद्योगिक विकास के दृष्टिगत, जिला उद्योग केन्द्र जिला स्तर पर कार्य योजनाओं के प्रसार-प्रचार, सम्बन्धित योजनाओं में पात्र अभ्यर्थियों का चयन, आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध करना, बैंक ऋण उपलब्ध कराना, प्रोजेक्ट स्थापित कराना, प्रोजेक्ट में आ रही समस्याओं के निदान तथा इकाईयों के उत्पादन के समुचित विपणन में सहायता इत्यादि कार्यों का क्रियान्वयन किया जाता है। **“अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012”** में एम०एस०एम०ई० के त्वरित विकास हेतु उद्यमियों को सुगमतापूर्वक पंजीकरण (उद्योग आधार व्यवस्था ऑन-लाइन) उपलब्ध करना, एसाइड योजना, टेक्नालॉजी अपग्रेडेशन योजना, कलस्टर विकास योजना तथा औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं के उच्चीकरण/सुदृढीकरण योजना संचालित की गयी है। उद्योगों का आर्थिक विकास एवं रोजगार में महत्व को देखते हुए केन्द्रीयकृत दर अनुबन्ध की व्यवस्था बहाल करते हुए मात्रा एवं दर अनुबन्धों में क्रय वरीयता नीति लागू की गयी है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं जनजाति सामूहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, हस्तशिल्पियों को कार्यकुशलता एवं आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ‘शिल्पकार पेंशन योजना’, ‘हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना’ ब्याज उपादान योजना तथा युवा स्वरोजगार योजना का भी संचालन किया जा रहा है।²

जिला उद्योग केन्द्र द्वारा औद्योगिक विकास के लिए किये जा रहे प्रयास : जिला उद्योग केन्द्र द्वारा उद्योगों के विकास के लिए निम्नवत् प्रमुख कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं।³

परामर्श एवं परियोजना निर्माण : जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से उद्यमियों को न केवल उद्योग स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रकार की जानकारी दी जाती है बल्कि परियोजना तैयार करने के लिए विभिन्न मर्दों में होने वाले व्यय तथा मशीनों की आपूर्ति के सम्बन्ध में नवीनतम जानकारी भी प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त मशीनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने में सहायता भी प्रदान किया जाता है।

उद्योग आधार पंजीकरण : सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं एवं सहायताओं का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रत्येक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को उद्योग आधार नम्बर प्राप्त करना आवश्यक है। जिसके आधार पर उद्यमी, भूमि, विद्युत, कच्चा माल, ऋण आदि विभिन्न सुविधाएं प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। इसके अतिरिक्त वित्तीय सुविधाएं, आयत-निर्यात एवं विपणन आदि की सुविधाएं प्रदान की जायेगी।

भूमि की उपलब्धता एवं भवन निर्माण : सरकार द्वारा जनपद में औद्योगिक विकास के लिए उद्योगों को स्थापित कराने हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से औद्योगिक आस्थान, औद्योगिक क्षेत्र तथा गीडा औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये गये

है। इसके अतिरिक्त भवन बनाने के लिए वर्कशॉप बनाने के लिए जैसे- सीमेन्ट, पनात्रीदार चादर, एगिल, चैनल आदि की मदद की जाती है।

औद्योगिक आस्थान⁴ : औद्योगिक आस्थान का मुख्य उद्देश्य जनपद में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना, विस्तारीकरण, आधुनिकीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। जनपद के औद्योगिकीकरण की आवश्यकता एवं महत्ता के परिप्रेक्ष्य में इस योजना के अन्तर्गत औद्योगिक आस्थान की स्थापना एवं विकास विकसित तथा अविकसित ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया। वृहद औद्योगिक आस्थानों में इस योजना के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के उच्चीकरण एवं सुदृढीकरण के कार्यों हेतु वर्ष 2013-14 में 42.46 लाख रुपये का बजट तीन जनपदों के तीन औद्योगिक आस्थानों के लिए प्राविधान किया गया। उद्योग विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा गोरखनाथ क्षेत्र में महाराणा प्रताप पालिटेक्निक के पास लथमलपुर में राजकीय औद्योगिक आस्थान 17.51 एकड़ में विकसित किया गया, जिनमें 16 भोड़, 56 भूखण्ड विकसित किये गये हैं। इन औद्योगिक आस्थान में मुख्य रूप से बेकरी, एग्रीकल्चर एक्जूपमेन्ट, एगो प्रोसेसिंग एल्युमिनियम, कपूर, रेडीमेड गारमेन्ट, मार्बल्स आदि की 36 इकाईयाँ कार्यरत हैं। इन स्थापित प्रमुख इकाईयों में नारायण इण्डस्ट्रीज, पार्को फूड प्रोडक्ट्स, लक्ष्मी मेटल्स इत्यादि हैं। औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 170 मिनी औद्योगिक आस्थान स्थापित है जिसमें जनपद गोरखपुर में चार मिनी औद्योगिक आस्थान, बासगाव, खजनी, बड़हलगाँव एवं हरिहरपुर में विकसित किये गये हैं और इनमें क्रमशः 75, 45, 40 तथा 32 भूखण्ड आवंटित हैं।

तकनीकी उन्नयन योजना : आर्थिक वैश्वीकरण और विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा तथा उदारीकरण के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लघु उद्योगों के त्वरित विकास एवं प्रतिस्पर्धा को विकसित करने के उद्देश्य से जनवरी 2007 में यह योजना प्रारम्भ की गई। जिसके अन्तर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को तकनीकी उन्नयन हेतु निम्नलिखित सुविधायें दी जा रही हैं—तकनीक की खरीद और आयात में व्यय की गई धनराशि का 50 प्रतिशत अधिकतम 2.50 लाख रुपये। उत्पादन में वृद्धि एवं गुणवत्ता में सुधार हेतु मशीन/संयंत्रों के क्रय में व्यय की गई धनराशि का 50 प्रतिशत अधिकतम 2.00 लाख रुपये। मशीनों के क्रय हेतु लिये गये ऋण पर ब्याज का 0.05 प्रतिशत अधिकतम 50,000.00 रुपये। आई0एस0आई0/आई0एस0आई0 पर व्यय की गई धनराशि का 50 प्रतिशत अधिकतम 2.00 लाख रुपये। परामर्श प्राप्त किये जाने पर व्यय की गई धनराशि का 90 प्रतिशत अधिकतम 50,000.00 रुपये।

उद्योग बन्धु : प्रदेश में लघु, मध्यम एवं वृहद औद्योगिक इकाईयों की समयबद्ध स्थापना एवं सम्बन्धित समस्याओं के निराकरण को सुनिश्चित करने हेतु यथोचित सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 1986 में उद्योग बन्धु की स्थापना की गयी। जिससे उद्यमियों तथा शासन के विभिन्न विभागों के मध्य सीधा संवाद एवं समन्वय के साथ अधिकाधिक औद्योगिक निवेश आकर्षित किया जा सकेगा। यह संस्था औद्योगिक वातावरण के सृजन द्वारा न केवल महत्वाकांक्षी उद्यमियों को प्रेरित करता है बल्कि आधारभूत सुविधाओं जैसे—भूमि, विद्युत, वित्त तथा अनुमन्य प्रोत्साहनों, सुविधाओं की जानकारी उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक नीतियों का प्रतिपादन तथा शासकीय प्रावधानों के फलस्वरूप अनुभव की जा रही बाधाओं के लिए नीतिगत निर्णय लेने तथा नीतियों में यथासम्भव आवश्यक संशोधन कराने में उद्योग बन्धु उल्लेखनीय भूमिका निभाती है।

उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम : बढ़ती हुई बेरोजगारी को कम करने तथा शिक्षित/प्रशिक्षित तकनीकी (कुशल/अकुशल) बेरोजगार व्यक्तियों को अपना उद्यम स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करने तथा उन्हें स्वरोजगार प्रदान करने, जिससे की औद्योगिक विकास को गति प्रदान की जा सके, उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन वर्ष 1978-79 से प्रदेश सरकार द्वारा किया रहा है। प्रदेश के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा एवं जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से प्रत्येक वर्ष उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित कर उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने हेतु प्रशिक्षण देकर प्रेरित किया जाता है।

एकल मेज व्यवस्था योजना : अनुकूल औद्योगिक वातावरण सृजन करने, उद्यमियों की जिज्ञासाओं व समस्याओं को विभिन्न सम्बन्धित विभागों से निराकरण कराने एवं स्वीकृतियाँ प्रदान कराने इत्यादि को दृष्टिगत रखते हुए एकल मेज व्यवस्था के कार्यान्वयन का गठन शासन द्वारा किया गया है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला उद्योग बन्धु की बैठकें उद्यमियों की समस्याओं को समाधान कराने तथा एकल मेज व्यवस्था के अन्तर्गत समय से स्वीकृतियाँ जारी कराने के लिए प्रत्येक माह आयोजित की जाती है। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु बैठकों के लिए सूचनायें, डाक व्यय, एजेण्डा नोट्स, कार्यवृत्त एवं सन्दर्भ आदि के लिये प्रत्येक माह व्यय हेतु धनराशि की आवश्यकता होती है।⁵

औद्योगिक नीति 1977 के अनुरूप गठित जिला उद्योग केन्द्र (जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र) गोरखपुर जनपद के औद्योगिक विकास के लिए सतत प्रयत्नशील है। यह संस्था जनपद में उद्यमियों को प्रशिक्षण के साथ-साथ उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके द्वारा जनपद का औद्योगिक सर्वेक्षण कर उपलब्ध संसाधनों का पता लगाने, अवस्थापना सुविधाओं का विकास एवं संभावित उद्योगों की योजना तैयार करने व उद्यमियों एवं बेरोजगारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में सहायता, रुग्ण इकाईयों के पुनर्वास में सहायता तथा औद्योगिक विकास के दृष्टिगत जिला स्तर पर कार्य योजनाओं के प्रचार-प्रसार, योजनाओं में पात्र अभ्यर्थियों का चयन, आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध करना, बैंक ऋण उपलब्ध कराना, प्रोजेक्ट स्थापित कराने में आ रही समस्याओं का निदान तथा उत्पाद हेतु विपणन में सहायता आदि का भी कार्य सम्पादित किया जाता है। इसके अतिरिक्त अध्ययन से यह भी ज्ञात होता है कि जिला उद्योग केन्द्र, उद्योगों के विकास के लिए परामर्श एवं परियोजना निर्माण में मदद, उद्योग आधार पंजीकरण, भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ औद्योगिक आस्थान को स्थापना एवं विकास, विकसित तथा अविकसित ग्रामीण क्षेत्रों में करती है।

सन्दर्भ :

1. औद्योगिक प्रोफाइल, (1998), 'जिला उद्योग केन्द्र,' गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर
2. उत्तर-प्रदेश में औद्योगिक विकास, प्रगति समीक्षा, (2013-14), उद्योग निदेशालय, उत्तर प्रदेश (नियोजन एवं समन्वय अनुभाग), कानपुर
3. उत्तर प्रदेश (2016), सूचना जनसम्पर्क विभाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
4. उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा (2015-16), अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश
5. जनपद गोरखपुर में लघु उद्योगों के विकास हेतु सुविधायें (2015-16), महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, गोरखपुर

निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के उद्भव और विकास में गोपाल कृष्ण गोखले का योगदान

सन्त प्रसाद जी*

*असिस्टेंट प्रोफेसर, समाज कार्य, राधा मोहन किसान मजदूर पी.जी.कालेज नियामतपुर, कन्सो, रसड़ा, बलिया, उ०प्र०

सारांश : अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा से तात्पर्य है 6 से 11 वर्ष के बच्चों को सरकार द्वारा निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करना। भारत में अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की संकल्पना स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई है। सर्वप्रथम इस दिशा में प्रयास 1882 ई० में दादा भाई नौराजी के माध्यम से हुआ था। तत्पश्चात् इसके लिए महत्वपूर्ण शुरुआत महात्मा गाँधी के राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। अध्ययन का उद्देश्य अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के उद्भव एवं विकास का विवेचनात्मक अध्ययन करना है।

मुख्य शब्द : निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, सांस्कृतिक विरासत, प्राथमिक शिक्षा के संगठन, ब्रिटिश सरकार आदि।

20वीं शताब्दी के प्रारम्भ में भारतीय बुद्धिजीवियों ने यह सोचना शुरू कर दिया कि इस देश को एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की जरूरत है जो यहाँ की सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं पर आधारित हो। वे यह समझ चुके थे कि देशवासियों की सामाजिक, आर्थिक तथा बौद्धिक उन्नति के लिए शिक्षा ही एकमात्र साधन हो सकती है। 1906 ई० में कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेन्ट ने स्पष्ट किया कि पूरे देश में एक राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति की स्थापना करना जरूरी है। अनेक राष्ट्रवादी नेताओं ने विभिन्न प्रांतों की सरकारों से अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने का अनुरोध किया। 1906 ई० में बड़ौदा रियासत के महाराजा सियाजी राव गायकवाड़ ने अपने राज्य में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया। बड़ौदा महाराज के ऐतिहासिक कार्य से उत्साहित होकर गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सरकार को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा हेतु क्रियाशील बनाने का संकल्प लिया। ज्ञात हो कि गोपाल कृष्ण गोखले पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज के प्राचार्य तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे। वे इम्पीरियल लेजिस्लेटिव असेम्बली के सदस्य भी थे।

1910 से 1913 ई० के बीच ब्रिटिश सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए गम्भीर प्रयास किया जाने लगा। इस सन्दर्भ में गोखले का विचार था कि राष्ट्र की उन्नति की नींव सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित करने में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा ही योगदान दे सकती है। अतः उन्होंने 19 मार्च 1910 ई० को संसद में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाने के सन्दर्भ में अपना प्रस्ताव निम्न शब्दों में प्रस्तुत किया। 'यह सभा संस्तुति करती है कि समस्त राष्ट्र में प्रारम्भिक शिक्षा को निःशुल्क तथा अनिवार्य बनाने की दिशा में प्रयास प्रारम्भ किया जाय तथा सरकारी व गैर अधिकारियों का एक संयुक्त आयोग इस सम्बंध में निश्चित प्रस्ताव तैयार करने के लिए शीघ्र ही नियुक्त किया जाए। प्रस्ताव में मुख्य बातें निम्नलिखित थीं— उन क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क की जानी चाहिए, जहाँ लगभग 35 प्रतिशत बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यह प्रावधान 6—10 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए होना चाहिए। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के क्रियान्वयन पर लागत खर्च को प्रांतीय सरकारों एवं स्थानीय निकायों द्वारा 2:1 के अनुपात में वहन करना चाहिए। केन्द्र सरकार के अधीन एक शिक्षा विभाग खोला जाना चाहिए, जो प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए योजना तैयार कर सकें। प्राथमिक शिक्षा के संगठन, निरीक्षण एवं देखभाल के लिए एक सचिव नियुक्त किया जाना चाहिए।

प्रस्ताव की समीक्षा करने के बाद ब्रिटिश सरकार ने अंतिम तीन प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया। साथ ही प्राथमिक शिक्षा के विकास से सम्बंधित आंकड़ों को सरकार द्वारा प्रकाशित किया जाने लगा। किन्तु प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने का मुख्य मुद्दा गौण ही बना रहा। गोखले सरकार के रवैये से भली-भाँति परिचित थे, अतः उन्होंने दोबारा ब्रिटिश सरकार, भारतीय जनता एवं इंग्लैंड की सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करने का प्रयास किया। अतः 16 मार्च 1911 ई० को उन्होंने दोबारा असेम्बली में अपना प्रसिद्ध विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक को स्पष्ट करते हुए, उन्होंने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य देश की प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में अनिवार्यता के सिद्धांत को क्रमशः लागू करने की व्यवस्था करना है। यह विधेयक मूलतः इंग्लैंड के अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 1870 एवं 1876 के प्रावधानों पर आधारित है, जो अपनी प्रकृति में मानवीय एवं उदार था। विधेयक की मुख्य बातें निम्न प्रकार थीं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उन क्षेत्रों में लागू की जाने चाहिए जहाँ 6—10 वर्ष के आयु के छात्रों की संख्या का एक निश्चित प्रतिशत पहले से शिक्षा प्राप्त करता आ रहा है। बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यह स्थानीय निकायों की मर्जी पर छोड़ देना चाहिए कि वे यह कानून लागू करना चाहते हैं कि नहीं। स्थानीय निकायों को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पर होने वाले खर्च की पूर्ति के लिए जतना से शिक्षा अधिभार वसूलने का अधिकार मिलना चाहिए। शिक्षा पर होने वाले खर्च को प्रांतीय सरकारों एवं स्थानीय निकायों द्वारा 2:1 के अनुपात में वहन किया जाना चाहिए। इस अनिवार्यता की शुरुआत करने से पहले वायसराय एवं गवर्नर की मंजूरी आवश्यक है। अनिवार्य शिक्षा का प्रथमतः लड़कों के लिए एवं बाद में लड़कियों के लिए विस्तार किया जाना चाहिए। वैसे अभिभावक जिनकी आय 10 रुपये प्रतिमाह से कम हो, उन्हें अपने बच्चों के लिए कोई शुल्क देय नहीं होगा।

गोखले के उपर्युक्त प्रस्ताव का अध्ययन एक पन्द्रह सदस्यीय सरकारी समिति ने किया एवं इसे राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों और स्थानीय शिक्षा निकायों को भेजा ताकि वे अपना अभिमत प्रस्तुत कर सकें। 17—18 मार्च 1912 तक इस विधेयक पर केन्द्रीय असेम्बली में चर्चा की गयी। गोखले ने विधेयक के पक्ष में जबरदस्त तर्क प्रस्तुत किए। लेकिन सरकार ने उदासीनता दिखाई। सरकारी प्रवक्ता के रूप में सर हरकोर्ट बटलर ने विधेयक का विरोध करते हुए निम्नलिखित तर्क दिए— प्रांतीय सरकार विधेयक के पक्ष में नहीं है। शिक्षित वर्ग भी विधेयक के पक्ष में नहीं है। देश अनिवार्य शिक्षा के लिए तैयार नहीं है। अनिवार्य शिक्षा जनता की मांग नहीं है। अनिवार्य शिक्षा लागू करने में अनेक प्रशासनिक कठिनाइयाँ हैं। स्थानीय निकाय अनिवार्य शिक्षा के लिए नये कर लगाने के लिए तैयार नहीं है। सरकार ने विधेयक को असामायिक तथा अनुपयुक्त बताते हुए तिरस्कृत कर दिया। विधेयक के अस्वीकार हो जाने से गोखले हतोत्साहित नहीं हुए। इसके साथ ही देश में प्राथमिक शिक्षा की मांग

धीरे-धीरे जोर पकड़ने लगी तथा देश के अनेक प्रांतों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम पारित किये जाने लगे। इंग्लैंड के सर्माट जार्ज पंचम 1912 ई० में जब भारत आए तो उन्होंने अपने सम्मान में आयोजित दिल्ली दरबार में शिक्षा के विकास के लिए 50 लाख रुपये का अनुदान देने की घोषणा की। उन्होंने गोखले के विधेयक के अस्वीकार होने पर खेद व्यक्त किया। 6 फरवरी 1912 ई० को कलकत्ता विश्वविद्यालय में दिए अपने संदेश में उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि सम्पूर्ण भारत में स्कूलों तथा कॉलेजों का जाल बिछ जाए, जहाँ से अपने उद्योग, कृषि तथा जीवन के सभी व्यवसायों को सम्भालने के योग्य निर्भीक व उपयोगी नागरिक निकल सकें। इसमें प्राथमिक शिक्षा हेतु मुख्य प्रावधान निम्नलिखित थे— निम्न प्राथमिक विद्यालयों का पर्याप्त विस्तार किया जाना चाहिए। यहाँ लिखने, पढ़ने व अंकगणित के साथ-साथ बालकों को कला, ग्राम मानचित्र, प्राकृतिक अध्ययन व शारीरिक शिक्षा दी जाए। उच्च प्राथमिक विद्यालय उचित स्थानों पर खोले जाएं तथा आवश्यकता अनुसार निम्न प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उत्क्रमित किया जाए। व्यक्तिगत सहायता प्राप्त विद्यालयों की जगह स्थानीय संस्थाओं के विद्यालय स्थापित किए जाए। विद्यालयों के निरीक्षण तथा प्रबंधन को प्रभावशाली बनाया जाए। मकतबों तथा पाठशालाओं को उदारता से सहायता दी जाए। शिक्षकों को मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण तथा एक वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। प्रत्येक शिक्षक पर छात्रों की संख्या सामान्यतः 30 से 40 होनी चाहिए। अवकाश के दौरान शिक्षकों के लिए पुनर्बोधन पाठ्यक्रमों का प्रावधान किया जाए। प्रारम्भिक शिक्षा के बाद माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा का भी प्रावधान किए जाए। परन्तु 1914 ई० में प्रथम विश्वयुद्ध प्रारम्भ होने के कारण अनेक प्रस्तावों को पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं किया जा सका। फिर भी अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए। महिला शिक्षा पर भी जोर दिया गया।

निष्कर्षत : यह कहा जा सकता है कि यह गोखले के प्रयत्नों का ही परिणाम था कि हर्टोग समिति (1929 ई०) एवं एबट बुड रिपोर्ट (जून 1937 ई०) में प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। 13 मार्च 1937 का महात्मा गांधी ने गोखले के शिक्षा सम्बंधी दर्शन को हरिजन पत्रिका में प्रकाशित किया। इसे उन्होंने बेसिक शिक्षा का नाम दिया। इसमें शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करने एवं विद्यालयों को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही। 1938 ई० में गठित खेर समिति एवं 1944 ई० में सार्जेंट योजना में भी शिक्षा के विकास पर योजनाएं प्रस्तुत की गयीं। गोखले के सोच का प्रभाव 1964-66 ई० में गठित कोटारी आयोग की अनुशंसाओं में देखा जा सकता है। आगे चलकर सन् 2005 में हमारे देश के प्रगतिशील संविधान में, जम्मू-कश्मीर को छोड़कर, पूरे भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम को भाग तीन में अनुच्छेद 21 क में स्थान दिया गया।

सन्दर्भ :

1. माथुर, वीएस (1985); स्टडीज इन इण्डियन एजुकेशन: नई दिल्ली, आर्य बुक डिपो
2. मुखर्जी, एसएन (1960); एजुकेशन इन इण्डिया: टुडे एवं टुमोरो : बडौदा आर्यो बुक डिपो
3. बसु, अर्पण (1898-1820); द ग्रोथ ऑफ एजुकेशन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन इण्डिया दिल्ली, 1974
4. बीयर्स जीडी (1961); ब्रिटिश एटिट्यूड्स टुवार्ड्स इण्डिया, 1784-1858, ऑक्सफोर्ड

केन्द्र व राज्य सरकारों के कार्यक्रम तथा योजनाएँ

सतीश कुमार उपाध्याय*

*असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, रमाबाई राजकीय महिला पी0जी0 कॉलेज, अकबरपुर, अम्बेडकरनगर

सारांश : यह शोध-पत्र केन्द्र व राज्य सरकारों के कार्यक्रम तथा योजनाएँ को रेखांकित करता है। असंगठित श्रमिकों एवं साधारणजन को लाभ पहुँचाना सरकार की नीति रही। जिसके सन्दर्भ में सरकारों द्वारा गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार सृजन के लिए समय-समय पर अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाये गये। यह शोध पत्र पूर्व के अध्ययन से अलग है एवं समाज के लिए महत्वपूर्ण है। शोधपत्र विवरणात्मक विधि पर आधारित है। यह अध्ययन अन्य शोधार्थियों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है।

मुख्य शब्द : पंचवर्षीय योजनाएँ, श्रमिक, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग, प्रशासनिक नेटवर्क आदि।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के हर वर्ग के विकास के लिए योजना आयोग द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं का गठन किया गया। श्रमिकों, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों तथा पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा विशेष योजना एवं कार्यक्रम चलाये गये जैसे-**स्व0 प्रधानमंत्री इन्दिरा गाँधी** द्वारा 20 सूत्रीय कार्यक्रम जिसमें 'गरीबी हटाओ' का नारा दिया गया जिसे 1992 में पुनर्गठित करके निर्धनता-उन्मूलन सम्बन्धी कार्यक्रमों में कई प्रावधानों शामिल किये गये जैसे-

1. समग्र ग्रामीण एवं राष्ट्रीय विकास पर अधिक ध्यान देना।
2. कृषि-भूमि की सीमा निर्धारित करना और अधिशेष भूमि को भूमिहीनों को बाँटना और दस्तावेज तैयार करना।
3. खेतिहर असंगठित श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी पुनरावलोकन करना और प्रभावी तरीके से लागू करना।
4. बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास करना तथा एस0सी0/एस0टी0 के विकास में तेजी लाना।
5. मकानहीन लोगों को भवन निर्माण में सहायता देना और भूमि की कीमतों में अनावश्यक वृद्धि को रोकना।
6. परिवार नियोजन को स्वैच्छिक आन्दोलन के रूप में विकसित करना तथा गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को पोषाहार देना।
7. निवेश प्रक्रिया को उदार बनाना, हस्तशिल्प, हथकरघा और ग्रामीण उद्योगों को सुविधा प्रदान करना।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में असंगठित श्रमिकों एवं साधारणजन को लाभ पहुँचाना सरकार की नीति रही। जिसके सन्दर्भ में सरकारों द्वारा गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार सृजन के लिए समय-समय पर अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाये गये। जैसे-

1. स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (1999)
2. सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (2001)
3. काम के बदले अनाज कार्यक्रम (2004)
4. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (2005)
5. ग्रामीण आवास योजना (1985, 2000, 2001)
6. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (1997)
7. सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम (1973)
8. अत्योदय अन्न (2000)
9. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (2000)

उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत पहले से लागू कई योजनाओं का विलय करके उन्हें नये रूपों में समाज के सामने प्रस्तुत किया गया, जिससे समाज के हर उस वर्ग पर प्रभाव पड़ा जो गरीबी, बेरोजगारी इत्यादि की समस्या से ग्रस्त थे।

वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र सरकार ने अनेक योजनाएँ चलाई हैं जिससे समाज का प्रत्येक वर्ग लाभान्वित हो रहा है जिसमें असंगठित श्रमिक भी है ये योजनाएँ निम्न हैं-

1. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
2. प्रधानमंत्री आवास योजना
3. स्वच्छ भारत अभियान : इसके अन्तर्गत शौचालय निर्माण
4. सौभाग्य योजना : जिसमें निःशुल्क विद्युत कनेक्शन की व्यवस्था
5. आयुष्मान भारत योजना 5 लाख तक निःशुल्क उपचार
6. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
7. एम्स/मेडिकल कालेज योजना
8. स्मार्ट सिटी मिशन
9. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
10. प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना
11. सांसद आदर्श ग्राम योजना
12. किसान विकास पत्र
13. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
14. प्रधानमंत्री जीवन-ज्योति योजना
15. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
16. अटल पेंशन योजना
17. मृदा स्वास्थ्य कांड योजना

18. बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना
19. जन-औषधि योजना
20. मेक इन इण्डिया
21. कौशल भारत योजना
22. मिशन इन्द्रधनुष
23. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना
24. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण योजना
25. अमृत योजना
26. स्वदेश दर्शन एवं प्रसार योजना
27. उड़ान योजना
28. पीएम0 कर्मयोगी, मानधन योजना
29. स्टार्टअप इण्डिया, स्टैंड-अप इण्डिया
30. प्रकाश पथ
31. पीएम0 श्रम योगी मानधन योजना (असंगठित श्रमिकों को 3000 / माह पेंशन की सुविधा)
32. ऊर्जा गंगा योजना
33. सौर सुजल योजना
34. प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान-धन योजना
35. प्रधानमंत्री जन-धन योजना

उपरोक्त केन्द्र सरकार की योजनाओं से देश के प्रत्येक राज्य के जनसाधारण एवं असंगठित श्रमिक लाभान्वित हुये हैं जन सामान्य के कल्याण के लिए राज्यों की सरकारों को भारत का संविधान अनेक अधिकार एवं कर्तव्य का बोध प्रदान करता है जिसके सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक क्षेत्र एवं वर्ग के सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए अनेक योजनाएँ एवं कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं, जिसको शोधार्थी ने प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों से अपने विवेक के द्वारा चिन्हित करके तथ्यों का संकलन किया है जो निम्न है-

सुरक्षित एवं समरस समाज के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अनेक पुलिस चौकी और धानों का निर्माण किया। असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए स्पेशल पुलिस टीम का गठन किया गया है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए वूमेन पावर लाइन बनाई गई है।

बुजुर्गों की सहायता के लिए 'सवेरा' कार्यक्रम का निर्माण किया गया है। लूट, हत्या, अपहरण, डकैती, दहेज एवं बलात्कार इत्यादि घटनाओं पर अंकुश के लिए प्रभावी कदम उठाये गये हैं।

खेतों और किसानों के लिए अनेक योजना और कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाये जा रहे हैं। जैसे-

1. राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना
2. मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन मण्डी समिति के व्यापारी एवं आढ़ती दुर्घटना सहायता योजना
3. हर घर जल योजना
4. घर-घर पेयजल योजना

कौशल विकास से रोजगार सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा **मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना** द्वारा स्टार्ट-अप, स्टैंड अप संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश के लोगों के सुन्दर स्वास्थ्य के लिए अनेक प्रयास किये गये हैं। जैसे-

1. मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना
2. मुख्यमंत्री आरोग्य मेला
3. मिशन इन्द्रधनुष
4. मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा कोष
5. उत्तर प्रदेश सरकार ने गाँवों को प्रकाशमान करने के लिए अनेक योजनाओं का संचालन किया है जैसे-
6. उजाला योजना
7. ई-संयोजन ऐप योजना
8. पी0 दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना
9. मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना
10. सोलर पम्प योजना

हर वर्ग के कल्याण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कई योजना एवं कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं जो निम्न है-

1. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना
2. वृद्धावस्था पेंशन/निराश्रित महिला पेंशन
3. दिव्यांगजन सशक्तीकरण योजना
4. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
5. मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना
6. श्रम विभाग द्वारा आयोजित विवाह योजना
7. अटल पेंशन योजना
8. विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना
9. उ०प्र० माटी कला योजना

10. नया सवेरा योजना

11. खेलों इण्डिया योजना

उपरोक्त केन्द्र तथा उत्तर प्रदेश राज्य की सरकारों द्वारा वर्तमान समय में जनसाधारण और विशेष रूप से असंगठित श्रमिकों के विकास के लिए योजना एवं कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं जिसका लाभ सभी वर्गों को प्राप्त हो रहा है।

असंगठित श्रमिकों के लिए विशाल योजनाएँ एवं कार्यक्रम : भारत की केन्द्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार ने असंगठित श्रमिकों को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए अनेक विशेष कार्यक्रम एवं योजनाओं का शुभारम्भ किया है जो स्वास्थ्य, वृद्धावस्था और सामाजिक सुरक्षा से सम्बन्धित है।

स्वास्थ्य सुरक्षा के सन्दर्भ में श्रमिकों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए केन्द्र सरकार ने स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। असंगठित श्रमिकों में बीमारी की समस्या, पारिवारिक सदस्यों की चिकित्सीय देखभाल, अस्पताल में भर्ती की आवश्यकता है। यह माना गया है कि गरीब परिवारों को गरीबी की आर ले जाने वाले स्वास्थ्य खर्च के जोखिम के खिलाफ स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा प्रदान करना एक आवश्यक आवश्यकता है। चूँकि इसे कार्यान्वयन करने में समस्या है क्योंकि श्रमिक लाभ लेने में असमर्थ है या अनिच्छुक है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचे, सामाजिक आर्थिक स्थितियों और प्रशासनिक नेटवर्क से सभी समस्याओं को पहचानते हुए बीपीओएल श्रमिकों के लिए जिला स्तर पर चरणबद्ध तरीके से एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य बीमा लाभ प्रदान किया जाये। इस योजना के पात्र निम्नलिखित होंगे—

1. बीपीओएल श्रेणी के श्रमिक और पाँच सदस्यों की इकाई का परिवार।
2. सदस्यों की पात्रता जिम्मेदार एजेंसियाँ करेंगी।
3. पहचान के लिए लाभार्थियों को स्मार्ट कार्ड जारी किया जायेगा।

इस योजना के लिए राज्य तथा केन्द्र सरकार दोनों धन की व्यवस्था करेंगे, स्मार्ट कार्ड खर्च केन्द्र द्वारा तथा प्रशासनिक एवं अन्य लागत राज्य द्वारा दिया जायेगा।

वृद्धावस्था सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने असंगठित श्रमिकों के लिए “प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन पेंशन योजना” प्रारम्भ की है। असंगठित श्रमिकों की सुरक्षा के अन्तर्गत सरकारों ने विशेष प्रावधान किये हैं। ज्यादातर असंगठित श्रमिक घर पर आधारित श्रम, बाजार आधारित श्रम, मिड-डे-मील श्रम, ईट भट्ठा मजदूर, पल्लेदार, भूमिहीन मजदूर, कृषि श्रम, निर्माण श्रम, बीड़ी/अगरबत्ती उद्योग, हथकरघा, मिल, डेयरी, मसाला, इत्यादि कार्यों में लगे हुये हैं। इसी तरह के अन्य व्यवसाय जिसकी मासिक आय 15 हजार रुपये प्रतिमाह से कम है और 18-40 आयु वर्ग के हैं उन्हें **नई पेंशन योजना (एनपीओएस0)**, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत कवर नहीं किया जाना चाहिए और आयकर दाता नहीं होना चाहिए। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है जिसके तहत निम्नलिखित लाभार्थी होंगे—

1. न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन के तहत प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने के बाद 3 हजार रुपये पेंशन होगी।
2. पेंशन प्राप्त करने के दौरान मृत्यु हो जाती है तो 50: पेंशन परिवार पेंशन के रूप में पति या पत्नी को प्राप्त होगी।
3. पेंशन का भुगतान लाभार्थी के बचत बैंक खाते/जन-धन खाते से ‘ऑटो डेबिट’ सुविधा के माध्यम से किया जायेगा।
4. एक निश्चित समय तक अंश भुगतान के बाद 60 वर्ष की अवधि से पेंशन दी जायेगी।
5. इस प्रकार पीओएमओवाईओएमओ श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रशासित और भारतीय जीवन बीमा निगम और सीओएसओसी0 ई-गवर्नेन्स सर्विसेज, इंडिया लिमिटेड के माध्यम से कार्यान्वित एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है।

असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा हेतु केन्द्र और राज्य सरकारों ने अनेक प्रयास किये हैं जिसमें से कुछ विशेष निम्न हैं—

1. **ई-श्रम योजना :** श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा विकसित, ई-श्रम पोर्टल असंगठित श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए बनाया गया है, जो व्यक्ति के आधारकार्ड से जुड़ा है। डेटा में नाम, व्यवसाय, पता, शैक्षिक योग्यता, कौशल प्रकार और परिवार का विवरण होता है जिससे उनकी रोजगार क्षमता को जाना जा सके और उन्हें सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सके। यह प्रवासी सहित असंगठित श्रमिकों का पहला राष्ट्रीय डेटाबेस है, जिनका उद्देश्य कामगार, कृषि श्रमिक इत्यादि का डेटाबेस तैयार करता है जो उन्हें सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं को पूरा करने में मदद करेगा और विभिन्न हितधारकों के साथ अपनी जानकारी साझा करेगा।
2. **आम आदमी बीमा योजना :** देश में लगभग 90: कार्यबल असंगठित श्रमिक के रूप में कार्य करता है। सरकार कुछ व्यावसायिक समूहों के लिए सामाजिक सुरक्षा लागू कर रही है किन्तु यह बहुत कम है। इन सभी कार्यबल को सुरक्षा देने के लिए केन्द्र सरकार ने संसद में बिल प्रस्तुत किया है जिसमें आम आदमी बीमा योजना महत्वपूर्ण है।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत में केन्द्र तथा राज्य सरकारों (उ0प्र0) ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के सामाजिक-आर्थिक कल्याण के लिए अनेक प्रयास किये हैं जिसका प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष लाभ श्रमिकों को प्राप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के अहिरौला विकास खण्ड के व्यावसायिक असंगठित श्रमिक इससे कम या ज्यादा निश्चित ही लाभान्वित हुये हैं।

सन्दर्भ :

1. दत्त, रुद्र (2007), असंगठित क्षेत्र और भारतीय अर्थव्यवस्था का असंगठितकरण, द इंडियन जर्नल ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स, वॉल्यूम 50 नंबर 4, पीपी 775-792, 2007
2. कपूर एवं सेठी (2014), असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की कामकाजी और रहने की स्थिति साहित्य की समीक्षा, ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय अंतःविषय अनुसंधान जर्नल, (द्वि. मासिक) ISSN 2249-9598, खंड IV, अंक II, मार्च-अप्रैल 2014
3. भारत श्रम और रोजगार रिपोर्ट, (2014), भारत श्रम और रोजगार रिपोर्ट 2014 : मुख्य विशेषताएँ
4. श्रीजा एवं शिर्के (2014), भारत में असंगठित श्रम बाजार का विश्लेषण, विशेष फीचर, सीआईआई रिपोर्ट सितंबर-अक्टूबर 2014
5. बोरा, राम सिंह (2014), प्रवासी असंगठित श्रमिक दिल्ली और सैटेलाइट टाउन का एक अध्ययन, आधुनिक अर्थव्यवस्था, 5, 562-579, <http://du-doi-org/10-4236/me.2014.55053>

सोशल मीडिया का अवदान : कोरोना काल के संदर्भ में

डॉ० अतुल मिश्र*

*असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, बी० एन० के० बी० पी० जी० कॉलेज, अकबरपुर, अम्बेडकरनगर

सारांश : प्रस्तुत शोध-पत्र के सोशल मीडिया का अवदान : कोरोना काल के संदर्भ में तथ्यात्मक एवं विवरणात्मक सूचनाओं तथा द्वितीयक स्रोतों के आधार पर इसके विविध पक्षों को स्पर्श किया गया है। सोशल मीडिया ने वर्ष 2019 में आयी वैश्विक महामारी कोरोना के समय भी अपनी भूमिका निभाई है। इस महामारी के दौरान चाहे प्रवासी मजदूरों के घर वापसी की समस्या रही हो, बच्चों के शिक्षण संस्थान बंद रहने की समस्या रही हो या लॉकडाउन के दौरान घरों में बन्द रहने पर जीवन को सुचारु रखने की समस्या रही हो सभी के निदान हेतु सोशल मीडिया ने सहयोगी के रूप में कार्य किया। फैसे हुये प्रवासी मजदूर अपनी समस्या सोशल मीडिया के द्वारा सरकार तक रखकर अपनी घरों को पहुँचने में मदद प्राप्त कर सके, बच्चों ऑनलाइन के माध्यम से शैक्षणिक कार्य में आयी समस्या को दूर कर सके तथा घरों में परिवार के सदस्यों को कैद रहने के दौरान मनोरंजन के साधन के रूप में सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग किये।

मुख्य शब्द : सोशल मीडिया, इंटरनेट, कोविड-19, वैश्विक महामारी, ऑनलाइन,

वैश्विक महामारी कोरोना की शुरुआत दिसम्बर 2019 के मध्य चीन के वुहान नामक शहर से उत्पन्न हुई जिसने वर्ष 2020 के प्रारम्भ के महीनों में धीरे-धीरे विश्व के अधिकांश देशों में अपना प्रसार कर लिया। कोरोना बीमारी के बढ़ते प्रकोप को देखकर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) ने इस बीमारी को वैश्विक महामारी घोषित कर दिया और इसका वैज्ञानिक नाम कोविड-19 रखा जहाँ को का अर्थ कोरोना, वि का अर्थ वायरस, ड का अर्थ डिसिस तथा 19 का अर्थ 2019 है। यह एक सूक्ष्म परन्तु अत्यधिक प्रभावी वायरस है जो मनुष्य के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा है। इस बीमारी से प्रभावित व्यक्ति को सर्वप्रथम तीव्र बुखार होता है उसके बाद सूखी खाँसी, नाक से पानी आना स्वाद, का न मिलना इत्यादि लक्षण दिखाई देते हैं परन्तु यह आवश्यक नहीं की इन लक्षणों में कुछ लक्षण होने पर वह व्यक्ति कोरोना संक्रमित ही हो अपितु वह व्यक्ति कोरोना से ग्रसित है या नहीं यह जाँचोपरान्त स्पष्ट हो जाता है। इस महामारी से भारत देश भी प्रभावित हुआ जहाँ प्रथम कोरोना का मामला 30 जनवरी 2020 को केरल राज्य में मिला धीरे-धीरे इसने समूचे भारत को अपनी चपेट में ले लिया जिसके कारण विश्व के अधिकांश देशों अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, रूस, फ्रांस आदि की तरह भारत ने भी कोरोना संक्रमण को रोकने हेतु भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा सर्वप्रथम 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू की घोषणा की गई और 24 मार्च 2020 को 21 दिनों के लिए पूरे देश में प्रथम चरण का लॉकडाउन घोषित किया गया। जिसमें आवश्यक सेवाओं जैसे-दूध, सब्जी, खाद्य दुकाने, बैंक पेट्रोल पम्प, चिकित्सा अन्य वस्तुओं की सेवाओं में छूट प्रदान थी जबकि शिक्षण संस्थान सहित परिवहन सेवा, सड़क, रेल तथा वायु सेवा निलंबित कर दिया गया तथा सभी जनमानस अपने-अपने घरों में कैद हो गये।

प्रथम चरण के लॉकडाउन के दौरान भी कोरोना के मामले तीव्रता से बढ़ते रहे जिसके कारण लॉकडाउन (पूर्णतालाबंदी) को समय-समय पर चरणबद्ध तरीके से निम्नवत् रूप में सरकार आगे बढ़ाती गई।

वर्ष 2020 में लॉकडाउन (तालाबंदी) का विवरण

वर्ष	दिनांक	दिन
प्रथम	24 मार्च 2020-14 अप्रैल 2020 तक	21
द्वितीय	15 अप्रैल 2020-3 मई 2020 तक	19
तृतीय	4 मई 2020-17 मई 2020 तक	14
चतुर्थ	18 मई 2020-31 मई 2020 तक	14
पंचम	1 जून 2020-30 जून 2020 तक	30

लॉकडाउन के साथ-साथ सरकार ने इस महामारी से बचाव हेतु कुछ अन्य सुझाव दिये जैसे-

1. दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी।
2. सामाजिक दूरी।
3. जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं।
4. घर में रहें सुरक्षित रहें।

कोरोना महामारी के दौरान प्रथम चरण के लॉकडाउन के कारण सभी आर्थिक गतिविधियाँ, शैक्षणिक संस्थान पूर्णतः बंद होने से अन्य राज्यों में कार्यरत प्रवासी भारतीयों के समक्ष अपने घरों को प्रस्थान करने की होड़ मच गई, जिससे समस्त कामगारों के समक्ष परिवहन बंद होने के कारण विकट समस्या उत्पन्न हो गई। जिससे लोग अपने घरों तक पदल ही निकल पड़े, इस दौरान कई लोगों की मृत्यु भी रास्ते में ही हो गई कुछ लोग बिना खाये, पिये कई जगह फैसे थे ऐसे में अधिकांश लोगों की मदद के रूप में सोशल मीडिया ने अपनी महती भूमिका निभाई।

भारत ही नहीं अपितु विश्व में फैसे कई प्रवासी भारतीयों के मदद के रूप में सोशल मीडिया ने अपनी भूमिका अदा की। सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों फेसबुक, ट्वीटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप आदि के माध्यम से लोगों ने अपनी समस्या रखनी शुरू कर दी जिससे सरकार तथा संबंधित व्यक्ति के परिवार, नातेदार, मित्र आदि के साथ विभिन्न सामाजिक संगठन उनकी सहायता के लिए आगे आने लगे। चाहे प्रवासी मजदूरों को रास्ते में भोजन, पानी तथा आवागमन की समस्या रही हो या फिर चिकित्सीय सुविधा की ऐसे में सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने एक दूसरे की समस्या को जानकर उनकी हर सम्भव सहायता का प्रयास किया।

लॉकडाउन के दौरान सभी आमजन अपने-अपने घरों में कैद थे जिसके कारण उन्हें अपना समय व्यक्त करने हेतु, सोशल मीडिया के रूप में एक प्रमुख सहारा मिला। साथ ही शिक्षण गतिविधियाँ बंद होने से सरकार ने शैक्षणिक कार्य को सुचारु रूप से चलाने हेतु ऑनलाइन संचालन की अनुमति प्रदान की जिसमें विभिन्न मंचों तथा एपों के द्वारा बच्चों अपना पठन-पाठन

कार्य करने लगे विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों में कार्यरत कर्मचारी अपने कार्यों को इंटरनेट पर 'वर्क फ्रॉम होम' के माध्यम से सम्पादित करने लगे। विभिन्न विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों ने अपने वेबिनार आयोजित किये। लॉकडाउन के दौरान विश्व भर में सोशल मीडिया की लोकप्रियता बढ़ गई जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सोशल मीडिया का उपयोग करने वालों की संख्या 3.96 अरब हो गई जो विश्व की कुल आबादी का 51 प्रतिशत है। डेटा रिपोर्टल की रिपोर्ट के अनुसार विगत एक साल में विश्व में सोशल मीडिया उपायेगकर्ताओं की संख्या में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस दौरान 37.6 करोड़ लोग सोशल मीडिया से जुड़े। यदि इसको औसत रूप में देखा जाये तो हर दिन 10 लाख उपायेगकर्ता तथा हर सेकेंड 12 लोग सोशल मीडिया से जुड़ने लगे।

कोरोनाकाल में इंटरनेट के प्रयोग का भी समय बढ़ा। डेटा रिपोर्टल की अप्रैल 2020 की रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट पर प्रत्येक दिन उपयोगकर्ता का औसत समय 3 घंटे 24 मिनट था जबकि जुलाई 2020 में आई रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट पर उपयोगकर्ताओं का प्रतिदिन समय बढ़कर 6 घंटे 42 मिनट हो गया। जबकि सोशल मीडिया पर प्रत्येक उपयोगकर्ता प्रतिदिन औसतन 2 घंटे 22 मिनट समय व्यतीत करने लगा। यदि सोशल मीडिया पर समस्त उपयोगकर्ताओं के व्यतीत किये गये समय को जोड़ दिया जाय तो प्रत्येक दिन 10 लाख वर्ष के बराबर समय सिर्फ सोशल मीडिया पर ही खर्च हो गया।

भारत में प्रत्येक उपयोगकर्ता प्रत्येक दिन सोशल मीडिया पर औसतन 2 घंटे 24 मिनट व्यतीत कर रहा है। भारत में सोशल मीडिया पर अत्यधिक समय व्यतीत करने के मामले में महिलाएँ-पुरुषों से आगे हैं जो निम्न सारणी से स्पष्ट है—

भारत में सोशल मीडिया पर समय व्यतीत करने में पुरुष-महिला आँकड़ा

आयु समूह	औसत समय	पुरुष	महिला
18-24 वर्ष	2 घंटे 53 मिनट	2 घंटे 37 मिनट	3 घंटे 12 मिनट
25-34 वर्ष	2 घंटे 34 मिनट	2 घंटे 27 मिनट	2 घंटे 42 मिनट
35-44 वर्ष	2 घंटे 14 मिनट	2 घंटे 12 मिनट	2 घंटे 16 मिनट
45-54 वर्ष	1 घंटे 50 मिनट	1 घंटे 44 मिनट	1 घंटे 57 मिनट
55-64 वर्ष	1 घंटे 20 मिनट	1 घंटे 13 मिनट	1 घंटे 27 मिनट

स्रोत-डेटा रिपोर्टल

इसी प्रकार लंदन की रिसर्च फर्म ग्लोबल वेब इंडेक्स ने कोरोना लॉकडाउन के मध्य विश्व के 18 देशों में सर्वे किया था सर्वे में सामने आया कि लॉकडाउन के दौरान लोग सोशल मीडिया पर अधिक समय व्यतीत कर रहे हैं। मई 2020 में हुए सर्वे के अनुसार सोशल मीडिया पर भारतीयों का समय 56 प्रतिशत बढ़ गया, जबकि जुलाई 2020 में हुए सर्वे के अनुसार भारतीयों का सोशल मीडिया पर समय व्यतीत करने का आँकड़ा पहले की तुलना में बढ़कर 59 प्रतिशत हो गया सोशल मीडिया पर सर्वाधिक समय फिलीपींस के लोग व्यतीत करते हैं, तथा लॉकडाउन के दौरान भी सोशल मीडिया पर समय व्यतीत करने के मामले में फिलीपींस 67 प्रतिशत समय व्यतीत करने के साथ प्रथम स्थान पर रहा।

सोशल मीडिया पर सर्वाधिक समय व्यतीत करने वाले दस प्रमुख देशों के आँकड़े—

देश	सोशल मीडिया पर औसत व्यतीत समय	कोरोनाकाल में बढ़ा समय
फिलीपींस	3.53 घंटे	67 प्रतिशत
भारत	2.24 घंटे	59 प्रतिशत
साउथ अफ्रिका	3.10 घंटे	55 प्रतिशत
ब्राजील	3.31 घंटे	54 प्रतिशत
पोलैण्ड	2.00 घंटे	45 प्रतिशत
रोमानिया	2.13 घंटे	44 प्रतिशत
चीन	2.12 घंटे	43 प्रतिशत
इटली	1.51 घंटे	43 प्रतिशत
स्पेन	1.51 घंटे	43 प्रतिशत
सिंगापुर	2.08 घंटे	41 प्रतिशत

स्रोत- ग्लोबल वेब इंडेक्स 2020

उपरोक्त सारणी से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर स्पष्ट है कि कोरोनाकाल में सोशल मीडिया के उपयोग में वृद्धि हुई है सोशल मीडिया ने लोगों को अपना समय व्यतीत करने का एक सशक्त माध्यम प्रदान किया अर्थात् लोगों के जीवन शैली को सोशल मीडिया ने परिवर्तन करने में अपना प्रमुख योगदान दिया है।

विगत एक वर्षों (2019-2020) में काफी बदलाव आया विशेषकर सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं में वर्ष 2019 से 2020 के मध्य विश्व में आबादी, मोबाइल, इंटरनेट तथा सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं में क्या परिवर्तन हुआ यह डेटा रिपोर्टल के सर्वे से ज्ञात होता है।

वर्ष जुलाई 2019 से वर्ष जून 2020 तक विश्व में परिवर्तन



स्रोत-डेटा रिपोर्टल

इस प्रकार विभिन्न सर्वे रिपोर्ट के आधार पर हम देखते हैं कि कोरोना महामारी के समय सोशल मीडिया के उपयोगकर्ताओं की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई। इस दौरान पूर्ण तालाबंदी होने के कारण आमजनमानस के जीवन में कॉफी परिवर्तन हुआ पहली बार इतने लम्बे समय तक लोग घरों में रहने को मजबूर थे, शिक्षण संस्थान, पूजा स्थल सहित अन्य गतिविधियाँ बंद होने के कारण लोगों को अपना समय व्यतीत करना दुरुह हो गया साथ ही लाकडाउन के दौरान कितने लोगों को भोजन, पानी चिकित्सा आदि की कमी का सामना करना पड़ा ऐसे में सोशल मीडिया ने एक सहायक के रूप में बच्चों के शिक्षण व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालन में सहायता प्रदान की, घर में महिलाओं के समय व्यतीत करने का माध्यम बना, कर्मचारियों को घर से ही कार्य करने का मार्ग प्रशस्त किया। प्रवासी मजदूरों की समस्या के निदान का माध्यम बना, सरकार द्वारा कोरोना से बचाव संबंधित मुख्य सूचनाओं को आम जनमानस तक पहुँचाने में सहायक बना। घरों में बंद होने के कारण विभिन्न लोगों द्वारा अपनी रचनात्मक प्रस्तुति का माध्यम उपलब्ध कराया चाहे वह गीत, संगीत, वीडियो, चित्र, भोजन बनाने की विधि, पढ़ाई करने के तरीके इत्यादि रहे हों। इसके अलावा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगभग प्रत्येक क्षेत्र में सोशल मीडिया ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए कोरोना महामारी के दौरान आमजनमानस के समय व्यतीत करने में सहयोग प्रदान किया। सरकार की बातों को आमजनता तक पहुँचाने का मार्ग सुलभ कराने के साथ अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है।

सन्दर्भ :

1. बुक्स, आदम, द सोशल मीडिया हैंडबुक : ऐप एडल्ट गाइड टू द डिजिटल लाइफ आफ ए टीन, बुक्स, बुक्स पब्लिकेशन, फर्स्ट एडिशन 22,2017.
2. स्पेन्डर, मार्शल, सोशल मीडिया एनालिटिक्स : इफेक्टिव टूल्स फार बिल्डिंग, इण्टरप्रेटिंग एण्ड यूजिंग मैट्रिक्स, मैकग्राहिल एजुकेशन पब्लिसर्स, दिसम्बर 13, 2013
3. फोरमैन, कैरेन, सोशल मीडिया डिक्शनरी, सोशल स्कूल 101, पब्लिकेशन अक्टूबर 10, 2014
4. पटेल, योगेश 2012, सोशल मीडिया, पुस्तक महल, नई दिल्ली,
5. सुमन, स्वर्ण, सोशल मीडिया, सम्पर्क क्रान्ति का कल आज और कल हार्पर कॉलिंस, पब्लिसर्स इण्डिया, नोएडा
6. दैनिक जागरण, समाचार पत्र, 18 मई 2020
7. ग्लोबन, वेब इंडेक्स, 2020
8. रिसर्च फार्म ग्लोबल वेब, इंडेक्स, लंदन

21वीं शताब्दी में गाँधीवादी स्वराज्य की प्रासंगिकता

डॉ० विजय सिंह मावई*

*सहआचार्य, इतिहास विभाग, राजकीय कन्या महाविद्यालय, सवाई माधोपुर,

सारांश : प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में आत्म-शासन विचार के सूत्र मिलते हैं। उन दिनों इस शब्द को राज्यव्यवस्था के सदस्यों की सामूहिकता के रूप में प्रयोग किया गया और यह प्रत्येक मानव जाति के नैतिक विकास के रूप में भी आत्मशासन से जुड़ा था। प्रस्तुत शोध पत्र में इन्हीं संदर्भों की पहचान और उनका विवेचन प्रस्तुत है। शोधपत्र ऐतिहासिक एवं विश्लेषणात्मक विधि पर आधारित है। यह अध्ययन शोधार्थियों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है।

मुख्य शब्द : स्वराज्य, राज्यव्यवस्था, उग्रवादी काल, विकासात्मक क्रांति, विकेन्द्रीकृत अर्थव्यवस्था आदि।

स्वराज्य शब्द का शाब्दिक अर्थ – स्वशासन या “अपना राज्य” (self governance or home rule) भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के समय प्रचलित यह शब्द आत्म-निर्णय तथा स्वाधीनता की मांग पर बल देता था। स्वराज्य शब्द का पहला प्रयोग स्वामी दयानन्द सरस्वती ने किया था। प्रारम्भिक राष्ट्रवादियों (उदारवादियों) ने स्वाधीनता को दूरगामी लक्ष्य मानते हुये स्वशासन के स्थान पर ‘अच्छी सरकार’ (ब्रिटिश सरकार) के लक्ष्य को वरीयता दी। तत्पश्चात् उग्रवादी काल में यह शब्द लोकप्रिया हुआ। इसके बाद इस शब्द का प्रयोग गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 ई० में किया गया। पहली बार इस मांग को आधिकारिक तौर से दादा भाई नोरोजी द्वारा 1906 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में रखा गया। यह तब और ज्यादा सुर्खियों में आया जब बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में होमरूल लीग की स्थापना के समय यह उद्घोषणा की कि “स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा” गाँधी ने सर्वप्रथम 1920 में कहा कि “मेरा स्वराज्य भारत के लिए संसदीय शासन की मांग है, जो व्यस्क मताधिकार पर आधारित होगा। गाँधी का मत था स्वराज्य का अर्थ है जनप्रतिनिधियों द्वारा संचालित ऐसी व्यवस्था जो जन-आवश्यकताओं तथा जन आकांक्षाओं के अनुरूप हो”।

गाँधीजी ने **यंग इण्डिया** में लिखा है “मेरे सपनों का स्वराज्य किसी प्रजातिगत अथवा धार्मिक भेद-भावों को नहीं मानता न यह शिक्षितों अथवा धनवानों की इजारेदारी होगा। स्वराज्य सभी का होगा शिक्षितों और धनवानों का भी पर इसमें खासतौर से अपंग, नेत्रहीन, भूखे और मेहनतकश करोड़ों भारतवासी सम्मिलित होंगे।” स्वराज्य का अर्थ है सरकार के नियंत्रण से मुक्त होने का सतत प्रयास यह सरकार विदेशी हो अथवा राष्ट्रीय।

गाँधीजी ने लिखा है कि “मेरे सपनों का स्वराज्य गरीबों का स्वराज्य है जीवन की अनिवार्य वस्तुएँ तुम्हें भी उसी प्रकार उपलब्ध होनी चाहिए, जिस प्रकार राजाओं और धनवानों को उपलब्ध है। मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि जब तक तुम्हें उन सुख सुविधाओं का आश्वासन नहीं मिलता तब तक स्वराज्य पूर्ण स्वराज्य नहीं माना जा सकता है।”

पूर्ण स्वराज्य जनसाधारण के बीच एक जागृति है। उनमें अपने वास्तविक हित की जानकारी और समूची दुनिया का मुकाबला करके भी उस हित को साधने की क्षमता है। सच्चे स्वराज्य का अनुभव स्त्री पुरुष और बच्चे सभी को होना चाहिए इस ससिद्धि के लिए प्रयास करना ही सच्ची क्रांति है। भारत संसार की सभी शोषित प्रजातियों के लिए एक आदर्श बन गया है क्योंकि भारत ने एक खुला और निहत्था संघर्ष किया है जो शोषणकर्ता को क्षति पहुँचाये बिना सभी से बलिदान मांगता है। यदि हमारा संघर्ष खुला तथा निहत्था न होता तो भारत की करोड़ों जनता में जागृति न फैलती। संघर्ष के सीधे रास्ते से हम जब-जब विचलित हुये हैं तब-तब कुछ समय के लिए हमारी विकासात्मक क्रांति को धक्का लगा है।

गाँधी के स्वराज्य की अवधारणा अत्यन्त व्यापक है। स्वराज्य का अर्थ केवल राजनीतिक स्तर पर विदेशी शासन से स्वाधीनता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि इसमें सांस्कृतिक व नैतिक स्वाधीनता का विचार भी निहित है। यह राष्ट्र निर्माण में परस्पर सहयोग मेल-मिलाप पर बल देता है। शासन के स्तर पर यह सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है। गाँधी का स्वराज्य निर्धन का स्वराज्य है, जो दीन दुखियों के उद्धार के लिए प्रेरित करता है। यह आत्म संयम, ग्राम राज्य व सत्ता के विकेन्द्रीकरण पर बल देता है। गाँधी ने सर्वोदय अर्थात् सर्वकल्याण का समर्थन किया। अहिंसात्मक समाज गाँधी की दृष्टि में आदर्श समाज व्यवस्था वही हो सकती है, जो पूर्णतः अहिंसात्मक हो। जहाँ हिंसा का विचार ही लुप्त हो जायेगा वहाँ दण्ड या बलप्रयोग की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। अर्थात् आदर्श समाज में राजनीतिक शक्ति या राज्य की कोई आवश्यकता नहीं होगी। गाँधी हिंसा तथा शोषण पर आधारित वर्तमान राजनैतिक ढाँचे को समाप्त करके उसके स्थान पर ऐसी व्यवस्था सम्मिलित करना चाहते थे जो व्यक्ति की सहमति पर आधारित हो तथा जिसका उद्देश्य अहिंसात्मक तरीकों से जनकल्याण में योगदान देना हो उनके अनुसार सर्वोत्तम सरकार वह जो कम से कम शासन करती है।

गाँधीजी के सपनों के प्रजातंत्र में किसी पक्ष विशेष का नहीं बल्कि सभी की सक्रिय सहानुभूति एवं सहयोग का स्थान है। राज्य अपने आप में साध्य नहीं बल्कि जनता का मंगल करने का एक साधन मात्र है।

स्वराज्य शब्द का अर्थ स्वशासन है लेकिन गाँधीजी ने इसे एक ऐसी अभिन्न क्रांति की संज्ञा दी जो कि जीवन के सभी क्षेत्रों को समाहित करती है। गाँधीजी के लिए स्वराज्य का अर्थ व्यक्तियों के स्वराज्य (स्वशासन) से था और इसलिए उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके लिए स्वराज्य का मतलब अपने देशवासियों हेतु स्वतंत्रता है और अपने सम्पूर्ण अर्थों में स्वराज्य स्वतंत्रता से कहीं अधिक है। आत्म निर्भर व स्वायत्त ग्राम पंचायतों की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण समाज के अंतिम छोर पर मौजूद व्यक्ति तक शासन की पहुँच सुनिश्चित करना ही गाँधीजी का ग्राम स्वराज्य सिद्धान्त था। आर्थिक मामलों में भी गाँधीजी विकेन्द्रीकृत अर्थव्यवस्था के माध्यम से लघु, सूक्ष्म व कुटीर उद्योगों की स्थापना पर बल देते थे। उनका मत था कि बाहरी उद्योगों की स्थापना के पश्चात् इनसे निकलने वाली जहरीली गैसों व धुँआँ पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, साथ ही बहुत बड़े उद्योगों का अस्तित्व श्रमिक वर्ग के शोषण का भी मार्ग तैयार करता है। आज इस महामारी के दौर में जब पूरे विश्व को फिर आर्थिक मंदी की ओर जाने का खतरा दिखाई दे रहा है ऐसे में इन कुटीर उद्योगों की स्थापना गरीब श्रमिकों के लिए आशा की किरण साबित होगी। गाँधीजी का स्वराज्य चौमुखी राज्य है। इसमें राजनीतिक स्वाधीनता, आर्थिक स्वाधीनता, नैतिक उत्थान और सामाजिक भाईचारा शामिल है।

गॉंधीजी ने इसे स्वराज्य का चौकोर कहा है। उनका मत था कि अगर इस चौकोर का एक भी कोण गलत हुआ तो उसकी सूरत ही बिगड़ जायेगी। गॉंधीजी ने सच्चे स्वराज्य की कुंजी सत्याग्रह, आत्मबल अथवा दयाबल को माना है और उनका मत है इस बल को काम में लाने के लिए सर्वथा स्वदेशी बनने की जरूरत है। गॉंधीजी ने स्वराज्य शब्द की अन्तर्निहित धारणा को व्यापक रूप दिया उसकी व्याख्या की और उसे लोगों के दिल और दिमाग में उतार दिया। स्वराज्य का शाब्दिक अर्थ है अपने ऊपर राज्य अर्थात् अपने ऊपर अपना नियंत्रण। दूसरे शब्दों में आत्म नियंत्रण। इस दृष्टि से स्वराज्य में एक आध्यात्मिक और नैतिक भावना का समावेश हो जाता है।

महात्मा गॉंधी की स्वराज्य विषयक कल्पना अत्यन्त उदात्त थी। वह उनके एक अन्य प्रिय शब्द रामराज्य का पर्याय था। वह उनके सपनों का भारत था। अपने सपनों के भारत का चित्र खींचते हुये उन्होंने लिखा था “स्वराज्य में राजा से लेकर रंक तक का एक भी अंग अविकसित रहे ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें कोई किसी का शत्रु ना हो सब अपना काम करें, कोई निरक्षर न रहे उत्तरोत्तर सब के ज्ञान की वृद्धि होती जाये सारी प्रजा को कम से कम बीमारियां हो कोई भी दरिद्र न हो परिश्रम करने वाले को बराबर का काम मिलता रहे, उसमें जुआं, चोरी, मद्यपान और व्यभिचार ना हो। वर्ग-विग्रह न हो धनिक अपने धन का विवेकपूर्ण उपभोग करे यह नहीं होना चाहिए की मुट्ठी भर धनिक मीनाकारी के महला में रहे और हजारों अथवा लाखों लोग हवा व प्रकाश रहित कोठरियों में।”⁸

गॉंधी जी के अनुसार सच्चा लोकतंत्र अथवा स्वराज्य झूठे और हिंसक साधनों का आश्रय लेकर कभी स्थापित नहीं किया जा सकता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता केवल विशुद्ध अहिंसा के वातावरण में ही पल्लवित हो सकती है।⁹

गॉंधी जी ने कहा कि मैं ऐसे स्वराज्य की प्राप्ति चाहता हूँ जिसमें शारीरिक रूप से सबल के साथ मिलकर स्त्रियां व बच्चे भी अपना समान योगदान दे सकें और यह केवल अहिंसा के अन्तर्गत ही हो सकता है।¹⁰

वर्तमान अस्थिरता के दौर में जहां एक ओर कोविड 19 जैसी महामारी लोगों को हताश और बेहाल किये हुये है। वहीं दूसरी ओर इसके आर्थिक परिणाम भी लोगों को भविष्य के प्रति आशंकित किये हुये है। कभी हाथरस जैसे काण्ड लोगों को मानवीय मूल्यों पर चिंतन हेतु विवश करते है तो कभी ड्रग्स जैसे मामले समाज को झकझोर ते है। आज सम्पूर्ण विश्व बाजारवाद की दौड़ में शामिल हो चुका है। लालच की परिणति युद्ध की सीमा तक चली जाती है। ऐसे में गॉंधीवादी स्वराज्य की प्रासंगिकता पहले से कहीं अधिक हो जाती है। गॉंधीवादी विचार व्यापक रूप से प्राचीन भारतीय दर्शन से प्रेरणा पाते है और इन विचारों की प्रासंगिकता अभी भी बरकरार है। आज के दौर में जब समाज में कल्याणकारी आदर्शों का स्थान असत्य, अवसरवाद, धोखा, चालाकी, लालच व स्वार्थपरता जैसे संकीर्ण विचारों द्वारा लिया जा रहा है तो समाज सहिष्णुता, प्रेम, मानवता, भाईचारे जैसे उच्च आदर्शों को विस्तृत करता जा रहा है। विश्व शक्तियां शस्त्र एकत्रित करने की स्पर्धा में लगी हुई है लेकिन एक छोटे से बायरस को हरा पाने में असमर्थ और लाचार साबित हो रही है। ऐसे में विश्व शांति की पुनर्स्थापना के लिए मानवीय मूल्यों को उन्हें प्रतिष्ठित करने के लिए आज गॉंधीवादी स्वराज्य नये स्वरूप में पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो उठा है।

गॉंधीजी धर्म व नैतिकता में अटूट विश्वास रखते थे। उनके लिए धर्म, प्रथाओं व आडम्बरों की सीमा में बंधा हुआ नहीं वरन् आचाण की एक विधि थी। गॉंधी जी के अनुसार धर्मविहीन राजनीति मृत्युजाल है, धर्म व राजनीति यह अस्तित्व ही समाज की बेहतरी के लिए नींव तैयार करता है। गॉंधीजी साधन व साध्य दोनों की शुद्धता पर बल देते थे। उनके अनुसार साधन व साध्य व मध्य बीज व पेड़ के जैसा सम्बन्ध है एवं दूषित बीज होने की दशा में स्वस्थ पेड़ की उम्मीद करना अकल्पनीय है। गॉंधीवादी दर्शन न केवल राजनैतिक, नैतिक और धार्मिक है बल्कि पारम्परिक और आधुनिक तथा सरल एवं जटिल भी है। यह कई पश्चिमी प्रभावों का प्रतीक है जिनको गॉंधीजी ने उजागर किया था। लेकिन यह प्राचीन भारत की संस्कृति में निहित है तथा सार्वभौमिक, नैतिक और धार्मिक सिद्धान्तों को पालन करता है।

सन्दर्भ :

1. यंग इण्डिया, 01.05.1930, पृ० 149
2. वही, 06.08.1925, पृ० 276
3. वही, 26.06.1931, पृ० 311
4. वही, 16.06.1931, पृ० 147
5. हरिजन, 03.03.1946, पृ० 311
6. विवेक, रामलाल, महात्मा गॉंधी जीवन और दर्शन, पृ० 121
7. सिंह, डॉ० रामजी, गॉंधी दर्शन भीमांसा, पृ० 55
8. गुप्त, शिव प्रकाश, मोहिनी गुप्त, महात्मा गॉंधी व्यक्ति और विचार, पृ० 157
9. देसाई, महादेव, विद गॉंधी इन सीलोन (मद्रास: एस गणेशन ट्रिप्लिकन) 1928, पृ० 98
10. हरिजन, 03.03.1945

पंचायती राज व्यवस्था की संकल्पना

माधुरी सिंह*

*राजनीति विज्ञान विभाग, शोध छात्रा, गाँधी शताब्दी स्मारक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोयलसा, आजमगढ़, उ०प्र०

डॉ० दिनेश कुमार सिंह**

**शोध निर्देशक, (विभागाध्यक्ष), राजनीति विज्ञान विभाग, गाँधी शताब्दी स्मारक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोयलसा, आजमगढ़, उ०प्र०

सारांश : पंचायती राज अपने आप में बिल्कुल स्पष्ट है यह पांच जनप्रतिनिधियों का एक समूह है जो ग्राम की स्थानीय शासन व्यवस्था के सफल संचालन हेतु अस्तित्व में आया। ग्राम पंचायतों में इन प्रतिनिधियों का चुनाव सीधे जनता के द्वारा किया जाता है। अनुसंधान जगत में ज्ञानमीमांसा के मार्ग को प्रशस्त करेगा। यह शोध-पत्र निश्चित ही पूर्व शोध-पत्र की पूरक और नये लोगों के लिए प्रेरणादायक सिद्ध होगी।

मुख्य शब्द : पंचायती राज, सामुदायिक विकास, प्रजातन्त्र, सामाजिक व्यवस्था, लोकतन्त्र की अभिकल्पना आदि।

प्राचीनकाल में पंचायतों का अस्तित्व स्थानीय शासकों द्वारा एक मात्र प्रशासन का उपकरण समझा जाता था लेकिन स्वतन्त्र भारत में प्रजातन्त्र के सर्वांगीण विकास के लिए एक व्यवस्था के रूप में समाहित करना जरूरी हो गया है।¹ वस्तुतः पंचायती राज का अभिप्राय शासन व्यवस्था का वह रूप जो पंचायतों के विस्तृत जाल के रूप में है। आधोपान्त रूप में यह नित्य प्रति यह सम्पूर्ण राष्ट्र का एक अभिन्न अंग के रूप में साबित हो रहा है। यह एक नवीन सिद्धान्त के रूप में अंगीकृत किया गया है।

पंचायती राज शासन व्यवस्था की वह परिवर्तनशील पद्धति साबित होती दिख रही है। जिसमें प्रशासनिक हुक्मखोरों का सत्ता विकेन्द्रीकरण होगा।² इससे ग्रामीण जनता को शासन स्तर से भाग लेने का सुअवसर प्राप्त होगा। तथा विभिन्न कार्य प्रणालियों में सामन्तस्य स्थापित होगा और इसके निमित्त प्रशासन का उत्तरदायित्व होगा कि वह अधिकाधिक लाभ जनता तक पहुँच सके। पंचायती राज व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बौद्धिक प्रशिक्षण के माध्यम नेतृत्व की क्षमता का विकास नहीं किया जा सकता।³ इसे सामुदायिक विकास में केवल सहायक के रूप में नहीं माना जाना चाहिए अपितु सर्वोदय कार्यक्रम के एक प्रमुख अंग के रूप में मानना चाहिए अग्रेतर मूल्यांकन तथा एक राजनैतिक क्रान्ति के रूप में स्थापित किया जा सकता है।⁴ पंचायती राज सामाजिक व्यवस्था का अग्रदूत ही नहीं अपितु एक महत्वपूर्ण अंग है जय प्रकाश नारायण तो इसे वर्तमान सामाजिक व्यवस्था का एक अंग ही न बल्कि उसका अग्रदूत मानते हैं।⁵

पंचायती राज व्यवस्था के उद्देश्य :

1. सामुदायिक विकास
2. सच्चे लोकतन्त्र की अभिकल्पना।
3. स्वायत्त शासन की स्थापना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पंचायती राज को सशक्त किया जा सकता है पंचायती राज व्यवस्था को कायम रखकर ही सच्चे लोकतन्त्र की कामना की जा सकती है। और शासन जब तक स्वायत्त नहीं होगा अर्थात् राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा शासन को स्वतन्त्र नहीं किया और उसे शक्ति प्रदान नहीं की जायेगी तब तक यह अधूरा लोकतन्त्र साबित होगा। यह लोक तन्त्र ग्राम से ही शुरू हो सकता है⁶ अथवा लोकतन्त्र का विकास गांव से ही प्रारम्भ हो।

पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय के मंत्री एस० के० डे ने कहा था पंचायती राज सरकार की एक ईकाई है जो नागरिकों को जीवन बिताने सलीका साबित होगा जो नवीन दृष्टि का सूचक है जो ग्राम सभा से लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा तक एक सूत्र में गुच्छित करेगा। पंचायती राज का तात्पर्य उस शासन व्यवस्था से है जिससे निचले स्तर पर लोगों को भागीदार बनाकर लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण को सुनिश्चित किया जाता है तथा लोगों को अपनी समस्याओं स्वयं हल करने का सीख सिखाया जाता है तथा सक्षम बनाया जाता है। यही पंचायती राज का सारगर्भित उद्देश्य है।

के० एस० वी० रमन⁷ के सिद्धांतों पर अमल करने से पंचायती राज को और आसानी से जाना जा सकता है। इनके द्वारा सुझाये गये सिद्धान्त इस प्रकार है –

1. व्यक्ति और समाज के बीच उसमें उत्पन्न होने वाले विभिन्न समस्याओं का निदान करके समाज और व्यक्ति के बीच सह-सम्बन्ध स्थापित करना ताकि प्रत्येक व्यक्ति समाज का अभिन्न अंग बन सके साथ ही साथ गांवों में निवसित लोगों में राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना।
2. स्वशासित इकाई के रूप में पंचायती राज्य कार्य कर सके तथा लोक कल्याण लिए प्रशासन को मजबूत बनाया जा सके। इससे विस्तृत रूप से कार्यों को लोककल्याण सरकारों द्वारा एक सुनियोजित अर्थव्यवस्था के द्वारा भलीभूत किया जा सके।
3. पंचायती राज की स्थापना जिला प्रशासन का प्रजातन्त्रीकरण करने का प्रयास के तरफ बढ़ाया गया के कदम है। पंचायती राज के द्वारा गांव तक राजनीतिक पार्टियों का अभाव सा देखने को मिलता है इसे विकसित करना है। पंचायतों राज व्यवस्था यन्त्रवत् विकास भी है तथा स्थानीय स्वराज भी है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद ग्रामस्वराज की अवधारणा महात्मा गांधी जी दिया था इसे साकार करने के उद्देश्य से पंचायती राज व्यवस्था पर विशेष बल दिया गया तथा इसके विकास के केन्द्र सरकार ने पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना की गयी जिससे पंचायती राज व्यवस्था भलीभूत हो सके।

पंचायती राज व्यवस्था की अवधारणा के अवलोकन से यह स्पष्ट यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वास्तव में सत्ता का विकेन्द्रीकरण ही पंचायती राज का प्रमुख उद्देश्य है। पंचायती राज प्रजातन्त्र में हर एक व्यक्ति तक भली-भाँति पहुँच जाय। उस दृष्टिकोण से उसका उद्देश्य निर्धारित किया जा सकता है—

1. ग्रामीण भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ कराना पंचायती राज का प्रमुख उद्देश्य रहा है। इसके निमित्त ग्राम में निवास करने वाली जनता अपनी स्थिति को शुद्ध कर सके और अपने जीवन को ऊँचाई तक ले जा सके।
2. प्रजातान्त्रिक पद्धति अपनाने के लिए उन्मुखता तथा प्रत्येक ग्रामीण वयस्क, स्त्री, पुरुष में राजनीतिक जागरूकता पैदा हो सके, सार्वजनिक कार्यों में अभिरुचि उत्पन्न हो सके। साथ ही साथ स्थानीय स्वाधीनता प्राप्त करके वे अपनी स्वयं की समस्याओं के बारे में सोच सकें तथा अपने संसाधनों द्वारा उसे हल करने का प्रयास करें।

जनता अपने प्रतिनिधियों द्वारा शासन चलाकर सुनियोजित ढंग से विकास करे और देश का विकास में सहयोग प्रदान करे जिससे व्यक्ति, समाज और राष्ट्र विकसित होकर अपना नाम करे।

भारत सरकार के केन्द्रीय शासन ने 1958 में एक ऐतिहासिक निर्णय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में लिया था जिसमें भारत के प्रत्येक राज्य में पंचायतों की विधिसम्मत स्थापना करायी जाय जिससे भारत में सच्चा, यथार्थ लोकतन्त्र का सपना पुरा हो सके। क्योंकि भारत का लोकतन्त्र विशिष्ट लोगो, वर्गों, समूहों का लोकतन्त्र बनकर रह जाता है जिसमें सामान्य व्यक्तियों वर्गों, समूहों को लोकतन्त्र में भागोदारी सीमित रूप में ही मिल पाती है। इसीलिए सरकार की यह विशिष्ट चिन्ता का विषय था कि सामान्य जनो, वर्गों, समूहों में लोकतान्त्रिक सहमति, निर्णय, लक्ष्यो से प्रतिबद्ध किया जाय। उस चिन्तन के पीछे भारत में एक सकारात्मक सोच का विकास हुआ क्योंकि एक ओर दक्षिण भारत में उस समय हिंसात्मक आंदोलनों ने जन्म ले रखा था। जैसे तेलंगाणा कम्युनिष्ट आंदोलन केरल का प्रथम राष्ट्र और राज्य का हिंसक वामपंथी संघर्ष उत्तर दक्षिण का विवाद, आदि जिससे अथक प्रयास के बाद भी योजनाओं का सफल संचालन नहीं हो सकता था न जनता के पास तक योजनाओं का लाभ ही पहुँच पाता था। इससे भारत की ग्रामीण जनता, शोषित निर्धन, सामानजन उपेक्षित और वंचित रह जाते थे। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि भारत में गरीबी के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग, अभावग्रस्त दो जीवन जीने को मजबूर थे।

एक तरफ ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में गरीबों में इन विकास कार्यक्रमों से दूरी बढ़त जा रही थी तो वहीं दूसरी तरफ भूख, भय, भ्रष्टाचार का बोलबाला चरम था तथा लोगों में अराजकता, हिंसा, विध्वंसक विचार, चोरी, हत्या, डकैती, लूटपाट, तथा अन्य जघन्य अपराधों के प्रति आकर्षण में वृद्धि हो रही थी, राजनिति अलगाववाद असंवैधानिक विचार, समूहों और प्रवृत्तियों के प्रति लगाव के प्रति जो लोकतान्त्रिक क्षति हो रही थी इसका प्रभाव अर्थात् लोकतान्त्रिक संकट पैदा होने में देर नहीं थी इस समस्या के प्रति सरकार ने समय रहते निर्णय लेने में बिना देर किये कदम उठाया। जहाँ एक ओर सरकार के कर्मचारी केन्द्र सरकार के इच्छानुसार कार्य करते रहे और जनता को संतुष्ट नहीं कर पा रहे थे। केन्द्रीय सरकार ने सत्ता के विकेन्द्रीकरण पद्धति की विधि विकेन्द्रीकरण पद्धति में स्थानीय कार्यकर्ताओं के निर्णय के अलावा स्थानीय संस्थाओं का निर्णय किया जाता है। इनके कार्यकलापों का निश्चय विधान मण्डल के माध्यम से होता है। स्थानीय संस्थाओं को संगठन का मार्गदर्शक उपर की सरकार करती है और ये संस्थाओं उसके विपरीत नहीं जा सकती तथा क्षेत्राधिकार परिवर्तन सरकारों के विधान मण्डल की अनुमानित से किया जाता है। स्थानीय शासन का अर्थ विकेन्द्रीकरण में उसकी मुख्य शक्तियों का महत्व प्रदान करने हुए स्थानीय निकायों का निर्णय होने से है⁹ प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण समिति महाराष्ट्र विकेन्द्रीकरण में स्थानीय संस्थाओं राज्य सरकार द्वारा निर्मित वैधानिक सीमाओं के अन्तर्गत रहकर कानून व्यवस्था और विकास का कार्य करती है।

ईसवी पूर्व स्वतंत्रता स्थानीय नियमों को होती है।¹⁰ विकेन्द्रीकरण के माध्यम से निर्मित किये जाते हैं जिससे वे भविष्य में अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन का सके। अधिकाधिक आवश्यकताओं की पूर्ति अपन सव साधनों द्वारा करें यही विकेन्द्रीकरण का सार्वभौमिक उद्देश्य है¹¹ -

जिन मान्यताओं या विभागों का स्थानीय शासन में महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है, संघीय व्यवस्था में उनकी उपयोगिता इस बात पर आश्रित होगी कि वे स्थानीय शासन और संघीय अभिकरणों के कार्यों¹² में कहाँ तक सामंजस्य स्थापित कर सकें में सक्षम हैं।

सन्दर्भ :

1. बी. मुखर्जी, कम्युनिटी डेवलपमेंट एण्ड पंचायती राज, दी इण्डियन जनरल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वाल्यूम-8 नं०-4 अक्टूबर-दिसम्बर 1962, पृ० 579-580
2. भारत का संविधान, भाग-4 अनुच्छेद-40
3. भारत का संविधान, भाग-4 अनुच्छेद-40
4. जय प्रकाश नारायण, स्वराज फार दी पीपुल, वाराणसी, अखिल भारत सर्व सेवा संघ, 1961 पृ०-7-8
5. आज, 30 जुलाई 1979 पृ०-4
6. आर०आर० माहेश्वरी, पंचायती राज सच्चे लोकतंत्र का प्रतीक, आज 30 जुलाई 1979, पृ०-4
7. एस०के०डे० पंचायती राज दिल्ली, राजकमल प्रकाशन 1962 पृष्ठ-84.
8. के०एस०बी० रमन, वित्त पंचायती राज, कुरुक्षेत्र वाल्यूम-11, नम्बर-1, 2 अक्टूबर 1962 पृ०-46-48
9. हेरोल्ड एफ० आल्डाफर, लोकल गवर्नमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज, एम०सी० ग्राहील, 1964, पृ०-176
10. हेरोल्ड एफ० आल्डाफर, लोकल गवर्नमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज, एम०सी० ग्राहील, 1964, पृ०-176
11. महाराष्ट्र को-ऑपरेशन एण्ड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, कमेटी ऑन डिमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइजेशन, रिपोर्ट-वी०पी० नाइक, लीडर बम्बई दी डिपार्टमेंट, 1961, पृ०-50
12. यूनाइटेड नेशनस, डिसेन्ट्रलाइजेशन फॉर नेशनल एण्ड लोकल डेवलपमेंट न्यूयार्क 1962, पृ०-60.

विभिन्न काल-क्रमों में केन्द्रस्थलों का उद्भव एवं विकास : एक अवधारणात्मक परिचय

अनीता सोनी*

*असि0 प्रो0, गांधी शताब्दी स्मारक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोयलसा, आजमगढ़, उ0प्र0

सारांश : प्रस्तुत शोध-पत्र विभिन्न काल-क्रमों में केन्द्रस्थलों का उद्भव एवं विकास को रेखांकित करता है। आजमगढ़ जनपद में वर्तमान केन्द्रस्थलों का उद्भव एवं विकास विभिन्न कालों में पूर्ण हुआ, जिसे मुख्य रूप से निम्नलिखित तीन भागों में आवण्टित कर सकते हैं— मुस्लिम काल में केन्द्रस्थलों का विकास 1526–1856 ई0, ब्रिटिश काल में केन्द्रस्थलों का विकास 1857–1947 ई0, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद केन्द्रस्थलों का विकास 1947–1981 ई0 । यह शोध पत्र पूर्व के अध्ययन से अलग है एवं समाज के लिए महत्वपूर्ण है। शोधपत्र पुस्तकालीय एवं विश्लेषणात्मक विधि पर आधारित है। इसकी प्रकृति मात्रात्मक है। यह अध्ययन शोधार्थियों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है।

मुख्य शब्द : केन्द्रस्थल, नगरीय क्रिया-कलाप, मानवीय सुविधा, शहरी केन्द्र आदि।

प्रस्तावना : पौराणिक कथाओं एवं ऐतिहासिक लेखों के आधार पर विदित होता है कि आजमगढ़ जनपद का भू-भाग घने जंगलों से आच्छादित था, जिससे जहाँ एक ओर ऋषि-मुनियों को तपोसाधना हेतु इसने अपनी ओर आकृष्ट किया वहीं दूसरी ओर प्राचीन काल में शासकों की शासकीय दृष्टि से भी वंचित रहा। इसलिए यहाँ प्राचीन नगरीय केन्द्रों का सर्वथा अभाव है। इस क्षेत्र के भू-भाग का प्रथम अस्तित्व मुस्लिम शासन काल में प्रकट हुआ जब कि तत्कालीन जौनपुर राज्य के शासकों ने इस जनपद की अधूरी भूमि की समृद्धि एवं शासन करने की भावना से प्रेरित होकर जगह-जगह पर जंगलों को साफ कराकर अपने आवास, परिकोट, किला, भवन, सुरक्षा चौकी इत्यादि स्थापित किये। जहाँ पर धीरे-धीरे मानव बसाव शुरू होते होते नगरीय क्रिया-कलाप विकसित हुए। इस काल में मानव बसाव के विभिन्न प्रेरक कारकों के आधार पर इस जनपद में केन्द्रस्थलों के उद्भव एवं विकास को निम्नलिखित वर्गों में बांट सकते हैं।

(अ) प्रशासनिक एवं आवासीय केन्द्र : मुस्लिम शासन के पूर्व इस जनपद का भू-भाग घने जंगलों से ढका हुआ था, जिससे तत्कालीन शासकों ने स्थान-स्थान पर जहाँ पर उपयुक्त भौतिक परिस्थितियाँ विद्यमान थी, वहाँ पर अपने आवास निर्मित किये, जिससे उन्हें शासन करने में सुविधा हो सके। अधिकांश शासकों ने नदियों के किनारे या सुरक्षित ऊँची भूमि में किला, महल इत्यादि बनवाये। फलतः उन स्थानों के आस-पास बस्तियाँ निर्मित होती गयीं, जो आगे चलकर नगरीय क्रिया कलाप के प्रवेश एवं विस्तार से नगरीय केन्द्र कहलायी। आजमगढ़ जनपद के भू-भाग पर प्रशासनिक कार्यों का श्रीगणेश जहांगीर के शासनकाल से प्रारम्भ होता है, जब 1609 ई0 में उसने अपने बहादुर सूबेदार अभिमन्यु सिंह गौतम को जौनपुर राज्य की एक जागीर का जागीरदार बना दिया। रानी सराय कस्बा भी रानी ज्योति कुवर के नाम से आबाद हुआ, क्योंकि इनके पति राजा हरिवंश सिंह गौतम का खान-पान अपने पिता दौलत खँ की तरह होने लगा था।¹ अजमतगढ़ कस्बा तत्कालीन शासक आजम खँ के छोटे भाई अजमत खँ के नाम पर 1677 ई0 में बसाया गया, अजमत खँ अपने भाई से अलग इसी कस्बे के स्थान पर रहते थे। जहाँ इनका महल आज भी देखा जा सकता है। लालगंज कस्बे को लाल खँ बलूच ने 1760 ई0 में बसाया है। लाल खँ बलूच जौनपुर राज्य के मुसलमान थे।² जिन्हें कटघर ग्राम (वर्तमान कटघर लालगंज) 1760 ई0 में जागीर के रूप में मिला था। उनके नाम पर उस स्थान का नाम लालगंज पड़ा। सरायमीर केन्द्रस्थल 15वीं सदी के आस-पास मीर कासिम की सराय थी। इसका पुराना नाम खरीवान था, जो बाद में “मीर की सराय या सरायमीर” के नाम से प्रसिद्ध हुआ।³ वर्तमान निजामाबाद कस्बे में मुगल सम्राट अकबर महान ने अपने विरोधी अली खँ से युद्ध करके लौटते समय अपना जन्मदिन मनाया था जिससे वहाँ पर लोगों को बसने का प्रोत्साहन मिला।⁴ फूलपुर 1733ई0 में माहुल के राजा द्वारा स्थापित किया गया था, जिसने बाद में वृद्धि करके कस्बे का रूप धारण कर लिया। अतः उपर्युक्त वर्णन से यह स्पष्ट होता है कि मुस्लिम शासनकाल में जनपद के प्रमुख कस्बों का बीजारोपण हो चुका था, जिनका प्रमुख कारण उनकी शासकीय, आवासीय एवं अपने नाम को चिरस्थायी करने की भावना थी।

(ब) धार्मिक केन्द्र : मुस्लिम शासन काल में बहुत से शहरी केन्द्रों का उद्भव किसी न किसी रूप में धार्मिक क्रिया-कलाप से प्रभावित होने से भी हुआ, जैसे किसी फकीर, सन्त, शेख, पीर, साधु, ऋषि आदि के द्वारा किसी स्थान विशेष पर बसने, पूजा स्थली बनाने, समाधि निर्माण आदि के कारण वहाँ मानव बस्तियों का बसाव हुआ, जो कालान्तर में चलकर नगरीय केन्द्र के रूप में विकसित हुए।

(स) यातायात से सम्बन्धित केन्द्र : आजमगढ़ जनपद प्राचीन काल में जंगलों से आच्छादित होने के कारण आवागमन के विकास में बाधक था। उस समय नदी परिवहन का यातायात ही प्रमुख साधन होने के कारण नौकाओं द्वारा यात्रा एवं व्यापार किया जाता था। अतः परिवहन लाभ की दृष्टिकोण से ही आजमगढ़, मुबारकपुर, अहिरौला, लाटघाट, गुजरघाट, हरैया, बरदह, उकरौड़ा, बनकट, निजामाबाद आदि क्षेत्र की दो मुख्य नदियाँ (नौका परिवहन हेतु उपयुक्त) टौंस एवं घाघरा के किनारे बसे। क्योंकि उस समय तत्कालीन शासकों के बसाव के लिए भौतिक परिस्थितियों में यही यातायात सुविधा प्रमुख थी। इसके अतिरिक्त कुछ केन्द्रस्थल नदियों के किनारे स्नान के लिए घाट, नदी पार गमन हेतु, फेरी, पुल आदि के कारण भी विकसित हुए जैसे— गुजरघाट, पूक आदि। लाटघाट कस्बे के पास से कभी छोटी सरयू नदी बहती थी, जिससे इस स्थान के पास से नदी को नावों द्वारा पार किया जाता था, परन्तु आज यह नदी वर्तमान कस्बे से थोड़ी दूर प्रवाहित होती है।

(द) व्यापारिक केन्द्र : मुस्लिम काल में केन्द्रस्थलों के विकास में उपर्युक्त कारकों के अतिरिक्त बाजार एवं व्यापारिक कार्यों की भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। फूलपुर कस्बा उस समय का सफेद दानेदार चीनी के लिए आकर्षण का केन्द्र था। कोयलसा कस्बे में चीनी का साफ किया जाता था, मुबारकपुर पहले से ही कपड़े के व्यापार हेतु आकर्षण का केन्द्र रहा, फलतः यहाँ बुनकरों की बस्तियाँ बसती गयीं। बिलरियागंज कस्बे में चीनी एवं कपड़ा उद्योग के कारण बस्तियों का बसाव हुआ।⁵ ब्रिटिश काल में अध्ययनगत क्षेत्र की स्थिति: 1787ई0 में प्लासो के युद्ध के बाद ईस्ट इण्डिया कम्पनी का प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा तथा 1857–58

ई0 में स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम तक देश के अधिकांश भाग पर इसका शासन स्थापित हो चुका था, फिर भी आजमगढ़ के भू-भाग पर 1772 ई0 तक अभी मुस्लिम शासकों के जागीरदारी प्रथा का ही बोलबाला रहा। 1772-1801 ई0 तक इस जनपद का शासन प्रबंध अवध के नवाब के चकलेदारों द्वारा होता था। वास्तविक रूप में इस जनपद के भू-भाग पर ईस्ट इण्डिया कम्पनी का अधिकार 10 नवम्बर 1801 ई0 में प्रारम्भ होता है, जबकि अवध के नवाब सहादत अली और अंग्रेजों के बीच एक सन्धि के अनुसार आजमगढ़ के चकले का प्रबंध कम्पनी के अधिकार में आ गया। फलतः 1832 ई0 में इस जनपद के भू-भाग को एक अलग जनपद घोषित कर दिया गया। इस काल में केन्द्रस्थलों के उद्भव एवं विकास के कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जो निम्न हैं—

(अ) स्थापित प्रशासनिक इकाईयाँ : सन् 1832 ई0 में जनपद के रूप में निर्मित होने से यहाँ के नगरीय बिंदुओं में एक बार पुनः विकास की लहर आ गई। आजमगढ़ शहर में कलेक्ट्रेट कचहरी, जेल, कोतवाली, नगरपालिका, अस्पताल, शिक्षण संस्थानों इत्यादि निर्मित हुईं। अनेक कस्बों में नई प्रशासनिक इकाईयाँ स्थापित की गई तथा उनमें मनचाही मानवीय सुविधायें प्रदान करने से कुछ नये केन्द्रस्थलों का उद्भव तो हुआ, साथ ही जिन केन्द्रों का मुस्लिम काल में बीजारोपण हो चुका था, उनमें समुचित विकास के अवसर भी इस काल में प्राप्त हुए।

(ब) स्वतंत्रता के लिए सामाजिक गतिविधियाँ : ब्रिटिश काल में कुछ केन्द्रस्थलों का उद्भव एवं विकास उस समय की सामयिक गतिविधियों के प्रभाव के कारण भी हुआ। जैसे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विप्लव, उपद्रव गदर, हत्या, आगजनी, डकैती, षडयंत्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की गोष्ठियाँ आदि जिन-जिन स्थानों पर हुईं व स्थान प्रसिद्धि के कारण बने, फलतः वहाँ पर धीरे-धीरे मानव बसाव होने लगा और कालान्तर में वे नगरीय केन्द्र बन गये। कप्तानगंज कस्बे के निकट बाग लखराव में कुछ सेनानियों को फाँसी तथा कोयलसा में सैनिक बगावत हुई। अतरौलिया कस्बे में नवम्बर 1857 ई0 में अंग्रेज कमाण्डर लानाडींग द्वारा प्राचीन राजपूत राजाओं के किले को तोपों से उड़ाया जाना आदि गतिविधियों से उन स्थानों का महत्व बढ़ने लगा जिससे इन स्थानों की ओर मानव आकर्षित हुए।

(स) रेलवे लाइन का विकास : रेल यातायात ने ब्रिटिश काल के उद्भव एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इस समय में जनपद में 4 फरवरी 1903 को बलिया शाहगंज रेलवे लाइन निर्मित हुई, जिसमें जनपद में सठियाँव, पल्हनी, रानी की सराय, फरिहौ, सरायमीर, फूलपुर केन्द्रस्थल पड़ते हैं। इनमें सठियाँव, आजमगढ़, रानी की सराय, सरायमीर, फूलपुर तथा अम्बारी केन्द्रस्थलों का विकास इस रेलवे लाइन से प्रभावित हुआ। क्षेत्र में यातायात के विकास से जहाँ पूर्व में स्थित केन्द्रस्थलों जैसे आजमगढ़, सरायमीर, फूलपुर, रानी की सराय के विकास में मदद मिली, वहीं शाहगढ़, फरिहौ, सेठवल, संजरपुर, पल्हनी आदि नये केन्द्रस्थलों का उद्भव भी हुआ।

स्वतंत्रता कालीन विकास सेवा केन्द्रों में सहायक कारक, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक: स्वतंत्रता कालीन विकास में आजमगढ़ जनपद में ऐसे केन्द्रस्थलों का उद्भव एवं विकास नगरीय केन्द्र के रूप में हुआ, जो पहले बड़े-बड़े ग्राम थे या जहाँ पर साप्ताहिक बाजार, मेले, उत्सव या ऐतिहासिक स्थल थे। इस काल में केन्द्रस्थलों के विकास में सबसे प्रमुख भूमिका नये प्रशासनिक केन्द्रों की स्थापना, सड़कों का विकास, तथा वस्तु निर्माण उद्योग की स्थापना रही, जो निम्न हैं—

अ. प्रशासनिक इकाईयों की स्थापना : स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लगभग 22 ब्लाक मुख्यालयों की स्थापना का प्रभाव कुछ केन्द्रस्थलों के विकास पर पड़ा क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जी के विचार ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे विकास, एवं सेवा केन्द्रों की स्थापना करने की थी, जो उस क्षेत्र की सेवा करने में तत्पर हो इसी कारणवश अधिकांश ब्लाक मुख्यालय, नगरीय क्रिया कलाप से कुछ दूर स्थापित किये गये हैं, फिर भी महाराजगंज, अतरौलिया, लालगंज, मेंहनगर, मुहम्मदपुर, सठियाँव, जहानागंज, कोयलसा आदि ब्लाक मुख्यालय नगर सीमान्तर्गत स्थापित हुए। इसके अलावा लालगंज में तहसील मुख्यालय (देवगाँव से हटकर) बरदह, तरवाँ, गम्भीरपुर, हरैया, अजमतगढ़, बिलरियागंज, पूक, जीयनपुर, देवगाँव, सरायमीर, महाराजगंज, निजामाबाद, कंधरापुर, दीदारगंज आदि में थाना स्थापित हुए। इस प्रशासनिक इकाईयों की स्थापना से उस स्थान के विकास में सहायता मिली।

ब. पक्की सड़कों का विकास : स्वतंत्रता कालीन स्थिति के बाद तीव्र गति से पक्की सड़कों का विकास किया गया। इससे ऐसे केन्द्र जो समुचित परिवहन के अभाव में सुशुप्त पड़े थे वे इन सड़कों के विकास से जागृत होकर विकसित हुए तथा कुछ नये केन्द्रों का उद्भव भी हुआ। बनकट अन्जान शहीद, कन्धरापुर, बूढ़नपुर, टेकमा, कोयलसा, मुहम्मदपुर, अमीलो सी.टी., बरहतीर जगदीशपुर, चौदपट्टी, मँगरावाँ, रायपुर, जयराजपुर, सुम्माडीह, मित्तपुर, पल्हनी, जहानागंज आदि पर पक्की सड़कों का तथा सठियाँव, अम्बारी, रानी की सराय, आदि का विकास रेल एवं सड़क के सम्मिलित प्रभाव से हुआ। 1972 ई0 में घाघरा नदी पर पुल निर्माण के बाद दोहरीघाट कस्बा (जनपद मऊ) यातायात संगम बिंदु के रूप में त्वरित गति से विकसित हुआ। घाघरा नदी के दक्षिण के जनपदों जैसे— बनारस, इलाहाबाद (प्रयागराज), जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर आदि से घाघरा पार गोरखपुर, बस्ती, देवरिया आदि जनपदों तक बसों तथा ट्रकों, टैक्सियों के गमनागमन से इन सड़कों पर नये केन्द्र स्थलों के उद्भव के साथ ही पूर्व में स्थित केन्द्रस्थलों का विकास भी हुआ। इन केन्द्रों में बरदह, देवगाँव, खरिहानी, मुहम्मदपुर, बनकट, अन्जानशहीद, लाटघाट, जीयनपुर आदि हैं।

स. वस्तु निर्माण उद्योग एवं व्यापार का विकास : इस समय केन्द्रस्थलों के विकास में वस्तु निर्माण उद्योग एवं व्यापार का प्रमुख योगदान है। उदाहरण स्वरूप आजमगढ़ में औद्योगिक स्थान तथा छोटे-छोटे उद्योग, सठियाँव में चीनी मिल, अमिलो व इब्राहिमपुर आदि में करघा इत्यादि के कारण इन केन्द्रस्थलों का तेजी से विकास हुआ। व्यापार केन्द्र के रूप में मुबारकपुर सूती हैण्डलूम की साड़ियाँ हेतु तथा लालगंज व मेंहनगर कालीन उद्योग के कारण विकसित हुए। इसके अतिरिक्त अपने चतुर्दिक उपभोक्ताओं की आवश्यकता पूर्ति हेतु केन्द्रस्थलों में व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना, इनके विकास का प्रमुख कारण रहा। क्योंकि अपने क्षेत्र की सेवा प्रवृत्ति के अभाव में कोई भी केन्द्रस्थल परिसीमा में नहीं आ सकता अतः वस्तु विनिमय या व्यापार, केन्द्रस्थलों के उद्भव एवं विकास में सबसे शक्तिमान कारक के रूप में कार्य किया। इस प्रकार उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जिन केन्द्रस्थलों का उद्भव प्रेरक तत्वों के कारण हुआ है, उनमें प्रमुख हैं कन्धरिया, मुहम्मदपुर, बनकट, लाटघाट, सठियाँव, बूढ़नपुर, कोयलसा, अम्बारी आदि। यद्यपि ये केन्द्रस्थल अभी भी ग्राम्य बाजारों के रूप में हैं। अभी नगरीय क्रिया-कलाप के प्रथम अवस्था में हैं, फिर भी ये अपने चतुर्दिक क्षेत्रों को प्राथमिक मानवीय सुविधायें प्रदान करने में सक्षम हैं ये छोटे केन्द्र स्थल अपने पास के बड़े केन्द्रस्थलों तक पहुँचने हेतु उपभोक्ताओं के 'विश्राम बिन्दु' का कार्य करते हैं। इनके भविष्य में विकसित होने की प्रबल संभावनायें हैं। विभिन्न काल क्रमों में सेवा केन्द्रों का उद्भव तालिका चित्र में दिया गया है।

केन्द्रस्थलों के विकास हेतु मॉडल : विभिन्न प्रकार के मॉडलों का प्रयोग करके मानव बस्तियों के उद्भव एवं विकास को अत्यधिक सरल रूप में समझा जा सकता है। भूगोल जगत में इसका प्रयोग बहुत पहले से ही प्रचलित है। प्रस्तुत अध्याय में आजमगढ़ जनपद के केन्द्रस्थलों के उद्भव एवं विकास को समझने के लिए एक मॉडल का सहारा लिया गया है, इसका विस्तृत वर्णन निम्नलिखित है:- प्रथम भाग के अवलोकन से स्पष्ट है कि मॉडल में दायें तरफ ड भाग एक मानव निवासित क्षेत्र है। यहाँ के मानव ज्ञान की तलाश में बायें तरफ

तालिका संख्या (1)
आजमगढ़ जनपद में सेवा केंद्रों का उद्भव काल

युग	समय	सेवा केन्द्रों की संख्या	सेवा केन्द्रों का नाम
1. प्राचीन काल	1600 ई० पू० से 300 ई०पू० तक	4	दुर्बासा, महाराजगंज, देवगाँव, चण्डेश्वर
2. मध्यकाल	300ई०पू० से 1528 ई० तक	31	महेंगर, आजमगढ़, दौलताद, अजमतगढ़, रानी की सराय, सेठवल, लालगंज, सरायमीर, निजामाबाद, फूलपुर, मुबारकपुर, अहिरौला, लाटघाट, हरैया, बरदह, उकरौड़ा, बनकट, कोयलसा, बिलरियागंज, हाफिजपुर, सीटी, मोहम्मदपुर, चांदपट्टी, जयराजपुर, मिर्जापुर, मंगरावा, गम्भीरपुर, माहुल, इब्राहिमपुर सीटी, बरहतीर, जगदीशपुर
3. आधुनिक काल	1526 ई. से अब तक	35	अमीली सीटी, अतरौलिया, रानीपुर रजमो, जीयनपुर, तरवाँ, कप्तानगंज, पल्हना, तहबरपुर, पल्हनी, फरिहा, रौनापार, सठियाँव, पवई खास, ठेकमा, मित्तपुर, कन्धरापुर, संजरपुर, कम्हरिया, मार्टिनगंज, अंजानशहीद, खरिहानी, बूढ़नपुर, ऊंचागाँव, जहानागंज, अम्बारी, किशुनदासपुर, सरायमीर, मालटारी, ओरिल, सेंहदा, कोटिला, छिताराममहमूदपुर, लहूअकलान

प्रदर्शित N भू-भाग (जो मानव के क्रिया-कलाप से रहित है) में जाकर आर्थिक सूचनायें (आर्थिक विकास के संसाधनों की अधिकता) लाते हैं। मॉडल के द्वितीय भाग में M भाग का मानव N भाग में पहुँचकर प्रारम्भ में प्राथमिक व्यवसाय शुरू करते हैं जैसे- मत्स्य, लकड़ी काटना, शिकार करना, कृषि उपज आदि और इस सम्पूर्ण पैदावार को अपनी मातृभूमि M में लाते हैं। तृतीय भाग के N भाग में मानव बस्तियों का बसाव धीरे-धीरे नदियों के किनारे शुरू होता है, जिससे उन्हें सामान एकत्रित करने तथा यातायात के रूप में नौका परिवहन प्राप्त हो सके। क्योंकि अभी उस समय तक परिवहन के अन्य साधनों का विकास नहीं हुआ था। इसके बाद छः भाग में मानव धीरे-धीरे विनिर्माण कार्य शुरू करके, अपनी मातृभूमि (N भाग) में उन सामानों को लाने हेतु एक अग्रिम बिंदु को विकसित करते हैं। इधर M भाग में आर्थिक स्तर ऊँचा होने से बस्तियों का बसाव अच्छे रूप में हुआ। मॉडल के चतुर्थ एवं पंचम चरण में N तथा M भाग में परिवहन के विकास के साथ-साथ नगरीय केन्द्रों का भी विकास हुआ। वहाँ के मानव अब बाह्य जगत से भी सम्पर्क स्थापित करने लगे, जिससे उन्हें विकास के समन्वित अवसर प्राप्त हो सके इस प्रकार इस मॉडल से स्पष्ट है कि पूर्व निर्वासित M भाग के सम्पर्क में आने से मानव रहित एवं अविकसित N भू-भाग में भी मानव बस्तियों का विकास प्रारम्भ हुआ तथा कालान्तर में परिवहन विनिमय उद्योग एवं बाह्य सम्पर्क आदि कारणों से दोनों भागों में केन्द्रस्थल तंत्र का विकास हुआ। उपर्युक्त मॉडल में जैसा कि वर्णित है लगभग इसी व्यवस्था के अनुसार, इस वीरान जनपद (आजमगढ़) के समीप ही मुस्लिम शासक काल में जौनपुर राज्य का भू-भाग एक विकसित क्षेत्र था। चूंकि इस भू-भाग (आजमगढ़) में संसाधनों की अधिकता थी तथा इसकी भविष्य में विकास की संभावना भी थी, अतः जौनपुर शासकों का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ और उन्होंने यहां पर अपनी जागीर स्थापित की। इस जनपद के मध्य में प्रवाहित टोस नदी नौका परिवहन हेतु उपयुक्त थी, क्योंकि उस समय यातायात के अन्य साधनों का इतना विकास नहीं हुआ था। अतः प्रथमतः प्रमुख कस्बे नदी के किनारे आबाद हुए जैसे- आजमगढ़, मऊ, मुहम्मदाबाद, निजामाबाद, दोहरीघाट आदि। कालान्तर में बाह्य जगत से सम्पर्क होने से जनपद के अन्य भू-भाग में भी केन्द्र स्थल तंत्र का विकास हुआ।

सन्दर्भ :

1. Singh, Om Prakash (1979): "Nagriya Bhoogol, Tara Publication, Varanasi P.89
2. Singh, Om Prakash (1973): "Kendra Sthal Aur Unki Utpatti Tatha Vikas" U.B. Bhu Patrika, Gorakhpur. Article 9, No.1, P.31-32
3. Singh, Om Prakash (1979): Nagriya Bhoogol, Tara Publication, Varanasi, P.105
4. Singh, Om Prakash (1979): Nagriya Bhoogol, Tara Publication, Varansi, P.106
5. Singh, Om Prakash (1979): Nagriya Bhoogol, Tara Publication, Varansi, P.106
6. Garnier J.B., D.G. Chabat (1967), 'Urban Geography' P. 105

पउमचरित और रामचरित मानस की धार्मिक अध्यात्मिक चेतना का तुलनात्मक अध्ययन रामजीलाल मीना*

*सह आचार्य, हिंदी, राजकीय महाविद्यालय, खण्डार, जिला-सवाई, माधोपुर (राज.)

सन्दर्भ : प्रस्तुत शोध-पत्र के द्वारा पउमचरित और रामचरित मानस की धार्मिक अध्यात्मिक चेतना का तुलनात्मक अध्ययन का तथ्यात्मक एवं विवरणात्मक सूचनाओं तथा द्वितीयक स्रोतों के आधार पर इसके विविध पक्षों को स्पर्श किया गया है। यह शोध पत्र अनुसंधान जगत में ज्ञानमीमांसा के मार्ग को प्रशस्त करेगा और ये अध्ययन मुल्यवान साबित हो सकता है।

मुख्य शब्द : धार्मिक अध्यात्मिक चेतना, भौतिकतावादी विकास, बुद्धिगम्य, उपनिषद्, सागारधर्म आदि।

भारतीय समाज धार्मिक अध्यात्मिक चेतना का एक ज्योतिपुंज रहा है। मनुष्य ने जब-जब भौतिकतावादी विकास की दौड़ में जीवन के लिए भोग विलास के अपार वैभव का संचय किया है और उसके बदले में अनेक तरह की मानसिक पीड़ाओं और विकृतियों को पाला है, तब-तब केवल धर्म द्वारा उसका समाधान प्रस्तुत किया गया है। वास्तव में धर्म अध्यात्म मानव जीवन की ऐसी सुदीर्घ दौड़ का स्थल है, जहाँ से मानव को प्रेरणापरक स्फूर्ति प्राप्त होती है। ये हमारे जीवन चक्र को कष्ट प्रदान करने वाली जंजीर नहीं है, अपितु जीवन बेड़ियों, समस्या की गुत्थियों को सुलझाने वाली महान प्रेरणा है।

हमारे वाङ्मय में मानव ज्ञान की पहली व्याख्या वेदा में मिलती है। मनुस्मृतिकर ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वेदों में विहित कर्म करना ही धर्म है, और उसके अतिरिक्त कर्म अधर्म की श्रेणी में आता है। गीता में भी भगवान श्रीकृष्ण ने धर्म के स्वरूप का अत्यधिक तर्क सम्मत एवं बुद्धिगम्य विवेचन किया है। उन्होंने उसका सम्बन्ध कर्म योग से जोड़ दिया है और कहा है कि कर्म ही मनुष्य का सच्चा धर्म है। हमारे धार्मिक ग्रन्थों में कर्म को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है— एक प्रवृत्तिपरक और दूसरा निवृत्तिपरक। हमारे उपनिषदों में इन्हें श्रेय और प्रेय के नाम से जाना जाता है। इसमें प्रवृत्तिपरक कर्म हमें अपने स्वयं के कार्यों द्वारा सांसारिक माया चक्र से जोड़े रहते हैं, जन्म-मृत्यु सम्बन्धी अनेक व्याधियों की तरफ धकेलते हैं। दूसरी तरफ निवृत्तिपरक कर्म हमको धर्म और सात्विक आचरण की ओर ले जाते हैं, तथा मनुष्य को आत्म-साक्षात्कार का अवसर लाभ भी प्रदान करते हैं। जिससे वह सुख-दुःख जैसी सभी परिस्थितियों में समानता का अनुभव करने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। साधारणतः हम जिसे धारण करते हैं वही धर्म होता है।

पउमचरित की धार्मिक अध्यात्मिक चेतना उसकी प्रारम्भिक स्तुति में द्रष्टव्य है—

स्तुति
जय तुहुं गइ तुहँ मइ तुहँ सरणु। तुहुँ माय वप्पु तुहुँ वन्धु-जणु॥
तुहुँ परम-पक्खु परमति-हरु। तुहुँ सव्वहुँ परहुँ पराहिपरु॥
तुहुँ दंसणे-णार्णे-चरिते थिउ। तुहुँ सयल-सुरासुरेहिं णमिउ॥
सिद्धन्ते मनन्ते तुहुं वायरणे। सज्जाए ज्ञाणे तुहुं तवचरणे॥
धत्ता - अरहन्त, बुद्ध तुहुँ हरिहरु वि तुहुँ अण्णाण-तमोह-रिउ।
तुहुँ सुहुमु णिरजणु परमपउ तुहुँ रवि वप्पु सयम्पु सिउ॥'

जय हो, तुम (मेरी) गति हो, तुम बुद्धि हो, तुम शरण हो। तुम माँ-बाप हो, तुम बंधुजन हो। तुम परमपक्ष हो, दुर्मति के हरणकर्ता हो। तुम सब अन्यो से (भिन्न हो), तुम परम आत्मा हो।

तुम दर्शन, ज्ञान और चारित्र में स्थित हो। सकल सुर-असुर तुम्हें नमन करते हैं। सिद्धान्त, मन्त्र, व्याकरण, स्वाध्याय, ध्यान और तपश्चरण में तुम हो।

अरहन्त, बुद्ध तुम हो, विष्णु और महादेव और अज्ञानरूपी तिमिर के रिपु (शत्रु) तुम हो। तुम सूक्ष्म, निरंजन और मोक्ष हो, तुम सूर्य, ब्रह्मा, स्वयंभू और शिव हो।

जैन समय : जैन धर्म का प्रचार-प्रसार स्वयंभू के काल में द्रुत गति से हो रहा था। जैन धर्म शैवों की होड़ में आगे बढ़ाने के लिए सतत प्रयत्नशील था। बारहवीं शती तक आते-आते वैष्णवों का भी उत्कर्ष होने लगा। वैष्णव धर्म के अभ्युदय से जैन धर्म की स्थिति दुर्बल होने लगी। राजपूत राज्यों में जैन धर्म विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर सका क्योंकि राजपूत लोग जैन धर्म के अहिंसा-मूलक सिद्धान्त में विश्वास नहीं करते थे। अतः जैन मतावलंबियों ने अपने धर्म के प्रसार के लिए वैष्णवों की धार्मिक कथाओं को अपने साहित्य का आधार बनाना आरम्भ कर दिया। जैन रचनाकारों ने राम-कृष्ण आदि वैष्णव वर्ग के नायकों की शक्ति को नकारते हुए उन्हें जैन धर्म में दीक्षित करके लोगों के सामने प्रस्तुत किया।

'पउमचरित' नामक ग्रंथ इस संदर्भ में उल्लेखनीय है, जिसमें राम को जैन धर्म में दीक्षित किया गया है। इसके साथ ही वैष्णवों की अवतारवादी धारणा को भी जैनियों ने ग्रहण कर तीर्थंकरों के अवतार की कल्पना आरंभ कर दी।²

धर्म :

धर्म का लक्षण : जो धारण करे सो धर्म है। 'घरतीति धर्मः' यह उसका निरुक्त्यर्थ है। अच्छी तरह से आचरण किया हुआ धर्म दुर्गति में पड़ते हुए जीवों को धारण कर लेता है, इसलिए वह धर्म कहलाता है। क्रोध, मान, माया और लोभ ये चार कषाय (जो आत्मा को दुःख दे) महाशत्रु हैं, इन्हीं के द्वारा जीव संसार में परिभ्रमण करता है। क्षमा से क्रोध का, मृदुता से मान का, सरलता से माया का और संतोष से लोभ का निग्रह करना चाहिए। स्पर्शन, रसना (जीभ), घ्राण (नासिका), चक्षु और कर्ण ये पांच इन्द्रियाँ प्रसिद्ध हैं, इनका जीतना धर्म कहलाता है। त्याग भी विशेष धर्म कहा गया है।

धर्म का माहात्म्य : धर्म के माहात्म्य का वर्णन पउमचरित में विस्तार से किया है। ऐसा विदित होता है कि धर्म के परिणामस्वरूप अत्यधिक सांसारिक भोगों की प्राप्ति को बहुत अधिक विस्तार से प्रस्तुत किया है। जैसे — धर्म से युक्त जीव को अत्यधिक गाय भैंस आदि पशु, हाथी, घोड़े, रथ, पयादे, देश, ग्राम, महल, नौकरों के समूह, विशाल लक्ष्मी और सिंहासन प्राप्त होते हैं। जो जीव

धर्मपूर्वक मरण करते हैं वे ज्योतिश्चक्र का उल्लंघन कर गुणों के निवासभूत सौधमादिक स्वर्गों में उत्पन्न होते हैं, धर्म का अर्जन कर कितने ही सामानिक देव होते हैं। कितने ही इन्द्र होते हैं, कितने ही अहमिन्द्र बनते हैं। धर्म के प्रभाव से उन महलों में उत्पन्न होते हैं जो कि स्वर्ण, स्फटिक और वैडूर्य मणिमय, खम्भे के समूह से निर्मित होते हैं, जिसकी सुवर्णनिर्मित दीवालें सदा देदीप्यमान रहती हैं, जो अत्यन्त ऊँचे और अनेक भूमियों या खंडों से युक्त होते हैं। धर्म के माहात्म्य को इस रूप में रखने का कारण यही जान पड़ता है कि लोग इन सांसारिक अभ्युदयों से आकृष्ट होकर कर्म के प्रति आस्था रखें। धर्म का वास्तविक उद्देश्य तो मोक्ष है। इसी को स्पष्ट करते हुए कहा है कि जिस प्रकार नगर की ओर जाने वाले पुरुष को जा देव और विद्याधर आदि की लक्ष्मी प्राप्त होती है वह अनुषंग से ही प्राप्त होती है, उसके लिए मनुष्य को कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता।

उत्कृष्ट धर्म : जैन धर्म के सिद्धांतों का उनके अनुयायियों ने अन्तःपरीक्षण करके उसे श्रेष्ठ पाया था। इसलिये उन्होंने कहा—जिनेन्द्र भगवान् के द्वारा कवि वाक्य ही उत्तम वाक्य है, जिनेन्द्र निरूपित तप ही उत्तम तप है, जिनेन्द्र भगवान् के द्वारा उपदिष्ट मत ही परममत है। आज तक जितने सिद्ध (मुक्त पुरुष) हुए हैं, जो वर्तमान में सिद्ध हो रहे हैं और अनन्तकाल तक सिद्ध होंगे वे जिनेन्द्र द्वारा देखे हुए धर्म के द्वारा ही होंगे अन्य प्रकार से नहीं।

धर्म के भेद : आचरण की अपेक्षा धर्म के दो भेद हैं — (1) सागारधर्म या गृहस्थ धर्म, (2) अनगार धर्म या मुनि धर्म। इन दो प्रकार के धर्मों को मनुष्यों के दो आश्रम भी कहा है। महाव्रत और अणुव्रत के भेद से भी धर्म दो प्रकार का कहा है। इनमें से पहला अर्थात् महाव्रत गृहस्थांगी मुनियों का होता है और दूसरा अणुव्रत संसारवर्ती सदस्यों का होता है।

गृहस्थ धर्म : गृहस्थों का धर्म मुनिधर्म का छोटा भाई है। गृहस्थ धर्म के द्वारा यह मनुष्य उत्तमोत्तम भोगों का भोग करता है। बाद में मुनिदीक्षा धारण कर मोक्ष प्राप्त करता है। गृहस्थाश्रमवासी लोगों को पांच अणुव्रत, चार शिक्षक, तीन गुणव्रत, इस प्रकार बारह व्रतों का पालन करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त यथाशक्ति हजारों नियम धारण करने पड़ते हैं।

पांच अणुव्रत से मोक्ष प्राप्ति :

(1) **स्थूल हिंसा का त्याग करना** : धर्म का मूल दया है और दया का मूल अहिंसा रूप भाव है। संसार में समस्त वस्तुओं से प्यारा जीवन है, उसी के लिए अन्य सब प्रत्यन है। गृहस्थ को ऐसा जानकर कि जिस प्रकार मुझे अपना शरीर इष्ट है उसी प्रकार समस्त प्राणियों को भी अपना शरीर इष्ट होता है, सब प्राणियों पर दया करनी चाहिए। जो मनुष्य मांस भक्षण से दूर रहता है, भले ही वह उपवासादि से रहित तथा दरिद्र हो तो भी उत्तम गति उसके हाथ रहती है। इस प्रकार अहिंसा धर्म का प्रतिपादन और मांसभक्षण का निषेध पञ्चमचरित में विस्तार के साथ हुआ है।

(2) **स्थूल झूठ का त्याग** : जो वचन दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के निमित्त है वह असत्य कहा गया है क्योंकि सत्य इससे विपरीत होता है। सत्यव्रतधारी के वचन सब ग्रहण करते हैं तथा उज्ज्वल कीर्ति से वह समस्त संसार को व्याप्त करता है।

(3) **स्थूल परद्रव्यापहरण का त्याग** : की गई चोरी इस जन्म में वध, बन्धन आदि कराती है और मरने के बाद क्यूनियों में नाना प्रकार के दुःख देती है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि चोरी का सर्व प्रकार से त्याग करें। जो कार्य तीनों लोकों में विरोध का कारण है वह किया ही कैसे जा सकता है।

(4) **परस्त्री का त्याग** : चाहे विधवा हो चाहे सधवा, चाहे कुलवती हो या रूप से युक्त वेश्या, परस्त्रीमात्र का प्रयत्नपूर्वक त्याग कर देना चाहिए। परस्त्री संसर्ग इस लोक तथा परलोक दोनों जगहों में विरुद्ध है। लोगों को, जिस प्रकार अपनी स्त्री को कोई दूसरा मनुष्य छेड़ता है, तो इससे अपने आपको दुःख होता है, उसी प्रकार दूसरे को भी दुःख होता होगा, ऐसा विचार करना चाहिए।

(5) **अनन्त तृष्णा का त्याग** : अपनी इच्छा का सदा परिमाण करना चाहिए क्योंकि इच्छा पर यदि अंकुश नहीं लगाया तो वह महादुःख देती है। परिग्रही मनुष्य के चित्त में विशुद्धता नहीं होती, जिसमें चित्त की विशुद्धता मूल कारण है ऐसे धर्म की स्थिति परिग्रही मनुष्यों से नहीं हो सकती।

पाँच अणुव्रतों का फल पञ्चमचरित में बताया गया है। जो निरन्तर जीव दया करता है, कभी-कभी असत्य परंतु सदा सच बोलता है, थोड़ी हिंसा, किन्तु अहिंसा अधिक करता है, वह नरकरूपी महानदी पार कर लेता है। जो मनुष्य अपनी पत्नी से सन्तुष्ट मन है, परधन और परनारी का परिहार करता है, जो अपरिग्रह और दान करने वाले पुरुष हैं, वे इन्द्र के समान होते हैं। पाँच अणुव्रतों का इतना ही फल है।

फलु एत्तिउ पञ्च-महव्यहँ। सुणु एवहिँ पञ्चाणुव्यहँ॥
जो करइ गिरन्तर जीव-दया। पविरलु असच्चु सच्चउ मि सया॥
किस हिंस अहिंस सउत्तरिय। ते णरय-महाणइ-उत्तरिय॥
जे णर स-दार-संतुड-मण। परहण-परणारी-परिहरण॥
अपरिगह-दाण-करण पुरिस। ते होन्ति पुरन्दर-समसरिसु॥
फलु एत्तिउ पञ्चाणुव्यहँ। सुणु एवहिँ तिहि मि गुणव्यहँ॥
दिस-पच्चवखाणु पमाण-वउ। खल-संगहु जासु ण वड्डियउ॥
इय तिहिँ गुणवएहिँ गुणवन्तउ। अच्छइ सगँ सुहइँ भुज्जन्तउ॥
जासु ण तिहि मि मज्झँ एक्कु वि। गुणु तहँ संसारहँ छेउ कहिँ पुणु॥^१

चार शिक्षाव्रत : प्रयत्नपूर्वक सामायिक करना, प्रोषधोपवास धारण करना, अतिथिरसंविभाग और आयु का क्षय उपस्थित होने पर सल्लेखना धारण करना ये चार शिक्षाव्रत हैं।

चार शिक्षा व्रतों का पञ्चमचरित ने फल बताया है। अब चार शिक्षाव्रतों को सुनिए। जो पहला शिक्षाव्रत धारण करता है, जिनवर की तीन काल वन्दना करता है, वह मनुष्य जहाँ-जहाँ उत्पन्न होता है, वहाँ-वहाँ लोगों द्वारा उसकी वन्दना की जाती है। जो विषयों में आसक्त-मन है, जो घर के भी जिन मन्दिर को नहीं देखता, वह श्रावकों के भीतर श्रावक नहीं है, वह केवल वन-श्रृंगालों का अनुकरण करता है। जो दूसरे-दूसरे शिक्षाव्रत को करता है, सैकड़ों प्रोषधोपवास करता है, वह मनुष्य देवत्व को प्राप्त करता है और सौधर्म स्वर्ग में बहुतों के साथ क्रीड़ा करता है। जो तीसरा शिक्षाव्रत धारण करता है, तपस्वियों के लिए आहारदान देता है और भी सम्यक्त्वका भार वहन करता है; वह देवलोक में देवत्व प्राप्त करता है। जो चौथा शिक्षाव्रत धारण करता है और फिर संन्यास धारण कर मरता है वह तीनों लोकों में बड़ा होता है उसे जन्म, जरा, मरण तथा वियोग का भय नहीं रहता।

सामायिक, भोजन सहित उपवास और अन्तिम समय सलेखना करता है। इस प्रकार जो चार शिक्षाव्रतों का पालन करता है वह इन्द्र के इन्द्रत्व को टाल सकता है।¹

(1) **सामायिक** : मन, वचन, काय और कृत (करना), कारित (कराना), अनुमोदना (करने की प्रशंसा करना), ये पांचों पापों का त्याग करना सामायिक है।

(2) **प्रोषधोपवास** : पहले और आगे के दिनों में एकासन के साथ अष्टमी और चतुर्दशी के दिन उपवास आदि करना प्रोषधोपवास है।

(3) **अतिथि संविभाग** : जिसने अपने आगमन के विषय में किसी तिथि का संकेत नहीं दिया है, जो परिग्रह से रहित है और सम्यग्दर्शनादि गुणों से युक्त होकर घर आता है, ऐसा मुनि अतिथि कहलाता है। ऐसे अतिथि के लिए वैभव के अनुसार आदरपूर्वक लोभरहित हो भिक्षा तथा उपकरण आदि देना चाहिए यही अतिथि संविभाग है। यज्ञ का अन्तर्भाव इसी के अंतर्गत होता है।

(4) **सल्लेखना** : इस लोक अथवा परलोक संबंधी किसी प्रयोजन की अपेक्षा न करके शरीर और कषाय के कृश करने को सल्लेखना कहते हैं।

तीन गुणव्रत और उनका फल : अनर्थदण्डों का त्याग करना, दिशाओं और विदिशाओं में आवागमन की सीमा निर्धारित करना तथा भोगोपभोग का परिमाण करना ये तीन गुणव्रत हैं। प्रयोजन रहित पापवर्धक क्रियाओं का त्याग करना अनर्थ दण्डव्रत है। अनर्थ दण्ड के पांच भेद हैं –

- (1) **पापोपदेश** : हिंसा आदि पाप के कामों का उपदेश देना।
- (2) **हिंसादान** : तलवार आदि हिंसा के उपकरण देना।
- (3) **अपध्यान** : दूसरे का बुरा विचारना।
- (4) **दुश्रुति** : रागद्वेष को बढ़ाने वाले खोटे शास्त्रों का सुनना।
- (5) **प्रमादचर्या** : बिना प्रयोजन यहां वहां घूमना तथा पृथ्वी आदि का खोदना।

पउमचरित में तीन गुणव्रतों का फल बताया गया है। 'दिशा-प्रत्याख्यान व्रत (दिग्व्रत) भोगोपभोग परिमाण व्रत ले लिया, और जिसका दुष्टों का संग नहीं बढ़ा। इस प्रकार तीन गुणव्रतों से गुणवान् व्यक्ति सुखभोग करता हुआ स्वर्ग में जिसके तीनों में से एक भी गुण नहीं है उसके संसार का अन्त नहीं है।'²

अनर्थदण्ड : अनर्थदण्ड पर पउमचरित लिखता है – खाया हुआ मांस अच्छा, मधु और मद्य अच्छा, हिंसा से सहित झूठ वचन अच्छा, गया हुआ जीवन अच्छा, गिरा हुआ शरीर अच्छा, लेकिन रात्रि में चाहा गया भोजन अच्छा नहीं। पूर्वाह्न में गण गन्धर्वा का, मध्याह्न में सब देवों का, अपराह्न में पितर-पितामहों का, रात्रि में राक्षस, भूत-प्रेत ग्रहों का भोजन होता है। जिसने रात्रि का भोजन नहीं छोड़ा, बताओ उसने क्या नहीं किया? वह सैकड़ों कृमियों, कीटों और पतंगों को खाता है तथा खोटे शरीर और योनियों में रहता है। जो रात्रि-भोजन छोड़ देता है, वह विमल शरीर और विमल गोत्र प्राप्त करता है। जो सुना हुआ भी नहीं सुनता, देखा भी नहीं देखता, किसी के द्वारा कहे गये को किसी से नहीं कहता, भोजन में मौन (चौथा अनर्थ दण्ड) का पालन करता है, वह शिव के लिए शाश्वत गमन को देखता है।³

भोगोपभोग : जो एक बार भोगने में आवे उसे भाग और जो बार-बार भोगने में आवे उसे उपभोग कहते हैं।

व्रत और उसकी भावनायें : हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह इन पांच पापों से विरक्त होने को व्रत कहते हैं। ये व्रत भावनाओं से युक्त हैं। तत्त्वार्थसूत्र में व्रतों की स्थिरता के लिए प्रत्येक व्रत की पांच-पांच भावनायें बतलायी हैं।

केवली को केवलज्ञान उत्पन्न होने, और चार प्रकार के देव निकायों के चले जाने पर राम महाव्रतों को धारण करने वाले कुलभूषण देशभूषण से धर्म और और पाप का फल बताइए।

केवलें केवलीहैं उप्पण्णएँ। चउविह-देव-णिकाय-पवण्णएँ॥

पुच्छइ रामु महावय-धारा। धम्म-पाव-फलु कहहि भडारा॥⁴

पउमचरित की 34वीं संधि में स्वयंभू ने उक्त विषयों एवं उनके फलों का के बारे में ज्ञात किया है—

पांच महाव्रतों का क्या फल है, अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रतों का क्या फल है? अनर्थदण्ड व्रत लेने का क्या फल होता है? उपवास और प्रोषधोपवास करने का क्या फल होता है? जीवों को अभय देने का क्या फल है? परधन और परस्त्री की हिंसा न करने का क्या फल है? सच बोलने का क्या फल है? झूठे वचन छाड़ने का क्या फल है? जिनवर की पूजा करने का क्या फल है? जिनके सम्मार्जन, नैवेद्य, दीपांगार और विलेपन से क्या फल होता है? चारित्र, ज्ञान, व्रत और दर्शन में क्या फल है। अन्य के द्वारा प्रशंसित तथा जिनवर शासन में जो फल है, हे कामदेव का नाश करने वाले आदरणीय, उसे आप विस्तार से बताइए?

काई फलु पञ्च-महवयहुँ। अणुवय-गुणवय-सिक्खावयहुँ॥

काई फलु लइएँ अणत्थमिऐँ। उववास-पोसहएँ सथविऐँ॥

फलु काई जीव-मम्मीसियऐँ। परहणें परदारें अहिसियऐँ॥

काई फलु सच्चें वोल्लिएँण। अलिअक्खरेण आमेल्लिएँण॥

काई फलु जिणवर-अजिचयऐँ। वर-विउलें घरासमें वजिचयऐँ॥

काई फलु मासें छण्डिएँण। रत्तिहिउ देहें दण्डिएँण॥

काई फलु जिण-संमज्जणेंण। वलि-दीवङ्गार-विलेवणेंण॥

किं चारित्तें णाणें वएँ दंसणें। अण्णु पसंसिएँ जिणवर-सासणें॥

जं फलु होइ अणङ्ग-वियारा। तं विण्णासँवि कहहि भडारा॥⁵

सन्दर्भ :

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. पउमचरित, 3.43.19.5-9. | 6. पउमचरित, 2.34.8.1-6. |
| 2. डॉ. अंजू थापा, हिन्दी साहित्य का इतिहास, दूरस्थ शिक्षा निदेशालय, जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू, पृ. 78-94. | 7. पउमचरित, 2.34.5.1-9. |
| 3. पउमचरित, 2.34.6.1-9. | 8. पउमचरित, 2.34.1-8 |
| 4. पउमचरित, 2.34.8.1-9. | |
| 5. पउमचरित, 2.34.6.4-5 | |

Economic Disparity in Eastern Uttar Pradesh : An Analysis

Prof. Aloka Kumar Goyal*

*Professor and Head, Department of Economic, D.D.U. Gorakhpur University, Gorakhpur, U.P.

Mantasha Aziz**

**Guest Faculty, Dept of Law, D.D.U. Gorakhpur University, Gorakhpur, U.P.

Abstract : This chapter analyses inter-regional imbalances in Uttar Pradesh and inter-district disparity in Eastern Uttar Pradesh at two point of time 2011-12 & 2017-2018. It uses general sectors for measuring disparity and 35 sub-indicators which explain general, economic and social development in the state at regional level and Poorvanchal at district level. On the basis of composite index, it has identified the backward or disadvantaged regions across the state and poorvanchal. The result of Principal Component Analysis (PCA) suggests that inter-district disparity has declined over the period. It is time to take appropriate steps to bridge the gap between districts in Eastern Uttar Pradesh.

Keywords : Economic Disparity, PCA, Population, Economic regions, Economy etc.

Introduction : It is known that one-sixth of the nation's population lives in UP and only four countries such as China, USA, Indonesia and Brazil have population higher than that of UP. In the state, not only population is high, almost 80 per cent of it resides in rural area, spread over 97,942 inhabited villages which are larger than any African country except Nigeria. In this section an attempt has been made to analyse inter-district disparity in the districts of UP and inter regional disparity among the economic regions of U.P in different development sectors.

Brief Literature Review : The literature on regional disparity is very vast and varied. It can be classified on a number of bases such as the unit of discussion such as state or district, methodology used (using multivariate analysis for developing composite indices coverage (including all the important sectors of the economy or concentrating on few sectors only), results and findings (showing increase or otherwise in the extent of disparity) etc. Since we are attempting to discuss inter-district disparity this work concentrate on only those works which are related to this. A number of studies have been conducted dealing with the issue of disparity and level of development at the sub-state level. These studies have used a number of development indicators. The important studies include the one by Iyenger and Sudershan, (1982), using multivariate data for the two developed regions Karnataka and Andhra Pradesh to find out the level of development in various social and economic indicators, Shaban & Bhole (1999) for the state of Maharashtra, using Principle Component Analysis (PCA) and 62 indicators (72 variables) to measure the level of development of districts for the benchmark years 1972-73, 1982-83 and 1988-89. Shastri (1988) has examined the regional disparity for the state of Rajasthan which covers a period of 23 years (1961-1984). The study delineates the 'developed' and 'underdeveloped' districts and within the districts, the 'developed' and 'underdeveloped' sectors which require the attention of the policy makers. Wang (2007) developed a composite index, using various social and economic indicators for Chinese economy and tried to find out the level of inter-province disparity. Debapriya & Mohanty (2008) tried to identify the inter-district disparity in the levels of development for the state of Orissa in two significant sectors health and education and related 16 sub-indicators, using Principal Component Index.

Objective :

1. To find out the region wise disparity in Eastern Uttar Pradesh.
2. To analyse the inter-district disparity in Eastern Uttar Pradesh.
3. To identify top and bottom five districts on development basis.

Data and Methodology : District level data on the variables have been chosen keeping in view the availability of information. The sources of data for these indicators are varied, making it difficult to use all the indicators jointly to develop a composite index. The study seeks to compare regional variation for the two point of time i.e, 2011-12 and 2017-18 as per availability of data. The year 2011-12 reflects the situation after about a two decade of economic reforms and 2017- 18 represents the latest years for which most of the information is available and shows the impact of the second generation of economic reforms on regional disparity. The study considers the specific region of Eastern Uttar Pradesh with 28 districts as per economic classification. The present work is based on secondary data, UP Statistical Abstracts, District-wise Development Indicator of UP, 2018; District Statistical Diaries and other data sources.

In this study Principal Component Analysis (PCA) has been used which measures and also represents the explanation of various indicators and their variance proportion as a General indicator (**Per capita Income, Percentage Distribution Net Domestic Product, Urbanisation**).

Methodology for Computation of Indices : The study aims at computing different sub-indices and then using them to compute overall index of development of different districts and regions of Uttar Pradesh. The methodology for preparing the indices is as under-

First, if, X_i is positively associated with the development, then the equation can be written as

$$Y_{id} = \frac{X_{id} - \text{Min } X_{id}}{\text{Max } X_{id} - \text{Min } X_{id}}$$

Second, If X_i is negatively associated with the development, then the Index will be calculated as $1 - Y_{id}$. The tabulated data were transformed into standardized Y_{id} 's, using above Formula, **where** X_{id} stands for actual value of i^{th} variable for district d^{th} (number of district) runs from 1 to 28 districts of the Poorvanchal region of Uttar Pradesh.

Min X_{id} stands for minimum value of i^{th} variable of all districts,

Max X_{id} stands for the maximum value of i^{th} variable within all the districts

Indices calculated for the indicators on the basis of above formula lies in between 0 to 1. Composite index of development has been calculated as the average of the indices of various indicators. Districts were then ranked according to Composite index. On the basis of composite Index we have three categories of the level of development such as highly developed (HD), moderately developed (MD), less developed (LD) for which range of composite indices are (0.7 to 1), (≥ 0.4 and < 0.7), (less than 0.4) respectively.

Analysis:

Regional disparity in General Index : The State has been classified among four economic regions namely as East, West, Central and Bundelkhand region. The Bundelkhand region is the smallest consisting of only 7 districts and Eastern region is the largest consisting of 27 districts while the Western region consists of 26 districts and Central 10 districts, Poorvanchal which is an Initiative of Eastern region comprising 28 districts (27 districts of Eastern Uttar Pradesh and Amethi).

Composite index has been calculated on the basis of general indicator which comprises of per capita net domestic product, Percentage share of service sector in net domestic product and percentage of urban population. Disparity among regions of Uttar Pradesh and inter district disparity in Poorvanchal the composite indices have been calculated for origin of Uttar Pradesh and 28 districts of Poorvanchal on two point of time i.e. 2011-12 and 2015-16. First, second, third and fourth ranks are central region, Eastern region, and Western region and Bundelkhand region respectively in 2011-12 and 2015-16. During the period of 2011-12 to 2015-16, there is slightly change in regional disparity among the regions on the basis of general indicators. The value of coefficient of variances in 2011-12 and 2015-16 were 24.2 45 and 23.4 18 respectively (table-1).

Table 1: Region wise Composite Index

Region	Composite Index (2011-12)	RANK (2011-12)	Composite Index(2015-16)	RANK (2015-16)
Bundelkhand Region	0.36	4	0.35	4
Central Region	0.74	1	0.70	1
Eastern Region	0.60	2	0.57	2
Western region	0.55	3	0.52	3
MEAN	0.57		0.53	
SD	0.14		0.13	
CV	24.245		23.418	

Source: See Annexure 1

Table-2: District wise Composite Index for Inter-district Disparity

District	Composite Index	Rank 2011-12	Composite Index	Rank 2015-16
Varanasi	0.76	1	0.62	1
Prayagraj	0.59	2	0.59	2
Sonbhadra	0.48	3	0.36	12
Gorakhpur	0.47	4	0.41	10
Faizabad	0.45	5	0.47	4
Mau	0.38	6	0.35	13
Mirzapur	0.38	7	0.41	8
Ghazipur	0.37	8	0.40	11
Pratapgarh	0.36	9	0.34	14
Chandauli	0.34	10	0.53	3
Basti	0.33	11	0.47	5
Deoria	0.33	12	0.43	7
Kaushambi	0.33	13	0.28	21
Jaunpur	0.30	14	0.30	19
Azamgarh	0.30	15	0.44	6
Ballia	0.29	16	0.30	18
Ambedkarnagar	0.28	17	0.28	20
Bhadohi	0.28	18	0.32	15
Bahraich	0.27	19	0.19	26
Sultapur	0.26	20	0.32	16
Gonda	0.23	21	0.26	22
Maharajganj	0.23	22	0.41	9
St. Kabir Nagar	0.21	23	0.16	27
Shravasti	0.20	24	0.22	24
Balrampur	0.18	25	0.14	28
Kushinagar	0.17	26	0.22	23
Siddharthnagar	0.15	27	0.22	25
Amethi	NA	NA	0.31	17
MEAN	0.33		0.35	
SD	0.13		0.12	
CV	39.72		34.33	

Source : See Annexure 2

District wise Composite Index for Inter-district Disparity : Table 2 shows that Varanasi and Prayagraj districts had maintained their position first and second at both point of time. The districts, which have got lower rank on the basis of general indicator during the above period of time, are Sonbhadra, Gorakhpur, Mau, Mirzapur, Gazipur, Pratapgarh, Kaushambi, Jaunpur, Ballia, Bahraich, Gonda, SantKabir Nagar and Balrampur. The districts, which have improved their position on the basis of composite index, are Faizabad, Chandauli, Basti, Deoria, Azamgarh, Sultanpur, Maharajganj, Kushinagar and Siddharth Nagar. On the basis of general indicator, inter district disparity in Purvanchal has decreased during the period. The table shows that coefficient of variance were 39.72 in 2011-12 and 34.33 in 2015-16. The value of composite index is characterized into highly developed districts, medium developed districts and low developed districts. In the year 2011-12, only Varanasi district was under highly developed district and no one district was found in 2015-16. In 2011-12, four districts were under medium developed while as 11 districts in 2015-16. The number of districts under low developed criteria has decreased from 23 to 17 during the period of time. This indicates that inter district disparity at general indicator level has decreased during 2011-12 to 2015-16.

Conclusion and Result :

Table 3: Highly Developed (0.7 to 1)

Year 2011-12	Year 2015-16
[1] Varanasi	None

Table 4: Medium Developed Districts (0.4 to 0.7)

[1] Prayagraj	[1] Varanasi
[2] Sonbhadra	[2] Prayagraj
[3] Gorakhpur	[3] Chandauli
[4] Faizabad	[4] Faizabad
	[5] Basti
	[6] Azamgarh
	[7] Deoria
	[8] Mirzapur
	[9] Maharajganj
	[10] Gorakhpur
	[11] Ghazipur

Table 5: Low Developed Districts (<0.4)

[1]	Mau	[1]	Sonbhadra
[2]	Mirzapur	[2]	Mau
[3]	Ghazipur	[3]	Pratapgarh
[4]	Pratapgarh	[4]	Bhadohi
[5]	Chandauli	[5]	Sultapur
[6]	Basti	[6]	Amethi
[7]	Deoria	[7]	Ballia
[8]	Kaushambi	[8]	Jaunpur
[9]	Jaunpur	[9]	Ambedkarnagar
[10]	Azamgarh	[10]	Kaushambi
[11]	Ballia	[11]	Gonda
[12]	Ambedkarnagar	[12]	Kushinagar
[13]	Bhadohi	[13]	Shravasti
[14]	Bahraich	[14]	Siddharthnagar
[15]	Sultapur	[15]	Bahraich
[16]	Gonda	[16]	St. Kabir Nagar
[17]	Maharajganj	[17]	Balrampur
[18]	St. Kabir Nagar		
[19]	Shravasti		
[20]	Balrampur		
[21]	Kushinagar		
[22]	Siddharth Nagar		
[23]	Amethi		

Source: See Annexure 2

References :

1. Iyenger, N.S. and Sudershan, P. (1982); A Method of Classifying Regions from Multivariate Data, Economic and Political Weekly, December 18.
2. Shaban A. & Bhole L. M. (1999); Development and Disparities in Maharashtra-a Spatiotemporal Analysis, Indian Journal of Regional Science, Vol. XXXI, No. 1.
3. Lori McDoudall (2000); Gender Gap in Literacy in Uttar Pradesh Questions for Decentralized Educational Planning, Economic and Political Weekly, May.
4. Mitra Arup (2008); The Indian Labour Market: An Overview, ILO Asia-Pacific working paper series, Subregional office for South Asia, New Delhi.
5. Diwakar D, M. (2009); Intra-regional disparities, inequality and poverty in Uttar Pradesh, Economic and Political Weekly, Vol. XLIV NOS 26 & 27
6. Debapriya, A. and Mohanty, M. K. (2008); Inter-district Disparity in the Levels of Development in Education and Health Care Facilities-A Case of Orissa, Indian Journal of Regional Science, Vol. XXXX, No. 1.
7. Reena Kumari (2014); Growing regional disparity in Uttar Pradesh : inter-district analysis Artha vijñāna : journal of the Gokhale Institute of Politics and Economics. - Pune, ISSN 0004-3559, ZDB-ID 303536-0. - Vol. 56.2014, 3, p. 339-360

Annexure 1: General Indicators (Region wise)

	Per Capita Net Domestic Product in Rs. (At Current Price) (Base year 2011-12)		Percentage Distribution of Net Domestic Product (at current prices) (base year 2011-12)		Percentage of Urban Population to Total Population (Urbanisation)			
Region	2011-12	Index	2011-12	Index	2001	Index	Composite Index	RANK
Bundelkhand Region	34015.66	0.58	45.68	0.51	11.74	0	0.36	4
Central Region	30942.65	0.42	49.06	0.81	28.25	1.00	0.74	1
Eastern Region	22808.94	0.00	51.12	1.00	25.15	0.81	0.60	2
Western region	42119.78	1	40.06	0	22.39	0.65	0.55	3
						MEAN	0.57	
						SD	0.14	
						CV	24.245	
Uttar Pradesh	32001.91		45.05		20.78			
Per Capita Net Domestic Product in Rs. (At Current Price) (Base year 2011-12)		Percentage Distribution of Net Domestic Product (at current prices) (base year 2011-12)		Percentage of Urban Population to Total Population (Urbanisation)				
2015-16	Index	2015-16	Index	2011	Index	Composite Index	RANK	
44446.38	0.402	50.38	0.646	12.18	0	0.35	4	
44348.85	0.399	50.87	0.693	31.28	1.00	0.70	1	
32378.89	0	54.1	1.000	26.01	0.72	0.57	2	
62385.59	1.000	43.58	0	22.67	0.55	0.52	3	
					MEAN	0.53		
					SD	0.13		
					CV	23.418		
46298.82		48.08		22.27				

Source: Various Issues of District wise Development Indicators Uttar Pradesh, Economics and Statistics Division, State Planning Institute, Planning Department, Uttar Pradesh, [Http://Updes.Up.Nic.In](http://Updes.Up.Nic.In)

Annexure 2: General Sector (District wise)

	Per Capita Net Domestic Product in Rs. (At Current Price) (Base year 2011-12)		Percentage Distribution of Net Domestic Product (at current prices) (base year 2011-12) in tertiary sector		Percentage of Urban Population to Total Population (Urbanisation)				Per Capita Net Domestic Product in Rs. (At Current Price) (Base year 2011-12)		Percentage Distribution of Net Domestic Product (at current prices) (base year 2011-12)		Percentage of Urban Population to Total Population (Urbanisation)		
District	2011-12	Index	2011-12	Index	2001	Composite	Index	District	2015-16	Index	2015-16	Index	2011	Index	Composite
48. Pratapgarh	15523.8	0	63.95	1.00	5.29	0.07	0.36	48. Pratapgarh	24428.55	0.083	60.58	0.82	5.46	0.050	0.34
49. Kausambi	25448.55	0.37	50.74	0.49	7.1	0.11	0.33	49. Kausambi	31182	0.306	40.01	0	7.78	0.108	0.28
50. Prayagraj	35788.16	0.76	49.03	0.43	24.45	0.58	0.59	50. Prayagraj	52235.83	1.000	53.2	0.52	24.74	0.532	0.59
51. Ayodhya	24799.85	0.35	56.83	0.73	13.46	0.28	0.45	51. Ayodhya	35323.77	0.442	59.57	0.78	13.77	0.258	0.47
52. Ambedkarnagar	19601.46	0.15	51.77	0.53	8.93	0.16	0.28	52. Ambedkarnagar	28742.69	0.225	54.22	0.56	11.71	0.206	0.28
53. Sultanpur	28706.74	0.49	44.35	0.25	4.74	0.05	0.26	53. Sultanpur	38884.38	0.560	48.47	0.34	6.04	0.065	0.32
54. Amethi	24634.61	0.34	44.3	0.25	NA			54. Amethi	34941.18	0.430	49.91	0.39	5.69	0.056	0.31
55. Bahraich	16993.17	0.05	52.31	0.55	10	0.19	0.27	55. Bahraich	21913.8	0	54.53	0.58	8.14	0.117	0.19
56. Shravasti	18143.37	0.10	50.62	0.49	2.84	0	0.20	56. Shravasti	25782.12	0.128	50.64	0.42	3.46	0	0.22
57. Balrampur	21262.26	0.21	43	0.20	8.04	0.14	0.18	57. Balrampur	24687.15	0.091	46.63	0.26	7.74	0.107	0.14
58. Gonda	23061.04	0.28	45.94	0.31	7.03	0.11	0.23	58. Gonda	29298.34	0.244	51.9	0.47	6.55	0.077	0.26
59. Siddharthnagar	17577.92	0.08	46.77	0.34	3.81	0.03	0.15	59. Siddharthnagar	23377.03	0.048	53.86	0.55	6.28	0.071	0.22
60. Basti	23646.54	0.30	54.11	0.62	5.56	0.07	0.33	60. Basti	39477.27	0.579	58.35	0.73	5.6	0.054	0.47
61. Sant Kabir Nagar	17158.71	0.06	49.6	0.45	7.08	0.11	0.21	61. Sant Kabir Nagar	23216.24	0.043	50.37	0.41	7.49	0.101	0.16
62. Maharajganj	22462.69	0.26	47.21	0.36	5.09	0.06	0.23	62. Maharajganj	31915.79	0.330	53.15	0.52	5.02	0.039	0.41
63. Gorakhpur	20949.83	0.20	57.89	0.77	19.59	0.45	0.47	63. Gorakhpur	35253.49	0.440	58.86	0.75	18.83	0.384	0.41
64. Kushinagar	20893.48	0.20	45.11	0.28	4.58	0.05	0.17	64. Kushinagar	30140.59	0.271	45.78	0.23	4.72	0.032	0.22
65. Deoria	18812.08	0.12	55.34	0.67	9.89	0.19	0.33	65. Deoria	26858.76	0.163	65.23	1.00	10.22	0.169	0.43
66. Azamgarh	18546.14	0.11	55.29	0.67	7.55	0.13	0.30	66. Azamgarh	26732.12	0.159	57.01	0.67	8.53	0.127	0.44
67. Mau	24470.27	0.33	47.51	0.37	19.44	0.44	0.38	67. Mau	33115.82	0.369	53.37	0.53	22.63	0.479	0.35
68. Balia	20270.92	0.18	51.45	0.52	9.77	0.19	0.29	68. Balia	26045.49	0.136	56.59	0.66	9.39	0.148	0.30
69. Jaunpur	19351.94	0.14	54.71	0.65	7.4	0.12	0.30	69. Jaunpur	26925.62	0.165	55.8	0.63	7.71	0.106	0.30
70. Ghazipur	19311.24	0.14	59.82	0.84	7.68	0.13	0.37	70. Ghazipur	27986.28	0.200	59.47	0.77	7.58	0.103	0.40
71. Chandauli	21901.26	0.24	53.05	0.58	10.56	0.21	0.34	71. Chandauli	28369.1	0.213	49.19	0.36	12.42	0.224	0.53
72. Varansi	27807.65	0.46	59.39	0.82	40.16	1.00	0.76	72. Varansi	46150.24	0.799	59.99	0.79	43.44	1.000	0.62
73. Sant Ravidas Nag	21664.92	0.23	46.66	0.34	12.82	0.27	0.28	73. Sant Ravidas Nag	32012.47	0.333	49.18	0.36	14.53	0.277	0.32
74. Mirzapur	25065.53	0.36	50.91	0.50	13.54	0.29	0.38	74. Mirzapur	34024.76	0.399	52.79	0.51	13.92	0.262	0.41
75. Sonbhadra	42360.31	1.00	37.92	0	18.82	0.43	0.48	75. Sonbhadra	49993	0.926	43.69	0.15	16.88	0.336	0.36

Source: Various Issues of District wise Development Indicators Uttar Pradesh, Economics and Statistics Division, State Planning Institute, Planning Department, Uttar Pradesh, [Http://Updes.Up.Nic.In](http://Updes.Up.Nic.In)

Concept & Perspectives of Employee Performance over Organizational Performance : An Analytical Analysis with Reference to Higher Education Institution

Dr. Pooja Chaturvedi*

*Associate Professor, Rabindranath Tagore University, Bhopal, (M.P.)

Dr. Ravindra Pathak**

**Professor & Dean, Rabindranath Tagore University, Bhopal, (M.P.)

Rajesh Jain***

***Research Scholar, Rabindranath Tagore University, Bhopal, (M.P.)

Abstract : This study aims to analyze the influence of leadership and integrity on employee performance with organizational commitment as an intervening variable. The data collection method in this study used a questionnaire with employees in Two Universities of Gwalior. Data analysis used descriptive statistics. The analytical method used is descriptive analysis. In this the results showed that leadership and integrity have a significant effect on organizational commitment and also on employee performance. The findings in this study are that it turns out that the factor that has a more dominant influence on organizational commitment is integrity, while leadership is most influenced for employee performance.

Keywords : Higher Education Institution, Authoritative execution, Hierarchical execution, Relevant studies, Multi-dimensional etc.

Introduction : Organizational performance is an expressive perception of the factual world, which explains the great number of fundamental reflections on the concept and its estimating tools (Lebas, 1995; Wholey J., 1996). Due to the emotive character of the concept of authoritative execution, numerous formulations exist currently. As a result, the concept of hierarchical execution has gained increasing attention in recent years and is now ubiquitous in virtually all spheres of human activity. Evaluated repeatable exercises assist the organization to achieve long-term success by determining the level of execution and enabling the board to make informed decisions on where, if necessary, within the cycles to engage in initiatives to enhance execution (Georgopoulos, 1957; Robbins, 1987). Consequently, it is possible to ensure a comfortable relationship between the hierarchical objective and the concept of authoritative performance. Similarly, Cameron (1986) identifies a lack of adequate explanation or definition regarding the concept of implementation. In the absence of a functional definition of execution on which the vast majority of relevant studies agree, there would typically be multiple explanations and deductions based on the individual's perceptions. Consequently, a commonly accepted description of the concept faces a number of issues, and the likelihood that any definitions and starting a few recommendations will lead to the ideal definition is still remote. Moreover, hierarchical execution has persistently affected organizational activities (Hoodlum JR, Bratton VK, Road VL, 2006). One of the concerns associated with this influence is the increase in the quantity and variety of methods and tactics to precisely evaluate the exhibition, thereby establishing an essential research field for both organizations and academics. Unfortunately, there is no consensus in the literature on how to quantify authoritative performance, and the topic is fragmented (Lusthaus, Adrien, Anderson, Carden, and Montalván, 2002).

Review of Literature : An association is an intentionally synchronized social unit, comprised of, a together on normal gathering objectives on a moderately ceaseless premise. Models, schools, emergency clinics, holy places, assembling, and administration firms, retail locations, police divisions, military units, volunteer associations, new businesses, and nearby, common, and national government offices are associations (Robbins, 2005). Right now, there are various definitions credited to the idea of hierarchical execution because of its abstract nature. In view of the emotional idea of hierarchical execution definition, there is no broad arrangement in the writing on the principles to be utilized in estimating the authoritative exhibition (Bolman, L.G., and Arrangement, 2003; DeClerk, 2008; Scott, W. R., and Davis, 2015). In any case, authoritative execution is characterized by the accompanying six fundamental methodologies.

Employee Performance : Jamshidi, (N.D.) states that performance refers to the distinctiveness of a person's achievement in his task. Then, the performance generally involves the certain level of an individual's output for example number of customers dealt or a number of units sold and the comparison of the performance with the set benchmarks of the organization (Al Kazemi & Ali, 2002). Winarno (2008), define performance as

“something that is done or the products or services produced or provided by a person or group of people”. Usually, people conceive job performance as the work done by the employee during his job at his workplace. Nature of job, overall environment and difficulty level can affect the job performance of an employee (Ackerman, 1997, Avery and Murphy, 1989). This also noted that most of the definitions of job performance are not comprehensive and not able to give the full meaning of this term (Campbell et al., 1996). Moreover, the empirical study revealed there was a positive relationship between organizational commitment and job performance and this finding indicated a stronger relationship occurred among the sales employees than non-sales employees. Job satisfaction had also received attention from other researchers. In the same way, through a study that was conducted on the casino employees in Macau, it was also discovered that job satisfaction was significantly related to job performance and had a positive effect while at the same time lack of interpersonal skills had also found to contribute to poor performance (Gu & Chi, 2009).

Organizational performance : Organizational performance is considered to be a multi-dimensional concept and the measurement thereof is a critical aspect of organisational leadership, as continuous improvement relies on the ability to evaluate the organisation’s performance continually (Shahin, Naftchali& Pool, 2014). Organisations risk jeopardising future organisational performance, however, by over-emphasising financial performance at the expense of overall strategic performance (Ireland et al., 2012). For this reason, Upadhyay and Palo (2013) report that organisations are effectively using the BSC approach as a comprehensive measure of organisational performance. Ireland et al. (2012) state the BSC consists of measures of financial performance, customer performance, internal process performance as well as learning and innovation performance.

Statement of the Problem : Employees are the most important resource in any organization. A productive and extremely useful organization can be accomplished by connecting with representatives in working on their presentation. At the point when professionals are taken care thoroughly, the outcome can be more noteworthy efficiency and expanded representative resolve. Consequently, representatives in an organization are expected to produce an all-outrequirement to want norms of performance to accomplish an upper hand and improve organizational performance.

Significance of the Study : The results of this study will be useful to any academic organization as they will demonstrate the regions that should be addressed to further develop worker efficiency. Hence, this study will be significant for all associations as it will reveal the fundamental variables for working on authoritative execution. Different associations and policymakers can utilize the consequences of this review to refine arrangements and approaches to work on the presentation of their representatives, as well as to work on the viability of their associations. This study may likewise be helpful to experts and specialists, as it will act as a springboard for directing further exploration on further developing efficiency at both the worker and company level.

Scope of the Study : This study focused on the relationship between employee performance and organizational performance. The review was led only in the two universities of Gwalior as they are right now the biggest scholastic universities with the biggest number of employees. The review zeroed in on a top-to-bottomassessment of the variables that assume a part in further developing worker efficiency.

Study Limitations : This study depended on ways of behaving where a few respondents felt irritated and consequently wouldn't take part or gave inaccurate data. In such a mannerthe analyst was additionally open and come clean about the review to relieve any worries that could have prompted such obstruction. The findings of this study are restricted and simply connected with the two Universities in Gwalior.

Methodology : This paper takes the form of a literature review of relevant studies related to organization, performance, and organizational performance measurement. As per Small (2016), the technique of writing audit papers ought to basically contain the subjects illuminating the survey, data sets utilized, catchphrases, and a portion of the essential sources’ guidelines. In this work, authoritative execution estimation was the most applicable subject. Of most huge were those reviews that endeavor to connect ideas to execution estimation in a hierarchical setting. The Harvard framework, the creator date-page design, was utilized for referring to writing sources. The review utilized an optional wellspring of information assortment. Diaries connected with authoritative execution. In all cases, the essential watchwords utilized in looking for the articles were association, execution, and hierarchical execution estimations.

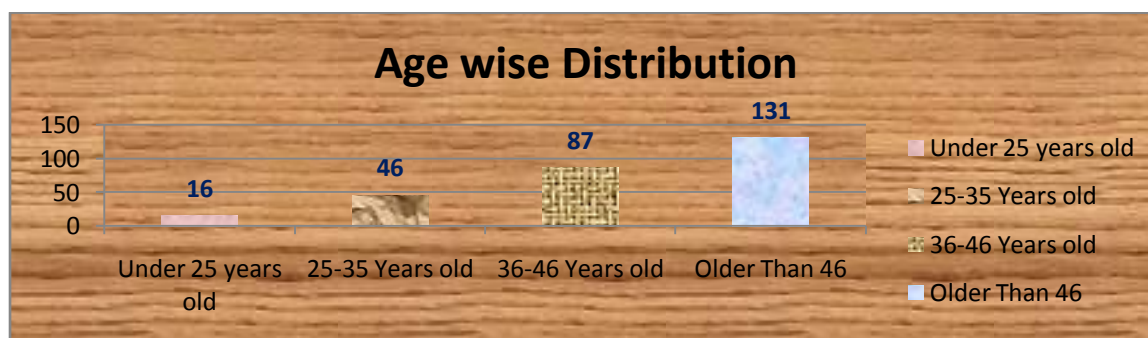
Detail	Category	No	Total
Employment Background	Under 7 Years	113	280
	Between 7- 14	83	
	Between 15-21	56	
	Longer than 22 years	28	
Academic degree	Diploma	16	280
	Associate Degree	37	
	Bachelor's Degree	37	
	Master's Degree and Higher	190	
Gender	Male	155	280
	Female	125	
Age	Under 25 years old	16	280
	25-35 Years old	46	
	36-46 Years old	87	
	Older Than 46	131	

Discussion and conclusion :

Gender of Respondents : As outlined in the table above, from the overall 280 respondents 155 (55.36%) of the members were male while the excess 125 (44.64%) were female. This showed that by far most of the respondents in the senior organization and focus level organization were male. This proposes that a larger part of the administrative gathering in the bank contain more male than female. Further the results show that the two sexes were adequately tended to in the audit since there is none which was more than 56%. Regardless, the estimations show the way that the male direction could be administering the two Universities.

Age of Respondents : The respondents likewise requested to show their typical age, the outline of their age dispersion is displayed in the table underneath.

From the above table, the normal age of the respondents as of the hour of study lay somewhere in the range of more than 46 years addressing 46.78% while those 36 to 46 years addressed 31%. This shows that a larger part of the workers in these branches is fully grown and experienced with enough involvement with their subject matters. They are additionally in the age bunch who are more energetic and creative and subsequently are more effective and useful which are helpful to authoritative execution. The discoveries are in concurrence with those of Cost and Banham (2011) who laid out that there are two normal age pinnacles of the last part of the 20s and mid-40s which are connected to representative execution. The outcomes show that any strategy one-sided towards resolving the issues influencing representative execution in universities should be age-comprehensive and ought to go past the adolescent governmental policy regarding minorities in society which can target workers who are in the age section of 18-35 years and cover those over 35 years.



Bar graph - 1

Level of Education : The instructive foundation of the respondents was one of the other significant segment factors overviewed by the review. Figure shows the circulation of the degree of schooling or preparation accomplished by the respondents.

As delineated in the above table, it was laid out that there were 190 (67.78%) representatives in the designated populace with Ph.D. while those are bachelor degrees addressed 13.22%, it was laid out that a larger part of representatives had a Four-year college education and Graduate degree as displayed in the chart above. during the research process, respondents with specialized information on the review issue help with get-together solid and exact information on the issue being scrutinized. This showed that a large portion of the Organizational Professionals were qualified experts with specialized information and abilities on the review issue and hence gave the review dependable data.

Working Experience : The review looked to lay out the number of years that the respondents had worked in the universities. This was to determine how much their reactions could be depended upon to make ends for the review, in light of their functioning experience. From the information gathered, it is laid out that a larger part

of the representatives has worked in their separate branches somewhere in the range of seven years which is normal years for a capable worker as displayed in Figure above. It means that respondents with a high working encounter help with giving solid information on the issue close by since they have specialized insight on the issue being inspected by the review. As from the above table, over half of the respondents had worked in the university for over 7 years and consequently comprehended specialized issues on the elements impacting worker efficiency and resulting authoritative execution

Conclusion : The assessment of authoritative sufficiency is the topic of a number of publications on administration as well as policy management; hierarchical execution is used as a changeable guard on a variety of different components. Researchers and scholars approach their subject matter in a variety of different ways, which results in a wide range of articulations. According to the beliefs of scientists, in order to decide the appropriateness of an authoritative figure, one must take into account all of the events that are happening in the various departments as well as the diverse interests of the people who are involved in them. The emotional uniqueness that arises as a result of the exercises is due to the fact that the goals of the relationship are varied, disjointed, and in direct opposition to one another. This article takes the position that the subject of characterization, evaluating, and possibly deciphering the concept of hierarchical viability is an intricate, complex, and slippery cycle. This is true on two fronts: first, because of the various perspectives on logical writing, and second, because of the fact that it is an exceptional component of the association, activity, and funding of ventures. The variety of definitions that are present in logical writing raises problems rather than provides clarity regarding the significance of execution. In a few different examinations, authoritative execution has been demonstrated to be a multi-faceted construct. In general, this is the case. During the course of our investigation, it became clear that a search for the most appropriate method to communicate the activities of the organization through the use of a single medium had also grown. As a result, the scientist hopes that this article will assist in locating other scientists who are struggling with a similar problem.

References :

1. Alo Oladimeji (1999), Human Resource Management in Nigeria, Business and Institutional Support Associates Limited, Lagos.
2. Ohabunwa Sam (1999), 'Accounting Challenges In The New Millennium'. Paper Presented for HRBD UNILAG on Renovating Our Corporate Management Practices For The New Millennium, Wednesday 19th May.
3. Akingbova Erastus (2000), "Strategic Management Challenges In The Nigerian University of Lagos MBA Students Wednesday, August 2nd.
4. BanjokoSimbi (1982), Employee Performance Appraisal; Pennan Vol. 8, No. 3, July-Sept
5. Khan, R. A. G., Khan, F. A. & Khan, M. A. (2011). Impact of Training and Development on Organizational Performance. Global Journal of Management and Business Research, 11(7): 63-68.
6. Khanfar, S. M. (2011). Impact of Training on Improving Hotelling Service Quality. Journal of Business Studies Quarterly, 2(3): 84-93.
7. Laing, I. F. (2009). The impact of training and development on work performance and productivity in public sectors organizations: A case study of Ghana ports and garbous authority. A thesis submitted to Institute of Distance Learning, Kwame Nkrumah University of Science, and Technology. 8. Manu. S. J. (2004). Training and development techniques for improving organizational performance for Ghanaian firms (Unpublished) MS. Thesis, University of Wisconsin-Stout: 48pp

Challenges and Opportunities of Community Participation in Education in India's Democracy

Dr. Sadaquat Ali Khan*

*Associate Professor, MANUU, College of Teacher Education, Bidar, Karnataka

Abstract : Politics of a country are smart enough in many ways when it comes to providing educational settings and implementing policies and enforcing rules. But groups of communities play many different roles to establishing democracy and brotherhood at workplaces and keeping things stable. This paper talks about how communities can be involved in promoting and running schools, as well as building up their ability to take on a bigger role in providing education as a whole. Different types of reports, politics and community involvement in different forms and dimensions is used in this study to show the problems and opportunities in Education in India. The results of the said study show that the involvement in education by the community and participation in democracy must go hand to hand for a strong government and good governance, as well as for the growth of educational and other services in a developing country. This study also suggested that community and government should work together on educational opportunities to give people the courage, responsibility, and awareness they need to take part in education and governance in a way that doesn't break down communication or law and order.

Keywords : Community, School, Education, Democracy, Programme of Action etc.

Introduction : India is a big hub of Education, and the majority of the population must be significantly impacted by the current gloomy outlook of Education. The multifaceted difficulties in India's educational system are highly significant areas of government failure to the community in these days. The crises arose not from a lack of material and human resources, but rather from how these resources were handled or mismanaged to the disadvantage of the community's bigger members no other than only education.

Most educationists across the globe have worked hard to achieve the aim of excellent education via parental and community involvement in schools. The Kothari Commission (1964–1966) emphasized on the necessity for decentralization of school instruction and the engagement of parents and local governments in school development initiatives. NPE 1986 placed a strong focus on decentralized planning and control of primary education. Village Committees were developed further with the assistance of the Programme of Action (POA) in 1992. The 73rd and 74th constitutional amendments of 1992 established a solid foundation for decentralization of powers and authority to the Panchayati Raj at various levels. The National Curriculum Framework (2005) also underlined the need of encouraging community engagement as a strategy of improving educational quality. The RTE Act of 2009 includes a provision for the formation of school management committees. The "save the children" report (2013) emphasized the necessity of community engagement in school instruction. The role of parents and the community in school education has been recognized as a key role in all policy efforts at the national and international levels.

Review of related study : Most educators understand the importance and advantages of community engagement in school education, and they also identify it as one of the strategies to promote educational access and quality. Community involvement is highly connected to school-community relations (Hamdan 2013). The "save the Children" report (2013) emphasizes the need of community engagement in school instruction. Community-based educational development techniques have the potential to increase ownership, responsibility, and efficiency. Community participation in education helps identify community-specific education concerns and guides the creation of initiatives to reduce obstacles to access and quality in education within a certain community (Shilpi Sharma et al., 2014). Deka A. (2016) discovered that community engagement in school had a favourable overall impact.

What is Community : Community is a collection of individuals from the same region, caste, sex, or religion of a country. Word bank (1999) defines communities by shared culture, language, tradition, law, geography, class, and race. Mark Bray (2000) states that a community has a network of common interests and concerns, a symbolic or physical foundation, an expansion beyond the family, and a distinguishing trait. Community involvement in education identifies school difficulties. Community supports school to provide excellent education to all students to improve society.

Therefore, we can say that the community should be able to –

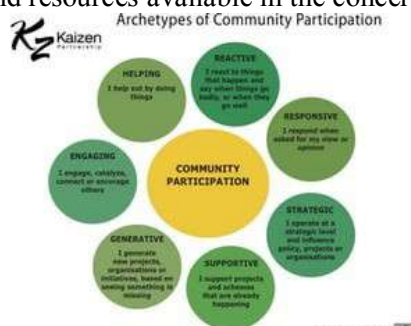
1. Manage Educational institutional curriculum, activities and outcomes.

2. Inform to the community and stress the necessity of parental engagement in educational Institutions
3. A community will be ready to involved in their institutional administration.
4. A community play a role to making decision regarding institutional governance.

Community engagement brings individuals together for problem-solving and decision-making. Community engagement helps identify problems, devise and execute social development programs, and accept responsibility. Members come from many castes, religions, and sexes.

How Community Participate in Educational Institution : Communities are responsible to look after the matter related to all the concerned field of the local educational institution and maintain institutional buildings and all the facilities, and other infrastructure amenities including the garden, boundary wall, separate toilets for boys and girls, common rooms, drinking water, library, laboratories, classrooms and all the learning sources and resources humanistic sources and resources available in the concerned educational institution.

Fig 1: Community Involvement Model



Modalities of Community Involvement in School

Source: Community Participation in School Management, T. N. Sharma, Published 16 April 2013 **Source:** <https://www.slideshare.net/monaaboserea/community-participation-139849124>

Supervision : Members of the community are tasked with overseeing various aspects of institutional management, such as the regularity of staff, with students and teachers report to classroom engagement, the availability of textbooks, notebooks, and other instructional materials, the elimination of harmful practices like corporal punishment and bullying, the conduct of health screenings, the auditing of financial grants, and so on.

Employing Educators : Communities have an obligation to fill teaching positions whenever they arise and provide proper training with refresher courses, innovative practices, enhancing values and social services, this may be in a volunteering mode that is an option for members of the community, and they can run an extensive educational campaign to raise consciousness for the betterment of the society and the country.

Responsiveness : The community stake holders must ask question, that How well-organized and successful the concerned educational institutions? Are these delivering high-calibre instruction? What this implies or outcomes for the communities? Are locals are eager to participate in Educational Activities? These question must be taken an account for the betterment of the society and educational opportunities hand to kids, educators, and staff, and it will providing direction, and showing genuine interest in the success of local youth.

Community Participation in the Development and Implementation of Educational Programs and Materials : The community member is also involved in making and implementing policies as well as drafting and distributing curricula and textbooks. Curriculum and learning materials should be developed and designed by community members so that they are appropriate to the local environment.

The World Bank (1999) outlines many methods through which local communities might aid in the financing of public schooling: **1.** Promoting enrolment and the value of education; **2.** Boosting staff morale, and raising funds for institution. **3.** Hiring and supporting teachers to ensure students' regular attendance. **4.** Construction of institutional building, repairing, and improving learning facilities; **5.** Donating time, energy, money, and resources to the institution. **6.** Deciding where and when institution should be located **7.** Monitoring and following up on teachers' attendance and performance **8.** Forming village educational cooperatives **9.** Attending school meetings in order to learn about children's academic progress and classroom conduct. **10.** Providing skill instruction and local culture information **11.** Assisting children with their studies. **12.** Obtaining more resources from and resolving problems through the education bureaucracy. **13.** Advocating and promoting girls' education. **14.** Providing security for teachers by preparing adequate housing for them. **15.** Scheduling school calendars and managing the school budget. **16.** Determining the elements that contribute to educational issues (low enrolment, high repetition, and dropout); and **17.** Preparing children's readiness for schooling by providing them with adequate nutrition and stimuli for their cognitive development.

Policy Review on Community Participation in India : After independence, the Indian government had several policies and plans for community engagement in school education.

In 2009, the Indian government launched the "**Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan**," a campaign to universalize secondary education. According to RMSA, Panchayati Raj and Municipal Bodies, Community, Teachers, Parents, and other stakeholders will be involved in secondary education management through bodies such as School Management Committees and Parent - Teacher Associations in the planning, implementation, monitoring, and evaluation.

New Education Policy 2020 and community participation : For the purpose of developing the National Education Policy, the Ministry of Human Resource Development organized a committee led by Dr. K. Kasturirangan. The Committee was formed in June of 2017. On May 31, 2019, the Committee presented its report and The National Education Policy of India 2020 (NEP 2020), launched by the Union Cabinet of India on July 29, 2020, describes the goal of India's future education system. The new policy supersedes the preceding 1986 National Policy on Education after a gap of 34 years. The strategy offers a comprehensive framework for primary, secondary, and higher education, as well as vocational training in both rural and urban India. By 2030.

Features of the 2020 National Education Policy :

1. Quality Affordability
2. Equity Access Accountability.
3. Policy strategy calls for educational improvements at all levels, from elementary school to higher education.
4. The NEP aspires to enhance the emphasis on teacher preparation, overhauling the present test system, early childhood care, and rebuilding the educational regulatory environment.
5. Other goals of the NEP include increasing public investment in education, establishing the NEC (National Education Commission), focusing more on vocational and adult education, and enhancing the use of technology.

NEP 2020 and Community participation in Education : 1. NEP-2020 emphasizes on flexibility and autonomy make community participation an inherent component of education rather than a separate endeavour. 2. The flexibility factor allows for more possibilities to foster community participation at the institutional level, and o Autonomy gives institutions power. 3. Institutions with flexibility and autonomy are free to conceive and implement programs that promote social connection. 4. All components of the 2020 Policy highlight the need of social justice and social change, and education is a means for achieving them. 5. Both officially and indirectly, the NEP articulates the importance of community in education. 6. Among those who are explicit are: 7. Including Anganwadis in the educational fold; Integrating skills at various levels; Making education holistic and multidisciplinary; Emphasizing experiential learning; Creating an atmosphere of autonomy; Integrating local skills in the main course of education while focusing on impactful research 8. Both officially and indirectly, the NEP defines the importance of community in education like-

1. Bringing Anganwadis into the educational fold.
2. Integrating skills at various levels.
3. Making education holistic and multidisciplinary.
4. focusing on experiential learning.
5. Creating an atmosphere of autonomy.
6. Integrating basic local skills into the main course of studies, focusing on practicing research.

Participation of the Community in School Education : The National Education Policy envisions a public education system with authentic, altruistic private and community engagement- 1. The community is an essential component of school education, and there is evidence that village schools work properly only when the local community is engaged and participates in school operations. 2. In terms of Early Childhood Care and Education (ECCE), NEP 2020 specifies that Anganwadis will be completely integrated complexes/clusters, and parents and teachers of children will be asked to participate in school complex programs. 3. The role of Anganwadis has been cantered on nutrition, its integration with education allows them to help parents and create communities by offering early childhood education as well as the required nutrition and health care. 4. The idea of cluster schools incorporates the role of the community in the construction of schools and the enhancement of learning. 5. A school complex is a collection of neighboring schools. 6. Aside from the advantages of pooling and sharing resources such as instructors, learning, and physical resources, the communities around the school complex would gain the most. 7. Broad-based school complexes and clusters allow location- and context-specific innovations. 8. School cluster management committees are comprised of many stakeholders, include the community as well as local management professionals who may oversee school cluster governance and administration.

The Advantages of Community Participation in School Education : 1. Getting the most out of scarce resources. 2. Creating a need-based and context-based curriculum. 3. Identifying and resolving challenges. 4. Education for Girls. 5. Creating and Nurturing Community-School Partnerships. 6. Bringing Democracy to Life. 7. Increasing Accountability. 8. Ensuring Sustainability. 9. Improving the Home Environment.

Suggestions for Increasing Community Participation in Education : The following are some ideas for increasing community engagement- 1. All instructors, HMs, and community members should get training on recent amendments (RTE, 2009). 2. A community involvement awareness campaign should be established at the village level. 3. Community members should be chosen democratically. 4. Communication between school and community people should be created. 5. SMC should be straightened up and overseen by higher-ups. 6. A community linking program should be implemented at all levels. 7. The engagement of SMC members in school activities should be increased. 8. A meeting should be planned for all levels of SMC members. 9. SMC members should be encouraged to participate in all school activities, such as identifying school-age children, conducting admission drives, and persuading parents to send their children to school.

Conclusion : Most educators believe that community involvement in educational institutions improves quality of education. In developing countries, community engagement is crucial for educational institutions and has a positive influence. Although the community board/council has significant responsibility over Institutional management issues such as academics, administration, school functions, curriculum development, and so on, in India, parents are overlooked in curriculum development as well. Community involvement is not a cure for all challenges and problems in educational institutions, but it does help to provide excellent education. It is the decentralization of school governance in order to improve educational quality. In foreign nations, community engagement regulations and practices vary. Communities are active in a variety of areas, including administrative, academic, and financial authority, as well as school functions. Many initiatives are advocated in India for community engagement in school education to improve educational quality.

References :

1. Bray, M. (2000). Community Partnerships in Education: Dimensions, Variations and Implications. Education for all 2000 Assessment, UNESCO.
2. Dahiya 2020 "Bringing Education and Committees" Available at <https://www.dhyeyaias.com/current-affairs/daily-current-affairs/bridging-education-and-communities#:~:text=Community%20Engagement%20in%20School%20Education&text=Regarding%20Early%20Childhood%20Care%20and,participate%20in%20school%20complex%20programmes.&text=The%20necessary%20nutrition%20and%20health%20care>.
3. Sharma, T.N. (2013). Structures and Mechanisms of Community Participation in School Management. *Journal of Educational Research*, 1, 72-85.
4. Gamage, D. T. (1993). A Review of Community Participation in School Governance: An Emerging Culture in Australian Education. *British Journal of Educational Studies*, Vol. 41, No. 2 (Jun., 1993), pp. 134-149.
5. Kenny, K., Lei P., Paxton W., Talbot-Zorn M. and Henck A. (2013). Community participation in improving learning. Save the Children, Connecticut USA, ISBN: 1888393-27-0.
6. Kumar, M.(2019), "Community Participation in School Education" Available at <https://www.ijer.net/archive/v10i1/SR201224191731.pdf>
7. National Education Policy 2020, MHRD, Govt of India. 2020. Available from: https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_%20English_0.pdf.
8. Panda, B. N. (2014). Quality monitoring programme in the Cluster levels of Odisha. *Journal of All India Association for Educational Research* Vol.26, 2, Dec. 2014.
9. Pandey SK, , Tyagi HK. A Journey towards the commitments of national education policy 2020 through concept mapping. *Indian Journal of Science and Technology*. 2021;14(12):984–989. Available from: <https://dx.doi.org/10.17485/ijst/v14i12.5>.
10. Pawar, S. (2016). School management committee effectiveness. National meet on community involvement and mobilization in school education, 2016, RAMSA cell, NCERT, New Delhi.
11. Rupesh GS, Umesh BS. National Education Policy 2020 and Higher Education: A Brief Review. *International Journal of Creative Research Thoughts*. 2021;9(1):3456–3460.
12. SRIVASTAVA. P., (2020), Will National Education Policy 2020 transform the future gen" Times of India daily Newspaper August, 04, 2020. Available at: <https://timesofindia.indiatimes.com/education/news/will-national-education-policy-2020-transform-the-future-generation/articleshow/77347600.cms>

Requirements for the Implementation of a framework for Blended learning in India's Higher Educational Institutions

Dr. Mohd. Talib Ather Ansari*

*Associate Professor, MANUU, College of Teacher Education, Bidar-Karnataka

Abstract : In India, blended learning has emerged as a popular approach to education, especially in response to the COVID-19 pandemic. As a result, educational institutions have been compelled to implement remote learning models. Complex adaptive and community of inquiry frameworks have recently been implemented globally to facilitate the adoption of blended learning. However, integrated learning frameworks in India, like those in other third-world nations, suffer from policy, training, support, and infrastructure issues. As a means of overcoming the aforementioned obstacles, suitable blended learning frameworks for higher education institutions are required. However, designing a framework for blended learning requires careful consideration of a variety of factors to ensure the optimal learning experience for students; therefore, the purpose of this study was to investigate the requirements for designing a framework for blended learning.

Keywords : Blended Learning, High Educational Institutions, Framework of Blended learning etc.

Introduction : For centuries, the conventional mode of delivering education has been through face-to-face instruction in a physical classroom setting. The advent of technology-enabled learning has given rise to more recent opportunities for distance and distributed teaching and learning. Initially, online education was primarily utilized in the realm of distance education, where students engaged in fully online coursework. The concept of integrating traditional face-to-face instruction with online or remote education was introduced subsequently. The Babson Survey Group's report indicates a consistent rise in the number of institutions that provide blended learning courses over the previous decades (Allen & Seaman, 2017). According to the report, nearly half (48%) of higher education institutions in the United States provide a variety of blended learning, and this phenomenon is also observed in other regions across the globe.

Blended learning is a widely adopted approach that involves the integration of online and face-to-face learning modalities in the instructional process aimed at enhancing students' learning outcomes. In the context of blended learning, students are required to attend a conventional classroom session where a teacher imparts knowledge while simultaneously engaging in self-directed online coursework outside the classroom. In this scenario, online learning experiences may serve as a substitute or addition to in-class time, with students receiving instruction on identical topics through both mediums. As such, the online and in-person learning experiences would be mutually reinforcing and complementary.

Blended learning, also known as hybrid learning and mixed-mode learning, can exhibit significant variations in its design and implementation across different educational institutions. Blended learning can be implemented within a pre-existing educational institution by a limited number of instructors, or it can serve as the primary mode of instruction upon which an institution's academic curriculum is based. The integration of online learning within a traditional classroom setting or the utilization of digital tools such as video-recorded lectures, live video and text chats, and other digitally enabled learning activities as the primary mode of instruction between teachers and students are two possible approaches to incorporating technology in education. In certain scenarios, learners have the opportunity to engage in self-directed learning by completing virtual coursework, tasks, and undertakings remotely, with occasional face-to-face consultations with instructors to evaluate their academic advancement, deliberate on their submissions, seek clarifications, or obtain aid with challenging topics. In certain instances, students may allocate the entirety of their day within a conventional educational facility, yet devote a greater proportion of their time towards online and self-directed learning as opposed to receiving pedagogical guidance from an instructor. The potential variations are numerous, as previously mentioned.

Why use a blended approach to education? : Blended learning integrates traditional classroom instruction with digital resources to better serve students of varying learning styles. Teachers may be more efficient and successful in their work with pupils if they are able to keep them interested, stimulated, and motivated.

Blended learning allows students of varying abilities to go through their coursework at their own speed, with the former moving forward at their own pace while the latter may work at their own pace and get individualized help where they are suffering. Traditional classrooms instruct all students at the same level and pace, which might dull kids who are advanced and leave behind others who require more time or support.

Because blended learning can be easily scaled to accommodate a large number of students, it provides a solid foundation for all of them to gain the necessary 21st-century skills. Learning A-Z provides students with digitally delivered tools that provide them access to a vast collection of age-appropriate learning materials from any location with an internet connection or mobile device. This implies that students may study whenever and wherever they choose, not only during school hours. Educating children at home is a viable option for parents.

Blended Learning Framework : A blended learning framework is a teacher-developed learning framework that mixes classroom instruction with digital learning, in which students may, in part, determine the time, speed, and location of their learning. Furthermore, many types are available for implementation of blended learning framework, like “Technological Acceptance Frameworks” for blended learning take a complete perspective of the design and execution of blended learning (Schaber et al., 2010). The research by Sentanda and Sewanyana (2020) recommends that the adoption of blended learning at universities has been driven by numerous causes, including the desire to extend access to education, improve the quality of teaching and learning, and lower costs. One of the most prevalent blended learning frameworks being adopted in many countries is the flipped learning approach. In this paradigm, students have been exposed to course information online before going to class, allowing for more participatory and engaging sessions in person (Mugabi, 2017).

Another common framework is the rotation model, where students alternate between in-person and online learning sessions (Sentanda & Sewanyana, 2020). This strategy has been found to be beneficial in enhancing student engagement as well as allowing greater adaptability in the learning process. The Fourth Sustainable Development Goal (SDG4) assures accessible and equitable quality education and supports lifelong educational possibilities for all people everywhere. Blended learning may play a significant role in the development of an effective learning environment (Nakaziba et al., 2019). Some face-to-face universities are adopting the blended learning method to supplement the traditional learning approaches that no longer serve the needs of today's information society (Bwire et al., 2020). This is because the demand for higher education continues to rise while there is a shortage of both academic staff and physical facilities. However, research shows that 25% of those who start to use the system opt out later, leaving a big gap of low BL adoption (Bigirwa et al., 2020), despite the fact that many institutions invest heavily in e-learning and blended learning programs.

Need of Blended learning framework : Many studies have been conducted to ascertain the state of blended learning frameworks at universities, and they have all come to the same conclusion: they do not yet exist. Blended learning frameworks in India till date, while the NEP-2020 has shown the possible results of educational reform for the first time. The new national education approach makes it apparent that it is time to implement a student-centered approach, or "education." It's time to recognize that the student is the main stakeholder and that the system should reflect their goals. According to this logic, the new policy allows face-to-face, online, and remote or virtual learning. This effort emphasizes blended teaching and learning, multi-disciplinary courses, vocational courses, and multi-modal learning. "Student centricity" means having many entrance and exit points, promoting both the home tongue and other languages, focusing on the arts and humanities, revamping examination systems to include open-book and group tests, and helping more experienced students.

Important characteristics of Blended Learning : The NEP 2020 suggests using mixed models of learning due to the rise of digital technologies and the growing necessity of using technology in the classroom. While the NEP-2020 supports and promotes online education and training, it also acknowledges the value of in-person interactions. In this way, we may find the most successful blended learning models and adapt them for use with other topics.

The important characteristics and features of Blended Learning are- **1.** Blended Learning environment is the heightened level of student engagement in the learning process. **2.** The interaction between teachers and students has been improved. **3.** The individual's accountability for acquiring knowledge and skills. **4.** The ability to effectively manage time and exhibit flexibility. **5.** Enhanced academic achievements of students. **6.** The reputation of the institution has been improved. **7.** The implementation of a flexible teaching and learning environment has been found to be conducive to facilitating self-directed and continuous learning. **8.** Enhanced prospects for experiential education.

Procedures to implement Blended learning framework : We think that as the popularity of online education grows, all educational institutions will need to adapt to meet the needs of their students. Over the course of the past several years, forward-thinking school administrators and educators have been working to develop a system for online blended learning. These frameworks may be used as a guide by universities to

develop a mixed learning environment that is conducive to online education. The following are the foundational pieces of the framework- 1. Choosing a mixed learning strategy entail. 2. Methods for identifying and preparing effective educators. 3. Methods for evaluating students' preparedness and choosing whom to enrol. 4. Instruments for Teaching and Learning. 5. Evaluation of program

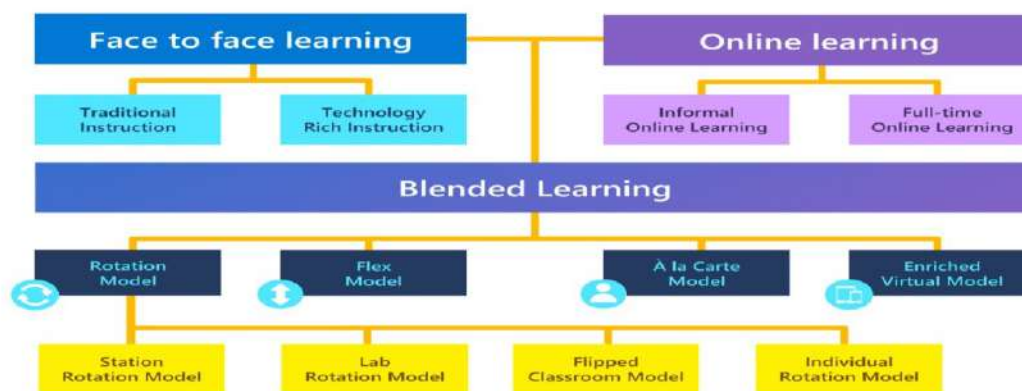
Uses of Blended Learning its types and Tools : There is no limit to the possible applications of blended learning. Choices may be made at will. Because of your intimate familiarity with your pupils, you can tailor the materials, tools, and strategies you use in the classroom to meet the unique needs of each of them. Blended learning allows you to experiment with new teaching strategies and improve your students' education on an ongoing basis by incorporating feedback from their experiences.

Here are some integrated learning aids to get you started. **Blended learning framework-** 1. Assign online coursework and require students to complete and submit online assignments based on face-to-face instruction. 2. Implement learning management systems LMS that can be accessed at any time by both students and instructors. 3. Encourage students through online instruction, frequently through video instruction, with adaptable classroom support. 4. Consider implementing the station rotation model by configuring online learning stations within the classroom setting. 5. Blended learning enables project-based online learning to culminate in conversations in class and enhanced learning activities. 6. Instructor-led support for computer lab instruction. 7. Digital learning systems in the classroom enable instructors to provide immediate feedback on student work. 8. Through online course completion with video recordings, instructors can evaluate student performance remotely in an effective manner.

How do I begin with blended learning? : 1. Consider the blended learning approach you wish to implement. Blended learning necessitates online and face-to-face learning that complement one another. 2. Consider the blended learning approach you wish to implement. Blended learning necessitates online and face-to-face learning that complement one another. 3. Ensure that students can use the necessary technology. Set up sample lectures so you are able to supervise in the classroom. If you use blended learning at home, you should provide guidance. 4. First, evaluate the efficacy of a single approach. In addition to having diverse learning patterns, your students also have variable degrees of technological expertise. The experiment with your teaching techniques to see what your students respond to.

Who Benefits from a Blended Approach to Education? : Both students and instructors may benefit from a blended learning approach. Every student may benefit from blended learning since they all live in a technologically advanced environment. An online teacher management portal allows instructors to effortlessly plan lessons, grade student work, and monitor student progress regardless of the time of day or night thanks to mobile access. Blended learning aids educators in maintaining order and making deeper connections with their pupils. In addition to its adaptability, blended learning can be used in almost any educational setting.

Presently Four blended learning models exist : Because of the flexibility it provides, blended learning may take many different forms. These are the most common blended learning models, and you should be acquainted with them if you're interested in blended learning.



Source: <https://www.linkedin.com/pulse/blended-learning-models-tarek-qeshta>

Higher education and Indian institutions may choose from many different types of blended learning models. The models differ in the ways they facilitate instruction and assessment. Each of these models also includes the mixed learning and gives students some control over when, where, how fast, and in what order they need and like to study.

Model of rotation : Students participate in a variety of learning activities, at least one of which is conducted online on a predetermined or teacher-guided timetable.

Rotations may be implemented in four distinct ways : Students rotate between different stations- 1. Students take turns studying in a computer lab as part of a lab rotation. 2. Using a flip classroom, students first have access to course materials online and then put what they've learned into practice with the help of an instructor. 3. Students have their own unique playlists that they go through, with at least one element being completed online in a rotating fashion.

Flex Model : Students are given greater freedom in how they study using the flex model. While the majority of education now takes place online, there are still times when classroom teaching and help from a teacher is essential. Students follow a flexible schedule that is tailored to their needs.

A la carte : Most often seen in high schools, the a la carte model gives students the option to attend one or more online courses taught by an online teacher of record in addition to their regular schedule of in-person classes at a traditional school.

The Enriched Virtual Model : Students in the enhanced virtual model may study independently outside of class while still physically present for in-person instruction. Attendance at least twice per week is essential, although not as often as in the flipped classroom model. Nevertheless, this approach is not entirely online.

We can use adaptive Modelling System : In this way the bulk of the curriculum is delivered online, with optional in-person enrichment in the form of small-group lessons, collaborative projects, and one-on-one help from teachers.

We can use Customizable menus : Completely online (or partially online) courses that supplement other experiences provided by a school or learning facility.

We can use Upgraded computer simulation : learners have to meet with their teacher in person, but they may do the rest of their work from home, and the same instructor will grade it.

Conclusion : The fact that blended learning relies heavily on technology implementation that is perhaps the most important factor to think about when deciding to use it. Those in the classroom or the classroom itself who aren't computer aware may find this to be a difficult. These technological resources are necessary to use and we may must find: Easy to use, Reliable, Up-to-date information's and technical instruments, It is essential for every educational program to use technology that meets these three criteria's in blended learning framework without fail. To provide blended learning, you will need to utilize educational technology. In fact, you will require a learning management system (LMS) or an effective learning platform. Once you determine that blended training is optimal for your learners, employees, or even customers, you must implement an LMS free version or paid version, we can create our own platforms as well, we can create some interactive videos, programs, narrated text, audio formats etc. beside this many platforms for blended learning can help us by offering online platforms and developing blended curriculum materials that can be implemented outside of the traditional classroom that are equipped with a robust set of features and tools that can assist us in delivering blended learning modules effectively.

References:

1. Michael B. Horn and Heather Staker, (2014) " *Blended: Using Disruptive Innovation to Improve Schools* (San Francisco: Jossey-Bass, 2014).
2. Tarek Qeshta (2022), "Blended learning models" Training and Development Specialist at Emirates Schools Establishment." Available at: <https://www.linkedin.com/pulse/blended-learning-models-tarek-qeshta>
3. Kyriaki Raouna (2022). "Blended Learning: What It Is, Why It Matters & How to Apply It" available at <https://www.learnworlds.com/blended-learning/>
4. Beaver, J. K., Hallar, B., & Westmaas, L. (2014). Blended learning: Defining models and examining conditions to support implementation. PERC Research Brief. [http://8rri53pm0cs22jk3vvqna1ub-wpengine.netdna-ssl.com/wpcontent/uploads/2015/11/Blended-Learning-PERC-Research-Brief-](http://8rri53pm0cs22jk3vvqna1ub-wpengine.netdna-ssl.com/wpcontent/uploads/2015/11/Blended-Learning-PERC-Research-Brief-M.-&Wilton.D.(2018).Guide%20to%20blended%20learninghttp://oasis.col.org/bitstream/handle/11599/3095/2018_Cleveland-InnesWilton_Guide-to-Blended-Learning.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
5. M., & Wilton, D. (2018). Guide to blended learning http://oasis.col.org/bitstream/handle/11599/3095/2018_Cleveland-InnesWilton_Guide-to-Blended-Learning.pdf?sequence=1&isAllowed=y
6. Huang, R., Ma, D., & Zhang, H. (2008, August). Towards a design theory of blended learning curriculum. In International Conference on Hybrid Learning and Education (pp. 66-78). Springer, Berlin, Heidelberg.
7. Khan, B. H. (2010). The Global E-learning Framework. E-learning. http://webserver.ignou.ac.in/institute/STRIDE_Hb8_webCD/Chapter%205.pdf.
8. Kirkpatrick, Mayes, T. & De Freitas, S. (2005). JISC e-Learning Models Desk Study. Stage 2: Review of e-Learning theories, frameworks and Models Joint Information Systems Committee.
9. Namahn. (2010). E-learning. Available: <http://www.namahn.com/resources/documents/note-e-learning.pdf> [Accessed 27th April, 2022].
10. Ssekakubo, G., Suleman, H. & Marsden, G. (2011). Issues of Adoption: Have E-Learning Management Systems Fulfilled their Potential in Developing Countries?
11. SAICSIT, 231-238. Stiles, M. J. (2000). Effective Learning and the Virtual Learning Environment. Available: <http://www.staffs.ac.uk/COSE/cose10/posnan.html> [Accessed 17th January, 2021].
12. UNESCO (2006). Teachers and Educational Quality: Monitoring Global Needs for 2015. UNESCO Institute for Statistics, Montreal. Available: <http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001457/145754e.pdf>

The Concept of State under Article 12 of Indian Constitution

Omendra Singh*

*Assistant Professor, Department of Law, Brahmanand College, Kanpur, U.P.

Abstract : The word ‘STATE’ is defined under Article 12 of Part III of the Constitution which says, “In this part, unless the context otherwise requires, “the State” includes the Government and Parliament of India and the Government and the Legislature of each of the States and all local or other authorities within the territory of India or under the control of the Government of India.” As per the constitution of India barring a few exception fundamental rights are enforceable against the state, as defined under Article 12 of the constitution thus the concept of state under article 12 is the threshold through which fundamental rights can be claimed. As per the definition state is defined as in this part unless the context otherwise requires the state includes the government and parliament of India and the government and the legislature of each of state and all local or other authorities within the territory of India or under the control of the government of India. Though the constitution explicitly defines the term state over time the term other authority under 12 was interpreted to include any instrumentality or agency of the state various criteria were also formulated for bringing an authority/ body under the concept of the instrumentality or agency of state.

Keywords : Indian Constitution, STATE, Fundamental Rights, Local Authorities, Other Authorities etc.

Most of the fundamental Rights are claimed against the state and its instrumentalities and not against private bodies. Article 13(2)¹ bars the ‘state’ from making any laws infringing any Fundamental Right. Article 124 gives an extended significance to the term ‘state’. Article 12 clarifies that the term ‘state’ occurring in Article 13(2) or any other provision concerning Fundamental Rights, has an expansive meaning. According to Article 12 the term ‘State’ includes: 1. The Government and Parliament of India i.e., Executive and Legislature of the Union 2. The Government and the Legislature of each State i.e., Executive and Legislature of States. 3. All Local Authorities. 4. Other Authorities within the territory of India, or under the control of the Central Government.

Scope and Purpose of State : John Locke says that the purpose of state is “common good or good of mankind”. State is a body that which comes into existence for maintaining the life and upholds the dignity of its individuals. Its purpose is to maintain the dignity and lifestyle of its individual by holding their rights. Individual cannot have rights if state fails in its function² The framers of the constitution wanted to create a society in which all its citizen shall acquire all the basic fundamental rights. Thus it became a duty on state to enforce all the fundamental rights to the citizen so that they could overcome the oppression casted upon them in British Era. Individuals need constitution protection against state³. The rights provided in Part III of the Constitution⁴ are guaranteed against the state and are distinguished from violation of rights by privates. Private actions are protected by sufficient laws. Majority of fundamental rights are enforceable against state only⁵ contravention of some provision of the constitution outside Part III, example- where such body has a public duty to perform or where its acts are supported by the State or public officials.⁶

Authority : Authority means a person or body exercising power or having a legal right to command and be obeyed an authority is a group of person with official responsibility for a particular area of activity and having a moral or legal right or ability to control others.⁷ Authority means a public administrative agency or corporation having quasi- governmental powers and authorized to administrative producing public enterprise. Authority in law belongs to the province of power. Authority in administrative law is a body having jurisdiction in certain matters of a public nature.⁸ A government company carrying an commercial activities incorporated under the companies act. Which does not have any power of making rules or regulation binding as law, nor the power to administrative enforce such rules or regulation is not an authority under this article. The word authority includes central and state government.⁹ It also includes all constitutional or statutory authorities an whom power or conferred by law, including even autonomous bodies and whether or not they may be regarded as agents or delegates of the government. It also includes all constitutional or statutory authorities an whom power or conferred by law, including even autonomous bodies and whether or not they may be regarded as agents or delegates of the government.

Local Authority : Local authority means an authority legally entitled to or entrusted by the government with the control or management of a local fund hence dock labour board is a local authority but a gram panchayat does not come within the ambit of local authority.¹⁰ Local authorities are under the exclusiveness control of the state by virtue of entry 5 of list 2 of the 7th schedule which contains a list of some local authority a local

authority is defined in sec 3(31) of the general clauses act x of 1897. The authority concerned must have separate legal existence as a corporate body. It must not be mere government agency but must be legally an independent entity it must be a function in a defined area and must ordinarily. Wholly or partly, directly or indirectly be elected by the inhabitants of the area. It must also enjoy a certain degree of autonomy either complete or partial, must be entrusted by statute with such governmental function and duties as are usually entrusted to municipal bodies such as those connected with providing amenities to the inhabitants of the locality like health and health and education, water and sewage, town planning and development roads etc finally, such a body must have the power to raise funds for furtherance of its activities and fulfillment of its objectives by levying taxes rates, charges or fees.

Case Laws Relating To Local Authorities : In the case of Calcutta State Transport Corporation v. Commissioner of Income-tax, West Bengal.¹¹; Supreme Court refused to characterize the corporation as a 'local authority'. The corporation is meant only for the purpose of providing road transport services and has no element of popular representation in its constitution. Its powers and functions bear no relation to the powers and functions of a municipal committee. It is more in the nature of a trading corporation.

The expression of other authorities is so wide in itself that it could have covered all authorities created by constitution or state on whom power are conferred by law. It is not necessary that statutory authority should be engaged in performing governmental or sovereign function. Supreme court of India came up with more broad and liberal interpretation of other authorities so as to include all those bodies or instrumentalities which are though not created by the constitution or by a state of government. They evolved the doctrine of instrumentality.

In Premji Bhai Panwar v. Delhi Development Authority (DDA)¹²; the Delhi Development Authority, a statutory body, has been held to be a 'local authority' because it is constituted for the specific purpose of development of Delhi according to plan which is ordinarily a municipal function. The activities of the Delhi Development Authority are limited to Delhi. It has some element of popular representation in its composition and enjoys a considerable degree of autonomy.¹³

Doctrine of Instrumentality : Under Article 12, the term "instrumentality or agency" has not been defined though it depends upon incessant judicial interpretation by the courts. There are certain tests which need to be satisfied before being recognised as the instrument of the state. Moreover, the term 'includes' indicates that the definition is not exhaustive in nature. It is possible that the instrumentalities or agencies may not be a part of a government department, but when there is a violation of fundamental rights, they shall be construed as a state under the definition e.g., government companies and public undertakings.

Test to Determine Instrumentality of the State : *The Supreme Court laid down certain tests in the case of Ajay Hasia v. Khalid Mujib*¹⁴ to adjudge whether a body is an instrumentality of the government or not : **1.** The government holds the entire share capital of the body; it goes a long way towards indicating that the body is an instrumentality of the government. **2.** The entire expenditure of the body is dependent or incurred on the financial assistance provided by the government, it may indicate that the governmental character has been impregnated in the body. **3.** Monopoly status is one of the relevant factors where it has been conferred by the state. **4.** State may control the said body through deep and pervasive method which surely indicates that the body is state instrumentality. **5.** Moreover if the body performs such functions which are of public importance considering its relevancy with governmental functions, it may be a relevant factor in determining the state instrumentality.

Though the tests have been evolved in Ajay Hasia case but these tests cannot be considered as an exhaustive list. Further, it would not be sufficient in many cases to establish an "instrument or agency of the state or a company carrying on the functions of public nature."¹⁵ Meanwhile, it is tough to restrict the interpretation to a "close-ended category" of the bodies to be considered as the state within the meaning of article 12. The question of state instrumentality must be based on the merits of the cases including facts which may further include the criteria that the body is financially, administratively and functionally governed by or under the control of the government.

The concept of instrumentality or agency may be differentiated with "other authorities" on the terms of that "other authorities" is that authority must be an authority "sui juris" to fall within the meaning of "other authorities". In order to satisfy being an instrumentality of the state, a juridical entity may also qualify for that test and can be considered as an instrumentality of the state, but it is not necessary that an instrument of state may be considered as "other authorities".¹⁶

The Functional And Structural Turn in the Instrumentality Or Agency Doctrine Structuralism, as a method of constitutional interpretation, attempts to derive constitutional rules from the relationships and

interactions between various constitutional ‘structures’ or institutions.¹⁷ The main focus of structuralism in the present scenario with respect to individual rights is on the structure of the government and its relationship with the individuals who are governed by this government. Mere regulatory control, over the body, would not suffice of being an instrument under article 12. To qualify for this domination, one must construe all three fronts: financially, functionally and administratively. However, this case has ruled out the “attribution of ‘state’ character” to autonomous authorities like Board of Control for Cricket in India (BCCI) which does not satisfy its onerous three-pronged standard. Though as a structural test, it has worked very well except where the judiciary has applied its discretion in interpreting the three tests as “disjunctive as opposed to conjunctive.”

Functionalism, on the other hand, works on inductive method, developing the constitution and the policies related to it through “case by case application of the independent normative values that the law ought to promote.”¹⁸ But this approach suffers from the amorphous situation which remains dissected from the constitutional texts. This results in the acceptability of the structural approach rather than a functional approach.

The seeds of “functionalism” in the Supreme Court’s “interpretive approach” to Article 12 were sown by Mathew J’s concurring opinion in *Sukhdev Singh v. Bhagat Ram*¹⁹ Two conceptions of state has been evolved by him; “one, ‘a coercive machinery wielding the thunderbolt of authority’, and the other, a ‘service corporation’.”²⁰ Meanwhile, he preferred the second one in order to set the demarcations of article 12. According to him, a body could qualify as the ‘state’ even if it has not been facilitated with any financial funding from the government if its functions were of “high public importance” and closely related to, or allied with, those of the government. The ratio followed by the Justice was based on “meta-analysis” that factored in the “totality of the circumstances” before branding an authority a ‘state factor’.²¹

Conclusion : From the above analysis, it could be construed that the definition of ‘state’ under article 12 of the Indian Constitution cannot be confined or restricted to only one interpretation. Wherefore, the concept of ‘state’ has been evolving since time immemorial. Meanwhile, the incessant interpretation of the definition of ‘state’ apart from its literal interpretation has included a new doctrine named as ‘instrumentality or agency’ of the state. As far as the ‘instrumentality of the state’ is considered, it is the product of a functionalist approach which is more comprehensive than the structuralist approach. When these approaches were compared, it was found that both have their own applicability in their respective spheres. However, it is totally based on the court’s discretion regarding which approach they should go for.

References :

1. Constitution of India, 1950
2. Gokle G.K., “ Modern views of political science” Himalayan Publication, Pg. 50
3. Pandey, JN ,”The constitutional law in India”, Central Law Agency,49th edition pg 59
4. Constitution of India, 1950
5. VidyaVerma v Shivnarain AIR 1956 SC 108
6. Kartick v. W.B.S.I.C., AIR 1967 Cal 231 (234)
7. Ujjambai v state of u.p (1963)1SCR778(968-9)
8. Cambridge international dictionary
9. Basu D.D commentary on constitution of india pg 641
10. University of madras v santa bai AIR 1954 sc 67
11. AIR 1996 SC 1316 : (1996) 8 SCC 758
12. AIR 1980 SC 738 (1980) 2 SCC 129
13. Other Cases Relatedto Local Authorities: Ajit Singh v. State of Punjab (AIR 1967 SC 856 : (1967) 2 SCR 143), State of Gujarat v. ShantilalMangaldas (AIR 1969 SC 634 : (1969) 1 SCC 509), J. Hiralal v. Bangalore Muni. (AIR 1982 Knt. 137)
14. AIR 1981 SC 487.
15. *Federal Bank Ltd. v. Sagar Thomas*, AIR 2003 SC 4325.
16. *Pradeep Kumar Biswas v. Indian Institute of Chemical Biology*, (2002) 5 SCC 111
17. Casey L Westover, ‘Structural Interpretation and the New Federalism: Finding the Proper Balance Between State Sovereignty and Federal Supremacy (2005) 88 Marquette Law Review 693,695
18. William Eskridge, ‘Relationship between Formalism and Functionalism in Separation of Powers Cases’(1999) 22 Havard Law Journal of Law and Public Policy 21. See also, AnanthPadmanabhan, Rights: Breadth, Scope and applicability, The Oxford Handbook of The Indian Constitution (2016), 585.
19. AIR 1975 SC 1628.
20. AnanthPadmanabhan, supra note 51.
21. Ronald J Krotoszynski, Jr, ‘Back to the Briarpatch: An Argument in Favour of Constitutional Meta- analysis in State Action Determinations’ (1995) 94 Michigan Law Review 302, 314.

Right of Life and Personal Liberty : Judicial Interpretation

Dr. Shashank Misra*

*Principal, Dewan Law College, Meerut, U.P.

Abstract : Time and again the Indian Judiciary has interpreted Article 21 of the Constitution of India in new and innovative ways to bring relief to the downtrodden. However, the Supreme Court has begun to enunciate rights that are difficult to enforce and may only be nominal. The court should take into account the enforceability of the law, otherwise it will remain an empty promise. The fundamental right to life and personal liberty has become a popular provision with which judges can experiment, correcting various injustices and social wrongs. This led to some rather unwieldy Supreme Court decisions. Granting a right that is never enforced is akin to an empty promise. Progress must be tempered by reality.

Keywords : Due process, Freedom, Judicial activism, Enforceability, Interpretation etc.

Historical background of the right to life and personal liberty : Human constant throughout human history is a concept that has been developed. Throughout the ages the complex laws, customs and religions deal. Individual rights are references to the codification of the law is the first example of a tablet of Hammurabi. About 4000 years ago, Sumerian tablet was built by King Hammurabi. Considered barbaric by today's standards, the 282 system of laws created a precedent for the legal system. This kind of precedent and legally binding document that protects people from arbitrary harassment and punishment. The concept of human rights, prevention of arbitrary persecution began to take greater meaning than the one where it was in ancient Greece. Human rights, rights that have become synonymous with natural rights spring from the natural law. Socrates and Plato, according to Greek tradition, natural law is essentially the natural order of the universe, nature reflects the will of the gods who control the law. Despite this theory, human rights, natural rights are fundamental differences between today and the past. The fundamental philosophy of human rights arose from the idea of positive law. Thomas Hobbes, (1588-1679) vast differences of interpretation as being too vague and open hollow, and saw the natural law. So instead of being wholly positive human rights law, they can be taken away, and modified by a society to suit your needs. Jeremy Bentham, a legal positivist sums up the essence of the positivist view: From real laws come real rights, but from imaginary laws, from the "laws of nature," come imaginary rights Natural rights is simple nonsense, is a child of law. (J.Bentham, Anarchichal mistakes, N.Kinsella quotes, G. Gall, Ed, Canadian Civil Liberties (in Toronto "tomorrow's rights in the mirror of history" .. Butterworths, 1982), p 17)

Dwelling in a body and life and liberty have existed in ancient times, the evidence to support that approach. Rigveda, ancient texts like the Mahabharata, home life and the principle of individual liberty deeply rooted in ancient Indian society are full of literature to that conclusion. The British Era . The West Bengal State Prisoners Regulation, 1818, in the interest of peace and security of the people of the detention of any person authorized by. At that time people had the same rights and privileges enjoyed by the British wanted. Indian people wish it was implicit in the formation of the Indian National Congress in 1885. Heralds the dawn of the fundamental rights of the Indian national movement. Demand for Fundamental Rights Bill, India, between 1917 and 1919, Congress adopted a series of resolutions 1895 and also appeared in the Constitution. With regard to the fundamental right to life and liberty Nehru Report a systematic approach, started with 1928. This, says among other things, contained a chapter on fundamental rights: No person will be entering your home or property shall not be deprived of his liberty, sequestered or confiscated, save in accordance with law. Over the people of India demand was rejected by the British Government of India Act, 1935 contained no declaration of fundamental freedoms. The protection from unlawful arrest and detention Criminal Procedure Code, 1898 is available under the writ of habeas corpus that can be mentioned here. V. emperor ruled illegal Kesav Talapade up in federal court. And held that the rule was ultra virus. Privy Council, on appeal, the governor personally in every order of detention must be satisfied that the federal court did not agree with that view. To check the validity of the detention order that the court had no power to dismiss the Crown's contention.. The main question before the new ordinance Ordinance federal court under the Criminal Procedure Code, Section 491 was the power of the High Court denied the spring Chanra Ghosh v. King Emperor, was challenged. Federal Court of the High Court Ordinance stripped neither the power nor does it rule out that Section 491 was repealed. In India, frequent protests and attempts foiled courts. The mission of the Privy Council in the hands of the federal courts. Courts on the ground of expediency deprived of his personal liberty every man to be in favor of the constitutionality of government action.

Personal Liberty – The Dynamic Concept :

According to Black's law Dictionary : *"The right of freedom of a person to behave as they would like. Though following the conduct code of the society in which a person resides is important."* The meaning of the term personal liberty⁶ was considered by the Supreme Court in the Kharak Singh's case¹ which arose out of the challenge to more than mere animal existence.

The Constitutional Provisions : The most important among the inalienable rights of man, according to the Declaration of American Independence, are "Life, Liberty and the Pursuit of happiness". The Preamble of almost every Constitution declares the same in one form or another as its objectives. The Preamble of the Constitution of the United States, for instance, declares that one of its objects is "to secure the blessings of liberty to ourselves and to our posterity". The Preamble of the Indian Constitution too proclaims that one of its objectives is to secure Liberty "Liberty of thought, expression, belief, faith and worship". In the case of A.K. Gopalan v. State of Madras, the Supreme Court took a liberal view of the expression —personal liberty⁷. The court held that the expression —personal liberty⁸ did not include all that was implied in the term —liberty⁹. The court held that the expression —personal liberty¹⁰ meant nothing more than the liberty of physical body i.e., freedom from arrest and detention from false imprisonment or wrongful confinement²

Right against Unlawful Arrest and Detention Preventive detention means detention of a person without trial and conviction by a court but merely on suspicion in the minds of the executive authority. Preventive detention is a specific law in which the executive is authorized to impose restraint upon the liberty of a man who may not have committed a crime but who it is apprehended, is about to commit acts that are prejudicial to the public safety etc. A person can be detained by the rule which is fair, just and reasonable. It must not be arbitrary if it will be arbitrary it will be void and the detention of that person will be illegal or unconstitutional. The aim behind the preventive detention law is to prevent a person from doing something which would be a danger for public peace or safety or concerning public disorder.

Meaning of Life : In ordinary parlance life links images or time from birth to the death of each object. But within a broader sense, life means fitness, flexibility, fatigue, health, strength and vitality etc³. The term "Life" as states in the New Encyclopaedia Britannica refer to the system that is capable of performing a variety of functions such as diet, exercise, hugging, breathing, movement, growth, growth, reproduction, commitment and being responsible to external stimuli.⁹ According to section 45 of the Indian Penal Code, 1860 which defines life in the sense as the life span of a human being⁴. Therefore, the concept of life should be understood as lifeless retribution. Thus, human life can also be observed and understood, in the biological sense, as the result of the reuniting of body and soul. When the soul desires the body, life entails an end. Physically speaking the cell is the basic unit of human life. Different cells combine to form multiple tissues and tissues to form an organ. a mixture of those organs that make up i.e. the human being.

Meaning of Personal Liberty : The dispute in regard of term 'personal liberty' can be observed among the opinions of scholars. Some scholars have given the concept of personal liberty in a very narrow and restrictive sense. According to Dicey "the right to personal liberty means that one should not be subject to imprisonment, arrest, or other physical rebellion in any manner that does not accept legal justification."⁵ Blackstone asserted freedom of movement to be the essence of individual liberty, stating that "personal liberty lies within the power of control, to fix the situation or to move a person to any place that is Can be direct without any imprisonment or restraint" unless by due course of law."⁶ But if we analyze the meaning of private liberty in the narrow sense, then Earnest Berker defines personal liberty as "the freedom of a person, which he enjoys within the capacity of an individual person". Non-public freedom is accompanied by three components. They are – firstly, physical freedom for injury or life and health, secondly the motion of the body and Intellectual freedom for expression of thought and belief, And thirdly also Practical freedom for the game of will and the field of contract in general - action and relations with other persons.¹⁸ According to Lord Denning personal freedom means the freedom of all law-abiding citizens to decide what to do, to say what they will do, and to go where they can in their official times without allowing or hindering anyone else. This freedom must be accompanied by the safety of the public, that is, the peace and order in the society in which he lives.⁷

Limits of personal liberty : The idea of Absolute and Unrestricted personal liberty will never and quite impossible for any Modern (Democratic) state. Unrestricted liberty is like giving someone with full privilege immunity though he commits an action or offence against the interest of individual or society or state. With recognizing some human freedom, personal freedom cannot be sacrificed. The need, then, is to maintain personal freedom within the controls. Personal liberty as guaranteed by the constitution means that there is an organized society that preserves the public order. Let's suppose the people being invest with the full fledged personal liberty, the prohibited action though restricted in the eye of law will not be applicable upon him

impose heavy burden upon the state to maintain public law and order as everyone will try to justify his action as guaranteed by the our constitution. Thus, in order to avoid tyranny situation and tension among member of the society required to maintain the between personal liberty. Isaiah Berlin⁸ was surprised with the fact there never ever happens in the history of human mankind either east-side or west- side of city state observed so many notions violently upset with the ongoing altered lives by the ongoing social and political doctrine; and also considered dangerous that the ideas which is necessary to attend and dealt with it were neglected by whom possess irresistible power over the society and critical thinkers too. Berlin assumed the fact that the coercion upon the person is by only learned with the history of protean and every moralist in the human history that like good or bad, like nature or reality everything needs a little interpretation of its term though we have a hundred of ideas over the certain points or things or material. What he proposed that the prevailed ideas from the very beginning of human history considerably dealt with the with the central ideas that is 'political sense of freedom or liberty' called by him as the 'Negative Liberty' and on the other hand, is the interest of persons or group of individual left over with the liberty in terms of his ability or area of interest without any interference by the other persons ought to be called as 'Positive liberty'.

Interpretation Of Article 21 : The expression "procedure established by law" resembles with the 5th Amendment of the U. S. Constitution.⁹ Even though the word 'due' is not specifically provided under Art. 21 but the Supreme Court in its various judgments interpreted it in a wider and dynamic manner. Under the Indian Constitution the guarantee against the deprivation of life and liberty of a person is much narrower than the Constitution of United States of America. Article 21 of The Constitution of India reads as follows: "No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by the law."⁵¹ The expression "personal liberty" under Article 21 import wide interpretation was held to mean "Liberty of the physical body e.g., freedom from arrest and detention from false imprisonment or wrongful confinement."¹⁰ It was said later expressed in terms of antithesis of physical restraint and preventive detention. But this restrictive meaning has not been accepted in the subsequent case.¹¹ Guarantee against wrongful deprivation of the life or liberty is based on the principles of the procedural regularity and fairness not only to citizens but also to non- citizens. It has not been left to the whim of the executive to rob a person of his personal liberty and put him in detention. A person may be put to in custody if the law warrants and when he is so put, it should be in conformity with the procedure established by the law. All the safeguards that the law prescribes to protect the liberty of person from being jeopardised should be available to a person before he is put in detention. It also hereby noted that the expression "procedure established by the law" means with the procedural law as it is "due process of law" may also mean just substantive law and procedure. Post to the Maneka Gandhi's case, the Supreme Court took very literal view and interpreted these expressions in a very narrow manner. 'Personal liberty' was said to mean only liberty relating to, or concerning the person or body of the individual and in this sense, it was antithesis of physical restraint or coercion. It was further limited to freedom from punitive and preventive detention. The meaning accepted for the purposes of Art. 21 of the Constitution was restricted to limits set by Dicey, according to whom "personal liberty" means a personal right not to be subjected to imprisonment, arrest or other physical coercion in any manner that does not admit of legal justification.

Conclusion : The Right to life has emerged as the most pivotal right because other rights revolve around it and without it, they don't hold any importance. The ambit of this right has widened up to include various necessary rights from time to time. Article 21 is regarded and declared as the heart of the Fundamental Rights by the Apex Court in the Unni Krishnans case. With the commencement of the Constitution the most of the rights as earlier mentioned did not guarantee the right as the fundamental rights under part III of the India Constitution. But After the 1978, the liberal judicial interpretation of the Article 21 become the most favourite centre point of justice creativity in regard of human lives. The most of the rights received the status of fundamental rights is only possible due to liberal judicial approach. The decisions in Gopalan case¹², Habeas Corpus case¹³ and Maneka case¹⁴ are some excellent examples of how changes in society, law and order situation, political situation, human rights situation and many other factors can affect the lives and Judicial declarations regarding personal liberty.

Though initially the provisions of Article 21 were narrowly defined but gradually over time it developed and a liberal interpretation was given to it. New dimensions and scope have been added to Article 21 from time to time with various important judgments. Article 21 has been given a wider interpretation to the Indian judiciary and a number of rights are found in it. Thus Article 21 protects the rights of the people as a potent weapon.

As stated above in many cases, the Supreme Court of India played an important role in interpreting Article 21 of the Constitution. In this way the Supreme Court has expanded the liabilities, duties and responsibilities of the state and its officials and fully implemented its explanatory and proactive judicial process. Thus, It becomes very clear that over a many time, the Court while interpreting the Article 21 of the Constitution may be able to enforce the rights as guaranteed under Article 21 and also possibly that the court is enable to adjacently add some more rights or considered the rights as inherent provision under the Article 21 of the constitution of India which makes the scope of this article is very wide and in range. Liberty exist only if the restrictions exist. The full-fledged liberty is not possible so far as civilized society. Though the state is servant of the constitution and his loyalty must be towards its citizens by means of enactment of welfare policy. In Lock's words, "where there is no law, there can be no liberty." Liberty as a positive opportunity for self-development means the creation of law. Nothing can exist apart from the state. Some restrictions are necessary for the common interest, but they should be free from bias and the public should be confident of their prudence. The provisions of the Fundamental Right (Article 12 -32) as envisaged under Part III of the Constitution of India is in the true sense of "The Magna Carta" of the India. Certain restrictions would be imposed upon the fundamental rights but at the ends such restriction must be ensure the equal and fair treatment with all the civilians.

References :

1. Kharak Singh v State of U.P AIR 1963 SC 1295
2. AIR 1950 SC 27
3. William C. Burton, Legal Thesaurus 316 (McGraw-Hill Education, 5th edn.,1991).
4. Section 45 of the Indian Penal Code, 1860.
5. A.V. Dicey, Law of the Constitution 207 (Oxford University Press, 1st edn., 1961).
6. Blackstone, Commentaries on the Laws of England 134 (Clarendon Press, Oxford, 1844).
7. Sir Alfred Denning, Freedom Under the Law 5 (Stevens and Sons, 1st edn., 1949).
8. Berlin, I., (1958) "Two Concepts of Liberty, In Isaiah Berlin, Four Essay on Liberty (Oxford University Press , Oxford, 1969).
9. 5th Constitutional Amendment is USA- "No person shall be deprived of his life, liberty or property without due process of law"
10. A. K. Gopalan, Supra note 3 at 27.
11. Kharak Singh, Supra note 11 at 1295.
12. A.K. Gopalan, Supra note 3 at 27
13. A.D.M. Jabalpur v. Shivakant Shukla, AIR 1976 SC 1207.
14. Maneka Gandhi, Supra note 4 at 621.

Impact of Change in Government's Monetary Policy on Indian Economy

Dr. Anupama Manuhaar*

*Lecturer, Dept. of Economics, Government Degree College, Akhnoor, J&K

Abstract : *The aim of present Research is to study the Impact of Change in Government's Monetary Policy on Indian Economy. Among country-specific studies on monetary policy frameworks, a study on India would be important. This is not only because of the large size of its population or economy, but because a few specific features make India a unique case study among countries. Although India consistently maintained a democratic form of governance, prior to the 1990's its economic framework was largely similar to that of a command and controlled economy.*

Keywords : Monetary policy, Economic reforms, Financial sector reforms, Communication strategies, Transparency etc.

The story of economic reforms in India has been discussed in detail by several researchers from different perspectives.¹ Specific aspects like reforms in monetary and financial sectors in India and the role played by the Reserve Bank of India (RBI) in this endeavour have also been reviewed in some of these studies². Some reviews, were specifically devoted to the financial sector reforms and listed the changes in detail. A few studies have also documented the evolution monetary policy frameworks³ and taken a view on the applicability of specific frameworks in the Indian context. Of late, some studies- mostly by current and ex-central bankers have begun to take a futuristic look, critically assessing the changes and raising issues of concern aspects of the past and future of monetary policy in India and the framework under which it operates can also be gleaned from the speeches of the RBI management, sometimes on a general note and sometimes on more specialized areas like central bank independence or communication strategies⁵. Reports of different advisory groups appointed by the RBI also summarise the changes in specialized areas like transparency in monetary and financial policies or data dissemination. These reports often review country's⁶ experiences and are valuable sources to analyse India's relative strengths and weakness among countries. Although aspects of these will inevitably crop up in what follows, they are discussed from the perspective of identifying new lessons on the grey areas of economic theory.

In the theoretical literature, the choice of monetary policy strategy is often seen as a part of an optimal control problem⁷. The optimal strategy in this problem depends on issues like the stability of demand for money and the relative variances of shocks to the real and the financial sector. Empirical observations, however, do not match this theory. Central Banks that sear to different monetary policy strategies have been found to use similar instruments and to react to shocks in a similar manner.

What makes India an especially attractive case to examine the generality of the theory is the fact that the monetary policy framework in India has changed twice since the 1980's. In both cases, the change in monetary policy framework in India took place without substantial changes in the RBI Act, so that apparently the stated objectives of monetary policy in India remained the same. However, the operating environments at those two points in time were sharply different. The first change occurred during the heyday of command and control era, while the second took place when the so-called first-generation reform in India was near completion. Interestingly, in each case, the change occurred at points where it is possible to argue that there was no immediate urgency to act.

The second grey area in literature where the Indian experience could be of additional help is in understanding to what extent the monetary policy framework helps in improving economic performance. Both country-specific and cross-country experiences do not provide clear answers to this problem.⁸ Country-specific studies indicate that switching to inflation targeting (IT) has sometimes been followed by a dramatic reduction in inflation. However, due to post hoc fallacy, to what extent the change in monetary framework is responsible for this reduction is not easy to answer. The general conclusion appears to be not easy to answer. The general conclusion appears to be that both transparency and accountability are crucial to constraining discretionary monetary policy so that it produces the desired long-run outcome.⁹ As the details of transparency and accountability are difficult to quantify, this is a serious impediment in obtaining definitive results.

The Indian experience might throw up some interesting insights on the role of the monetary framework because rather than a dramatic cut off, the fall in inflation in India had been gradual. Among emerging market countries,, its performance in containing inflation especially after the adoption of MIA (the multiple indicator approach, appears to be good. As India is not a formally declared inflation targeting

economy, this observation assumes additional importance. A juxtaposition of the Indian versions of transparency and accountability to other economies with diverse monetary policy frameworks may perhaps extract what aspects of them are essential for better economic performance.

Evolution of the monetary policy framework in India : The first and most important part of the monetary policy framework in a country is the task mandated to the monetary authorities. In a democracy, this task is typically specified in the Central Bank act. It is interesting to note that despite overwhelming changes in the financial sector in India, the mandate to the monetary authorities in India mentioned in the Reserve Bank of India Act, 1934 has remained unchanged. The RBI act, 1934: different interpretations and implications for central bank independence and transparency.

The preliminaries of the Reserve Bank of India Act, 1934 set the mandated tasks as "...to regulate the issue of 1934 set the mandated tasks as "to regulate the issue of Bank notes and keeping of reserves with a view to securing monetary stability in India and generally to operate the currency and credit system of the country to its advantage." The tasks mandated to the RBI can, however, be interpreted in several ways. In particular the words "monetary stability" may mean both internal and external stability. If it is interpreted in the narrow sense of internal stability, then price stability becomes a major objective. If, in contrast, the interpretation also includes external stability, financial stability as a whole (including price stability) becomes the mandated task. The RBI website interprets the objective of the RBI as monetary authority as: "maintaining price stability and ensuring adequate flow of credit to productive sectors." Alternatively, Rangarajan, one of the main architects of economic reforms in India. Interprets the objectives as :"(1) to maintain a reasonable degree of price stability and (2) to help accelerate the rate of economic growth."¹⁰

The additional emphasis on credit growth by the RBI gives Indian monetary policy objectives a distinct feature that is not typically discussed in standard textbooks. In most cases, however, the objective is stated with an additional "for sustaining overall economic growth" or simply "to support growth" in the end. Therefore in a broad sense, the additional monetary policy objective (besides price stability) in India is to support or to facilitate GDP growth.¹¹

The relative emphasis on price stability versus growth is, once again, subject to interpretation. It is interpreted that the objective would depend on underlying macroeconomic conditions. Monetary policy in India, therefore, strives for a "judicious balance between price stability and growth" Reddy, however, observes that due to the democratic process of governance in India, the "judicious balance" is heavily tilted toward price stability, which, in some ways, amounts to an "informal mandate" to the central bank for maintaining an "acceptable" level of inflation.¹²

An interesting question here is: who sets these objectives/ In a democratic framework, the power to set the target typically rests with the elected representatives. In monetary policy frameworks like inflation targeting, this target is revealed to the public in the form of a transparent contract between the government and the central bank. In the Indian case, there is no such explicit contract. Rather, Section 7 of the RBI Act, 1934 stipulates that the central government may from time to time give such directions to the Bank as it may, after consultation with the governor of the Bank, consider necessary in the public interest. The RBI Act does not stipulate that such directions should be in the public domain or should need the approval of parliament.

References :

1. M.S. Ahulwalla, "Economic Reforms in India since 1991: Has gradualism worked?" Journal of Economic Perspectives, Vol. 16, 2002, pp. 67-88.
2. Y.V. Reddy, "Monetary Policy operating procedure in India", Monetary policy operating Procedures in Emerging market Economies, Bank of International Settlement (ed), 1999, pp 90-109.
3. R.Kannan, "Inflation Targeting Issues and Relevance for India", Economic and Political weekly, XXXIV, 1999, pp. 115-122.
4. R.Mohan, "Globalization, Financial Markets and the operation of Monetary Policy in India" BIS Papers, No. 23, pp. 161-170.
5. R.Mohan, "Communications in Central Bank: A Perspective Speech", delivered at the SAARC Finance Governors' Symposium, Mumbai, 9 September, 2005.
6. R.B.I, Report of the Advisory Group on Transparency in Monetary and Financial Policies, 2000.
7. W.Poole, "Optimal Choice of Monetary Policy Instruments in a Simple Scholastic Macro Model" Quarterly Journal of Economic, No.84, 1970, pp. 197-216
8. R.8. Mishkin, "International Experiences with different Monetary policy Regimes", NBER Working paper, 7044. 1999.
9. Ibid.
10. C. Rangarajan, op. cit., p. 77.
11. R.Mohan, "Financial Sector Reforms in India: Policy and Performance Analysis", Economic and Political Weekly, XXXX, 19 March, 2005, pp.1109-1119.
12. Y.V. Reddy, "Globalization of Monetary Policy and India Experience", Speech at 8th Meeting of the BIS Working Party on Monetary Policy in Asia, held at RBI, Mumbai on 6-7 June, 2005.

Role of Television Programme in inculcating Values among Pupil Teachers pursuing Special Education Courses

Dr. Jasmer Singh*

*Assistant Professor, National Institute for the Empowerment of Persons with Visual Disabilities, 116,
Rajpur Road, Dehradun, U.P.

Abstract : Values are not an object or entity of any kind or a personality trait. At present time T.V is going to have for reaching effects on our life of community nation and the world. Television in India is a huge industry which has thousands of programmes in many languages. The small screen has produced numerous celebrities, some even attaining national fame. More than half of all Indian households own a television. The reason is that T.V is medium of mass communication, which for surpasses in effectiveness anything our civilization has yet know today the effect of TV upon children is so much due to serials. The main objective of study was to assess the role of television programmes in achieving values especially political and religious values among pupil teachers. A Television Programme Value Assessment Scale"-Mpsa which was developed by Dr. Ajeet Kumar Shankhdhar (Bareilly) and Dr. Pradeep Kumar Misra (Bareilly) was used. Descriptive Survey Method was employed to collect the information The findings of the present study regarding the role of political values were: Most of the pupil teachers considered that television programmes help in order to understand political and religious understanding and telecast of educational programmes provide them information related to practical awareness. They liked television artists who are able to bring change in moral ethics and also liked those telecasted educational programmes which are based on scientific analysis of superstitions and conventionalities.

Keywords : Values, Personality, Educational entertainment, Civilization, Mass communication etc.

Introduction : Values are not an object or entity of any kind or a personality trait. But it is a non-cognitive or effective characteristic of one's personality. No one is born with values. Values are learnt, developed and are also likely to change in one's life. People acquire experiences they grow and learn. Out of experiences may come certain general guides to behavior, these guides tend to give direction to life and may be called values. Values is a unique concept related to the worth given to specific kinds of object, acts and conditions by individuals and groups. According to report of Secondary Education Commission (1952-53), a system of education should give due weight age to all levels of human experiences-physical, intellectual, emotional, moral, aesthetic and spiritual. It had mentioned that we attach great importance to the role of indirect influence in building up good character.

Some people make the presentation or framing of such content entertaining or exciting. By making learning evident in children's television series, such as Sesame Street, Dora the Explorer and Teletubbies seem "exciting" they can be said to stimulate curiosity. The presence of edutainment is especially. Television shows incorporate a considerable degree of historical or factual information while attempting Discovery Channel is also known for its various shows that follow that theme, including Myth Busters. Sometimes these programs may be more entertaining than educational, and may replace educational shows in the televisions program lineup. The History Channel has transitioned from producing primarily factual and historical documentaries, to more sensational, dramatic, and supposedly entertaining programs, with educational content a secondary concern.

While some programs are typically "pure" entertainment, they may foray into educational content at select times. For older viewers, individual situation comedy episodes also occasionally serve as educational entertainment vehicles. These episodes are sometimes described in United States television commercial parlance as very special episodes. The American sitcom Happy Days produced an especially effective edutainment episode which was reported to have prompted a 600% increase in the U.S. demand for library cards. As early as the 1950s, children-aimed shows like "Watch Mr. Wizard" were made which could be considered edutainment.

At present time T.V is going to have for reaching effects on our life of community nation and the world. The reason is that T.V is medium of mass communication, which for surpasses in effectiveness anything our civilization has yet know today the effect of TV upon children is so much due to serials. Research in Australia and overseas seems to suggest that the effects of well-crafted values education programs extend to a transformation of student behaviour, teacher-student relationships, classroom ambience, teacher and student resilience, staff satisfaction, and perhaps most surprisingly, student academic diligence (Neuman

& Associates, 2016). The member of laittos projects (2016) has conducted a study entitled television as an instrument of educational advancement. The study examined mass media especially television has been major agent of socialization and education in society through some educational programmes like Who Wants to be a Millionaire, Brain Test, Quiz, Debate and many more apart from paying attention to government and nongovernmental educational organization like Universal basic Education. Today education is not limited within teacher and taught without social environment and mass media is one such potent force in the social environment of education. Mass media prove that education is really comprehensive not confined within four walls of the classroom really, television as the educational medium for the mass and mass education. Singh (2016) has conducted a study entitled impact of television on primary school students. The study was done on the television programmes which are telecast on television and their impact on primary school student's hobbies, ideas like justice, honesty, satisfactions, emotional outbursts when desires are thwarted decrease similarly of interests and mental age increase single influence the choice of friends, religious interests, and importance of successful adjustment. Several studies have been carried out to investigate 'Impact of media on children and pupil teacher', 'Association of television viewing during childhood with poor educational achievement and 'impact of media on children and adolescent'. But rare studies have been conduct which studied impact of television programme on values of pupil teacher. Keeping in view the importance of values, the investigator has been motivated to study the role of television programme in achieving values among pupil teachers.

Keeping in view the importance of values, the investigator has been motivated to study the "Role of television programme in achieving values among pupil teachers pursuing special education course."

Objectives of the study : 1. To study the role of television programme in achieving Political values among Pupil Teachers pursuing special education course. 2. To study the role of television programme in achieving Religious values among Pupil Teachers pursuing special education course.

Research Method : Descriptive Survey Method was employed to collect the information. This method is most popular and widely used in the field of social sciences and education as well.

Population : All the Pupil teachers of D.Ed.Spl.Ed.(V.I) (Diploma in Education in Special Education Visual Impairment), course in Dehradun district of Utrakhand state constituted the population for the present investigation.

Sample : The sample of the study was selected in 100 Pupil teachers of D.Ed. Spl. Ed.(V.I) course in Dehradun districts on random basis.

Tool Used : The investigator used a tool namely "Television Programme Value Assessment Scale"-Mpsa which was developed by Dr. Ajeet Kumar Shankhdhar (Bareilly) and Dr. Pradeep Kumar Misra (Bareilly).

Main Indings :

1. 65.15 per cent of the pupil teachers believe that watching of television programmes inspire us to understand a politician and their role in the national development .
2. Majority (71.75 per cent) of the pupil teachers are in favor of television programmes which promote political activities discussion during the weekend.
3. 57 per cent of the pupil teachers accept that the contribution of television programmes based on political values are helpful in the development of individual personality.
4. Below then average (48.5 per cent) of the pupil teachers liked television artists as they are the owner of attractive personality.
5. Majority (65 per cent) of the pupil teachers influenced with the direction of programmes during watching television.
6. Majority (65.25 per cent) of the pupil teachers liked patriotic musical programme out of musical programmes which are telecasted on television.
7. Majority (61.50 per cent) of the pupil teachers consider that television programmes help us as a citizen in order to crate political interest.
8. Majority (59.5 per cent) of the pupil teachers accept that television programmes that provide political information contributed in their social development.
9. Majority (73.5 per cent) of the pupil teachers like to watch those television programmes which deliberate the religious faith.
10. Majority (64.5 per cent) of the pupil teachers like to watch the television programmes which are full of religious belief.
11. 56.5 per cent of the pupil teachers liked religious channel out of other television channels.
12. 52.5 per cent of the pupil teachers are in wait for religious television programmes.

13. Majority (69.75 per cent) of the pupil teachers accept that the contribution of religious elaborations programmes on television in the development of individual personality is more.
14. Majority (55.5 per cent) of the pupil teachers consider if they get opportunity to prepare the television programme then they prefer to make those television programmes which are based on mythological stories.
15. Majority (63.5 per cent) of the pupil teachers liked devotional musical programme out of musical programmes which are telecasted on television.
16. Majority (57.25 per cent) of the pupil teachers indicate if they disconnected from the entire world then they would like to watch mythical / religious programmes on television.
17. Majority (69.75 per cent) of the pupil teachers accept that religious television programmes significantly contribute in their social development.

Educational Implications : One of the most important characteristics of the research is that it contributes something new to further development in the area concerned. Main aim of present study was to evaluate the role of television programmes in achieving values among pupil teacher while viewing television programs. Television may affect not only values, but young people's behaviour as well, in relation to what they buy, how they dress and act, how they define their identify and how they come to an understanding of their place in the world. Some television shows incorporate a considerable degree of historical or factual information while attempting to make the presentation or framing of such content entertaining or exciting.

At present time T.V is going to have for reaching effects on our life of community nation and the world. The reason is that T.V is medium of mass communication, which for surpasses in effectiveness anything our civilization has yet know today the effect of TV upon children is so much due to serials. So, the educational planners should give importance to television programmes while planning curriculum and teachers also manage time for television programmes while planning academic calendar as well as time-table. the following suggestions must be considered in teaching :

1. A 'common language' was developed among staff, students and families to describe values and the school's expectations of student behaviour;
2. Values were scaffold by supportive school-wide practices including teacher facilitation of student reflection and self-regulation of behaviour;
3. Values were taught in an explicit way in and out of the classroom and through other media (e.g. assemblies, sport and cooperative games, drama, songs etc.);
4. Values education was allied to 'real world learning' involving deep personal learning and imbued both planned and unplanned learning opportunities;
5. Values education was reinforced through positive visual media as well as consistent, verbal encouragement and acknowledgement;

Conclusion : While educational technology began as silent films museums, it quickly transitioned to include audiovisual programmes on TV. The teacher is source of all knowledge it will enhance their ability to deliver good values among the coming generations. Good teachers are the cornerstone of quality education. On a daily basis, teachers contribute to sustainable development by building its human foundation – nurturing each child's capacity and desire to learn. Without teachers, Education for All (EFA) by 2015 would be an unobtainable dream. Teachers work with children who will be the leaders of tomorrow.

References :

1. Singh, L.C. (1990) Teacher Education in India: A Resource Book, Delhi, NCERT.\
2. Mohanty, J. (2003) Teacher Education New Delhi, Deep and Deep Publications Pvt. Ltd.
3. Shankar V. (1984) Education of Indian Teachers, New Delhi Sterling Publishers.
4. Harmin, M. (1979), A Review of Values Clarification, The Phi Kappa Phi Journal, 69: 23, Winter.
5. Hall, B. (1973) Values Clarification as a Learning Process: a guidebook. New York: Paulist Press.
6. NCTE (1998) Curriculum Framework for Teacher Education NCTE, New Delhi.
7. Borg, W.R. and Gall, M.D. (1983) Educational Research: An Introduction New York, Longman Inc
8. Murray, Frank B. (Ed.) (1996) Teacher Educator's Handbook; Building A Base for Preparation of Teachers, San Francisco, Jossey – Bass Publishers.
9. Cennamo, K. S. (1993). Learning from video: Factors influencing learner's preconceptions and invested mental effort. Educational Technology Research and Development. Vol. 41(3), p. 33-46.
10. Collay, M. (1998). Recherche: Teaching our life histories. Teaching and Teacher Education, Vol. 14(3), p.245-255.
11. Das, R.S. (2000). Why education in values? Journal of Value Education. Vol. 1(1), p.31-36.
12. Dhankar, N. (2010). Value education. New Delhi: A P H Publishing Corporation.
13. Giri, S.V. (2001). Value-based education: concept and practice. Journal of Value Education. Vol.1 (1), p.1-22.
14. Kumar et.al. (2008). Student's awareness of value in the content of secondary level English. Edu.tracks, Hyderabad, vol.7 (8), p.30-31.
15. Villani, S. (2001); Impact of Media on Children and Adolescent.

Social Issues in Arvind Adiga's *The White Tiger*

Vinod Kumar Pandey*

*Research Scholar, Department of English, Mariahu P.G. College, Mariahu, Jaunpur, U. P.

Dr. Brijesh Kumar Shukla**

**Research Supervisor, Assistant Professor, Department of English, Mariahu P.G. College, Mariahu, Jaunpur, U. P.

Abstract : *The White Tiger* centers around Balram's journey from being a member of the proletariat class to becoming a member of the bourgeois class. The present paper reveals the real face of modern India, rural India as the "India of darkness" and urban India as the "India of light". Textual analysis has been used to examine and interpret the novel. *The White Tiger* provides detailed descriptions of the social, economic, and political conditions of India, as seen through Balram's eyes. The present study draws the attention of readers to understand the vast differences between the rich and the poor. Growing inequality is one of the biggest concerns in India.

Keywords : Class, Social, Caste, Light, Darkness etc.

The White Tiger won the Man Booker Prize in 2008 and is a scathing critique of the social and political system in India. Portillo describes "*The White Tiger prevailed because the judges felt that it shocked and entertained in equal measure.*" (*The White Tiger Wins the 2008 Man Booker Prize for Fiction: Man Booker Prize News*). The novel follows the story of Balram Halwai, a driver of a wealthy family, who rebels against the system after suffering mistreatment at the hands of his employers. Through Balram's story, Adiga presents a sharp commentary on the class struggle in India, highlighting the vast disparities between the wealthy and poor. Sebastian mentions, "Balram is representative of the poor in India yearning for their 'tomorrow'. His story is a parable of the new India with a distinctly macabre twist" (230). Adiga's prose is blunt and existential, animating the struggles of his characters with a sarcastic edge. Rashid criticizes "There are acute sociological insights, but Adiga is a little lacking in psychological intuition or stylistic craft."

The protagonist of the novel, Balram Halwai, represents the poorest section of rural India, where life is characterized by unrelenting struggle and poverty. Through Balram's story, Adiga provides a stark commentary on the harsh realities of life in India, from birth to death. "Adiga uses rhetoric as a weapon of his satire in *The White Tiger* to enrich its narrative style and also to make his ideas emphatically clear" (Mishra and Kumar 283).

The White Tiger explores the dichotomous nature of Indian society, characterized by the Light and the Darkness, and highlights how the caste system has been reduced to a division between "Men with Big Bellies and men with Small Bellies" and expresses as:

"To sum up—in the old days there were one thousand castes and destinies in India. These days, there are just two castes: Men with Big Bellies, and Men with Small Bellies. And only two destinies: eat—or get eaten up" (32).

The concept of the White Tiger is used to describe the protagonist's journey from a servant to the liberation from his caste and his elevation to the position of his master. The novel emphasizes that in our quest to make India an economic superpower in the 21st century, we must not forget the needs of the thousands of poor Indians who live in deplorable conditions and are deprived of basic healthcare, education, or employment opportunities. Jeffries describe novel as "Unflattering portrait of India as a society racked by corruption and servitude has caused a storm in his homeland". The novel draws our attention to the fact that the poor, like Balram, also have aspirations, such as achieving success, becoming wealthy, and leading a comfortable life. If their genuine needs are not met, they may resort to criminal activities, as Balram does in the book. Balram grew up in the village of Laxmangarh, an illusory village in Bihar, deep in rural India's "Darkness." He is the son of a rickshaw puller, and his family is too poor for him to finish school. Despite his intelligence and being promised a scholarship, Balram is forced to work in a teashop, breaking coals and wiping tables in Dhanbad. Balram's schoolteacher, Mr. Krishna, changes his name from "Munna," which simply means "Boy" in Hindi, to Balram, which refers to the brother of the Hindu god Krishna. His last name, Halwai, is derived from "Sweet maker" in the caste system. Mastud highlights "Balram is a blazingly savage, brilliant, and psychopathic on his journey". Adiga's novel delves into Balram's journey to rise above his predetermined destiny and the harsh realities of contemporary India. Singh opines "*The White Tiger* is a realistic portrayal of the underprivileged sections of the society."

The novel is presented in the form of a series of letters addressed to the Chinese Premier Wen Jiabao by the protagonist, Halwai, also known as the White Tiger. Wen's upcoming visit to Bangalore prompts our murderous protagonist to present a different perspective than the official version.

"Out of respect for the love of liberty shown by the Chinese people, and also in belief that the future of the world lies with the yellow man and the brown man now that our erstwhile master, the white-skinned man, has wasted himself through buggery, cell phone usage and drug abuse, I offer to tell you, free of charge, the truth about Bangalore" (3).

Adiga has sought to draw a clear distinction between light and darkness. Balram experiences the darkness of Laxmangarh but the light of Bangalore and Delhi, which is portrayed as a miniature version of America with its tall buildings, luxurious hotels, call centers, malls, and technology hubs, all seemingly perfect. However, Adiga's portrayal of the city blurs the boundary between the two. As Balram searches for his identity and justifications for his future heinous actions, he comes across a slum in Delhi where he witnesses men building a wall between darkness and light while excreting. He also sees thousands of people living on the sides of the roads in the city, with their emaciated bodies and filthy faces, posing a significant challenge for the drivers. Despite being literate, Balram is groomed to be a driver for a wealthy family in Delhi and is forced to navigate the murky waters of murder, cheating, bribery, and theft. Roland Boer rightly observes:

Religion is a mark of the futility and impotence of the toiling classes in their struggle against exploitation, a situation that comes to its sharpest expression in the belief in a better life after death, which inevitably arises from the hopeless situation of those exploited. (11)

This intelligent young man narrates his captivating story while driving a Honda Civic and moving from one place to another in the city, carrying out his master's orders. In contrast, his fellow chauffeurs are mere cogs in the machine who are unaware of their role in the grand scheme of things. They are vulnerable individuals being exploited by an unjust and dishonorable society that seeks to use them as its doormat. As the story progresses, the protagonist is gradually drawn into a cycle of committing small, forgivable misdeeds in order to avoid being isolated from his fellow drivers. This serves as a powerful example of how corrupt practices can erode good intentions in any society. He was so vindictive that he persuaded Balram to look for it. As Adiga writes,

Get down on your knees. Look for it on the floor of the car. I got down on my knees. I sniffed in between the mats like a doe, all in search of that one rupee. What do you mean, it is not Therese? Don't think you can steal from us just because you are in the city. I want that rupee. We've just paid half a million rupees in a bribe, Mukesh, and now we are screwing this man over a single rupee. Let's go up and have a scotch. That's how you corrupt servants. It starts with one rupee. Don't bring your American ways here. Where that rupee coin went remains a mystery to me to this day Mr. Premier. Finally, I took a rupee coin out of my shirt pocket, dropped it on the floor of the car, picked it up, and gave it to the Mongoose. (12)

Adiga places *The White Tiger* in its historical, economic, and social context to help us comprehend how economic exploitation and the struggles of the working class are connected to the principles and beliefs promoted in society. Within this society, which is controlled by market transactions, not only is the inherent value of individuals called into question, but the importance of manners and the obligation of appreciation are determined by monetary value. For example, Pinky Madam's hit-and-run killing is pinned on Balram:

The jails of Delhi are full of drivers who are there behind bars because they are taking the blame for their good, solid middle-class masters.... Doesn't the driver's family protest? Far from it. They would actually go about bragging. Their boy Balram had taken the fall, gone to Tihar jail for his employer. He was loyal as dog. He was the perfect servant. The judges? Wouldn't they see through this obviously forced confession? But they are in the racket too. They take their bribe; they ignore the discrepancies in the case. And life goes on. (25)

Balram's journey in *The White Tiger* sees him abandon his sense of fairness, justice, and compassion in favor of criminal activity as a means of escaping his dire circumstances. Ultimately, he rises to success as an entrepreneur, owning a taxi company in Bangalore. However, Balram's financial success is built upon unethical practices, such as bribing political officials and justifying his master's monstrous crime as a form of class warfare. By the end of the novel, Balram proudly declares himself to be "A Thinking Man" who represents the future of India with his embrace of individual ambition, dissent, fraudulence, and guile. This portrayal of success through unethical means challenges the cultural philosophy of India, which values individual responsibility and the egalitarian ideal of proving one's worth through hard work and thriftiness.

The novel provides detailed descriptions of the social, economic, and political conditions of India, as seen through Balram's eyes. In contrast to other Indian literature, which tends to be more conservative, Balram's narration is shameless and unapologetic about his criminal actions. This lack of shame is intentional, as Balram uses his story to justify his murderous instincts, unlike other Indian narrators who confess their misdeeds in hopes of redemption. Balram's use of email to share his story adds an element of suspense and makes it distinct from other Indian novels. The lack of emotion and distance between the writer and the reader, as well as the shamelessness of Balram's narration, are also notable aspects of the novel.

The first half of the novel delves into the themes of poverty and class struggle. However, Balram's luck changes when he secures a job as a driver, which leads him to the cosmopolitan city of Delhi. Here, he observes the stark contrast between the wealthy and the poor, and realizes that the rich always stay rich while the poor remain in their plight. As he navigates through the external world and learns modern ways of earning money, Balram's mind becomes a battlefield of thoughts and emotions. He avoids procrastination and takes action, and in doing so, becomes an influential member of the elite class in Bangalore. Throughout the novel, the author emphasizes the disparity between the Indian people, and highlights the core themes of poverty, class struggle, and globalization. As Balram says:

All these ideas, half formed and half digested and half correct, mix up with other half cooked ideas in your head, and I guess these half-formed ideas bugger one another, and make more half-formed ideas, and this is what you act on and live with. (6)

Adiga uses various linguistic and literary techniques in his novel, which not only enhance the reading experience but also contribute to its overall impact. He uses metaphors such as "Darkness" and "Light" to represent the disparity between poor and rich India. "Darkness" symbolizes illiteracy, poverty, backwardness, and a fatalistic attitude, while "Light" represents physical prosperity and westernized human beings. This metaphor highlights the stark contrast between these two worlds.

The novel serves as a testament to Balram's journey to discover his freedom in modern-day capitalist society. It demonstrates how the free market can create socioeconomic disparities, limiting opportunities for social mobility, health and other basic rights that should be given to all individuals, regardless of social status. Adiga's novel highlights India's negative view of lower-caste individuals and how this hinders their progress and development.

References :

1. Adiga, Aravind. *The White Tiger*. India, Roman books, 2013.Print.
2. Ahlawat, Rashmi. "Aravind Adiga's *The White Tiger*: A Socio –Political Study of Poverty and Injustice", *International Journal Online of Humanities*, vol. 2, no. 6, Dec 2016, pp. 11-19.
3. Bradshaw, Peter. "*The White Tiger* Review – Balzac-worthy Satire of Submission and Power | Peter Bradshaw's Film of the Week." *The Guardian*, 21 Jan. 2021, www.theguardian.com/film/2021/jan/05/the-white-tiger-review-balzac-worthy-satire-of-submission-and-power.
4. Dhillon, Amrit. "Indians fear Aravind Adiga's *The White Tiger* says too much about them." *The Telegraph*, 18 Oct. 2008, Indians fear Aravind Adiga's 'The White Tiger' says too much about them (telegraph.co.uk)
5. Higgins, Charlotte. "Out of the Darkness: Adiga's *White Tiger* Rides to Booker Victory Against the Odds." *The Guardian*, 22 Feb. 2018, www.theguardian.com/books/2008/oct/14/booker-prize-adiga-white-tiger
6. Jeffries, Stuart. "Roars of Anger." *The Guardian*, 28 Oct. 2020, www.theguardian.com/books/2008/oct/16/booker-prize
7. Mishra, Jitendra Kumar and Kumar, Madhur. "THE NARRATIVE ART IN ARAVIND ADIGA'S 'THE WHITE TIGER'." *Research Journal of English Language and Literature*, vol. 7, no. 3, 2019, pp. 283–290.
8. Moss, Stephen. "Aravind Adiga: 'I Was Afraid the *White Tiger* Would Eat Me up Too.'" *The Guardian*, 22 Feb. 2018, www.theguardian.com/books/2017/aug/25/aravind-adiga-books-interview-selection-day-the-white-tiger
9. Rushby, Kevin. "Review: *The White Tiger*." *The Guardian*, 22 Feb.2018, www.theguardian.com/books/2008/oct/15/booker-prize-india
10. Sebastian, AJ. "Poor-Rich Divide in Aravind Adiga's *The White Tiger*", *Journal of Alternative Perspectives in the Social Sciences*, vol. 1, no. 2, pp.229-245, (PDF) Poor-Rich Divide in Aravind Adiga's *The White Tiger* (researchgate.net)
11. Sharma, Yashika. "The *White Tiger*: Writer Aravind Adiga's Other Famous Novels and Works." *Republic World*, 9 Oct. 2019, www.republicworld.com/lifestyle/books/the-white-tiger-writer-aravind-adigas-other-famous-novels-and-works.html.
12. Young, Victoria. "Novel About India Wins the Man Booker Prize." *The New York Times*, 15 Oct. 2008, www.nytimes.com/2008/10/15/world/europe/15booker.html

Globalization's Impact on the Growth of India's Mutual Fund Industry

Dr. Shivangi Sah*

*Assistant Professor, D.M.P.G. College, Varanasi, U.P.

Abstract : The Indian mutual fund industry had a quick growth as a result of country's infrastructural development, growth in personal financial assets, and increase in foreign participation. The industry withstands with growing risk appetite, increasing income, and growing awareness. Mutual funds in India are becoming an ideal investment choice as compared to safe investments such as Fixed Deposits and postal which give comparatively low returns. The most important virtue of mutual fund is simplicity. Investor trust is built by consistent outperformance over benchmarks. In the coming year, mutual funds have to sharpen their credit assessment skills to comfort investors on the fixed income side. A small investor generally goes for such kind of information, which do not provide hedge against inflation and often have negative real returns. He finds himself to be an odd man out in the investment game. Mutual funds have come, as a much needed help to these investors. Thus the success of MFs is essentially the result of the combined efforts of competent fund managers and alert investors. The confluence of emerging technology and enabling regulation will facilitate the industry to broaden and deepen its reach amongst retail investors. The advanced growth prospect of the industry has attracted global players as well as splendid fund management talent. Awareness on investment dynamics has become more among the investors. In general, a mutual fund market may rapidly expand if the operators of mutual funds find a particular advantage that can be exploited.

Keywords : Mutual Funds, Investment, Investors. Global Players etc.

Introduction : The Indian mutual fund industry has grown at rapid pace, which inadvertently marks a point of inflection for the market participants. The way forward for the next couple of years for the mutual fund industry would be influenced by the journey undertaken till this point of time and the changing demographic profile of investors. They practically forced underdeveloped countries to adopt full throttle globalization by opening up their local markets to world trade by reducing artificial barriers to such trade. Development of advanced means of communication and transport, internationalization of financial markets and unprecedented mobility of goods, capital, data and manpower have further given boost to the recent process of globalization. The mutual fund industry being no exception, various measures are being taken by fund houses and distributors to spread access and reach to the semi-urban and rural segments. Clearly, the role of technology as a growth enabler has assumed enhanced responsibility in this respect, to enable improved reach, inclined towards efficient distribution.

Growth of Indian Mutual Fund Industry : Mutual funds plays crucial role in the economic development of any country. The active involvement of mutual funds in the economic development can be seen by their dominant presence in the money and capital markets all over the world. Developed countries though have a comparatively stronger presence of mutual funds market as compared to developing nations like India. The asset base of the mutual fund industry in the country is expected to grow faster at 18.6 percent per annum to cross Rs 20 trillion(US\$ 325 billion) by 2018 with an investor base of 10 crore accounts. With the total investor base still at a low level of 2 per cent out of the total domestic population, there are ample growth opportunities available in the domestic mutual fund industry. The Indian mutual fund (MF) industry witnessed an addition of around 2.2 million new investors during 2014-15. The total number of investors stood at 4.17 crore at the end of the 12-month period in March 2015 as compared to 3.95 crore at the end of March 2014 registering a growth of 5.54 per cent. The growth in the number of investors in the Rs 12 trillion (US\$ 187.17 billion) sector is largely concentrated around the top five asset management companies (AMCs) – HDFC Mutual Fund, ICICI Prudential, Birla Sun Life, Reliance MF and UTI MF. With close to a total of 44 fund houses in the country, the top five companies account for close to 80 per cent of the sector's assets under management (AUM). ICICI Prudential registered the fastest growth of 25 per cent with the total investor base at 33.59 lakh followed by Birla Sun Life with growth of 20 per cent to 24.26 lakh from 20.19 lakh investors. HDFC MF, the country's largest fund house with an AUM of Rs 1.61 trillion (US\$ 2.5 billion), saw growth of 15 per cent in its customer base to 52.1 lakh, adding a little more than 7 lakh new investors. The growth of the Mutual fund industry has been in tune with that of the capital market not only the quantitative growth, but also the Indian Mutual fund industry has shown qualitative growth as well. The regulatory environment, under the watchful eyes of the SEBI has been consistently improving. The frequency of reporting by the Mutual fund has increased. The media plays a powerful role for the developments of Mutual fund industry as the fund

performance have been reported and evaluated constantly. The advanced growth prospect of the industry has attracted global players as well as splendid fund management talent. Awareness on investment dynamics has become more among the investors.

Influence of the Globalisation on Mutual Fund Industry : The India's GDP growth model is fairly domestic-driven and less dependent on global growth. But at the same time our financial markets are dependent, considering that the foreign money that comes in and goes out affects prices. Apart from fund flow, global market news affects our markets even though the events have no correlation to the Indian economy. Having said that, one should look at the larger picture, that is, our GDP growth is a secular 7.5-8%, and strong compared with the rest of the world.

Current scenario of Indian Mutual Fund Industry : The mutual fund industry has grown at a rapid pace in the past two years and assets under management are at an all-time high. The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has carefully nurtured the industry over time and from a regulatory and compliance point of view, India is at par with the best in the world. And yet, the entire mutual fund industry is smaller than an LIC (Life Insurance Corporation of India) or an SBI (State Bank of India). Mutual funds have barely reached 1% of the population, if we remove multiple folios. This may be due to the fact that Literacy levels in India are low and financial literacy even lower. So, the opportunity lies in not getting more money from existing customers but to start telling prospective investors about different savings and capital appreciation products. Also, interestingly, many mutual fund companies submitted papers with the SEBI for launching plans with Hindi names so that investors in rural areas understand the objectives of the schemes in a better manner. According to market participants, MF houses are rushing towards the SEBI to launch new schemes on account of growing demand from retail investors for such products as well as robust response received from investors in the recent fund launches.

World wide Development of the Mutual Fund : The global growth of mutual funds was fuelled by the increasing globalization of finance and expanding presence of large multinational financial groups in a large number of countries and by the strong performance of equity and bond markets throughout most of the 1990s.. Most of these studies follow the structure-conduct-performance paradigm and are usually focused on the performance of mutual funds in one country U.S. households, as well as businesses and other institutional investors, use money market funds as cash management tools because they provide a high degree of liquidity and competitive short-term yields. At the same time in Europe and other regions, the growth of equity funds lagged somewhat behind because equity markets were less well established and the operating costs of mutual funds continued to be relatively high.

Global Financial Crisis : In an era of integrated financial markets, global trends are expected to have an effect on the progress of the Indian mutual fund industry as well. Global financial crisis during September 2008, which resulted in liquidity crunch world-over, had adverse impact on the Indian Mutual fund industry. It had an impact both on the amount of savings being channelized into mutual funds over the world, and on the distribution of resources among mutual fund classes embodying varying degrees of risk. Globally fund investors and the fund managers turned cautious about the future prospects for world growth and investment returns according to a global survey of investment managers. Due to decline in credit inflows from banks and external commercial borrowings, mutual funds witnessed redemption pressure from corporate. As an immediate effect of the global financial crisis, net assets of mutual funds worldwide declined sharply by over 25 per cent (in US\$ terms) in 2008. The US, which has the world's largest mutual fund industry comprising almost half the global industry share in terms of assets, had registered a 20 per cent decline in assets in 2008.

Trends in Mutual Fund Investing : The combined assets of the nation's mutual funds decreased by \$1.58 billion to \$15.91 trillion in June, according to the Investment Company Institute's official survey of the mutual fund industry. In the survey, mutual fund companies report actual assets, sales, and redemptions to ICI.

Total Net Assets of Mutual Funds*
Billions of dollars

	Jun 2016	May 2016	% change	Jun 2015
Total long-term	13,206.5	13,200.6	0.0	13,533.6
Equity	8,202.1	8,264.0	-0.7	8,601.4
Domestic equity	6,085.4	6,120.3	-0.6	6,342.8
World equity	2,116.7	2,143.7	-1.3	2,258.6

Hybrid	1,374.8	1,366.5	0.6	1,413.4
Bond	3,629.6	3,570.2	1.7	3,518.8
Taxable bond	2,980.0	2,936.2	1.5	2,947.5
Municipal bond	649.6	634.0	2.5	571.3
Total money market	2,702.5	2,710.0	-0.3	2,615.1
Taxable money market	2,509.8	2,501.8	0.3	2,373.6
Tax-exempt money market	192.8	208.3	-7.4	241.5
Total	15,909.1	15,910.7	0.0	16,148.7

Source: Investment Company Institute Research Report of June, 2016

*Data for exchange-traded funds and funds that invest primarily in other mutual funds were excluded from the series.

Net New Cash Flow of Mutual Funds**Millions of dollars*

	Jun 2016	May 2016	Jan-Jun 2016	Jan-Jun 2015
Total long-term	-15,283	-6,530	-23,853	83,729
Equity	-19,421	-18,002	-67,103	18,727
Domestic equity	-15,111	-17,641	-79,156	-53,302
World equity	-4,310	-361	12,053	72,029
Hybrid	-4,184	-1,406	-14,262	11,105
Bond	8,322	12,878	57,512	53,897
Taxable bond	2,001	5,580	23,946	47,150
Municipal bond	6,321	7,297	33,566	6,747
Total money market	-8,019	-6,606	-51,111	-112,828
Taxable money market	7,525	-585	11,792	-93,684
Tax-exempt money market	-15,544	-6,021	-62,903	-19,143
Total	-23,302	-13,136	-74,964	-29,099

Source: Investment Company Institute Research Report of June, 2016

*Data for exchange-traded funds and funds that invest primarily in other mutual funds were excluded from the series.

Number of Mutual Funds

	Jun 2016	May 2016	Jun 2015
Total long-term	7,671	7,685	7,546
Equity	4,778	4,786	4,727
Domestic equity	3,261	3,267	3,269
World equity	1,517	1,519	1,458
Hybrid	722	726	693
Bond	2,171	2,173	2,126

Taxable bond	1,595	1,596	1,560
Municipal bond	576	577	566
Total money market	444	452	515
Taxable money market	322	323	356
Tax-exempt money market	122	129	159
Total	8,115	8,137	8,061

Source: Investment Company Institute Research Report of June, 2016

*Data for exchange-traded funds and funds that invest primarily in other mutual funds were excluded from the series.

Challenges in development of the mutual fund industry : The financial institutions that serve the needs of households, the growth of mutual funds is likely to be determined by a number of factors. First and foremost is the level of income and wealth of the residents of a country. Awareness and education programs to develop retail demand is a long-term and expensive exercise, which a nascent sector may not be able to undertake, so government or regulatory support may be needed. Developing a financial advisory sector may also develop retail demand for mutual funds, since many people prefer to get face-to-face financial guidance. The availability or not of substitutes as well as complements also greatly affects the growth of mutual fund assets. Houses are distant substitutes of mutual fund shares in household wealth but most other instruments are either close substitutes or close complements, in some cases both at the same time. Bank deposits, both the traditional form of checking accounts and savings deposits and the more modern money market deposit accounts, are close substitutes of money market mutual funds. The mutual funds must be able to invest new money flowing into them and be able to raise money by selling assets when investors wish to exit the fund, they cannot operate in narrow and illiquid capital markets. Mutual funds need distributors that have an incentive to sell units to the public. If banks (which dominate the distribution of financial services) or financial advisers do not find it sufficiently remunerative to market mutual funds to the public, this could reduce the potential for mutual fund expansion. If mutual funds have less favourable tax status than other types of savings vehicles (such as bank deposits or insurance products), then they are unlikely to attract savings from individuals or investments from institutional investors.

Conclusion : In emerging markets, mutual funds are growing as economies develop, savings increase, and capital markets expand. In 2013 Investment Company Institute (ICI) data covering 46 countries and territories indicated 14 middle-income countries with mutual fund sectors in the global database. Policy makers in developing countries that wish to encourage capital mobilization through mutual funds need to understand the key factors in their success. The nature of the advantage may vary from country to country. In one country a money market fund may be able to offer higher returns to investors because income paid out by the fund is not subject to withholding tax, whereas interest paid on a bank deposit is in another, a mutual fund may offer an institutional investor a way to conveniently and cost effectively achieve instant exposure to a domestic or foreign market. Mutual funds are essentially designed to diversify risk for smaller savers who do not have enough money to achieve diversification themselves; thus, they tend to be a middle class savings vehicle.

References :

1. Morningstar. 2013. "Global Fund Investor Experience 2013 Report." Chicago: Morningstar
2. Securities and Exchange Board of India. 2013. "Master Circular for Mutual Funds to March 31, 2013." Securities and Exchange Board of India, Delhi.
3. Investment Company Institute (ICI). 2002. "U.S. Household Ownership of Mutual Funds in 2002: Fundamentals." Investment Company Institute Research in Brief, 11(5), October
4. Investment Company Institute (ICI). 2002. "Mutual Fund Factbook." June 2002
5. Kaminsky, Graciela, Richard Lyons, and Sergio Schmuckler. 2000. "Mutual Fund Investment in Emerging Markets: An Overview." World Bank working paper.
6. Dharendra Kumar (2013), "Mutual Funds: A Selective Saving Grace", *Business Standard*, July 9.
7. Chandan Kishore Kant (2013), "Mutual Fund Industry Touches New High; Assets Rise for 5th Quarter in a Row", *Business Standard*, July 9.

Interpreting Life in Exile : Kashmiri Women in Select Works of Kashmiri Authors

Pratyush Pandey*

*Department of English and Modern European Languages, University of Lucknow, Lucknow, U.P.

Abstract : The Exodus of Kashmiri Pandits from their homeland in 1990s is an indelible wound in the history of humanity. The recent movie "*The Kashmir Files*" has caused a stir among the populace, sparking countless conversations and debates as well as a clear revisitation of the year of the Kashmiri Aborigines' evacuation from the valley. Notwithstanding the film's discussion of the horrific murders and migration of Kashmiri Pandits from the valley, what actually happened after this "forced displacement" was nothing short of a catastrophe. UNHCR has used the term Internally Displaced People (IDPs) for such forced migration. Many researches have been conducted on the Kashmir conflict and forced migration, but the plight of exiled women has not been analysed so far. Life in exile has been very harsh for everyone, but women are more prone to trauma and its aftermath. The lived experiences of women in Kashmir and their perspectives should be at the heart of any human-centric analysis. This paper makes an effort to analyse the works of exiled Kashmiri Pandit Writers and to interpret the cultural and psychological ramifications of exodus of Kashmiri Pandit women. With their gifted creativity, Kashmiri Pandits express their suffering in their literary works. The only way out for the exiled writer to escape the tightness of the ensnared strings becomes artistic expression. Rahul Pandita's *Our Moon Has Blood Clots* and Siddhartha Gigoo's *The Garden of Solitude* have been reread to investigate a feminine version of exile and to determine the social, cultural and psychological effects upon Kashmiri Pandit women.

Keywords : Religion, Insurgence, Trauma, Exile, Gender, Refugee etc.

As defined by Edward Said, Exile is "...strangely compelling to think about but extremely terrible to experience" (Said 173). **Michael Richardson** has commented on trauma "Trauma is never in the past, it is rather the continual presence of the past in the present, impinging on the future" (Michael 104). The political and social perspective of Exodus of Kashmiri Pandits has been analysed but the issue of Kashmiri Pandit Women has not been analysed or investigated so far. Although it is now clearly established that women are usually the prime victims and sufferers of conflict, regardless the fact that they rarely initiate or cause it. A lot of analytical and historical knowledge is also produced by any conflict, but relatively little of it truly refers to women. While examining the poetics of memory and trauma related to exile, it is essential to take a gender perspective into account as this will further ensure the depiction and acknowledgement of feminine dimensions of exile. Even though the Kashmiri Pandits are not recognised as refugees or IDPs, but rather are classified as "migrants," their experience of exile is just as traumatic as that of other similarly displaced communities due to their dehumanisation as well as the loss of social, political, and economic status. This paper aims to analyse a few modern Kashmiri Pandit works, such as *The Garden of Solitude* by Siddhartha Gigoo and *Our Moon Has Blood Clots* by Rahul Pandita, in an effort to specifically highlight the feminine dimensions of both exodus and life in exile.

The violence on Kashmiri Pandits during the insurgency in Kashmir in 1990 was a tragic chapter in the history of the conflict. The Kashmiri Pandits, a minority Hindu community in the region, were targeted by militants who aimed to drive them out of the valley. In late 1980s, threats and attacks on members of the community marked the beginning of the violence against Kashmiri Pandits. An ultimatum to all Kashmiri Pandits to convert to Islam, leave the valley or face death was issued by militants in 1990, as the situation deteriorated rapidly. The slogan 'Raliv, Chaliv ya Galiv' was very commonly used. Sexually charged, disparaging slogans were common in the valley during 1989-90, Siddhartha Gigoo in his novel has mentioned "Let the Pandit men leave Kashmir, but let them leave their women behind" (Gigoo 68). Pandita has also addressed the issue of Pandit women being sexually victimised when he describes such violence : *A woman howled while walking through a field with a child following her...I was terrified when I saw a thin line of blood running down her thighs where her dress was torn. It was torn near her chest too. But she was oblivious to everything now* (Pandita 172). These works were successful in providing a thorough description of women's struggles, including their subjection to sexual and emotional abuse as well as their passive and active responses to the events leading up to and during exile. Although the cycle of violence that persisted in the Kashmir valley during the 1990s affected both sexes, other types of violence, including sexual assault, were

gender-specific. Despite the fact that the forced migration related to religious persecution and proselytization has a long and turbulent history, the large departure of Pandits occurred specifically in the years 1989-1990. More than 60000 Kashmiri Pandit families have been recognised as refugees with the Indian government; the majority of these families were resettled in Jammu, Delhi and other adjacent states. Their apocryphal writings, which are deeply founded in a sense of victimhood, emphasises on their desire for rooted lives that include ideas of homeland, displacement, and other complicated challenges related to building a new home. Ankur Datta, after his thorough analysis of the exiled Kashmiri Pandits, comments : *What complicates the scene is the fact that more than two decades have passed since their displacement. Many Kashmiri Pandits have rebuilt their lives with varying degrees of success. Yet the sense of loss with displacement persists across generations. There is an inability to make a secure place and home in spite of settlement in physical sense*(Datta 21). The trauma of forced exodus and the exposure to an alien and hostile environment are further compounded by the problems of acclimatization; lack of basic amenities like drinking water, drainage and sewerage, absence of proper lavatory facilities, poor housing, overcrowding, extremes of climate, lack of healthcare facilities and joblessness. All these have led to many psychological and behavioural disturbances in them. While many Pandit works in exile follow the format of apocalyptic testimonies and memoirs, they differ in the issues on which they have focused in-depth based on their own and other people's experiences connected to the events of religious oppression, insurgence and terror. Rahul Pandita was compelled to live in his own nation as a refugee when he was a teenager, essentially in permanent exile. As reflected in his memoir "I knew I was in permanent exile. I could own a house in this city, or any other part of the world, but not in the Kashmir Valley from where my family came"(Pandita7). Several female voices who are invariably the central figures have been included in his first-person account of events in the form of a memoir. Through the memories of these female characters, such as Ma, who keeps reciting about the grandeur of her home in Kashmir as if it were embedded in her and serves as a reminder of who she once was. "Our home in Kashmir has twenty-two rooms" (Pandita 10), she keeps on saying this phrase, out of context and without any relevance. As Rahul Pandita in his memoir has commented : *For God's sake, don't repeat your home story in front of everyone! The home story was a statement that Ma had got into the habit of telling anyone who would listen. It didn't matter to her whether they cared or not. It had become a part of her, entrenched like a precious stone in the mosaic of her identity* (Pandita 10).

The above mentioned statement can also be interpreted by Cathy Caruth's concept of trauma: *trauma describes an overwhelming experience of sudden or catastrophic events in which the response to the event occurs in the oftendelayed, uncontrolled repetitive appearance of hallucinations and other intrusive phenomena* (Caruth 11). Rahul Pandita makes several comparisons between their tragedy and the mass Jewish migration, emphasising the agony it caused particularly among the women. They were severely tortured socially and culturally by the climate of terror and violence, the looming uncertainty about life, safety, and self-respect, and the resulting psychological anguish. Rahul Pandita intelligently describes similar instances : *Women had been herded like cattle into the backs of trucks...In one of the trucks; a woman lifted the tarpaulin sheet covering the back and peered outside. There was nothing peculiar about her except the blankness in her eyes. They were like a void that sucked you in. Years later, I saw a picture of a Jewish prisoner in Auschwitz. When I saw his eyes, my mind was immediately transported to that day, and I was reminded of the look in that woman's eye* (Pandita 98). The Pandits were distrusted and still are. The disintegration of faith among the religious communities puts the social life on trial. A community is forced to make a dramatic decision to leave their own socio-political spectrum in favour of exile when a chronic issue directly endangers their ability to be trusted and respected. Women are more susceptible to moral and physical abuse in a society which lacks trust and respect. In a broader sense, it may be claimed that in these situations, women are more vulnerable to victimisation even before they left their community as refugees and continue to be the main victim of exploitation even after seeking asylum in a new, foreign environment.

However, the difficult situation that results from being an exile includes social and personal aspects that continue to torture and traumatise the victims especially women. The Pandit ladies were living in an unfamiliar society that was neither inviting nor secure. **Ankur Datta's** describes: "Everything about Jammu-the city, the architecture, the people, and the climate was alienating" (Datta 68). The victimisation process continues even in the host country as a result of this hostile atmosphere and the risky camp life. Instead of taking a humanitarian stance towards the displaced Pandits, residents of Jammu took the opportunity to exploit the migrants both socially and economically. Barns, cowsheds, and even some dilapidated outbuildings were available for rent at unrealistically higher prices. As Gigoo describes in his novel, "Rooms meant just four walls and a roof... They saw Pandits huddled mute in such rooms" (Gigoo 80). A woman's life must have

been traumatised by such a little place, together with the lack of privacy and crowding, on a moral and mental level. The most crucial stage of Kashmiri Pandit women's exile is their time spent in refugee camps, which: "...has been imagined as a site of exception and as an abnormal place..." (Datta72). In a broader sense, the migration camp is a unique, unmatched setting for rehabilitation during times of emergency when the unavoidable becomes tolerable and the rule lessees become the norm. The needy are deprived of their basic needs and exploited in these camps where there are no rules, with women suffering the most. The horrible daily camp life of forced migrants in Jammu has been extensively covered in the literature of Pandits in exile. They frequently draw parallels between these camps and the Auschwitz concentration camp established by Nazi Germany in order to subtly imply that Pandits in general and women in particular have experienced extremely severe victimisation. The novel *The Garden of Solitude* reflects Gigoo's account of his family's agonising life in the migrant camp, Sridar's companion Pamposh provides a detailed depiction of the hardships of camp life. He serves as a stark illustration of the horrible existence that Pandits lead in the camps for refugees. Gigoo, through the Pamposh puts forwards the poor condition of the migration camps of Jammu as: "I wake up hungry and go to bed hungry" (Gigoo 97). As Pamposh mentions his grandmother, he makes a remark on the predicament of elderly women : *My grandmother does not recognise the insects...For hours and hours, she just gazes into a dark nothingness! It is a vacant gaze into a world of oblivion and amnesia...I do not know if she is hungry or thirsty. When asleep, she resembles a corpse...She would be happy in her death, I pray*(Gigoo 98).

The young women experience more persistent victimisation, such as a loss of privacy and protection, while the older women suffer as a result of their failure to adjust to the new environment of camp life. They continue to be victimised even as refugees in their host country since they were still in danger in their own country. Even rape and sexual assault cases were frequent in these migrant camps, just like they were in the Kashmir valley, and the victims were always the same. Such crimes against women were rampant in the migration camps "...women shriek, fall silent and then cry in solace behind the filthy tank" (Gigoo 98). Pandit women were giving up their rich heritage of a dignified existence in the past that they had in their country when they suffered from lack of privacy and protection in these filthy ghettos. The only luxury they had was to recite their wonderful past: "Our home in Kashmir had twenty-two rooms" (Pandita 11). They were forced to face extremes of hardship and misery due to the cramped quarters they had in these camps and the dirty environment. Pamposh considers these dreadful events when he says : *My mother and sister wash their clothes and the utensils in a puddle of water outside our tent. They line up for hours in the morning to use the makeshift toilet made of torn shreds of canvas, pieces of cardboard and tin. They await their turn at the filthy and stinking toilets while the loitering men watch the women wait to relieve themselves. Many women prefer to go to the stinking latrines at midnight, away from the stare of men* (Gigoo 98).

These Kashmiri Pandit literature can be used to trace the psychological element of exile and its effects on women in order to comprehend the many facets of victimisation. These texts' depictions of women characters imply that there is pain among them as well as nostalgic sadness. For women, home is a place in their minds where they feel secure and comfortable. Hence, being homeless is a condition of trauma and instability. The psychological damage caused by the tragedy and 'the trauma of migration' has led to the development of PTSDs. The exilic writings of Pandits and their depictions of women characters show this core framework of trauma studies. For instance, Pamposh's grandmother living in "a world of oblivion and amnesia" (98) in Gigoo's *The Garden of Solitude*, Ma in Pandita's *Our Moon Has Blood Clots* who chants "home story in front of everyone" (9) exemplifies the suffering of subdued female psyche.

The investigation of women depicted in the exiled Kashmiri Pandits' worksshowed that women's knowledge and experience of being a refugee differed from men. Both men and women have been touched by the series of violent catastrophes connected to the migration and the ensuing life in exile. Rape and other sexual assault were only experienced by women, despite the fact that both sexes experienced identical types of harassment. Even their psychological agony has a unique facet with parts of nostalgic sadness and recollections of being confined to their homes.

References :

1. Caruth, Cathy. *Unclaimed Experiences: Trauma, Narrative and History*. The John Hopkins UP, 1996.
2. Datta, Ankur. *On Uncertain Ground*. Oxford University Press, 2017.
3. Gigoo, Siddhartha. *The Garden of Solitude*. Rupa Publications India Pvt. Ltd., 2011.
4. Pandita, Rahul. *Our Moon Has Blood Clots*. Penguin Books, 2017.
5. Richardson, Michael. *Gestures in Testimony: Torture, Trauma and Affect in Literature*. Bloomsbury Academic, 2016.
6. Said, Edward. *Orientalism*. Routledge and Kegan Paul, 1978.

Regionalism in World Politics : Past And Present

Nagendra Singh*

****Vill- Jamu, Post- Jamu, Distt.- Kanpur Nagar, U.P.**

Abstract : The growth of Regional organization is a marked feature of international relations in the 20th century. They have grown faster than global organizations and have emerged as important actors in international relations.

Keywords : Regional organization, World Politics, Social integration, Multinational corporations, Universalism etc.

International cooperation on regional basis is something more than bilateralism, but more confined in its scope than universalism¹. Defining Regionalism can be difficult. The difficulty may relate to the definition of a region (where it starts and ends) or the criteria by which to determine regionalism- where cultural, historical, commercial, economic, legal, or a combination of these. In its most basic sense, a region is 'a group of countries in the same geographically specified area. Regionalism has been described as a 'social integration and the often undirected process of social and economic interaction',² and regionalism has been defined as 'the formal process of inter-governmental collaboration between two or more states.'³ Regionalism, then is the set of conscious activities carried out by states within a region to cooperate.⁴ Even then, 'regionalism' can be 'a blanket term covering a range of very different developments and processes.'⁵

Although the first usage of term has been traced to the writing of Provencal Poet de Berlué Perussis, in 1874, the term was defined, the criteria for a region discussed and the theories of regionalism were developed by western scholars in the 1960 and 1970's.

Alejandro Alvariz, the veteran Chilean international jurist observed that there is no rule to determine regions on linguistic usages. There have been many attempts by different scholars to define regions and regionalism. The terrain has always been fluid and has arguably become more complex since the scope of both these terms is continually contested and subject to different interpretations. While regions have been typically defined as geographically proximate and interdependent states and regionalism as attempts at formal cooperation between such states, it is evident that for many, these definitions are today too narrow. For example some would argue, following Bruce Russett and others, that geographical criteria are too limiting in an increasingly interdependent and globalized world.⁶ Thus, it is better to them as organizations with limited membership, where membership is selective and restricted to a few states bound by ties of common interest and committed to solution of local problems. Regionalism in the pre -1980s was dominated by the bipolar cold war structure, with nation states as the uncontested primary actors.⁷ But the regionalism that has occurred in recent times, particularly since the end of the cold war in the 1980s, is economically focused and non states multinational corporations (MNCs) play a remarkable role.⁸

Origins and Development of Regionalism : The history of modern international organization begins in the 19th century and as regional organization too began to take shape in the 19th century. The prototypes of regional organization can however be traced to a much earlier period.⁹ Greek history shows that there existed a number of regional organizations in the forms of Amphictyonic Leagues from the pre historic period. However, they were not political in character, their purpose being protection of the common temples of various tribes. The first regional organization with political motives was formed in the 6th century B.C., Known as the Lacedaemonian League.¹⁰ It was later transformed into a Pan Hellenic League. A rival league known as the

Athenian League, was formed by Athenians in 478 B.C. The regional organization were not unknown even in the medieval times. The famous Hanseatic League was formed in mid-14th century for defence of common rights and interests. The birth of modern state system, the proliferation of states, the increasing contact and inter-dependence among the states, the increasing complexity of inter-dependence, the growing awareness of the co-existence of the states and the problems arising out of it, made the states recognise "the need for creation of institutional devices and systematic methods for regularizing their relations with each other."¹¹ The states thus moved towards organized cooperation among themselves.

According to **K.M. Panikkar**, "The Armed Neutrality of the Northern Powers in the Napoleonic war was attempt at regional organization, primarily for the purpose of defence."¹² He writes, "The Monroe Doctrine,¹³ which the United States promulgated, though essentially protective, was the beginning of a real regional organization, which in the course of a hundred years has developed into a prototype and model of such organizations."¹⁴

Regionalism before 1914 (First World War) was practiced in a limited way in the Inter –American,¹⁵ the Balkan and Baltic areas. Thus, even prior to the establishment of League of Nations, “Regionalism in the sense of a grouping of states by a common bond of policy existed. The Monroe Doctrine or the British Empire are the obvious examples.”¹⁶ The growth and study of formal regional organization dates principally from the Second World War and is part of general pattern of growth in international institutions. This is important since a study of regionalism necessitates a parallel study of multilateralism or at least an understanding of the interdependent relationship between the two.

From a longer perspective, however, regionalism has always been with us. Regions as Empire, spheres of influence, or unions of states have been apparent in different international systems. In the Nineteen Century in particular one can point to the widespread existence of different unions, leagues and associations, showing how the idea of regional integration is no phenomena.¹⁷ While such unions flourished among European states, in the Americas the Inter American System, with its roots in the late nineteenth century, provides evidence of a set of semi-formal non European institutions. Embedded in this American system was the idea of a regional security regime as expressed in the Monroe Doctrine, which singled out the Americas as part of a US sphere of influence. And in Europe, alongside the economic unions and political projects, security regimes were also evident as demonstrated of regional order.

Indeed it was the breakdown of this loose regime- the European concert- in the events culminating in the First World War, that encouraged world leaders, led by US president Woodrow Wilson, to make the first sustained attempt at constructing a formal international security institution: the League of Nations, with important implications for subsequent institutional development both global or regional. The father of League of Nations, president Woodrow Wilson of United States, was initially not in the favour of regional groupings. He identified regionalism with war- breeding competitive alliances. But later on Wilson changed his view and consequently the practice of regionalism was given the formal sanction of the Covenant of League of Nations in article 21 ,which started:

“Nothing in this Covenant shall be deemed to affect the validity of international engagements such as treatise of arbitration or regional understanding like the Monroe Doctrine for securing the maintenance of peace.”

During the inter-war period, a number of regional arrangement were entered into without being fully organized, such as-the Little Entente,¹⁸ the Balkan Entente, Locarno Arrangements, and Briand proposal for European Union. More broadly, the League period set the tone for a much wider debate about how to deal with what Inis Claude would later call the ‘problem of regionalism’ or how to integrate regional arrangements into the framework of a general security organization.¹⁹ This debate was overtaken – though not forgotten- by the event of the 1930’s when Europe, and much of the rest of the world, became embroiled in a new war. At this time it appeared that the League had failed as a global security institution, and regionalism, whether as an economic or political process had also been associated with failure or with expansionist and hegemonic projects like Japan’s pan-Asian, or Nazi Germany’s pan-European one.

Regional Institutions : The First Wave 1945-1965 : Despite such negative impressions, the spirit of regionalism was quickly revived and strengthened against the backdrop of the ending of the Second World War and the creation of a new set of international institutions, notably the United Nations and the Bretton Woods/GATT system.

Three main types of regional institutions can be identified in this period :

First : What are often called ‘multipurpose’ institutions like the League of Arab States(LAS), the Organization of American States(OAS), successor to the Inter-American system and the Organization of African Unity(OAU).

Second : Security alliances like North Atlantic Treaty Organization (NATO) 1949, the Warsaw Treaty Organization (Warsaw Pact), the Rio Pact, South East Asia Treaty Organization (SEATO) 1954 Central Treaty Organization (CENTO)1959 and Australia-New Zeland-United States (ANZUS)1952, were established in the 1950s. and

Third : Institutions with a principally economic focus, notably the early European institutions and later attempts to replicate them elsewhere. Such institutions, with the Europe leading the way the creation of the European Community (EC) in 1958, proliferation in the 1960s such that the world was ‘filled with proposals for Latin American Free Trade Area(LAFTA) 1960 ,North American Free Trade Agreement(NAFTA)1994, Peru-Australia Free Trade Agreement (PAFTA)2020, ...and ever more.¹⁹

Regionalism : The Second Wave-1965-1985 : Against this backdrop and with the Cold War entering its third decade, a further and somewhat distinctive round of regional activity took place. The second wave of

institution building which occurred mainly among developing countries, had an underlying security focus, and hence was clearly distinguishable from the earlier wave of economic regionalism that had been inspired by the creation and successful early years of the European Community (EC). The more familiar examples of this second regional wave are the Association of South East Asian Nations (ASEAN), the Economic Community of West African States (ECOWAS), The South African Development Community (SADC), the Caribbean Community (CARICOM), the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC), the Arab Maghreb Union (AMU), and Gulf Cooperation Council (GCC).

Overall, this second wave was characterized by small steps to improve regional self-sufficiency and cooperation in a changed regional and global environment which afforded a little more flexibility to regional actors. Bipolarity had somewhat loosened in the 'Detente era' of the late- 1960s to mid 1970s, while many developing countries had consolidated their statehood and autonomy.

Regionalism : The Third Wave 1985-Present : Just as the international system had closely defined the parameters and possibilities of regionalism during the Cold War, it was system change and its consequences that also helps explain the Post Cold War changes and developments. Though arguably more complex and diverse than previous regional waves, the new regionalism was no less a response to the shifting political, economic and security imperatives of the post Cold War environment in which states now found themselves. On the one hand, the example of Europe, the effects of Globalization and uncertainty about the capacity of multilateral institutions all provided incentives to other countries to foster projects of economic integration, notably the creation of Free Trade Areas (FTA). On the other, the removal of Cold War overlay also changed the parameters of the security domain making regional security more vulnerable and accessible to local actors.²⁰ Thus like the earlier waves of regionalism, the post- Cold War phenomena, widely dubbed the 'New Regionalism' –despite its continuities with the old- has been the subject of sustained debate and a growing literature.²¹

Since the late 1980s Globalization has changed the international economic environment for regionalism.²² The renewed academic interest in regionalism, the emergence of new regional formations and international trade agreements like the North American Free Trade Agreement (NAFTA), South Asian Free Trade Area (SAFTA) 2006 and the development of a European Single Market demonstrate the upgrade importance of a region-by- region basis political cooperation and economic competitiveness.

References:

1. Norman Hill, International Organization, Harper and Brothers, New York, 1952, p-85
2. Norman D. Palmer & Howard C. Ferkins, "International Relations", C.B.S. Publishers & Distributors, Delhi, 1994, p-559
3. Rama E. Melkote, Regional Organizations: A Third World Perspective", Sterling Publishers Pvt.Ltd., New Delhi, 2001, P-168
4. Prem Arora, "International Politics", Cosmos Bkhuves Pvt.Ltd., 1999, p-304
5. Michael Brecher, "International Relations and Asian Studies: The Subordinate State System of Southern Asia", World Politics, Vol.-15, 1995, p-219
6. E.Sudhaker, "SAARC Origin, Growth & Future", Gyan Publishing House, New Delhi, 1994, p-70
7. Dr.Krishnaveni Muthaiah, "International Relations", Himalaya Publishing House, Mumbai, 2001, p- 118
8. K.K.Bhargava, "Possibilities of Interaction with SAARC", World Focus, July 1995, Vol.16, no.-7, p-14
9. Dravin Kumar Madaan, "SAARC Origin, Development and Programmes", Deep & Deep Publication, New Delhi, 1998, p-Preface
10. Hedwing Hintze, "Regionalism, Encyclopedia of Social Science, Vol.-7, p-208-218
11. A Few Important Contributions in the field of the Study-
12. Bruce M. Russett, "International Regions and International System: A Study in Political Ecology, Rand McNally, Chicago, 1967
13. Ronald Y. Yalem, "Regionalism and World Order, Washington D.C., Public Affairs Press, 1965
14. Louis J. Cantori and Steven L. Spiegel, "The International Relations of Region: A Comparative Approach, Prentice Hall, Eaglewood Cliff, New Jersey, 1970
15. Richard A. Falk and Saul H. Mendlovitz (eds.), Regional Politics and World order, W.H. Freeman, San Francisco, 1973
16. Dr. E.N. VanKleffens, quoted in Regionalism and Political Pacts, The American Journal of International Law, Vol. 43, 1949, p- 667
17. E.H. Carr, Nationalism and After, Macmillan, London, 1945, p-45
18. Inis Claude, "Swords into Plowshares: The Problems and Progress of International Organization, Random House, New York, 1964, p-96
19. B.N. Mehrish, International Organization: Structures and Processes, Vishal Publications, Jalandhar, 1996, p-203
20. Michael N. Barnett, "Bringing in the New World Order, Liberalism, Legitimacy and the United Nations, World Politics, Vol.-49, July-1997, p- 526
21. Jagdish Bhagwati, The World Trading System at Risk, Princeton University Press, 1991, p-71
22. Samuel Huntington, The Clash of Civilization and the Remaking of World Order, London, Simon and Shuster, 1997

Present significance of Women Empowerment through reservation

Dr. Gaurav Kumar Srivastava*

****Assistant Professor, Deptt. of Political Science, St. Andrew's College, Gorakhpur, U.P.**

Abstract : Women have made good use of the opportunities provided by the reservation policy and are taking their roles and responsibilities. An equally positive trends is observed regarding the men's acceptance of the women's capabilities. Gender sensitization for both men or women to bring about change mind set and behavior is crucial for the empowerment process. This study state that majority of women entered into the politics due to the mandatory provision of reservation. Most of the women are from non-political background. The important aspect of the study is that the women who reluctantly entered into politics showed great maturity in outlook enthusiasm, increasing political consciousness and increasing perception of their role and responsibilities.

Keywords: Empowerment, Reservation policy, Panchayati Raj, Constitutional Amendment, Political Participation etc.

Aim of Study :

1. It is found that education is keys to empowerment and it has a definite bearing on the awareness levels.
2. The 73rd constitutional amendment and the reservation policy for women undoubtedly make them to enter into public sphere.
3. To examine how reservation policy for women has set a positive trend.
4. The main object of this study is how women's maintaining a balance between their family and political life.

Present Significance of women empowerment through reservation : Reservation for women in Panchayati Raj institution has definitely set positive trend overall. Despite the many problem and limitation women have proved that given an opportunity they are capable of becoming equal partners in the development process.¹ To an extent women have managed to overcome their lack of access and opportunities whether pertaining to literacy, skills, mobility etc. and get perform their roles and responsibilities as member of Panchayati Raj institutions.² While reservation has provided a window of opportune by for women to enter the public sphere, much need to be aware of the socio-economic and political background of the women who are elected to Panchayat. Reservation provide access and opportunities to the basic right such as literacy legal and ownership right etc.

The 73rd constitutional amendment and the reservation policy for women undoubtedly have set a positive trend³ women in large number have been able to create and occupy space in the public sphere. It has given them greater visibility as well as mobility.⁴ Women have also been able to enter other sector and actively participate in local organizations. This has change perception and outlook of women and given them greater self confidence.⁵ Family members and men in many instances perceive women in a more positive way.

The 73rd constitutional amendment in which a provision has been made for 33.33 percent women's reservation is an act of positive discrimination.

Empowerment means very different things to different group of women and varies according to the level of development in particular society.⁶ A women's empowerment begins with consciousness perception about herself and her rights, her capabilities and her potential awareness of how gender and socio-cultural and political forces after her.

The 73rd constitutional amendment has created a space for women in political participation and decision - making at the grass root level.⁷ By providing reservation seats reserving for women in the political institution will provide them an opportunity to raise their grievances and other related socio-economic problem in formal forum, a political process necessary to ensure the improvement for all women in all sphere in life.⁸

Women have made good use of opportunity provided by reservation policy and are taking there roles and responsibility seriously in the Panchayats. An equally positive trend is observed regarding the men's acceptance of women's capabilities and role in Panchayat. Gender sensitization for both men and women to bring about change in mind sets and behavior is crucial for the empowerment process.

Conclusion : Through the 73rd amendment act has been hailed important landmark in constitution progress is creating wider base for participatory democracy and more place for political participation of women.

Through empowerment of women representatives regard essential input in the development of status of women in their society.

The reservation provision for women provided by 73rd amendment set has been hailed as a bold revolutionary and a right - step. The reservation provided is women is PRIs created the necessary enabling conditions for women empowerment their sustained interest and involvement in public affairs. It is presumed that gradually an environment would involve which will be deepen the concept of participatory democracy by providing gender equality, justice and equality in India.

References :

1. Kaushik, S,. (1995) , Women and Panchayati Raj, Har Anand, New Delhi, P-10
2. Ibid P.12
3. Singh,. Seema, (2003), Panchayati Raj and Women empowerment, Ocean Books Pvt. Ltd., New Delhi, P -76
4. Ibid P-77
5. Kaushik, Susheela (1995) : Panchayati Raj in Action : Challenges to Women's role, ebert stiftung, New Delhi, P-15
6. Lalita, N: (1997) : Rural women empowerment, Kanishka Publishers, New Delhi, P-798
7. Bhargava, B.S. and Bansal Gaurav : Position of Women in political institution. Journal of Rural Development V.R. II, No.-5, Sep 1992, P-117.
8. Ibid. P-118

Women's Beliefs and Attitudes Towards Health in Rural Setting

Sheetal*

*Assistant Professor, Department of Sociology, N.K.B.M.G. (P.G.) College, Chandausi, Sambhal, U.P.

Abstract : This articles attempts to examine the belief or perception/orientation about health in cultural context of Northern Indian Village of Garhmukteshwar Tehsil of Hapur District. Health is a part of a cultural and historical traditional and calls for a set of values established within a community context. WHO define health as "Health is a State of complete physical, mental and social will being and not merely the absence of disease and injury (Robert, 1989-65-66). This paper mainly focus on socio-economic profiles of the respondents, the belief or perception/orientation about health and the importance of food in cultural context. Health is a led to the understanding that in addition to the general lack of interest in older persons, since and medicine have historically been more concerned with treating what went wrong' than with clarifying the complex interweave elements necessary to produce and support health. Data have been collected with the help of interview and observation method. On the basis of the facts it show that culture affects a people's health a lot. In terms of Food habits, norms of serving food habits, and reasons for not serving similar food.

Keywords : Health, Medical Sociology, Culture, Beliefs, Attitudes, Perception or Orientation, Illness, Physical Perception, Biological Perception, Hygiene, Hereditary factor etc.

Introduction : Medical sociology recognition of the significance of the complex relationship between social factors and the level of health characteristic of various groups and societies has led to the development of medical processes, structure, function and consequences of human behavior. Medical sociology is concerned with the social causes and consequences of health and illness. Medical sociology is concerned with the social causes and consequences of health and illness. Medical sociology brings sociological perspective theories and methods to the study of health and medical practice major area of the study like social facts of health and disease, the social behavior of health care, the social function of health organization and institution the social pattern of health services(cockerham,1998:1).

Health is a social issues because well being depends on a society's technology and distribution of resources. The social institution that focuses on combating disease and improving health (Macionis,2000:381-382).Health is led to the understanding that in addition to the general lack of interest in older persons, science and medicine have historically been more concerned with treating 'what went wrong' than with clarifying the complex interweave elements necessary to produce and support health. Health is a state of complete physical, mental and social well being and not merely the absence of disease and injury (Robert, 1989:65-66).

Good health means simply that they have no obvious illness or physical symptoms; but what about those people who are depressed lack vitality and say they are "not felling well" even though they can't be shown to have any specific illness.It is clear that health involves social and psychological conditions as well as biological ones (J W.Coleman, 1990 : 168).

Illness is the condition of being ill, evil or bad, badness unfavorableness. Scientifically illness has specific cause or cluster of causes. Some of here cause and determined other are simply random or due to pure chance. Illness refers to the varying ways individuals respond to bodily interpret symptoms, make attributions take remedial actions and utilize various sources of informal and formal care.

Health is part of a cultural and historical traditional and calls for a set of values established within a community context. Cultural are used widely in health research as are demographic concepts such as race, ethnicity, age and gender. Culture is another concept commonly involved in health research. (Awadesh N. Sharma, 2007: 86).

K. A. Hasan (1979) studied that how social and cultural factors affected health in rural community. Physician of village who does not try to understand cultural and intellectual level of the village folk and develop respect for cultural difference prove to be less successful practitioner in village dispensaries.

Anshu Bhardwaj (2008) studied that the culture heritage of the tribble people in the form of their traditional medical system.

The sociologists (Sumita Manna, 2003; Neelima and A. Sudarshan Reddy, 2009; P.C. Joshi, 2004, Anshu Bhardwaj, 2008, Indira Barua and RoopaPukhan, Purendra Prasad, 2005; Rajiv Balakrishan, 1996; K.A. Hasan, 1979;NilanjanKhatua, 2006;), Studies the various aspects of health-like socio religious aspect of health and well being, occupation and health indigens and health care and medical beliefs, healing practice, social and cultural factor affected to health & attitudes of people towards use of medicine etc. But there are

very few study which focus on belief or perceptions of people about health and food habits, serving habits & eating habits. So, there is need of such type of study particularly in rural area.

On the basis of the above gaps, identified in the survey of research in the area of medical sociology, we can say that there is still need to study Attitudes and Beliefs of People in rural setting.

Objective of the study : In the light of the above framework the certain research questions have been made up. Thus, the present study focuses upon the following specific questions.

1. What are the socio-economic profile of the respondent?.
2. What are the beliefs or perception/orientation about health of above people which influence their attitudes?

Area of Study : The study has been conducted in Northern Indian village of Garhmukteshwar Tehsil Hapur District of Uttar Pradesh.

Methodology : Data have been collected with the help of interview and observation method of the respondent. I conduct the interview from female head of the family data have been classified with the help of simple statistical methods.

Findings : From the facts we arrive at the following findings.

Socio- Economic Profile of the Respondents : The respondents belong to different socio-economic profile on the aspect, like-age, sex, caste, occupation, income, education, and family size etc.

1. The large majority (54%) of the respondents belongs to the middle age group of 36-45 year old and the minority (21%) of the respondent belong to the age group 46 to above
2. All respondents are female
3. The largest group (45%) of the respondents belong to OBC Category and the minority (20%) of the respondents belong to general category.
4. The largest segment (25%) of the respondents have primary education and smallest group (7%) of the respondent have college and above education.
5. The large majority (61%) of the respondents are house wife/non working and smallest group (11%) of the respondents are engage service/Teaching.
6. The largest group (31%) of the respondent belong to the income group 10,001 to 15,000 and the minority (21%) of the respondent belong to income group of 5001-10000.
7. The large majority (59%) of the respondents belong to joint family and the minority (41%) of the respondent belong to nuclear family.

Beliefs or Perception/Orientation of Health : The perception of health has observed in terms of physical, biological, social dimensions and orientation of health.

Physical Perception of Health : Physical dimension of health may be observed in term of handsome & beautiful, neither fat nor thin or bodily fit, sufficient amount of energy, stamina, efficiency, suffering & injuries should have no effect and should be fat (mota).

The largest segment, (31%) of the respondents beliefs that a healthy person is one who are neither fat nor thin or bodily fit and smallest segment (12%) of respondents says that sufficient amount of energy, stamina, efficiency are the physical perception of health.

Socio Economic Profile & Physical Perception of Health of Rural Women :

1. The majority (52%) of the respondents who have primary education says that healthy person is one who neither fat, nor thin or bodily fit, smallest segment (14%) of the respondents who have college and above education says that healthy person is one who are handsome and beautiful.
2. The majority (27%) of the respondents who belongs to joint family says that healthy person is one who neither fat nor thin or bodily fit and smallest number (18%) of the respondents to belongs to nuclear family says that healthy person is who suffering and injuries should have no effect.

Biological Perception of Health : Biological dimension of health may be observed in term of who has no disease in her body, different functions of the organs work properly and healthy persons have normal temperature or no suffering any disease. The majority (41%) of the respondents are belief in who has no disease in her body and smallest segment (19%) of the respondents beliefs in healthy person have normal temperature or no suffering any disease.

Socio Economic Profile & Biological Perception of Health of Rural Women :

1. The large majority (57%) of the respondents who are illiterate says that healthy person is one who has no disease in her body and smallest segment (5%) of the respondents who have college education says that healthy person have normal temperature or no suffering any disease.

2. The large majority (44%) of the respondents who belongs to joint family says that healthy person is who has no. disease in her body, smallest segments (17%) who belongs to nuclear family says that healthy persons have normal temperature or no suffering and disease.

Social Perception of Health : Social dimension of health may be observed in terms of who has adjust mentally and physically in diverse situation, who should not feel tired of her doing hard work and who can easily perform her role i.e. duties. The majority (41%) of the respondents are beliefs in who should not feel tired her doing hard work and smallest segment (20%) of the respondents beliefs in who can easily perform her role i.e. duties.

Socio Economic Profile & Social Perception of Health of Rural Women :

1. The large majority (51%) of the respondents who are illiterate says that healthy person is who should not feel tired of her doing hard work and smallest segments (14%) of the respondents who have college and above education says that who should not feel tired of her doing hard work.
2. The majority (45%) of the respondents who belong to joint family says that healthy person is who has adjust mentally and physically in diverse situation, smallest segments (15%) of respondents who are belong to joint family says that who can easily perform her role i.e. duties.

The Last Finding of this Paper is Orientation of Health : Orientation of health may be observed in terms of responsible factors for good health like good works of post, blessing of God, good nutrition and hygiene, hereditary factor and good medical care. The largest segment (31%) of the respondents belief that their responsible factors for good health are the result of hereditary factor, and smallest segment (11%) of the respondents belief in good medical care.

Socio Economic Profile & Orientation of Health of Rural Women :

1. The majority (37%) of the respondents who are illiterate says that their responsible factors for good health is good works of past and only (i.e. 14%) of the respondents who have college & above education says that their responsible factors for good health is good medical care.
2. The majority (30%) of the respondents who belong to joint family says that their responsible factors for good health is hereditary factor and smallest number (9%) who belong nuclear family says that their responsible factor for good health is good medical care.

Conclusion : On the basic above finding the conclude that the rural people do not develop their intellectual level about health, but they do belief's in cultural context.

Anshu Bhardwaj (2008) studies that women not only have their own health problems but she has to look after her family's health too. She is malnutrition, overloaded with work ignorant and have large number of children, the health of both her and her family with suffer, the present study focus orientation of health and observed in term of responsible factors for good health like good works of past, blessing of God, nutrition, and hygiene, hereditary factor and good medical care.

So, in this way this study concluded that even two day in this modern society the health of individuals is greatly influenced by their culture and belief and traditions.

References :

1. Balakrishnan, Rajiv, 1996, "State Sponsored Health Care In Rural Uttar Pradesh: GrassRoots Encounters of a Survey Researcher", **Sociological Bulletin**, Vol. 45, No. 2, pp: 87-95
2. Barua, Indira, Phukan, Roopa, 1998, "Socio Religious Aspect of Health Among Son Walkachari", **The Eastern Anthropologist**, Vol. 51, No.4, pp: 351-361
3. Bulliyya G. et al. 2006: "Indigenous Health Care Practices among the Kondh Tribal Communities" in Aadesh N. Sharma et al. (ed.) **Indigenous Health Care and Ethno-Medicine**, New Delhi, Sarup& Sons, pp: 54-73
4. Chaudhary, Preetam S. & Cautam, Rajsesh K. 2006, "Indigenous Magico- Religious Health Care" in Awadesh N. Sharma et al. (ed.) **Indigenous Health Care and Ethno-Medicine**, New Delhi, SarupandSons, pp: 225-234
5. Cockerham, William C. 1999: **Medical Sociology**, New Jersey, Prentice-Hall
6. Coleman J. William & Donald R. Gressey, 1999, **Social Problem**, Wesley Education Publishers inc
7. Hasan, K.A, 1979, **Medical Sociology of Rural India**, Ajmer, Sachin Publications
8. Jain, A.K. & Sharma A.N, 2006, "Indigenous Health Care Practice Among the Beria Women" in Awadesh N. Sharma et al. (ed.) **Indigenous Health Care and Ethno-Medicine**, New Delhi, Sarup& sons pp: 50-53
9. Macionis, J. John, 2000, **Society the Basics**, New Jercey, Prentice Hell
10. Manna, Samita, 2003, "Role of Medicine Men in the Traditional Tribal Heritage" **Man in India**, Vol. 83, No. 3, pp: 407-418
11. Robert, N.,1991, **Aging and Mental Health**, New York, Mackmillan Publication
12. Sujatha, V. 2002, "Food : The Immanent Cause from Outside medicine lore on food and health in village Tamilnadu". **Sociological Bulletin**, Vol. 51, No. 2, pp: 79-100
13. Sundar, I. & Manickavasagam, 2008, **Medical Sociology**, New Delhi, Sarup&& Sons Publication

Labour Laws : Review of Recent Amendment Banning Child Labour

Dr. Rahul Kumar*

*Assistant Professor, Department of IRPM, M.A.M. College, Naugachia, T.M. Bhagalpur University, Bhagalpur

Abstract : Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 will now be replaced by 'Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act. There are number of changes brought forward in the amendment. It mainly seeks to ban child labour and impose restrictions and cover loop holes not covered under the previous Act. It is an attempt to ban child labour for children below the age of 14 so that they could enjoy their fundamental right to education enshrined under their fundamental rights¹. Some amendments made are open to debate as the aim of Rajya Sabha while proposing some of the amendments is ambiguous. The act in question allows for the children to work after conforming to certain conditions. The question is then upon the validity of these amendments so introduced, that whether they are right in allowing for work or not. The legal proposition has been discussed in this research paper, it has explored the legal ideology and philosophy that the courts have followed while interpreting 'child labour'. The current amendments are tested upon the touchstone of these ideologies. The new amendment has been stated as a 'missed opportunity'. Despite the ongoing debate the bill has been passed and its implication have to be now accounted for. The paper enumerates views of the apex court specifically on the topic of 'child labour' and has made an attempt to test the new amendments on the touchstone of earlier judgements and ideologies observed by the courts. A comparison has been made between the earlier views and the current scenario.

"If we can't begin to agree on fundamentals, such as the elimination of the most abusive forms of child labour, then we really are not ready to march forward into the future"- Grace Abbott

Keywords : Child Labour, Constitutional ideology, Suitable environment, Audio-Visual entertainment industry, Economic necessity etc.

Introduction : The central legislature of India had promulgated legislation Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 ("CL Act") to control the child labour practices in India. The central legislature has made substantial changes in the provisions of the Act in the year 2016 and the said amendments have been made effective from July 30, 2016. The new amendments seems advantageous but have certain downsides also. As most of the children which are indulged in labour belong to the downtrodden and weaker section of the society, an act which allows a child to do work in order to to help his or her family runs detrimental to the development of a child. In the past, there have been glorious judgements of the apex court which aimed at protecting a child's development until the age of 14. The Act provides that a child is permitted to work only to help family, in family enterprise or as child artist after school hours or during vacations. However, the provisions of the act allowing for child labour for the purpose of helping his or her family run detrimental and counter to the constitutional ideology enshrined in various judgements in the past. While considering the matter of child labour sufficient heed should be paid to a child's development.

However, the amendment in question completely ignores the development phase of a child and thus, is against the basic ideology of the constitution which aims to protect the child and his childhood. The amendments made to the act turn away from the brutal reality which is faced by a child indulged in labour. One of the main aim of the act itself was to protect the development of a child and give him a healthy and suitable environment to grow in. By justifying in law the participation of children in work before and after school hours, the Bill denies them the time and space to develop and grow as citizens with similar choices and opportunities that children from affluent families enjoy. Such a proviso would only contribute towards fostering existing inequalities and discriminatory practices in society. The amendments made to the act defeat this purpose. Moreover, when the provisions in question are tested upon the constitutional ideology, they may not stand valid. Thus, while considering the matter of child labour or any law for that matter, attention must be paid to the judicial ideas which are a product of precedents. For the time being, the act in question has been passed and implemented. However, it may face the brunt of time as and when the judiciary comes to take hold of the matter.

The questionable provision in 'child and adolescent labour (prohibition and regulation) act : "Section 3(1) states that No child shall be employed or permitted to work in any occupation or process. (2) Nothing in sub-section (1) shall apply where the child,

a) helps his family or family enterprise, which is other than any hazardous occupations or processes set forth in the Schedule, after his school hours or during vacations;

b) works as an artist in an audio-visual entertainment industry, including advertisement, films, television serials or any such other entertainment or sports activities except the circus, subject to such conditions and safety measures, as may be prescribed. Provided that no such work under this clause shall affect the education of the child”

The issue debated upon this section is that whether it subtly allows for child labour. It could be a form of ‘disguised child labour’ at its best. The act overlooks the fact that some children are indulged in labour in their own homes. This is the case of millions of children involved in bidi, bindi, bangles, papad and readymade food producing industries. This kind of work involves the whole family to work and contribute. It is the kind of work in which poor landholders are tied to the creditors who provide them with seeds and fertilisers, often forcing them into a long-term contract on adverse terms and conditions which forces the entire family to work as cheap labour on their own farms.

Children perforce get trapped in this vicious cycle of oppression and work as farm labour along with the entire family especially during peak seasons at the cost of education.

Legal Position And Ideology On Child Labour : In the case of *Sheela Barse v. Union of India*² the Supreme Court observed: If a child is a national asset, it is the duty of the State to look after the child with a view to ensuring full development of its personality. In *Bachapan Bachao Andolan Vs. U.O.I & Ors*³, SC held that, no child shall be deprived of his fundamental rights guaranteed under Constitution of India and bring to child traffic and abuse. Articles 23, 39, 14 and 21 of the Constitution of India guarantee every child to be freed from exploitation of any form. There was violation of various laws concerning child labour and their abuse and traffic. Concerns of child and the paradigm of child rights had been addressed suitably in various international conventions and standards on child protection including the UN Convention on the Rights of the Child (UNCRC), 1989. India has ratified the UN Convention on the Rights of the Child in 1992. Convention prescribes standards to be adhered by all state parties in securing the best interest of the child. Integrated Child Protection Scheme seeks to create database and knowledge base for child protection services; it needs to strengthen child protection at family and community level.

Supreme Court of India in its most celebrated ruling of *M.C. Mehta v. State of Tamil Nadu*⁴. The court stated that the actual number of working children is up to 100 million. All the big and small industrial cities and areas and organized and unorganized establishments are full of ‘child labour problem’ like in Sivakasi, Surat, Firozabad, Mirzapur, Moradabad, Ludhiana etc. The case examined the gravity, magnitude, ramification, causes and effects of the problem of child labour in India and policies, programmes and statutory provisions to meet the menace. The court gave the slogan, “Let us all put our head and efforts together and assist the child for its good and greater good of the country. Let the child of the twenty first century find himself into that heaven of freedom of which our poet laureate **Rabindranath Tagore** has spoken in **Gitanjali**”. Hence the court ruled that the children working in the hazardous employments must be withdrawn from work and rehabilitated while the working conditions of the children in other employments must be regulated and improved upon. The court however did not discuss upon the serious and emerging issue of child soldiers in India.

Again, in the case of *M.C. Mehta v. State of Tamil Nadu*⁵ the courts observed “On discontinuation of the employment of the child, his education would be assured in suitable institution with a view to make it a better citizen. It may be pointed out that Article 45 mandates compulsory education for all children until they complete the age of 14 years; it is also required to be free. It would be the duty of the Inspectors to see that this call of the Constitution is carried out. On discontinuation of the employment of the child, his education would be assured in suitable institution with a view to make it a better citizen. It may be pointed out that Article 45 mandates compulsory education for all children until they complete the age of 14 years; it is also required to be free. It would be the duty of the Inspectors to see that this call of the Constitution is carried out.”⁶ It explained the ideology that education of these children must take place and no hindrance whatsoever should not be caused in the process. The new amendment made is counter to this and causes a hindrance or rather becomes an obstacle in the way of carrying out or bringing about the effect of Article 45 of the Constitution. As working in their own homes would cause problems in keeping up the studies.

Again, in *Bandhua Morcha v. Union*⁷ Mukti of India the courts expressed views which are being threatened by the new amendment. The apex court observed “Child of today cannot develop to be a responsible and productive member of tomorrow’s society unless an environment which is conducive to his social and physical health is assured to him.” Also, it was observed that “Children embody the joy of life in them and in the innocence relieving the fatigue and drudgery in their struggle of daily life.” The apex court was of the idea that child has to be relieved of fatigue and drudgery so that they have adequate amount of time

and energy to concentrate on their academics. If the new amendment allows for working of children in their own homes, that would amount to going against these views. This would amount to deprivation of environment and also the ample opportunity of time to study.

In this case only the court took the stand that nobody should be forced by their economic necessity to enter into such work which causes a hindrance to their own welfare. Section 3(a) explains that they can do so if it is for the helping of the family to conduct their business which enables them to earn their livelihood. If the family members then force the child to work for such a cause then that would again amount to exploitation. It would give rise to disguised exploitation as Section 3(a) can justify a child working for his family.

These children are not aware of their own rights; thus, they are consequently bereft of their rights as they are many a times unable to contest them. Again, in this case it was explained that *“Due to poverty, children and youth are subjected to many visible and invisible sufferings and disabilities, in particular, health, intellectual and social degradation and deprivation. The Convention on the Rights of the Child which was ratified by the Government of India on November 20, 1989 recognised the rights of the child for full and harmonious development of his or her personality. Child should grow up in a family environment, in an atmosphere of happiness, love and understanding.”* The basic characteristics of the environment have been explained in these lines and being allowed to work for their family would result in deprivation of their environment which should otherwise result in their environment.

The courts used the word “invisible suffering” in this case⁸, it would be pertinent to note that allowing children to work for their families would do full justice to the words “invisible suffering”.

The state as it seems is causing a hindrance in it's own effort to provide for education. The effort which was explained and defined in the case of *Unni Krishnan v State of Andhra Pradesh*⁹, the apex courts observed that *“ It would be incumbent upon the State to provide facilities and opportunity as enjoined under Article 39(e) and (f) of the Constitution and to prevent exploitation of their childhood due to indigence and vagary. As stated earlier, their employment either forced or voluntary is occasioned due to economic necessity; exploitation of their childhood due to poverty, in particular, the poor and the deprived sections of the society, is detrimental to democracy and social stability, unity and integrity of the nation.”* The state has taken upon the duty to provide education primarily to these children but by then allowing them to work for their families they are causing hindrance to their own efforts to provide education and healthy environment to these children.

Working anywhere, even in their homes could prove to be counterproductive in a child's life. The conditions that a child is subjected to when he is engaged in a work was explained in the case of *Bachpan Bachao Andolan*

Union of India,¹⁰ wherein the conditions of children engaged in circus work were explained, it was contended that “Daily Routine hindering their All-round Development in the circus, their daily routine starts with practising even before the sunrise (rigorous training session initially) mostly accompanied with verbal and physical abuse and harsh physical punishments at times, for the slightest error or no error at all. From afternoon onwards until midnight, they are on the stage, performing and enthralling the audience with their vivacity and wit. They cannot share their agony and grievances or raise their voice against the torturous life they are forced to lead. For them, there is no education, no play, no recreation and their life is confined to the circuses without any exposure to the outside world. All this prohibits them from knowing the other opportunities available.”

Conclusion : The new amendments run detrimental and counter to the constitutional ideology of child labour and it is in ignorance of the welfare of a child. If children are allowed to work under their family, it would go against their welfare and academic environment. There has been no general law which exclusively deal with employment of children, though all the above-mentioned legislations have special provisions dealing with children's employment incorporated in them. Apart from the above, there are also points of difference in the various enactments relating to employment of child labour as regards minimum age of employment, medical examination and working hours. Thus, the existing legal framework for employment of children in India was rather dispersed and patchy. Although the Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act was passed as a result of recommendations of various committees, the law has not made any perceptible inroads in the battle against child labour. First of all, the Act is not one which is meant to eliminate child labour but only to prohibit certain hazardous employments and to regulate the rest. By not prescribing a minimum age for employment and allowing the children to be employed in all occupations other than those prohibited under the Act, the law has in a way only legalised child labour. Also by exempting family labour even in the hazardous employments, the law has given a hand to the unscrupulous employer to employ children and claim them as

members of his family. This is especially true in employments like those in carpet, matches, fireworks, beedi making, etc. which are all home-based cottage industries. Thus, while it may be true that child labour may have come down in factories and organised sectors, their number definitely has gone up in informal sectors. The fallout of the law has, therefore been that child labours which otherwise would have been protected by law, are now without any legal protection, their employment now being in the informal sector where no law can effectively reach. Thus, the law which was enacted for protecting the child labour has in a way, served as an instrument in their exploitation. However, it is hoped that the new law, the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, if implemented in its true letter and spirit, will go a long way in the reduction of child labour in the country.

References :

1. Agarwala, R. (2013). *Informal labor, formal politics and dignified discontent in India*. New York: Cambridge University Press.
2. Agarwala, R. (2014). Informal workers' struggles in eight countries. *Brown Journal of World Affairs*, XX(11), Spring/Summer, 251–263.
3. Agarwala, R. (2015). Re-defining exploitation: Self-employed workers' movements in India. *International Labour and Working Class History*, 89, 107–130.
4. Agarwala, R. (in press). The politics of India's reformed labor model. In A. Kohli, C. Jaffrelot, & K. Murli (Eds.), *Business and politics in India*. New York: Oxford University Press.
5. Baxi, U. (1985). Taking Suffering Seriously: Social Action Litigation in the Supreme Court of India. *Third World Legal Studies*, 4, 107–132.
6. Berlin, I. (2002). Two concepts of liberty. In H. Hardy (Ed.), *Isaiah Berlin: Liberty*. Oxford: Oxford University Press.
7. Bhagwati, P. N. (1982). *People's union for democratic rights vs. union of India*. New Delhi: Supreme Court of India.
8. Cassels, J. (1989). Judicial activism and public interest litigation in India: Attempting the impossible? *The American Journal of Comparative Law*, 37, 495–519.
9. Dasgupta, M. (2008). Public interest litigation for labour: How the Indian Supreme Court protects the rights of India's most disadvantaged workers. *Contemporary South Asia*, 16, 159–170.
10. Deloitte. (2014) *Competitiveness: Catching the next wave, India*. Retrieved January 16, 2016, from <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/in/Documents/about-deloitte/in-about-india-competitiveness-report-2014-noexp.PDF>

National Education Policy 2020 and Higher Education : A Review

Dr. Dilip Kumar Choudhary*

*Asst. Professor, Department of IRPM, S.S.V. College Kahalgaon, (A Constituent Unit of T.M. Bhagalpur University, Bhagalpur)

Abstract : It is well known fact that a well-defined, visionary and futuristic education policy is a must for every country because education is the key driver of economic and social progress. Taking into account their respective traditions and culture, different countries have adopted varied education systems. Recently Government of India announced its New Education Policy 2020 (NEP 2020), which intended to transform our nation sustainably into an equitable and vibrant knowledge society, by providing high quality education to all. It is a welcome step, which will bring about a paradigm shift India's education system and will transform it into a modern, progressive, and equitable one. This conceptual research article is based on NEP 2020 focuses on Higher Education (HE). Authors of the article intends to discuss background and emergence; to highlight vision, focus thrust areas and principle guidelines; and necessarily to bring out features, impact areas and opportunities to stakeholders as well. Finally, they are emphasizing the need for planned, systematic and careful implementation of the policy.

Keywords : National Education Policy 2020, Higher Education, Quality Education, Education System, Paradigm Shift, Sustainable Development etc.

Introduction : Quality education is of fundamental importance for achieving full human potential, developing an equitable and just society and promoting national development. And universal high quality education is the key to India's continued ascent and leadership on the global platform in terms of economic growth, social justice and equality; scientific and technological advancement; national integration and preservation of culture as well. At present, the world is undergoing rapid changes in knowledge and employment landscapes. In this scenario, an education system must build and shape character; enable learners to be ethical, rational, compassionate and caring; while at the same time prepare them for gainful employment. It is to be noted that the gap between current state of learning outcomes and what is required, can be bridged through reforms in education system. The reforms necessarily bring about quality, equity and integrity into the system, from Early Childhood Care and Education (ECCE) to Higher Education (HE). Therefore, it was necessary that India should have an education system with equitable access to the high quality education for all learners regardless of social or economic background.

In this context, India has adopted 2030 Agenda for Sustainable Development (SD), which seeks to ensure inclusive and equitable quality education; and promote lifelong learning opportunities for all. And such a dreamy goal will require the entire education system to be reconfigured to support and foster process of education, so that all of the critical targets and goals i.e. Sustainable Development Goals (SDGs 4.4) of the 2030 Agenda can be achieved. So as to bring about reformation in the existing education system the Government of India decided to revamp it by introducing a comprehensive National Education Policy 2020 (NEP 2020). The new policy envisions an India centred education system that contributes directly to transforming our nation sustainably into an equitable and vibrant knowledge society, by providing high quality education to all. It is the first education policy of the 21st century, which aims to address many growing developmental imperatives of our country. This Policy proposes revising and revamping of all aspects of the education system, including its regulation and governance in order to create a new system that is aligned with the aspirational goals of 21st century education, while building upon India's traditions and value systems. NEP 2020 lays particular emphasis on development of the creative potential of each individual and higher order cognitive capacities, such as critical thinking and problem solving; and also social, ethical, and emotional capacities and dispositions. Most importantly, the rich heritage of ancient and eternal Indian knowledge and thoughts has guided to frame this Policy.

Emergence of NEP 2020 : Long back India's first Education Policy was introduced in the year 1986. About thirty-four years thereafter, a new policy called National Education Policy 2020 (NEP 2020) is introduced by the Government of India. NEP 2020 thus replaces National Policy on Education of 1986. The policy signifies a huge milestone for India's education system, which will certainly make India an attractive destination for higher education world-wide. The Government of India had taken initiative in January 2015, and the actual consultation process for the New Education Policy was started under the chairmanship of former Cabinet Secretary Shri. T. S. R. Subramanian. Based on the committee report, in June 2017, the draft NEP was submitted in 2019 by a panel led by former Indian Space Research Organisation (ISRO) Chairman Dr. K.

Kasturirangan. The Draft New Education Policy (DNEP) 2019 was then released by the Ministry of Human Resource Development (MHRD), followed by a number of public consultations. Thereafter, the Ministry undertook a rigorous consultation process in formulating the draft policy. In the process of emergence the new policy document has been updated, revised and finally approved on 29th July, 2020.

National Education Policy 2020 (NEP 2020), which was approved by the Union Cabinet of India on 29th July, 2020, outlines the vision of India's new education system. The policy envisions an India-centred education system that contributes directly to transforming the nation sustainably into an equitable and vibrant knowledge society, by providing high quality education to all. The policy provides a comprehensive framework for elementary education to higher education as well as vocational training in both rural and urban India. The policy aims to transform India's education system by 2021. The policy unequivocally endorses and envisions a substantial increase in public investment in education by both the Central government and all State Governments.

NEP 2020 : What's it about? National Education Policy 2020 (NEP 2020) will bring in ambitious and dramatic change that could transform education system in the country. It will bring about revolutionary changes in the education system of India.

Vision : NEP 2020 aims at building a global best education system rooted in Indian ethos, and aligned with the principles enunciated in the discussion below, thereby transforming India into a global knowledge superpower.

Thrust Areas : NEP 2020 is necessarily addressing the crippling challenges that have affected the Indian Education System for over last few decades. Certain thrust areas of the policy are:

1. **In Primary Education, poor literacy and numeracy outcomes:** Several reports show that 50% children lack basic numeracy i.e. the ability to understand and work with numbers and literacy despite spending five years in school. NEP 2020 basically looks at this foundational learning as a core area and aims at developing multiple skills and abilities among the students.
2. **In Middle and Secondary Education, high dropout levels, curriculum inconsistency:** Dropout rates at the secondary level in several states have increased over the past three years according to the ministry's data. There are multiple reasons behind drop out such as poverty, poor health and distance from school. Moreover, large variations in dropout rates exist across states, gender, ethnicity and class. Even the Gross Enrolment Ratio (GER) is also decreasing considerably as the data indicates that a significant proportion of enrolled students are dropping out after Grade 5 and especially after Grade 8. Therefore, minimising dropout rate and increasing GER, particularly at middle and secondary education level is also a thrust area of the policy.
3. **In Higher Education, a lack of multi-disciplinary approach and flexibility with regards to subject choice, assessment as well as a skill-gap:** Dropout rate is also increasing in higher education institutions. At the same time Gross Enrolment Ratio (GER) is decreasing and remained about less than half of that is in middle and secondary education. It means many students are not enrolling in higher education. Hence, the policy mainly focuses on to minimising dropout rate and increasing GER in higher education institutions.
4. Moreover, overall thrust areas for NEP 2020 include childhood care, curriculum design, language/medium of instruction, teacher training, teacher appraisal, assessment pattern and evaluation and exam format. A new assessment centre called, PARAKH i.e. Performance, Assessment, Review and Analysis of Knowledge of Holistic Development is proposed to determine the standards for education.
5. Lastly, issues with regulation, recruitment of teachers and the absence of common standards and norms for universities are the additional areas in this new policy.

Principle Guidelines : The foundational pillars of this policy are *access, equity, quality, affordability and accountability*. The policy strongly believes in the thought that the purpose of education is to develop good human beings capable of rational thought and action, possessing compassion and empathy, courage and resilience, scientific temper and creative imagination, with sound ethical moorings and values. Thus, it aims at producing engaged, productive, and contributing citizens for building an equitable, inclusive and plural society as envisaged by our Constitution. The principle guidelines on which this policy is based are:

1. **Flexibility**, for learners to choose their subjects and programmes, and thereby choose their paths in life according to their own talents interests. 2. **No hard separations** between arts and sciences, between curricular and extra-curricular activities, between vocational and academic etc. to ensure the integrity and unity of knowledge and eliminate harmful hierarchies among and silos between different

areas of learning. **3. Multi-disciplinary** and holistic education across the sciences, social sciences, arts, humanities and sports for a multi- disciplinary world. **4. Emphasis on conceptual understanding** rather than rote learning and learning for exams only, **on creativity and critical thinking** to encourage logical decision-making and innovation, **on ethics as well as human and Constitutional values** e.g. empathy, respect for others, cleanliness, etiquette, courtesy, democratic spirit, spirit of service, scientific temper, liberty, responsibility, pluralism, equality and justice and **on life skills** e.g. cooperation, teamwork, communication and resilience. **5. Regular formative assessment for learning** rather than the summative assessment that encourages today's coaching culture. **6. A respect for diversity and respect for the local context** in all curriculum, pedagogy, and policy by always keeping in mind that education is a concurrent subject. **7. Total equity and inclusion** is the cornerstone of all educational decisions to ensure that all students are able to thrive in the education system. **8. Resource efficiency** without any compromise on equity and quality along with optimum utilisation of resources. **9. Being teachers and faculty as the heart of a learning process**, their rigorous recruitment and preparation, continuous professional development, positive working environments and service conditions are require to be assured. **10. A light but tight oversight and regulatory system** to ensure **integrity and transparency** of the educational system through audit and public disclosure while simultaneously encouraging innovation and creative ideas through **autonomy, good governance and empowerment**. **11. Outstanding research** as a prerequisite for outstanding education and continuous development. **12. Continuous policy-making** based on regular assessment of realities on the ground by educational experts. **13. A rootedness and pride in India and its rich, diverse, ancient and modern culture, knowledge systems and traditions, and its forward looking aspirations to be incorporated in an accurate manner, and form an anchor and source of inspiration for all education.** **14. Education is a public service** and not a commercial activity or source of profit, and access to quality education must need to be considered a fundamental right of every citizen. **15. Lastly, substantial investment in a strong, vibrant public education system** as well as the encouragement and facilitation of true philanthropic private participation.

However, these guiding principles need to be followed in the process of implementation of the National Education Policy i.e. NEP 2020. They will certainly help to keep aside the hurdles in its smooth implementation and to overcome the challenges as well.

NEP 2020 and Higher Education : National Education Policy (NEP 2020) aims to transform education, keeping the learner at the centre. It builds on the recommendations of Education Commission (1964-66) and Justice J. S. Verma Commission (2012) as well as the previous versions of the policy i.e. National Policy on Education 1986, modified in 1992, Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 and Right of Persons with Disabilities Act, 2016. In fact, it is a huge stride in the right education. It mainly focuses on to the holistic development of students by ensuring access, relevance, equity, quality and strong foundational learning. The policy offers numerous benefits for education sector stakeholders. It envisages creating synergies in the curriculum across childhood care and education to school and the higher education segments. Major focus area of the policy is quality improvement in the learning outcomes. Another focus area is bringing assessment reforms, which remained much awaited change. Most importantly, NEP 2020 is expected to put India on the track to attain goals of 2030 agenda for sustainable development by promoting lifelong learning opportunity for all in the next decade to come.

Although, the policy document consists of and provides for certain guiding principles for its smooth implementation, there are some obstacles such as acceptance to the flexible model of higher education, acceptance to concept of multi-disciplinary institutions, need for greater public funding, need for rich digital infrastructure and the like, which cannot be neglected. Successful execution of the policy calls for adopting the principle guidelines given in the policy document, dramatic simplification of decision-making structures, re-prioritization of budgetary resources, automation and mechanisation in the system, change in the view point, and planned as well as systematic implementation of the new policy in months and years to come.

Concluding Remarks : We know that a well-defined, well-designed and comprehensive education policy is essential for a country at school, college, and university levels due to the reason that education leads to economic and social progress. Even today, adoption of appropriate education system is necessary in consideration of the prevailing conditions. Thus, to be precise, it is well accepted fact that a good education policy always leads to good and quality education in a country.

National Education Policy 2020 (NEP 2020) is a welcome and ambitious re-imagination of India's education system into a modern, progressive and equitable one. Built on the foundational pillars of Access,

Equity, Quality, Affordability and Accountability, NEP 2020 is aligned to the 2030 Agenda for Sustainable Development (SD). It aims to transform India into a vibrant knowledge society and global knowledge superpower by making both school and college education more holistic, flexible, multi-disciplinary, suited to 21st century needs. The policy calls for a large-scale implementation of a magnitude never before attempted anywhere in the world. The actual transformations will start from the academic year 2021-22 and will continue until the year 2030, where the first level of transformation is expected to be visible. The mission is aspirational but the successful implementation depends upon how would implementers understand the challenges and try to overcome it. It requires great deal of acceptance, commitment, optimism, change in attitude, and mind-set. No doubt, the Government of India took a giant leap forward by announcing its new education policy i.e. the National Education Policy 2020 (NEP 2020), almost three decades after the last major revision was made to the policy in 1986. Even, the drafting committee of NEP 2020 has made a great attempt to design the policy that considers diverse viewpoints, global best practices in education, field experiences and stakeholders' feedback. The mission is aspirational but the implementation roadmap will decide if this will truly foster an all-inclusive education that makes learners industry and future ready.

Summing up, the authors want to convey the message that the policy has come at the right time and the objective is very noble. But, there lies a world of difference between laying down a policy on paper and following it in spirit. The success of NEP 2020 and the pace of its implementation depend to a large extent on how successfully the government, universities and schools can tide over the practical challenges facing it. To realize the dreams it contains, we Indians must overcome substantial execution challenges in a sustained manner for years and decades to come. Lastly, to say, "National Education Policy (NEP 2020) brings in ambitious changes that could transform the education system. But the key here is good implementation and execution".

Acknowledgements : The authors of this article express their deep sense of gratitude to all the resources both individual as well as institutional in the subject area, which helped a lot to get a deep insight in the subject matter.

References :

1. British Council, UK. India's New Education Policy 2020: Highlights and opportunities. Available on: <https://education-services.britishcouncil.org/insights-blog/india/%E2%80%99s-new-education-policy-2020-highlights-and-opportunities>
2. Education world. NEP 2020: Implementation Challenges. Available on: <https://www.educationworld.in/nep-2020-implementation-challenges/>
3. India Education Diary. Highlights of New Education Policy 2020. available on: <https://indiaeducationdiary.in/highlights-of-new-education-policy-2020/> India Education Diary.com\
4. KPMG International Ltd. Impact of National Education Policy 2020 and Opportunities to Stakeholders. Available on: <https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/in/pdf/2020/08/impact-of-national-education-policy-2020-and-opportunities-for-stakeholders.pdf>
5. Ministry of Human Resource Development (MHRD). Draft National Education Policy 2019 (Summary). Available on: https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/nep/English1.pdf
6. Ministry of Human Resource Development (MHRD). National Education Policy 2020.
7. Available on: https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf
8. Press Information Bureau, Govt. of India. Available on: https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_2020.pdf
9. Press Information Bureau, Govt. of India. Available on: <https://pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=1642049>

News Paper Articles/ Research Papers:

10. B. L. Gupta and A. K. Choubey. 2021. Higher Education Institutions – Some Guidelines for Obtaining and Sustaining Autonomy in the Context of NEP 2020. International Journal of All Research Education and Scientific Methods (IJARESM), Vol. 9, Issue 1, January, 2021, ISSN: 2455-6211, Impact Factor: 7.429. Pp. 72-84 Available online at: www.ijaresm.com
11. K. Viswanathan. 2020. A Reality Check on NEP 2020: 6 Major Challenges in Implementation. India today, 14th August, 2020, Available on: <https://www.indiatoday.in/education-today/featurephilipia/story/a-reality-check-on-nep-2020-major-challenges-in-implementation-1711197-2020-08-14>
12. P. S. Aithal et. al. (2020). Analysis of the Indian National Education Policy 2020 towards Achieving its Objectives. International Journal of Management, Technology, and Social Sciences (IJMTS), Srinivas Publication, Vol. 5, No. 2, ISSN: 2581-6012, August, 2020. Pp. 22-31. Available on: www.srinivaspublication.com

Others:

13. Indian Policy Collective. Available on: <https://www.indianpolicycollective.com/post/nep-2020-challenges-criticisms-way-forward>

Seven Decades of India's Health : Need for an Equitable Health Policy

Dr. Shiv Kumar*

*Assistant Professor of Psychology, Government Girls P.G. College, Ghazipur, U.P.

Abstract : India has made noteworthy progress in the field of health after independence. This improvement of health condition is reflected in the popular health indicators of country like life expectancy, IMR, U5IMR, birth rate and crude death rate. Universal immunization, use of modern family planning methods and disability adjusted life years are also remarkable. Positive shifts also occur in the field of health infrastructure and epidemiology of diseases. But these health achievements are not equal. There were extensive health disparities among Indian population between poor performing and better performing states; and class differential are so much evident. Negligence of health matter in development issue and low level (1.02 % of GDP) of public expenditure on health in India are cruel reality and taking nation away from as welfare state. Despite of universal health care access as a well-stated goal both at national and international level; India is far from attaining highest possible level of health and well-being for all. The most vulnerable sections of population, despite their greatest health needs, are less access to health services and show low on various health indicators. The issue of inequality in health and use of health care services deserve the immediate attention of researcher & policy makers.

Keywords : Health Achievements, Health Inequality, Health status, Access to health care, Equitable Health Policy, SES & Health etc.

The health and well being of a population is an important element for progress and development of a nation. The popular phrases 'health is wealth' and 'healthier nation is wealthier nation' emphasize their importance at individual and community level. So wealth of a nation is linked with health of the nation i.e. healthy condition of its population. The health of a nation can be best assessed by health status of its people.

Health Achievements in seven Decades : India has made considerable progress during 'Azadi ka Amritkaal' (after seventy-five years of independence). The Seven decades of public health and development initiative successfully changed the life condition of overall population in general. This improvement of health condition is reflected in the popular health indicators of country. India has doubled its life expectancy from 32 years at the time of independence to 68.3 in 2015 (NHP-2018). This increase in the life expectancy is the outcome of the one fourth decline in crude death rate from 27.4 deaths during independence to 6.4 deaths in 2016 (NHP-2018). Similarly, Infant Mortality Rate (IMR) of India becomes one fourth, from 146 infant's deaths per 1000, live birth at the time of independence to 34 in 2016 (NHP-2018). The improvement in IMR is directly linked to the decline in the birth rate. It becomes nearly halves from 39.9 births in 1947 to 20.4 births per thousand populations in 2016. Over the past two decades, national health policies established by the Indian government have been instrumental in addressing a number of significant health issues, including infectious and non infectious illnesses.

India has attained noteworthy improvement in achieving immunization coverage through Universal Immunization Programme (UIP) which provides prevention against six vaccine preventable diseases. 62% of children below 2 year were fully immunized. Further, 47.7% of women (age 15-49) were using any modern family planning methods 84.4% birth was attended by skilled health worker in last one year. The State-Level Disease Burden Initiative of India (2017) reported that the disease burden due to communicable, maternal, neonatal, and nutritional diseases, as calculated by using Disability-adjusted life years (DALYs), fall from 61 percent to 33 percent between 1990 and 2016 (NFHS-4).

Apart from these, strong positive shifts also occur in the field of health infrastructure and epidemiology of diseases. NHP-2018 clearly summarized the health scenario in following words "*Over the past few decades, there have been major transitions in the country that have serious impact on health. Decline in morbidity and mortality from communicable diseases have been accompanied by a gradual shift to, and accelerated rise in the prevalence of, chronic non-communicable diseases (NCDs) such as cardiovascular disease (CVD), diabetes, chronic obstructive pulmonary disease (COPD), cancers, mental health disorders and injuries*". NHP-2018 also accepts that In India, there is no trustworthy source giving the figure of the health personnel as more than half of the healthcare personnel were working in the unorganized private sector.

National Health Policy (NHP-2002) - second in fifty five years of independence- stated these moderate health achievements as 'noteworthy successes over time' in India. Yet the above successes are low and limited in comparison to other countries which started with same condition and diseases. Other health

parameters also show very low changes during the same period. High rate of infant mortality, malnutrition, TB, leprosy and water born diseases are still common and contribute to a high level of morbidity and mortality in the population. Many basic illnesses that have radically declined in large parts of the developing world in recent decades continue to be common in India (NHP-2002). Universal health care access is a well-stated aim for both national and international institutions. India's third National Health Policy, 2017 envisions the goal of attaining highest possible level of health and well-being for all. For this it propagates a preventive and promotive health care direction in all developmental policies, and universal access to good quality health care services irrespective capacity of the people. Under the health-related Sustainable Development Goal (SDG) no. 3 (Good Health and Well-Being), a promise to a worldwide effort to eliminate illness, enhance treatment and healthcare, and address new and emerging health challenges has been marked. However, more efforts are needed to achieve the goals of Universal Health Coverage and the SDGs (National Health Policy, 2017).

Wide Spread Health Disparities among Indian Population : These health achievements in the field of health status and health infrastructures are unevenly distributed between poor performing and best performing states and within their population. Telangana have highest crudes death rates of 10.5 followed by Orissa and Bihar 10.2 in comparison to India 8.4 as whole, while it was 4.1 D& N Haveli. According to NFHS-4 the under-five mortality rate is higher in rural areas (56) than in urban areas (34). State wise variations are vast in IMR and U5IMR. The under-five mortality rate is highest in Uttar Pradesh (78) and lowest in Kerala (7). The under-five mortality rate for scheduled castes (56), scheduled tribes (57), and other backward classes (51) are considerably higher than others (39). IMR in India was 40.7, lowest in Kerala 5.6 whereas it was highest 56.5 in U.P. followed by Chhattisgarh 54 & MP 51.2 at the same period of time. Maternal Mortality Rate (MMR-2017) was reported 122 of whole India. It was lowest 42 in Kerala against highest 216 of UP and followed by 188 Madhya Pradesh / Chhattisgarh (MoH&FW-2020). When we further expose these aggregate data, on the basis of gender, class, region and other socio economic groups find presence of more fatal inequalities in health. So it is clear that vast are the common feature of present health scenario of India and these health achievement at an aggregate level 'conceals more than what it inequalities reveals (Iyer and Sen-2001). Percentage of underweight children of India was 35.7% while lowest in Mizoram (12) & highest of Jharkhand (47.8%) NFHS-4. Percentage of pregnant women age 15-49 years who are anemic (Hb<11) of India was 50.4 is a serious matter. Further it ranges lowest from 22.6% in Kerala and highest 67.9% in D&N Haveli.

Notably the burden of disease falls very unevenly on different sections of the population. Indeed health inequalities are very sharp in India in comparison, with many other countries even poor ones. Particularly, class differences in health achievements are large by international standards (Dreze & Sen - 2002). The state and region wise disparity is much more as it manifested in health indicators provided by different government agencies under various social and political pressures. The NHP-2002 also acknowledges the existence of wide disparities due to uneven development and that national average of health indicators hide wide disparities in public health facilities and health standard in different parts of country. Negligence of health matter in development issue and low level (0.8% of GDP) of public expenditure on health in India is aggravated by (i) highly inefficient use of available resources and (ii) sharp inequalities in access to health care based on region, caste, class and gender (Banerji, 1986).

Unavailability of Segregated Health Indicators/Information : However, these health statistics and information are inadequate. These are silent on certain prolonged inequalities in the area of morbidity-mortality prevalence. They do not reveal availability of various health services, accessibility of health care, utilization of health services, cost of care and untreated morbidity by the socio economic characteristic of population. These social characteristics of population with special reference to health inequalities, is more relevant in a backward, vulnerable rural region of the country.

There are enough evidences of persistence health inequalities at national level. However, impact of class differences on different aspect of health have not been properly emphasized in wider domain of health research. In India our National Sample Survey (NSS) and Sample Registration Scheme (SRS) does not focus much upon class (socio-economic) differentials of health. Only few research & regional studies deal with this issues. Although, National Family Health Survey (NFHS) try to see the impact of class caste and other social differential on health but this especially deals with maternal and child health. It does not see socio-economic differences on the other aspect of health like morbidity, mortality and use of health care, in general.

Uneven Development of Health Service System in India : It is unfortunate that after seven decades of development and health planning, the long cherished dream of right to adequate health care facilities to people, near to their location of habitat, irrespective of their paying capacity (Bohr Committee, 1946), has remained a distant goal. Health services, which are committed to provide basic health care to all, specially the

most needed ones become uneven and unaccess to them. Critics see this health service system in India as an expression of socio-economic inequalities(Qadeer, 1985). In fact, lower socio-economic status work as barrier itself to access basic health care and attain a considerable health status due to nature of health care services available to them (Kumar, 2002).

After 1990s with the implementation of structural adjustment policies above dreams become never getting reality. India spends only 1.02% of its GDP (2015-16) as public expenditure on health. In the name of health care reform, health care expenditure is under attack and government is taking away the responsibility to provide health care to all. Trends, such as increasing concentration of income and wealth among a small proportion of population; widening the gap between rich and poor and decline in wage growth and employment (Chauhan, Anita & Kamdar 1997) have been demanded renewed attention on inequality and its consequence for health and well being of a population.

India Needs an I Equitable Health Policy : As it is clear that people's economic condition and wealth; social position, caste and racial origin or gender affects the chances of maintaining health. Further it is also evident that certain groups, region, communities are disadvantage of health care. To overcome this situation, an equitable health should be proposed. An equitable health policy would be one that identities who is worst off and arranges health resources, with special policy attention to them. By this way Health equality focuses on the well being of those having in greatest health needs (Veatch 1997).

Pursuing equity in health status and health care not means moving towards higher standard for all, bringing every one up to at least the lowest denominator. But it does not mean equitable health policy makes the worst of health status nearly equal to better off. In this condition, efficiency in health planning becomes important to produce as much good as possible with a given unit of resource without conflicting with equity. Hence the health policy should pursue equity and efficiency simultaneously, with preference of equality to health status with everyone at low status. Improving aggregate health indicators does not require that all in society be equally healthy. But it is equity in health that gives fair opportunity towards health for all' in 21st century. After two decades of health for all World Health Organization (WHO) affirm strongly in CIOMS Conference (1997) that a global health policy centered on equity is necessary to the achievement of health for all in the 21st century by considering health as a basic human right.

Conclusion : Finally we can said that it is increasingly recognized that the most vulnerable sections of population, despite their greatest health needs, are less access to health services and show low on various health indicators. The issue of inequality in health and use of health care services deserve the immediate attention of researcher & policy makers because this is most unacceptable situation, related to life and death of a vast population. With the help of equitable health policy and readjustment of health services system, India can improve the health of worst off and narrow the health gap in the society.

References :

1. Bohre, J., (1946), Health Survey and Development Committee Report, Government of India, New Delhi.
2. Banerji, D., (1986), Social Sciences and Health Service Development in India, Lok Paksh, New Delhi.
3. Braveman, P., (1996), Equity in Health & Health Care: A WHO/ SIDA Initiative, Geneva WHO.
4. Chauhan, Anita & Kamdar, (1997), Health care in India: A Profile, The foundation for research in community health, Mumbai.
5. Dreze, J & Sen, A., (2002): Indian Development Selected Regional Perspective (eds), Oxford University Press, New Delhi.
6. Iyer and Sen. (2001). Health Sector Changes and health Equity in the 1990's in India. Health and Equity –Effecting Change, HIVOS Publications.
7. Kumar, S., (2002), 'Socio-economic Status and Health; A Study of a Village in UP', an unpublished thesis of CSMCH/JNU, New Delhi.
8. MoH&FW, (2020), Health and Family Welfare Statistics in India 2019-20, Ministry of Health and Family Welfare, GOI, New Delhi.
9. National Health Policy, (2002), Ministry of Health and Family Welfare, GOI, New Delhi.
10. National Health Policy, (2017), Ministry of Health and Family Welfare, GOI, New Delhi.
11. National Family Health Survey -NFHS-4(2017): 2015-16 IIPS Mumbai, India.
12. National Health Profile (2018), Central Bureau of Health Intelligence Ministry of Health & Family Welfare, GOI, New Delhi.
13. Qadeer, I. (1985), Health Service System In India: An Expression of Socio-Economic Inequalities, Social Action, 35.
14. Veatch, R.M. (1997), Equity and Utility: Complementary or Contradictory? In Bankoski et al Ethics, Equity and renewal of WHO's Health for All Strategies, Proceedings of CIOMS conference, Geneva.

Political Organisation of the Meena Tribe of Rajasthan

Dr. Neetu Singh*

*121/5D/1 Mahaveerpuri, Teliarganj, Prayagraj, U.P.

Abstract : The socio-political organization of this tribal community is based on lineage group referred to as 'thok'. The smallest social unit found in the Meena village is the 'ghar', which is a joint household of several brothers living under a common roof. The Meena further recognize a larger family unit including all the living consanguines. This group is referred to as 'kutumb'.

Keywords : Tribal community, Meena, Socio-political organization, Lineage, Panchpatel etc.

The family organization it becomes apparent that the 'ghar' is chiefly a residential unit, its members sharing the family occupation of cultivation. Literally the 'thok' acts as a unit and the 'thok patel' (chief of 'thok') is vested with all the ritual power.

The tribal council at the village level is known as 'panch patel'. Each 'thok' is represented by a chief, referred to as 'patel', which is a hereditary position. The authority of the 'patel' extends to ritual, social and political domain of the tribal members. No judgement or decision can be taken by one 'patel' of the village.

"There is total lack of 'chieftainship' amongst this tribe and the tribal council operates in a democratic manner. Thus this tribe can be referred to as an acephalous society."¹

Beyond 'panchpatel', there exists the 'khedapanchayat' which consists of a representative 'patel' of each 'panchpatel' of the village living within the radius of five miles. This 'khedapanchayat' usually settles the inter village disputes.

The disputes which prove to be beyond the control of the 'khedapanchayat' are referred to 'samajpanchayat' which includes representative 'patel' of 21 to 30 Meena villages within the 'pal'. The matter involving the members of a 'pal' are decided by 'parganapanchayat' or 'gadhatpeshi'.²

A smaller unilinear unit is 'thok' or lineage- the patrilineage to be precise, of varying generation depth. Its members are genealogically related and describe themselves as 'thok' residing together. A 'got' is strictly exogamous.

"Thus a 'got' among Meenas consist of several clusters of 'thok' dispersed over a wide area. In certain places a large concentration of particular 'got' is found and the same are believed to be original homes of these clans, for example, Pachwara 'pal' which has greater concentration of Baiphlawat, Dobawar, Barwar Gothwad and Charwad 'got', is believed to be the original settlement of these 'got' in this region."³

There is no social hierarchy within these 'got'. They are all of the same social status and members of different clans are free to marry each other except where the union is considered incestuous due to already existing relationship. Ideally a person cannot marry within one's mother's, father's and father's mother's 'got'.

Traditional Council : Two important elements are discerned in the Meena tribal council 'panchpatel'- the tribal council at the village level and 'patel' the headman of the 'thok'.

"The tribal council, though an informal body, plays significant role in Meena life. The 'patel' is the representative spokesman of one 'thok' and belongs to the oldest lineage (in chronological order of the settlement) of the village."⁴

At present most of the Meena villages are inhabited by a number of different 'got'. It is however generally agreed that a village must have been inhabited, at its early stage of growth, by the members of one 'thok' belonging to a particular 'got'. Members of other 'got' must have come later.

Early settlers were regarded as owner ('thun') of the village and hence the senior members of the same 'thok' of early settlers enjoyed the special status of being the 'patel' of his settlement.

'Panchpatel' restricts its functions within the village, including its 'dhani'. This tribal council is the smallest unit of infrastructure of a much wider socio-political network of Meena society. The 'panchpatel' looks after the interests of tribals living in a village.

Before enumeration of the functions and legal aspects it would be desirable to present the dichotomy in differentiating between the civil and criminal, including offenses against the religious values. Meenas view is clearcut in dividing the nature of crimes.

"The offences or crimes having a disruptive potentiality in the existing bonds of 'thok' and 'got' are considered as social and civil offences and dealt accordingly. The offences directly concerned with the deities from whom the tribe seek ritual protection for the life and property are considered sacrilegious and criminal offences and are sternly dealt by the 'panchpatel'.⁵

Homicide, induced abortion, killing intentionally of a cow and peacock are considered heinous offences and the punishment for such offences, if proved, is to pay a heavy fine and undergoing a ritual purification, by making a holy dip in the Ganges, feeding a particular quantity of grains to birds and giving a feast to a few Brahmins. In Nangal Meena Village and also in Akhoda Meena village no case of such nature could be traced.

Besides the sacrilegious offences enumerated above there are other offences considered to be criminal in nature with a varying degree of seriousness. The customary laws of the land have a strict code of conduct and Meena life revolves around it. The following are the offences of social nature. For committing such offences a heavy fine is imposed with restrictions and warning not to commit such crimes in future ('pabandi').

Theft of any kind, like intentional damage to crops and property, elopement, rape, extra-material relationships in case of females, illegal possession of some one's land and property and physical injuries to a person are some of the offences described by the customary laws as offences of social nature. Such offences, when proved, are dealt by the tribal council through the imposition of heavy fine, and the accused gets restrictions from the council not to commit such offences in future.

"After Independence, the judicial court discontinued the legal recognition to 'panchpatel' verdict since the 'Panchayati Raj' system was introduced in the entire Rajasthan."⁶

Besides, the village level tribal council, one finds an informal group of village elders including non Meena individuals who settle the disputes between a Meena and non-Meena resident within the village. This informal group is called 'panchmahajan'. It was noticed during the discussions with Meenas and non-Meenas that this 'panchmahajan' settled many disputes of various nature between the villagers.

The number of members of this 'panchmahajan' varies from five to seven in which 'patel' of Meena 'thok' and one or two heads of Brahmin, Mahajan or Khati household of the village would be invited to settle of coercion or physical punishment in case of charges proved against a particular individual.

The decision is generally brought to the notice of the 'grampanchayat' a statutory body which implements decision as per its provisions. There is a strong link between the 'panchmahajan' and statutory 'panchayat'. Meena being numerically dominant do show an impact on the decision taken in statutory 'panchayat'.

One reviewing these two councils described above, it becomes evident that the 'panchpatel' distinctively stands out in its structure, function and legal sanction from the other existing council of the village.

The intra-Meena disputes are generally expected to be settled within the 'panchpatel' which is an authorized body to deal with the social-religio-legal aspects of Meenas, the later having faith and confidence in the decisions taken by the council.

However, in criminal cases and disputes not settled to the satisfaction of the contending parties, legal help is sought from the existing government judiciary. Such cases being rare, 'panchpatel' functions as a mechanism of social control.

In contrast we find that in the functioning of 'panchmahjan' its powers are greatly reduced. This may be attributed firstly to the numerical dominance of Meenas who usually prefer the decisions to be taken in their own favour. Secondly the existence of statutory panchayat (gram panchayat) which gives an opportunity to non Meenas for bringing their cases from 'panchmahajan' to formal body which has been vested with limited judiciary and executive powers by the state government.

Meena villages situated within the radius of five miles recognize a representative tribal council called 'khedapanchayat' which settles the inter-village disputes involving Meena inhabitants. This council is constituted by representative 'patel' belonging to the oldest 'thok' of the respective villages.

'Samajpanchayat' is constituted by the representative 'patel' of twenty one to thirty Meena villages lying within the radius of 10 to 15 km This council is empowered with the right to excommunicate and to accept the accused within the community after certain ritual expiation. Moreover, it can fine the accused up to the limit of five thousand rupees.

This tribal council is constituted by representative 'patel' or all the 'panchpatel' of village falling within the 'pal'. Pargana- Panchayat is enjoined with the power for taking socio-cultural and political decisions on behalf of the tribal community inhabiting within 'pal'. All socio-political reforms, policy making, etc. are done by this tribal council.

This regional tribal council also decides the tribal community's affiliation with a particular political party as well as initiates any step towards tribal welfare programmes.

"Besides, these tribal councils at village, sub-regional and regional level, there also exist the statutory

panchayats. Between 1920 and 1948 a number of princely states of Rajasthan took steps to organize representative institutions at the village level. These were called 'panchayat' following the traditional name for the body of village elders who dispensed justice."⁷

"To integrate the panchayat administration, the state government passed the Rajasthan Panchayat Act, 1953 which came into force on 1 January 1954. The Act vested statutory panchayats with both executive and judicial powers. The statutory village panchayat differs in several important ways from the tribal and traditional councils. Firstly most of them cover more than one village. Secondly these councils are intended to be chosen by election and representation from most of the communities, living in the village, is sought for." (Impressions of Rajasthan)

Deviation from customary laws occurring everywhere, are most marked in those villages which have been exposed to agents of change. After a careful analysis of the deviation from the customary laws, it can be inferred that the situation of kinship groups, marriage negotiations, constantly enhancing the process of change which we now see operating for a long time.

The deviation in traditionally observed laws of inheritance and succession have been due to pressure, necessity and diffusion of thoughts brought by the change agents. There are many internal factors too, responsible for deviations. These include uneven demographic growth of different segments or families within a group.

Every change has involved claims, superior, and subordinate over succession and inheritance of property of all kinds. Desire to mortgage land, development of new types of enterprise, changing conceptions about kinship are some of the processes which are behind the deviation from customary norms.

Deviations from the normative pattern, though rare, suggests that Meenas in general still harbour their faith in their traditional customary councils. In the past Meena state was comprised of several smaller states.

This holds good even today. All these states settle most of their disputes without referring to the local government authorities. The state's 'pradhan' (chief) acts as the spokesman of the people and has direct contract with the state authorities seeing to the development and welfare of the tribe.

Several Indian anthropologists have studied ethno-regional and social-political movements, Mention may be made of study of Birsa Munda movement by **Singh (1965)**, ethno-political and solidarity movements⁸ by social mobility movement⁹ Justice movement, language movement, and religious movement.¹⁰

The Meena tribal movement emerged under the impact of a number of socio-political and administrative factors. During the pre-British period and in the regime of Rao Kuntal (12th century, AD), the Meenas started the first non-violent 'satyagrah' for the acceptance of their eight demands in which mention was made to allow to retain their tribal identity.

This committee could succeed in opening of some primary schools in Meena villages which were looked after by the tribal councils. The slow and gradual progress of this committee culminated in the formation of an All India Meena Kshatriya Organization during 1942 and Suraj Bhan Bairwad emerged as a leader who organized a general meeting at Delhi.

This meeting was attended by 20,000 Meenas who came from Rajasthan, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Delhi. During this year another reformist Meena leader Magan Sagar accepted Jainism and became a monk.

Due to the freedom movement and merger of independent states in the Union of India, Meenas formed a body called Rajasthan Meena Sudharak Samiti in which the prime objectives were social reform. The formation of this committee was an example of bringing a change on a Hindu model. Similarly the Meenas living in other parts of the country constituted the following bodies:

1. Meena Panchayat, Jaipur
2. Jaipur Rajya Meena Sudhar Sabha
3. Meena Kshatriya Maha Sabha, Jaipur
4. Rajasthan Adivasi Meena Sudhar Sabha
5. Rajasthan Meena Parishad
6. Rajasthan Vimukt Jati Sewak Sangh
7. Rajasthan Adim Jati Sewak Sangh
8. Madhya Bharat Meena Sudhar Sabha, Gwalior
9. Meenas Vikas Samiti, Indore
10. Hadoti Adivasi Meena Samaj Sudhar Mandal, Bundi
11. Hadoti Meena Sudhar Sangh, Bundi
12. Meena Apradh Nivarti Samiti, Sikar

13. Akhil Bhartiya Meena Adivasi Sabha, Alwar

If we look at the nature of Meena tribal movement before Independence we find that there were two major objectives of the movements firstly to restore the areas ruled by Meena chiefs and secondly to establish their solidarity as a tribe.

During the period of British rule British administrators had to confront with Meenas since they desired to put a stop to Meena raids, feuds in support of the allegedly harassed but actually the oppressing princely Rajput chiefs. In this process the Meenas were declared as a criminal tribe involved in nefarious activities. Therefore, the subdued and disarmed Meenas realised that they could not fight against the British and the Rajputs successfully. British and the Rajputs successfully.

During post-Independence years this movement was influenced by the coming of vaishnavism in Western India and the emergence of a charismatic leader popularly known as Muni Sugar marked the future course of the movement. The more effective Meena chiefs came under the influence of Vaishnavism and attempted to secure a Kshatriya status in the neighbouring Hindu society by imbibing the clan names and their origin. This resulted in giving a direction towards social mobility and thus the movement which started as a revolt due to oppression culminated into a social mobility movement.

References :

1. Todd, Col. James, 1914, "Annals and Antiquities of Rajasthan"; London, H. Milford, Oxford University Press, 1920.
2. Rizvi SHM, 1987, Meena, The Ruling Tribe of Rajasthan (Socio-biological Appraisal), B.R. Publication Corporation. Delhi.
3. Ibid
4. Ibid
5. Todd, Col. James, 1914, "Annals and Antiquities of Rajasthan"; London, H. Milford, Oxford University Press, 1920.
6. Rizvi SHM, 1987, Meena, The Ruling Tribe of Rajasthan (Socio-biological Appraisal), B.R. Publication Corporation. Delhi.
7. Ibid
8. Sinha, Surjit, ed. 'Interethnic Relations and Social Mobility Movements among some Tribes and Castes of Eastern and Central India.' Anthropological Survey of India Bulletin, No. 8. 1959.
9. Mahapatra, L.K. 'Social Movements Among Tribes of Eastern India'. Sociologus, 18, 1968.
10. Roy, Shibani & S.H.M. Rizvi. Dhodia Identity : Anthropological Approach. B.R. Publishers, New Delhi, 1985.

State Policies and Agrarian Society in Global Era : A Critical view

Dr. Priya Singh*

*Assistant Professor, Department of Sociology, Mahatma Gandhi Balika Vidyalaya P.G. College, Firozabad

Abstract : This paper is an attempt to analyze the impact of policies formulated by state from post independent era, on agrarian society and trying to describe a detailed account of it, in this context, also trying to understand role of state, before and after, the commercialization of agriculture. This paper is based on the secondary sources of literature. How advent of technological evolvement affects the agrarian society and transform the total structure of agrarian society and relationships network within it, which will resulted into various forms of crisis within agrarian society as farmers' suicide, indebtedness etc. How state is responsible for the whole contemporary agrarian scenario, which exist recently in Indian agrarian society and what are the major efforts now done by state for the welfare of those groups of people who are connected with land, in the form of their basic entitlement.

Keywords : Peasantry, Commercialization, Agrarian society, Global Era, Indian economy etc.

In 1947, after India's independence, the main goal of Indian government is to retrieve the Indian economy at that time. To fulfill this goal, it was necessary to develop the declining agrarian sector of Indian economy, because the prime basis of Indian economy is agriculture. At that time, policy makers in different five year plans, attempted at different level, to reduce the socio-economic inequality and to increase the agricultural productivity. As Congress agrarian reforms committee in 1949 suggested that for improvement in agricultural production and efficiency of land, it is necessary to improve the land system of country (Cited in A.R.Desai 1988). So, land reform program me has been introduced followed by land ceilings, tenancy reform act and land re-distribution system. As, many scholars in their study like P.C.Joshi analyzed that it became failed to achieve its goal (Cited in A.R.Desai 1988). In 1952 community development program has been introduced to transform the social and economic life of Indian agrarian villages but it also was partially successful (Cited in A.R.Desai 1988). Later in 1960s Green revolution introduced to enhance the food security and increase the capability of land to fulfill the need of that population forced to face the starvation in India which was a big challenge for the state at that time. In 1990s, panchayati raj system was introduced which further reproduced inequality in Indian agrarian society (Cited in A.R.Desai 1988).

In contemporary agrarian society a new phenomenon emerged in Indian agrarian scenario i.e. 'Agrarian Crisis'. Agrarian crisis refers to that state in agricultural scenario when groups of people directly/indirectly related with land were forced to face obstacle not only to important life goals but even to their basic primary needs also.

Thus for claiming of crisis in Indian agrarian society is a historically established fact rather from various studies of different dynasties of ancient and medieval history this fact has been emerged out that behind the decline of many dynasties, agrarian crisis was one of the main reasons. At this juncture, state that agriculture as an occupation is full of uncertainty and risk owing the fact that maximum region of India is totally depended on rainfall due to its heterogeneous geographical structure. Agrarian crisis is not the consequence of only one incident but rather it is the consequence of multiple incidents existing in Indian society. Scholars have analyzed agrarian crisis from various perspectives. As we all know that Indian agrarian society is diverse in nature not only from geographical perspective but from social, economic and political perspective also. Hence in every region of India there exist many causes for agrarian crisis. As some scholars found that 1960s Green revolution, 1990s economic reforms, Lack & ineffectiveness of institutional mechanisms and Commercialization of agriculture are some factors responsible for agrarian crisis in India (Gill & Singh 2006; Vaidyanathan A. 2006; Vasavi 1999). The major consequence of agrarian crisis which emerged in agrarian society is farmers' suicide, depeasantization, migration, food insecurity etc. In some studies, it is analyzed that commercialization of agriculture is the main cause of contemporary agrarian issues.

State, Peasantry and Rural Development : According to United Nations, rural development is a process of change. It includes efforts to improve the social, economic, political and cultural aspects of lives of rural people. Transformation from traditional way of life to progressive way of life is the main objective of rural development. Growth in crop-production, infrastructural development in rural areas, assurance of fair wages for agricultural laborers, further it also includes improvement in health, education sector also of rural areas. Sustainable and inclusive development is recent debate in rural development literature. If we consider the

Robert Chamber's book's title 'Rural development: putting the last first' that is the main agenda of rural development for the improvement in social, economic and cultural level of peasants' lives.

State has initiated Green revolution program in those regions initially where peasants are relatively in better positions and after some time all over the world. State has provided input resources in subsidized rate through this, big farm owners make more profits and mostly proportion of the small & middle farm owners get marginalized again in this commercialization process. Again after adaptation of LPG policy every class of landholders get affected as in some Indian states like Karnataka and Maharashtra big farm owners also get affected because they cannot able to get appropriate price of their produce, due to price fluctuations in international market. State has also change its preference from public sector to the private sector and end giving subsidy on input agricultural resources. Hence rise input cost of cultivation and open & privatized market economy increased the more problems for landholder's especially small and middle landholders.

In some parts of contemporary rural India, there are still some people forced to face the issue of starvation. As Amartya Sen, define it as the characteristic of some people not having enough food to eat. Starvation can be understood in terms of ownership, which a person actually has if for that the exchange entitlement set does not contain any feasible bundle including enough food. A person's exchange entitlement means the set of all the alternative bundles of commodities which he can acquire in exchange for what he owns that is called the 'exchange entitlement' of what he owns. A person's position in the economic class structure as well as the modes of production in the economy, determine his exchange entitlements or his purchasing power. As Amartya Sen, he describes that ownership relations are one kind of entitlement relations. He define entitlement relations as that kind of ownership which connects one set of ownership to another through certain rules of legitimacy which are of very important in Indian agrarian society. Amartya Sen also talked about another types of entitlements which are accepted in a private ownership market economy, these are trade based entitlement, production based entitlement, own labor entitlement and also inheritance and transfer entitlement. These all are affected the lives of peasantry directly or indirectly. If peasantry lacked any one of them then they have to suffer for their basic need's fulfillment. So a person's ability to avoid starvation will depend on both his ownership and on the exchange entitlement mapping and the forces that lie behind them.

Hence the role of state is important here in determining a person's exchange entitlements in terms of social security and employment entitlements. It supposed to be moral and legal duty of state that it should provide entitlement to its every citizen. According to oxford dictionary, entitlement refers to 'the belief that one is inherently deserving of privileges or special treatment' or also can say that 'A government scheme that provides benefits to any individual meeting certain eligibility requirements'.

State policies and its Implications on agrarian society : The main basis of agrarian society was joint family and communal ownership of village on land which mutually and strongly interconnected the whole population of village. They collectively obliged for mutual sharing of profit /loss in agricultural and allied activities before the British rule over India. Overall one can say that they collectively able to cope up with themselves with any kind of stress or crisis. But as A.R.Desai (2012) in his work talked that Britishers have abolished the communal ownership of land and through permanent settlement system started Zamindari system in which the real owner of land was zamindars not peasants or tenants who actually work on these lands. Britishers have done this for collecting more tax and for production of raw materials for established industries by them.

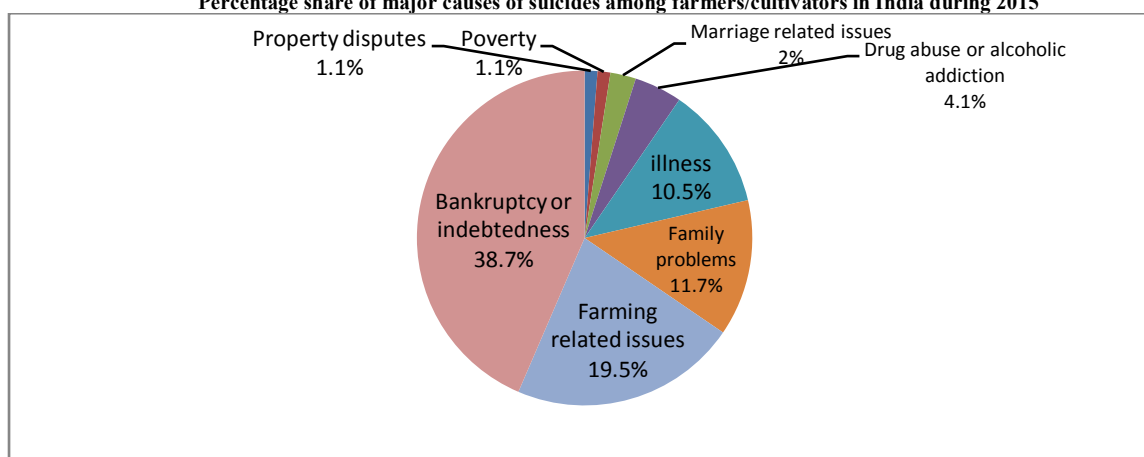
After green revolution which has been introduced in 1960s in India, main goal behind it to ensure the food insecurity and to increase the efficiency of land i.e. agricultural productivity. For the successful implementation of this program, government established various institutions to provide the modern agricultural resources like HYVs, tractors, threshers, pesticides etc, at subsidized rate to the farmers. Initially, this program has been implemented in those regions where farmers are relatively in better positions and agricultural resources like water, electricity available easily. Government has been also established FCI- Food Corporation of India, the purpose behind it to collect the grains from farmers and store that for the future use.

Figure-1
Suicide rates in farming sector during 2014-2015



Source: Accidental Deaths & Suicides in India 2015

Figure-1A
Percentage share of major causes of suicides among farmers/cultivators in India during 2015



Source : Accidental Deaths & Suicides in India 2015

As we all know the effect of implementation, impact and consequences of green revolution in agrarian society. Peasants who produced for their own consumption started producing for market. Cash crops, fertilizers, pesticides, use of new technologies in agricultural practices like tractor, harvester, thrasher and use of new methods for irrigation like canals, tube wells etc started increasing the input cost of cultivation (Desai A.R. 2006). So dependency on loan whether from formal or informal sources have been increased among peasantry. Further, production has been increased and surplus produce has been sold by farmers to get profit hence accumulation of money has been centralized in few hands in agrarian society. It helps in developing a new economically politically affluent class in Indian agrarian society (Jodhka 2006).

Due to the indebtedness, failure of crops and commoditization of land process of depeasantization has been started. Proletarianization has also been increased especially among small and marginal farmers. Consequently migration from rural to urban area has been increased; it has resulted in feminization of agriculture.

Hence Green revolution which has been implemented to ensure the food security in all India due to modernized input methods adapted during this program me adversely affected the soil quality, availability of water for irrigation. Deficiency in rainfall is also one of the main reason because most of the area in India is still totally dependent on rainfall, crop-failure due to various reasons like climate change, getting trapped in indebtedness are some of the main reasons adversely affected the peasantry especially small and marginal peasants. In these situations, small and marginal peasants have forced to face adverse condition in which they can't even able to fulfill their basic needs say *do Junekiroti*. Many scholars also analyzed in their study that availability of food grains through PDS system is not sufficient for those rural families have larger size. Specifically, small and marginal farmers, who have small size landholdings, were forced to face issue of food insecurity. Because failure of one crop-cycle due to various reasons, like insufficient rainfall, drought or some other reasons, non-repayment of debt (taking at that crop-sowing period), which has been failed now, keep them excluding from credit market as well as from social relations. So in this condition, they also have to survive, even to fulfill their basic needs i.e. they have forced to struggle for ensuring food security of themselves and their family also. Due to this, indebtedness some are forced to sell their land especially small

and marginal landholders (Jodhka 2006). Some started selling their land due to non-profitability attached with it especially small and marginal landholders leave or sell their land and became wage laborers. As Lenin (2009) in his work in context of Russian peasantry found that middle peasantry always fluctuates in uncertain condition if their crop being success then they live in good conditions but if their crop production became failed then the consequences of it can be found in their migration and/or depeasantization process. Land is not enough and only source for peasantry to fulfill their basic needs nowadays so they are forced to migrate in urban areas for earn something to fulfill their basic needs and other family needs. Every person has not the ability to cope up themselves with adverse conditions. Like some migrate to other regions if agriculture is not the beneficiary for them some started doing something else like shop keeping, some became wage laborers but few are those who forced to face suicidal kind of attempts due to various social, economical and psychological reasons.

Conclusion : It is true that after Independence, through various programmes and policies, state has become partial successful to achieve those goals that is fixed by policy makers i.e. to remove inequality especially in context of land ownership and also to ensure the issue of food security. But as I already analyzed that these success are partial. To achieve these targets whatever efforts have been done by the state whether in the form of land reform programmers or through the panchayati raj system by empowering the groups of marginalized sections in the form of reservation and through PDS system by ensuring their basic requirement of food, but all these resulted with partial success and with some new challenges in rural areas.

The whole process of Green revolution has been started in India to achieve the status of food sovereign state in all over world and to ensure the food security of its every citizen. This target has been achieved by state but many more adverse consequences also have been emerged with this food security policy which resulted with the emergence of crisis in agrarian sector in various forms as indebtedness, farmers' suicides, input cost of cultivation. Crop production is very uncertain occupation mostly in rainfall dependent regions. If by chance crop production became successfully, maximum proportion of it goes to the market, because to fulfill the other needs of their family members, s/he has to sell their crops to the market if s/he totally depended on agriculture, Where he can't even get that amount of money equivalent to input cost of cultivation. It is very difficult to fulfill their basic needs even with the help of these few resources. Various programmes and policies like PDS system, Antyodaya Anna Yojana is not sufficient for the requirement of their basic needs. As various regional studies, talked about the corruption, issue of quality of food grains etc involved within these programmes (Swaminathan A.M. 2009).

One can say that now peasants are getting started aware for their basic rights, it is just a start from their side now they don't want to choose option like suicide for their problems but they want a solution, can say in the form of their entitlements. Within entitlement for peasantry can include cheap loans, input resources for agriculture at cheapest price rates, justified price for their produce, awareness for exact use of modern input methods, From long years ago, there is a lack of direct interaction between the state and the peasantry now it has been started. It is a good sign in democratic nation that the passive receivers are now turn into active participators for their welfare.

References :

1. Bernstein, Henry, 2001, 'The Peasantry' in global capitalism: who where and why?. *Socialist Register*
2. Bose, N.K. 2013. Peasant life in India: Unity and Diversity, Rawat Publications
3. Desai, A.R., (1988), *Rural Sociology in India*, Popular prakashan
4. Desai, A.R., 2012, Social background of Indian Nationalism, Macmillan Publications
5. Edelman Marc., 2013, What is a peasant? What are Peasantries? A briefing paper on issues of definition. *Rights of peasants and other people working in Rural areas, Geneva, 15-19 July 2013*
6. Gill, Anita, and Singh, Lakhwinder, (2006), Farmers' suicides and response of public policy: Evidence, Diagnosis and Alternatives from Punjab. *Economic and political weekly*, vol.41, no.26, pp.2762-2768.
7. Jodhka Surinder, S. (2006), Beyond 'Crises': Rethinking contemporary Punjab Agriculture, *Economic and Political Weekly*, Vol.41, No.16, pp.1530-1537
8. Lenin, 2009, *The Development of capitalism in Russia vol.3*, Progress publishers
9. Sahay Gaurang, R. "Globalization, liberalization and Agrarian distress: A study of suicides among farmers in India". *Paper for VI. Global Labour University Conference, Berlin*.
10. Sen, Amartya, 2012, *Poverty and Famines: an essay on entitlement and deprivation*. Oxford university press
11. Swaminathan, A.M. 2009, Food security: policy options for Tamilnadu. Academic foundation in New Delhi
12. Vaidyanathan A. (2006). 'Farmers' suicides and the Agrarian crisis', *Economic and political weekly*, Vol.41, No.38, pp.4009-4013.
13. Vasavi, A.R. (1999), Agrarian Distress in Bidar: Market, State and Suicides. *Economic and Political Weekly*, vol.34, no.32, pp.2263-2268
14. Singh, Priya, 2022, Dynamics of Agrarian Structure and changing Agrarian Relations: a sociological study in rural areas of Bundelkhand region. Doctoral Dissertation, University of Allahabad, Prayagraj

Leadership Alchemy: Unraveling the Effects of Leadership Styles on Employee Well-being in Azamgarh's College Environment

Subbhan Allah Siddiqui*

*Research Scholar, Department of Commerce, Shibli National College, Azamgarh, U.P.

Dr. Mohammad Salman Ansari**

**Associate Professor, Department of Commerce, Shibli National College, Azamgarh, U.P.

Abstract : This research investigates how different leadership styles impact the well-being of employees in the degree colleges of Azamgarh district. By studying various leadership styles, we aim to understand their effects on employee well-being. Through data collected from college staff, we explore how leadership styles relate to employee well-being. The findings provide useful insights into leadership practices that positively influence the well-being of employees in this specific context. This study offers practical suggestions for creating a supportive work environment and enhancing the overall well-being of employees in similar settings.

Keywords : Higher Educational Institutions ,Well-being, Transactional Leadership, Transformational Leadership, Laissez-faire Leadership etc.

Introduction : Leadership is a concept that has been studied and discussed for centuries, resulting in various definitions and perspectives on what it truly means. In general, leadership is often described as the ability to inspire and motivate a group of people to work together towards a common goal. It involves being able to influence and guide individuals towards achieving a shared vision or objective. This study investigates how different leadership styles impact the well-being of employees in the degree colleges of Azamgarh district.

Literature Review:

The Full Range of Leadership Theory (FRLT) : FRLT is an all-inclusive theory of leadership that includes "transformational", "transactional", and "laissez-faire leadership" styles ^[1].

Transformational Leadership Style : Transformational leadership style is a way of leading that is defined as "leader behaviours that change and inspire followers to do more than expected while putting the organization's needs ahead of their own"^[2(p. 423)]. The most crucial aspect of transformational leadership is its definition of leadership as an ethical means of positively influencing followers and institutions ^[3-8]. So, we can say that "transformational leaders" are charismatic, honest, forward-thinking, self-assured, and have the inner motivational power to stand with the right decision at the right time^[6,9-14].

Transactional Leadership Style : The FRLT ^[1] includes transactional leadership as the second type of leadership style in its framework. A sort of exchange-based leadership known as "transactional leadership" places an emphasis on rewards that are tied to one's level of performance as well as the significance of maintaining open lines of interaction between a leader and their followers ^[16]. The term "transactional leader" was used by Burns (1978) to refer to a "leader who approaches followers with the intention of exchanging one item for another" (p. 4).

Laissez-Faire Leadership Style : Last but not least, the third leadership style included in the FRLT ^[1] is laissez-faire leadership, which has been variously referred to as "no leadership" ^[16-19], "absence of leadership" ^[20,21], "non-leadership" ^[22], or "non-transactional leadership" ^[23].

Employee-wellbeing : Well-being has been conceived of in numerous ways by various academic fields. Aristotle's concept of eudemonia (happy) provided the foundation for the earliest well-being ^[24]. Gallagher, Lopez, and Peacher (2009) recently given the concept of well-being in terms of "eudemonic", "hedonic" and "social well-being". Also, research scholars have split well-being into two categories: "context-free well-being" (such as generalised "psychosomatic problems") ^[25] and "context-specific well-being" (such as "job satisfaction")^[26].

Objective : To investigate the relationship between leadership styles under the Full Range Leadership Theory (FRLT) and employee well-being within the degree colleges of Azamgarh district, in order to understand the impact of different leadership styles on employee well-being.

Hypotheses :

1. **Hypothesis 1a:** There is a positive effect of transformational leadership on employees' well-being of degree colleges of Azamgarh district.
2. **Hypothesis 1b:** There is a positive effect of transactional leadership on employees' well-being of degree colleges of Azamgarh district.
3. **Hypothesis 1c:** There is a negative effect of laissez-faire leadership on employees' well-being of degree colleges of Azamgarh district.

degree colleges of Azamgarh district.

Sampling Design :

Target Popolation : The population of the study includes all the faculty members including Principals, HoDs and teaching staff serving in the degree colleges (Government Degree Colleges ,Govt-Aided Colleges , &Private Colleges) of Azamgarh district.

Sampling Method : In this research study, the researcher utilized the convenience sampling method to select sample units from the target population.

Sample Size : The study collected data from 41 degree colleges affiliated with Maharaja Suhel Dev State University in Azamgarh, Uttar Pradesh. The researcher determined a sample size of 341 faculty members, which is considered sufficient to represent the population. By using the Robert V. Krejcie [12] method to determine the sample size, the final results of the study can be generalized to the target population.

Research Methods :

Correlation Analysis : In order to investigate the relationships between various variables, Pearson product-moment correlations were utilized.

Table 1. Correlation between Transformational ,Transactional, Laissez-faire Leadership and Employee Well-being

Variable		1	2	3	4
1. Transformational Leadership	Pearson correlation Sig.(2-tailed)	1			.43**
2. Transactional Leadership	Pearson correlation Sig.(2-tailed)		1		.24**
3. Laissez-faire Leadership	Pearson correlation Sig.(2-tailed)			1	-.38**
4. Well-being	Pearson correlation Sig.(2-tailed)	.43**	.24**	-.38**	1

Note: ** Significance at .01 levels (2-tailed)

Regression Analysis for Well-being : Regression analysis was done to look at the relationship between the predictor variables (transformational, transactional, and laissez-faire leadership) and the dependent variable (employee wellbeing).

Step1: In the first step of the regression analysis, all of the demographic variables (gender, age, designation, tenure at the college, and tenure under the current leader) were put into the multiple regression. The model wasn't statistically significant and could only explain 1.6% of the variance of Well being of employees (see Table 2).

Step2: In Step 2, the model accounted for an additional 20.4%(that is total of 22 percent) of the variance in wellbeing, with the addition of leadership styles (transformational, transactional, and laissez-faire) as predictors. In this step, age, designation, and tenure under the current leader were no longer significant predictors of wellbeing, while transformational leadership was a significant positive predictor and laissez-faire leadership was a significant negative predictor.

Table 2: Hierarchical regression model of wellbeing

	R	R ²	R ² Change	SE	β	t
Step1	.125	.016	.016			
Gender				.06	.02	.33
Age				.06	.07	1.13
Designation				.06	.06	1.06
Tenure at the college				.06	-.05	-.75
Tenure under current leader				.06	-.06	-1.00
Step2	.469	.220	.204***			
Gender				.05	.00	.05
Age				.05	.09	1.64
Designation				.05	.01	.25
Tenure at the college				.06	-.02	-.44
Tenure under current leader				.05	-.07	-1.24
Transformational leadership				.07	.35	4.44***
Transactional leadership				.06	-.06	-.94
Laissez-faire leadership				.06	-.19	-2.85**

Note: Statistical significance: * $p < .05$; ** $p < .01$; *** $p < .001$

Findings :

Impact of Transformational Leadership styles on Well-Being :

Hypothesis (1a) : The identification of the significant impact of leadership styles on employee well-being in the degree colleges of Azamgarh was one of the significant contributions of this study. The correlational analysis revealed a robust positive association between transformational leadership and employee well-being (See Table 1). Furthermore, the regression analysis results highlighted that transformational leadership is an

effective predictor of employee well-being (See Table 2), substantiating the hypothesis that a transformational leadership style is conducive to enhancing employee well-being (hypothesis 1a).

Impact of Transactional Leadership styles on Well-Being :

Hypothesis (1b) : In this study, the correlation analysis between transactional leadership and employee well-being revealed a positive correlation (See Table 1), however, the hierarchical regression analysis did not establish a significant relationship between these two variables (See Table 2). Thus, the findings of this study do not support the hypothesis that a transactional leadership style has a positive effect on employee well-being in degree colleges of Azamgarh district (hypothesis 1b).

Impact of Laissez-Faire Leadership styles on Well-Being :

Hypothesis (1c) : The current study discovered a negative impact of laissez-faire leadership on employee well-being (See Table 1 & Table 2). This result confirms the hypothesis that this style of leadership will negatively affect the well-being of employees in the degree colleges of Azamgarh district (hypothesis 1c).

Implications of the Present Study : The findings of the current study have significant implications for both research and practice in the Higher Education System (HES).

- The study highlights the importance of social and temporal factors that influence shared goals and values in degree-college settings. This recognition can help HEIs to develop more effective recruitment and leadership development practices that can help to create a more cohesive and collaborative work environment.
- Moreover, the study's results can also guide leadership practices in HEIs by suggesting that effective leadership development programs should focus on enhancing leaders' abilities to understand and respond to the needs and concerns of their employees.
- In light of the findings, degree colleges should prioritize the recruitment and hiring of academic staff and leaders who exhibit the characteristics of transformational leaders.

Conclusion : Based on the results of the quantitative and qualitative analysis conducted in this study and in combination with the existing literature, it can be inferred that leadership styles has a significant impact on employee well-being within the degree colleges of Azamgarh district. The study shows that transformational leadership positively affects employee well-being, while laissez-faire leadership has a negative effect on employee well-being, consistent with the extent literature. The study also suggests that transactional leadership has no significant effect on employee well-being.

References :

1. Avolio, B. J., & Bass, B. M. (1991). The full range of leadership development: Basic and advanced manuals Binghamton, NY: Bass & Avolio.
2. Avolio, B. J., Walumbwa, F. O., & Weber, T. J. (2009). Leadership: Current theories, research, and future directions. *Annual Review of Psychology*, 60, 421–449.
3. Braun, S., Peus, C., Weisweiler, S., & Frey, D. (2013). Transformational leadership, job satisfaction, and team performance: A multilevel mediation model of trust. *The Leadership Quarterly*, 24(1), 270–283. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2012.11.006>
4. Burke, C. S., Stagl, K. C., Klein, C., Goodwin, G. F., Salas, E., & Halpin, S. M. (2006). What type of leadership behaviors are functional in teams? A Meta-Analysis, 17(3), 288–307. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2006.02.007>
5. Hur, Y. (2011). Van den Berg, P. T., & Wilderom, C. P. M. Transformational Leadership as a Mediator between Emotional Intelligence and Team Outcomes, 22(4), 591–603. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2011.05.002>
6. Jin, S., Seo, M.-G., & Shapiro, D. L. (2016). Do happy leaders lead better? Affective and attitudinal antecedents of transformational leadership. *The Leadership Quarterly*, 27(1), 64–84.
7. Northouse, P. G. (2012). *Introduction to leadership: Concepts and practices* (2nd ed.). Sage.
8. Saleem, H. (2015). The impact of leadership styles on job satisfaction and mediating role of perceived organizational politics. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 172, 563–569.
9. Cho, J., & Dansereau, F. (2010). Are transformational leaders fair? A Multi-Level Study of Transformational Leadership, Justice Perceptions, and Organizational Citizenship Behaviors, 21(3), 409–421. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2010.03.006>
10. Deichmann, D., & Stam, D. (2015). Leveraging transformational and transactional leadership to cultivate the generation of organization-focused ideas. *The Leadership Quarterly*, 26(2), 204–219.
11. Kim, S., Magnusen, M., Andrew, D., & Stoll, J. (2012). Are transformational leaders a double-edged sword? Impact of transformational leadership on sport employee commitment and job satisfaction. *International Journal of Sports Science & Coaching*, 7(4), 661–676.
12. Lowe, K. B., & Gardner, W. L. (2001). Ten years of the leadership quarterly: Contributions and challenges for the future. *The Leadership Quarterly*, 11(4), 459–514.
13. Mishra, A. K., & Upadhyay, R. K. (2022). Transformational Leadership and Organizational Commitment: A Higher Educational Institutions Perspective. *Vision*, 09722629221096056.
14. Simola, S. K., Barling, J., & Turner, N. (2010). Transformational leadership and leader moral orientation: Contrasting an ethic of justice and an ethic of care. *The Leadership Quarterly*, 21(1), 179–188. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2009.10.013>

15. Kelloway, E. K., Turner, N., Barling, J., & Loughlin, C. (2012). Transformational leadership and employee psychological well-being: The mediating role of employee trust in leadership. *Work & Stress*, 26(1), 39–55.
16. Aydin, A., Sarier, Y., & Uysal, S. (2013). The Effect of School Principals' Leadership Styles on Teachers' Organizational Commitment and Job Satisfaction. *Educational Sciences: Theory and Practice*, 13(2), 806–811.
17. Bass, B. M. (1990). *The Bass handbook of leadership, theory, research & managerial applications*, (4th ed.). Free Press.
18. Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1993). Transformational leadership: A response to critiques. In M. Chemers & A. Ayman (Eds.), *N M* (pp. 49–80). Academic Press.
19. Lam, C. S., & O'Higgins, E. R. (2012). Enhancing employee outcomes: The interrelated influences of managers' emotional intelligence and leadership style. *Leadership and Organization Development Journal*, 33(2), 149–174.
20. Avolio, B. J., & Bass, B. M. (2004). *Multifactor Leadership Questionnaire. Manual and Sampler Set* (, 3).
21. van Eeden, R., Cilliers, F., & van Deventer, V. (2008). Leadership styles and associated personality traits: Support for the conceptualisation of transactional and transformational leadership. *South African Journal of Psychology*, 38(2), 253–267.
22. Limsila, K., & Ogunlana, S. O. (2008). Performance and leadership outcome correlates of leadership styles and subordinate commitment. *Engineering, Construction and Architectural Management*, 15(2), 164–184.
23. Antonakis, J., Avolio, B. J., & Sivasubramaniam, N. (2003). Context and leadership: An examination of the nine-factor full-range leadership theory using the Multifactor Leadership Questionnaire. *The Leadership Quarterly*, 14(3), 261–295.
24. Dodge, R., Daly, A., Huyton, J., & Sanders, L. (2012). The challenge of defining wellbeing. *International Journal of Wellbeing*, 2(3), 222–235. <https://doi.org/10.5502/ijw.v2i3.4>
25. van Dierendock, D., Haynes, C., Borrill, C., & Stride, C. (2004). Leadership behaviour and subordinate wellbeing. *Journal of Occupational Health Psychology*, 9(2), 165–175.
26. Grebner, S., Semmer, N. K., & Elfering, A. (2005). Working conditions and three types of well-being: A longitudinal study with self-report and rating data. *Journal of Occupational Health Psychology*, 10(1), 31–43.

Emerging Socio-Economic Reasons Driving Out-Migration from Asansol City : A Demographical Analysis

Priyanka Thakur*

*Department of Geography, Banaras Hindu University, Varanasi, U.P.

Abstract : When individuals relocate within a country for socio-economic reasons, it's called out-migration. In Asansol city, there's a noticeable disparity in the migration patterns between genders. Men predominantly migrate for employment or business opportunities, whereas women tend to move due to social factors like marriage or family obligations. The study aims to understand the reasons behind out-migration from Asansol and to propose effective solutions to address these issues. The methodology involved selecting 2365 respondents through a purposive random sampling technique through a field survey in 2021 to gather insights into the current situation in the study area. The research concludes that Asansol faces challenges in generating employment opportunities, which leads its residents to seek livelihoods elsewhere. This suggests a need for policy interventions or initiatives to improve economic prospects within Asansol and curb out-migration.

Keywords : Out-migration, Marriage migration, Asansol City, Employment migration, Economic downfall, Future prospects etc.

Introduction : The out-migration of people from Asansol to different destinations for socio-economic advancement has captured the attention of scholars across various academic disciplines, extending beyond geography alone. This trend is primarily attributed to the gradual decline in the economic condition of the area earmarked for study. Once celebrated for its flourishing socio-economic vitality, Asansol was a preferred destination for individuals seeking enhanced living standards and promising prospects for the future (Singh, M. and Siddique, G. 2020, p.87; Dey, M., 2016, p.460; Basu, M., 2018, p. 281; Singh, M. and Siddique, G. 2019). However, as time has progressed, the economic stature of this region has witnessed a steady erosion, leading to its incapacity to adequately cater to the needs of its residents and facilitate improved and higher income opportunities (Sarkar, R. 2019, p.277). The decision-making process regarding migration is complex and deeply personal, influenced by many factors, including economic circumstances, family dynamics, cultural values, and individual aspirations. When individuals lack the means to finance their entire family's relocation, they may migrate alone to pursue job prospects and enhance their financial circumstances.

Among various reasons for out-migration, people lack access to basic necessities such as food, shelter, education, and healthcare due to low income. Thus, they seek better opportunities elsewhere to improve their standard of living. High levels of unemployment or underemployment in the city also compelled individuals to migrate in search of job opportunities that match their skills and qualifications (Haan de A., 1995, p.54). Lack of employment prospects can lead to economic stagnation and drive people to seek better chances elsewhere. People also felt compelled to migrate to areas with better resources and services in such places.

Addressing these root causes of forced migration requires comprehensive strategies focusing on poverty alleviation, job creation, and sustainable development. The present study will also explore how investments in education, healthcare, infrastructure, and economic diversification can alleviate individuals' need to migrate in pursuit of improved prospects.

Objectives : The present study aims to 1) highlight the age, sex, and reasons for out-migration; 2) social group, sex, and reasons for out-migration; 3) educational level, sex, and reasons for out-migration; 4) economic activities, sex and per-capita monthly income of out-migrants.

Methodology : Methodology plays a crucial role in research, enabling a comprehensive exploration of the natural world through descriptive and scientific analysis of data obtained from field survey. A purposive random sampling technique was employed to select participants, and primary data was collected through a household-level schedule in 2021. A total of 1621 respondents were selected using purposive random sampling for the proposed study.

Study Area : Asansol City is positioned within the geographical coordinates of 23° 24' to 23° 53' north latitude and 86° 48' to 87° 32' east longitude. Its territorial expanse covers an area of 125 square kilometers. Situated on the lower Chota Nagpur Plateau, Asansol City is characterized by a geological composition consisting of meta-based rocks from the Precambrian era, Rajmahal basalt, and Gondwana sedimentary rocks.

Analysis : This section deals with the age, sex, social group, educational level, economic activities, and per-capita-wise monthly income of out-migrants in Asansol City.

Age Group, Sex, and Reason of Out-Migration : As individuals reach the age of 15 years and above, there is an increase in mobility for various socio-cultural reasons. Analysis of available data shows that 54 percent of males aged 15-34 moved out mainly due to better job opportunities (Naidu, V.N., 1995, p. 69; Valiunine, V.K., 2016, p. 728). Apart from better employment prospects, the second largest proportion of males has left the study area to pursue higher education (Ali, Md. Hasan, 2018, p.18192). Based on the above analysis, it is clear that the migration process differs significantly between males and females. Economic factors primarily drive male migration, while marriage significantly influences female migration (Mukherjee, J., Saha, A. and Mukherjee, S., 2019, pp.284-285; Hossain, M. et al. 2023, pp.39-40). In the case of married women, their migration depends on their husbands' decisions. The data in the table reveals that marriage is the primary reason of the migration of 83 percent of women.

However, as individuals grow older, the propensity to migrate decreases (Zaiceva, A., 2014, p.1). Old people, usually 60 years and older, migrate less than younger and older people. The analysis shows that 4.5 percent of men and 1.4 percent of women moved out of Asansol City. This is because they prefer to spend the remaining years of their life in their native place after retirement.

Table: 1 Pattern of Out-Migration by Age Group, Sex and Reason

Age Group	Reason of Out-Migration										Total Out-migrants	
	Marriage		Employment		Education		Family Moved		Others			
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
0-4							4	8			4	8
							100.0*	100			(1.1) [†]	(0.6)
5-14					3	3	9	7	2	4	14	14
					21.4	21.4	64.3	50.0	14.3	28.6	(3.7)	(1.1)
15-34	3	731	150	28	121	76	2	37	1	5	277	877
	1.1	83.4	54.2	3.2	43.7	8.7	0.7	4.2	0.4	0.6	(73.3)	(70.6)
35-59	1	312	59	5	6	3		5		2	66	327
	1.5	95.4	89.4	1.5	9.1	0.9		1.5		0.6	(17.5)	(26.3)
60 and Above								2	17	15	17	17
								11.8	100.0	88.2	(4.5)	(1.4)
Grand Total	4	1043	209	33	130	82	15	59	20	26	378	1243
	(1.1)	(83.9)	(55.3)	(2.7)	(34.4)	(6.6)	(3.9)	(4.7)	(5.3)	(2.1)	(100.0)	(100.0)

Source: Field survey, 2021

Note : *Unbracketed lower decimal figures are the percentages to total males or females of respective age group

+Bracketed lower decimal figures are the percentages to grand total surveyed males or females

Social Group, Sex, and Reason of Out-Migration : Table 2 shows that social group-wise reason for migration plays a significant role in determining the pattern of out-migration. This indicates that most men in general and OBC (Other Backward Classes) categories migrated out for quality education. On the other hand, men belonging to SC (Scheduled Caste), ST (Scheduled Tribe), and Muslim categories out-migrated mainly for better employment opportunities.

Further information emphasizes the migration pattern and the reasons for the general caste out-migration. It said that 77.8 percent of married women in the general caste had migrated with their husbands after marriage. After marriage, education is this group's second most important reason for female migration (Rauscher, E and Song, H. 2022, p.1148). This is because of the tendency of the upper caste population to provide better education to their daughters or sisters and give them more freedom to choose their careers. In contrast, backward caste people prefer to save money for their daughters' marriage rather than invest in their daughters' education. Approximately 55.2 percent of male out-migrants from the General caste chose to migrate to pursue higher education and gain valuable skills from esteemed institutions. After education, the second-largest percentage of men migrated for employment opportunities. They perceive education as a pathway to upward mobility and better opportunities in the long run, and this is because education can be seen as a way to gain knowledge, skills, and qualifications, as well as personal growth and intellectual development that can lead to better employment prospects in the future (Ali, Md. Hasan, 2018, p.18192). The OBCs and the general caste people have a similar migration pattern.

However, in the case of Scheduled Tribes and Muslims, the effect of education as a reason for migration is negligible. This may be because ST and Muslim communities often face socioeconomic challenges, including low income levels, limited access to better and quality education, and fewer opportunities for upward mobility. As a result, their priorities for migration are more focused on immediate employment or economic stability rather than pursuing higher education.

Table: 2 Pattern of Out-Migration by Social Group, Sex and Reason

Social Group	Reason of Out-Migration										Total Out-migrants	
	Marriage		Employment		Education		Family Moved		Others		M	F
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
Gen	1	175	35	9	53	30	4	5	3	6	96	225
	1.0*	77.8	36.5	4.0	55.2	13.3	4.2	2.2	3.1	2.7	(25.4) ⁺	(18.1)
OBC	2	168	43	13	49	31	7	22	14	11	115	245
	1.7	68.6	37.4	5.3	42.6	12.7	6.1	9.0	12.2	4.5	(30.4)	(19.7)
SC		196	37	6	25	15	1	14	2	2	65	233
		84.1	56.9	2.6	38.5	6.4	1.5	6.0	3.1	0.9	(17.2)	(18.7)
ST		207	26	3	2	6	2	8	1	1	31	225
		92.0	83.9	1.3	6.5	2.7	6.5	3.6	3.2	0.4	(8.2)	(18.1)
Muslim	1	297	68	2	1		1	10		6	71	315
	1.4	94.3	95.8	0.6	1.4		1.4	3.2		1.9	(18.8)	(25.3)
Grand Total	4	1043	209	33	130	82	15	59	20	26	378	1243
	(1.1)	(83.9)	(55.3)	(2.7)	(34.4)	(6.6)	(3.9)	(4.7)	(5.3)	(2.1)	(100.0)	(100.0)

Source: Field survey, 2021

Note : *Unbracketed lower figures are the percentages to total males or females of respective social group

+Bracketed lower figures are the percentages to grand total surveyed males or females

Educational Group, Sex, and Reason of Out-Migration : Education plays a vital role in migration decisions as it provides individuals with knowledge of modern technologies and awareness of the intellectual world, enhancing their quality of life and work (Obire, O., 2020, p. 239). In their current location, there needs to be more than enough job opportunities that match the skills and abilities of individuals with primary, secondary, or higher secondary education. This shortage may force them to look for employment options elsewhere. Also, a sluggish job market or low wages at their current location may motivate individuals to seek better employment opportunities in areas with a more favorable economic outlook. However, a slightly different scenario can be observed for migrants who have acquired undergraduate (UG) and postgraduate (PG) qualifications. Their choice of tech and non-tech skill acquisition becomes a key factor in determining the economic returns they will receive at their destination. These decisions significantly affect their chances of better financial outcomes in the new location (Dustman, C. and Glitz, A., 2011, p. 5; Chakraborty, M. et al., 2022, p. 432). In contrast, women, regardless of their literacy level, often migrate primarily for marriage purposes. Socially induced factors such as marriage play an essential role in the migration of women. Interestingly, thirty-four percent of women who have completed their undergraduate (UG) qualifications have migrated to pursue further education. Similarly, a similar pattern can be seen among postgraduate (PG) and higher-qualified women who migrate for advanced education. This suggests a negative relationship between educational achievement and marriage. As the level of education increases, the tendency to migrate decreases. However, it has also been reported that some highly educated women have migrated for better job opportunities or higher pay.

In summary, it can be concluded that among the total out-migrants, the percentage of highly qualified female out-migrants is significantly lower compared to male migrants.

Table : 3 Educational Group, Sex and Reason wise Pattern of Out-Migration

Educational Group	Reason of Out-Migration										Total Out-migrants	
	Marriage		Employment		Education		Family Moved		Others		M	F
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
Illiterate		114					5	11		10	5	135
		84.4*					100.0	8.1		7.4	(1.3) ⁺	(10.9)
Primary		304	5	1	2		6	5	5	6	18	316
		96.2	27.8	0.3	11.1		33.3	1.6	27.8	1.9	(4.8)	(25.4)
Secondary	1	337	28	1	3	4	3	20	12	8	47	370
	2.1	91.1	59.6	0.3	6.4	1.1	6.4	5.4	25.5	2.2	(12.4)	(29.8)
Higher Secondary		222	72	9	15	9		10	3	1	90	251
		88.4	80.0	3.6	16.7	3.6		4.0	3.3	0.4	(23.8)	(20.2)
UG	3	63	97	19	103	49	1	13		1	204	145
	1.5	43.4	47.5	13.1	50.5	33.8	0.5	9.0		0.7	(54.0)	(11.7)
PG and Above		3	7	3	7	20					14	26
		11.5	50.0	11.5	50.0	76.9					(3.7)	(2.1)
Grand Total	4	1043	209	33	130	82	15	59	20	26	378	1243
Total	(1.1)	(83.9)	(55.3)	(2.7)	(34.4)	(6.6)	(3.9)	(4.7)	(5.3)	(2.1)	(100.0)	(100.0)

Source : Field survey, 2021

Note: *Unbracketed lower figures are the percentages to total males or females of respective educational group
+Bracketed lower figures are the percentages to grand total surveyed males or females

Economic Activities, Sex, and Per-Capita Monthly Income wise Out-migration : Per-capita monthly income is the major factor for the higher standard of living and better quality of life (Dey, M., (2016, p. 461). The 6 table highlights the different income levels of male and female out-migrants engaged in household industrial work. This indicates that most male out-migrants earn a higher income of Rs 15,000 to Rs 25,000 monthly and above. In contrast, a notable proportion of women migrants earn between Rs 5,000 and Rs 10,000 monthly. For example, men work longer than 10 hours daily, while women usually work part-time (Banerjee, P. and Das, B. 2021, p. 140).

Teaching, accounting, engineering, medical, and administrative work have long been considered prestigious occupations. As a result, these fields tend to attract highly qualified and skilled individuals. Our sample study observed that many Hindu-educated men and women are employed in these professions and earn more than 25000 rupees per month (Chakraborty, M. et al., 2022, p. 431). The second-largest proportion of male and female migrants falls into the income range of up to 25000 rupees per month.

In addition to these professions, migrants also earn substantial income from other jobs such as barber, beautician, and security guard roles. Interestingly, only one female migrant in the sample data earned more than 25000 rupees monthly as a beautician. It is crucial to note that income disparities exist within these occupations based on specialized skills and expertise, high demand for essential services, high education level and technical training, career progression, experience, location, region, and personal interaction skills.

Table : 4 Pattern of Out-Migrants by Economic Activity, Per-Capita Monthly Income and Sex

Economic Activities	Per Capita Monthly Income												Total Out-migrants	
	<5000		5000-10000		10000-15000		15000-20000		20000-25000		>25000			
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
Household Industrial Activities		1	1	4	7	2	13	1	12	1	15	2	48	11
		9.1*	2.1	36.4	14.6	18.2	27.1	9.1	25.0	9.1	31.3	18.2	(19.7) ⁺	(11.6)
Construction Work			1		7		6		11		3		28	
			3.6		25.0		21.4		39.3		10.7		(11.5)	
Commercial Activity			1		4	2	5		6		5		21	2
			4.8		19.0	100.0	23.8		28.6		23.8		(8.6)	(2.1)
Transport and Communication								3	1		4	2	5	5
								60.0	20.0		80.0	40.0	(2.0)	(5.3)
Teaching Profession				2	1	2	2	3	4	5	20	19	27	31
				6.5	3.7	6.5	7.4	9.7	14.8	16.1	74.1	61.3	(11.1)	(32.6)
Professional and Technical Work							6	3	21	6	62	22	89	31
							6.7	9.7	23.6	19.4	69.7	71.0	(36.5)	(32.6)
Administrative Services											7	9	7	9
											100.0	100.0	(2.9)	(9.5)
Medical Works											1	1	1	1
											100.0	100.0	(0.4)	(1.1)
Others		1	9	3	5		2		2			1	18	5
		20.0	50.0	60.0	27.8		11.1		11.1			20.0	(7.4)	(5.3)
Grand Total		2	12	9	24	6	34	10	57	12	117	56	244	95
		(2.1)	(4.9)	(9.5)	(9.8)	(6.3)	(13.9)	(10.5)	(23.4)	(12.6)	(48.0)	(58.9)	(100.0)	(100.0)

Source : Field survey, 2021

Note: *Unbracketed lower figures are the percentages to total males or females of respective economic activity

+Bracketed lower figures are the percentages to grand total surveyed males or females

Conclusion : Migration patterns vary significantly across different age group and sex. Men from general and Other Backward Classes (OBCs) often migrate for education, while those from Scheduled Castes (SCs), Scheduled Tribes (STs), and Muslims typically migrate for better employment opportunities due to socioeconomic challenges. Individuals with primary to higher secondary education often migrate due to a lack of suitable job opportunities or low wages in their current location. Conversely, those with undergraduate or postgraduate qualifications consider skill acquisition choices for better economic returns. Regardless of literacy, women often migrate for marriage, though a significant portion of those with higher education migrate for further studies.

The data reveals significant income gaps between male and female out-migrants in household industrial work. Men generally earn higher incomes, often exceeding Rs 15,000 to Rs 25,000 monthly, while women typically earn between Rs 5,000 and Rs 10,000. This is influenced by factors such as longer working

hours for men and differing migration motivations. Sectors like construction and transport pay males more, with many earning above Rs 25,000, whereas females' incomes are concentrated in the Rs 15,000-20,000 range. Prestigious occupations like teaching and engineering attract skilled migrants earning over Rs 25,000, though disparities persist. Efforts to address these gaps are ongoing, recognizing the influence of factors such as skills, education, and systemic biases.

Despite current economic challenges, Asansol's future prospects depend on government policies, infrastructure development, investment opportunities, and efforts to diversify the economy beyond traditional industries like coal mining. Sustainable urban planning, job creation initiatives, and improving living standards could help revitalize the city's economy and attract investment. Understanding migration patterns, economic dynamics, and potential future prospects is crucial for addressing challenges and promoting development in cities like Asansol. It requires a multi-faceted approach involving government, community stakeholders, and private sector collaboration to create opportunities and improve overall well-being.

References :

1. Valiuniene, V.K., (2016). International Journal of Social Science and Humanity, Vol. 6(9), pp. 728-733.
2. Zaiceva, A., (2014). The Impact of Aging on the Scale of Migration, IZA World of Labor, Vol. 99, pp. 1-10.
3. Obire, O. (2020). Educational Migration: Causes, Challenges, and Probable Solutions, Migrants and Comparative Education, Brill Publication, Vol. 50(17), pp.239-248.
4. Dustman, C. and Glitz, A. (2011). Migration and Education, Handbook of the Economics of Education, Vol. 4, Discussion Paper No. 2011-11, pp. 1-146.
5. Rauscher, E and Song, H. (2022) Learning to Value Girls: Balanced Infant Sex-ratios at Higher Parental Education in the United States, 1969-2018, Demography, Vol. 59(3), pp. 1143-1172.
6. Naidu, N. (1995), Causes and Consequences of Slum Migration, Ph.D. Thesis (unpublished), Department of Population Study, Sri Venkateswara University, Tirupati, p. 71-72.
7. Ali, Md Hasan, (2018). Causes and Consequences of Out-migration: A Study in Murshidabad District, West Bengal, International Journal of Development Research, Vol. 8(1), pp. 18189-18194.
8. Mukherjee, J., Saha, A. and Mukherjee, S., (2019). Changing Pattern of Migration in West Bengal, International Journal of Research and Analytical Reviews, Vol. 6(2), pp. 282-288.
9. Hossain, M. et al. (2023). Spatial and Temporal Pattern of Internal and Inter-state Migration in West Bengal, India, Demography India, Vol. 52 (1), pp. 32-48.
10. Chakraborty, M. et al., (2022). Bengali Migrant Workers in South India: A Mixed-Method Inquiry into Their Earnings, Livings and Struggle during Covid Pandemic, The Indian Journal of Labour Economics, Vol.65, pp. 425-443.
11. Singh, M. and Siddique, G. (2020). Cultural Integration of Inter-State Migrants in Asansol, West Bengal, Space and Culture, India, Vol. 8(3), pp.86-99.
12. Dey, M., (2016). Determinants and Impact of Migration on Rural Poor: A Case-study of Asansol, an Industrial Zone of West Bengal, International Journal on Recent and Innovation Trends in Computing and Communication, Vol. 4(6), pp. 457-462.
13. Ansary, R. and Siddiqui, Z., (2021). Mutation in West Bengal's Migration Pattern: Bengalis Looking South, International Journal of Development and Conflict, Vol. 11, pp. 89-104.
14. Basu, M. (2018). A Geographical Analysis of Urbanization, Demographic Structure and Problems in Asansol Durgapur Planning Area (ADPA), Journal of Emerging Technologies and Innovative Research, Vol. 5(8), pp. 280-289.
15. Sarkar, R. (2019). Urbanization in India and West Bengal: Forces an Unequal Growth of Cities in the State of West Bengal, Pratidhwani The Echo, Vol. 7(3), pp. 276-284.
16. Singh, M. and Siddique, G. (2019). Immigration Communities in Asansol Municipal Corporation Area: Perspectives of Acculturation and Deculturation, Vol. 6(2), pp. 939-953.
17. Haan de A., (1995). Migration in Eastern India: A Segmented Labour Market, The Indian Economic and Social History Review, Vol. 32(1), pp.51-93.
18. Banerjee, P. and Das, B. (2021). Regional Disparity in Patterns of Out-migration from West Bengal: Evidences from Census Data, Demography India, Vol. 50(2), pp. 131-151.

The Effect of Yoga and Physical Exercises on Resting Pulse Rate Variable of Higher Education Students

Dr. Harender Singh*

*Asst. Prof., Dept. of Physical Education, V.S.P. Govt. P.G. College, Kairana (Shamli) U.P.

Abstract: The purpose of the study was intended to assess the effect of yogic and physical exercises on resting Pulse rate for this purpose hundred fifty students studying in various classes of Government high school Nagathan and Sanganbasaveshawar residential school of Vijayapaur in Karnataka state in age group of 14-16 years were selected. They were divided into three equal groups, each group consist of 100 subjects, in which group-I underwent yoga practices, group-II underwent physical exercises and group -III acted as control group who were not allowed to participated and receive any special treatment apart from their regular curriculum classes', The training period for this study was six days a week for twelve weeks the before and after the training period, the subjects were tested for resting pulse rate. The analysis of covariance (ANCOVA) was applied to find out which group has produced better results, whenever "F" ratio for adjusted test was found to be significant for adjusted post-test means Scheffe's test was followed, as a post hoc to determine which of the paired means differ significantly. It was drawn conclusions that after the training of yoga and physical exercise physical group training has decreased resting pulse rate, but significant decreases has found among the physical exercise group comparing their counterpart yoga group.

Keywords : Yoga, Residential school, Regular curriculum, Self-evolvment lighten, Physical exercise etc.

Introduction : Yoga is the art and science of maintaining physical and mental wellbeing that has its origin in India is among the most ancient yet vibrant living traditions that is getting increasing popular today. A potent stress buster, yoga is an instrument of self-evolvment lighten, through physical and mental well-being. Math-dimension it enhances the quality of our lives at so many levels. One aspect of yoga's benefits is to explore the bond between health and beauty.

The word Yoga derived from Samant word "YUJ" meaning to yoke, join or unite. This implies joining or integrating all aspects of the individual body with mind with soul- to achieve a happy, balanced and useful life, and spiritually, uniting the individual with the supreme, Physical exercise in any organised activity that involves continuous participation and effects on whole body. Exercise occupies a leading role in keeping a person fit. It will be quite difficult to adjunct one's life in terms on stress, diet, and sleep and so on without proper exercise. Regular practices of asana maintain the physical body in an optimum condition and promote health even in an healthy body. Through asana practice, the dormant energy potential is released and experienced as increased confidence in all areas of life, yogasna have a deeper significance value in the development of the physical, mental, and spiritual personality, whereas pure exercise only have physical effect on muscles and bones. Physical exercises are performed quickly and with a lot of heavy breathing. yogasan are performed slowly with relaxation and concentration. The benefits of various yoga techniques have been professed to improve body muscular strength, performance, stress reduction, attainment of inner peace and self realization. Schools are dynamic setting for promoting health and wellness through various correlated areas such as physical education and sports. There is a growing awareness that the health and psycho-social wellbeing of young children is of paramount importance and schools can provide a strategic means of children's health, self- esteem, life skills and behaviour

The yoga and physical exercise are the means to notice all round and harmonious development among school students in the modern society, hence scholar made an attempt explore the "The Effect of Yoga and Physical Exercise on resting pulse rate Variables of Higher Education Students" The present study was carried out in the background of the experimental method.

Hypothesis :

1. There would be significant effect of yoga and physical exercises training on improvement of resting pulse rate variables of Higher Education Students.
2. There is no significant difference of yoga and Physical Exercise training improving resting pulse rate among students

Objectives : 1. To assess the effect of yoga and Physical exercises on pulse rate variables of Higher Education Students

Methodology : The purpose of the study was to find out of yogasana on selecte physical variables pulse rate between yoga and Physical exercises group, to achieve the purpose of the study 300 students studying in the

Gent High School Nagthen and Sanganbasaveshawar residential school of Vijayapur district of Karnataka(Indi) has selected randomly as subject for the experiment, they were divided into two equal groups, each group consists of the 100 students. Group I and Group II underwent yogasan and physical; exercises training for six days per week for twelve weeks. Group III Acted as control that did not undergo any special training programme apart from their regular physical education classes programme. The following variables' namely Resting Pulse Rate was selected as criterion variables. All the subjects of two groups were tested on selected depended variables at prior to and immediately after the training programme. The analyses of covariance were used to analyze the significant difference if any between the groups. The 0.05 level of confidence was fixed as the level of significance to test the F ratio obtained by the analysis of covariance, which was considered as an appropriate.

Analysis of the data : The data collected prior and the after the experimental period on resting pulse rate variables of yoga and physical exercise group were analyzed and presented in the following table -1

Pulse Rate :

1. Hypothesis was formulated that after training of yoga and physical exercise. physical exercise may reduce the pulse rate than the counterpart group is assumed on the rational that meditation and few control group of the Higher Education Students. Experimental and control group of the Higher Education Students.
2. To determine the influence of yogic and physical exercise on pulse rate, ANNACOVA was employed. The obtained results pertaining to this been presented in table below

Table - I

Computation of Covariance of Physiological Variables of Resting Pulse Rate of control Group, Experimental group 1(Yogic Exercises) and Experimental group 2 (Physical Exercises) of Higher Education Students.

Source Variance	Df	Sum of the Square	Mean Square	Remarks
Between the group	2	719.166	359.583	28.68
Within the group	296	3710.459	12.535	
Significant at 0.05 level				

Table – I - A

Resting pulse rate mean difference of control group (A). Experimental group I (B) (Yogic Exercise) and experimental group 2(C) (Physical Exercise)

GROUP and fbc value	M1	M2	Diff	Remarks
Group C & E1	89.381	85.574	3.807	7.019
Group C & E2	89.381	87.585	1.796	
Group E1 & E2	85.574	87.585	-2.011	

The Stressful situations raise heart rate and blood pressure, and release stress hormones, which all can injure the heart and the blood vessels, especially during prolonged or repeated exposures. Yogic exercises helps to reduce stress and promote a calm relaxed state, which in turn reduces stress hormones, decreases the heart rate and lowers blood pressure. The breath has a strong influence on the rhythm of the heart through the inner connections in the central nervous system. The autonomic nervous system (ANS) controls silently controls the function of the heart rate and blood pressure which is influenced by the two parts of the ANS: the parasympathetic and sympathetic nervous system. Slow deep breathing is encouraged by pranayama and recitation of mantras. And this smoothing and lengthening of the breath slows the heart rate, regulates the heart rhythm, oxygenates the blood, and induces a feeling of calm and well-being. The graph showing the mean differences of Pulsing rate of experimental group recorded at the pre and post-test.

Conclusion : The Yogic exercises plays significant role in controlling and decreases resting pulse rate contents, so modern science, technology and style of living influenced health condition of school going students, hence it research outcome that yoga education curriculum should be implemented and maintained effective for the all-round and harmonious development of school personality.

References :

1. Iyengar, B.K.S. 2008, Yoga: The Path of Holistic Health", Great Britain, (The definitive illustrated guide in the World's leading Teacher).
2. Mahendran, P. , "Effect of 12 Weeks Aerobic Exercises on Selected Health Releases Physical Fitness and Physiological Variables of Adolescents." (Unpublished M.Phil. Thesis, Pondicherry University, Pondicherry, July, 2009).
3. Dr. Yoginder , Effect of Yoga on Physical and Mental Health" (An Experimental Study), Khel Sahitya Kendra, New Delhi.
4. Kamlesh Dr. M. L., entitled UGC NET Digest on Physical Education (2nd ed., 2 vol., 2012-13), pub. by- Khel Sahitya Kendra, New Delhi.
5. Dr Rajkumar P Malipatil (2016) Unpublished Major Project Report, submitted to U. G.C, New Delhi, India.
6. Gharote M, L, 1979. "Effects of eight week yogic training programme on..... aspects of physical fitness of physically conditioned young males Indian journal of Medical sciences.

प्रकाशित पुस्तकें :

- नारी विमर्श (प्राचीन काल से आधुनिक काल तक) - डॉ० अनीश कुमार वर्मा
- सामाजिक न्याय : समस्या एवं समाधान - डॉ० अनीश कुमार वर्मा
- कामकाजी महिलाएँ : समस्याएँ एवं समाधान - डॉ० अनीश कुमार वर्मा
- काशी में हिन्दू विधवायें - डॉ० रजनीश
- विश्व के प्रमुख धर्म - डॉ० डी०सी० पाण्डेय
- प्रमुख समकालीन दार्शनिक - डॉ० डी०सी० पाण्डेय
- लिंग भेद एवं सामाजिक परिवर्तन - डॉ० त्रिपुन्जेय कुमार पटेल
- यज्ञतंत्र - डॉ० मिताली देव
- Effects of Migration on Rural Labour Households at Origin - Indra Kant Bharti



Published by :

South Asia Research & Development Institute

B. 28/70, Manas Mandir, Durgakund

Varanasi-221005, U.P. (INDIA)

Email : researchdiscourse2012@gmail.com

Mob. 09453025847, 08687778221



ISSN 2277-2014